पंचदश माला, खंड 30, अंक 18

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2012
27 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 15 oct 2015

(खण्ड 30 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

18 दिसम्बर 2012

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

प्रमोद कुमार मिश्र
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2012/27 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 343	2-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 344 से 360	34-76
अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140	75-804
सभा पटल पर रखे गए पत्र	805-816
राज्य सभा से संदेश	816
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	817
आचार समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	818
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
38वें से 41वां प्रतिवेदन	818
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
31वां और 32वां प्रतिवेदन	819
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
24वां और 25वां प्रतिवेदन	819
रेल संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	820
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 34वें से 37वां प्रतिवेदन	821
(दो) विवरण	821

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 821

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री दिनशा पटेल 822

(तीन) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 823

(चार) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. चरण दास महंत 824

(पांच) 16 दिसम्बर, 2012 को दक्षिण दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना

श्री सुशील कुमार शिंदे 881

दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव 825

कार्यमंत्रणा समिति

43वां प्रतिवेदन 826

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दक्षिण दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बारे में 826

(दो) सच्चर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में 833

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी के समय पर भुगतान को सुकर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में योजना के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री नारायण सिंह अमलाबे 849

(दो) आंध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सिरिसिल्ला में एक वस्त्र पार्क की स्थापना करके उसे विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 850

(तीन) महाराष्ट्र के नागपुर में विद्युतकरघा और हथकरघा उद्योग के विकास को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 851

(चार) मध्य प्रदेश की नागदा तहसील में स्थित रासायनिक कारखाने से निकलने वाली गैस से प्रदूषित हो रहे वातावरण को बचाने के लिए उक्त कारखाने को बंद किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमचन्द गुड्डू 852

(पांच) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य इकाइयों द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी व्ययों की निगरानी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी 853

(छह) ब्रज भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन सिंह 855

(सात) नई रसोई गैस नीति को सरल और कारगर बनाए जाने, सरकारी सहायता प्राप्त परिवारों और सामाजिक संगठनों को पर्याप्त रसोई गैस कनेक्शन और राजसहायता प्राप्त सिलिंडर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 855

(आठ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवासों का पर्याप्त कोटा आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 856

विषय	कॉलम
(नौ) रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने तथा बिहार के पूर्वी चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	857
(दस) बिहार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लाभकारी मूल्य पर किसानों से धान की खरीद यथाशीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. भोला सिंह	857
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रेल संपर्क में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री बृजभूषण शरण सिंह	858
(बारह) उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	859
(तेरह) देश में औषधीय और सुगंधिक पादपों की खेती के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डॉ. रत्ना डे	860
(चौदह) भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री तथागत सत्पथी	860
(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई नहरों की सफाई का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री संजय सिंह चौहान	861
(सोलह) तमिलनाडु में मदुरै और सेनगोट्टई के बीच बरास्ता पेरैयूर, वथिरायिरूप्पू, सुंदरापांडियापुरम, श्रीविल्लीपुथुर, राजापलायम, सेथथूर, सिवागिरी, पुलियागुंडी टाउन पंचायत, इडैकल और तेनकाशी तक एक नई रेलवे लाइन आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. लिंगम	861

विषय	कॉलम

संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012

(नए अनुच्छेद 371ञ का अंत:स्थापन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री आर.पी.एन. सिंह 884

श्री अनंत कुमार 886

श्री के. जयप्रकाश हेगड़े 887

श्री एच.डी. देवेगौडा 887

श्री एस. पक्कीरप्पा 888

श्री शिवराम गौडा 889

श्री शैलेन्द्र कुमार 890

श्री तथागत सत्पथी 891

श्री एन. धरम सिंह 891

श्री शरद यादव 892

प्रो. सौगत राय 893

श्री मल्लिकार्जुन खरेग 895

श्री अनंत गंगाराम गीते 896

श्री असादूद्दीन ओवेसी 898

श्री नामा नागेश्वर राव 901

श्री एम.बी. राजेश 901

श्री लालू प्रसाद 901

श्री प्रबोध पांडा 902

डॉ. बलीराम 902

श्रीमती पुतुल कुमारी 902

श्री आर.के. सिंह पटेल 903

श्री अजय कुमार 903

विषय	कॉलम

खंड 2 और 1 904

पारित करने के लिए प्रस्ताव 965

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 962, 967

श्री एस.एस. रामासुब्बू 973

श्री शैलेन्द्र कुमार 974

डॉ. बलीराम 975

श्री जगदीश शर्मा 976

प्रो. सौगत राय 979

श्री खगेन दास 983

श्री भर्तृहरि महताब 985

श्री आनंनदराव अडसुल 989

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 991

श्री गुरूदास दासगुप्त 993

श्री एस. सेम्मलई 1000

श्री प्रेमदास राय 1002

श्री अजय कुमार 1003

श्री बदरुद्दीन अजमल 1004

खंड 2 से 18 और 1 1017

पारित करने के लिए प्रस्ताव 1042

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन विधेयक, 2012 के बारे में 4240

कम्पनी विधेयक, 2011

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सचिन पायलट 1045

श्री शिवकुमार उदासी 1052

विषय	कॉलम
श्री संजय निरुपम	1060
श्री शैलेन्द्र कुमार	1067
श्री विजय बहादुर सिंह	1070
प्रो. सौगत राय	1072
शेख सैदुल हक	1075
डॉ. एम. तम्बिदुरई	1077
श्री भर्तृहरि महताब	1079
श्री अजय कुमार	1085
श्री निशिकांत दुबे	1096
श्री अभिजीत मुखर्जी	1093
श्री एच.डी. देवेगौडा	1096
खंड 2 से 470 और 1	1111
पारित करने के लिए प्रस्ताव	1151
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1153-1154
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1154-1172
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1173-1174
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1173-1176

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2012/27 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदया, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो गयी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 341।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको 'शून्य काल' में बोलने का मौका दूंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हम आपको शून्य प्रहर में समय देंगे। यह बहुत गंभीर मामला है। बहुत ही जघन्य कृत्य हुआ है, हम आपको समय जरूर देंगे। शैलेन्द्र कुमार जी, आपको भी समय देंगे। तम्बिदुरई जी, मुलायम सिंह जी आपको समय देंगे। शून्य प्रहर में आपको समय देंगे। अब प्रश्नकाल चलाइये।

प्रश्न संख्या 341 श्री पूर्णमासी राम — अनुपस्थित

श्री नीरज शेखर

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महोदया, मुसलमानों की दशा ज्यादा गंभीर है।...*(व्यवधान)* स्पष्ट कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम आपको जीरो आवर में समय दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गये। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप शून्य प्रहर में इसे अच्छे तरीके से बोल लीजिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदया, धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे हो सकता है?...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : नीरज शेखर जी आप बोलिये।

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

+

***341. श्री नीरज शेखर :**
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही स्थिर करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने आयोग से अपनी सिफारिश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) चूंकि सिफारिश किया गया न्यूनतम समर्थन

मूल्य गेहूं उत्पादन की लागत को कवर करता है, अतः कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने 2012-13 मौसम के लिए रबी फसलों हेतु मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में बफर स्टॉक मानकों, वैज्ञानिक रूप से कवर किए गए भंडारण स्थल की कमी से अलग देश में गेहूं की अत्यधिक आपूर्ति सहित अनेकों कारणों की वजह से विगत वर्ष के 1285 रु./क्विंटल के स्तर पर गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर रखने की सिफारिश की है।

(ग) जी, हां। आयोग ने, अपनी संशोधित सिफारिश में, अप्रैल 2013 तक 15 मिलियन टन गेहूं के भंडारों को समाप्त करने की शर्त पर 40 रु./क्विंटल बोनस का सुझाव दिया है। 2012-13 के लिए गेहूं हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीरज शेखर : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग आजकल किसानों को जानबूझकर पीड़ित करना चाहते हैं? मैंने देखा है कि गेहूं का उत्पाद वर्ष 2007-08 में कम हुआ था और हम लोगों को गेहूं आयात करना पड़ा था। उसके बाद किसानों ने मेहनत करके आज हम लोगों को बहुत बड़ी सफलता दी है। इस सरकार ने प्राइसिंग को फ्रीज कर दिया है, 1285 रुपये पर उसे फ्रीज कर दिया गया है और कहा है कि उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसान उत्पाद ज्यादा करता है तो प्राइस ज्यादा बढ़ाना चाहिए और किसानों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उसे और कम करने का प्रयास कर रही है। उसकी लागत ज्यादा आ रही है, डीजल की लागत ज्यादा आ रही है, पांच रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम, डीएपी के दाम, सब कुछ बढ़े हैं। स्वामीनाथन कमीशन और बड़े-बड़े लोग कह रहे हैं कि इसके दाम डेढ़ गुने होने चाहिए, गेहूं का प्रति क्विंटल दाम 1800 रुपया होना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1285 रुपये पर क्यों रोका जा रहा है? जबकि आदरणीय शरद पवार जी ने कहा है कि दाम और बढ़ने चाहिए, लेकिन जो सीएसीपी है, वह कहती है कि नहीं, दाम इतने ही होने चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके दाम 1285 रुपये से बढ़ाये जायेंगे या नहीं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदया, पिछले वर्ष जो भी मूल्य रहा हो, सीएसीपी ने यह सिफारिश की है कि इस वर्ष भी उन्हीं मूल्यों को रखा जाना चाहिए। उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं।

[हिन्दी]

वे कारण ऐसे हैं कि देश में गेहूं का स्टाक ज्यादा है लेकिन गेहूं का स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड है और पिछले साल की जो कीमत है, इस कीमत में भी आज की कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन देखने के बाद किसानों को 14 प्रतिशत लाभ होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए। मंत्री जी को उत्तर तो पूरा करने दीजिए। ऐसे कैसे होगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। यह क्या है? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : महोदया, सीएसीपी द्वारा यही कारण बताए गए हैं। हमने सीएसीपी की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। हमने यह निर्णय लिया है कि यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है और हम किसानों को समुचित मूल्य नहीं दे पाएंगे इसलिए आखिरकार सरकार ने सीएसीपी को प्रस्ताव वापस भेजने का निर्णय लिया और उन्हें नई सिफारिश भेजनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य को दूसरा सवाल पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री नीरज शेखर जो कुछ कह रहे हैं उसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री नीरज शेखर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी कहते हैं कि किसान को अभी भी फायदा हो रहा है। अगर 1285 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम रखा जाएगा, तब भी कहते हैं कि 150 रुपये किसान को फायदा हो रहा है। मैं नहीं जानता कि किस मैथमैटिक्स से सीएसीपी ने यह निकाला है कि किसान को अभी भी फायदा हो रहा है। हम लोग जो देखते हैं, जो किसानों से बात करते हैं, किसानों के बीच रहते हैं, वह किसान कहता है कि आज हम लोगों की लागत ज्यादा लग रही है, डीजल के दाम बढ़े हैं और डीएपी के दाम तिगुने हो चुके हैं। यूपीए सरकार हमेशा कहती है कि हमने पिछले आठ साल में दाम दुगुने कर दिये हैं। डीएपी के दाम कितने बढ़े हैं, डीजल के दाम कितने बढ़े हैं? पांच रुपये डीजल में आज तक कभी नहीं बढ़े होंगे। उत्तर प्रदेश और विशेषकर जहां छोटे-छोटे किसान हैं, वहां अनाज का कितना उत्पाद होता होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में तो बड़े किसान हैं, लेकिन हम लोगों के यहां उत्तर प्रदेश और बिहार में छोटे किसान हैं जिनकी सारी जमीन ही एक-दो एकड़ होती है। उनको कितना फायदा होगा? ये लोग कहते हैं कि 150 रुपये प्रति क्विंटल अभी भी उसको फायदा होगा। मैं जानता हूं कि अगर 100 टन एक अच्छा किसान उत्पादन कर रहा है तो उसको कितना फायदा हुआ? मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार की सोच किसान के बारे में क्या है? पिछले 15 सालों में तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। क्या सरकार यह चाहती है कि 10 लाख किसान और आत्महत्या कर लें, उसके बाद किसानों के बारे में सोचा जाएगा? आज उत्तर प्रदेश के किसान भी आत्महत्या करने लगे हैं।...*(व्यवधान)* आज हर कोई अपनी मर्जी से कीमत बढ़ाता है, आज हवाई जहाज के टिकट की कीमत कोई कंपनी अपनी मर्जी से बढ़ा सकती है, लेकिन किसान को समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात होगी तो न इस सदन में बात होती है, न कहीं और बात होती है। कई पार्टियों ने तो छोड़ दिया कि एफ.डी.आई. पर हम सत्ता छोड़ रहे हैं लेकिन किसान के बारे में कौन बात करेगा? किसान की जब तक बात नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो कहा है कि 1800 रुपये न्यूनतम मूल्य गेहूं का होना चाहिए, वह सरकार कब देगी? बार-बार यह नहीं कहे कि हमने दुगुना कर दिया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : धान का भी बताइए, धान की स्थिति भी बहुत खराब है।

श्री शरद पवार : यह विषय धान का नहीं है, विषय व्हीट का है। सीधी बात यह है कि जो सीएसीपी की रिकमंडेशन है, वह रिकमंडेशन हम लोगों ने एक्सैप्ट नहीं की है।...*(व्यवधान)* हमारा आब्जर्वेशन यह है कि किसानों को इससे ठीक तरह से लाभ नहीं होता है। आज देश में जो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हैं और उनके पास जो जमीन है, वह एवरेज 1.16 हैक्टेयर है। 1.16 हैक्टेयर में यह कीमत जो रिकमंड की है धान के लिए, 1250 रुपये की, वह लेने के बाद किसानों को पूरे सीजन के 2527 रुपये मिलते हैं। इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का व्यू है कि जहां व्हीट की क्राप लेते हैं, वहां शायद यह सैकेंड क्राप होगी और पहली क्राप धान की हो सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। धान की आज की जो कीमत है और टोटल उत्पादन है 1.16 हैक्टेयर में, इससे 2527 रुपये किसानों को नैट इनकम होती है।...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : 2257 रुपए से क्या होता है? ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : आप पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप पहले मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : धान से 2527 रुपए और गेहूं से 5345 रुपए, यानी टोटल 1.16 हैक्टेयर का उनका जो लाभ होगा, वह 7872 रुपए होगा।...*(व्यवधान)* यह जो अमाउंट है, यह पूरा नहीं है। इससे किसान अपने परिवार की समस्या हल नहीं कर सकता। इसलिए यह कीमत उचित नहीं है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। यह बात मेरी मिनिस्ट्री ने स्वीकार की है। यह बात स्वीकार करके हमने सीएसीपी को यह कहा है कि हम आपकी रिकोमेंडेशन एक्सेप्ट करने की परिस्थिति में नहीं हैं, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण : अध्यक्ष महोदया, नारियल के लिए दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम है। वर्तमान में, भारत सरकार नारियल के लिए 1400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह विनम्र अनुरोध है...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : नारियल के लिए, मुझे अलग से सूचना दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : हां, अब, श्री दुष्यंत सिंह।

श्री दुष्यंत सिंह : मैं माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) कृषि मंत्रालय को वापस कब जवाब देगा। मैं राजस्थान से हूं। हमारे राज्य में गेहूं की खूब पैदावार होती है। पिछले वर्ष, किसानों ने बहुत बड़े क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया लेकिन गेहूं का मूल्य उचित नहीं मिला। अभी-अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि लगभग 285 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया है। श्री नीरज जी ने अभी बताया है कि डीएपी, यूरिया और डीजल के मूल्य बढ़ गए हैं। मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि बिजली के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। सरकार देश भर के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए क्या कर रही है? आप कब सामने आएंगे और भारत के लोगों को बताएंगे कि सीएसीपी किसानों को बेहतर मूल्य देगी?

श्री शरद पवार : सीएसीपी सिफारिश करने वाला एक निकाय है। सीएसीपी की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है...*(व्यवधान)* सीएसीपी की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी और हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे इस पर पुनर्विचार करें। उन्होंने नई रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ 40 रुपये बोनस के रूप में और वृद्धि करने का सुझाव दिया है। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि यह पर्याप्त मूल्य नहीं है; यह ऐसा लाभकारी मूल्य नहीं है कि किसान इससे अपनी सभी समस्याओं को सुलझा सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सीएसीपी की जो रिपोर्ट आई है, उस आधार पर लागत लग रही है। हम लोग गांव से आते हैं। गांवों में इस समय किसानों की स्थिति यह है कि उसे डीएपी तीन गुना महंगा, डीजल महंगा, बीज महंगा और वह मिल भी नहीं रहा है। बिजली आ ही नहीं रही है। किसान किसी तरह से लग करके उत्पादन करता है। उत्पादन हुआ तो उसे रखने की जगह नहीं है। क्रय केन्द्रों पर भी खरीद नहीं हो रही है। गेहूं सड़ रहा है और गांवों का गरीब भूखा है। बड़ी विषम स्थिति है। एक तरफ किसान की लागत दिनोंदिन बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उसे रखने के लिए स्टोरेज नहीं है। गेहूं सड़ रहा है। दूसरी तरफ जो लागत मूल्य है, वह भी उसे नहीं मिल पा रहा है।

माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि 1285 रुपए की सीएसीपी ने जो रिपोर्ट दी है, उससे वह संतुष्ट नहीं हैं। उससे संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लागत मूल्य बढ़ा है, उससे लोगों में असंतोष बढ़ा है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। वे आत्महत्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने इस सिफारिश में सुधार करने की बात स्वीकार की है। क्या इसे बढ़ा कर दो हजार रुपए या उससे अधिक करने की आपकी कोई योजना है? और कब तक इस सिफारिश को, आप इस योजना को लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए काम करेंगे, यह बताने की कृपा करें?...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह : अध्यक्षा जी, प्रति क्विंटल गेहूं पैदा करने में 2400 रुपये खर्च होते हैं। आज खेती का धंधा घाटे का धंधा है। कब तक किसान इसी तरह से लुटता रहेगा, इसका जवाब मंत्री जी को देना चाहिए?...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जहां तक यहां बात कही गई, सी.ए.सी.पी. का एक सिस्टम है। हर राज्य की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का आकलन किया जाता है।...*(व्यवधान)* इस कास्ट के बारे में जो सी.ए.सी.पी. ने इंफोर्मेशन दी, इसके माध्यम से बिहार में 717 रुपये कास्ट आफ कल्टीवेशन की बात कही गई है, छत्तीसगढ़ की 1232 रुपये की है, गुजरात सरकार ने 724 दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : क्या हो गया? आपको बोलने को मौका देंगे।

श्री शरद पवार : हरियाणा ने 580 रुपये इंफोर्म किया है, राजस्थान ने 666 रुपीज इंफोर्म किया है। उत्तर प्रदेश ने 673 रुपये इंफोर्म किया है। उत्तराखंड ने 349 वेस्ट बंगाल ने 1475 और इसका ए 2 एफ एल पेटेंट एवरेज 716 आता है। सवाल यह है कि हर राज्य की स्थिति अलग है, लेकिन जब हम नेशनल लेवल पर कीमत तय करते हैं तो जिन राज्यों की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम है, इसे सैंट्रल लेवल पर हम नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपको मौका दे रहे हैं न, आप बैठिये तो सही। ऐसा मत करिये। आप क्यों खड़े हैं? हम आपको बोलने का चांस दे देंगे। आप बोलिये।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम किसान हैं, इसलिए बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अभी आपका नाम बुलाएंगे, आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं। आप बैठिये।

श्री शरद पवार : आपकी राज्य का कास्ट मैंने बताया है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमारी सरकार को पता है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : ठीक है। राज्य सरकार को हम टोटली नजरअंदाज नहीं कर सकते। राज्यों में जो स्थिति है, यह मैंने सदन के सामने रखी है। स्टेट में लागत अनुमानित है, वह मैंने सदन के सामने रखी है, मगर भारत सरकार का कहना यह है कि किसानों का लागत खर्च इससे ज्यादा आता है और इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : 2100 रुपये गेहूं के लिए हम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, आप भी बिहार के सासाराम से आती हैं, वह धान का कटोरा है, यह दोनों चीजों का मामला भी है। यह धान की भी कीमत और गेहूं की भी कीमत का मामला है। जब से मैं सदन में हूं, केन्द्र सरकार बार-बार राज्य सरकार की बात करती है, पर आपको मूल्य तय करना है, दाम आपको देना है। हम माननीय मंत्री शरद पवार साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की, वे किसान नेता भी हैं, आपने सच्चाई स्वीकारी है तो क्या आप धान और गेहूं का मूल्य, जो लागत आज के दिन में है, डीजल, खाद, कीटनाशक, जुताई और जो श्रमिक काम करते हैं, सब चीजों में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। आज किसान पलायन कर रहे हैं, किसानी को, खेती को आज करना नहीं चाहते हैं। आज के दिन लोग चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन किसान नहीं बनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीश शर्मा : मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दो सप्ताह के अंदर सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर धान और गेहूं का समर्थन मूल्य तय करने का विचार रखती है? पूरी लोक सभा में सभी किसानों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाइये। सी.ए.सी.पी. जो मूल्य तय करती है, उस सी.ए.सी.पी. को खेती की कोई जानकारी नहीं है। सब विदेशी लोग यहां बैठे हुए हैं। हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री महोदय इस सदन की सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर एक सप्ताह के अंदर धान और गेहूं, दोनों का समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं? धान की कीमत कम से कम दो हजार रुपया प्रति क्विंटल हो तथा गेहूं का 2500/- रुपया प्रति क्विंटल हो।

श्री शरद पवार : जहां तक धान की बात है, धान की कीमत जब खरीफ की कीमत तय करते हैं, उसके साथ तय हुई। गेहूं की जो कीमत है, रबी क्रॉप की कीमत जिसकी रिकमेंडेशन सीएसीपी ने की है, रबी क्राप में धान नहीं आता है।...*(व्यवधान)*

श्री जगदीश शर्मा : धान का भी तो समय है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : धान की कीमत खरीफ क्राप में आती है। आज जो क्वैश्चन है, वह रबी क्राप तक सीमित है, इसलिए यहां गेहूं या बाजरे की बात है। जहां तक गेहूं की कीमत की रिकमेंडेशन की बात है, इसे हमने स्वीकार नहीं किया। इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। यह भूमिका मिनिस्ट्री की है, इसलिए सीएसीपी को हमने यह प्रपोजल वापस भेजकर रिवाइज्ड रिकमेंडेशन मांगी थी।

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदया, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सीएसीपी ने कई कारणों से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर कर दिए जाने की सिफारिश की है। अब, उनके द्वारा सूचीबद्ध किए गए कारणों में से एक कारण देश में गेहूं की अत्यधिक उपलब्धता है। यदि अत्यधिक उत्पादम हुआ है तो क्या यह किसान की गलती है? उन्होंने कहा कि एक अन्य कारण बफर स्टॉक मानक है। कौन इस बफर स्टॉक का भंडारण कर रहा है और क्यों? लोख भुखमरी से मर रहे हैं लेकिन सरकार अपना बफर स्टॉक बढ़ा रही है। इसके लिए किसान कैसे जिम्मेदार है? एक अन्य कारण वैज्ञानिक तरीके से ढके हुए भंडारण स्थान की कमी है। यदि सरकार पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण स्थान सृजित नहीं कर सकती है तो इसमें किसान का दोष कैसे हो सकता है?

अत:, न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर करने के लिए ये कारण दिए गए हैं। इससे भी बढ़कर, उनका यह भी कहना है कि अप्रैल, 013 तक 15 मिलियन टन गेहूं के बेच दिए जाने के अध्यधीन आयोग ने प्रति क्विंटल 40 रुपये बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। अब किसान स्टॉक बेच रहा है या सरकार स्टॉक बेच रही है? आयोग द्वारा किए गए सभी कारणों के लिए सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। किसान को क्यों कष्ट होने दिया जाए जबकि उसकी

लागत में प्रति वर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है? वे कह रहे हैं कि वे इसमें 40 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करेंगे। जब आखिरी बार उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की थी, तब से डीजल के मूल्य में 10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि, पोटाश के मूल्य में 2½ गुना वृद्धि, यूरिया के मूल्य में 80 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। मजदूरी लागत दुगुनी हो चुकी है और हम केवल 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा रहे हैं। यदि कार्यालय में बैठे बाबू किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करेंगे तो हम सब यहां क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री स्वयं किसानों के एक बहुत बड़े नेता हैं। वे इसे बेहतर समझते हैं। वे किसानों के लिए अच्छा क्यों नहीं करेंगे? उन्हें आयोग को मूल्य बदलने के लिए कहना चाहिए क्योंकि मात्र 40 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि किसान के लिए एक मजाक है।

महोदया, पिछले वर्ष मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि वे किस आधार पर इस मूल्य की गणना करते हैं। मुझे मंत्री महोदय द्वारा बताया गया था कि वे इसकी गणना बीज, उर्वरक, खाद पर आई लागत सिंचाई प्रभार और भूमि के लिए भुगतान की गई लीज (पट्टा) राशि सहित विभिन्न कार्यों से जुड़े श्रमिक पर आई लागत के आधार पर करते हैं। उन्होंने भूमि के लिए भुगतान की गई लीज राशि की गणना 17,945 रुपये प्रति हेक्टेयर की है जो कि लगभग 7,100 रुपये प्रति एकड़ है, मैं पंजाब से हूं जो कि देश का अनाज भंडार है। हमारे राज्य में कहीं भी 7,100 रुपये प्रति एकड़ की लीज नहीं है। यह 14,000 रुपये प्रति एकड़ से आरंभ होती है और 50,000 रुपए प्रति एकड़ तक भी जा सकती है। तो, किस दृष्टिकोण से इन मूल्यों की गणना की जा रही है? वे वास्तविकता और राज्यवार स्थिति कैसी है, इसे देखे बिना ही इसकी गणना करते हैं। वे किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे हैं लेकिन, एक प्रकार से, वे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाकर किसानों की आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

अतः, सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक के लागू होने की प्रतीक्षा किए बिना अतिशेष स्टॉक को गरीब लोगों में बांटने के लिए तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सरकार गरीबों को खाद्यान्न का वितरण और अधिक भंडारण स्थान का सृजन क्यों नहीं करती जिससे कि किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके? उन्हें यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए। सरकार यह कार्य कितनी जल्दी करेगी?

श्री शरद पवार : महोदया, सरकार सीएसीपी द्वारा बताए गए मुद्दों पर उनके तर्क को स्वीकार नहीं कर रही है जैसे कि उनके द्वारा यह कहना कि अत्यधिक उत्पादन हुआ है। वास्तव में, सरकार द्वारा 'अधिक अन्न उगाओ अभियान' चलाया जा रहा है। यदि किसान इस अभियान का समर्थन करेंगे तो उन्हें कठोर परिश्रम करना होगा, उन्हें उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना होगा और यह देश के लिए सेवा है।

इसलिए हम ये सिफारिशें और कारण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहां किसान इसका जिम्मेदार नहीं है बल्कि वह जो कर रहा है, वह अच्छा काम है; वह तो राष्ट्र की सेवा कर रहा है।

दूसरी बात, भण्डारगृहों की कमी के संबंध में है। उसके लिए भी किसान जिम्मेदार नहीं है।

तीसरी बात, भंडार का तुरंत निपटान करने के संबंध में है। वस्तुतः, यदि भारतीय खाद्य निगम के पास अधिशेष भंडार है तब की इसके यथाशीघ्र परिसमापन तथा गोदाम में स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसकी है। इसलिए कृषि लगत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा बताए गए ये कारण स्वीकार्य नहीं हैं और इसी कारण हमने इन मुद्दों पर उनसे दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है।

अब, सीएसीपी ने कतिपय शर्तों सहित 40 रु. प्रति क्विंटल के बोनस की सिफारिश की है। वस्तुतः, यह भी स्वीकार्य नहीं है एवं इसी कारण यह सरकार की इच्छा है कि वह इस पर यथाशीघ्र अपनी अंतिम राय बनाए क्योंकि बुआई कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और किसान को मालूम होना चाहिए कि उसे अपनी फसल का किना मूल्य मिलेगा। लेकिन हमारी कोशिश उन्हें लाभकारी मूल्य देने की होगी।

कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता

***342. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत मौजूदा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता की समीक्षा करने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों के संबंध में सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अक्तूबर, 2005 में एक समिति गठित की गई थी जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और चलत्रित अधिनियम 1952 के अधीन विनिर्धारित फिल्म प्रमाणन संबंधी दिशानिर्देशों की भी समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

(ख) समिति के संघटन और विचारार्थ विषय क्रमश: अनुबंध-I और II पर संलग्न है।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट 05.03.2008 को पेश की जिसमें प्रसारकों के लिए स्व-विनियमन दिशानिर्देशों का प्रारूप शामिल था जिसकी एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर 'संहिताएं एवं दिशानिर्देश' शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

सिफारिशों में स्व-विनियमन हेतु प्रारूप दिशानिर्देश शामिल थे। इन स्व-विनियमन दिशानिर्देशों में प्रसारण सेवा प्रदाता (बीएसपी) के लिए सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और नैतिक आचरणों को निर्धारित किया गया था। इसने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विषय-वस्तु प्रमाणन नियम, 2008 का भी प्रस्ताव किया जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 और 7 के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त, समिति ने स्व-विनियमन के दो स्तरों का प्रस्ताव किया है अर्थात पहला स्तर प्रसारण सेवाप्रदाता के स्तर पर और दूसरा स्तर उद्योग के स्तर पर। यह सुझाव दिया गया था कि प्रसारण सेवाप्रदाता को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन प्रमाणन नियमों का पालन करना होगा। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रसारण सेवा प्रसारक के पास प्रस्तावित प्रमाणन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वयं का सम्पादक होगा। स्व-विनियमन तंत्र के द्वितीय स्तर पर, यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रसारण उपभोक्ता शिकायत समितियां (बीसीसीसी) गठित की जाएं। प्रसारण सेवा प्रदाता अथवा शिकायतकर्ता जोकि संबंधित बीसीसीसी के अंतरिम अथवा अंतिम आदेश से असंतुष्ट हों, वे बीआरएआई (भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण) के समक्ष अपील कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण को भेजे गए पत्र को भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण के गठन के समय तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया पत्र माना जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान किया गया कि कोई बीएसपी अथवा कोई शिकायतकर्ता जोकि भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण के आदेश से आहत होता है, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एफसीएटी (फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण) अथवा किसी अन्य प्राधिकारी/प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

समिति ने आगे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 और 7 के स्थान पर विषय-वस्तु प्रमाणन नियम, 2008 का प्रस्ताव किया।

विषय-वस्तु प्रमाणन नियमों के अंतर्गत विषयवस्तु को नीचे दिए गए 9 विषयों में से एक के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना था:—

1. अपराध और हिंसा
2. कामुकता, अश्लीलता और नग्नता
3. वीभत्सता और रहस्यमयता
4. मादक द्रव्य, धूम्रपान, तंबाकू, विलायक द्रव्य तथा अल्कोहल
5. अपलेख, मिथ्यापवाद एवं मानहानि
6. धर्म और संप्रदाय
7. क्षति एवं अपराध
8. विज्ञापन
9. सामान्य प्रतिबंध

समिति ने समाचार और समसामयिक (एन एंड सीए) कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों की भी अनुशंसा की।

(घ) और (ङ) तत्पश्चात, मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों पर संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ कई परामर्श-बैठकें भी आयोजित कीं। तथापि, इन परामर्श-बैठकों के दौरान किसी प्रकार की आम सहमति नहीं बनाई जा सकी। तत्पश्चात, इन मुद्दों पर व्यापक आम सहमति बनाने और साथ ही, एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक की आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, अधिकार-क्षेत्र संगठनात्मक ढांचा, शक्तियों तथा कार्यों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विचार जानने के लिए तथा विषय-वस्तु के विनियमन से संबंधित मुद्दों के संबंध में वर्ष 2009 में एक कार्यबल गठित किया गया। मंत्रालय तथा प्रसारण उद्योग के प्रतिनिधियों वाले कार्यबल ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श-बैठकें आयोजित कीं। कार्यबल की बैठकों के दौरान भी कई अलग-अलग मत उभर कर सामने आए।

इस दौरान, समाचार प्रसारक संघ (एनबीए), जोकि अपने स्व-विनियमन पहल के एक भाग के रूप में प्राइवेट टेलीविजन समाचार और समसामयिक प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, प्रसारकों के साथ नियोजित चार संपादकों को और विशेष ज्ञान वाले चार व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने अपने स्व-विनियमन तंत्र की भी स्थापना की। भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान ने प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की स्थापना की है। इन परिषद में 13 सदस्य हैं जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा उसमें 12 अन्य सदसय, नामत: 4 सुविख्यात व्यक्ति, किसी भी राष्ट्रीय स्तर के सांविधिक आयोग से 4 सदस्य तथा 4 प्रसारण सदस्य शामिल होते हैं।

तथापि, प्रसारकों द्वारा स्थापित किया गया स्व-विनियमन तंत्र मौजूदा सांविधि नामत: केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से प्रोभ्दूत सरकार के मौजूदा विनियामक कार्य को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इस मंत्रालय ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का गठन किया है। अंतर- मंत्रालयीय समिति में गृह, रक्षा, विदेश, विधि, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उपभोक्ता मामले मंत्रालयों तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतर-मंत्रालयीय समिति की आवधिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा उनमें उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। सरकार मौजूदा अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कार्रवाई करती है।

अनुबंध-I

(i)	सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
(ii)	अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव, महिला और बाल विकास विभाग	सदस्य
(v)	संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय	सदस्य
(vi)	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
(vii)	महानिदेशक, दूरदर्शन	सदस्य
(viii)	महानिदेशक, आकाशवाणी	सदस्य
(ix)	संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
(x)	संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य

(xi)	सचिव, एनएचआरसी अथवा नामिती	सदस्य
(xii)	सचिव, एनसीडब्ल्यू अथवा नामिती	सदस्य
(xiii)	सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अथवा नामिती	सदस्य
(xiv)	निदेशक (बीसी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	संयोजक
	और निम्नलिखित के प्रतिनिधि:	
(xv)	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)	सदस्य
(xvi)	भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्माता संघ	सदस्य
(xvii)	भारतीय फिल्म परिसंघ	सदस्य
(xviii)	भारतीय प्रसारक प्रतिष्ठान	सदस्य
(xix)	रेडिया समूह (एफएम रेडियो)	सदस्य
(xx)	भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई)	सदस्य
(xxi)	भारतीय विज्ञापनदाता एजेंसी संघ (एएएआई)	सदस्य
(xxii)	भारतीय केबल प्रचालक संघ	सदस्य
(xxiii)	भारतीय संगीत उद्योग (आईएमआई)	सदस्य
(xxiv)	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	सदस्य
(xxv)	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की)	सदस्य
(xxvi)	वकालत एवं अनुसंधान केन्द्र (सीएफएआर)	सदस्य
(xxvii)	अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए)	सदस्य
(xxviii)	उपभोक्ता समन्वय परिषद	सदस्य
(xxix)	मीडिया अध्ययन केंद्र (सीएमएस), नई दिल्ली	सदस्य
(xxx)	विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (विमहन्स)	सदस्य
(xxxi)	समाज-विज्ञान विभाग, जेएनयू	सदस्य
(xxxii)	पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा)	सदस्य

अनुबंध-II

विचारार्थ विषय

1. समसामयिक सामुदायिक मानकों तथा प्रवृत्त कानूनों के अनुसार सीबीएफसी दिशानिर्देशों तथा केबल टेलीविजन कार्यक्रम/विज्ञापन संहित और आकाशवाणी संहिता में संशोधन करना तथा उन्हें संगत बनाना।

2. ऑफकॉफ/आस्ट्रेलियाई संहिताओं के अनुरूप फिल्म/टीवी/रेडिया उद्योग को स्व-विनियमन के लिए उनका उपयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों/संहिताओं के प्रावधानों में विस्तार करना तथा उनके विषयपरक निर्वचन के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम करना।

3. परिवार के सदस्यों के अवलोकन/श्रवण हेतु समग्र विषय-वस्तु सुनिश्चित करने हेतु स्क्रीनिंग/प्रसारण नीति पेश करने की आवश्यकता तथा वांछनीयता की जांच करना।

4. उद्योग द्वारा विषय-वस्तु के विनियमन तथा अन्य संबंधित मामलों की यथोचित संरचना तथा कार्यविधि की अनुशंसा करना।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : अध्यक्ष महोदया, मीडिया के नए एवं व्यापक पराक्ष वाले प्रकारों, चाहे फिर वह इलेक्ट्रानिक हों या सोशल मीडिया के अभ्युदय से अब इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पहले से अधिक है कि ग्राहक तक पहुंचने वाली खबर और सूचना से सर्वथा पूर्वाग्रहमुक्त हो।

महोदया, मेरे प्रथम पूरक प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या माननीय मंत्री मेरे इस बात से सहमत हैं कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 जो केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के संचालन को विनियमित करने के लिए लागू हुआ है, की संहिता में कुछ खामियां हैं। ये खामियां बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित हैं जैसे इसमें पेड-न्यूज, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, द्वेषपूर्ण रिपोर्टिंग आदि, जैसे मुद्दों के संबंध में दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रालय या सरकार के पास पेड न्यूज अन्य अनैतिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट उपबंध सहित इन नियमों की समीक्षा करने की कोई योजना है।

मेरे प्रथम पूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि इस सम्मानित सभा को दिए गए उत्तर में वह प्रसारण की बात करते हैं...

अध्यक्ष महोदया : आप एक प्रश्न पूछिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदया, मैं अपना पहला पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना पहला प्रश्न पूछिए। क्या आपने वह पूछ लिया?

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदया, मैं माननीय मंत्री से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक सांविधिक स्वायत्त विनियामक या प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक की बात है; क्या सरकार की कोई योजना न्यूज चैनलों सहित अन्य टीवी चैनलों द्वारा विज्ञापन एवं कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए किसी सांविधिक तंत्र को इसमें शामिल करने की है और विशेषकर एक औद्योगिक घराने और 'जी' टीवी के बीच हाल में हुए टकराव के आलोक में ऐसी शिकायतों पर नजर रखने के लिए सरकार किसी स्वायत्त विनियामक का गठन करेगी।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : जी, हां, महोदया। एक स्टिंग आपरेशन किया, जबरन वसूली की गई और रुपया ऐंठने की कोशिश की गयी। इसलिए मेरा मत है कि सांविधिक स्वायत्त विनियामक का गठन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या माननीय मंत्री मुझसे सहमत हैं?

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कतिपय बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। लेकिन उनके प्रथम पूरक प्रश्न के भाग (क) और भाग (ख) का उत्तर देने के पूर्व क्या मैं, आपकी अनुमति से इस मुद्दे को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में सामने रख सकता हूं?

जब हम विषय-वस्तु क विनियमन की बात करते हैं तो वास्तव में आखिर हम किसकी बात कर रहे होते हैं? हम अपने संविधान के अनुच्छेद 19 में निर्धारित उपबंधों में दी गयी छूट पर अंकुश रखने की बात कर रहे होते हैं। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को वाक् और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19(2) में इस अधिकार को तनिक सीमित किया गया है और सरकार को कतिपय तर्कसंगत प्रतिबंधों को लगाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार के सीमन के कुछ भाग को तो अमल में लाना आसान है पर कतिपय भाग उसमें ऐसे हैं जहां विषय निष्ठता का तत्व उभर आता है।

इसी कारण संसद ने तो जब केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अधिनियम, 1995 का अधिनियम किया तो बुद्धिमतापूर्वक नियमों में एक विज्ञापन संहिता और विषय-वस्तु संहिता को शामिल किया। वर्ष 1995 से 2012 तक इस संहिता को संशोधित व अद्यतन करने के कई प्रयास किए गए; 1997 का प्रसारण विधेयक, और फिर उसके बाद 2001 का आमेलन विधेयक आया लेकिन इसे कभी भी असली जामा नहीं पहनाया जा सका।

वर्ष 2004 में जब संप्रग सरकार सत्ता में आयी, तब तत्कालीन सचिव श्रीमती आशा स्वरूप की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था यह देखने के लिए कि विषय-वस्तु और विज्ञापन संहिता को कैसे अद्यतन किया जाए। समिति ने तीन वर्ष तक विचार करने के बाद अक्तूबर, 2008 में अपनी बड़ी व्यापक रिपोर्ट सौंपी।

तत्पश्चात, सभी पक्षदारों के साथ विचार-विमर्श किया गया था पर दुर्भाग्यवश कोई सहमति नहीं बन पायी। लेकिन सरकार ने इसमें आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। उसके बाद एक कृतिक बल का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 से 2010 के बीच उस कृतिक बल ने भी पक्षदारों के साथ कई बैठकें कीं।

अब उस परामर्श की प्रक्रिया से बात उभरी कि स्व-विनियामक संरचना के संबंध में प्रथम दो संस्तरों की सिफारिशों को...*(व्यवधान)* पक्षदारों द्वारा स्वीकार किया गया और समाचार व गैर-समाचार क्षेत्रक दोनों में अब आपके पास स्व-विनियामक तंत्र हैं। जहां तक पेड न्यूज का प्रश्न है, और जिसका माननीय सदस्य ने विशेष रूप से उल्लेख किया है, उस पर व्यापक विचार-विमर्श हो रहा है। भारतीय प्रेस परिषद भी इस विमर्श में शामिल है। निर्वाचन आयोग का भी इस पर अपना विचार है। अत:, मंत्रालय इस मुद्दे से जुड़े हुआ है और हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे विषयवस्तु संहिता या विज्ञापन संहिता में यदि अपेक्षित हो तो, उपयुक्त रूप से संशोधित करके इन वियलनों को कैसे शामिल किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, कि क्या इस संबंध में किसी स्वतंत्र विनियामक की जरूरत है ...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* मैं जवाब ही दे रहा हूं...*(व्यवधान)* सब्र कीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने दो सवाल पूछे हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, जहां तक स्वतंत्र विनियामक का सवाल है, तो मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि चिभिन्न पक्षदरों के मध्य स्वतंत्र विनियामन के संबंध में सर्वसम्मिति नहीं है। उन्होंने आशा स्वरूप समिति की पहले ही दो अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। स्व-विनियामक संरचनाएं बनी हैं, लेकिन जहां तक विधिक विनियामन का संबंध है, चाहे फिर यह भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण हो या कोई अपीलीय संरचना; दुर्भाग्य से, हम विभिन्न पक्षदारों के साथ इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने में सफल नहीं हुए हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से, मैं स्व-विनियामन के सवाल पर माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में न्यायमूर्ति काट्जू का कथन उद्‌त करना चाहता हूं:

> ''स्व-विनियमन कोई विनियमन नहीं है और समाचार संगठन निजी निकाय हैं, जिनके क्रियाकलापों का जनता पर व्यापक प्रभाव होता है और उन्हें भी जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।''

अब मैं माननीय मंत्री जी के हमें दिए उत्तर के संबंध में यह पूछना चाहता हूं: क्या वह माननीय संसद सदस्य श्री नवीन जिन्दल और 'जी न्यूज' के बीच जो कुछ हुआ, उसे विस्मृत करेंगे या उसकी भर्त्सना करेंगे? उन्होंने एमबीए के बारे में कहा है; उन्होंने बताया है कि एनबीए ने प्रसारण मसक प्राधिकरण का गठन किया है। तो इस दिवार के आलोक में क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर मुझसे सहमत हैं कि क्या स्व-विनियमन मार्गनिदेशों के माध्यम से प्रसारण प्राधिकरण पर सरकार के नियंत्रण व संतुलनोपाय संतोषप्रद हैं जबकि इन स्वैच्छिक प्राधिकरणों के पास अधिक शक्ति नहीं है?

माननीय मंत्री जी ने प्रेस परिषद् की और सारी बातें कहीं है। 2010 में भारतीय प्रेस परिषद् ने पेड न्यूज पर एक रिपोर्ट दी थी। उसने कई सिफारिशें कीं जिनमें प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया को विनियमित करने के लिए एकल संगठन बनाने की सिफारिश भी की और पेड न्यूज को दंडनीय कदाचार निरूपित किया। इस पर माननीय मंत्री जी का क्या विचार है? क्या उनकी उस एकल स्वतंत्र मीडिया परिषद् का गठन करने के किसी विकल्प पर विचार कर रही हैं जो समाचार पत्रों के आचार-मानकों के बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए एकल विनिर्दिष्ट प्राधिकरण बनेगा ताकि ऐसे कदाचारों, अनैतिक क्रियाकलापों और पेव्ड समाचार के बदले रकम ऐंठने जैसे हरकतों को कम किया जा सके।

कल, गुजरात में निर्वाचन आयोग के पेड न्यूज के 126 मामले मिले जिन पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा। माननीय मंत्री जी, मैं आप से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि नवीन जिन्दल और 'जी' न्यूज के मामले, आईबीएन चैनल द्वारा शिक्षकों का जाली स्टिंग-आपरेशन करने तथा 2010 में प्रेस परिषद द्वारा दिए गए उस

बयान पर आपका क्या विचार है जिसमें प्रेस परिषद् ने कहा था कि एकल स्वतंत्र मीडिया परिषद् का गठन करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कल्याण बनर्जी : * को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से हटाएं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी, कृपया आसन को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : क्षमा चाहता हूं, अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कई अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं जो उनके दूसरे पूरक प्रश्न की विशुदता से उपज रहे हैं। मुझे उन प्रश्नों का एक-एक करके उत्तर देने दें। जहां तक एक निजी औद्योगिक घराने और निजी प्रसारणकर्ता के बीच हुए कथित प्रसंग का संबंध है, तो मैं पूरी तरह से उनकी चिंता को समझता हूं। यह बहुत ही व्यग्र कर देने वाली बात हुई है। लेकिन जब हम यहां इस पर चर्चा कर रहे हैं, वहां इसकी आपराधिक जांच प्रक्रिया भी चल रही है। उक्त आपराधिक जांच प्रक्रिया को इसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने दें। मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए यह उचित होगा कि जिस तरह से यह मामला चल रहा है उस पर कोई दूसरा विचार बनाया जाए। तथापि, इसके साथ ही, सभा को यह सूचित करना मेरा कर्तव्य है कि जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस सिलसिले में शिकायत प्राप्त हुआ तब इसे समाचार प्रसारक मानक प्राधिकरण को भेज दिया गया था। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय में एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। अपने उन्होंने अवश्य इस पर बुद्धिमतापूर्वक विचार किया होगा। जहां तक मुझें जानकारी है, उन्होंने मंत्रालय को सूचित किया कि अभी यह मामला न्यायिक विचारण के अधीन है। लेकिन एन.बी.एस.ए. ने जो भी किया हो, उसके साथ हमारे पास अंतर-मंत्रालीय समिति एक और समवर्ती नेत्र हैं। इस अंतर-मंत्रालयी समिति ने पिछले दो वर्षों से उक्त स्व-विनियामक तंत्र की बात को यह कहकर स्थगित कर रखा है कि ऐसा विश्वास और मान्यता रखनी चाहिए कि आपको किसी संस्थान को अपनी संरचना और मार्ग बनाने के लिए कुछ समय देना चाहिए। लेकिन जहां हम यह देखते हैं कि कोई त्रुटि हुई है जिसमें हमारो हस्तक्षेप अपेक्षित है तो हम इसमें पहले भी कभी हस्तक्षेप करने से हिचके नहीं हैं। जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कल इस अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक भी है। मैं आश्वस्त हूं कि अंतर-मंत्रालयी समिति इस संबंध में अपने विवेक से विचार करेगी।

जहां तक पेड न्यूज का संबंध में आपके प्रश्न के दूसरे भागों का संबंध है, तो मैंने पहले ही कहा है कि इससे जितना आप परेशान हैं उतना ही हम भी हैं। लेकिन हम इस पर भारत के निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद् के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक ऐसी आम्र सहमति बनाने की कोशिश कर रहें जिसे इसे कानूनी रूप देकर इसे बाद में सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। क्योंकि, अभी हमारे समक्ष यह देखने की भी चुनौती है कि किस-किस प्रकार के समाचार को आप पेड-न्यूज कहेंगे।

इसलिए, हमने एक बार फिर उस मूल प्रश्न का उत्तर दे दिया है। और इस पर एक विधिक सूत्र लगा दिया है, इससे मुझे लगता है कि शेष प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदया, यह देखा गया है कि विज्ञापन संहिता का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है। यही कारण है कि विज्ञापनों के मामले में असामान्यता साफ दिखाई देती है इसलिए मेरा सीधा प्रश्न यह है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उन पार्टियों, जो संहिताओं का उल्लंघन कर रही है, मामले में कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार के पास कोई, विनियामक प्रक्रिया है। मेरा अगला प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदया : आप इतने प्रश्न क्यों पूछ रहीं हैं? हर कोई इतने अधिक प्रश्न पूछ रहा है।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : महोदया, उसी प्रश्न का भाग है। यह मेरा दूसरा प्रश्न नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास ब्लैकमेलिंग के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी अथवा आंकड़े हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीष तिवारी : महोदया, आपकी अनुमति से क्या मैं इस सम्मानित सभा को यह जानकारी दे सकता हूं कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1995 में नियम नामक एक विशिष्ट उपबंध है, जो विज्ञापन संहिता से संबंधित है। विज्ञापन संहिता के उल्लंघन संबंधी मामले में पहली बार (एएससीआई) नामक भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा कार्यवाही की जाती है। एएससीआई संपूर्ण विज्ञापन क्षेत्र का नियंत्रक निकाय है। यदि वह स्वत: अपने विवेक से, संहिता का उल्लंघन पाती हैं अथवा यदि मंत्रालय को उल्लंघन का पता चलता है अथवा यदि हमें कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तो वह उसे उन्हें हम प्रेषित करते हैं। इसके बाद वह अपनी ही संहिता, जो सरकार की संहिता के विरुद्ध न हो, के अनुरूप, ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को बंद करने अथवा यदि वह समाचार पत्र में छपा है, तो इसका पुन: प्रकाशन न करने के लिए माह का कार्यवाही करती है। परंतु यदि सरकार यह पाती है कि की गई कार्यवाही अपर्याप्त है, तो फिर जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, की धारा 20 के अंतर्गत, हमारी एक अंतर-मंत्रालीय समिति है, तब यह अंतर-मंत्रालीय समिति हस्तक्षेप करती है और जो भी यह उपयुक्त समझे, वह कार्यवाही करती है। हां, जब सरकार के हस्तक्षेप की बात आती है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बनाया और मैं सविनय निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप इसकी विषय वस्तु पर विचार कर रहे हैं, तो आप वस्तुत: संविधान के अनुच्छेद 19 के अधिदेश को विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्तत: आप जो करते हैं या नहीं करते हैं, वही संहिता की परीक्षा में काम आएगा। इसलिए और इसी कारण से हमने अपने विवेक से सोचा कि पहली बार में तो हम स्व-विनियमित तंत्र का रास्ता अपनाने की अनुमति दें। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि विशिष्टजनों द्वारा समीक्षा होती है, तो विशिष्टजनों द्वारा समीक्षा इसे करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका होगा। परन्तु, यदि इससे हटकर कुछ होता है, तो सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैडम, सारे हाउस को 14वीं लोक सभा का पता है कि जब 10 एमपीज यहां से निकाले थे, इन्होंने स्टिंग-आपरेशन किया था और हमारी पार्लियामेंट ने एक झटके से उन्हें बाहर निकाल दिया, उनका सारा कैरियर बर्बाद कर दिया। यह जो आपरेशन नवीन के साथ इन्होंने किया है, अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां से इनका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल होता है, तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है? इतनी बड़ी बेइंसाफी और सरेआम लूटपाट मची है। आज मीडिया का क्या हाल है, ये लोग डरते होंगे, हमें किसी का डर नहीं है और यह जो हालत मीडिया ने लोगों की है और चैनल जो हाल लोगों का करते हैं। केबल का हाल देखो कि रात को गंदी पिक्चरें, गंदे काम, गंदे धंधे और इतनी लूटपाट मची है, इसलिए अगर आप इस पर नकेल नहीं लगाओगे तो मंत्री साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है। इसे कैंसिल करो।

श्री मनीष तिवारी : मैडम स्पीकर, जो माननीय सदस्य के ख्यालात हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप लोग क्यों खड़े हो गये। आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : माननीय मंत्री जी के जो ख्यालात हैं मैं उससे इत्तफाक रखता हूं। जो उन्होंने संवेदनशीलता जताई है, वह बिल्कुल सही है, उससे कोई व्यक्ति मुकर नहीं सकता है। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, माननीय अध्यक्षा जी, एक फौजदारी की कार्रवाई चल रही है, एक क्रीमिनल इंवैस्टीगेशन इस समय चल रही है। सरकार का यह उत्तरदायित्व बनता है कि जब अपने अख्तयारों का वह इस्तेमाल करे तो उसे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर उसे किसी भी कसौटी पर कसा जाए तो वह खरा निकले। जब माननीय सदस्य ने पहले सवाल पूछा था तो मैंने उसका जवाब देते हुए कहा था कि हमारे मंत्रालय में, हमारी सरकार में एक इंटर-मिनिस्ट्रीअल कमेटी की बैठक है और हम यह मानते हैं कि वे इस मामले को अपने संज्ञान में लेंगे और अपने विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता है कि यह मेरे लिए ठीक रहेगा इस समय पर, चाहे जितनी उत्तेजना इस मामले पर हो, कि मैं किसी भी तरीके से निर्णय के संबंध में दोबारा अनुमान लगाने का प्रयास करूं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, इस सवाल में कई चीजें चारों तरफ से उठाई गई हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर प्रधानमंत्री तक को लोकपाल के दायरे में लाया जा रहा है। मनीष तिवारी जी जिस तरह से एक फंसा हुआ आदमी, चारों तरफ की मजबूरी से घिरा हुआ आदमी होता है। अकेले यही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इसी हालत में खड़े रहे। चाहे प्रिंट मीडिया हो या विजुअल मीडिया हो, ये बहुत-से

अच्छे काम भी करते हैं लेकिन अच्छे और बुरे की पहचान बिना एकाउंटेबिलिटी के नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इनकी आजादी बनी रही, तो देश की आजादी खत्म होगी। हम लोग तो दिन भर इनके टार्गेट बनते रहते हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मीरा राडिया ने कितने लोगों को एक्सपोज किया? कौन-कौन, बड़े-बड़े लोग जैसे फन्ने खां बैठ कर पूछ रहे थे। उस महिला ने सभी को एक्सपोज कर दिया। उसने अच्छा किया या बुरा किया, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि प्रैस काउंसिल ने कई बार कहा, आपने क्यों ऐसे बंदर या जानवर रखे हुए हैं, जिसके पास कोई दांत या कुछ नहीं है। आप उसे अधिकार दो। अच्छा और बुरा यहां भी हो रहा है तथा सारे देश में हो रहा है। लेकिन यह जो मीडिया है, जैसे जंगल का टाइगर छोड़ दिया है, जो चारों तरफ घूम रहा है। मैं एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री जी से, आडवाणी जी से तथा दूसरे लोगों को भी कहता रहा, मैंने मनमोहन सिंह जी से भी कहा कि यह क्या तमाशा है। पुलिस और राजनीतिक आदमियों का तो इन्होंने इकबाल ही खत्म कर दिया है। दिन-भर क्रिकेट के बारे में दिखाते रहते हैं कि हार हो गई या जीत हो गई। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, उनके लिए कुछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो मरे हुए कलाकार हैं या जो भी अच्छे या बुरे कलाकार थे, दिन-भर उनकी मुहब्बत दिखाते रहते हैं। यह क्या बात है? बिल्कुल अजीब हालत है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मनीष जी से कहना चाहता हूं कि बिना जोखिम के दुनिया नहीं चलती है। आप जोखिम उठाइए। एक लाख 83 हजार करोड़ रुपयों की कोल में लूट हो गई, इस छोटी-सी बात को आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे लाल सिंह जी हों या कोई और हो। छोटी-सी चीज में आप जो करना चाहें, वह कीजिए। यहां सदन में लोग बैठे हैं और आप इतने बड़े मामले को खिसकाना चाहते हैं। यह मामला नहीं खिसकेगा। मैंने आपके पास नोटिस दिया है। मैं मानता हूं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन चर्चा तो होनी ही चाहिए। मंत्री जी अब जोखिम उठाएं। क्या तमाशा देश में हुआ है। दिन-भर हमारी मां, बहन और बेटी को नंगा करके दिखाया जाता है। ऐसे डांस दिखाते हैं कि देखते ही नहीं बनता है। हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, ऐसे कैसे चल सकती है? आपकी पार्टी और बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं। आप क्यों डरते हैं? क्या ये नेता बनाएंगे? मनीष जी, मेरी आपसे विनती है कि पिक और चूज मत कीजिए। आप या तो प्रैस काउंसिल को बंद कीजिए या उसे दांत दीजिए या इस सदन को दीजिए। एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है, जिसे तनख्वाह मिलती हो। अधिकांश क्षेत्रीय अखबार वाले उन्हें एक धेला नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी तरह से भी जा कर ऐंठ लाओ। जो लोग ऊपर बैठे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है।...*(व्यवधान)* इस बारे में बहस होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इस विषय पर बहस कराने के लिए आप नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : महोदया, देश तबाही की कगार पर है। अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव को यहां दिखाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस विषय पर चर्चा करायी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप नोटिस भेजिए कि इस पर चर्चा करायी जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर सदन में बहुत उत्तेजना है। इसलिए आप अगर ठीक समझें और अगर समय मिल पाएं तो हम इस पूरे मामले के ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि हम भी जो इन सबके ख्याल हैं,...*(व्यवधान)* उस ख्याल से अत्तिफाक रखते हैं लेकिन जहां तक शरद यादव जी

ने जो प्रेस काउंसिल की बात की, मैं शरद यादव जी की व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्जत करता हूं लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर किसी के मन में इस तरह कोई ख्याल है कि प्रेस काउंसिल के पास दांत नहीं हैं या प्रेस काउंसिल के पास अख्तियार नहीं है तो वह जो ख्याल है, मैं बहुत अदब और सत्कार से कहता हूं कि वह ठीक नहीं है। प्रेस काउंसिल ने पहले भी कार्यवाही की लेकिन जहां तक ब्राडकास्टिंग का सवाल है,...*(व्यवधान)* इस मुल्क में ...*(व्यवधान)* 852 चैनल हैं। 852 में से 400 चैनल न्यूज के हैं। हम सबको इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जो सैल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको पनपने का, फूलने-फलने का यूपीए की सरकार ने पिछले दो साल में मौका दिया है,...*(व्यवधान)* क्या उसको और समय दिया जाए? क्या किसी तरह रेगुलेटरी ढ़ांचा तैयार किया जाए? जहां तक प्रेस काउंसिल का सवाल है, क्या जो उसका अख्तियार है, वह प्रिंट मीडिया तक रखा जाए,...*(व्यवधान)* उसका जो दायरा है, क्या वह बड़ा किया जाए? यह बहुत संगीन सवाल है। जैसा मैंने कहा कि हम भारत के संविधान में दिये हुए मूलभूत हक के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने विवेक से ठीक समझें, सरकार इसके ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। जो भी सेंस आफ दि हाउस होगा, हम उस सेंस आफ दि हाउस के साथ चलने के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, प्रैस काउंसिल को और पावरफुल बनाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

उपभोक्ता अधिनियम की समीक्षा

***343. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में कारगर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन कर उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा वर्तमान परिदृश्य में इसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रस्तावित संशोधत की मुख्य बातें क्या हैं?

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार, उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने और वर्तमान परिदृश्य में इसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक सुग्राही बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन का प्रस्ताव देती है। प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) कनफोनेट स्कीम के माध्यम से डिजीटल न्यायनिर्णय प्रणाली आरंभ करना।

(2) 28 दिनों के उपरांत शिकायत को स्वीकृत समझना।

(3) निकटवर्ती जिला मंचों को इकट्ठा करने का प्रावधान करना।

(4) जिला स्तर पर सर्किट पीठों का प्रावधान करना।

(5) अपील दायर करने के लिए जमा कराई जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करना।

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, देश का प्रत्येक नागरिक...*(व्यवधान)* किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होता है।...*(व्यवधान)* जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामान खरीदता है तो वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है और यदि वह किसी संस्थान की सेवाएं लेता है तो भी वह उपभोक्ता की श्रेणी

में सम्मिलित होता है।...*(व्यवधान)* उपभोक्ता उचित गुणवत्ता वाला उत्पादन नहीं मिलने पर मिलावटी सामान प्राप्त होने पर, नापतौल में कम सामान प्राप्त होने पर उचित मूल्य के बजाए सौदेबाजी के आधार पर अधिक मूल्य पर सामान मिलने पर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए...*(व्यवधान)* 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया।...*(व्यवधान)* उसके बाद 1993 में, फिर 1991 में और फिर 2002 में संशोधन हुआ।...*(व्यवधान)* इस सबके बावजूद भी अभी भी उपभोक्ता ठगा सा महसूस करता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या कर रहे हैं? लालू जी, ऐसे मत करिए। नहीं, ऐसे मत करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री लालू जी कृपया सभा में व्यवस्था बनी रहने दें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, आप*...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया?

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप... * ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? अगर आपको चाहिए कि हम सदन चलाएं तो हमें सदन चलाने दीजिए। हमने क्या कहा है? यह क्या हो गया?

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह चेयर का अपमान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : लालू जी कृपया सभा में व्यवस्था बनी रहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया रूक जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया, यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। मुझे खेद है; कृपया इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। मैंने उनसे यही अनुरोध किया है, क्योंकि मैं सभा को सुचारू रूप से चलाना चाहती हूं। कृपया किसी सदस्य को हतोत्साहित करने के लिए इसे राजनीति मुद्दा मत बनाइए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मेरे लिए हर सदस्य बहुत सम्मानित है इसलिए मैं वह नहीं होने दूंगी, चाहे लालू जी हों या कोई और सदस्य हो। सदन चलाने के लिए मुझे किसी को कभी भी कुछ बोलना पड़ जाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ठीक है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है की बात नहीं है। मैं कह रही हूं कि मेरे लिए सभी सदस्य सम्मानित हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैंने अगर किसी पर टिप्पणी की है तो उस पर किसी प्रकार की राजनीति हो। यह मेरे लिए दुखद होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के प्रकरण के निस्तारण के लिए एक तंत्र बना हुआ है। यह तंत्र समुचित ढंग से काम नहीं कर रहा है जिससे उपभोक्ताओं के प्रकरण में निस्तारण नहीं होने से इस तंत्र के प्रति उपभोक्ताओं की रूचि कम होती जा रही है। क्या सरकार ने कहीं भी इस संबंध में जानने का प्रयास किया है? इस तंत्र को ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.57 बजे

इस समय श्री जगदीश शर्मा, श्री रामकिशुन, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, जैसा कि सभा को विदित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान : यूपी में किसान की हालत बहुत खराब है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, जैसा कि सभा को पहले से ही विदित है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तटीय सुरक्षा

***344. श्री आधि शंकर :**
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुंबई जैसे आतंकी हमले को रोकने के लिए राज्यों के तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा तटीय सुरक्षा प्रणाली में कौन-कौन सी खामियां पाई गईं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में तटीय राज्यों को कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई तथा कितनी धनराशि उन राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई; और

(घ) तटीय सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) दिनांक 26/11 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात्

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारत सरकार द्वारा देश के सम्पूर्ण तटीय सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक रूप से समीक्षा की गई है। देश की तटीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने तथा विभिन्न संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पोत-परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय (मत्स्य विभाग) इत्यादि में कई उच्च-स्तरीय बैठकें हुई थीं।

तटीय सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के निकट छिछले क्षेत्रों में गश्त लगाने तथा निगरानी करने के लिए समुद्री पुलिस दल की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करने के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य तटीय गार्ड और नौसेना सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय रखने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर संस्थानात्मक व्यवस्थाएं स्थापित करना है।

तटीय सुरक्षा योजना चरण-I

तटीय सुरक्षा योजना चरण-I के कार्यान्वियन के दौरान इंटरसेप्टर नौकाओं की आपूर्ति सहित तटीय सुरक्षा संबंधी कई उपाय किए गए थे। इस योजना में 6 वर्षों के लिए गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 495 करोड़ रुपये तथा आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 151 करोड़ रुपये के साथ कुल 646 करोड़ रुपये का परिव्यय था। यह योजना दिनांक 31.03.2011 तक कार्यान्वित की गई।

तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 204 नौकाओं, 153 चौपहिया वाहनों, 312 मोटरसाइकिलों और 10 रबर इंफ्लेटेबल नौकाओं सहित 73 तटीय पुलिस स्टेशन, 97 जांच चौकियां, 58 सीमा चौकियों (आउट पोस्ट) और 30 बैरक उपलब्ध कराए गए थे। गृह मंत्रालय द्वारा 204 नौकाओं का प्रापण केंद्रीय रूप से किया गया है। तटीय पुलिस स्टेशनों, बैरकों, जांच चौकियों, आउट पोस्टों का निर्माण कार्य तथा वाहनों का प्रापण तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना चरण-II

तटीय सुरक्षा योजना चरण-II 1579 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 01 अप्रैल, 2011 से शुरू होकर 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

तटीय सुरक्षा योजना चरण-II के तहत अनुमोदित घटकों में 131 तटीय पुलिस स्टेशन, 60 जेट्टियां, 150 (12 टन वाली) नौकाओं से सुसज्जित 10 समुद्री पुलिस परिचालन केन्द्र, 10 बड़े जहाज, 20 (19 मीटर वाली) नौकाएं, 10 (5 टन वाली) नौकाएं, 35 रिजिड इंफ्लेटेबल नौकाएं, 131 चार पहिया वाहन तथा 242 मोटरसाइकिलें शामिल हैं।

तटीय सुरक्षा पर विभिन्न प्रस्तावों/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समुद्री खतरों के प्रति एवं तटीय सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा की जा रही है। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिव एनसीएसएमसीएस के सदस्य हैं। अंतिम समीक्षा दिनांक 30 नवम्बर, 2012 का एनसीएमसीएस द्वारा की गई थी।

निर्माण कार्य, वाहनों के प्रापण, पुलिस स्टेशनों का परिचालन तथा ईंधन इत्यादि के लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (चालू वर्ष)
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	42.60	—	643.40	461.00
2.	महाराष्ट्र	231.80	—	243.00	—
3.	गोवा	37.05	—	75.80	196.00
4.	कर्नाटक	—	—	238.80	146.00
5.	केरल	237.40	—	400.00	—

1	2	3	4	5	6
6.	तमिलनाडु	161.00	—	945.20	1434.00
7.	आंध्र प्रदेश	—	—	97.10	1120.00
8.	ओडिशा	182.38	—	223.22	—
9.	पश्चिम बंगाल	157.50	—	200.00	—
10.	दमन और दीव	—	—	98.00	—
11.	पुदुचेरी	—	—	50.11	—
12.	लक्षद्वीप	—	—	49.19	—
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	27.00	1502.00	1200.00
	कुल	1049.73	27.00	4765.82	4732.00

(घ) तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रमुख उपचारी उपाय हैं:—

(i) भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें तटीय सुरक्षा और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय तट गार्ड को तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जा रहे क्षेत्रों सहित भूभागीय समुद्री जल क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी प्राधिकारी के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

(ii) पोत-परिवहन मंत्रालय को सभी प्रकार के जहाजों के अनिवार्य पंजीकरण तथा पहचान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का अधिदेश दिया गया है।

(iii) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को सभी मछुआरों को बायोमेट्रिक पहचान-पत्र जारी करने का अधिदेश दिया गया है।

(iv) तट गार्ड को भारतीय तटरेखा पर राडार सेंसर की श्रृंखला सृजित करने का अधिदेश दिया गया है।

(v) नौसेना के कमांडर-इन-चीफ तटीय रक्षा के रूप में वर्तमान नौसेना कमांडर-इन-चीफ के अधीन मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचि और पोर्ट ब्लेयर में 4 संयुक्त अभियान केन्द्रों की स्थापना की है।

(vi) नौसैनिक बेसों की बल सुरक्षा संरक्षण के लिए 1000 विशेषीकृत कार्मिकों तथा 80 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स से युक्त विशेष बल सागर प्रहरी बल का गठन किया गया है।

भारतीय ओलंपिक संघ का निलंबन

***345. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री उदय सिंह :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ को इसके चुनावों में कथित अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निलम्बन का देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दूरगामी प्रभाव होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के निलम्बन को यथाशीघ्र रद्द कराने तथा भारतीय ओलंपिक संघ के

प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने अपने कार्यकारी बोर्ड की 4-12-2012 को हुई बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के निलंबन का निर्णय लिया है। आईओसी द्वारा आईओए के निलंबन बाबत दिए गए कारण निम्नलिखित हैं:—

(i) आईओए की ओलंपिक चार्टर तथा उसके नियमों के अनुपालन में असफलता

(ii) आईओए की ओलंपिक चार्टर के अधीन मूल नैतिक सिद्धांतों को लागू करने और सुशासन स्थापित करने में असफलता

(iii) आईओए की चुनाव प्रक्रिया में सरकारी अस्तक्षेप के खिलाफ एहतियाती उपाय के रूप में

(ग) और (घ) आईओसी द्वारा निलंबन आदेशों के जारी करने से आईओए, तब तक कोई कार्यकलाप करने या अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि कार्यकारी बोर्ड द्वारा निलंबन समाप्त नहीं कर दिया जाता। इसमें आईओसी के ओलंपिक चार्टर द्वारा उसे प्रदत्त वित्तीय सहायता भी शामिल है।

आईओए के निलंबन के निर्णय से निकट भविष्य में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय भागीदारी पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि आगामी एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल 2014 में और आगामी ओलंपिक खेल, 2016 में आयोजित किए जाने हैं। इसलिए इस निलंबन से न तो हमारे खिलाड़ियों को कोई चिंता होनी चाहिए और न ही उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए।

(ङ) सरकार भारतीय खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव उपाय करने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि वे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के नीचे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें। आईओसी के निर्देशों से उत्पन्न हुई स्थिति के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों, प्रमुख खिलाड़ियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों सहित सभी संबंधित पणधारियों के साथ पहले ही विचार-विमर्श/परामर्श शुरू कर दिया है। इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने खिलाड़ियों के हित में आईओसी/आईओए के साथ विचार-विमर्श का विकल्प भी खुला रखा है।

[हिन्दी]

गन्ना आरक्षित क्षेत्र

***346. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों को केवल अपने-अपने गन्ना आरक्षित क्षेत्रों से ही गन्ने की खरीद करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गन्ना आरक्षित क्षेत्र निर्धारित करने के मानदंड क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केवल गन्ना आरक्षित क्षेत्रों से ही खरीद करने के उक्त विनियम के परिणामस्वरूप किसानों को हानि उठानी पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 द्वारा केन्द्र सरकार को गन्ने के वितरण और संचलन को नियमित करने की शक्तियां दी गई है। खंड 6 के उपखंड 1 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में आरक्षित कर सकती है जहां कारखाने की पेराई क्षमता, आरक्षित क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता और चीनी उत्पादन की जरूरत को ध्यान में रखकर किसी कारखाने के लिए गन्ना उगाया जाए ताकि वह कारखाना अपेक्षित गन्ने की मात्रा खरीद सके। केन्द्र सरकार ने दिनांक 16 जुलाई, 1966 की अधिसूचना द्वारा गन्ना क्षेत्र आरक्षण की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्तों ने सूचना दी है कि उनके राज्यों के किसानों को गन्ना क्षेत्र आरक्षण प्रणाली के परिणामस्वरूप कोई हानि नहीं हो रही है। तथापि, गन्ना आयुक्त, कर्नाटक ने सूचित किया है कि राज्य में कुछ किसानों ने क्षेत्र आरक्षण के कारण गन्ने का कम मूल्य मिलने और अनियमित भुगतान होने की शिकायतें की हैं। महाराष्ट्र राज्य में कोई गन्ना क्षेत्र आरक्षण प्रणाली नहीं है। केन्द्र सरकार ने डा. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में चीनी क्षेत्र का नियमन समाप्त करने संबंधी सभी मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 5 अक्तूबर, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि गन्ना क्षेत्र आरक्षण और बांड भरने संबंधी नियमों को धीरे-धीरे राज्यों द्वारा समाप्त कर दिया जाए। इस समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सीमा पर बाड़ लगाना

*347. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पड़ोसी देशों के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सीमा की वास्तविक लंबाई कितनी है;

(ख) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ वास्तव में कितनी लंबी सीमा पर बाड़ लगाई गई है;

(ग) सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में कौन-कौन सी एजेंसियां संलग्न हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एजेंसी-वार इस कार्य पर कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या मानवीय और प्राकृतिक कारणों से ये तारें कट जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने के लिए कारगर बाड़ लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) प्रत्येक राज्य में पड़ोसी देशों के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सीमा की वास्तविक लंबाई निम्नानुसार है:—

भारत-बांग्लादेश सीमा

(लंबाई कि.मी.)

राज्य	कुल लंबाई
1	2
पश्चिम बंगाल	2216.70
असम	263.00
मेघालय	443.00
त्रिपुरा	856.00
मिजोरम	318.00
कुल	4096.70

1	2
भारत-पाकिस्तान सीमा	
जम्मू और कश्मीर	1225
पंजाब	553
राजस्थान	1037
गुजरात	508
कुल	3323
भारत-नेपाल सीमा	
उत्तराखंड	263
उत्तर प्रदेश	560
बिहार	729
पश्चिम बंगाल	100
सिक्किम	99
कुल	1751
भारत-भूटान सीमा	
सिक्किम	32
पश्चिम बंगाल	183
असम	267
अरुणाचल प्रदेश	217
कुल	699

भारत-चीन सीमा

(लंबाई कि.मी.)

क्र. सं.	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई	एलएसी की लंबाई	कुल लंबाई
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	1073	524	1597

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	200	—	200
3.	उत्तराखंड	345	—	345
4.	सिक्किम	220		220
5.	अरुणाचल प्रदेश	1126	—	1126
	कुल	2964	524	3488

भारत-म्यांमार सीमा

(लंबाई कि.मी.)

राज्य	कुल लंबाई
अरुणाचल प्रदेश	520
नागालैंड	215
मणिपुर	398
मिजोरम	510
कुल	1643

(ख) वर्तमान में, प्रत्येक राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी सीमा की वास्तविक लंबाई निम्नानुसार है:—

भारत-बांग्लादेश सीमा

(लंबाई कि.मी.)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण-II	
	मंजूर की गई	पूरी की गई	मंजूर की गई	पूरी की गई
पश्चिम बंगाल	507	507	964.00	720.55
असम	152.31	149.29	76.72	73.375
मेघालय	198.06	198.06	264.17	129.07
त्रिपुरा	—	—	848.00	749.47
मिजोरम	—	—	349.33	208.27
कुल	857.37	854.35	2502.22	1881.23

भारत-पाकिस्तान सीमा

(लंबाई कि.मी.)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लंबाई	बाड़ लगाए जाने के लिए सीमा की कुल लंबाई	अब तक लगाई गई सीमा बाड़ की की लंबाई	लगाने के लिए शेष बची सीमा बाड़ की की लंबाई
पंजाब	553	461	462.45*	—
राजस्थान	1037	1056.63	1048.27*	—
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186	186	—
गुजरात	508	340	256.78	83.22
कुल	2308	2043.63	1953.50	83.22

*लंबाई में यह भिन्नता भूआकृतिक घटकों/बाड़ की सीधाई की वजह से है।

भारत-म्यांमार सीमा

वर्तमान में, मोरेह, मणिपुर के क्षेत्र में सीमा पिलर सं. 79 और सीमा पिलर संख्या 81 के बीच के 10 कि.मी. भू-भाग पर सीमा बाड़ लगाए जाने की मंजूरी दी गई है। सीमा पिलर संख्या 79 से 81 के बीच रेकी सर्वेक्षण और ट्रेस कट (आरएसटीसी) कार्य पूरा कर लिया गया है। बीआरओ द्वारा इस भू-भाग में बाड़ लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और 4 कि.मी. क्षेत्र में बाड़ का कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान बाड़ लगाने के कार्य में शामिल एजेंसियों और इसमें हुए व्यय को एजेंसी वार नीचे दिया गया है:—

भारत-बांग्लादेश सीमा

(करोड़ रु.)

एजेंसी	व्यय सहित वर्ष (2009-10)	व्यय सहित वर्ष (2010-11)	व्यय सहित वर्ष (2011-12)
1	2	3	4
सीपीडब्ल्यूडी	84.44	26.62	27.00
एनबीसीसी	40.00	78.00	178.81

1	2	3	4
एनपीसीसी	284.75	90.00	62.57
इपीआईएल	10.00	15.00	7.74
असम पीडब्ल्यूडी	13.88	25.00	शून्य
सीमा सड़क संगठन	17.73	शून्य	शून्य
भारत-पाकिस्तान सीमा			
सीपीडब्ल्यूडी	79.70	78.89	72.95
एनबीसीसी	32.00	50.00	शून्य
भारत-म्यांमार सीमा			
सीमा सड़क संगठन	5.03	7.00	4.00

(घ) से (ङ) जी, हां। सीमा बाड़ के तार मानवकृत और प्राकृतिक कारणों की वजह से टूट जाते हैं। क्षतिग्रस्त सीमा बाड़ की दैनन्दिन प्रकृति के रखरखाव और मरम्मत का कार्य बीएसएफ द्वारा किया जा रहा है और खड़े मरम्मतों/रखरखाव का कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय भी भारत-पाकिस्तान और भारत-बंग्लादेश सीमा पर सीमा बाड़ के रखरखाव के लिए रखरखाव संबंधी मानकों को संशोधित कर रहा है। तथापि, सरकार ने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ सहित सीमा-पार अपराधों को रोकने और वहां प्रभावी अधिपत्य बनाए रखने के लिए एक-बहुआयामी नीति अपनायी है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नाका गश्त करके (बार्डर एम्बुशेज) और प्रेक्षण चौकियां तैनात करके सीमाओं की चौबीसों घंटे निगरानी करके सीमा का प्रभावी आधिपत्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के नदी-घटीय हिस्सों की गश्त करने और उन पर आधिपत्य रखने का कार्य सीमा सुरक्षा बल के वाटरविंग के वाटर क्राफ्टों/स्पीड-बोटों/फ्लोटिंग सीमा चौकियों (बीओपी) की मदद से किया जा रहा है।

(ii) बाड़ गश्त-सड़कों, तेज रोशनी की व्यवस्था तथा अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण।

(iii) उच्च-तकनीकी का समावेश। सीमा आधिपत्य को और अधिक बढ़ाने के लिए दिन और रात में देखने वाली प्रणालियों से पूर्णतः सुसज्जित अद्यतन निगरानी उपकरणों का प्रापण करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) सहायक एजेंसिसों के साथ आसूचना नेटवर्क एवं समन्वय कार्य का उन्नयन, सीमा पर विशेष कार्रवाई का संचालन।

(v) भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर नदी घाटीय/पहाड़ी/सुभेद्य क्षेत्रों में बीओपी का संवर्धन करने के लिए 2 फ्रंटियर मुख्यालयों, 3 सेक्टर मुख्यालयों और 16 बटालियनों की मंजूरी दी गई है। इन बटालियनों का गठन वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 16 बटालियनों में से 2 बटालियनों को गृह मंत्रालय द्वारा अन्यत्र भेज दिया गया है अर्थात एक समुद्री बटालियन को गुजरात में मेदी और जखाऊ क्षेत्र के लिए और दूसरी एनडीआरएफ बटालियन पटना, बिहार में तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त 7 बटालियनों का गठन कर लिया गया है और उन्हें भारत-बांग्लादेश सीमा में तैनात किया गया है। शेष 7 बटालियनों का गठन भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रभावी आधिपत्य रखने के लिए किया जाना है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर दो सेक्टर और दो फ्रंटियर मुख्यालय बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

भूमिगत कोयला खानें

***348. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री बंस गोपाल चौधरी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के अंतर्गत भूमिगत और खुले मुहाने वाली कितनी खानें कार्य कर रही हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन खानों से कोयले का पृथक-पृथक कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या पिछले कुछ समय से भूमिगत कोयला खानों की संख्या कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) भूमिगत खानों में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या रुपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना निवेश किया गया है/किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों में पिछले चार वर्षों में और 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार वार्षिक उत्पादन सहित कंपनी-वार प्रचालनशील भूमिगत (यूजी), ओपन कास्ट (ओसी) और मिश्रित कोयला खानों की कुल संख्या नीचे तालिक "क" तथा "ख" में दी गई है:—

तालिका "क" – 2008-09 से 2011-12 (01 अप्रैल को) तक की अवधि के दौरान खानों की संख्या निम्नानुसार है:

कंपनी	2008-09				2009-10				2010-11				2011-12			
प्रकार	यूजी	ओसी	मिश्रित	कुल	यूजी	ओसी	मिश्रित	कुल	यूजी	ओसी	मिश्रित	कुल	यूजी	ओसी	मिश्रित	कुल
ईसीएल	82	21	7	110	82	19	7	108	87	17	1	105	86	17	2	105
बीसीसीएल	47	18	17	82	40	18	23	81	37	16	25	78	39	19	20	78
सीसीएल	24	36	2	62	24	37	2	63	24	40	1	65	24	41	1	66
एनसीएल	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
डब्ल्यूसीएल	43	39	4	86	45	38	2	85	43	38	2	83	42	38	2	82
एसईसीएल	69	21	1	91	68	22	1	91	66	24	1	91	65	24	1	90
एमसीएल	9	15	0	24	9	16	0	25	11	16	0	27	11	16	0	27
एनईसी	5	3	0	8	5	3	0	8	5	3	0	8	5	3	0	8
सीआईएल	279	163	31	473	273	163	35	471	273	164	30	467	272	168	26	466

तालिका "ख" — 2009-10 से 2012-13 (सितम्बर, 2012 तक) के दौरान भूमिगत (यूजी) और ओपन कास्ट (ओसी) खानों से कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनी-वार कच्चा कोयला निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन)

	2009-10		2010-11		2011-12		सितम्बर, 2012 तक	
प्रकार	यूजी	ओसी	यूजी	ओसी	यूजी	ओसी	यूजी	ओसी
ईसीएल	8.23	21.83	7.37	23.43	6.83	23.73	3.47	10.27
बीसीसीएल	3.90	23.61	3.69	25.30	3.48	26.73	1.56	12.47
सीसीएल	1.47	45.61	1.27	46.25	1.09	46.91	0.48	17.46
एनसीएल	0.00	67.67	0.00	66.25	0.00	66.40	0.00	28.40
डब्ल्यूसीएल	9.62	36.12	8.71	34.94	8.39	34.72	4.03	14.36
एसईसीएल	17.83	90.18	16.8	95.90	16.41	97.43	8.13	45.39
एमसीएल	2.20	101.88	2.67	98.11	2.19	100.93	0.93	44.43
एनईसी	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.60	0.00	0.18
सीआईएल	43.25	388.01	40.02	391.3	38.39	397.45	18.59	172.96

भूमिगत कोयला खानों की कमी के कारणों में भंडारों का समाप्त हो जाना, कोयला सीम का पतला हो जाना और बड़ी मात्रा में जलभराव होना, भूमिगत कोयला आग की मौजूदगी, उथली खदानों में अनियंत्रणीय सतही धसांव, पास के क्षेत्रों में जलमग्न ग्रूव की उपस्थिति, सुरक्षा संबंधित कारण, कठिन भू-खनन स्थितियां आदि शामिल हैं।

(घ) भूमिगत खानों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) उपयुक्त भू-खनन स्थितियों के साथ सभी नई भूमिगत खानों की आयोजना उच्च डिग्री तक की मशीनीकरण के साथ की गई है।

(ii) लॉगवाल/शार्टवाल खनन प्रौद्योगिकी, सतत् खनन प्रौद्योगिकी आदि जैसे वृहद उत्पादन प्रौद्योगिकियों की बड़ी मात्रा में शुरूआत।

(iii) गैर-मशीनीकृत मौजूदा खानों को एसडीएल/एलएचडी/सतत् खनिकों तथा मशीनीकृत ड्रिलिंग और रूफ बोल्टिंग को अपनाकर मशीनीकृत खान में परिवर्तित किया जा रहा है।

(iv) यूजी प्रचालन, उच्च क्षमता वाली यूजी खानों के माध्यम से प्रत्येक कोयला उत्पादक सहायक कंपनी का डिजाइन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मॉनीटरिंग की सुविधाओं, नियंत्रण प्रणाली और दुनिया में उपलब्ध उत्कृष्ट सुविधाओं से तुलनीय सुविधाओं के साथ बनाया जाना है।

(v) वैज्ञानिक स्ट्राटा और पर्यावरण मॉनीटरिंग

(vi) यूजी खानों के लिए अवसंरचना का तीव्र विकास — मशीनीकृत शाफ्ट और

(vii) यूजी खानों में मैन राइडिंग प्रणालियों की शुरूआत।

(viii) भूमिगत खानों में दूर संचार को अपनाना।

(ix) खान में वातायन के लिए एयरकंडीशनिंग सिस्टम विशेषरूप से 400 मीटर से अधिक गहरी खानों में अथवा जहां परम्परागत वातायन प्रणाली से तापमान को नीचे 33 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लाया जा सकता।

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 5000 करोड़ रु. का निवेश किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार के साथ जोड़ना

***349. श्रीमती सुशीला सरोज :**
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार डाटाबेस/कार्डों से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यविधि तैयार की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करने संबंधी योजना स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटीकरण करना अपेक्षित होता है। इस प्रक्रिया में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों के डिजिटीकृत डाटाबेस में जहां कहीं उपलब्ध हो 'आधार' संख्या शामिल करें।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने के लिए इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे 'आधार' नामांकन के भाग के रूप में भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पंजियकों द्वारा चलाई जा रही आकड़ें एकत्र करने प्रक्रिया में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित क्षेत्र को शामिल करें। इसके अलावा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डों/लाभार्थियों डाटाबेस का डिजिटीकरण करने के लिए इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार राशन कार्ड कैप्चर प्रपत्र/डाटा डिक्शनरी जारी की है। इन डाटा मानकों में राशन कार्डों के डाटाबेस में आधार संख्या शामिल करने का प्रावधान भी है।

(ग) आधार संख्या के साथ राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को जोड़ने के परिणामस्वरूप दोहरापन (डुप्लीकेशन) समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त होने की आशा है। इसके अलावा उचित दर दुकान स्तर पर आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करने लाभार्थियों की सही पहचान होगी और खाद्यान्नों का वितरण केवल लेक्षित लाभार्थियों को किया जाएगा जिससे खाद्यान्नों की लीकेज/अन्यथा हस्तान्तरण आदि में कमी आएगी।

इस स्कीम के घटक-1 में राशन कार्डों/लाभार्थियों तथा अन्य डाटाबेस का डिजिटीकरण करना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण करना, पारदर्शी पोर्टल की स्थापना करना और शिकायत निपटान तंत्र बनाना नामक गतिविधियां शामिल हैं। इस स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे मार्च, 2013 तक आधार संख्या को शामिल करने सहित राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस के डिजिटीकरण का कार्य पूरा कर लें।

कोयला खनन के प्रतिकूल प्रभाव

***350. श्री दत्ता मेघे :**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी, पर्यावरण और कोयला खनन क्षेत्रों/बैल्टों में तथा इनके आसपास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कोयला खनन कार्यों के लिए स्थानीय लोगों/आदिवासियों को उनके क्षेत्रों से हटाये जाने की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कोयले ब्लाक कहां-कहां स्थित हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में दिए गए मुआवजे/पुनर्वासित परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) कोयला खनन क्रियाकलापों का सामाजिक वानिकी, पर्यावरण और स्थानीय खनन क्षेत्रों/बेल्टों में और उसके ईद-गिर्द रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ा है। कोयला खानों से उत्पादन को शुरू करने/बढ़ोतरी करने से पूर्व प्रत्येक परियोजना के संबंध में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कोयला खनन के कारण मौजूदा सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसके आधार पर पर्यावरण प्रबंध योजनाएं (ईएमपी) तैयार की जाती है। परियोजना की आवश्यकता के अनुसार खान में तथा उसके इर्द-गिर्द रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के प्रशमन हेतु पर्यावरण के प्रभाव को कम करने हेतु ईएमपी में विभिन्न प्रदूषण प्रशमन उपाय करने होते हैं। पर्यावरण अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईएमपी को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संबंधित कोयला परियोजना के पर्यावरण प्रबंध योजना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पर्यावरण अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं:-

वायु प्रदूषण नियंत्रण:

निर्धारित एवं पोर्टेबल वाटर स्पिकरों द्वारा हाल तथा कोयला परिवहन सड़कों, कोयला रख रखाव संयंत्रों, सभी कोयला अंतरण स्थलों, कोयला एवं ओवरबर्डन मुहानों, कोयला स्टाक संचयनों में नियमित पानी के छिड़काव के माध्यम से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है। अन्य उपायों में धूल को संचित करने वाले ड्रिल सिस्टमों/वेट ड्रिलिंग, कोयला परिवहन-सड़कों की ब्लेक टोपिंग/कंक्रीटिंग शामिल हैं। व्यवहार्यता के अनुसार प्रदूषण को कम करने हेतु कोयला परिवहन तथा सड़क परिवहन में कमी लाने के लिए अधिक से अधिक बेल्ट कन्वेयरों, रेल आदि उपयोग के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। खानों में तथा इन के इर्द-गिर्द अत्यधिक वृक्षारोपण भी पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करता है।

जल प्रदूषण नियंत्रण:

सेडीमेंटों को रोकने के लिए सेडीमेंट तालाब के माध्यम से खान का जल निकाला जा रहा है और प्राकृतिक जल बहाबों में बहाव से पूर्व संभव सीमा तक शोधन के पश्चात लाभकारी उपयोग जैसे घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि प्रयोजनों के लिए क्लीन रनओफ का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यशालाओं के निस्सारों को तेल ग्रीस नलों से निकाला जाता है तथा उसे धूल के दमन के लिए एवं सफाई के प्रयोजनार्थ उसे पुनः उपयोग में लाया जाता है। बड़ी खानों में घरेलू निस्सारों को घरेलू निस्सार शोधन संयंत्रों में और अन्य खानों में सेप्टिक टैंकों में शोधित किया जा रहा है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण:

ध्वनि प्रदूशण के उपकरणों, उपयुक्त रखरखाव एवं पृथक्करण के सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से नियमित किया जाता है। उच्च शोर के स्तर से प्रभावित व्यक्तियों को ईयर मफ्स दिये जा रहे हैं। यह कार्य स्थानों एवं रिहायशी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा है।

पारिस्थितिकीय क्षति का नियंत्रण:

वास्तविक तथा जैविक रूप से पुनरूद्धारित खनित क्षेत्रों में एवं ओबी डम्प क्षेत्रों पर वृक्षारोपण, खानों तथा इनके इर्द-गिर्द सड़कों के दोनों तरफ, टाउनशिप/रिहायशी-क्षेत्रों, उपलब्ध खाली स्थानों पर वृक्षारोपण, पर्यावरणीय अनुमोदन के अनुसार वनस्पति तथा वन जीव जगत के संरक्षण हेतु संरक्षण योजना को कार्यान्वित करके इसे नियंत्रित किया जा रहा है। यह वन विभागों के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किये गए भुगतान के अलावा है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन शर्तों की अनुमति के अनुपालन में पर्यावरणीय संरक्षण उपाय किये जाते हैं। किये गए पर्यावरणीय उपायों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा यदि अपेक्षित हो तो नियामक अभिकरणों की निर्धारित सीमाओं के भीतर विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताओं को बनाए रखने हेतु अतिरिक्त उपाय किये जाते हैं।

स्वास्थ्य की सुरक्षा:

कोल खनन क्षेत्रों/बेल्टों के आस-पास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए कोल इंडिया लि. की विशेष स्कीमें हैं। सीआईएल की कारपोरेट सामाजिक दायिक दायित्व स्कीम के अनुसार विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का 5/- रुपये प्रतिटन की दर से एक पृथक निधि आबंटित की गई है और उक्त समग्र राशि कोयला खनन क्षेत्रों/बेल्टों तथा जिस राज्य में परियोजनाएं

स्थित हैं, उनके आस-पास रह रहे लोगों की भलाई के वास्ते व्यय के लिए निर्दिष्ट की गई है। कोल इंडिया लि. की सीएसआर नीति में जनजातीय आबादी के लाभ के लिए परियोजना/स्कीमों के लिए उक्त निधि से एक मुश्त प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार कुल सीएसआर बजट में से अनुसूचित जनजातीय आबादी के विकास के लिए कल्याणकारी कार्यकलाप करने के लिए वार्षिक योजना में बजट का 8% अलग से और नितांत रूप से आवंटित किया जाता है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक योजनाओं को तलाश कर स्थानीय/जनजातीय आबादी के विस्थापन से बचा जाता है किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में भू-गर्भीय कारणों से स्थानीय/जनजातीय लोगों को विस्थापित करना पड़ता है और सहायक कंपनियों के कुछ अन्य क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जाता है। यह उक्त भूमि के विभिन्न लागू कानूनों के अनुरूप किया गया है।

आरंभ से ही जनजातीय लोगों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) में राजमहल, एसपी खानों, मुग्मा, सोनपुर बाजारी, पांडेश्वर तथा कजोरा में और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) में गेवरा ओसीपी विस्तार और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) में पिपरवार, एन.के. डकरा, अरगदा, बरकासयाल, राजरप्पा, धोरी, बीएंडके, कथारा, कुजु, हजारीबाग (चरही), राजहरा जैसे क्षेत्रों में विस्थापित किया गया है। महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) ने ओडिशा के सुदरगढ़, झरसुगुदा और अंगुल जिले में जनजातियों की जमीन अधिग्रहीत की है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) की कोयला परियोजनाओं में गौथन क्षेत्रों, बैतुल तहसील, तमला एवं जमाल जनजातीय ब्लाक, सियर गांव खुर्द, पटवारी सरकल की किरवानी, छिंदवाड़ा, राजौरा तहसील में रह रहे जनजातीय लोगों को कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की आरएंडआर नीति के प्रावधानों के अनुसार भूमि/मकानों का मुआवजा प्रदान करने तथा अन्य पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आरएंडआर) लाभ प्रदान करने के पश्चात पुनर्स्थापित किया गया है।

(ङ) संशोधित आरएंडआर नीति, 2012 के अनुसार जनजातीय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों तथा अन्यों को मुआवजा पैकेज का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार भूमि के मुआवजा, नियमानुसार ब्याज, वृद्धि, भूमि के मुआवजे का 30% की दर से सोलेसियम, 2 एकड़ भूमि में एक रोजगार की दर से भू-वंचितों को रोजगार प्रदान करने के अलावा जनजातीय लोगों को विस्थापित किये जाने के मामले में सीआईएल की आरएंडआर नीति, 2012 में जनजातियों के लिए अतिरिक्त विशेष प्रावधान हैं तथा जो जनजातीय लोग जो वन उत्पाद पर निर्भर हैं उनको अतिरिक्त मुआवजा तथा विस्थापित जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक और आर्थिक धारणीयता सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। इसके अलावा पुनर्वास स्थल पर पूर्व की अपेक्षा बेहतर जीवन के लिए सभी सुविधाएं जैसे स्कूल, सड़क, स्ट्रीटलाईट, पक्की नाली, तालाब, पेयजल की आपूर्ति के लिए कुआं/ट्यूब वेल, सामुदायिक केन्द्र, पूजा स्थल, औषधालय, पशुओं के लिए चारागाह और खेल के मैदान आदि की व्यवस्था की गई है। सीआईएल की आरएंडआर नीति, 2012 के अनुसार उत्तराधिकारी के पसंद के अनुसार आवासीय खंडों के बदले नगद मुआवजा और प्रति परिवार 3 लाख रुपये की दर से शिफ्टिंग एवं पुनर्स्थापन भत्ता प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण स्कीम है जिसमें उन्हें तकनीकी ट्रेड और सांविधिक कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि सहायक कंपनियों की रिक्तियों को भरने के लिए बाह्य भर्ती के दौरान उन्हें नियोजित किये जाने योग्य बनाया जा सके। प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाईपेंड और आवास का प्रावधान है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्थानीय/जनजातीय लोगों को प्रदान किये गए मुआवजा/पुनर्वासित किये गए परिवारों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

कंपनी	वर्ष	रोजगार उपलब्ध कराया	पुनर्स्थापन के मामलों की संख्या	मुआवजा लाखों में (रुपए)	रोजगार उपलब्ध कराये गए	पुनर्स्थापन के मामलों की संख्या	मुआवजा लाखों में (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
ईसीएल			पश्चिम बंगाल राज्य में			झारखंड राज्य में	
	2009-10	96	26	77.35	06	शून्य	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010-11	72	52	3246.07	20	शून्य	3200.00
	2011-12	64	36	631.94	11	—	5.00
	2012-13 (अगस्त, 12)	18	शून्य	622.27	—	—	—
बीसीसीएल	2009-10	—	—	—	228	147	186.06
	2010-11				107	244	44.69
	2011-12				24	23	12.01
	2012-13 (अगस्त, 12)				17	—	—
सीसीएल	2009-10	—	—	—	228	147	186.06
	2010-11				107	244	44.69
	2011-12				175	34	144.00
	2012-13 (अगस्त, 12)				78	15	197.80
डब्ल्यूसीएल			मध्य प्रदेश राज्य में			महाराष्ट्र राज्य में	
	2009-10	07	00	83.00	70	284	370.32
	2010-11	00	23	11.91	208	11	275.39
	2011-12	01	03	29.35	102	02	14.25
	2012-13 (अगस्त, 12)	शून्य	—	—	40	—	—
एसईसीएल			मध्य प्रदेश राज्य में			छत्तीसगढ़ राज्य में	
	2009-10	483	शून्य	शून्य	271	163	636.43
	2010-11		शून्य	शून्य			
	2011-12	06	—	—	166	174	1533.57

1	2	3	4	5	6	7	8
	2012-13 (अगस्त, 12)	—			64	134	45.60
एमसीएल					ओडिशा राज्य में		
	2009-10	—	—	—	466	614	1037.62
	2010-11				920	725	518.55
	2011-12				396	335	3487.89
	2012-13 (अगस्त, 12)				144	496	162.34
एनसीएल			छत्तीसगढ़ राज्य में		मध्य प्रदेश राज्य में		
	2009-10	—	—	—	46	134	167.24
	2010-11				96	299	5.83
	2011-12				75	148	19.63
	2012-13 (अगस्त, 12)				42	35	3.67

[अनुवाद]

घटिया कोयले की आपूर्ति

***351. श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री जगदानंद सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत संयंत्रों और उद्योगों को घटिया/खराब किस्म के कोयले की आपूर्ति की रिपोर्टें/शिकायतें मिली हैं, जिसके कारण उनकी उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) देश में विद्युत संयंत्रों और उद्योगों से बड़े आकार के कोयले और कुछ पत्थर/बोल्डर मिश्रित कोयले की शिकायतें कभी-कभी प्राप्त होती हैं जिन्हें भू-खनन कारकों के कारण पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। तथापि, ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने पर कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवारक एवं प्रतिपूरक कार्रवाईयां की जाती हैं। 2007 की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार, उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अंतर्गत की जाती है। विद्युत संयंत्रों तथा 0.4 मि.ट. से अधिक की वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) वाले उपभोक्ताओं के साथ एफएसए के अनुसार, कोयले की गुणवत्ता संयुक्त नमूनाकरण और लदान बिन्दुओं पर विश्लेषण के अंतर्गत शामिल है। एफएसए का यह प्रावधान उपभोक्ताओं को कोयले की वांछित कोटि की आपूर्ति और संयुक्त रूप से विश्लेषित ऐसे ग्रेडों के आधार पर उनके द्वारा प्राप्त कोयले की कोटि के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा

कोयले के बिलों का भुगतान सुनिश्चित करता है। एफएसए के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत संयंत्रों को विद्युत गृह में संयुक्त रूप से मापे गए 250 मि.मि. आकार के पत्थरों के लिए भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

कलाकारों को सहायता

***352. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलाकारों, शिल्पकारों, दस्तकारों और पारंपरिक कला और सांस्कृतिक विधाओं के कलाकारों के लिए किसी पेंशन योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम संचालित करता है। इस स्कीम को "दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की स्कीम" कहा जाता है।

स्कीम के अंतर्गत ऐसे कलाकार जिनकी निजी आय (पति/पत्नी, की आय सहित) प्रतिमाह 4,000 रु. से अधिक न हो तथा जो 58 वर्ष की आयु से कम न हो, उन्हें केन्द्रीय कोटा के अधीन 4,000 रु. प्रतिमाह और केन्द्र-राज्य कोटा के अधीन 3,500 रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। पत्र कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किए जाने के लिए कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए।

[हिन्दी]

स्टेडियमों की खराब स्थिति

***353. श्री कमल किशोर 'कमांडो' :** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित स्टेडियम टूटी-फूटी हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे स्टेडियमों के रखरखाव हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में निर्मित स्टेडियमों का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 'खेल' राज्य का विषय है। संघ सरकार राज्य सरकारों द्वारा निर्मित खेल स्टेडियमों की स्थिति का कोई डाटा नहीं रखती। संघ सरकार की राज्य सरकारों के खेल स्टेडियमों का रख-रखाव करने की कोई स्कीम नहीं है।

दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के पांच स्टेडियम हैं नामत: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर और डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज। इन सबकी हालत अच्छी है और इनका रख-रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) एवं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि, खेल राज्य का विषय है, इसलिए खेल स्टेडियमों के आधुनिकीकरण सहित खेल अवसंरचनाओं का विकास करना राज्य सरकारों का मुख्य दायित्व है। संघ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना

***354. राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री हरीश चौधरी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिशतता क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनकी उत्पादन क्षमता कितनी थी और वास्तविक उत्पादन पृथक्-पृथक् कितना रहा;

(ख) क्या ये कंपनियां उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु चीनी माडल का अनुकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों, उनकी उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) प्रचालनरत फैक्टरियों की संख्या, निवेश की गई पूंजी, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पंजीकृत यूनिटों के उत्पादन संबंधी आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। वर्ष 2009-10 को समाप्त 4 वर्षों के लिए एएसआई में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, इन विशेषताओं के बारे में सूचना निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रचालनरत फैक्टरियां (संख्या)	निवेश की गई पूंजी (करोड़ रुपए)	उत्पादन (करोड़ रुपए)
2006-07	23,952	1,12,484	2,84,313
2007-08	24,616	1,38,996	3,37,390
2008-09	25,787	1,57,062	4,05,367
2009-10	25,915	1,93,850	4,46,691

(ख) और (ग) सरकार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं स्थापना के लिए सीधे उद्यमियों को प्रति परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और पूर्वोत्तर तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देती रही है। इसके अलावा, सरकार एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण अवसंरचना, मेगा खाद्य पार्क की स्थापना, दक्षता विकास, अनुसंधान एवं विकास, प्रयोगशालाओं जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमियों को सहायता देती रही हैं, की स्थापना और गुणवत्ता सुधार के लिए वित्तीय सहायता देती रही है।

(घ) जी, नहीं, महोदया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

***355. श्रीमती अन्नू टंडन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना कार्यान्वयन के लिए 1 अप्रैल, 2012 से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्रवाई का औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कमियां पाई गई हैं तथा अब तक क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां, महोदया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मौजूदा अनुसंधान एवं विकास स्कीम 11वीं योजना स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन हेतु 01.04.2012 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को हस्तांतरित कर दी गई है।

(ख) विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) विज्ञान एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में नए उभरते हुए एवं चुनौतीपूर्ण अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसमें विभिन्न विधाओं के लिए गए प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद हैं। इसलिए, इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास स्कीम का कार्यान्वयन करने की विशेषज्ञता और अनुभव है। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निधियां विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड को उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अलग-अलग प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है, उनका निधियन निश्चित करता है, प्रगति की मानीटरिंग करता है तथा स्कीम के प्रगति के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें देता है। इस व्यवस्था को बेहतर परियोजनाएं प्राप्त करने, निधियों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा स्कीम के प्रभावी परिणाम को प्रोत्साहित करने का लाभ है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास स्कीम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय का एक प्रतिनिधि परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का सदस्य है। 01.04.2012 से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को 3.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि में से, 11 नई परियोजनाओं के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड द्वारा अब तक 2.01 करोड़ रुपए राशि की अनुदान सहायता जारी की जा चुकी है।

(ङ) विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन में अब तक कोई भी कमी नहीं देखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों को विमान यात्रा सुविधा

*356. **श्री यशवीर सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त विमान यात्रा सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के बजटीय आवंटन और उसके द्वारा धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और अन्य सुख-सुविधाओं प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी उपयोग में लाई गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) सम्मान पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों और मृतक स्वतंत्रता सेनानी के मामले में उनकी विधवाओं को एक साथी के निःशुल्क रेलवे पास (राजधानी में एसी-II टायर, शताब्दी/जनशताब्दी ट्रेनों में चेयर कार और अन्य सभी ट्रेनों में प्रथम श्रेणी/II एसी स्लीपर), केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को सुविधाएं और स्थापना प्रभारों के बगैर एवं आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन कनेक्शन शामिल हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के कारावास की यातना झेली है, उनको और मृतक स्वतंत्रता सेनानी के मामले में उनकी विधवाएं एक साथी के वर्ष में एक बार कलकत्ता से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की हवाई यात्रा करने और वापस आने के लिए पात्र हैं। वर्तमान में, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क हवाई यात्रा सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जनहित वाद याचिका का निपटान करते समय अपने दिनांक 25.02.2011 के आदेश में सरकार को जीवित स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके जीवनसाथी को निःशुल्क हवाई यात्रा सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करने का निदेश दिया। मामले की जांच की गई है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान में, लगभग 49,000 स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनके आश्रित केन्द्रीय सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें निःशुल्क हवाई सुविधा प्रदान करने से सरकारी राजकोष पर भारी अतिरिक्त वित्तीय भर बढ़ेगा। इसलिए, सरकार इसके पक्ष में नहीं है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा सभी योजनाओं

में किए गए कुल बजटीय आबंटन और निधियों के उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपए)

निधियां	बजटीय आबंटन	उनका उपयोग
2009-10	37066.61	35277.50
2010-11	34949.55	39435.03
2011-12	46715.24	44342.58

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और अन्य सुविधाओं पर आबंटित की गई निधियों और उनके व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

निधियां	बजटीय आबंटन		उपयोग	
	केन्द्रीय सम्मान पेंशन	निःशुल्क रेलवे पास	केन्द्रीय सम्मान पेंशन	निःशुल्क रेलवे पास
2009-10	664.00	35.00	825.00	34.98
2010-11	722.29	35.00	710.81	30.28
2011-12	717.08	35.00	821.03	21.85

[हिन्दी]

एथनोल की मांग

***357. श्री पशुपति नाथ सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एथनोल मिश्रण कार्यक्रम और सरकार द्वारा तेल कंपनियों को इसकी खरीद हेतु निदेश के दृष्टिगत आगामी वर्षों में एथनोल की मांग बढ़ने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एथनोल का उत्पादन, इसकी मांग और इसका मूल्य क्या रहा है तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर एथनोल की कीमतें निर्धारित करने का निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) पैट्रोल के साथ मिश्रण करने के लिए इथानाल की मांग पेट्रोल की बिक्री में संभावित वृद्धि पर निर्भर करती है जिसके वर्ष 2013-14 के दौरान 6% और वर्ष 2014-15 के दौरान 5.6% होने का अनुमान है। एल्कोहल अथवा इथानाल का उत्पादन शीरे के उत्पादन से जुड़ा हुआ है जो चीनी का एक सह-उत्पाद है। उद्योग जगत के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान शीरा उत्पादन के अनुमान और इथानाल का संभावित उत्पादन तथा इथानाल की मांग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अगस्त, 2010 से संपूर्ण देश में तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथानाल की खरीदारी के लिए तदर्थ एक्स-फैक्टरी मूल्य 27.00 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान अगस्त, 2010 से पहले इथानाल का एक्स-फैक्टरी मूल्य 21.00 रुपये प्रति लीटर था। केन्द्र सरकार इथानाल के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से इथानाल परियोजना लगाने के लिए चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को परियोजना लागत के 40% तक सस्ता ऋण प्रदान कर रही है।

(ग) और (घ) डा. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने मार्च, 2011 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इथानाल का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक फार्मूले की संस्तुति की है जो लागत आधारित दृष्टिकोण अपनाने की बजाय व्यापक रूप से मोटर स्प्रिट के मूल्य से निर्धारित किया जाता है। सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और नवम्बर, 2012 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि चीनी मौसम 2012-13 से संपूर्ण देश में पेट्रोल के साथ इथानाल का 5% मिश्रण 1 दिसम्बर, 2012 से अनिवार्य कर देना चाहिए और इथानाल का खरीद मूल्य तेल विपणन कंपनियों तथा इथानाल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपस में तय किया जाएगा।

विवरण

शीरे और अल्कोहल का उत्पादन

	शीरे का उत्पादन (लाख टन)				अल्कोहल का उत्पादन* (मिलियन लिटर)			
चीनी वर्ष	2012-13*	2011-12	2010-11	2009-10	2012-13*	2011-12	2010-11	2009-10
संपूर्ण-भारत	107.80	127.79	109.71	84.00	2587.20	3066.96	2633.04	2016.00

*वर्ष 2012-13 के आंकड़े अनुमानित है।

अल्कोहल के उत्पादन के आंकड़ों की गणना 240 लिटर प्रति टन के मानक पर की गई है।

शीरे का उत्पादन चीनी मिलों की वित्तीय निर्माण रिपोर्ट पर आधारित है जो कि एक सांविधिक दस्तावेज है।

अल्कोहल की सेक्टर-वार उपयोगिता/मांग (मिलियन लीटर)

सेक्टर	2012	2011	2010	2009
शराब उद्योग	1010.00	950.00	900.00	880.00
रसायन उद्योग	775.00	750.00	720.00	700.00
सम्मिश्रण के लिए इथेनाल	300.00	250.00	50.00	100.00
संपूर्ण भारत	2085.00	1950.00	1670.00	1680.00

स्रोत: भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन (आईएसएमए)।

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष

***358. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड :**
श्री वरुण गांधी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चावल, गेहूं, सब्जियों और फलों में कथित रूप से बड़ी मात्रा में कीटनाशकों के अवशेष पाए जाने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेष का मॉनीटरन" कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत कीटनाशक अवशेष की उपस्थिति के लिए चावल, गेहूं, सब्जी और फल सहित विभिन्न जिन्सों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल, 2010 से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान चावल के कुल 1577 नमूनों का विश्लेषण किया गया था जिसमें से 16 नमूनों में अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक नाशीजीवमार अवशेष पाया गया था। इसी अवधि के दौरान गेहूं के 1343 नमूनों में से 29, सब्जियों के 11,611 नमूनों में से 328, फलों के

4232 नमूनों में से 32 में अधिकतम अवशेष सीमा से अधिक नाशीजीवमार अवशेष पाया गया था।

(ग) उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के साथ स्कीम के अंतर्गत सृजित नाशीजीवमार अवशेष आंकड़ों का शेयर किया जाता है। भारत सरकार भी अनुमोदित नाशीजीवमारों और अन्य नाशीजीव प्रबंधन पद्धतियों के सुरक्षित, उचित और आवश्यकता आधारित उपयोग के लिए कृषक क्षेत्रीय स्कूलों के जरिए समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) को बढ़ावा दे रही है।

[हिन्दी]

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

***359. श्री सज्जन वर्मा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति अपराधों, महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, बलात्कार तथा उनके प्रति हिंसा के संबंध में और अधिक कड़ी धाराएं शामिल कर भारतीय दंड संहिता में संशोधनों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय दंड संहिता में ऐसे संशोधन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) 1. भारतीय दंड संहिता, 1860 एक सामान्य संहिता है और यह भारत के नागरिकों के बीच वर्ग, जाति, नश्ल अथवा रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यह किसी विशेष वर्ग अथवा संप्रदाय के प्रति कारित किसी अपराध के लिए दंड का प्रथक प्रावधान नहीं करता है।

2. दाडिंक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 04.12.2012 को लोक सभा में पहले ही पुरस्थापित किया जा चुका है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यौन उत्पीड़न, महिला की आबरू से खिलबाड करना, तेजाब फेंककर घायल करना जैसे महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंड के प्रावधान हैं।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

***360. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना के कार्यान्वियन संबंधी विभिन्न योजनाओं और इस कार्य में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना/परियोजना के कार्यान्वियन में लगी विभिन्न एजेंसियों/निकायों के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) कार्यान्वित की जाती है। एमएमए के तहत अपने समग्र आबंटन में से राज्य सरकारें एनडब्ल्यूडीपीआरए के लिए निधियों का उपयोग करती हैं। पिछले तीन वर्षों (2009-2010 से 2011-12) के दौरान एनडब्ल्यूडीपीआरए के तहत राज्यवार व्यय और वर्तमान वर्ष (2012-13) के लिए लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

एनडब्ल्यूडीपीआरए सतत कृषि पद्धति के विकास के लिए समेकित पनधारा प्रबंधन का प्रचार करती है। इसकी शुरूआत (1990-91) से देश में फैली 15,620 सूक्ष्म पनधाराओं द्वारा लगभग 10.8 मिलियन हैक्टेयर का क्षेत्र विकसित किया गया है। एनडब्ल्यूडीपीआरए फसलों में उच्च उत्पादकता, मृदा ह्रास की रोकथाम, कुओं में भूमिगत जल का पुनर्भरण, जल निकायों एवं एक्वीफरों, वृद्धित फसल सघनता, फसल विविधता इत्यादि में योगदान देती है।

राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने कार्यात्मक भागीदारी में सहयोग और पनधारा परियोजना क्षेत्रों में पणधारियों और कार्यान्वयनकारी संस्थाओं के बीच समेकन को प्रोत्साहित करने के लिए पनधारा विकास परियोजनाओं हेतु सामान्य दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

विवरण

एनडब्ल्यूडीपीआरए के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान व्यय और चालू वर्ष (2012-13) के लक्ष्य

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	74.42	246.75	459.57	375.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1408.65	1061.80	310.30	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	220.85	334.96	537.99	0.00
5.	झारखंड	823.20	1114.30	869.45	953.55
6.	गोवा	154.37	82.60	274.00	0.00
7.	गुजरात	1475.73	982.16	794.35	1064.00
8.	हरियाणा	222.85	267.39	170.95	522.32
9.	हिमाचल प्रदेश	399.99	589.98	338.70	400.00
10.	जम्मू और कश्मीर	250.52	298.94	474.63	687.46
11.	कर्नाटक	1250.55	1250.00	1125.98	1000.00
12.	केरल	200.24	640.36	936.36	400.00
13.	मध्य प्रदेश	2424.83	1729.00	1831.90	1700.00
14.	छत्तीसगढ़	765.60	729.43	1286.45	720.80
15.	महाराष्ट्र	1439.62	2679.10	1852.00	1910.16
16.	मणिपुर	409.00	1096.00	716.75	572.00
17.	मिजोरम	1321.37	2500.00	600.00	600.00

1	2	3	4	5	6
18.	मेघालय	1036.00	1054.50	975.00	700.00
19.	नागालैंड	950.00	1460.00	1030.00	520.00
20.	ओडिशा	2010.15	1347.20	873.79	1058.80
21.	पंजाब	40.53	496.25	0.00	533.32
22.	राजस्थान	1557.62	1175.30	994.99	1400.00
23.	सिक्किम	565.00	553.97	86.27	0
24.	तमिलनाडु	893.07	569.24	664.03	711.87
25.	त्रिपुरा	529.00	1245.10	718.03	400.00
26.	उत्तर प्रदेश	4960.72	4832.60	3040.49	0.00
27.	उत्तराखंड	1410.01	1252.20	1171.98	1400.00
28.	पश्चिम बंगाल	1544.32	185.82	14.32	0.00
	कुल	28338.21	29775.00	22148.28	17629.28

*अनंतिम लक्ष्य।

[अनुवाद]

कीटनाशकों के आयात हेतु पंजीकरण

3911. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री रामकिशुन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकरण समिति कीटनाशक संपाकों के आयात हेतु इनके तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों के पंजीकरण के बिना ही पंजीकरण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपाकों का अयात इनके तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों के पंजीकरण के बिना ही कर रही हैं जो कि कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रतिकूल है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि एक अथवा एक से अधिक कीटनाशियों और सूत्रीकरण (तैयार करना) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3(ङ)(iii) के अनुसार "कीटनाशी" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, अत: उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति ने उनके संबंधित तकनीकी ग्रेड के कीटनाशी को पंजीकृत किए बिना सूत्रों के आयात हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसी प्रकार, उनसे संबंधित तकनीकी ग्रेड के कीटनाशी को पंजीकृत किए बिना सूत्रों के घरेलू निर्माण हेतु भी दिशानिर्देश तैयार किए है। कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत

पंजीकरण प्राप्त करने के बाद उनसे संबंधित तकनीकी ग्रेड के पंजीकरण के बिना सूत्रों का आयात अथवा विनिर्माण कर सकता है।

(ग) और (घ) सूत्रों का उनसे संबंधित तकनीकी ग्रेड के नाशीजीवमारों के पंजीकरण के बिना आयात कीटनाशी अधिनियम, 1968, कीटनाशी नियमावली, 1971 अथवा पंजीकरण समिति द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।

रसायन मुक्त उर्वरक

3912. **श्री प्रताप सिंह बाजवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रासायनिक उर्वरकों द्वारा होने वाले संभावित नुकसानों के कारण पूरे देश में रसायन मुक्त उर्वरकों का विकास करने और इनके वितरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रसायन मुक्त उर्वरकों के विकास हेतु अनुसंधान और विकास के लिए संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूरे देश में उर्वरक उपयोग के विभिन्न मॉडलों को कार्यान्वित करने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) जी, हां। रासायनिक उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग से मृदा अथवा फसल उत्पादकता में कमी आने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने विभिन्न कार्बनिक अपशिष्ट से उर्वरक/वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसके अलावा जैव-उर्वरकों की नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत आईसीएआर द्वारा विभिन्न फसल और मृदा प्रकार विशिष्ट जैव उर्वरकों की उन्नत और सक्षम किस्में विकसित की जा रही है। पिछले दो वर्षों (2010-11 और 2011-12) के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत आईसीएआर द्वारा किया गया वहन किया व्यय 445 लाख रुपए हैं। अपवाह क्षेत्रों के लिए नमी संरक्षण और मृदा पोषक तत्वों के बचाव के लिए मृदा की मल्चिंग भी अच्छी प्रक्रिया है। सरकार मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों जैव-उर्वरकों और स्थानीय रूप से उपलब्ध कार्बनिक खादों जैसे फार्म यार्ड खाद, वर्मी कम्पोस्ट और हरी खाद के, मृदा परीक्षण आधारित, संतुलित और उचित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना (एनपीओएफ) स्कीम के अंतर्गत 100 टन प्रति दिन क्षमता हेतु कुल वित्तीय परिव्यय के 33 प्रतिशत अथवा 60.00 लाख रुपए जो भी कम हो, की दर से फल और सब्जी, मंडी अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट, कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए नाबार्ड के जरिए ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा नाबार्ड के जरिए ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता के रूप में उत्कृष्ट जीवाणु रहित तरल पदार्थ/ वाहक आधारित 200 टीपीए जैव उर्वरकों और सूक्ष्म जीवाणु जैव नाशक जीवमारों की स्थापना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय के 25 प्रतिशत अथवा 40 लाख रुपए, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रति लाभानुभोगी अधिकतम 30,000/- रुपए के अध्यधीन लागत के 50 प्रतिशत की दर से वर्मी कम्पोस्ट की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है तथा राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत कार्बनिक खाद के रूप में अधिकतम 500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

लंबित मामलों पर कार्रवाई

3913. **श्री सी. शिवासामी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपने विरुद्ध कार्य करने वालों के काफी समय से लंबित मामलों पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए इंटरपोल से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत से संबंधित विभिन्न प्रकार की 670 इंटरपोल नोटिसें लंबित हैं जिसमें से 577 रेड नोटिसें लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो (एनसीबी) [जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का एक हिस्सा है] ने दिनांक 23.05.2012 को इंटरपोल महासचिवालय को एक संदेश भेजा है, जिसमें उसने इंटरपोल से यह अनुरोध किया है कि वह संबंधित विदेशी राष्ट्रों के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो को उन 31 रेड नोटिस वाले व्यक्तियों, जिनके द्वारा उन देशों की यात्रा करने की संभावना है तथा जो 1993

के बॉम्बे बम धमाका मामले में वांछित हैं, का पता लगाने के लिए राजी करे।

(ग) और (घ) नोटिस की संख्या घटती बढ़ती रहती है। दिनांक 12.12.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 679 नोटिस मौजूद हैं, जिनमें से 577 रेड नोटिस, 44 ब्लू नोटिस, 05 ग्रीन नोटिस तथा 53 येलो नोटिस हैं।

भूमि का पंजीकरण

3914. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लक्षद्वीप द्वीप में खंड विकास अधिकारी द्वारा भूमि का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) निजी पार्टियों के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में, भूमि का पंजीकरण संबंधित द्वीपों के सब-रजिस्ट्रारों द्वारा किया जा रहा है। केवल 'पण्डाराम लैण्ड नामक भूमि', जिसका स्वामित्व और हक सरकार उसके पास है और काफी समय पहले निजी पार्टियों को पट्टे पर दी गयी है, का पंजीकरण सब-रजिस्ट्रारों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदिवी द्वीप समूह भू-राजस्व और काश्तकारी विनियमन, 1965 की धारा 83 के अनुसार, ऐसी सरकारी पण्डाराम भूमि के अधिभोग अधिकार प्रशासन द्वारा काओलेडरो के पक्ष में जारी किया जाना होता है और अब तक प्रशासन द्वारा काओलेडरों को अधिभोग के अधिकार जारी नहीं किए गए हैं।

सब-रजिस्ट्रारों द्वारा उस भूमि, जो तकनीकी दृष्टि से सरकार की है, का निजी पार्टियों के बीच लेनदेन के रूप में पंजीकरण जारी रखना गलत है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा

3915. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में दुर्घटनाओं के कारण घायल हुए लोगों को मुआवजा अथवा बीमा राशि प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू कर रही है अथवा राज्यों को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कितने पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आमों के मेले

3916. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में आमों के मेले आयोजित कर रही है जिनमें इथेलीन से आमों को पकाना-प्लास्टिक की कैरटों में आमों को तोड़कर रखना और चिन्हित स्थानों पर इथेलीन चैम्बरों में आमों को पकाने के संबंध में किसानों को मूल्य वर्द्धन के प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ग) इस पर राज्यों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियों, किसान मेलों/उत्सवों सहित सेमीनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बागवानी पर प्रोत्साहनात्मक कार्यकलापों का आयोजन करने के लिए प्रावधान है।

वर्ष 2012-13 के दौरान बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

ने एक माह की अवधि के लिए 15 अप्रैल, 2012 से आम मेले का आयोजन किया।

समग्र रूप से 235 आम उत्पादकों ने मेले में भाग लिया और मेले के दौरान 280 टन फल बेचे गए।

विधान सभा सीटों के संबंध में संशोधन

3917. श्री शेर सिंह घुबाया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2002 से 2011 के दौरान लगभग 350 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने और निकालने के लिए आठ विधेयक पारित किए गए थे;

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संशोधित सूचियों के मद्देनजर तथा 2011 की संशोधित जनगणना अनुसार इन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने तथा लोक सभा और विधान सभा सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: आवंटन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने हेतु संसद द्वारा वर्ष 2002 से 2011 तक 10 (दस) विधेयक पारित किए गए थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विरेन्द्र प्रताप एवं अन्य बनाम भारत संघ से संबंधित वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 540 में, अपने दिनांक 10 जनवरी, 2012 के निर्णय के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को उन अनुसूचित जनजातियों जिन्हें अनुसूचिज जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था, के मामले पर विचार करने और संसद के साथ-साथ राज्य की विधान सभाओं सहित दोनों के निचले सदनों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की तर्ज पर एक विधान अधिनियमित किया जाए जिसमें, निर्वाचन आयोग को विशिष्ट रूप से यह शक्ति प्रदान की जाए कि वह 1 मार्च, 2001 के संदर्भ में जनगणना आयुक्त द्वारा पता लगाई और निश्चित की गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संशोधित जनसंख्या आंकड़ों के मद्देनजर और वर्ष 2001 की जनगणना के प्रकाशन के बाद, जातियों की जनसंख्या के आंकड़ों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का पुन: समायोजित कर सके। इस मामले की विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

एएसआई द्वारा ई-टिकटिंग

3918. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने देश के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों में प्रवेश हेतू ई-टिकटिंग शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ए.एस.आई. का देश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में महत्वपूर्ण स्थलों पर विस्तार टिकट पटल खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी वेबसाइट

3919. श्री देवजी एम. पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों की सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी केवल अंग्रेजी में अद्यतन की जाती है न कि हिन्दी में;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में मंत्रालय के कुछ दिशा-निर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 42 मंत्रालयों/विभागों की वैबसाइट पूरी तरह से हिंन्दी में अद्यतित नहीं है।

(ग) और (घ) राजभाषा विभाग द्वारा संघ के राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में अन्य लक्ष्यों के साथ-साथ सभी मंत्रालयों/विभागों की वेब-साइट को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समय-समय पर यह अनुरोध भी किया गया है कि मंत्रालय/विभाग अपने तथा उनके अधीनस्थ-संबद्ध कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपलोड की गई अंग्रेजी बेव-साइट के संबंध में यह सुनिश्चित कराएं कि वेब-साइट पर उपलब्ध सभी सामग्री/दस्तावेज उनकी हिन्दी वेब-साइट पर भी उपलब्ध हों।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

3920. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि में उपलब्ध कुल धनराशि कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त निधि से आबंटित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निधि से चलाई जा रही संरक्षण और परिरक्षण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी/निजी भागीदारी को अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार का राज्यों में ऐसी निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) राष्ट्रीय संस्कृति निधि में 31 मार्च, 2012 को कुल उपलब्ध धन राशि 41.47 करोड़ रु. है।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृति निधि राज्यों के लिए निधियों का आबंटन नहीं करता है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा सरकारी/निजी भागीदारी के तहत प्रारंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) वर्तमान समय में, केंद्र सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा सरकारी/निजी भागीदारी के तहत लागू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना और समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष	संबंधित पक्षकार
1	2	3
1.	हुमांयु का मकबरा, नई दिल्ली का संरक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, जल-प्रणाली की बहाली और उसको प्रकाशित करने से संबंधित कार्य। वर्ष 1999	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगा खॉ न्यास और ओबेराय होटल समूह।

1	2	3
2.	शनिवारवाड़ा पैलेस, पुणे के पर्यावरण को जीवंत करना और उसका पुनर्निर्माण। वर्ष 2000	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुणे नगर पालिका
3.	वाराणसी में लिपि संग्रहालय की स्थापना करना और मौखिक परंपराओं का विकास तथा परिरक्षण का कार्य। वर्ष 2000	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और ज्ञान प्रवाह न्यास।
4.	जंतर-मंतर, नई दिल्ली का संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव, उन्नयन और सौन्दर्यीकरण। वर्ष 2000	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स लि.
5.	बाल-संस्कृति अकादमी, दुर्गापुर में मंच-कलाओं आदि के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र निर्मित करने हेतु संसाधन जुटाना। टैगोर की कृतियों आदि के संगीत और सेमिनार के माध्यम से सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना। वर्ष 2000	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और बाल-संस्कृति अकादमी, दुर्गापुर।
6.	अनेगुंडी, कर्नाटक में स्थापत्य कला विरासत के क्षेत्र में विरासत का परिरक्षण और ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता को प्रोत्साहन, पारिस्थितिकी जागरूकता और सामाजिक दायरे को बढ़ाना वर्ष 2000	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और किष्किंधा न्यास अनेगुंडी।
7.	कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का परीक्षण वर्ष 2001	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और रमण महर्षि शिक्षा केंद्र (रमण महर्षि विरासत केंद्र), बंगलौर।
8.	कुछ स्मारकों (कुतुब मीनार, खजुराहो, हैम्पी कोणार्क और कान्हेरी गुफाओं) का संरक्षण और विकास वर्ष 2001	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडिया ऑयल फाउंडेशन और इंडियन आयल कार्पोरेशन।
9.	ताज महल, आगरा के आस-पास के क्षेत्र का अनुरक्षण, परिरक्षण, उन्नयन और सौन्दर्यीकरण। वर्ष 2001	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स भारतीय होटल्स कंपनी लि.।
10.	केरल में, 1568 में निर्मित पुराने कोचीन साइनागोग का संरक्षण। वर्ष 2001	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विश्व स्मारक निधि।

1	2	3
11.	राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे में एक नए संग्रहालय का निर्माण। वर्ष 2002 और 2008 में नवीकृत	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे।
12.	रामकृष्ण मिशन संस्कृति, गोल पार्क, कोलकाता में मिशन के नए विस्तार भवन का निर्माण। वर्ष 2002	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और आर.के. मिशन संस्कृति संस्थान, कोलकाता।
13.	जैसलमेर किला, राजस्थान का अनुरक्षण, परिरक्षण, उन्नयन और सौंदर्यीकरण। वर्ष 2003	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विश्व स्मारक निधि।
14.	संरक्षित लोदी का मकबरा, नई दिल्ली के अवसंरचनात्मक ढांचे का संरक्षण। वर्ष 2006	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.।
15.	मीर के संगीत का परिरक्षण और विकास वर्ष 2006	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और मैसर्स देवाहुति दामोदर स्वराज न्यास, नई दिल्ली।
16.	आधुनिक कला संबंधी 'भारत में कला और दृश्य संस्कृति' नामक सार-संग्रह (1857-2007) प्रकाशित करना। वर्ष 2006	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, मैसर्स बोधि आर्ट लि., दिल्ली और मैसर्स मार्ग पब्लिकेशन, मुंबई।
17.	केंद्र के लिए एक सांस्कृतिक अनुसंधान भवन का निर्माण। वर्ष 2007	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और रमण-महर्षि शिक्षा केंद्र, बंगलौर।
18.	संस्कृत नाटकों का मंचन। वर्ष 2007	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और ज्ञान प्रवाह न्यास, वाराणसी।
19.	लौरिया नंदन गढ़, चंकी गढ़ और बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले में रामपुरवा स्थित स्मारकों और स्थलों में दर्शकों की सुविधाओं और उद्यानों का विकास करना। वर्ष 2007	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स बोकारो स्टील प्लांट।
20.	गोल गुंबज, बीजापुर, कर्नाटक का संरक्षण और रख-रखाव। वर्ष 2008	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली।

1	2	3
21.	वजीरपुर का गुंबद का संरक्षण, सौन्दर्यीकरण और जीर्णोद्धार स्थल का पुनरीक्षण और उसको यूसुफ क्वाटल, नई दिल्ली में स्थान्तरित किया गया। वर्ष 2008	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स पीईसी लि.
22.	हैम्पी के कृष्ण-मंदिर का विकास वर्ष 2008	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हैम्पी प्रतिष्ठान।
23.	हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली का नवीकरण और रख-रखाव। वर्ष 2008	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, एएसआई और यूको बैंक, चंडीगढ़ शाखा।
24.	आलम बाजार मठ, कोलकाता का नवीकरण और पुनर्निर्माण। वर्ष 2008	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और आलम बाजार मठ, कोलकाता।
25.	तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली का नवीकरण और रख-रखाव। वर्ष 2009	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि.।
26.	इब्राहीम रौजा गोल गुम्बज, बीजापुर के बागानों का पुनरूद्धार। वर्ष 2009	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स नौरस न्यास।
27.	भारत की समृद्ध संस्कृति का संवर्धन वर्ष 2009	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग।
28.	उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में सुरक्षा/पुनरोद्धार के लिए स्मारकों के समूह का अंगीकरण वर्ष 2009	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.।
29.	प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ का संरक्षण और परिरक्षण वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नागरिक सेवा मंडल, अंबरनाथ
30.	सिबसागर, असम में अहोम स्मारकों का नवीकरण और विकास वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओएनजीसी।

1	2	3
31.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के प्रवेश द्वार में रथ के चारों ओर प्लास्टिक का प्रबलित शीशा और आवरक के साथ प्रतिस्थापन वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय और ओएनजीसी।
32.	हजारदुआरी महल जिले मुर्शिदाबाद का संरक्षण पर्यावरणीय विकास वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता शाखा।
33.	किशोरी अमोनकर, शास्त्रीय गायिका पर एक फिल्म का निर्माण वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, विदेश मंत्रालय, ओएनजीसी और एसएएआरटीएच।
34.	श्रीमती मृणालिनी साराभाई, शास्त्रीय नर्तकी पर एक फिल्म का निर्माण वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और मैसर्स दर्पण अहमदाबाद
35.	कुलवंत राय द्वारा स्वतंत्रता के बाद के अभिलेखागारों/फोटो संग्रह का संरक्षण वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और मैसर्स भारतीय फोटो अभिलेखागार प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
36.	देहरादून में सांस्कृतिक विरासत उत्सव का आयोजन वर्ष 2010	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, आरईएसीएच प्रतिष्ठान और ओएनजीसी
37.	तटीय मंदिर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में शौचालय ब्लाक का निर्माण वर्ष 2011	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड।
38.	श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर (प्राचीन) पुष्कर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु वर्ष 2011	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर का एकमात्र खानदानी न्यासी।
39.	तटीय मंदिर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में उद्यानों का रखरखाव वर्ष 2011	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैसर्स भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड।
40.	कला और दृश्य संस्कृति संबंधी एक प्रकाशन निकालना वर्ष 2012	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और मार्ग प्रकाशन
41.	विरासत क्षेत्र में साझेदारी के लिए एचयुडीसीओ (हुडको) के साथ अम्ब्रेला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित वर्ष 2012	राष्ट्रीय संस्कृति निधि और हुडको।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों के लिए रिमांड होम

3921. श्री शिवराम गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं और बच्चों के लिए कुल रिमांड होमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे गृहों की स्थिति बदत्तर है और इनमें रहने वाले परेशानियों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे गृहों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, महिलाओं के लिए केन्द्रीय 'रिमांड होम' नहीं हैं। इसी प्रकार बच्चों के मामले में, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को विशेष गृहों और निगरानी गृहों में रखा जाना अपेक्षित होता है। किशोरों के लिए 'रिमांड होम' स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य-वार गृहों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिनियम के तहत बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना एवं रख-रखाव के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईपीसीएस) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें विशेष गृह और निगरानी गृह शामिल हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए माडल नियम, 2007 में संस्थाओं में बच्चों की देखभाल के मानकों का प्रावधान है। नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना, कपड़े, बिस्तर, पोषण एवं भोजन के मानक तथा शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपाय विनिर्दिष्ट किए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को नियमित निरीक्षण और निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि संस्थाएं अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार चलाई जाती हैं।

विवरण

विभिन्न गृहों की सूची

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	गृहों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	105
अरुणाचल प्रदेश	01
असम	07
बिहार	14
छत्तीसगढ़	13
गुजरात	52
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	22
झारखंड	16
कर्नाटक	69
केरल	28
मध्य प्रदेश	44
महाराष्ट्र	86
मणिपुर	13
मेघालय	21
मिजोरम	07
नागालैंड	19
ओडिशा	134
पंजाब	15

1	2
राजस्थान	74
सिक्किम	5
तमिलनाडु	243
त्रिपुरा	11
उत्तर प्रदेश	64
पश्चिम बंगाल	53
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	25
पुदुचेरी	6
कुल/संघ राज्य	1159

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

3922. **श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सहित सीमावर्ती सड़कों के निर्माण का कार्य विदेशी कम्पनियों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यों की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, नहीं। किसी भी सीमावर्ती सड़क का निर्माण कार्य विदेशी कम्पनी को नहीं दिया गया है।

चीनी मिलें

3923. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चीनी मिलों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ चीनी मिलों की नीलामी में अनियमितताएं सामने आई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में राज्य में सहकारी क्षेत्र में 151 चीनी संस्थापित हैं और निजी क्षेत्र में 65 चीनी मिलें संस्थापित हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, मुम्बई द्वारा प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 18 चीनी मिलें बेच दी गई हैं। कुछ मिलों की नीलामी के संबंध में एक ही निविदा, मूल्यन/प्रतिसंतुलन मूल्य से कम की बोली जैसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया राज्य सहकारी बैंक द्वारा चलाए जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा पांच चीनी मिलों को बेचा गया है।

टीवी चैनलों की कमाई

3924. **डॉ. रत्ना डे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निजी चैनलों की तुलना में दूरदर्शन चैनलों की कमाई पर नियंत्रण रखने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विश्लेषण/सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के पास दूसरे चैनलों के राजस्व सृजन ब्यौरे जानने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इसलिए दूरदर्शन एवं अन्य निजी चैनलों की कमाई के

बीच तुलना का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एक लोक सेवा प्रसारक है और उसका अधिदेश एवं प्रयोजन निजी प्रसारकों से भिन्न है। निजी प्रसारकों से भिन्न, यह मूलत: राजस्व उत्पादन की नीयत से कार्य नहीं करता बल्कि यह प्रसार भारती अधिनियम में दिए गए अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए कार्य करता है। तथापि, दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए अर्जित की गई आय निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	दूरदर्शन द्वारा अर्जित की गई आय
2009-10	828.48
2010-11#	944.44
2011-12#	990.76
2012-13$	578.75

#: लेखों के समाधान की शर्तानुसार।

$: अक्तूबर, 2012 तक।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

3925. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्रिकेट खिलाड़ियों के समान फुटबॉल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है तथा प्रेरित करती है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण युवाओं को अन्य खेलों की ओर आकृष्ट करने के लिए उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु अब तक किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खिलाड़ियों को मुख्य धारा में आने के लिए उन्हें दिये जाने/उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रस्तावित कदमों और प्रोत्साहनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, पेंशन इत्यादि के रूप में दिए जाने वाले प्रोत्साहन, फुटबाल और क्रिकेट सहित, सभी खेल विधाओं के लिए समान हैं।

(ख) और (ग) 'खेल' भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आता है खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। विशिष्ट खेल विधाओं को लोकप्रिय बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और विकसित करने का मुख्य दायित्व संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है। तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी विभिन्न स्कीमों जैसे पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका), शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस), राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम, प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण (टीएसएंडटी), राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्कीम (एनएसडीएफ), अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके कोचों को विशेष पुरस्कार स्कीम, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार स्कीमें नामत: राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसटीसी), सैन्य बाल खेल कंपनी (एबीएससी) स्कीम, साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) स्कीम, विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम, उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्कीम, आओ और खेलों स्कीम इत्यादि के अंतर्गत राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करते हैं।

(घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रावास के लिए अलग निधियां आबंटित नहीं की हैं क्योंकि आवासीय एथलीट प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना देशभर में स्थापित साई केंद्रों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर आपत्तिजनक सामग्री

3926. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न दूरदर्शन (डीडी) चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों में अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री के चित्रण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने दूरदर्शन (डीडी) और अन्य चैनलों की ऐसी सामग्री पर नियंत्रण रखने के लिए अन्य संगत अधिनियमों/नई संहिता बनाने सहित गृह मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय को क्रमशः भारतीय दंड संहिता और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनसे क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है तथा उक्त संशोधनों/नई संहिता के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए अपनी प्रसारण एवं विज्ञापन संहिता का कड़ाई से अनुपालन करता है। अतः दूरदर्शन पर अभद्रता या आपत्तिजनक विषयवस्तु वाले कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं होता है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) अथवा गृह मंत्रालय को दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर प्रसारित विषयवस्तु के लिए विद्यमान कानून में संशोधन करने अथवा नई संहिता बनाने के लिए कोई अनुरोध नहीं भेजा है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान में उनके पास दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों में अभद्रता/आपत्तिजनक विषयवस्तु को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह दृश्य श्रव्य मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक फार्म की सामग्री को दायरे में लाने के लिए तथा स्त्रियों के अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में शास्ति संबंधी प्रावधानों को मजबूत बनाने के लिए कानून के दायरे का विस्तार करने के साथ ही कतिपय संशोधन पर विचार कर रहा है जिसे संसद में संशोधन विधेयक के रूप में पुरःस्थापित करने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

फिल्म उत्सव

3927. श्री अशोक तंवर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत सरकार ने भारत और अन्य देशों में फिल्म उत्सवों का आयोजन करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु अब तक आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म समारोह निदेशालय भारत में और विदेशों में विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) के अंतर्गत फिल्म महोत्सवों का आयोजन करता है।

(ख) हाल ही में सीईपी के अंतर्गत भारत और विदेशों में निम्नलिखित फिल्म महोत्सवों का आयोजन किया गया:—

(i) बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर फिल्म महोत्सव, कोलकाता (9 से 11 दिसम्बर, 2011), अगरतला (10 से 12 फरवरी, 2012) और दिल्ली (9 से 11 मार्च, 2012)।

(ii) भारतीय फिल्म महोत्सव, कोरिया-बुसान (24 से 26 फरवरी, 2012) और सिओल (1 से 6 मार्च, 2012)।

(iii) भारतीय सिनेमा के एक सौ वर्ष महोत्सव और श्री सौमित्र चटर्जी के जीवन-चरित्र का वर्णन, ढॉका, बांग्लादेश (1 से 8 सितम्बर, 2012)।

(ग) सीईपी के अंतर्गत फिल्म महोत्सवों के लिए आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं:—

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर फिल्म महोत्सव, कोलकाता, अगरतला और दिल्ली	7,66,750 रु.
भारतीय फिल्म महोत्सव, बुसान और सिओल, कोरिया	6,73,252 रु.

उपभोक्ता मंच के लिए सहायता

3928. श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री दिलीप सिंह जूदेव :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता न्यायालय राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे न्यायालयों का अब तक गठन नहीं किया गया है;

(ग) ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को क्या सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती है;

(घ) क्या अनेक मामले इन न्यायालयों के समक्ष लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और कितने मामले दर्ज किए गए हैं, निपटाए गए हैं और लंबित हैं और ये मामले कब से लंबित हैं; और

(च) सभी मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य/जिला राज्य पर स्थापित किए गए उपभोक्ता मंचों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) 'उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण' नामक स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भवन के साथ-साथ गैर-भवन परिसम्पत्तियों जैसे कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि जैसे आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 04.12.2012 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता मंचों के तीन स्तरों पर उनके प्रारंभिक काल से दायर किए गए 3873772 मामलों में से 3524221 मामले (लगभग 91%) का निपटान कर दिया गया है। इन मंचों के समक्ष केवल 349551 मामले लंबित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम नीचे दिए गए हैं:—

(1) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों भरने के लिए समय रहते ही कार्रवाई करें और भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार करें ताकि नियुक्तियों में देरी से बचा जा सके। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि जहां कहीं भी अपेक्षित हो, आस-पड़ोस के उपभोक्ता मंचों को साथ मिला लिया जाए ताकि अस्थाई अनुपस्थिति अथवा रिक्ति के कारण उपभोक्ता मंच का कार्य प्रभावित न हो।

(2) लम्बित मामलों के निपटान के लिए राष्ट्रीय आयोग की सर्किट पीठें राज्यों का दौरा करती रही हैं। अब तक राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, बेंगलूरु, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, एर्णाकुलम, अहमदाबाद और भोपाल में सर्किट पीठों की बैठकें आयोजित की हैं। कुछेक राज्य आयोगों ने पुराने लम्बित मामलों के निपटान के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त पीठों का गठन किया है।

(3) कुछेक राज्य आयोग और जिला मंच मामलों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों के आयोजन की प्रक्रिया अपना रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग ने भी लंबित मामलों को कम करने और मामलों के तेजी से निपटान के उद्देश्य से लोक अदालतें आयोजित की हैं।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता मंचों के आधार-ढांचे (भवन और गैर-भवन परिसम्पत्तियों) के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश भर में सभी उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जरिए 'कन्फोनेट' स्कीम के तहत किया जा रहा है।

(5) उपर्युक्त के अलावा, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को लोक सभा में 16.12.2011 को पुरःस्थापित

किया गया। इस विधेयक में मामलों के निपटान के लिए शीघ्र निर्णय लेने, सदस्य/अध्यक्ष के चयन में होने वाली देरी से बचने के लिए चयन प्रक्रिया को सरल बनाने, आवेदनों के ऑनलाइन दायर करने तथा दंडात्मक उपबंधों को सुदृढ़ बनाने इत्यादि के लिए उपभोक्ता मंचों के सशक्त बनाने के उपबंध किए गए हैं।

विवरण-I

कार्य कर रहे/कार्य नहीं कर रहे के संबंध में जानकारी

(राज्य आयोग/जिला मंच)

(04.12.2012 तक अद्यतन)

क्र. सं.	राज्य	क्या राज्य आयोग कार्य रहा है अथवा नहीं	जिलों मंचों की संख्या	कार्य कर रहे	कार्य न कर रहे	की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	जी हां	29	29	0	30.09.2012
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	जी हां	1	1	0	31.03.2006
3.	अरुणाचल प्रदेश	जी हां	16	13	3	30.09.2012
4.	असम	जी हां	27	27	0	31.12.2011
5.	बिहार	जी हां	38	38	0	30.09.2012
6.	चंडीगढ़	जी हां	2	2	0	30.09.2012
7.	छत्तीसगढ़	जी हां	16	16	0	30.09.2012
8.	दमन और दीव	जी हां	2	2	0	31.03.2011
9.	दादरा और नगर हवेली	जी हां	1	1	0	31.03.2011
10.	दिल्ली	जी हां	10	10	0	30.09.2012
11.	गोवा	जी हां	2	2	0	30.09.2012
12.	गुजरात	जी हां	30	30	0	30.09.2012
13.	हरियाणा	जी हां	21	19	2	30.09.2012

1	2	3	4	5	6	7
14.	हिमाचल प्रदेश	जी हां	12	12	0	30.09.2012
15.	जम्मू और कश्मीर	जी हां	2	2	0	31.03.2009
16.	झारखंड	जी हां	22	16	6	30.09.2011
17.	कर्नाटक	जी हां	30	30	0	30.09.2012
18.	केरल	जी हां	14	14	0	31.12.2010
19.	लक्षद्वीप	जी हां	1	1	0	30.09.2012
20.	मध्य प्रदेश	जी हां	48	48	0	30.09.2012
21.	महाराष्ट्र	जी हां	40	40	0	30.06.2011
22.	मणिपुर	जी हां	9	9	0	31.12.2008
23.	मेघालय	जी हां	7	7	0	30.11.2011
24.	मिजोरम	जी हां	8	8	0	31.12.2010
25.	नागालैंड	जी हां	8	8	0	31.12.2011
26.	ओडिशा	जी हां	31	31	0	30.06.2012
27.	पुदुचेरी	जी हां	1	1	0	30.09.2011
28.	पंजाब	जी हां	20	20	0	30.09.2012
29.	राजस्थान	जी हां	37	37	0	30.06.2012
30.	सिक्किम	जी हां	4	4	0	31.12.2011
31.	तमिलनाडु	जी हां	30	22	8	30.09.2012
32.	त्रिपुरा	जी हां	4	4	0	30.09.2012
33.	उत्तर प्रदेश	जी हां	75	75	0	30.09.2012
34.	उत्तराखंड	जी हां	13	12	1	31.10.2012
35.	पश्चिम बंगाल	जी हां	21	21	0	30.06.2012
	कुल		632	612	20	

विवरण-II

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रारंभ से लेकर दर्ज की गई/निपटाई गई उपभोक्ता शिकायतों की संख्या

(04.12.2012 तक अद्यतन)

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	प्रारंभ से लेकर दायर किए गए मामले	प्रारंभ से लेकर निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान का %	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय आयोग	78471	68241	10230	86.96%	
2.	राज्य आयोग	589771	495717	94054	84.05%	
3.	जिला मंच	3205530	2960263	245267	92.35%	
	कुल	3873772	3524221	349551	90.98%	

लंबित दया याचिकाएं

3929. **श्री के.डी. देशमुख :**
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास लंबित दया याचिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटायी गयी दया याचिकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दया याचिकाओं के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत सरकार के पास लंबित 13 दया याचिका संबंधी मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2009 से निपटाए गए 24 दया याचिका संबंधी मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) दया याचिकाओं के निपटान के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है; तथापि, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई समय-सीमा नहीं दी गई है।

विवरण-I

मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की लंबित दया याचिकाओं की सूची

क्र. सं.	दोषसिद्ध कैदी(यों) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1	2
1.	गुरमीत सिंह, उत्तर प्रदेश
2.	धरमपाल, हरियाणा
3.	सुरेश और रामजी, उत्तर प्रदेश
4.	सिमोन, ग्यानप्रकाश, मदैया और विलवेन्द्र, कर्नाटक

1	2
5.	प्रवीण कुमार, कर्नाटक
6.	मो. अफजल, दिल्ली
7.	सैबन्ना, कर्नाटक
8.	जफर अली, उत्तर प्रदेश
9.	सोनिया और संजीव, हरियाणा
10.	सुन्दर सिंह, उत्तराखंड
11.	बलवन्त सिंह राजोना, चंडीगढ़
12.	मंगनलाल, मध्य प्रदेश
13.	बी.ए. उमेश रेड्डी, कर्नाटक

विवरण-II

मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की निर्णीत दया याचिकाओं की सूची

क्र. सं.	मृत्यु दंड प्राप्त कैदी(यों) और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1	2
1.	आर. गोविंदासामी – तमिलनाडु
2.	श्याम मनोहर, शिवराम, प्रकाश, सुरेश, रविन्दर और हरीश – उत्तर प्रदेश
3.	धर्मेन्द्र कुमार और नरेन्द्र यादव – उत्तर प्रदेश
4.	पियारा सिंह, सरबजीत सिंह, गुरदेव सिंह और सतनाम सिंह – पंजाब
5.	शोभित चमार – बिहार
6.	मोहन और गोपी – तमिलनाडु
7.	मोलई राम और संतोष – मध्य प्रदेश
8.	महेन्द्र नाथ दास – असम
9.	एस.बी. पिंगले – महाराष्ट्र
10.	जय कुमार – मध्य प्रदेश
11.	मुरूगन, संथन और अरिवु – तमिलनाडु
12.	शेक मीरन, सेल्वम और राधाकृष्णन – तमिलनाडु
13.	सत्तन और गुड्डू – उत्तर प्रदेश
14.	ओम प्रकाश – उत्तराखंड
15.	देवेन्दर पाल सिंह – दिल्ली
16.	सतीश – उत्तर प्रदेश
17.	सुशील मुरमू – झारखंड
18.	करण सिंह और कुंवर बहादुर सिंह – उत्तर प्रदेश
19.	ललिया डूम और शिवलाल – राजस्थान
20.	प्रजीत कुमार सिंह – बिहार
21.	बंदू बाबूराव टिडके – कर्नाटक
22.	बंटू – उत्तर प्रदेश
23.	मोहम्मद अजमल अमीर कसाब – महाराष्ट्र
24.	अतबीर – दिल्ली

सुनामी पीड़ितों का पुनर्वास

3930. श्री एन. पीताम्बर कुरूप : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सुनामी से प्रभावित परिवारों के लिए कार्यान्वित पुनर्वास कार्यों की स्थिति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्वास कार्य के लिए किये गये कार्यों और आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में सुनामी से प्रभावित परिवारों के लिए किए गए पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर 21 दिसम्बर, 2011 को मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने समीक्षा की थी। यह निदेश दिया गया था कि तमिलनाडु और पुदुचेरी की सरकारें एक नई आपदा जोखिम प्रशमन परियोजना तैयार करें जिसमें नई पहलों/प्रशमन उपायों के अतिरिक्त आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना (ईटीआरपी) के अधिकांश अधूरे कार्यों को सम्मिलित किया जा सके, क्योंकि विश्व बैंक ने ईटीआरपी के समापन के तारीख को 31 दिसम्बर, 2011 के आगे विस्तार नहीं दिया था। ये राज्य नए सिरे से सहायता की मांग के लिए विश्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। केरल की राज्य सरकार की कानूनी कठिनाइयों को दूर करने और लंबित पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के उपाय करने की आवश्यकता है।

(ग) पुनर्वास के लिए शुरू किए गए कार्यों तथा आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

(सितम्बर, 2011 तक) आरंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य	निर्मित किए गए कुल आवास	पुनर्प्राप्त कृषि भूमि (हैक्टेयर)	सड़कें (कि.मी.)	पुलों की संख्या	पत्तनों/घाटों की संख्या	नौकाओं की संख्या	मत्स्यन बंदरगाहों की संख्या	फिशरीज लैंडिंग केन्द्रों की संख्या
तमिलनाडु	80795	8175.35	1518.06	41	02	2727	08	07
केरल	11977	2151.00	421.74	20	19	3989	11	22
आंध्र प्रदेश	481	—	—	—	—	11394	—	—
पुदुचेरी	7121	951.42	128.00	03	—	7892	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9797	4397.89	355.50	—	52	2065	—	03

विवरण-II

(नवम्बर, 2011 तक) आवंटित एवं उपयोग की गई निधियां

(रुपये करोड़)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3
तमिलनाडु	4165.33	3087.78
केरल	1441.75	1386.19
आंध्र प्रदेश	210.16	154.53
पुदुचेरी	771.73	648.71
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2792.99	2858.40

[अनुवाद]

कृषि में निजी निवेश

3931. श्री मधु गौड यास्खी :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि में निजी क्षेत्र निवेश आकर्षित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने "समेकित कृषि विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु फ्रेमवर्क (पीपीपीआईएडी)" जारी किया है, जो ऐसी राज्य सरकारों जो राज्य में कृषि विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का बेहतर संयोजन उत्पन्न करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आवंटनों का उपयोग करने चाहती हैं, के लिए अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कॉर्पोरेट के नेतृत्व वाली वृहतस्तरीय एकीकृत परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करना है। योजना दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका विस्तार पायलट चरण के दौरान स्कीम की अनुक्रिया और इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर होगा।

विवरण

सत्यमेव जयते

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत समेकित कृषि विकास हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपीआईएडी) को समर्थन देने के लिए फ्रेम वर्क

"राष्ट्रीय स्तरीय एजेंसियों द्वारा समर्थित राज्य सरकारों के सीधे पर्यवेक्षण में आरकेवीवाई के जरिए वित्तीय सहायता से किसानों को एक जगह जोड़ने तथा कृषि आपूर्ति शृंखला को एकीकृत करने के लिए कृषि और संवर्गी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के नेतृत्व वाली बड़े पैमाने की समेकित परियोजनाओं को सरल बनाने हेतु स्कीम।"

पृष्ठभूमि और तर्काधार

भारत में कृषि उत्पाद लैंड स्केप में भारी और त्वरित परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तनशील उपभोक्ता मांग की अधिमानतः के कारण क्योंकि बढ़ती हुई आय शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में घरेलू भोजन की टोकरी के सामानों को पुनः प्रबंधित करता है। उचित मूल्य पर गुणवत्ताप्रद कृषि उत्पाद की खाद्य सुरक्षा, उसे पता लगाना और पूरे वर्ष सुनिश्चित उपलब्धता ऐसी मांग है जो खाद्य शृंखला के शीर्ष पर उदित हुआ है। संगठित खुदरा व्यापार (यद्यपि कुल खुदरा मंडी का अभी भी केवल 3 प्रतिशत है) प्रत्येक तीन वर्ष में अपना शेयर दोगुना कर रहा है। और इससे आने वाले दशकों में कृषि मंडियों के स्वरूप को प्रभावित करने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जाती है। इस क्षितिज पर परिवर्तनकारी कार्य प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान है जिसके लिए घरेलू उत्पादकों से भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का स्रोत आवश्यक होगा। परंपरागत उत्पादन और आपूर्ति प्रबंधों से इन दो मुख्य विकासों द्वारा उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त समझे जाने की आशा नहीं की जाती है।

कृषि सकल घरेलू उत्पाद, अधिक मूल्य के उत्पाद (बागवानी, पशु पालन, डेयरी, कुक्कुट पालन और मछली उत्पाद) की ओर झुके हुए हैं। आज कृषि जीडीपी का 75 प्रतिशत इन उत्पादों से आता है। वर्तमान साक्ष्य यह सुझाव देता है कि यह क्षेत्र छोटे और सीमांत किसानों द्वारा पोषित होता है क्योंकि यह श्रम गहन है तथा जल्दी लाभ देता है और इसमें अधिक महिलाएं काम करती हैं (खासकर डेयरी कार्यकलाप)। इस प्रकार गैर-अनाज उप-क्षेत्रों, खासकर छोटे उत्पादकों से अधिक लाभ का संतुलन बनाने के लिए इसमें भारी क्षमता दिखाई देती है। यह "त्वरित और अधिक समावेशित विकास" हेतु 12वीं योजना दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त है तथा सृजनात्मक और सामूहिक प्रयास इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल सकते हैं।

तथापि इन वांछनीय लक्ष्यों तक पहुंचने में कई बाधाएं हैं। उदाहरण के लिए देश में 83 प्रतिशत भूजोतें सीमांत और छोटे हैं और जब तक किसानों को कृषक संस्थाओं से जोड़ा नहीं जाता, तब तक हम उत्पादन का स्तर प्राप्त नहीं कर सकते। विखंडित कृषि विपणन मूल्य शृंखला और भारी संख्या में बिचौलिए दूसरी मुख्य बाधा है जिसके कारण बर्बादी होती है, उत्पादकों को कम लाभ मिलता है तथा उपभोक्ता को उपलब्ध होने तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता है। फलों और सब्जियों जैसे जल्द खराब होने वाली वस्तुओं में बर्बादी का आकलन 18-40 प्रतिशत के बीच किया गया है, किन्तु वे बहुत अधिक हैं और उत्पादकों को उपभोक्ताओं को दंडित करते हैं। दूध मे अमूल की प्रभावी कृषि उत्पाद में मूल्य शृंखला को जोड़ने का लाभ प्रदर्शित करती है, फिर भी अनाजों, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं हेतु और कुशल शृंखला को तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता, जब तक निचले स्तर पर किसानों और कृषि उत्पादों को जोड़ने में समानांतर निवेश न किया जाए तथा कच्चे उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ दोनों के लिए उत्पादकों और बाजार के खिलाड़ियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित न किया जाए।

अंततः गुणवत्तापरक कृषि उत्पादों हेतु बढ़ती हुई मांग एक ओर उत्पादकों और दूसरी ओर खुदरा व्यापारियों को जोड़कर कृषि में जोखिम कम करने का अवसर पैदा करता है। जबकि उत्पादन और मूल्य संबंधी जोखिम ध्यान देने के लिए सर्वाधिक स्पष्ट क्षेत्र हैं तथापि कृषक समूहों और मंडी के खिलाड़ियों के बीच सहभागिता सृजित करने की क्षमता आदान आपूर्तिकर्त्ताओं, वित्तीय संस्थाओं और अनुसंधान निकायों के बीच बेहतर संपर्क खोलता है। समग्ररूप में कृषि में सरकार, किसानों और कॉर्पोरेट के बीच सहयोगात्मक प्रयास से कृषि जीडीपी के विकास की दर को बढ़ाए जाने की आशा की जाती है।

उपर्युक्त परिदृश्य में आरकेवीवाई समेकित कृषि और संवर्गी क्षेत्र के परियोजनाओं को सहायता देने के लिए 12वीं योजना के दौरान वित्त पोषण की एक महत्वपूर्ण खिड़की होगी, तथापि आरकेवीवाई के अंतर्गत बढ़ते स्तर के समामेलन के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता की चुनौतियां हैं। परियोजाना की निगरानी और परियोजना के परिणामों का आकलन भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। अंततः 11वीं योजना में अधिकतर आरकेवीवाई कार्यों का लघु आवधिक स्वरूप इन निवेशों के दीर्घावधि प्रभाव और सततता के बारे में प्रश्न उपस्थित करते हैं। पीपीपीआईएडी को समेकित और संधारणीय आय प्राप्त करने तथा साथ ही मूल्य शृंखला समेकन और कृषि में अतिरिक्त निजी निवेश प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण के संयोजन में निजी क्षेत्र की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए आरकेवीवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन के वैकल्पिक तरीके के रूप में माना गया है।

पीपीपीआईएडी की मुख्य विशेषताएं

- कॉर्पोरेट एकल खिड़की के जरिए सभी कार्य करते हुए जवाबदेही लेने के लिए कृषि और संवर्गी क्षेत्र की समेकित कृषि विकास करने का प्रस्ताव करे। परियोजनावधि के दौरान प्रत्येक परियोजना कम से कम 5 हजार किसानों को लक्ष्य बनाएं।

- अभिकल्पन में पूर्ण लचीलापन किन्तु उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एकीकृत मूल्य शृंखला दृष्टिकोण सुनिश्चित करें। परियोजनाओं की अवधि 3-5 वर्ष की होगी।

- परियोजना के दौरान प्रति किसान औसत निवेश की मात्रा निकाली जाए, जो कि औसत रूप से प्रति किसान 1.00 लाख रु. तक का वांछित होगा। परियोजना चक्र के लिए जरिए प्रति किसान 50 हजार रु. की सीमा के साथ प्रस्तावित प्रति किसान समग्र निवेश के लिए सरकारी समर्थन 50 प्रतिशत तक होगा। शेष निवेश संस्थागत वित्त पोषण के जरिए कॉर्पोरेट के द्वारा प्रबंध किया जाएगा और स्वयं का अथवा किसानों का अंशदान होगा। सभी राज सहायता किसानों को परिसंपत्ति वितरण के सत्यापन के बाद परियोजना के नेताओं द्वारा किसानों को परिसंपत्ति वितरण के सत्यापन के बाद परियोजना के नेताओं द्वारा किसानों को सीधे दी जाएगी अथवा उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- प्रत्येक परियोजना के मुख्य कार्य हर हालत में निम्नलिखित होने चाहिएं: (क) किसानों को उत्पादक समूहों में इकट्ठा करना और उन्हें उपयुक्त विधिक रूप में पंजीकृत करना अथवा अनौपचारिक समूह सृजित करना, जो क्षेत्र और परियोजना (संयुक्त स्टॉक अथवा उत्पादक कंपनी, सहकारी समिति, स्वावलंबी समूह संघ आदि) के लए उपयुक्त हों। (ख) प्रौद्योगिकी प्रसार (ग) मूल्यवर्धन (घ) मंडी समाधान (ङ) परियोजना प्रबंधन)।

- एसएलएससी द्वारा परियोजना के अनुमोदन करने के बाद आरकेवीवाई खिड़की के जरिए सीधे ही राज्य सरकारों द्वारा कॉर्पोरेट को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह

50 हजार प्रति किसान अथवा प्रति किसान प्रस्तावित निवेश का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सीमा के अधीन होगी। ड्रीप/स्प्रींकलर सिंचाई/यांत्रिकरण/ग्रेडिंग/शेड नैट आदि हेतु किसानों को राज सहायता पर अलग से विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह बहुत बड़ा निवेश है। अत: ड्रीप/स्प्रींकलर सिंचाई/यांत्रिकरण/ग्रेडिंग/शेड नैट आदि हेतु किसानों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राज सहायता पर इस 50 हजार रु. की सीमा के भाग के रूप में विचार किया जाएगा।

- लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघों के जरिए राज्य सरकारों को कॉर्पोरेट द्वारा परियोजना का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस संस्था को कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु राष्ट्र स्तरीय एजेंसी के रूप में अभिनामित किया गया है। एसएफएसी छोटे संबंधित राज्य सरकार को परियोजना प्रोत्साहक से जोड़ने के लिए सुसाध्यक के रूप में कार्य करेगा। एसएफएसी की भूमिका तकनीकी दृष्टि से प्रस्ताव की जांच करने की होगी और इसके बाद संबंधित राज्य को वित्त पोषण के लिए इसे प्रस्तावित करेगा। एसएफएसी तकनीकी मूल्यांकन समन्वयन और सुसाध्यीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समर्थन एजेंसी होने तक सीमित होगा। इसे प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वयन अथवा निधियों के संभाल में शामिल नहीं किया जाएगा।

- एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी (नाबार्ड अथवा किसी खास परियोजना के साथ हित का टकराव न करने वाले उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त परामर्शी फर्म जिसे मॉनीटर करना है) को परियोजना कार्यनिष्पादन को निकट के पता लगाने तथा राज्य और केंद्रीय सरकार में संगत स्टेक होल्डरों को रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

कवरेज और विस्तार

पीपीपीआईएडी को वर्ष 2012-13 के दौरान पायलट स्कीम के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसके पास प्रथमतया 6 से 8 परियोजनाएं होंगी जिसे इच्छुक राज्य तत्काल प्रायोजित करने की इच्छा रखते हैं। प्रथम परियोजनाओं की प्रथम सूची के अनुभव के आधार पर 12वीं योजना के दौरान इसके प्रसार पर निर्णय लिया जाएगा।

उद्देश्य

स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

निजी क्षेत्र की क्षमताओं में संतुलन बनाते हुए कृषि विकास में वर्तमान सरकारी प्रयासों को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाना:

- कृषि/बागवानी और कृषि संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन एवं फसलोंपरान्त प्रबंधन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना।
- उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, पौषणिक सुरक्षा एवं किसानों की आय को बढ़ाना।
- उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन, विकास एवं प्रसार करना।
- उचित हस्तक्षेपों के माध्यम से पूर्व उत्पादन से लेकर उपभोक्ता की टेबल तक सभी स्तरों पर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समाधान करते हुए राज्यों को सहायता देना।
- दक्ष एवं अदक्ष विशेषत: बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार अवसरों का सृजन करना।
- मूल्य वृहन में सुधार एवं किसान लाभप्रदता वृद्धि सुनिश्चित करना।
- कृषि को एक व्यवहार्य व्यावसाय बनाना।
- आरकेवीवाई वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत सुपुर्दगी एवं मॉनिटरिंग तंत्र में सुधार करना।

रणनीति

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कीम में निम्नलिखित रणनितियां अपनाई जायेगी:—

- कंपनियां एसएलएससी पर विचार करने हेतु राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अथवा एसएफएसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
- प्रत्येक परियोजना में किसान संघों/समूहों का गठन।
- समुचयकों को चयनित करना और किसानों/संघों/समूहों के साथ टाईअप करना।

- उन्नत बीज/पौध किस्मों को प्रदान करने और नवाचारिक प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करने के लिए आईसीएआर/एसएयू/निजी क्षेत्र के साथ समन्वय करना।
- नाबार्ड के सहयोग के साथ ऋण आपूर्ति शृंखला में मुद्दों का समाधान करना।
- सूक्ष्म खेती तकनीकों, संरक्षण खेती, सूक्ष्म सिंचाई आदि का उपयोग करके उन्नत क्लटीवर, उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय।
- प्राथमिक प्रसंस्करण, छटाई, ग्रेडिंग, वासिंग, पैकेजिंग, मूल्य वृद्धन क्लस्टर।
- खेत से मंडी तक लॉजिस्टिक;
- फसलों उपरांत प्रबंधन, भंडारण और परिवहन अवसंरचना।
- आपूर्ति शृंखला में उचित टाईअप हेतु समुचयक।

भंडारगृहों, शीतागार शृंखला, नियंत्रित वातावरण आदि के विकास के लिए इन समूहों को सहायता।

अनुमोदन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया

रणनीति एवं रोड़मैप

कंपनियों उन क्षेत्रों को चिन्हित करेंगी जिनमें वे 2012-13 में शुरूआत करेंगी और समेकित कृषि विकास हेतु परियोजना का विकास करेंगी। कंपनियों द्वारा तैयार रणनीति और रोड़मैप में भोगैलिक स्थिति एवं जलवायु, कृषि विकास की संभावनाओं, भूमि की उपलब्धता, एसडब्ल्यूओटी विशलेषण और चिन्हित क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर सूचनाएं निहित होनी चाहिए। दस्तावेज में उपलब्ध अवसंरचना अथवा सृजित की जाने वाली अवसंरचना के लिए उत्पादन एवं संपर्क हेतु समूह दृष्टिकोण अपनाने, फसलोंउपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात हेतु समूह दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उत्पादक/किसान डीएसी की सभी स्कीमों और भारत सरकार के अन्य विभागों की सभी स्कीमों के तहत सहायता के हकदार हैं ताकि इन स्कीमों से उचित रणनीति और कृषि में अधिकतम लाभ को सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक डीपीआर में एक परिणाम खता दस्तावेज होगा जिसमें परियोजना के प्रगति को देखने के लिए स्पष्ट संकेतक दिए हुए होंगे।

कार्यान्वियन एजेंसी

1. लघु किसान कृषि व्यवसायिक परिसंघ (एफएसएसी)।
2. राज्य सरकार (कृषि विभाग)/राज्य स्तरीय एजेंसी।
3. निजी क्षेत्र भागीदार।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से या तो राज्यों अथवा एसएफसी को प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में एनएलए अथवा राज्य सरकार आरकेवीवाई के राज्य प्राथमिकता और उद्देश्यों एवं सामान्य फ्रेमवर्क के दृष्टि से परियोजना प्रस्ताव की जांच करेंगी। यदि उचित पाया जाता है तो प्रस्ताव को विचारार्थ मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एसएलएससी को अग्रेषित किया जाएगा।

राज्य सरकार एवं परियोजना प्रायोजक के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, एसएलएससी की स्वीकृति के आधार पर, परियोजना शुरू की जाएगी। राज्यों के मार्गदर्शन हेतु आरकेवीवाई अंतर्गत पीपीपीआईएडी हेतु समझौते का मानक कॉर्मेट परिचालित किया जाएगा। विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, वे इस फॉर्मेट को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर संबंधित निजी क्षेत्र परियोजना प्रायोजक की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभी कोष निर्युक्त किए जाएंगे। स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसी द्वारा विधिवत ढंग से सत्यापित करने के बाद, वित्तपोषण विविध स्वीकृत बजट शीर्ष पर परियोजना प्रायोजक द्वारा वहन किए जाने वाले परिव्यय के पुनर्वितरण के रूप में होगा।

एंट्री लेवल स्थिति और ऑफ प्रोजेक्ट सर्वेक्षण को निर्धारित करने के लिए एक बेसलाइन सर्वेक्षण स्वतंत्र मॉनिटरिंग जेंसी द्वारा किया जाएगा ताकि परियोजना हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन किया जा सके। यह एजेंसी डीएसी को मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और शुरूआती स्तर तक सूचना संरचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) योग्य प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) प्रचालित करेगी। आवश्यकता पड़ने पर यह एजेंसी स्वयं अपनी वेबसाइट विकसित और होस्ट कर सकती है।

योजना घटक एवं सहायता प्रतिमान

यह योजना सभी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सभी परियोजना घटकों को कवर करेंगी। उत्पादकता में वृद्धि करने वाली सभी कि कृषक संबंधित सेवाएं अर्थात् (आगत या हार्डवेयर नहीं) और अन्य हस्तक्षेप की पूरी तरह से सहायता दी जाएगी। मंदी पर 50 प्रतिशत की सीमा होगी (जैसे कृषि मशीनरी व सिंचाई संरचना) जो किसानों की राजसहायता अनुदान के आधार पर प्रदान की जाएगी। विरक्त, समुदाय आधारित परियोजनाओं के संबंध में शिथिलता होगी उदाहरण के लिए ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत भंडारगार संरचना को विकसित करने हेतु एफपीओ 100 प्रतिशत राजसहायता अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना प्रत्येक भाग में मांग एवं आवश्यकता आधारित होगी। विविध हस्तक्षेपों में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परिकल्पित हस्तक्षेपों में भी विविधता और क्षेत्रीय रूप से विशिष्टता होगी। जिसका ध्यान पिछड़े एवं अग्र एवं पश्च संपर्कों को सुनिश्चित करते हुए आधुनिक एवं हस्तक्षेप का क्लस्टर में प्रयोग करके संभावित सब्जी फसलों पर केंद्रित है।

परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने हेतु, कंपनियों को प्रदर्शन आधारित ओवरहेड लागत दी जाएगी। अनुमोदित परियोजना को प्राप्त करने के लिए, कंपनियों का परिणाम दस्तावेज (आरएफडी) जमा करना होगा। कंपनी का प्रदर्शन उत्तम होने की अवस्था में, कंपनी अधिकतम 8 प्रतिशत ओवरहेड की हकदार होगी। इसी प्रकार, यदि कंपनी का प्रदर्शन औसत है, तो वह 5 प्रतिशत ओवरहेड की हकदार होगी। यदि कंपनी का प्रदर्शन घटिया है, तो वह केवल 2 प्रतिशत ओवरहेड की हकदार होंगी।

कोषों की निर्मुक्ति अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। संपूर्ण परियोजना को पांच चरणों में विभाजित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक चरण के लिए विशेष वित्तीय आबंटन होगा। प्रत्येक चरण से संबंधित राशि प्रत्येक चरण के कोषों का लाभ उठाने हेतु, कम्पनी को कम्पनी लेखा परीक्षक से विस्तृत उपयोगिता प्रमाण-पत्र और उस चरण अंतरिम परियोजना रिपोर्ट जमा करानी होगी।

विवाह निवारण तंत्र

पीपीपीआईएडी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करने और विवाद निवारण हेतु राज्य स्तर पर निम्नलिखित घटकों के साथ स्थायी तंत्र कार्यान्वित किया जाएगा:—

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त या प्रधान सचिव, कृषि — अध्यक्ष

(ख) आयुक्त/निदेशक, कृषि — सदस्य सचिव

(ग) निजी क्षेत्र कार्यान्वियन भागीदार के प्रतिनिधि — सदस्य

(घ) स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसी के प्रतिनिधि — सदस्य

पीपीपीआईएडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान पैदा होने वाले विवाद का निवारण करने के लिए डीआरएम अच्छा मंच होगा। यदि यह समिति किसी मसले का निवारण करने में अयोग्य है, तो इस मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षत वाली एसएलएससी को अग्रेषित संदर्भित किया जाएगा जिसमें डीआरएम के सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। किसी भी मामले में एसएलएससी का निर्णय अंतिम होगा।

ग्रामीण गोदामों की स्थापना

3932. श्री ए. सम्पत :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र ग्रामीण गोदाम स्कीम के अंतर्गत स्थापित गोदामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए गए/जाने वाले ऐसे गोदामों की संख्या तथा उनकी प्रत्येक की क्षमता क्या है;

(ग) फसलों की कटाई के पश्चात् नुकसानों को रोकने में गोदाम किसानों के लिए किस हद तक मददगार रहे हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे गोदामों की राज्य-वार स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या वित्तीय सहायता दी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'ग्रामीण भंडारण योजना' के अंतर्गत 31.10.2012 तक

348.40 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 29715 ग्रामीण गोदाम संस्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहित गोदामों की संख्या और संस्वीकृत क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) वर्ष 2009-10 में 18.27 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 1444 गोदाम संस्वीकृत किए गए थे वर्ष 2010-11 में 26.61 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 2869 गोदाम संस्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2011-12 में 33.92 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 3381 गोदाम संस्वीकृत किए गए थे और चालू वर्ष (2012-13) में 31.10.2012 तक 31.22 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साथ 1628 गोदाम संस्वीकृत किए गए थे।

(ग) वर्ष 2005 में संचालित स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार 70% गोदाम मालिक मुख्यतया किसान थे जिन्हें 5 से 15% तक अधिक मूल्य की वसूली के जरिए लाभ मिला जिसने उन्हें बचत और निवेश क्षमता दोनों में समर्थ बनाया। गोदाम मालिकों ने रोजगार सृजन की भी रिपोर्ट दी।

(घ) ऋण से जुड़ी हुई पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और दिनांक 1.4.2001 से 31.10.2012 तक की अवधि के लिए राज्य-वार निर्मुक्त राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया है।

विवरण-I

1.4.2001 से 31.10.2012 तक संस्वीकृत ग्रामीण गोदामों की संख्या और क्षमता

क्र. सं.	राज्य	परियोजना की संख्या	क्षमता लाख मीट्रिक टन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1171	44.4166
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.0094
3.	असम	233	4.4197
4.	बिहार	889	3.47
5.	छत्तीसगढ़	442	12.9029
6.	गोवा	3	0.00290
7.	गुजरात	8379	26.4724
8.	हरियाणा	1595	40.2391
9.	हिमाचल प्रदेश	55	0.0755
10.	जम्मू और कश्मीर	5	0.0524
11.	झारखंड	6	0.0859
12.	कर्नाटक	3555	21.8463
13.	केरल	168	0.6325
14.	मध्य प्रदेश	2478	39.8076
15.	महाराष्ट्र	2699	38.8720
16.	मेघालय	16	0.2058
17.	मिजोरम	1	0.0075
18.	नागालैंड	2	0.0025
19.	ओडिशा	376	7.8920
20.	पंजाब	1538	39.4598
21.	राजस्थान	1095	7.9565
22.	तमिलनाडु	1542	8.2368
23.	उत्तर प्रदेश	898	35.8012
24.	उत्तराखंड	209	5.0484
25.	पश्चिम बंगाल	2358	10.4812
26.	त्रिपुरा	1	0.0099
	कुल	29715	348.4068

विवरण-II

1.4.2011 से 31.10.2012 तक संस्वीकृत ग्रामीण गोदामों के लिए निर्मुक्त राज्य-वार राजसहायता

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त राजसहायता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14834.0959
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.3
3.	असम	1703.0685
4.	बिहार	1162.8265
5.	छत्तीसगढ़	3457.006
6.	गोवा	0.897
7.	गुजरात	9415.2784
8.	हरियाणा	9658.5891
9.	हिमाचल प्रदेश	42.9564
10.	जम्मू और कश्मीर	15.343
11.	झारखंड	18.987
12.	कर्नाटक	8313.23535
13.	केरल	250.88655
14.	मध्य प्रदेश	12489.6742
15.	महाराष्ट्र	11759.2245
16.	मेघालय	110.5154
17.	मिजोरम	2.5164
18.	नागालैंड	0.8333
19.	ओडिशा	1822.541
20.	पंजाब	4327.9928
21.	राजस्थान	2227.5898
22.	तमिलनाडु	2023.0578
23.	उत्तर प्रदेश	4227.8427
24.	उत्तराखंड	1611.285
25.	पश्चिम बंगाल	2841.8278
26.	त्रिपुरा	4.15
27.	संघ शासित राज्य	0
	कुल	92328.5204

वीजा नियमों में संशोधन

3933. श्री पी. कुमार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशियों के ठहरने के लिए दीर्घावधि बहु-प्रवेश वीजा देने के लिए विदेशियों हेतु वीजा नियमों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश में विदेशियों के ठहरने के लिए बहु-प्रवेश वीजा देने के लिए विदेशियों हेतु वीजा नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने हाल ही में विदेशी नागरिक की पर्यटक वीजा पर भारत की दो यात्राओं के बीच 2 महीने के अंतराल से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की है और अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईराक, सूडान, बांग्लादेश के नागरिकों, पाकिस्तान और बांग्लादेश मूल के विदेशी नागरिकों और राज्य विहीन व्यक्तियों के मामले को छोड़कर इस प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया है।

कोयले पर रॉयल्टी में वृद्धि

3934. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोयला खदानों की सुरक्षा एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्यों को कोयले की रॉयल्टी बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को रॉयल्टी राशि को बढ़ाने के लिए राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर संघ सारकार की क्या प्रतिक्रिय है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) अधिकांश कोयला उत्पादन राज्यों ने यथामूल्य आधार के 20% की दर से रॉयल्टी के निर्धारण हेतु अनुरोध किया था। कोयला तथा लिग्नाइट की रॉयल्टी दरों के संशोधन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल ने राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकधारकों के साथ परामर्श करने के बाद यथामूल्य व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और कोयला एवं लिग्नाइट पर क्रमश: 14% तथा 6% की दर से संशोधित रॉयल्टी की दरें 10.05.2012 से प्रभावी हैं।

बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा

8935. श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्मित बहुस्तरीय पार्किंग स्थलों तथा प्रत्येक पार्किंग सुविधा स्थलों की क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी खबर है कि वाहन मालिक इन पार्किंग स्थलों में अपने वाहन पार्क करने से बचते हैं तथा सड़कों पर अपना वाहन छोड़ देते हैं जिससे अन्य सड़क उपयोग करने वालों के लिए मुश्किल हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन वाहन मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई सहित अन्य कौन सी कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अनुसार, दो बहुस्तरीय पार्किंग स्थलों का निर्माण करके पहले ही चालू कर दिया गया है, जिसमें से एक पार्किंग स्थल सरोजिनी नगर में और दूसरा बाबा खड़क सिंह मार्ग पर है। सरोजिनी नगर स्थित बहुस्तरीय पार्किंग स्थल की क्षमता 824 और बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित पार्किंग स्थल की क्षमता 1408 कारों की है।

(ख) और (ग) ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि वाहन मालिक इन पार्किंग स्थलों में अपने वाहन पार्क करने से बचते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस सड़कों पर अपना वाहन खड़ा करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती है।

दूरदर्शन की डीटीएच सेवाएं

3936. श्री रवनीत सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के माध्यम से बिना किसी मासिक शुल्क के नि:शुल्क चैनलों को दिखाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में डीडी डायरेक्ट प्लस प्लेटफॉर्म पर 59 चैनलों का प्रावधान है जिसमें दूरदर्शन के 19 चैनल, 3 विदेशी चैनल, 3 राष्ट्रीय शैक्षिक चैनल और 34 निजी चैनल शामिल हैं। ये सारे चैनल पहले ही नि:शुल्क हैं जिनके लिए दर्शकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वर्तमान में, दूरदर्शन के डीटीएच पर 6 चैनल रिक्त हैं, इनकी नीलामी होनी बाकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला कंपनियों द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन

3937. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2006-09 के दौरान कोयला ब्लॉक का आवंटन पाए, कई कंपनियों ने आवंटन के बाद किसी न किसी तरह से स्वामित्व अंशधारिता को बदल दिया/घटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वामित्व परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है तथा किन नयी कंपनियों को राज्य-वार अंशधारिता अंतरित की गयी थी; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में विशिष्ट अन्य उपयोग के प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया जाता है। जिन कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया है, वे प्रचलित संविधियों/नियमों/आदेशों से आबद्ध हैं। धारकों के मालिकाना में परिवर्तन/अवमिश्रण के प्रश्न को इसके संदर्भ में देखा जाना है। आबंटन पत्रों में एक शर्त यह है कि "आबंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉक से कोयले का खनन देश में कोयले के खनन को अभिशासित करने वाली अनुमेय संविधियों/नियमों/आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार कियाा जाएगा।" यह संबंधित कोयला ब्लॉक के आबंटितियों के लिए अनिवार्य है कि कानून के अधीन आवश्यक होने पर सरकार से संपर्क करें। जब महाराष्ट्र राज्य में मालिकाना परिवर्तन का एक मामला ध्यान में आया तो उस मामले की विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम

3938. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में शहरी खेल-कूद अवसंरचना (यूएसआईएस) स्कीम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार किन जिलों की पहचान की गयी है;

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत की गयी गतिविधियों तथा उनमें अब तक हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों को आवंटित/जारी की गयी राशि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त स्कीम के अंतर्गत अब तक राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गयी है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। यह स्कीम देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी राज्य में किसी विशिष्ट जिला की पहचान नहीं की गई है।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 15 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र को 20 परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 184 कोचों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूर की गई और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)

स्कीम की मुख्य विशेषताएं

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वर्ष 2010-11 से शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) नामक स्कीम प्रायोगिक आधार पर चला रहा है। स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित खेल अवसंरचनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:—

(i) सिंथेटिक खेल सतह (हॉकी, फुटबाल और एथलेटिक्स के लिए)

(ii) बहुउद्देश्य इन्डोर हाल।

2. इस स्कीम के अंतर्गत खेल अवसंरचनाओं को निर्माण के लिए निम्नलिखित निगमित निकाय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं:—

(क) राज्य सरकारें;

(ख) स्थानीय सिविक निकाय;

(ग) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय; और

(घ) खेल नियंत्रण बोर्ड

3. विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सीमाएं निम्नानुसार संस्वीकृत की गई हैं:–

क्र.सं.	खेल मैदान का नाम	अनुमानित लागत
1.	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक	सामान्य प्रकाश सहित 5.50 करोड़ रु.
2.	सिंथेटिक हॉकी मैदान	4.50 करोड़ रु. (सामान्य प्रकाश सहित 5.00 करोड़ रु.)
3.	सिंथेटिक टर्फ फुटबाल मैदान	सामान्य प्रकाश सहित 4.50 करोड़ रु.
4.	60 मी.×40 मी. आकार का बहुउद्देशीय हॉल	6.00 करोड़ रु.

4. एक वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दो से अधिक परियोजनाएं नहीं मिलतीं।

5. इस स्कीम को मार्च, 2012 से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एसपीएलएडी) स्कीम के साथ अभिसारित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, यदि एक संसद सदस्य यूएसआईएस परियोजना के लिए ग्राह्य अनुदान का कम से कम 50% अंशदान करता है, तो शेष राशि यूएसआईएस के बजट-प्रावधान से जुटाई जाएगी। इस व्यवस्था में, एक वर्ष में एक राज्य के लिए दो परियोजनाओं का प्रतिबंध लागू नहीं जाएगी। इस व्यवस्था में, एक वर्ष में एक राज्य के लिए दो परियोजनाओं का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। एक वर्ष के प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अधिकतम दो अतिरिक्त परियोजनाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी।

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए कोचों को भेजने में सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक कोच को प्रशिक्षण, सामग्री तथा योजना और आवास के लिए अधिकतम 50,000/- रुपये की सहायता अनुज्ञेय है। यात्रा व्यय और अन्य भत्तों का दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को नामित किए गए कोचों को इस आशय का एक बंध-पत्र (बांड) प्राप्त करना होगा कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष से पहले नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे।

विवरण-I

शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)

शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत खेल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण/उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में (30 नवम्बर, 2012 की स्थिति) अनुमोदित और जारी किए गए अनुदान के ब्यौरे को दर्शाते हुए विवरण। (स्कीम की शुरुआत वर्ष 2010-11 में की गई थी)

2010-11

(करोड़ रुपयों)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान (तारीख)	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा स्टेडियम, ऊना में सिंथेटिक हॉकी फील्ड लगाना	5.00	3.50

1	2	3	4	5
2.	मिजोरम	बायज हॉकी अकादमी, कॉनपुरी में सिंथेटिक हॉकी फील्ड लगाना	5.00	4.00
3.	पंजाब	तरन तारन में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	3.98	2.00
4.	पश्चिम बंगाल	खुदीराम अनुशीलन ईडन गार्डन, कोलकाता में इन्डोर स्पोर्टस काम्पलेक्स का नवीकरण/परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण	6.00	3.00
		कुल	19.98	12.50

2011-12

(करोड़ रुपयों)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1.	ओडिशा	कलिंगा स्टेडियम स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, भुवनेश्वर में सिंथेटिक हॉकी सर्फेस लगाना	5.00	5.00
2.	मध्य प्रदेश	रानीताल स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी सर्फेस लगाना	4.81	3.62
3.	राजस्थान	उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	6.00	4.50
4.	नागालैंड	इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेफ लगाना	5.00	3.00
5.	मिजोरम	मोलपुई, आईजवाल में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	4.50
6.	मेघालय	जेएन स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, शिलांग में सिंथेटिक ट्रेक लगाना	5.50	4.30
7.	असम	एसएआई-एसएजी सेन्टर तिन सुकिया में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	6.00	3.20
8.	जम्मू और कश्मीर	टीआरसी ग्राउंड, श्रीनगर में फुटबाल टर्फ ग्राउंड का निर्माण	4.50	4.47
9.	पुदुचेरी	टैगोर आर्टस कॉलेज ग्राउंड, लावसपेट में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	6.00	3.54
10.	केरल	नेहरु स्टेडियम, कोट्टयम में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	6.00	3.88
		कुल	54.81	40.00

2012-13

(करोड़ रुपयों)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1.	ओडिशा		5.00	5.00
2.	मणिपुर		5.9999	1.80
3.	हरियाणा		4.50	3.50
4.	छत्तीसगढ़		5.9779	1.79337
5.	राजस्थान		6.00	1.80
6.	ओडिशा		6.00	1.80
	कुल		33.4778	14.44337

एनडीएमए द्वारा प्रशिक्षण

3939. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) असुरक्षित भवनों को पहचानने तथा भूकंप झेलने के लिए उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए नगरपालिकाओं के इंजीनियरों को प्रशिक्षण दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस) पर दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरों के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और दिल्ली नगर निगम के 350 इंजीनियरों को आरवीएस का प्रयोग करके भवनों की सुरक्षा के लिए भवनों की जांच करने (स्क्रीनिंग) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

भारतीय ओलंपियनों के लिए खिलाड़ी संघ

3940. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खिलाड़ियों से संबंधित शिकायत निवारण तथा कई अन्य विभिन्न मुद्दों के मामले में सभी खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय ओलंपियनों के लिए खिलाड़ी संघ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) इस समय खिलाड़ियों से संबंधित शिकायत निवारण तथा अन्य मुद्दों के मामले के सभी खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय ओलंपियनों के लिए खिलाड़ी संघ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन पर विधिवत कार्रवाई की जाती है। सामान्यतया, शिकायतें चयन मानदंडों और कोचिंग कैंपों आदि के आयोजन से संबंधित होती हैं। इस संबंध में, मंत्रालय ने सितम्बर, 2008 में कोचिंग कैंपों के अधिक कुशल प्रबंधन, कोचों के चयन, खिलाड़ियों के चयन आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

रानी दुर्गावती संग्रहालय का उन्नयन

3941. **श्री राकेश सिंह : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय के उन्नयन संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संगठनों का विलय

3942. **श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा अन्य तटवर्ती राज्यों सहित देश में सामुद्रिक तथा अंतर्देशीय जल मत्स्यन से संबंधित मामलों से संबंधित संस्थाओं एवं संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछेक एजेंसियों तथा संगठनों के विलय करने का कोई विचार है;

(ग) इन सभी संस्थाओं को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं;

(घ) इस संबंध में किए गए सभी प्रकार के निवेशों के लिए जवाबदेही निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किया जाना प्रस्तावित है; और

(ङ) देश के समग्र विकास में योगदान के लिए संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में क्या बदलाव किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तटवर्ती राज्यों सहित देश में समुद्री तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी से संबंधित मामलों के बारे में कार्रवाई करने वाले संस्थानों और संगठनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सतत् आधार पर मत्स्य का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने पर बल देते हुए इन संस्थानों द्वारा विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। इन संस्थानों को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जाता है।

विवरण

I. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों की सूची

1. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) कोचीन (केरल)
2. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी), कोचीन (केरल)
3. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुंबई (महाराष्ट्र)
4. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, (सीआईसीईएफ) बंगलौर (कर्नाटक)
5. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एफएनडीबी), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
6. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), चेन्नई (तमिलनाडु)

II. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय ब्यूरो/निदेशालय/परियोजना निदेशालय

डीम्ड विश्वविद्यालय-1

1. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), मुंबई

संस्थान-5

1. केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), बैरकपुर
2. केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), चेन्नई
3. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोचीन
4. केन्द्रीय मीठा जल जलकृषि संस्थान (सीआईएफए), भुवनेश्वर
5. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) कोच्चि

राष्ट्रीय ब्यूरो-1

1. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर), लखनऊ, उत्तर प्रदेश

निदेशालय-1

1. शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर), भीमताल, उत्तराखंड

[अनुवाद]

डब्ल्यूएएफ की बैठक

3943. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को मालूम है कि विश्व कृषि मंच (डब्ल्यूएएफ) का विचार देश में डब्ल्यूटीओ युग में कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य करने के लिए अर्थोपाय पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित बैठक आयोजित करने में केंद्र सरकार की भूमिका क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्व कृषि मंच हैदराबाद में सम्मेलन और कृषि प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन कर रहा है।

(ख) विश्व कृषि मंच (डब्ल्यूएएफ) विभिन्न स्थानों पर द्विवार्षिक कांग्रेस का आयोजि करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आमंत्रण के उत्तर में, डब्ल्यूएएफ ने वर्ष 2013 के लिए 04-07 नवम्बर, 2013 को अपनी अगली द्विवार्षिक कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद में करने का फैसला किया है। राज्य-सरकार के अनुसार, डब्ल्यूएएफ नीति निष्पक्ष है और यूएसए आधारित गैर-सरकारी संगठन के लाभ के लिए नहीं है। उनकी वेबसाइट *www.worlddagforum.com* पर उपलब्ध ब्यौरा के अनुसार, सम्मेलन का विषय सतत् भविष्य हेतु कृषि पुनर्निर्माण है। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।

(ग) अभी तक कोई नहीं।

जेलों के लिए विशेष अवसंरचनात्मक स्कीम

3944. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा सरकार ने विशेष अवसंरचना स्कीम जो वामपंथी अतिवाद से प्रभावित राज्यों में क्रियान्वियन के लिए है के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक गजिटों के उपयोग सहित जेलों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत पहले कोई राशि मंजूर की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क)

से (घ) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नौ राज्यों को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर निधियां मंजूर की जाती हैं। स्वीकृत कार्य और मंजूर की गई निधियों की मात्रा, कार्यों की प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता और राज्यों से प्राप्त उपयोगिता-प्रमाण-पत्रों की स्थिति पर निर्भर होती है। स्कीम के कार्यान्वयन की अवधि अर्थात् वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के दौरान, नौ राज्यों को कुल 445.82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इनमें से ओडिशा राज्य को जेलों के सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न लक्ष्यों से सम्बन्धित ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उपर्युक्त अवधि के दौरान अनुमोदित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 76.80 करोड़ रुपए (वर्ष 2008-09 में 11.77 करोड़ रुपए, वर्ष 2009-10 में 4.20 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-11 में 20.36 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में 40.47 करोड़ रुपए) है।

[हिन्दी]

टीपू सुल्तान का स्मारक

3945. श्री रामकिशुन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के महान राजा टीपू सुल्तान की स्मृति बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करने में उनके योगदान को किस तरह से जीवंत रखा जाएगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) टीपू सुल्तान से संबंधित निम्नलिखित केंद्रीय संरक्षित स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हैं:—

(i) टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर।

(ii) टीपू सुल्तान का जन्म स्थान, देवेनहल्ली।

(iii) टीपू सुल्तान का ऊपरी किला तथा नगरदुर्ग, बेल्लारी।

(iv) दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना।

(v) टीपू सुल्तान के मकबरे वाला गुम्बज, श्रीरंगपटना।

(vi) जुम्मा मस्जिद, श्रीरंगपटना।

(vii) वह स्थान जहां टीपू सुल्तान की मृत देह मिली थीं, श्रीरंगपटना।

उपर्युक्त सभी स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं और अच्छी हालत में हैं।

(ख) और (ग) दूसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों पर विजय का स्मरण कराने वाले भित्ति चित्र दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना में भली-भांति परिरक्षित हैं।

एनआईए को सौंपे गए मामले

3946. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ मामलों को जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अंतर्राज्यीय आतंकवाद सहित जांच के लिए एनआईए को सौंपे गए ऐसे मामलों की नक्सल प्रभावित राज्यों सहित कुल राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी जांचों में क्या प्रगति हुई है तथा अब तक एनआईए द्वारा क्या प्रमुख उपलब्धियां हासिल की गयी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान अंतर्राज्यीय आतंकवाद सहित जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे गए मामलों का नक्सल प्रभावित राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 25 मामलों में आरोप-पत्र दायर किया है। इन 25 मामलों में से 23 मामलों पर विचारण न्यायालय में किया जा रहा है। 02 अभियुक्त, दो मामलों में दोषसिद्ध पाए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	मामला संख्या	विषय	स्थिति
1	2	3	4
1.	01/2009/एनआईए/डीएलआई	एनसी हिल्स, असम का डीएचडी (जे) मामला	14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और एक अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी विशेष न्यायालय गोवाहाटी में मामला विचारणाधीन है।
2.	02/2009/एनआईए/डीएलआई	एनसी हिल्स, असम का डीएचडी (जे) मामला	16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। मामले पर विचारण लंबित है।
3.	03/2009/एनआईए/डीएलआई	मुंबई में जाली भारतीय करेंसी नोट की जब्ती	07 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 07 अभियुक्तों के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। विशेष न्यायालय मुंबई में मामला विचारणाधीन है।
4.	04/2009/एनआईए/डीएलआई	डेविड कोलमैन हेडली मामला	09 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। अभियुक्त की फांसी के लिए एमएलएटी का अनुरोध लंबित है।
5.	05/2009/एनआईए/डीएलआई	मोफोसिल बस स्टैंड, कोजीकोड, केरल में बम विस्फोट	08 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और विचारण न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी और दोषसिद्ध पाया है। (मामला 05/2009 और 06/2009 को एक साथ जोड़ दिया गया है।)
6.	06/2009/एनआईए/डीएलआई	केएसआरटीसी बस स्टैंड कोजीकोड, केरल में बम विस्फोट	08 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और विचारण न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी और दोषसिद्ध पाया है। (मामला 05/2009 और 06/2009 को एक साथ जोड़ दिया गया है।)
7.	07/2009/एनआईए/डीएलआई	मारगांव, साउथ गोवा में विस्फोट	04 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 03 अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय, गोवा में विचारण चल रहा है।
8.	08/2009/एनआईए/डीएलआई	सनकोल, गोवा में जीवित आईईडी का पकड़ा जाना	04 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 03 अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय, गोवा में विचारण चल रहा है।

1	2	3	4
9.	01/2010/एनआईए/डीएलआई	एनएससीएन-आईएम के क्रियाकलाप	04 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। मामला विचाराधीन है।
10.	02/2010/एनआईए/डीएलआई	एलईटी के क्रियाकलाप	24 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। विचारण चल रहा है।
11.	03/2010	सिमी के क्रियाकलाप	17 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। मामला विचाराधीन है।
12.	04/2010	वाघामौन, केरल में सिमी प्रशिक्षण शिविर	30 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। मामला विचाराधीन है।
13.	05/2010/एनआईए/डीएलआई	कालामिशारी में बस जलाने का मामला, केरल	13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। मामला विचाराधीन है।
14.	06/2010	केवाईकेआई के क्रियाकलाप	07 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 04 अभियुक्तों के खिलाफ आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गए हैं। मामला विचाराधीन है।
15.	07/2010/एनआईए/डीएलआई	मौदासा बम विस्फोट	मामले की जांच की जा रही है।
16.	08/2010	हैदराबाद में एलईटी संचालक	02 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। मामला विचाराधीन है।
17.	09/2010/एनआईए/डीएलआई	समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामला	03 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 02 अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। विशेष न्यायालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी पंचकुला में मामला विचाराधीन है।
18.	10/2010/एनआईए/डीएलआई	यूएनएलएफ के क्रियाकलाप	19 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 06 अभियुक्तों के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। मामला विचाराधीन है।
19.	11/2010	इंडियन मुजाहिदीन मामला	मामले की जांच की जा रही है।
20.	01/2011/एनआईए/डीएलआई	पीएफआई, केरल द्वारा प्रोफेसर जोसफ पर हमला	मामले की जांच की जा रही है।
21.	02/2011	मक्का मस्जिद विस्फोट मामला	सीबीआई द्वारा 2 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। 01 अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप

1	2	3	4
			पत्र भी दायर किया गया है और 02 अभियुक्तों के खिलाफ दूसरा अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। मामला विचारणाधीन है।
22.	03/2011/एनआईए/डीएलआई	मालेगांव विस्फोट मामला (2006)	जांच की जा रही है।
23.	04/2011	दरगाह शरीफ, अजमेर में बम विस्फोट	राजस्थान एटीएस द्वारा 03 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 02 अभियुक्तों के विरूद्ध आगें अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किए गए हैं और 08 अभियुक्तों के खिलाफ दूसरा अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जयपुर में मामले पर विचार किया जा रहा है।
24.	05/2011/एनआईए/डीएलआई	मालेगांव-II बम विस्फोट मामला	एटीएस, मुंबई द्वारा 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। 01 अभियुक्त के विरूद्ध अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
25.	06/2011/एनआईए/डीएलआई	हवाला लेन-देन	04 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 01 अभियुक्त के विरूद्ध अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। आगे की जांच चल रही है।
26.	07/2011/एनआईए/डीएलआई	जाली भारतीय करेंसी नोट की जब्ती	04 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 01 अभियुक्त के विरूद्ध अनुपूरक आरोप पर भी दायर किया गया है। मामले पर विचारण प्रारंभ हो गया है।
27.	08/2011/एनआईए/डीएलआई	सुशील जोशी हत्या मामला	05 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है।
28.	09/2011/एनआईए/डीएलआई	दिनांक 07.09.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट संख्या 4 और 5 के बीच स्वागत काउंटर के निकट बम विस्फोट	06 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं और 01 अभियुक्त के विरूद्ध अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। मामले पर विचारण लंबित है।
29.	10/2011/एनआईए/डीएलआई	दिनांक 25.05.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट संख्या के गेट 7 पर पार्किंग क्षेत्र की चारदीवारी के निकट फुटपाथ पर विस्फोट	मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3	4
30.	11/2011/एनआईए/डीएलआई	जम्मू और कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण	मामले की जांच की जा रही है।
31.	12/2011/एनआईए/डीएलआई	नई दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में आतंकी वित्त पोषण	मामले की जांच की जा रही है।
32.	01/2011/एनआईए/जीयूडब्ल्यू	पीआईए आतंकवादी क्रियाकलाप	03 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं और 03 अभियुक्त के विरूद्ध अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। मामले पर विचारण लंबित है।
33.	02/2011/एनआईए/जीयूडब्ल्यू	फूंगयार के विधायक पर घात लगाकर हमला	मामले की जांच की जा रही है।
34.	03/2011/एनआईए/जीयूडब्ल्यू	कांगलीपाक कम्युनिटी पार्टी के क्रियाकलाप	मामले की जांच की जा रही है।
35.	01/2011/एनआईए/एचवाईडी	केरल में जाली भारतीय करेंसी नोटों से संबंधित मामला	मामले की जांच की जा रही है।
36.	01/2012/एनआईए/डीएलआई	सीपीआई (माओवादी) के क्रियाकलाप	05 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है।
37.	02/2012/एनआईए/डीएलआई	ओडिशा में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी की मृत्यु	मामले की जांच की जा रही है।
38.	03/2012/एनआईए/डीएलआई	माओवादियों से संचार सेटों और युद्ध जैसे भंडारों की बरामदगी।	मामले की जांच की जा रही है।
39.	04/2012/एनआईए/डीएलआई	लश्कर-तैयबा के क्रियाकलाप	मामले की जांच की जा रही है।
40.	05/2012/एनआईए/डीएलआई	बब्बर खालसा इंटरनेशनल के क्रियाकलाप	मामले की जांच की जा रही है।
41.	06/2012/एनआईए/डीएलआई	इंडियन मुजाहिद्दीन के क्रियाकलाप	मामले की जांच की जा रही है।
42.	07/2012/एनआईए/डीएलआई	पाकिस्तान-भारत सीमा पर भारत में जाली भारतीय करेंसी नोट, स्वापक पदार्थ और अवैध हथियारों/गोलाबारूद की सीमापारीय तस्करी	मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3	4
43.	01/2012/एनआईए-एचवाईडी	मालदा (पश्चिम बंगाल) में जाली भारतीय करेंसी नोटों से संबंधी मामला	13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 05 अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है।
44.	02/2012/एनआईए-एचवाईडी	कोजीकोड हवाई अड्डा, केरल में जाली भारतीय करेंसी नोटों की जब्ती	मामले की जांच की जा रही है।
45.	03/2012/एनआईए-एचवाईडी	नेदुमबासरी हवाई अड्डा, केरल में जाली भारतीय करेंसी नोटों की जब्ती	मामले की जांच की जा रही है।
46.	04/2012/एनआईए-एचवाईडी	बंगलूरू में एलईटीके क्रियाकलाप	मामले की जांच की जा रही है।
47.	01/2012/एनआईए/जीयूडब्ल्यू	उखरूल, मणिपुर में मणिपुरी दम्पति की हत्या	मामले की जांच की जा रही है।
48.	02/2012/एनआईए/जीयूडब्ल्यू	पीआरईपीएके-यूपीपी के अन्य उग्रवादी गुटों से सांठगांठ से संबंधित गतिविधियां	मामले की जांच की जा रही है।
49.	03/2012/एनआईए/जीयूडब्ल्यू	पीएलए/आरपीएफ के कैडरों द्वारा स्थापना दिवस मनाए जाने के बारे में	मामले की जांच की जा रही है।
50.	04/2012/एनआईए/जीयूडब्ल्यू	पीआरईपीएके-यूपीपी के अन्य उग्रवादी गुटों से सांठगांठ से संबंधित गतिविधियां	मामले की जांच की जा रही है।

अवैध निर्माण

3947. श्री अंजन कुमार एम. यादव :
श्री रतन सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ-गांठ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अवैध निर्माण किए जाने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या परिणाम निकले एवं उक्त अवधि के दौरान अभियुक्तों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अवैध निर्माण की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों, संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा की गई नियमित विभागीय कार्रवाई की संख्या निम्नवत है:—

वर्ष	प्राप्त शिकायतें	पंजीकृत अधिकारी/ कर्मचारी	पंजीकृत नियमित विभागीय कार्रवाई
2009	2753	148	40
2010	2520	152	63
2011	5383	72	25
11.12.12 तक	7983	33	11

(ङ) जब भी किसी अनधिकृत निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है, तो दिल्ली नगर महापालिका अधिनियम (डीएमसी), 1957 के अनुसार अवैध/अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। हाल में, दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में अनधिकृत/अवैध निर्माण कार्यों का पता लगाने और नियंत्रित करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया है। इस संबंध में कई एक कदम उठाए गए हैं, जिनमें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष एवं विध्वंसक दस्ते आदि के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण जैसे कदम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माणों और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई को मानिटर करने हेतु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक नोडल संचालन समिति गठित की गयी है।

[अनुवाद]

कोयला गैसीकरण परियोजना

3948. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से ऐसा प्रस्ताव मिला है जिसमें गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि. को ओएनजीसी के साथ अपने भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए राजपर्दी ब्लॉक के दक्षिणी भाग के आवंटन संबंधी अनुरोध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक अनुमोदित/स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के साथ भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए गुजरात में साउथ ऑफ राजपरदी ब्लॉक के आबंटन के लिए मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि. (जीआईपीसीएल) से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 में यथा निर्धारित नियम और शर्तों पर प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोह की अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने की व्यवस्था है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:—

- जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसे अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग हेतु आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता हो;
- जहां किसी कंपनी अथवा निगम, जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) अवार्ड की गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता हो।

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012 के प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी" को 02 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के आरंभ होने संबंधी अधिसूचना को भी खान मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिया गया है। कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक संशोधित अधिनियम और उपर उल्लिखित नियमावली के अंतर्गत ही आबंटित किए जा सकते हैं।

पुलिस द्वारा लाठीचार्ज

3949. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज या गोलीबारी के कारण प्रदर्शनों/आंदोलनों में भाग ले रहे लोगों की मौत होने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पुलिस गोलीबारी/लाठीचार्ज में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" राज्य का विषय है। राज्य में आंदोलनकारियों इत्यादि को नियंत्रित करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कभी-कभी पुलिस, अनियंत्रित भीड़/आंदोलनकारियों पर लाठी-चार्ज/गोलीबारी करने के लिए बाध्य हो जाती है जिसमें कुछ व्यक्तियों को चोटें आ जाती हैं/कुछ की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2009-2011 के दौरान पुलिस द्वारा गोलाबारी की घटनाओं, उनमें मारे गए नागरिकों (सीके) और घायल हुए नागरिकों (सी आई) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

यह मुख्यतया राज्य सरकार का मामला है जो विभिन्न पुलिस सुधार उपायों का कार्यान्वयन करती है। भारत सरकार लोगों की अपेक्षा के अनुरूप पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से हमेशा अनुरोध करती रही है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के आदेश के तहत जन-आंदोलनों में असंहारक उपायों द्वारा निपटने के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सिफारिश करने के लिए आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया था। कार्यबल ने एसओपी को अंतिम रूप दे दिया है और इन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों को परिचालित किया गया है। इस एसओपी का उद्देश्य यथासंभव न्यूनतम सम्पार्श्विक क्षति और यथासंभव न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए विधिविरुद्ध जन-सभाओं को तितर-बितर करने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रावधान करना है।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान दंगा नियंत्रित करते समय पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाओं, पुलिस गोलीबारी में मारे गए नागरिकों (सीके) और घायल हुए नागरिकों (सीआई) का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009			2010			2011		
		पीएफ	सीके	सीआई	पीएफ	सीके	सीआई	पीएफ	सीके	सीआई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4	0	0	2	0	0	6	3	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.	असम	12	0	0	0	0	0	29	5	13
4.	बिहार	1	1	3	0	0	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	60	0	60	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	5	2	4	25	0	0	4	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हरियाणा	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	69	3	66	637	89	477	66	0	12
11.	झारखंड	0	0	0	1	0	2	1	0	2
12.	कर्नाटक	2	0	0	1	1	4	1	0	0
13.	केरल	5	5	21	0	0	0	1	0	3
14.	मध्य प्रदेश	3	1	1	2	0	0	1	0	0
15.	महाराष्ट्र	23	1	52	7	2	2	11	7	21
16.	मणिपुर	1	0	0	2	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1	2	0	1	1	2	12	0	0
21.	पंजाब	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	3	1	1	4	3	12	1	10	38
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	0	0	5	0	1	5	6	40
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	8	0	4	5	0	52	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	96	3	24	27	1	32	4	2	2
	कुल राज्य	296	20	236	720	97	585	143	34	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	15	0	0	30	0	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	1	0	8	2	1	130
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	0	0	1	0	0	4	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	1	0	15	2	0	38	6	1	131
	कुल अखिल भारत	297	20	251	722	97	623	149	35	287

[हिन्दी]

कोयले पर रॉयल्टी

3950. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर रॉयल्टी में संशोधन के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा उठायी गयी मुख्य आपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस मामले को निपटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) अधिकांश कोयला उत्पादन राज्यों ने यथामूल्य आधार के 20% की दर से रॉयल्टी के निर्धारण हेतु अनुरोध किया था। कोयला तथा लिग्नाइट की रॉयल्टी दरों के संशोधन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल ने राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकधारकों के साथ परामर्श करने के बाद यथामूल्य व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और कोयला एवं लिग्नाइट पर क्रमश: यथामूल्य 14% तथा 6% की दर से संशोधित रॉयल्टी की दरें 10.05.2012 से प्रभावी हैं।

[अनुवाद]

परियोजनाओं का पूरा किया जाना

3951. श्री एम. आनंदन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के तहत अनेक परियोजनाओं को जैसे उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और उसका कम्प्यूटर नेटवर्क तैयार करना, अभी तक पूरा नहीं किया गया है जबकि ये परियोजनाएं दसवीं योजना अवधि में शुरू हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, हां। 'देश में उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण एवं उपभोक्ता नेटवर्किंग (कान्फोनेट)' परियोजना दसवीं योजना अवधि (2004-05) के बिल्कुल अंत में प्रारंभ की गई थी। यह ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रही और बारहवीं योजना अवधि के दौरान भी चल रही है क्योंकि देश भर में फैले उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग का कार्य समय साध्य कार्य है और चालू प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उन्नयन और साथ ही प्रचालन स्टॉफ की भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य शामिल है। इस परियोजना के बारहवीं योजना अवधि के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता संग्राम पर अधिसूचना

3952. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों और उस संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों, जिनमें वे क्रांतिकारी और सैनिक भी शामिल हैं, जिन्होंने उक्त संग्राम में अपनी बली दी, के बारे में अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ और मेरठ के उन क्रांतिकारियों तथा सैनिकों को भी अधिसूचित किया है जिन्होंने उक्त संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपना जीवन कुर्बान कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों तथा उपरोक्त संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के लिए गठित 'राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति' ने वर्ष 1857-1947 की अवधि के लिए "शहीदों का शब्दकोश, भारत का स्वतंत्रता संग्राम" की तैयारी के लिए एक परियोजना अनुमोदित की थी। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन) को सौंप दी गई है।

(ग) और (घ) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशु और पक्षियों की बीमारी का फैलना

3953. **श्री मनोहर तिरकी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में पशुओं/पक्षियों की बीमारी फैलने की कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई;

(घ) क्या आवंटित राशि पूरी तरह व्यय की जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) विभाग को विगत तीन वर्षों के दौरान देश के किसी हिस्से में पशु और पक्षी रोगों के फैलने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पशु और पक्षी रोगों की छिटपुट/स्थानीय प्रकोपों की सूचना मिली है जिसे संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। कुक्कुट के मामले में एवियन इंफ्लूएंजा/बर्ड फ्लू के कुछ छिटपुट/स्थानीय प्रकोपों की सूचना मिली थी। तथापि, संबंधित राज्यों के द्वारा एवियन इंफ्लूएंजा संबंधी कार्य योजना के अनुसार समय रहते नियंत्रण और रोकथाम उपाय किए गए और स्रोत स्थल पर ही प्रकोपों पर नियंत्रण और रोकथाम कर लिया गया। देश में कुक्कुट में बर्ड फ्लू प्रकोपों की सूचना की सूची संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) उपयोग की गई निधि/व्यय के साथ-साथ विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में 2009 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान पशुधन रोगों की प्रजाति-वार घटना

क्र.सं.	रोग	प्रजाति	प्रकोप	आक्रमण	मृत्यु
1	2	3	4	5	6
1.	खुरपका मुंहपका रोग	बोवाईन	823	23937	340
		भैंस	0	469	1
		ओवाईन/केप्राईन	49	1720	86
		स्वाईन	30	401	46
		कुल	902	26527	473
2.	हिमरोजेसिक सेप्टीसिमिया	बोवाईन	148	2518	1081
		भैंस	20	183	80
		ओवाईन/केप्राईन	124	671	280
		स्वाईन	4	357	154
		कुल	296	3729	1595
3.	ब्लैक क्वार्टर	बोवाईन	320	1100	480
		ओवाईन/केप्राईन	0	0	0
		भैंस	2	9	1
		कुल	322	1109	481
4.	एंथ्रेक्स	बोवाईन	46	208	180
		ओवाईन/केप्राईन	12	1350	229
		भैंस	1	1	1
		स्वाईन	1	68	68
		कुल	60	1627	478

1	2	3	4	5	6
5.	फैसियोलिएसिस	बोवाईन	105	345108	27
		ओवाईन/केप्राईन	5	144	34
		कैनाईन	0	5	0
		स्वाईन	5	86	6
		भैंस	0	5	0
		कुल	115	345348	67
6.	इंट्रोटाक्सिमिया	ओवाईन/केप्राईन	150	1556	533
		बोवाईन	3	611	0
		कुल	153	2167	533
7.	सीप एंड गोट पाक्स	ओवाईन/केप्राईन	105	2006	592
8.	बोफएलो पाक्स	भैंस	2	50	0
9.	ब्लू टंग	ओवाईन/केप्राईन	73	2999	688
10.	सीसीपीपी	ओवाईन/केप्राईन	0	0	0
11.	इंफिस्टोमिएसिस	बोवाईन	149	8266	18
		ओवाईन/केप्राईन	1	12	2
		एविइंन	0	1219	0
		कुल	150	9497	20
12.	सिस्टोमिएसिस	बोवाईन	1	87	0
13.	स्वाईन फीवर	स्वाइंन	136	5267	1646
14.	सलमोनेलोसिसे	एविइंन	40	115637	6453
		बोवाइंन	22	5251	650
		स्वाइंन	5	35	26
		कुल	67	120923	7129

1	2	3	4	5	6
15.	कोस्सिडियोसिस	बोवाईन	27	2579	25
		ओवाईन/केप्राईन	1	1215	5
		एविइन	348	106549	14778
		स्वाइन	7	135	0
		भैंस	0	138	0
		कैननिन	0	1	0
		कुल	383	110617	14808
16.	रानीखेत (न्यू कासल) रोग	एविइन	412	185114	16273
17.	फाउल पाक्स	एविइन	122	16702	1816
18.	फाउल कालरा	एविइन	26	2158	1789
19.	मरेक्स रोग	एविइन	1	300	1
20.	आइबीडी	एविइन	127	33458	7594
21.	डक प्लेग	एविइन	13	35982	110
22.	ग्लैंडर्स	बोवाइन	4	4	4
23.	क्रानिक रस्पीरेटरी रोग	एविइन	224	76900	38881
24.	केनाईन डिस्टेंपर	कैनाईन	188	3494	355
25.	रेबीज	बोवाइन	44	233	233
		कैनाईन	52	69	69
		भैंस	0	21	21
		ओवाईन/केप्राईन	1	1	1
		कुल	97	324	324
26.	बेबीसीयोसिस	बोवाइन	127	2604	28
		भैंस	0	7	0

1	2	3	4	5	6
		ओवाईन/केप्राईन	1	78	0
		इक्यूइन	1	4	0
		कैनाईन	1	1	0
		कुल	130	2694	28
27.	मेस्टिसिस	बोवाइन	116	24366	0
		भैंस	0	17	0
		ओवाईन/केप्राईन	0	1945	0
		स्वाइन	1	5	0
		कुल	117	26333	0
28.	ट्राईपनेस्मेसिया	बोवाइन	87	251	43
		गधा	2	2	0
		ऊंट	11	30	10
		कुल	90	283	53
29.	मेंजे	बोवाइन	54	1774	0
		ओवाईन/केप्राईन	0	67	0
		स्वाइन	268	6044	10
		कैंनाईन	136	1353	2
		एविइन	0	0	0
		कुल	458	9238	12
30.	पेस्ट डेस पिटिसिस रूमिनेंट्स	ओवाईन/केप्राईन	184	9271	2577
31.	एनास्प्लेस्मोसिस	बोवाइन	16	1905	0
		भैंस	0	2	0

1	2	3	4	5	6
		ओवाईन/केप्राईन	0	4	0
		कुल	16	1911	0
32.	ब्रूसेलोसिस	बोवाइन	2	27	0
		ओवाईन/केप्राईन	1	52	0
		भैंस	1	15	0
		कुल	4	94	0
33.	कोरायजा	एवियन	2	3150	6
34.	एवियन इंफ्लूएंजा	एवियन	10	1065	854
35.	एक्वाईन इंफ्लूएंजा	एक्वाईन	17	250	5

भारत में 2010 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान पशुधन रोगों की प्रजाति-वार घटना

क्र.सं.	रोग	प्रजाति	प्रकोप	आक्रमण	मृत्यु
1	2	3	4	5	6
1.	मुंहपका खुरपका रोग	बोवाइन	385	18827	305
		भैंस	5	888	55
		ओवाईन/केप्राईन	19	219	1
		स्वाइन	12	38	0
		कैनाईन	1	10	0
		कुल	422	19982	361
2.	हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया	बोवाइन	176	4311	448
		ओवाईन/केप्राईन	32	3667	1065
		भैंस	168	998	459
		स्वाइन	4	194	178
		कुल	380	9170	2150

1	2	3	4	5	6
3.	ब्लैक टंग	बोवाइन	342	4566	460
		भैंस	27	141	54
		कुल	369	4707	514
4.	एंथ्रेक्स	बोवाइन	60	501	193
		ओवाईन/केप्राईन	24	154	142
		भैंस	0	3	3
		कुल	84	658	338
5.	फेसियोलिएसिस	बोवाइन	130	316363	74
		ओवाईन/केप्राईन	4	101	0
		कैनाईन	2	23	0
		भैंस	29	889	22
		कुल	165	317376	96
6.	इंट्रोटोक्सिमिया	ओवाईन/केप्राईन	132	1463	566
		बोवाइन	6	146	30
		कुल	138	1609	596
7.	शीप एंड गोट पाक्स	ओवाईन/केप्राईन	241	4009	973
8.	ब्लू टंग	ओवाईन/केप्राईन	41	1501	78
9.	सीसीपीपी	ओवाईन/केप्राईन	21	1161	286
10.	एंफिस्टोमेसिस	बोवाइन	186	11758	59
11.	स्वाइन फीवर	स्वाईन	418	17002	2932
12.	सल्मोनेलोसिस	एवियन	56	156064	10002
		बोवाइन	2	9	0

1	2	3	4	5	6
		स्वाइन	2	51	0
		कैनाईन	1	10	0
		कुल	61	156134	10002
13.	कोस्सिडिओसिस	बोवाइन	93	4008	58
		ओवाईन/केप्राईन	1	15	4
		एवियन	448	136855	24744
		स्वाइन	5	97	0
		भैंस	1	6	व
		कुल	548	140981	24806
14.	रानीखेत (न्यू कासल) रोग	एवियन	497	183382	31059
15.	फाउल पाक्स	एवियन	141	21046	2201
16.	फाउल कालरा	एवियन	28	2316	2097
17.	मार्क्स रोग	एवियन	1	4	4
18.	आईडीबी	एवियन	169	61781	15750
19.	डक प्लेग	एवियन	36	363	118
20.	क्रानिक रेस्पीरेटरी रोग	एवियन	291	130174	66469
21.	केनाईन डिस्टेम्पर	कैनाईन	70	2687	172
22.	रेबीज	बोवाइन	27	144	144
		कैनाईन	40	226	2261
		भैंस	3	15	15
		एवियन	1	1	1
		ओवाईन/केप्राईन	0	4	4
		कुल	71	390	390

1	2	3	4	5	6
23.	बेबेसियोसिस	बोवाइन	107	2481	30
		भैंस	17	163	0
		ओवाईन/केप्राईन	2	2	0
		एक्याइन	1	2	0
		कैनाईन	1	1	0
		कुल	128	2649	30
24.	मेस्टिसिस	बोवाइन	135	5789	0
		ओवाईन/केप्राईन	4	117	0
		कैनाईन	1	7	0
		कुल	140	5913	0
25.	ट्राइप्निस्मिएसिस	बोवाइन	100	734	18
		एक्याइन	0	124	10
		भैंस	41	889	10
		कुल	141	1747	38
26.	मेंज	बोवाइन	36	644	0
		ओवाईन/केप्राईन	44	335	2
		स्वाइन	36	6511	0
		कैनाईन	26	1633	0
		एक्याइन	1	92	0
		कुल	143	9215	2
27.	पेस्ट डेस पेटेसिस रूमिनेंट्स	ओवाईन/केप्राईन	300	10188	2041
28.	एनाप्लेस्मोसिस	बोवाइन	29	1213	0
		कुल	29	1213	0

1	2	3	4	5	6
29.	ब्रूसेलोसिस	बोवाइन	5	7	0
		ओवाईन/केप्राईन	4	80	0
		भैंस	1	1	0
		कुल	10	88	0
30.	कोराईजा	एवियन	11	58270	80
31.	एवियन इंफ्लूएंजा	एवियन	5	1866	1866
32.	ग्लैंडर्स	एक्याइन	2	11	11
		कुल	13589	3042292	370420

भारत में 2011 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान पशुधन रोगों की प्रजाति-वार घटना

क्र.सं.	रोग	प्रजाति	प्रकोप	आक्रमण	मृत्यु
1	2	3	4	5	6
1.	मुंहपका खुरपका रोग	बोवाइन	653	10959	207
		भैंस	8	1358	11
		ओवाईन/केप्राईन	31	485	0
		स्वाइन	9	45,	0
		कुल	701	12847	218
2.	हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया	बोवाइन	172	1807	466
		ओवाईन/केप्राईन	14	265	100
		भैंस	129	846	246
		कुल	315	2918	812
3.	ब्लैक क्वार्टर	बोवाइन	412	2605	875
		ओवाईन/कोप्राईन	4	25	1

1	2	3	4	5	6
		भैंस	1	46	24
		कुल	417	2676	900
4.	एंथ्रक्स	बोवाइन	33	165	165
		ओवाईन/केप्राईन	15	197	158
		कुल	48	362	323
5.	फेसियोलिएसिस	बोवाइन	195	509195	31
		ओवाईन/केप्राईन	5	51	7
		कैनाईन	2	10	0
		स्वाइन	0	1	0
		भैंस	32	1755	10
		एक्वाइन	0	4	0
		कुल	234	511016	48
6.	इंट्रोटोक्सीमिया	ओवाईन/केप्राईन	67	866	242
		बोवाइन	4	250	0
		कुल	71	1116	242
7.	शीप और गोट पाक्स	ओवाईन/केप्राईन	197	3861	698
8.	बफेलो पाक्स	भैंस	2	24	3
9.	काउ पाक्स	भैंस	1	1	0
10.	ब्लू टंग	ओवाईन/केप्राईन	38	2212	136
11.	सीसीपीपी	ओवाईन/केप्राईन	1	22	5
12.	एंफिस्टोमिएसिस	बोवाइन	132	14996	29
13.	सिस्टोसोमिएसिस	बोवाइन	2	2	0

1	2	3	4	5	6
14.	स्वाइन फीवर	स्वाइन	284	4018	1371
15.	साल्मेनोलोसिस	एवियन	123	113451	4439
		बोवाइन	1	3002	207
		कुल	124	116453	4646
16.	कौस्सिडियोसिस	बोवाइन	81	15194	739
		ओवाईन/केप्राईन	7	18	0
		एवियन	635	168693	25262
		स्वाइन	14	70	0
		भैंस	0	3	0
		कैनाईन	1	1	0
		कुल	738	183979	26001
17.	रानीखेत (न्यू कासल) योग	एवियन	886	240438	24016
18.	फाउल पाक्स	एवियन	235	19122	1682
19.	फाउल कालरा	एवियन	143	7999	2276
20.	मार्क्स रोग	एवियन	1	100	50
21.	आईबीडी	एवियन	338	86381	24199
22.	डक प्लेग	एवियन	87	2232	497
23.	क्रानिक रेस्पीरेटरी रोग	एवियन	291	133808	59642
24.	केनाईन डिस्टेंपर	एवियन	100	1509	123
25.	रेबीज	बोवाइन	56	168	168
		भैंस	23	163	163
		ओवाईन/केप्राईन	9	75	75

1	2	3	4	5	6
		ओवाईन/केप्राईन	3	8	8
		एवियन	1	3	3
		कुल	92	417	417
26.	बेबेसियोसिस	बोवाइन	120	3177	22
		भैंस	6	282	3
		एक्वाइन	2	6	0
		कैनाईन	3	13	0
		कुल	131	3478	25
27.	मेस्टिटीस	बोवाइन	186	9072	2
		ओवाईन/केप्राईन	1	17	0
		कुल	187	9089	2
28.	ट्रायप्नीस्मिएसिस	बोवाइन	84	1334	16
		कैनाईन	1	1	0
		एक्वाइन	1	171	7
		भैंस	91	1922	23
		कुल	177	3428	46
29.	मैंजे	बोवाइन	43	541	0
		ओवाईन/केप्राईन	40	1739	0
		स्वाइन	14	321	0
		कैनाईन	7	246	0
		कुल	104	2847	0
30.	पेस्ट डे पिटिसिस रूमिनेंट	ओवाईन/केप्राईन	197	6976	1707
31.	एनाप्लास्मोसिस	बोवाइन	27	90	9

1	2	3	4	5	6
32.	ब्रूसेलोसिस	बोवाइन	1	1	0
		भैंस	1	16	0
		कुल	2	17	0
33.	कोरीजा	एवियन	8	37505	37
34.	एवियन इंफ्लूएंजा	एवियन	4	6299	4863
		फाऊ	1	1143	1143
		कुल	5	7442	6006
35.	ग्लैंडर्स	एक्वाइन	3	3	2

भारत में (जनवरी-फरवरी) 2012 के दौरान पशुधन रोग की प्रजाति-वार घटना

क्र.सं.	रोग	प्रजाति	प्रकोप	आक्रमण	मृत्यु	
1	2	3	4	5	6	5
1.	मुहपका खुरपका रोग	बोवाइन	536	12132	502	1704009
		भैंस	4	4620	200	2226186
		ओवाइन/कैप्राइन	6	1299	131	44561
		स्वाइन	11	192	12	0
		कुल	557	18243	845	3974756
2.	हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया	बोवाइन	97	685	155	378807
		भैंस	4	137	31	158399
		ओवाइन/कैप्राइन	27	1232	183	388571
		स्वाइन				
		कुल	128	2054	369	925777

1	2	3	4	5	6	5
3.	ब्लैक क्वार्टर	बोवाइन	154	1089	421	179372
		भैंस	0	21	6	8798
		कुल	154	1110	427	188170
4.	एंथ्रेक्स	बोवाइन	8	28	28	26579
		ओवाइन/कैप्राइन	3	9	9	60751
		कुल	11	37	37	87330
5.	फैसियोलिएसिस	बोवाइन	90	330482	18	0
		ओवाइन/कैप्राइन	1	97	0	0
		कैनाइन	4	23	3	0
		भैंस	3	562	0	0
		एक्वाइन	0	1	0	0
		कुल	98	331165	21	0
6.	इंटरोटोक्सिमिया	ओवाइन/कैप्राइन	11	244	67	910
		बोवाइन	4	92	5	4920
		कुल	15	336	72	5830
7.	शीप एंड गोट पाक्स	ओवाइन/कैप्राइन	88	693	174	12070
8.	ब्लू टंग	ओवाइन/कैप्राइन	4	139	57	0
9.	एंपीस्टोमिएसिस	बोवाइन	84	5897	12	0
		ओवाइन/कैप्राइन	0	21	0	0
		कुल	84	5918	12	0
10.	स्वाईन फीवर	स्वाइन	156	2582	1426	11619

1	2	3	4	5	6	5
11.	सल्मोनेलोसिस	एवियन	46	54303	2650	0
12.	कोक्सीडियोसिस	बोवाइन	10	77	0	0
		ओवाइन/कैप्राइन	10	114	5	0
		एवियन	261	76405	11716	0
		स्वाइन	2	18	0	0
		भैंस	0	6	0	0
		कुल	283	76620	11721	0
13.	रानीखेत (न्यू केसल) रोग	एवियन	386	130482	24435	83600
14.	फाउल पाक्स	एवियन	106	12094	570	500
15.	फाउल कालरा	एवियन	33	5879	699	0
16.	आईबीडी	एवियन	90	36897	4275	580
17.	डक प्लेग	एवियन	29	738	203	0
18.	क्रानिक रेस्पीरेटरी रोग	एवियन	184	130972	35882	0
19.	केनाईन डिस्टेंपर	कैनाइन	33	384	30	465
20.	रेबीज	बोवाइन	30	185	185	594
		कैनाइन	7	65	65	80
		भैंस	1	6	6	40
		ओवाइन/कैप्राइन	1	1	1	0
		कुल	39	257	257	714
21.	बाबेसियोसिस	बोवाइन	42	771	5	0
		भैंस	1	217	0	0
		कुल	43	988	5	0

1	2	3	4	5	6	5
22.	मेस्टिटिस	बोवाइन	71	4618	2	0
		ओवाइन/कैप्राइन	0	6	0	0
		कुल	71	4624	2	0
23.	ट्राइपेनिस्मिएसिस	बोवाइन	30	845	9	0
		भैंस	9	1284	1	0
		कुल	39	2129	10	0
24.	मेंजे	बोवाइन	6	95	0	0
		ओवाइन/कैप्राइन	33	868	2	0
		स्वाइन	1	30	0	0
		कैनाइन	3	173	0	0
		कुल	43	1166	2	0
25.	पेस्ट डे पिटेटिस रूमिनेंट	ओवाइन/कैप्राइन	77	5481	1243	89497
26.	एनाप्लेस्मोसिस	बोवाइन	12	27	4	0
27.	ब्रूसेलोसिस	बोवाइन	3	6	0	0
		भैंस	1	5	0	0
		कुल	4	11	0	0
28.	कोरीजा	एवियन	6	55000	29	0
29.	एवियन इंफ्लूएंजा	एवियन	5	17169	17169	0
		फाऊ	5	16	16	
		कुल	10	17185	17185	
30.	ग्लेंडर्स	एक्वाइन	1	6	5	0
31.	काउ पाक्स	बोवाइन	2	15	0	0

विवरण-II

भारत में कुक्कुट में एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप की संक्षिप्त स्थिति

क्र. सं.	अवधि	प्रभावित राज्य	केन्द्रों की संख्या	मारे गए पक्षियों की संख्या (लाख)	अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	दिसम्बर, 2008-मई, 2009	पश्चिम बंगाल (दूसरा प्रकोप)	11	2.01	36.00
2.	जनवरी, 2009	सिक्किम	1	0.04	3.00
3.	जनवरी, 2010	पश्चिम बंगाल (तीसरा प्रकोप)	12	1.56	68.80
4.	फरवरी-मार्च, 2011	ज्तपचनतं	2	0.21	2.40
5.	8 सितंबर, 2011	त्रिपुरा	1	0.15	6.52
6.	19 सितंबर, 2011	असम	2	0.49	19.29
7.	11 जनवरी, 2012	पश्चिम बंगाल	1	0.32	24.71
8.	13 जनवरी, 2012	मेघालय	1	0.07	7.89
9.	17 जनवरी, 2012	ओडिशा	1	0.11	5.87
10.	28 जनवरी, 2012	त्रिपुरा	1	0.06	1.20
11.	4 फरवरी, 2012	ओडिशा	1	0.38	2.86
12.	15 मार्च, 2012	त्रिपुरा	1	0.05	0.09
13.	28 अप्रैल, 2012	त्रिपुरा	1	0.02	0.72
14.	25 अक्तूबर, 2012	कर्नाटक	1	0.33	छपस'
		कुल	37	5.8	179.35

*यह कर्नाटक के केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (सीपीडीओ) में अद्यतन प्रकोपों की स्थिति हैं। चूंकि यह केन्द्र सरकार का फार्म है इसलिए कोई क्षतिपूर्ति मान्य नहीं है।

विवरण-III

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत आवंटित की गई निधि के आवंटन और उपयोग संबंधी विवरणी

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष – 2009-10		वर्ष – 2010-11		वर्ष – 2011-12	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1238.00	642.74	2867.60	430.98	27.00	151.96
2.	बिहार	348.55	272.59	936.00	400.00	1682.56	0.00
3.	छत्तीसगढ़	332.41	143.02	640.00	761.12	1110.58	591.00
4.	गोवा	31.00	6.33	29.98	734	6.14	0.44
5.	गुजरात	747.28	505.23	1030.80	314.37	447.50	672.07
6.	हरियाणा	35.00	219.95	793.94	243 16	442.38	423.25
7.	हिमाचल प्रदेश	124.18	72.78	517.38	518.72	526.22	156.73
8.	जम्मू और कश्मीर	425.00	25.20	175.00	75.23	649.64	0.00
9.	झारखंड	0.00	10.13	1404.45	0.00	111.50	745.47
10.	कर्नाटक	947.00	554.79	2385.00	1505.58	1401.20	698.69
11.	केरल	175.00	93.59	1262.28	921.87	1072.85	188.57
12.	मध्य प्रदेश	230.00	224.16	339.72	230 00	2379.75	1462.50
13.	महाराष्ट्र	1610.00	609.32	2384.07	2336 80	1470.70	556.02
14.	ओडिशा	1094.98	250.00	159.14	459.98	600.00	0.00
15.	पंजाब	310.00	279.23	897.18	238.66	894.47	101.56
16.	राजस्थान	294.00	29.60	166.00	25.14	1254.19	13.82
17.	तमिलनाडु	1100.00	718.44	1434.79	469.29	555.60	1192.05
18.	उत्तर प्रदेश	903.37	905.48	1968.05	1171.82	965.00	601.18

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	उत्तराखंड	125.23	119.87	345.06	107.00	108.00	269.90
20.	पश्चिम बंगाल	790.00	420.00	1918.01	587.00	695.00	680.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	111.85	75.00	478.19	382.00	378.77	144.62
22.	असम	0.00	10.00	891.00	1096.51	1736.04	0.00
23.	मणिपुर	175.00	5.00	14.00	150.00	593.63	0.00
24.	मेघालय	108.37	49.93	22.00	88.37	141.85	90.00
25.	मिजोरम	70.00	32.03	308.79	313.79	377.40	360.25
26.	नागालैंड	180.00	170.00	128.00	0.00	392.73	16.00
27.	सिक्किम	83.43	40.00	39.00	41.11	193.64	194.34
28.	त्रिपुरा	0.00	11.53	398.00	119.01	10.00	80.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.24
30.	पुदुचेरी	15.00	18.01	36.50	35.02	52.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.00	0.00	17.00	848	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	3.50	3.50	13.90	364	13.90	4.00
33.	दादरा और नगर हवेली	6.30	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00
34.	दमन और दीव	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	6.00	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
	कुल	11646.17	6517.45	24024.43	13041.99	20298.51	9395.66

गांवों का बन्दोबस्त

3954. श्री विष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोअल खाड़ी के गांवों का 1952 में बन्दोबस्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनप्रतिनिधियों ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में फेरारगंज तहसील में शोअल खाड़ी 15 से 19 में सड़कों की स्वीकृति हेतु पत्र लिखे थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) शोअल खाड़ी राजस्व गांव, इस गांव की शोअल खाड़ी 15 से शोअल खाड़ी 19 तक के भाग को छोड़कर, पूरे राजस्व गांव से होकर गुजरने वाली पक्की सड़क से पूर्णरुपेण जुड़ा है। इतने भाग में कच्ची सड़क है।

(ग) जी, हां।

(घ) सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से स्वीकृति मांगी गई है।

केबल नियमों में संशोधन

3955. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों/केबल ऑपरेटरों द्वारा सरकार को समय पर और सही सूचना देने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संशोधनों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संशोधन में उल्लंघन करने वालों को दंडित करने संबंधी शक्ति का किस हद तक प्रत्यायोजन किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या का.आ. 1521(अ) दिनांक 06 जुलाई, 2012 द्वारा नियम अर्थात् केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 बनाए हैं जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का संशोधन करते हैं, जिसमें एक नया नियम 10क अंत:स्थापित किया गया है जो प्रत्येक केबल ऑपरेटर और बहु-प्रणाली ऑपरेटर (एमएसओ) को समय से एवं यथातथ्य सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है। उक्त नियम निम्नलिखित रूप में है:–

"10क. सूचना प्रदान करने की बाध्यता"

(1) प्रत्येक बहुप्रणाली ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर यथास्थिति केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना ऐसी सरकार या अभिकरण या अधिकारी को यथाविहित अवधि और रूप में प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन मांगी गई सूचना प्रदान करने वाला बहु-प्रणाली ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता भी इस तरह प्रदान की गई सूचना की तथ्यता और विशुद्धता की अभिपुष्टि करेगा।

संशोधित नियम 10क के अंतर्गत सूचना प्रदान करने की बाध्यता को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 5क के अधीन केबल ऑपरेटर और नियम 11घ के अंतर्गत बहु-प्रणाली ऑपरेटर के पंजीकरण की निबंधन एवं शर्तों में से एक के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है। नए संशोधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को दंडित करने की शक्ति केन्द्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

3956. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) में शामिल किए गए हैं;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों ने उक्त मिशन में और जिले शामिल करने के लिए प्रस्ताव/अनुरोध भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) एनएचएम के अंतर्गत, 18 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में 380 जिलों को कवर किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 19 जिले शामिल है।

(ख) से (घ) जिलों का बंटवारा होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 नए जिलों, जो एनएचएम के अंतर्गत थे, को शामिल करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ के इन 8 जिलों को स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं

3957. श्री के.पी. धनपालन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट

3958. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिपोर्टर्ज विदाउट बोर्ड्ज द्वारा वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता पर संकलित कर रिपोर्ट के अनुसार गत वर्षों में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता संबंधी सूचकांक में भारत की रैंकिंग में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंशरशिप लगाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का देश में प्रेस/मीडिया की स्वतंत्रता बहाल करने हेतु ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) सरकार को 'रिपोर्टर्ज विदाउट बोड्र्ज' द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के परिणामों और इस संस्था द्वारा समेकित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2012 के संबंध में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी मिली है।

(ख) और (ग) सरकार ने वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता पर भारत की रैंकिंग के बारे में कोई राय बनाने के लिए रिपोर्ट का अध्ययन नहीं कराया है।

(घ) और (ङ) सरकार वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने की अपने नीति का अनुसरण करते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित विषय-वस्तु या ऑनलाइन विषय-वस्तु को सेंसर या विनियमित नहीं करती है। भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करने और प्रेस में स्व-विनियमन के सिद्धांतों का संचार करने के भी दोहरे उद्देश्यों से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई है। जहां तक निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों का संबंध है, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम में इन चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु के पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, सभी चैनलों को उक्त अधिनियम के अधीन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 द्वारा विनिर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग ने भी विषय-वस्तु के विनियमन हेतु एक स्व-विनियमन तंत्र गठित किया है। अपने स्व-विनियमन पहल के हिस्से के रूप में उद्योग ने सामान्य मनोरंजन चैनलों और समाचार चैनलों की शिकायतों संबंधी विषय-वस्तु पर विचार करने के लिए प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (अंतवर्ती दिशा-निर्देश) नियम, 2011 में प्रावधान है कि अंतवर्ती अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सम्यक तत्परता बरतेंगे। ये नियम स्व-विनियमन प्रकृति के हैं और भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप हैं।

सरकार वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

दुर्घटना संबंधी मामले

3959. श्री अशोक कुमार रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसों इत्यादि जैसे वाहनों को चलाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में अनुपालन नहीं किया जा रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में, वाहन-वार, अलग-अलग कितने लोग मारे गए/घायल हुए;

(घ) सरकार ने गलती करने वाले चालकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बसों सहित व्यावसायिक वाहनों के चलाने के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है और इन निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कानून के अनुसार यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की वाहन-वार पृथक-पृथक संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (30.11.2012 तक) के दौरान अभियुक्त ड्राइवरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	दुर्घटना के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2009	5073
2010	4672
2011	4926
2012 (30.11.2012 तक)	4197

(ङ) दिल्ली पुलिस भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का नियमित तौर पर प्रवर्तन करती है और जो लोग इन मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, उनको अभियोजित करती है।

विवरण

दोषी पाए गए वाहन (वर्ष 2009)

वाहन	घायल हुए	मारे गए
1	2	3
एम्बुलेन्स	2	1
बैलगाड़ी	0	1
ब्लू लाइन बस	272	124
डीटीसी बस	157	58
मिनी/आरटीवी बस	185	33
अन्य बस	94	31
अन्य राज्य की बस	46	19
स्कूल बस	17	7
काल सेंटर कैब	6	2
निजी कार	2107	236
क्रेन	27	18
साइकिल रिक्शा	0	3
डिलीवरी वैन	141	23
हैंड कार्ट	2	0
एचटीवी/माल	550	271
मिलिटरी वाहन	3	4
पुलिस वाहन	2	0
स्कूटर/एमसी	1026	184

1	2	3
स्टीम रोलर	4	1
टैंकर	49	24
टैक्सी	136	19
टेम्पो	543	177
ट्रैक्टर	64	37
ट्रेलर/कन्टेनर	51	28
टीएसआर	233	32
अज्ञात वाहन	1219	992
कुल	6936	2325

दोषी पाए गए वाहन (वर्ष 2010)

वाहन	घायल हुए	मारे गए
1	2	3
एम्बुलेन्स	1	0
बैलगाड़ी	1	0
ब्लू लाइन बस	175	81
डीटीसी बस	164	52
मिनी/आरटीवी बस	215	25
अन्य बस	122	47
अन्य राज्य की बस	57	18
स्कूल बस	2	4
काल सेंटर कैब	2	0
निजी कार	2195	343
क्रेन	19	15
डिलीवरी वैन	139	25
हैंड कार्ट	1	0
एचटीवी/माल	570	264
मिलिटरी वाहन	14	5
पुलिस वाहन	3	0
स्कूटर/एमसी	1041	154
स्टीम रोलर	0	2
टैंकर	35	23
टैक्सी	177	26
टेम्पो	596	158
ट्रैक्टर	91	44
ट्रेलर/कन्टेनर	60	33
टीएसआर	157	20
अज्ञात वाहन	1271	814
कुल	7108	2153

दोषी पाए गए वाहन (वर्ष 2011)

वाहन	घायल हुए	मारे गए
1	2	3
एम्बुलेन्स	7	0
ब्लू लाइन बस	49	18
डीटीसी बस	267	84
मिनी/आरटीवी बस	88	17

1	2	3
अन्य बस	93	32
अन्य राज्य की बस	42	26
स्कूल बस	11	6
काल सेंटर कैब	21	3
निजी कार	2296	312
क्रेन	13	6
साइकिल रिक्शा	1	1
डिलीवरी वैन	141	33
ग्रामीण सेवा	327	21
हैंड कार्ट	1	0
एचटीवी/माल	509	278
मिलिटरी वाहन	4	0
पुलिस वाहन	11	1
स्कूटर/एमसी	1053	148
टैंकर	40	21
टैक्सी	110	11
टेम्पो	461	129
ट्रैक्टर	57	33
ट्रेलर/कन्टेनर	23	13
टीएसआर	192	32
अज्ञात वाहन	1381	841
कुल	7198	2066

दोषी पाए गए वाहन (वर्ष 2012)
30.11.2012 तक

वाहन	घायल हुए	मारे गए
1	2	3
एम्बुलेन्स	5	0
बैलगाड़ी	1	0
ब्लू लाइन बस	4	0
डीटीसी बस	248	60
मिनी/आरटीवी बस	170	21
अन्य बस	101	31
अन्य राज्य की बस	22	14
स्कूल बस	10	4
काल सेंटर कैब	4	0
निजी कार	2012	252
क्लेस्टर बस	5	6
क्रेन	18	5
साइकिल रिक्शा	1	0
डिलीवरी वैन	132	26
ग्रामीण सेवा	233	21
एचटीवी/माल	546	223
मिलिटरी वाहन	4	3
पुलिस वाहन	2	0
स्कूटर/एमसी	908	167
स्टीम रोलर	1	0
टैंकर	20	20

1	2	3
टैक्सी	119	13
टेम्पो	435	124
ट्रैक्टर	49	25
ट्रेलर/कन्टेनर	20	15
टीएसआर	174	24
अज्ञात वाहन	1206	620
कुल	6450	1674

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

3960. **श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजस्थान सहित राज्य-वार विद्युत, लौह, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र को रक्षित उपयोग हेतु वर्तमान में आबंटित कोयला ब्लॉकों/खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का रक्षित कोयला खनन हेतु विद्युत, लौह, इस्पात और सीमेंट सेक्टरों को कुछ और कोयला ब्लॉक आबंटित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को कोयला ब्लॉक कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) देश में कैप्टिव उपयोग के लिए विद्युत, लोहा, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र को आबंटित कोयला ब्लॉकों/खान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 में यथा निर्धारित नियम और शर्तों पर प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्राइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोह की अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा देने की व्यवस्था है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:—

- जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसे अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग हेतु आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता हो;
- जहां किसी कंपनी अथवा निगम, जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) अवार्ड की गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता हो।

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी" को 02 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के आरंभ होने संबंधी अधिसूचना को भी संशोधित अधिनियम और उपर उल्लिखित नियमावली के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है। इसके आगे कोयला/लिग्राइट ब्लाक संशोधित अधिनियम और उपर उल्लिखित नियमावली के अंतर्गत ही आबंटित किए जा सकते हैं।

विवरण

आवंटित कोयला खानों का ब्यौरा

क्र. सं.	आवंटित ब्लॉक	कंपनी का नाम	आवंटन की तिथि	राज्य	निजी/ सरकारी/ यूएमपीपी	अन्त्य उपयोग	भू-गर्भीय भंडार (मि.ट. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सरिसाटोली	आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज/ सीईएससी लि.	10.08.1993	पश्चिम बंगाल	पी	विद्युत	140.47	उत्पादन किया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	तालाबारी-I	हिंडालको	25.02.1994	ओडिशा	पी	विद्युत	22.55	उत्पादन किया जा रहा है
3.	तारा (ईस्ट)	डब्ल्यूबीएसईबी	14.07.1995	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	84.47	उत्पादन किया जा रहा है
4.	तसरा	सेल	26.02.1996	झारखंड	जी	स्पांज आयरन	285	उत्पादन किया जा रहा है
5.	तारा (वेस्ट)	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	17.04.1996	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	125.71	उत्पादन किया जा रहा है
6.	गारे-पालमा-IV/1	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	20.06.1996	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	124	उत्पादन किया जा रहा है
7.	गोटीटोरिया (ईस्ट)	बीएलए इंडस्ट्रीज	21.06.1996	मध्य प्रदेश	पी	धारा 3(3)(ग)(i) लघु पृथक वितरण	4.19	उत्पादन किया जा रहा है
8.	गोटीटोरिया (वेस्ट)	बीएलए इंडस्ट्रीज	21.06.1996	मध्य प्रदेश	पी	धारा 3(3)(ग)(i) लघु पृथक वितरण	5.15	उत्पादन किया जा रहा है
9.	गारे-पालमा-IV/5	मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि.	21.06.1996	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	126	उत्पादन किया जा रहा है
10.	तकली-जेना बेल्लोरा (साउथ)	सेंट्रल कोलियरीज लि. रद्द	29.05.1998	महाराष्ट्र	पी	विद्युत	40	23.06.2003 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
	''	लियॉड मेटल्स एंड इंजीनियरिंग लि.	29.05.1998			स्पांज आयरन		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	उत्कल-सी	उत्कल कोल लि. (पूर्व में आईसीसीएल)	29.05.1998	ओडिशा	पी	विद्युत	208.77	गैर-उत्पादक
12.	गारे-पालमा-IV/2	जिन्दल पावर लि.	01.07.1998	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	123	उत्पादन किया जा रहा है
13.	गारे-पालमा-IV/3	जिन्दल पावर लि.	01.07.1998	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	123	उत्पादन किया जा रहा है
14.	गारे-पालमा-IV/4	जायसवाल नेको लि.	16.08.1999	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	125	उत्पादन किया जा रहा है
15.	उत्कल-बी2	मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि.	16.08.1999	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन	106	गैर-उत्पादक
16.	ब्रह्माडीह	कास्ट्रोन टैक्नोलाजिस लि.	01.09.1999	झारखंड	पी	आयरन एवं स्टील		गैर-उत्पादक
17.	गारे-पालमा-IV/7	रायपुर अलायस एंड स्टील लि.	25.04.2000	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	156	उत्पादन किया जा रहा है
18.	मरकी-मंगली-I	बी.एस. इस्पात	25.04.2001	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	34.34	उत्पादन किया जा रहा है
19.	पचवाड़ा सेंट्रल	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	28.12.2001	झारखंड	जी	विद्युत	562	उत्पादन किया जा रहा है
20.	तोकीसुद नार्थ	जीवीके पावर (गोविंदवल साहिब) लि.	07.01.2002	झारखंड	पी	विद्युत	92.3	गैर-उत्पादक
21.	गंगारामचक	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	23.06.2003	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	10	गैर-उत्पादक
22.	बरजोरा	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	23.06.2003	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	8	उत्पादन किया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	गंगारामचक-भदूलिया	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	23.06.2003	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	4	गैर-उत्पादक
24.	चिनौरा	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लि.	08.10.2003	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	20	गैर-उत्पादक
25.	वरोरा (वेस्ट) सर्दर्न पार्ट	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लि.	08.10.2003	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	18	गैर-उत्पादक
26.	तारा	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव.कार्पो. (सीएमडीसीएल)	14.08.2003	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	259.47	गैर-उत्पादक
27.	चोतिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	04.09.2003	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	34.48	उत्पादन किया जा रहा है
28.	उत्कल बी1	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	29.09.2003	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन	228.4	गैर-उत्पादक
29.	कथौटिया	ऊषा मार्टिन लि.	29.09.2003	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	29.76	उत्पादन किया जा रहा है
30.	नामचिक नामपुक	अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेव. कार.	28.10.2003	अरुणाचल प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	27	उत्पादन किया जा रहा है
31.	माजरा	गोंदवाना इस्पात लि.	29.10.2003	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	31.5	गैर-उत्पादक
32.	बादाम	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	03.11.2003	झारखंड	जी	विद्युत	144.63	गैर-उत्पादक
33.	बरांज-I	केपीसीएल	10.11.2003	महाराष्ट्र	जी	विद्युत	68.31	उत्पादन किया जा रहा है
34.	बरांज-II	केपीसीएल	10.11.2003	महाराष्ट्र	जी	विद्युत		उत्पादन किया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	बरांज-III	केपीसीएल	10.11.2003	महाराष्ट्र	जी	विद्युत		उत्पादन किया जा रहा है
36.	बरांज-IV	केपीसीएल	10.11.2003	महाराष्ट्र	जी	विद्युत		उत्पादन किया जा रहा है
37.	किलोनी	केपीसीएल	10.11.2003	महाराष्ट्र	जी	विद्युत	39.51	उत्पादन किया जा रहा है
38.	मनोरा दीप	केपीसीएल	10.11.2003	महाराष्ट्र	जी	विद्युत	44.7	उत्पादन किया जा रहा है
39.	जामखानी	भूषण लि.	12.11.2003	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन	80	गैर-उत्पादक
40.	भंडक (वेस्ट)	श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि.	27.11.2003	महाराष्ट्र	पी	विद्युत	36.18	31.05.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया
41.	उत्कल-डी	ओडिशा माइनिंग कारपो.	19.12.2003	ओडिशा	जी	वाणिज्यिक	153.31	गैर-उत्पादक
42.	वेस्ट ऑफ उमेरिया	गरूदा क्लायस लि.	25.05.2004	छत्तीसगढ़	पी सीमेंट	सीमेंट	7	सितम्बर, 2006 को आवंटन रद्द कर दिया गया
43.	उत्कल-"ई"	नालको	27.08.2004	ओडिशा	जी	विद्युत	194	गैर-उत्पादक
44.	गिधमुरी	सीएसईबी	23.09.2004	छत्तीसगढ़	जी	विद्युत	80.27	गैर-उत्पादक
45.	पतोरिया	सीएसईबी	23.09.2004	छत्तीसगढ़	जी	विद्युत	269.25	गैर-उत्पादक
46.	पकरी-बरवाडीह	एनटीपीसी	11.10.2004	झारखंड	जी	विद्युत	1600	गैर-उत्पादक
47.	ट्रांस दामोदर	प. बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग कार्पो.	14.01.2005	पश्चिम बंगाल	जी	वाणिज्यिक	103.15	उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	बरजोरा (नार्थ)	दामोदर वेली कारपोरेशन	03.03.2005	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	85.49	गैर-उत्पादक
49.	कागरा जायदेव	दामोदर वेली कारपोरेशन	03.03.2005	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	196.15	गैर-उत्पादक
50.	कास्त (ईस्ट)	दामोदर वेली कारपोरेशन	03.03.2005	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	105	मई 2009 में आवंटन रद्द कर दिया गया
51.	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	28.03.2005	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	15.3	उत्पादक
52.	पचवारा नार्थ	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	26.04.2005	झारखंड	जी	विद्युत	125.71	गैर-उत्पादक
53.	मोइतरा	जयसवाल नेको लि.	13.05.2005	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	215.78	गैर-उत्पादक
54.	ब्रिन्दा	अभिजीत इनफ्रा. प्रा.लि.	26.05.2005	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	34.72	गैर-उत्पादक
55.	ससई	अभिजीत इनफ्रा. प्रा.लि.	26.05.2005	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	26.35	गैर-उत्पादक
56.	मेरल	अभिजीत इनफ्रा. प्रा.लि.	26.05.2005	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	17.05	गैर-उत्पादक
57.	पवर्तपुर-ए से सी	इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग	07.07.2005	झारखंड	पी	पिग आयरन	231.22	उत्पादक
58.	लालगढ़ (नार्थ)	डोमको स्मोकलेस फ्यूल प्रा.लि.	08.07.2005	झारखंड	पी	पिग आयरन	30	गैर-उत्पादक
59.	कोतरी बसंतपुर	टिस्को	11.08.2005	झारखंड	पी	पिग आयरन	148.4	गैर-उत्पादक
60.	पचमो	टिस्को	11.08.2005	झारखंड	पी	पिग आयरन	101.99	गैर-उत्पादक
61.	लोहारी	ऊषा मार्टिन	24.08.2005	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	9.99	गैर-उत्पादक
62.	चित्रपुर	कारपोरेट इस्पात लि.	02.09.2005	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	212.01	गैर-उत्पादक
63.	पंचभानी	श्री राधे इंडस्ट्रीज	06.09.2005	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	11	सितम्बर, 2006 में आवंटन रद्द कर दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	मरकी मंगली-II	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	19	गैर-उत्पादक
65.	मरकी मंगली-III	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन		उत्पादक
66.	मरकी मंगली-IV	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन		गैर-उत्पादक
67.	तालाबीरा-II	एमसीएल	10.11.2005	ओडिशा	जी	विद्युत		
	तालाबीरा-II	एनएलसी	10.11.2005	ओडिशा	जी	विद्युत		
	तालाबीरा-II	हिंडालको इंडस्ट्रीज	10.11.2005	ओडिशा	पी	विद्युत		
68.	उत्कल-ए	एमसीएल	29.11.2005	ओडिशा	जी	विद्युत		गैर-उत्पादक
	उत्कल-ए	जेएसडब्ल्यू स्टील लि./जिंदल थर्मल पावर लि.	29.11.2005	ओडिशा	पी	विद्युत	333.4	
	उत्कल-ए	जिंदल स्टेनलैस स्टील लि.	29.11.2005	ओडिशा	पी	विद्युत		
	उत्कल-ए	श्याम डीआरआई लि.	29.11.2005	ओडिशा	पी	विद्युत		
69.	टाडीचेरला-I	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पो. लि.	06.12.2005	आंध्र प्रदेश	जी	विद्युत	61.28	गैर-उत्पादक
70.	महल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	09.12.2005	झारखंड		स्पांज आयरन	1098.5	07.03.2011 में आवंटन रद्द कर दिया गया
71.	अमेलिया	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	12.01.2006	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	214.41	गैर-उत्पादक
72.	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	12.01.2006	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	101.24	गैर-उत्पादक
73.	नार्थ धादू	झारखंड इस्पात प्रा.लि.	13.01.2006	झारखंड	पी	स्पांज आयरन		गैर-उत्पादक
	नार्थ धादू	पवनजय स्टील एंड पावर प्रा.लि.	13.01.2006	झारखंड	पी	स्पांज आयरन		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नार्थ धादू	इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि.	13.01.2006	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	923.94	
	नार्थ धादू	आधुनिक एलोएज एंड पावर लि.	13.01.2006	झारखंड	पी	स्पांज आयरन		
74.	बिजहान	भूषण लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन	130	गैर-उत्पादक
	बिजहान	महावीर फेरो	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
75.	मदनपुर साउथ	हिन्दुस्तान जिंक लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	175.65	गैर-उत्पादक
	मदनपुर साउथ	अक्षय इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़ विद्युत कार्पो. लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर साउथ	एमएसपी स्टील एंड प्रा.लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच कंपनियों का कंसोर्टियम)	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
76- 77.	नैकिया I+ नैकिया II	इस्पात गोदावरी	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	399	गैर-उत्पादक
	नैकिया I+ नैकिया II	इन्ड एग्रो सिनर्जी इस्पात लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	नैकिया I+ नैकिया II	श्री नकोदा इस्पात	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	नैकिया I+ नैकिया II	वन्दना ग्लोबल लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	नैकिया I+ नैकिया II	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
78.	पतरापाड़ा	भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन	1042	धीमी प्रगति के कारण आवंटन रद्द कर दिया गया
	पतरापाड़ा	आधुनिक मैटेलिक्स लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
	पतरापाड़ा	दीपक स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पतरापाड़ा	आधुनिक कारपॉरेशन लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
	पतरापाड़ा	ओडिशा स्पांज आयरन लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
	पतरापाड़ा	एसएमसी पावर जनरेशन लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
	पतरापाड़ा	श्री मेटलिक्स लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
	पतरापाड़ा	वीसा स्टील लि.	13.01.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
79.	गारे पालमा-IV/6	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	156	गैर-उत्पादक
	गारे पालमा-IV/6	नालवा स्पांज आयरन लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
80.	गारे पालमा-IV/8	जयसवाल नेक्को लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	107.2	गैर-उत्पादक
81.	मदनपुर (नार्थ)	अल्ट्राटेक लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	241.61	गैर-उत्पादक
	मदनपुर (नार्थ)	सिंहल इंटरप्राइजेज	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर (नार्थ)	नव भारत कोलफील्ड लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर (नार्थ)	वन्दना एनर्जी एंड स्टील प्रा.लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर (नार्थ)	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर (नार्थ)	अन्जनी स्टील प्रा.लि.	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच कंपनियों का कंसोर्टियम)	13.01.2006	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन		
82.	गोंडुलपारा	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	13.01.2006	झारखंड	जी	विद्युत	140	गैर-उत्पादक
	गोंडुलपारा	दामोदर वैली कारपोरेशन	13.01.2006	झारखंड	जी	विद्युत		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड पावर जनरेशन	13.01.2006	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	18	गैर-उत्पादक
	डुमरी	बजरंग इस्पात प्रा.लि.	13.01.2006	झारखंड	पी	स्पांज आयरन		
84.	निरद मालेगांव	गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर लि.	13.01.2006	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	19.5	गैर-उत्पादक
	निरद मालेगांव	गुप्ता कोलफील्ड्स एंड वाशरी लि.	13.01.2006	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन		
85.	तलाईपल्ली	एनटीपीसी	25.01.2006	झारखंड	जी	विद्युत	965	गैर-उत्पादक
86.	केरंदारी	एनटीपीसी	25.01.2006	झारखंड	जी	विद्युत	229	14.06.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
87.	चट्टीबरियातू	एनटीपीसी	25.01.2006	झारखंड	जी	विद्युत	243	14.06.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
88.	दुलंगा	एनटीपीसी	25.01.2006	ओडिशा	जी	विद्युत	260	गैर-उत्पादक
89.	ब्राह्मिनी	एनटीपीसी+सीआईएल जेवी	25.01.2006	झारखंड	जी	विद्युत	1900	14.06.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
90.	चिचरो पतसिमल	एनटीपीसी+सीआईएल जेवी	25.01.2006	झारखंड	जी	विद्युत	356	14.06.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
91.	सुगिया बन्द खान	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	30.01.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	2	गैर-उत्पादक
92.	राऊता बन्द खान	झारखंड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन	30.01.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	1	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.	बुरखप छोटा पैंच	झारखंड राज्य मिनरल डेव. कारपोरेशन	30.01.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	2.5	गैर-उत्पादक
94-95.	महानदी मछाकाटा	जीएसईसीएल	06.02.2006	ओडिशा	जी	विद्युत	480	गैर-उत्पादक
	महानदी मछाकाटा	एमएसईबी	06.02.2006	ओडिशा	जी	विद्युत	720	
96.	राधिकापुर (ईस्ट)	टाटा स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन	115	गैर-उत्पादक
	राधिकापुर (ईस्ट)	इस्का इंडस्ट्रीज लि.	07.02.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
	राधिकापुर (ईस्ट)	एसपीएस स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
97.	महान	इस्सार पावर लि.	12.04.2006	मध्य प्रदेश	पी	विद्युत	144.2	गैर-उत्पादक
	महान	हिंडालको इंडस्ट्रीज	12.04.2006	मध्य प्रदेश	पी	विद्युत		
98.	बून्दु	रूगंटा माइंस लि.	25.04.2006	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	102.52	गैर-उत्पादक
99.	राधिकापुर (वेस्ट)	रूगंटा माइंस लि.	25.04.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन	210	गैर-उत्पादक
	राधिकापुर (वेस्ट)	ओसीएल इंडिया लि.	25.04.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
	राधिकापुर (वेस्ट)	ओसियन इस्पात लि.	25.04.2006	ओडिशा	पी	स्पांज आयरन		
100.	परसा	छत्तीसगढ़ खनिज बोर्ड (सीएसईबी), रायपुर	02.08.2006	छत्तीसगढ़	जी	विद्युत	150	गैर-उत्पादक
101.	गारे-पालमा, सेक्टर-I	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	900	गैर-उत्पादक
102.	गारे-पालमा, सेक्टर-II	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	02.08.2006	छत्तीसगढ़	जी	विद्युत	768	गैर-उत्पादक
103.	मारेगा-I	मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग निगम लि. (एमपीएसएमसीएल), भोपाल	02.08.2006	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	250	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.	मोरगा-II	जीएमडीसी	02.08.2006	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	350	गैर-उत्पादक
105.	गोमिया	एमएमटीसी	02.08.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	355	गैर-उत्पादक
106.	पिनदरा-देबीपुर-खोवटांड	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	110	गैर-उत्पादक
107.	सारिया कोइयाटांड	बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीआरकेवीएन) पटना	02.08.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	202	गैर-उत्पादक
108.	जयनगर	गुजरात मिनरल डेवलेपमेंट कार. (जीएमडीसी)	02.08.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	100	2008 में आवंटन रद्द कर दिया गया
109.	राजबर ई एंड डी	तेनूघाट विद्युत निगम लि. (टीवीएनएल)	02.08.2006	झारखंड	जी	विद्युत	385	गैर-उत्पादक
110.	बनहरडीह	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	02.08.2006	झारखंड	जी	विद्युत	400	14.06.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
111.	लातेहार	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	02.08.2006	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	220	गैर-उत्पादक
112.	डोंगरी तल-II	मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि.	02.08.2006	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	175	गैर-उत्पादक
113.	मरकी-जरी-जमानी-अदकोली	महाराष्ट्र राज्य खनन	02.08.2006	महाराष्ट्र	जी	वाणिज्यिक	11	गैर-उत्पादक
114.	मारा II महान	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	02.08.2006	मध्य प्रदेश	जी	विद्युत	477.5	गैर-उत्पादक
	मारा II महान	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि. (एचपीजीसीएल)	02.08.2006		जी	विद्युत	477.5	
115.	नवगांव तेलीशाही	ओडिशा खनन निगम (ओएमसी), भुवनेश्वर	02.08.2006	ओडिशा	जी	वाणिज्यिक	733	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नवगांव तेलीशाही	आंध्र प्रदेश खनिज विकास (एपीएमडीसी) हैदराबाद	02.08.2006	ओडिशा	जी	वाणिज्यिक		
116.	इच्छापुर	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं ट्रेडिंग निगम	02.08.2006	पश्चिम बंगाल	जी	वाणिज्यिक	335	गैर-उत्पादक
117.	कुलटी	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं ट्रेडिंग निगम	02.08.2006	पश्चिम बंगाल	जी	वाणिज्यिक	210	गैर-उत्पादक
118.	मीनाक्षी	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	ओडिशा	पी	विद्युत	285.24	गैर-उत्पादक
119.	मीनाक्षी बी	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	ओडिशा	पी	विद्युत	250	गैर-उत्पादक
120.	मीनाक्षी की डीप साइड	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	ओडिशा	पी	विद्युत	350	गैर-उत्पादक
121.	मोहेर	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	मध्य प्रदेश	पी	विद्युत	402	गैर-उत्पादक
122.	मोहेर-अमलोहरी विस्तार	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	मध्य प्रदेश	पी	विद्युत	198	गैर-उत्पादक
123.	छत्रसाल	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	26.10.2006	मध्य प्रदेश	पी	विद्युत	150	गैर-उत्पादक
124.	कोसर डोंगरगांव	चमन मैटलिक्स लि.	20.02.2007	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	22.51	गैर-उत्पादक
125.	बिहारीनाथ	बंकुरा डीआरआई माइनिंग मैनुफ्रेक्चरिंग कं. प्रा.लि.	20.02.2007	पश्चिम बंगाल	पी	स्पांज आयरन	95.16	गैर-उत्पादक
126.	चकला	एस्सार पावर लि.	20.02.2007	झारखंड	पी	विद्युत	83.05	गैर-उत्पादक
127.	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	20.02.2007	झारखंड	पी	विद्युत	81.09	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128.	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	भाटिया इंटरनेशनल लि.	20.02.2007	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	10	30.05.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
129.	अनेस्तीपाली	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार. लि.	20.02.2007	आंध्र प्रदेश	जी	विद्युत	26.89	30.05.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
130.	पुंकला-चिलका	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार. लि.	20.02.2007	आंध्र प्रदेश	जी	विद्युत	38.11	30.05.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
131.	सीतनाला	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि.	11.04.2007	झारखंड	जी	इस्पात	108.8	गैर-उत्पादक
132.	पेंगाडप्पा	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार. लि.	29.05.2007	आंध्र प्रदेश	जी	विद्युत	110.87	30.05.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
133.	सिआलघोघरी	प्रिज्म सीमेंट लि.	29.05.2007	मध्य प्रदेश	पी	सीमेंट	30.38	गैर-उत्पादक
134.	रावनवारा नार्थ	एसकेएस इस्पात लि.	29.05.2007	मध्य प्रदेश	पी	स्पांज आयरन	174.07	धीमी प्रगति के कारण आवंटन रद्द कर दिया गया
135-136.	चेंदीपारा चेंदीपारा-II	यूपीआरवीयूएनएल	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	794.5	गैर-उत्पादक
	चेंदीपारा चेंदीपारा-II	सीएमडीसी	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	500	
	चेंदीपारा चेंदीपारा-II	महाजेनको	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	294.5	
137.	बैतरणी वेस्ट	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	200.66	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा हाइड्रो पावर जनरेशन	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	200.66	
	बैतरणी वेस्ट	गुजरात पावर जनरेशन	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	200.66	
138.	मंदाकिनी बी	असम खनिज विकास निगम	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	300	गैर-उत्पादक
	मंदाकिनी बी	मेघालय खनिज विकास निगम	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	300	
	मंदाकिनी बी	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, चेन्नई	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	300	
	मंदाकिनी बी	ओडिशा खनन निगम	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	300	
139.	चट्टीबरियातू साउथ	एनटीपीसी	25.07.2007	झारखंड	जी	विद्युत	354	14.06.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
140.	साहरपुर जमरपानी	दामोदर वेली कार.	25.07.2007	झारखंड	जी	विद्युत	600	14.06.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
141.	मनोहरपुर	ओडिशा पावर जनरेशन	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	181.68	गैर-उत्पादक
142.	डीप साइड मनोहरपुर	ओडिशा पावर जनरेशन	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	350	गैर-उत्पादक
143.	नैनी	जीएमडीसी	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत	500	गैर-उत्पादक
	नैनी	पीआईपीडीआईसीएल	25.07.2007	ओडिशा	जी	विद्युत		
144.	ऊरमा पहाड़ीटोरा	जेएसईबी	25.07.2007	झारखंड	जी	विद्युत	437	गैर-उत्पादक
	ऊरमा पहाड़ीटोरा	बीएसएमडीसीएल	25.07.2007	झारखंड	जी	विद्युत	263	
145.	पतरातू	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	450	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146.	राबोडीह ओसीपी	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	133	गैर-उत्पादक
147.	जगन्नाथपुर ए	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कार्पो.	25.07.2007	पश्चिम बंगाल	जी	वाणिज्यिक	273	गैर-उत्पादक
148.	जगन्नाथपुर बी	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कार्पो.	25.07.2007	पश्चिम बंगाल	जी	वाणिज्यिक	176	गैर-उत्पादक
149.	सुलियारी	एपीएमडीसी	25.07.2007	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	75	गैर-उत्पादक
150.	मरकी बरका	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	25.07.2007	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	80	गैर-उत्पादक
151.	शंकरपुर बीएचटी II	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि. (सीएमडीसीएल)	25.07.2007	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	80.13	गैर-उत्पादक
152.	मोरगा III	मध्य प्रदेश एसएमसीएल	25.07.2007	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	35	गैर-उत्पादक
153.	मोरगा IV	मध्य प्रदेश एसएमसीएल	25.07.2007	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	35	गैर-उत्पादक
154.	सोंधिया	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि. (सीएमडीसीएल)	25.07.2007	छत्तीसगढ़	जी	वाणिज्यिक	70	गैर-उत्पादक
155.	सेमरिया/ पीपरिया	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	25.07.2007	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	38.62	गैर-उत्पादक
156.	शाहपुर ईस्ट	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	42	गैर-उत्पादक
157.	शाहपुर वेस्ट	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	42	गैर-उत्पादक
158.	बिचारपुर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	25.07.2007	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	36	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159.	मांडला साउथ	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	जी	वाणिज्यिक	72	गैर-उत्पादक
160.	अगरजारी	एमएसएमसीएल	25.07.2007	महाराष्ट्र	जी	वाणिज्यिक	137	28.06.2010 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
161.	वरोरा	एमएसएमसीएल	25.07.2007	महाराष्ट्र	जी	वाणिज्यिक	73	गैर-उत्पादक
162.	परसा ईस्ट	एमएसएमसीएल	25.06.2007	छत्तीसगढ़	जी	विद्युत	180	गैर-उत्पादक
163.	कांताबासन	आरआरवीयूएनएल	25.06.2007	छत्तीसगढ़	जी	विद्युत	180	गैर-उत्पादक
164.	ब्रहमपुरी	पुष्प इस्पात एवं माइनिंग लि.	16.07.2007	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	55.05	गैर-उत्पादक
165.	केरनदारी बीसी	विद्युत वित्त निगम तलइया यूएमपीपी झारखंड	20.07.2007	झारखंड	पी	विद्युत	972	गैर-उत्पादक
166.	तुबेड	हिंडलको	01.08.2007	झारखंड	पी	विद्युत	189	गैर-उत्पादक
	तुबेड	टाटा पावर लि.	01.08.2007	झारखंड	पी	विद्युत		
167.	मांडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	17.09.2007	मध्य प्रदेश	पी	सीमेंट	194.96	गैर-उत्पादक
168.	अशोक करकत्ता सेंट्रल	इस्सार पावर लि.	06.11.2007	झारखंड	पी	विद्युत	110	गैर-उत्पादक
169.	पत्तल ईस्ट	भूषण विद्युत एवं इस्पात लि.	06.11.2007	झारखंड	पी	विद्युत	200	गैर-उत्पादक
170.	सयांग	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्रा.लि.	06.11.2007	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	150	गैर-उत्पादक
171.	दुर्गापुर II/सारया	डीबी विद्युत लि.	06.11.2007	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	91.67	गैर-उत्पादक
172.	दुर्गापुर II/ताराईमर	बाल्को	06.11.2007	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	211.37	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173.	लोहारा वेस्ट विस्तार	अदनी विद्युत लि.	06.11.2007	महाराष्ट्र	पी	विद्युत	169.832	गैर उत्पादक
174.	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लि.	06.12.2007	पश्चिम बंगाल	पी	स्पांज आयरन	121	गैर-उत्पादक
175.	सीतारामपुर	पश्चिम बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग निगम	27.12.2007	पश्चिम बंगाल	जी	वाणिज्यिक	210	गैर-उत्पादक
176.	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	09.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	96.84	गैर-उत्पादक
	मंदाकिनी	जिंदल फोटो लि.	09.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	96.84	
	मंदाकिनी	टाटा पावर कंपनी लि.	09.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	96.84	
177.	सेरेगढ़	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	09.01.2008	झारखंड	पी	विद्युत	83.33	गैर-उत्पादक
	सेरेगढ़	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लि.	09.01.2008	झारखंड	पी	विद्युत	66.67	
178.	माहुआगढ़ी	सीईएससी लि.	09.01.2008	झारखंड	पी	विद्युत	110	गैर-उत्पादक
	माहुआगढ़ी	जैश इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा.लि.	09.01.2008	झारखंड	पी	विद्युत		
179.	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	जिंदल इस्पात एवं विद्युत लि.	17.01.2008	झारखंड	पी	विद्युत	205	गैर-उत्पादक
	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	गगन स्पंज आयरन प्रा.लि.	17.01.2008	झारखंड	पी	विद्युत	205	
180-181.	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	स्टरलाइट एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	112.22	गैर-उत्पादक
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)	17.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	112.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	17.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	84.16	
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	लेन्को ग्रुप लि. (आईपीपी)	17.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	112.22	
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	नवभारत विद्युत प्रा.लि.	17.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	112.22	
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	रिलांयस एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	ओडिशा	पी	विद्युत	112.22	
182.	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	99.12	गैर-उत्पादक
	फतेहपुर ईस्ट	आर.के.एम. पावरजेन प्रा.लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	99.12	
	फतेहपुर ईस्ट	वीसा पावर लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	99.12	
	फतेहपुर ईस्ट	ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	99.12	
	फतेहपुर ईस्ट	वंदना विद्युत लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	53.52	
183.	फतेहपुर	एसकेएस इस्पात एव विद्युत लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	73.85	गैर-उत्पादक
	फतेहपुर	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	06.02.2008	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	46.15	
184.	जोगेश्वर एवं खास जोगेश्वर	झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (जेएसएमडीसी)	11.04.2008	झारखंड	जी	वाणिज्यिक	84.03	गैर-उत्पादक
185.	चोरीटांड तालिया	रूंगटा माइंस लि.	14.05.2008	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	18.7	धीमी प्रगति के कारण आवंटन रद्द कर दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चोरीटांड तालिया	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	14.05.2008	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	8.72	
186.	रोहने	मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	05.06.2008	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	172.53	गैर-उत्पादक
	रोहने	मै. भूषण पावर एंड स्टील लि.	05.06.2008	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	60.23	
	रोहने	मै. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	05.06.2008	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	17.23	
187.	लोहरा (ईस्ट)	मुर्ली इंडस्ट्रीज लि.	27.06.2008	महाराष्ट्र	पी	सीमेंट	11.96	17.05.2010 को आवंटन रद्द कर, दिया गया।
		ग्रेस इंडस्ट्रीज लि.	27.06.2008	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	16.14	
188.	भावीकुंड	महाजेनको (मै. औरंगाबाद कंपनी लि. एसपीवी)	17.07.2008	महाराष्ट्र	जी	विद्युत	100	गैर-उत्पादक
189.	केसला नार्थ	मै. राठी उद्योग लि.	05.08.2008	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	36.15	गैर-उत्पादक
190.	मचरकोंडा	बिहार स्पंज आयरन लि.	05.08.2008	झारखंड	पी	स्पांज आयरन	23.86	गैर-उत्पादक
191.	टांडसी-III एवं टांडसी-III (विस्त).	मिडईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील्स लि.	05.08.2008	मध्य प्रदेश	पी	इस्पात	17.39	गैर-उत्पादक
192.	बिक्रम	बिरड़ा कारपोरेशन लि.	12.08.2008	मध्य प्रदेश	पी	सीमेंट	20.98	गैर-उत्पादक
193.	दातिमा	बिनानी सीमेंट लि.	05.09.2008	छत्तीसगढ़	पी	सीमेंट	13.3	27.04.2010 को आवंटन रद्द कर दिया गया
194.	तेनूघाट-झिरकी	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	10.09.2008	छत्तीसगढ़	जी	इस्पात	215.756	07.03.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195.	गारे पालमा सेक्टर III	गोवा इंडस्ट्रीज डेवलोपमेंट कारपों.	12.11.2008	छत्तीसगढ़	जी	विद्युत	210.2	गैर-उत्पादक
196.	राजहरा नार्थ (सेन्ट्रल और ईस्टर्न)	मुकुन्द लि. स्टील उद्योग लि.	20.11.2008	झारखंड	पी	इस्पात	10.05	गैर-उत्पादक
	राजहरा नार्थ (सेन्ट्रल और ईस्टर्न)	विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि.	20.11.2008	झारखंड	पी	इस्पात	7.04	
197.	गोंदखारी	महाराष्ट्र सीमलेस लि.	21.11.2008	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	29.91	गैर-उत्पादक
	गोंदखारी	धारीवाल इंफरास्ट्रचर (प्रा.) लि.	21.11.2008	महाराष्ट्र	पी	स्पांज आयरन	23.93	
	गोंदखारी	केसोराम इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	महाराष्ट्र	पी	सीमेंट	44.87	
198.	तेसगोरा-बी/ रूद्रापुरी	कमल स्पंज स्टील एंड पावर लि.	21.11.2008	मध्य प्रदेश	पी	स्पांज आयरन	30.67	गैर-उत्पादक
	तेसगोरा-बी/ रूद्रापुरी	रेवती सीमेंट प्रा.लि.	21.11.2008	मध्य प्रदेश	पी	सीमेंट	14.37	
199.	भास्करपारा	इंलोक्ट्रोथीम (इंडिया) लि.	21.11.2008	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	24.69	गैर-उत्पादक
	भास्करपारा	ग्रासीम इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	22.22	
200.	ईस्ट ऑफ दमगोरिया (कल्याणेश्वरी)	प.बंगाल पावर डेवलपमेंट कार. लि. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	27.02.2009	पश्चिम बंगाल	जी	विद्युत	337	21.10.2011 को आवंटन रद्द कर दिया गया।
201.	रामचंडी प्रो. ब्लाक	जिंदल स्टील एंड विद्युत लि.	27.02.2009	ओडिशा	पी	सीटीएल	1500	गैर-उत्पादक
202.	नार्थ आफ अरखापाल श्रीरामपुर	स्टेटजिक इनर्जी टेक्नो. सिस्टम लि. (एसईटीएसएल)	27.02.2009	ओडिशा	पी	सीटीएल	1500	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203.	मेदनी राय	रूगंटा माइन लि.	28.05.2009	झारखंड	पी	विद्युत	80.83	गैर-उत्पादक
	मेदनी राय	कोहिनोर स्टील (प्रा.) लि.	28.05.2009	झारखंड	पी	स्पांज आयरन		
204.	गणेशपुर	टाटा स्टील लि.	28.05.2009	झारखंड	पी	विद्युत	137.88	गैर-उत्पादक
	गणेशपुर	आधुनिक थर्मल इनर्जी लि.	28.05.2009	झारखंड	पी	विद्युत		
205.	बंदरे	एएमआर आयरन एंड स्टील प्रा.लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	पी	इस्पात	31.53	गैर-उत्पादक
	बंदरे	सेंट्रल टैक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	पी	सीमेंट	47.29	
	बंदरे	जे.के.सीमेंट लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	पी	सीमेंट	47.29	
206.	खप्पा एवं विस्तार	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	पी	इस्पात	53.6	गैर-उत्पादक
	खप्पा एवं विस्तार	दालमिया सीमेंट (भारत लि.)	29.05.2009	महाराष्ट्र	पी	इस्पात	31.12	
207.	रामगमर डीप साईड (साउथ आफ पुलकडीह नाला)	मोनेट इस्पात और इनर्जी लि.	03.06.2009	छत्तीसगढ़	पी	इस्पात	49.93	गैर-उत्पादक
	रामगमर डीप साईड (साउथ आफ पुलकडीह नाला)	टोपवार्थ स्टील प्रा.लि.	03.06.2009	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	11.77	
208.	दहेगाव/मकरधुकरा 4	आईएसटी स्टील एंड विद्युत लि.	17.06.2009	महाराष्ट्र	पी	इस्पात एवं स्पांज आयरन	70.74	गैर-उत्पादक
	दहेगाव/मकरधुकरा 4	गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	17.06.2009	महाराष्ट्र	पी	सीमेंट	36	
	दहेगाव/मकरधुकरा 4	लफार्ज इंडिया लि.	17.06.2009	महाराष्ट्र	पी	सीमेंट	25.26	
209.	मोर्या	करनपुरा इनजर्र लि. (एसपीवी ऑफ जेएसईबी)	26.06.2009	झारखंड	जी	विद्युत	225.35	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210.	अन्दल ईस्ट	भूषण स्टील लि.	03.07.2009	पश्चिम बंगाल	पी	स्टील	237.23	गैर-उत्पादक
	अन्दल ईस्ट	जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	03.07.2009	पश्चिम बंगाल	पी	स्पांज आयरन	229.5	
	अन्दल ईस्ट	रशमी सीमेंट लि.	03.07.2009	पश्चिम बंगाल	पी	स्पांज आयरन	233.27	
211.	गोरंगडीह एबीसी	हिमाचल ईएमटीए विद्युत लि.	10.07.2009	पश्चिम बंगाल	पी	विद्युत	68.85	धीमी प्रगति के कारण आवंटन रद्द कर दिया गया
	गोरंगडीह एबीसी	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	10.07.2009	पश्चिम बंगाल	पी	विद्युत	68.85	
212.	पुटाबारोगिया	अकलतारा पावर लि. (एसपीवी ऑफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	692.16	गैर-उत्पादक
213.	पिंडाराखी	अकलतारा पावर लि. (एसपीवी ऑफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	छत्तीसगढ़	पी	विद्युत	421.51	गैर-उत्पादक
214.	मोइरा मधुजोर	रामस्वरूप लोह उद्योग लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	पी	इस्पात एवं स्पांज आयरन	685.39	गैर-उत्पादक
	मोइरा मधुजोर	आधुनिक कार्पो. लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	पी	स्पांज आयरन		
	मोइरा मधुजोर	उत्तम गलवा स्टील लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	पी	इस्पात एवं स्पांज आयरन		
	मोइरा मधुजोर	हावरा ग्रेस लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	पी	इस्पात एवं स्पांज आयरन		
	मोइरा मधुजोर	विकास मितल एंड पावर लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	पी	इस्पात एवं स्पांज आयरन		
	मोइरा मधुजोर	एसीसी लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	पी	सीमेंट		
215.	उर्थान नार्थ	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	12.10.2009	मध्य प्रदेश	पी	स्पांज आयरन	46.55	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उर्थान नार्थ	मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि.	12.10.2009	मध्य प्रदेश	पी	स्पांज आयरन	23.27	
216.	बनखोई	साखीगोपाल इंटी. पावर क.लि. (एसपीवी ऑफ फस्ट ओडिशनल ओडिशा यूएमपीपी)	21.06.2010	ओडिशा	पी	विद्युत	800	गैर-उत्पादक
217.	राजगमर डीपसाईड (देवनारा)	एपीआई इस्पात एंड पावरटेच प्रा.लि.	14.10.2011	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	20.34	गैर-उत्पादक
	राजगमर डीपसाईड (देवनारा)	सीजी स्पांज मोनो.कन्सो. कोलफील्ड प्रा.लि.	14.10.2011	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	58.12	
218.	विजय सेंट्रल	कोल इंडिया लि.	01.11.2011	छत्तीसगढ़	जी	—	40.67	गैर-उत्पादक
	विजय सेंट्रल	एसकेएस इस्पात एंड पावर लि.	01.11.2011	छत्तीसगढ़	पी	स्पांज आयरन	16.08	

कृषि वैज्ञानिकों की कमी

3961. श्री महाबली सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों में कृषि वैज्ञानिकों की कमी है जिसके कारण कृषि अनुसंधान कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि वैज्ञानिकों की कमी का राज्य-वार/विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) **केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इम्फाल :** वर्तमान में सीएयू, इम्फाल में 36 प्रतिशत कृषि वैज्ञानिक (संकाय) पद रिक्त हैं। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि अनुसंधान संस्थान : वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में कृषि वैज्ञानिकों के 19 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इन संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को उपलब्ध वैज्ञानिक मानवशक्ति की विवेकपूर्ण पुन: तैनाती द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा ये संस्थान अलग-अलग राज्यों में हैं किन्तु इनके क्षेत्रीय केन्द्र अन्य दूसरे राज्यों में भी फैले हुए हैं। रिक्त पदों का संस्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालय : राज्य कृषि विश्वविद्यालय संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आते हैं और इनमें केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। तथापि, अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी (नार्म), हैदराबाद द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में मानव पूंजी की जरूरत पर रिपोर्ट सं. 1/2012 तैयार की गई जिसमें

उल्लेख है कि कृषि विश्वविद्यालयों में संकाय के लगभग 40 प्रतिशत पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्य कृषि विद्यालयों के कृषि में विविध मुख्य विषयों में संकाय के स्वीकृत और रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में वैज्ञानिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वार्षिक कुलपति सम्मेलन सहित अनेक मंचों से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को रिक्त पद भरने की सलाह दी गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर

शिक्षण संकाय की रिक्ति की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	मणिपुर	09
2.	मिजोरम	16
3.	त्रिपुरा	10
4.	अरुणाचल प्रदेश	22
5.	मेघालय	50
6.	सिक्किम	20

विवरण-II

रिक्त पदों का संस्थान-वार विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	सीएआरआई, इज्जतनगर	1
2.	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर	7
3.	सीएजैडआरआई, जोधपुर	25
4.	सीआईएई, भोपाल	18
5.	सीआईएएच, बीकानेर	8
6.	सीआईबीए, चेन्नई	10
7.	सीआईसीआर, नागपुर	7
8.	सीआईएफए, भुवनेश्वर	17
9.	सीआईएफई, मुंबई	18
10.	सीआईएफआरआई, बैरकपुर	19
11.	सीआईएफटी, कोचीन	22
12.	सीआईपीएचईटी, लुधियाना	21
13.	सीआईआरबी, हिसार	5
14.	सीआईआरसीओटी, मुंबई	5
15.	सीआईआरजी, मथुरा	6
16.	सीआईएसएच, लखनऊ	5
17.	सीआईटीएच, रंगरेथ (जम्मू और कश्मीर)	6
18.	सीएमएफआरआई, कोचीन	38
19.	सीपीसीआरआई, कासरगोड	7
20.	सीपीआरआई, शिमला	11
21.	सीआरआईडीए, हैदराबाद	4
22.	सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर	10
23.	सीआरआरआई, कटक	15
24.	सीएस एंड डब्ल्यूसीआर एंड टी, देहरादून	19

1	2	3
25.	सीएसएसआरआई, करनाल	19
26.	सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर	23
27.	सीटीसीआरआई, तिरूवनंतपुरम	3
28.	सीटीआरआई, राजमुंदरी	8
29.	डीजीआर, जूनागढ़	7
30.	डीएमएपीआर, आनंद	4
31.	डीएमउग्र, नई दिल्ली	7
32.	डीओजीआर, पुणे	0
33.	डीओआर, हैदराबाद	2
34.	डीआरएमआर, भरतपुर	3
35.	डीआरआर, हैदराबाद	8
36.	डीआरडब्ल्यूए, भुवनेश्वर	04
37.	डीएसआर, हैदराबाद	03
38.	डीएसआर, इंदौर	04
39.	डीएसआर, मऊ	18
40.	निदेशालय सीआर, पुत्तूर	03
41.	निदेशालय मशरूम, सोलन	05
42.	निदेशालय फ्लोरीकल्चर दिल्ली	05
43.	निदेशालय ओपीआर, पश्चिम गोदावरी	05
44.	निदेशालय शीत जल जल मत्स्य पालन	18
45.	डीडब्ल्यूएम, भुवनेश्वर	05
46.	डीडब्ल्यूआर, करनाल	09
47.	डीडब्ल्यूएसआर, जबलपुर	06
48.	आईएआरआई, नई दिल्ली	149
49.	आईएएसआरआई, नई दिल्ली	26
50.	आईसीएआर मुख्यालय	11
51.	आईसीएआर आर.सी. एनईएच, बारापानी	31
52.	आईसीएआर आरसी, गोवा	05
53.	आईसीएआर आर.सी. ईआर, पटना	19
54.	आईजीएफआरआई, झांसी	27
55.	आईआईएचआर, बेंगलोर	02
56.	आईआईएनआरजी, रांची	11
57.	आईआईपीआर, कानपुर	17
58.	आईआईएसआर, लखनऊ	13
59.	आईआईएसआर, मरीकुन्नू	04
60.	आईआईएसएस, भोपाल	08
61.	आईआईवीआर, वाराणसी	16
62.	आईवीआरआई, इज्जतनगर	56
63.	एनएआरएम, हैदराबाद	39
64.	एनबीएजीआर, करनाल	04
65.	एनबीएआईआई, बेंगलोर	06
66.	एनबीएआईएम, भंजन (उत्तर प्रदेश)	18
67.	एनबीएफजीआर, लखनऊ	09
68.	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	27
69.	एनबीएसएसएलयूपी, नागपुर	26
70.	एनसीएई एंड पीआर, नई दिल्ली	05
71.	एनसीआईपीएम, नई दिल्ली	04
72.	एनडीआरआई करनाल	34

1	2	3
73.	एनआईएएनपी, बेंगलोर	02
74.	एनआईएएसएम, बारामती	30
75.	एनआईआरजेएएफटी, कोलकाता	18
76.	एनआरसी बनाना, त्रिची	01
77.	एनआरसी केमल, बीकानेर	04
78.	एनआरसी साइट्रस, नागपुर	02
79.	एनआरसी इक्विन्स, हिसार	02
80.	एनआरसी लीची, मुजफ्फरपुर	03
81.	एनआरसी मीट, हैदराबाद	00
82.	एनआरसी मिथुन, नागालैंड	03
83.	एनआरसी आर्किड, पाकयोंग (एस.के.)	03
84.	एनआरसी पिग्स, गुवाहाटी	04
85.	एनआरसी पीबी, नई दिल्ली	04
86.	एनआरसी पोमोग्रेनेट, शोलापुर	00
87.	एनआरसी सीड स्पाइसेस, अजमेर	02
88.	एनआरसी याक, दिरांग	02
89.	एनआरसी एएफ, झांसी	04
90.	एनआरसी ग्रेप्स, पुणे	01
91.	पीडीएडीएमएस, बेंगलोर	03
92.	पीडी केटल, मेरठ	14
93.	पीडीएफएमडी, मुक्तेश्वर	03
94.	पीडीएफएसआर, मोदीपुरम	06
95.	पीडीपी, हैदराबाद	00
96.	एसबीआई, कोयंबटूर	02
97.	वीपीकेएस, अल्मोडा	05
98.	जैडपीडी, बेंगलोर	02
99.	जैडपीडी, हैदराबाद	02
100.	जैडपीडी, जबलपुर	02
101.	जैडपीडी, जोधपुर	02
102.	जैडपीडी, कानपुर	03
103.	जैडपीडी, कोलकाता	03
104.	जैडपीडी, लुधियाना	02
105.	जैडपीडी, बाड़ापानी	03
106.	आईआईएबी, रांची	**
107.	एनआईबीएसएम, रायपुर	**

**स्थापन हेतु हाल ही में मंजूर किए गये।

विवरण-III

मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार फसल विज्ञान शिक्षा में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं संकाय

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	असम	एएयू, जोरहाट	768	413	355

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	एएनजीआरएयू, हैदराबाद	393	281	112
3.	बिहार	आरएयू, पूसा	291	170	121
4.	छत्तीसगढ़	आईजीकेवीवी, रायपुर	240	155	85
5.	गुजरात	एएयू, आनंद	361	283	78
6.		जेएयू, जूनागढ़	327	88	239
7.		एनएयू, नवसारी	72	9	63
8.		एसकेडीएयू, दंतीवाड़ा	283	44	239
9.	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	360	155	205
10.	हिमाचल प्रदेश	वाईएसपीयूएचएफ, सोलन	7	4	3
11.	झारखंड	बीएयू, रांची	141	28	113
12.	कर्नाटक	यूएचएस, बगलकोट	114	52	62
13.		यूएएस, बंगलूरू	607	194	413
14.		यूएएस, धारवाड़	295	247	48
15.		यूएएस, रायचूर	323	146	177
16.	केरल	केएयू, त्रिशूर	318	172	146
17.	मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी, जबलपुर	190	79	111
18.		आरएसकेवीवी, ग्वालियर	207	71	136
19.	महाराष्ट्र	बीएसकेकेवी, दापोली	193	170	23
20.		पीडीकेवी, अकोला	350	146	204
21.		एमएएफएसयू, नागपुर	2	0	2
22.	ओडिशा	ओयूएटी, भुवनेश्वर	101	87	14
23.	राजस्थान	एमपीयूएटी, उदयपुर	80	46	34

1	2	3	4	5	6
24.		एसकेआरएयू, बीकानेर	610	331	279
25.	तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयंबटूर	1032	994	38
26.	उत्तर प्रदेश	सीएसयूएएसटी, कानपुर	106	73	33
27.		यूपीपीडीडीयू, मथुरा	13	7	6
28.	पश्चिम बंगाल	बीसीकेवी, मोहनपुर	230	197	33
29.		डब्ल्यूबीएएफएस, कोलकाता	3	0	3
30.		यूबीकेवी, कूचबिहार	65	25	40

मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बागवानी शिक्षा में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं संकाय

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएचयू, वर्गूदेम	190	174	16
2.	छत्तीसगढ़	आईजीकेवीवी, रायपुर	230	150	80
3.	गुजरात	एनएयू, नवसारी	67	35	32
4.	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	117	82	35
5.	हिमाचल प्रदेश	वाईएसपीयूएचएफ, सोलन	240	155	85
6.	कर्नाटक	यूएचएस, बगलकोट	109	67	42
7.		यूएएस, बंगलूरू	35	20	15
8.		यूएएस, धारवाड़	37	21	16
9.		यूएएस, रायचूर	31	10	21
10.	केरल	केएयू, त्रिशूर.	53	40	13
11.	मध्य प्रदेश	आरएसकेवीवी, ग्वालियर	49	25	24
12.	महाराष्ट्र	बीएसकेकेवी, दापोली	5	5	0

1	2	3	4	5	6
13.		पीडीकेवी, अकोला	128	57	71
14.		एमपीकेवी, राहुरी	78	17	61
15.	ओडिशा	ओयूएटी, भुवनेश्वर	17	12	5
16.	राजस्थान	एमपीयूएटी, उदयपुर	14	12	2
17.	तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयंबटूर	150	130	20
18.	पश्चिम बंगाल	बीसीकेवी, मोहनपुर	55	48	7
19.		डब्ल्यूबीएएफएस, कोलकाता	3	0	3
20.		यूबीकेवी, कूचबिहार	35	14	21

मार्च 2009-2010 की स्थिति के अनुसार कृषि अभियांत्रिकी शिक्षा में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं संकाय

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	एएनजीआरएयू, हैदराबाद	19	8	11
2.	बिहार	आरएयू, पूसा	21	10	11
3.	छत्तीसगढ़	आईजीकेवीवी, रायपुर	15	8	7
4.	गुजरात	एएयू, आनंद	39	18	21
5.		जेएयू, जूनागढ़	51	33	18
6.	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	37	18	19
7.	कर्नाटक	यूएएस, बंगलरू	39	14	25
8.		यूएएस, धारवाड़	26	13	13
9.		यूएएस, रायचूर	62	23	39
10.	केरल	केएयू, त्रिशूर	51	34	17
11.	मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी, जबलपुर	52	26	26

1	2	3	4	5	6
12.	महाराष्ट्र	बीएसकेकेवी, दापोली	36	32	4
13.	ओडिशा	ओयूएटी, भुवनेश्वर	17	15	2
14.	पंजाब	पीएयू, लुधियाना	147	75	72
15.	राजस्थान	एमपीयूएटी, उदयपुर	34	13	21
16.	तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयंबटूर	82	69	13
17.	उत्तर प्रदेश	सीएसयूएएसटी, कानपुर	24	14	10
18.		एएयू, इलाहाबाद	39	35	4
19.	उत्तराखंड	जीबीपीयूएटी, पंतनगर	149	80	69
20.	पश्चिम बंगाल	बीसीकेवी, मोहनपुर	16	13	3
21.		यूबीकेवी, कूचबिहार	23	3	20

मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार मात्स्यिकी विज्ञान शिक्षा में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं संकाय

1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	एसवीवीयू, तिरुपति	29	17	12
2.	बिहार	आरएयू, पूसा	15	10	5
3.	गुजरात	जेएयू, जूनागढ़	28	16	12
4.		एसकेडीएयू, दंतीवाड़ा	11	5	6
5.	जम्मू और कश्मीर	एसकेयूएएसटी, श्री नगर	52	32	20
6.	महाराष्ट्र	बीएसकेकेवी, दापोली	57	54	3
7.		एमएएफएसयू, नागपुर	54	18	36
8.	कर्नाटक	यूएएस, बंगलूरू	13	9	4
9.		यूएएस, धारवाड़	6	2	4

1	2	3	4	5	6
10.		यूएएस, रायचूर	5	3	2
11.		केएएफएसयू, बीदर	100	38	62
12.	केरल	केएयू, त्रिशूर	33	22	11
13.	ओडिशा	ओयूएटी, भुवनेश्वर	16	13	3
14.	पंजाब	जीएडीवीएएसयू, लुधियाना	9	4	5
15.	राजस्थान	एमपीयूएटी, उदयपुर	7	5	2
16.	तमिलनाडु	टीएएनवीएएसयू, चेन्नई	63	54	9
17.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता	32	18	14

मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं संकाय

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	एसवीवीयू, तिरुपति	25	10	15
2.	छत्तीसगढ़	आईजीकेवीवी, रायपुर	60	41	19
3.	गुजरात	एएयू, आनंद	71	34	37
4.		एसकेडीएयू, दंतीवाड़ा	82	49	33
5.	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	108	62	46
6.	कर्नाटक	यूएएस, बंगलूरू	7	1	6
7.		यूएएस, धारवाड़	3	2	1
8.		यूएएस, रायचूर	17	5	12
9.		केएएफएसयू, बीदर	74	22	52
10.	केरल	केएयू, त्रिशूर	30	6	24

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	एमएएफएसयू, नागपुर	34	18	16
12.	पंजाब	जीएडीवीएएसयू, लुधियाना	15	9	6
13.	राजस्थान	एमपीयूएटी, उदयपुर	19	8	11
14.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता	20	14	6

मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं संकाय

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	असम	एएयू, जोरहाट	296	126	170
2.	आंध्र प्रदेश	एसवीवीयू, तिरुपति	581	200	381
3.	बिहार	आरएयू, पूसा	85	41	44
4.	छत्तीसगढ़	आईजीकेवीवी, रायपुर	105	42	63
5.	गुजरात	एएयू, आनंद	90	65	25
6.		जेएयू, जूनागढ़	27	9	18
7.		एसकेडीएयू, दंतीवाड़ा	29	16	13
8.	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	136	103	33
9.	हिमाचल प्रदेश	वाईएसपीयूएचएफ, सोलन	1	1	0
10.	झारखंड	बीएयू, रांची	84	44	40
11.	कर्नाटक	यूएचएस, बगलकोट	2	1	1
12.		यूएएस, बंगलूरु	16	12	4
13.		यूएएस, धारवाड़	18	10	8
14.		केएएफएसयू, बीदर	496	123	373

1	2	3	4	5	6
15.	केरल	केएयू, त्रिशूर	238	168	70
16.	मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी, जबलपुर	97	53	44
17.	महाराष्ट्र	एमपीकेवी, राहुरी	81	18	63
18.		एमएएफएसयू, नागपुर	536	340	196
19.	ओडिशा	ओयूएटी, भुवनेश्वर	79	54	25
20.	पंजाब	जेएडीवीएएसयू, लुधियाना	142	89	53
21.	राजस्थान	एसकेआरएयू, बीकानेर	91	47	44
22.	तमिलनाडु	टीएएनवीएएसयू, चेन्नई	591	480	111
23.	उत्तराखंड	जीबीपीयूएटी, पंतनगर	44	0	44
24.	उत्तर प्रदेश	यूपीपीडीडीयू, मथुरा	179	146	33
25.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएएफएस, कोलकाता	96	51	45

मार्च 2009-2010 की स्थिति के अनुसार वानिकी शिक्षा में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं संकाय

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	छत्तीसगढ़	आईजीकेवीवी, रायपुर	63	22	41
2.	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	15	12	3
3.	हिमाचल प्रदेश	वाईएसपीयूएचएफ, सोलन	77	50	27
4.	कर्नाटक	यूएचएस, बगलकोट	2	1	1
5.		यूएएस, बेंगलूरु	30	18	12
6.		यूएएस, धारवाड़	28	8	20
7.		यूएएस, रायचूर	7	2	5

1	2	3	4	5	6
8.	मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी, जबलपुर	10	5	5
9.	महाराष्ट्र	बीएसकेकेवी, दापोली	11	9	2
10.	ओडिशा	ओयूएटी, भुवनेश्वर	17	5	12
11.	पंजाब	पीएयू, लुधियाना	17	11	6
12.	राजस्थान	एमपीयूएटी, उदयपुर	6	5	1
13.	तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयंबटूर	27	21	6
14.	उत्तर प्रदेश	एएयू, इलाहाबाद	8	8	0
15.	उत्तराखंड	जीबीपीयूएटी, पंतनगर	22	16	6

[अनुवाद]

पंचायत प्रतिनिधियों को निधियां जारी न करना

3962. **श्री नवीन जिन्दल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित विभागों से अनुरोध किया है कि उन उम्मीदवारों को जो ओडिशा के पंचायत चुनावों में निर्विरोध चुने गए थे और कथित रूप से माओवादियों के समर्थक थे, विकास निधियां जारी न की जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि विकास योजनाओं के लिए दी जा रही निधियां वामपंथी आतंकी पंचायत सदस्यों द्वारा अन्यत्र उपयोग में लाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने 15.02.2012 को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मल्कानगिरी, कोरापुट, नौपाडा, कन्धमाल, बोलनगीर, राजगढ़, गाजापटी और कालाहांडी जिलों के 26 माओवादी प्रभावित ब्लॉकों में पंचायती राज संगठनों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने तक विकास निधियों की रिलीज की स्थगित रखने पर विचार करने का अनुरोध किया था। ऐसा इस तथ्य के मद्देनजर किया गया था कि इन ब्लॉकों में बड़ी संख्या में पदाधिकारी माओवादियों की धमकियों और दबाव के कारण निर्विरोध चुने गए थे।

ऐसी जानकारियां मिली थी जिनसे पता चलता था कि बड़ी संख्या में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार माओवादी समर्थक थे जिससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि विकास निधियों का विपथन सीपीआई (माओवादी) की तिजोरी में किया जा सकता था। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया था कि केवल मनरेगा स्कीम ही ग्राम पंचायत द्वारा सीधी कार्यान्वित की जाती है और इस स्कीम के अंतर्गत आवंटित निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्कीम में ही पर्याप्त चेक्स और बेलेंसेज का प्रावधान है।

अनाज प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण

3963. **श्री रामसिंह राठवा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल, गेहूं, दालों और तिलहन सहित अनाजों के प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु विशेषरूप से गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) 11वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नई प्रसंस्करण क्षमताओं का सृजन करने, मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करने और मौजूदा खाद्य प्रसस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की थी। उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, अनाज मिलिंग क्षेत्र (चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दाल मिलिंग और तेल मिलिंग) सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी गई थी।

सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 12वीं योजना (2012-13) के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी): एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की थी। राज्य सरकारों को मिशन के अंतर्गत उपर्युक्त स्कीम के लिए पात्र यूनिटों/उद्यमियों से आवेदन प्राप्त करने, संस्वीकृति देने और निधियां जारी करने की शक्तियां दी गई हैं।

11वीं योजना की स्पिलओवर देयताओं के लिए 11वीं योजना तथा 12वीं योजना (2012-13) के दौरान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में उद्यमियों/कार्यान्वियन एजेंसियों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली यूनिटों का राज्य-वार ब्यौरा**

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13** (01.11.12 की स्थिति के अनुसार)	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	105	1904.726	80	1686.751
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.42	0	0	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	12	242.7782	10	184.133
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	5	89.65674	2	36.435
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	75	841.8276	67	751.3186
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.6	16	410.68	5	118.25
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25	2	50	1	19.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	106	1975.034	34	623.207
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.28	62	828.2817	61	778.855
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.53	14	377.51	4	95.95
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	6	98.42	2	16.4269
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	1	16.57	0	0
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.79	61	896.2926	40	623.953
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	52	901.285	14	227.435
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	211.294	23	376.5413	16	217.ड़1205
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	202	2824.152	84	1174.478
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	11	189.7182	14	301..353
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0	1	5.420
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0
22.	नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0	2	14.205
23.	ओडिशा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	9	113.5908	6	97.22077
24.	पुदुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	1	25	2	50
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	147	1692.902	106	1140.428
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	691.123	95	1236.563	31	457.2913
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	75	1389.79	23	408.405
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	53	907.0513	28	477.442
31.	उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	5	138.047	3	67.505
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	19	319.87	5	120.045
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	1157	17846.29	645	9932.17

*आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक के समन्वयनाधीन हैं।

**11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं।

शहरों के नामों में परिवर्तन

3964. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों में कुछ शहरों के नाम बदलने के बारे में संबंधित राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस बारे में केन्द्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, शहरों/कस्बों के नामों में परिवर्तन करने के 31 प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों से इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) गांवों, कस्बों और रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन करने के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श से विचार किया जाता है।

विवरण

कस्बों/शहरों के नामों में परिवर्तन करने के संबंध में प्राप्त मामलों की सूची
(उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार)

क्र. सं.	पुराना नाम	नया नाम	राज्य	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	टाउन साहिबजादा अजीत सिंह	अजीतगढ़	पंजाब	अनुमोदित
2.	टाउन सुनम	सुनम ऊधम सिंह वाला	पंजाब	अनुमोदित
3.	टाउन नवाशंहर	शहीद भगत सिंह नगर	पंजाब	अनुमोदित
4.	टाउन मुक्तसर	श्री मुक्तसर साहिब	पंजाब	अनुमोदित
5.	टाउन फूलबनी	बौध और कौधमाल	ओडिशा	अनुमोदित
6.	टाउन सोनापुर	सुबर्नपुर	ओडिशा	अनुमोदित
7.	सिटी बॉम्बे	मुम्बई	महाराष्ट्र	अनुमोदित
8.	सिटी मद्रास	चन्नई	तमिलनाडु	अनुमोदित
9.	सिटी त्रिवेंद्रम	थिरूवनंतपुरम	केरल	अनुमोदित
10.	टाउन क्विलोन	कोल्लाम	केरल	अनुमोदित

1	2	3	4	5
11.	टाउन त्रिचुर	थ्रिसूर	केरल	अनुमोदित
12.	टाउन अलेप्पी	अलापूझा	केरल	अनुमोदित
13.	टाउन पालघाट	पालाक्काड	केरल	अनुमोदित
14.	टाउन कन्नानोर	कन्नूर	केरल	अनुमोदित
15.	टाउन टेल्लीचेरी	थालसेरी	केरल	अनुमोदित
16.	टाउन बडागरे	वडाक्करा	केरल	अनुमोदित
17.	टाउन परूर	परावूर	केरल	अनुमोदित
18.	टाउन अलवाये	अलूवा	केरल	अनुमोदित
19.	टाउन कोचीन	कोची	केरल	अनुमोदित
20.	टाउन देवी कोलम	देवी कुलम	केरल	अनुमोदित
21.	टाउन चंगनाचेरी	चंगनासेरी	केरल	अनुमोदित
22.	टाउन चिरापिंकिल	चिरायिंकीझू	केरल	अनुमोदित
23.	टाउन क्रनगनोर	कुडुनगुल्लूर	केरल	अनुमोदित
24.	टाउन मन्नारघाट	मन्नारकाड	केरल	अनुमोदित
25.	टाउन मन्नानटोड्डी	मनानथवाडी	केरल	अनुमोदित
26.	टाउन सुल्तान्स बैटरी	सुल्तानबैथरी	केरल	अनुमोदित
27.	टाउन गोटेगांव	श्रीधाम	मध्य प्रदेश	अनुमोदित
28.	टाउन महू	अम्बेडकर नगर	मध्य प्रदेश	अनुमोदित
29.	सिटी भोपाल	भजपाल	मध्य प्रदेश	अनुमोदित
30.	सिटी कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	अनुमोदित
31.	टाउन बाबा बकाला	टाउन बाबा बकाला साहिब	पंजाब	अनुमोदित

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण की परियोजनाएं

3965. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में स्थान-वार कितनी खेल परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(ख) उक्त अवधि में परियोजना-वार आबंटित, उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि में आबंटित राशि में से कितने प्रतिशत राशि व्यय की गई?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु साई खेलों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न स्कीमें नामतः राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), सेना बाल खेल कम्पनी(एबीएससी), साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और आओ और खेलो स्कीमें चलाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित एसटीसी की शुरूआत की है:–

(i) एसटीसी, कोरापुट

(ii) एसटीसी, रायपुर

निम्नलिखित अखाड़े अपनाए गए:–

(i) गांधी शिक्षा सोसाइटी, कुंदाल, जिला-सांगली, महाराष्ट्र

(ii) सत्यनिकेतन एडीवी एम.एन. देशमुख कला विज्ञान कामर्स कॉलेज, अहमदनगर, महाराष्ट्र

(iii) बिन्दु गुरू व्यायामशाला इंदौर, मध्य प्रदेश

(iv) देशवाली समाज व्यायामशाला उज्जैन, मध्य प्रदेश

(v) धक्कू बाबा अखाड़ा, जमालपुर, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

(vi) मेघबरन सिंह कॉलेज अखाड़ा, करमपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

भीलवाड़ा स्थित सुखाड़िया खेल परिसर को राजस्थान में एसटीसी जोधपुर के विस्तार केंद्र के रूप में अपनाया गया।

वर्ष 2011-12 में दिल्ली स्थित साई स्टेडियमों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में चल रहे साई केंद्रों में 'आओ और खेलो' स्कीम की शुरूआत की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत एसटीसी जोधपुर, राजस्थान में 59 लड़कों और 02 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

खेलों को बढ़ावा देने वाली साई स्कीमों का पिछले तीन वर्षों (2009-12) के दौरान बजट आबंटन और व्यय

शेष भारत

(करोड़ रुपए)

स्कीम	2009-10		2010-11		2011-12	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)	1.11	1.18	1.81	1.12	0.94	0.67
सेना बाल खेल कम्पनी (एबीएससी)	3.00	3.00	4.53	4.83	3.72	3.72
साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)	16.20	20.13	30.90	23.82	22.87	24.61

1	2	3	4	5	6	7
विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)	3.39	4.39	6.09	4.53	4.42	4.80
उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	0.77	1.06	2.03	1.00	0.85	0.94
कुल	24.47	29.76	45.36	35.30	32.80	34.74

पूर्वोत्तर क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

स्कीम	2009-10		2010-11		2011-12	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)	0.21	0.23	0.28	0.14	0.15	0.13
सेना बाल खेल कम्पनी (एबीएससी)	0.40	0.30	1.10	0.30	0.56	0.50
साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)	3.20	3.40	4.79	3.80	3.67	4.10
विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)	4.40	4.96	6.50	5.89	5.50	6.73
उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	0.29	0.29	0.54	0.34	0.30	0.37
कुल	8.50	9.18	13.21	10.47	10.18	11.83

[अनुवाद]

चारे की मांग और आपूर्ति

3966. **श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार चारे की मांग और आपूर्ति कितनी रही;

(ख) क्या खेतों में कटाई मशीनों के उपयोग के कारण प्रतिवर्ष भारी मात्रा में चारे का नुकसान हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर कटाई मशीनों के उपयोग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) आहार और चारे के उत्पादन के संबंध में आकलन प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है। तथापि, नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसिस (एनएबीसीओएनएस) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2007 में हरे चारे, सूखे चार और सांद्रणों की मांग और उपलब्धता के बीच अनुमानित कमी का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:—

(सूखा चारा मिलियन टन)

आहार	मांग	उपलब्धता	अंतर
सूखा चारा	416	253	163(40%)
हरा चारा	222	143	79(36%)
सांद्रण	53	23	30(57%)

उपर्युक्त अध्ययन के अनुसार हरे और सूखे चारे, आहार और सांद्रणों की राज्य-वार उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) खेत में कटाई मशीन से फसल कटाई की प्रक्रिया की ठूंठियां रह जाती हैं जिनका उपयोग सूखे चारे के रूप में किया जा सकता है। खेतों में छूट गई सामग्री की मात्रा का आकलन करने के लिए इस विभाग द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) इस विभाग ने राज्यों को सलाह जारी की है कि वे फसल अपशिष्टों का कुशलता पूर्वक उपयोग और चारे की क्षति को रोकना सुनिश्चित करें।

विवरण

एनएबीसीओएनएस द्वारा किए गए आकलन के अनुसार आहार और चारे की राज्य-वार उपलब्धता और आवश्यकता

(सूखा चारा, मिलियन टन)

राज्य	फसल अपशिष्ट			हरा चारा			आहार/सांद्रण		
	उपलब्धता	आवश्यकता	कमी (%)	उपलब्धता	आवश्यकता	कमी (%)	उपलब्धता	आवश्यकता	कमी (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	15.69	31.71	49.48	4.88	16.91	28.86	1.05	5.66	18.55
अरुणाचल प्रदेश	0.47	1.00	47.00	1.57	0.53	296.23	0.03	0.07	42.86
असम	5.82	12.39	46.97	0.95	6.61	14.37	0.40	1.02	39.22
बिहार	16.23	23.49	69.09	0.81	12.53	6.46	1.16	2.09	55.50
छत्तीसगढ़	9.93	14.93	66.51	2.83	7.96	35.55	0.46	0.69	66.67
गोवा	0.13	0.15	86.67	0.05	0.08	52.50	0.00	0.03	0.00
गुजरात	10.61	22.32	47.54	14.48	11.90	121.68	1.22	3.14	38.85
हरियाणा	8.75	9.95	87.94	5.57	5.31	123.73	1.18	2.47	47.77
हिमाचल प्रदेश	2.30	4.60	50.00	1.98	2.45	80.82	0.19	0.44	43.18
जम्मू और कश्मीर	2.53	6.79	37.26	0.64	3.62	17.68	0.20	0.82	24.39
झारखंड	4.10	13.59	30.17	0.88	7.25	12.14	0.18	0.93	19.35
कर्नाटक	14.59	20.66	70.62	3.55	11.02	32.21	0.87	2.52	34.52
केरल	0.71	2.91	24.40	0.38	1.55	24.52	0.03	1.12	2.68
मध्य प्रदेश	24.30	37.41	64.96	11.65	19.95	58.40	3.74	3.19	117.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	22.21	33.68	65.94	25.12	17.96	139.87	1.56	3.92	39.80
मणिपुर	0.36	0.72	50.00	0.00	0.38	0.00	0.01	0.11	9.09
मेघालय	0.31	1.17	26.50	0.40	0.62	64.52	0.02	0.11	18.18
मिजोरम	0.15	0.06	250.00	0.50	0.03	1666.67	0.01	0.03	33.33
नागालैंड	0.56	0.74	75.68	0.30	0.40	75.00	0.04	0.10	40.00
ओडिशा	12.25	22.27	55.01	2.46	11.88	20.71	0.65	1.12	58.04
पंजाब	13.71	10.58	129.58	7.38	5.64	130.85	1.37	3.60	38.06
राजस्थान	21.67	33.53	64.63	33.53	17.88	187.53	2.58	3.88	66.49
सिक्किम	0.23	0.25	92.00	0.01	0.13	7.69	0.02	0.03	56.67
तमिलनाडु	7.01	16.46	42.59	3.70	8.78	42.14	0.43	4.13	10.41
त्रिपुरा	0.53	1.09	48.62	0.19	0.58	32.76	0.02	0.13	15.38
उत्तर प्रदेश	42.07	57.19	73.56	15.73	30.50	51.57	4.25	7.73	54.98
उत्तराखंड	2.05	4.90	41.84	1.73	2.61	66.28	0.18	0.61	29.51
पश्चिम बंगाल	13.77	30.30	45.45	0.51	16.16	3.16	0.88	3.28	26.83
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.11	18.18	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
दादरा और नगर हवेली	0.04	0.08	50.00	0.02	0.04	50.00	0.00	0.01	0.00
दमन और दीव	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.09	0.43	20.93	0.01	0.23	4.35	0.01	0.14	7.14
लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुदुचेरी	0.06	0.11	54.55	0.01	0.06	16.67	0.00	0.02	0.00
अखिल भारत	253.26	415.63	2083.65	142.82	221.63	3474.90	22.74	53.19	1064.70

स्रोत: नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसिस-2007

[अनुवाद]

गोपनीय जानकारी देना

3967. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से जांच के आरंभिक चरण के दौरान मीडिया और लोगों के साथ गोपनीय सूचना को बांटने के खतरों के बारे में पुलिस बलों को सूचित करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन, 2012 में केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में सभी पुलिस महानिदेशकों को यह परामर्श दिया था कि खतरे से संबंधित आसूचना को सावधानीपूर्वक संभाला जाए और उस पर तत्परता के साथ किन्तु बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्य किया जाए। ऐसी आसूचना के समयपूर्व प्रकटन से खतरे को रोक पाने में विलम्ब हो सकता है और उसकी संभावना भी नाकाम हो सकती है। इसी प्रकार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एकत्रित सुरागों को प्रकट करने से अन्य षडयंत्रकारी सतर्क हो जाते हैं और इससे जांच की गति कुंठित हो जाती है। अन्ततः, सार्वजनिक रूप से विशिष्ट जानकारी के अविवेकपूर्ण प्रकट से जांचकर्त्ताओं द्वारा ईजाद की गई अभिनव तकनीक की प्रभावकारिता भी शीघ्र समाप्त हो जाती है। जांच सूक्ष्म रूप से अपराधियों की पहचान करने पर पूरी तरह केन्द्रित होनी चाहिए।

कोयले के आयात से घाटा

3968. श्री पी. लिंगम :
श्री धनंजय सिंह :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और कोयला आधारित उद्योगों को वर्ष 2012-13 में लगभग 20 मिलियन टन कोयले का आयात करने तथा उसे रियायती दरों पर कोयला आधारित उद्योगों को आपूर्ति करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इससे राजकोष को कितना नुकसान होने की आशा है;

(ग) क्या सीआईएल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है क्योंकि इससे जनता के पैसे से केवल स्वतंत्र विद्युत तथा अन्य कंपनियों को लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि घरेलू कोयले के सकल केलोरिफिक मूल्य के समान मूल्य पर आपूर्ति हेतु विद्युत स्टेशनों के प्रति अपने ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि. कोयले का आयात करें। ऐसे कोयले की आपूर्ति के संबंध में संयंत्रों के स्थान के आधार पर निर्णय लिया जाएगा चाहे ये संयंत्र सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में हों बशर्ते ऐसे संयंत्रों का डिस्कोम के साथ दीर्घावधि विद्युत खरीद करार हो। घरेलू कोयले के सकल केलोरिफिक मूल्य के समान मूल्य पर विद्युत स्टेशनों को आयातित कोयले की आपूर्ति करने पर भार घरेलू कोयले की कीमत के साथ मिलाए जाने का प्रस्ताव है ताकि कोल इंडिया लि. को राजस्व की कोई हानि नहीं हो।

(ग) कोल इंडिया लि. के बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ विचार व्यक्त किया है कि इस मामले पर आयातित कोयले के सभी उपयोगकर्त्ताओं तथा गैर-उपयोगकर्त्ताओं दोनों के बीच एक राय होनी चाहिए तथा कोल इंडिया लि. को तद्नुसार, विद्युत स्टेशनों को पत्र लिखने के लिए कहा है। कोल इंडिया लि. ने आवश्यक कार्रवाई की है।

(घ) सरकार इस संबंध में रिपोर्ट जिसे तैयार किया जा रहा है, प्रस्तुत किए जाने के बाद उपर्युक्त निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

कीटनाशकों का छिड़काव

3969. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों के छिड़काव के कारण अनेक किसानों की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए लाइसेंस हेतु कोई प्रावधान किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा लाइसेंस के बिना कीटनाशकों के छिड़काव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह उल्लेख हो कि पिछले तीन वर्षों के दौरान नाशीजीवों का छिड़काव करने से कुछ किसानों की मृत्यु हुई।

(ख) और (ग) किसानों के लिए स्वयं अपनी कृषि भूमि पर नाशीजीवमारों का छिड़काव करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 13 के अंतर्गत नाशीजीवमारों के प्रयोग हेतु वाणिज्यिक नाशीजीव नियंत्रण प्रचालकों के लिए लाइसेंस का प्रावधान है। कीटनाशक नियमावली, 1971 के अनुसार, वाणिज्यिक नाशीजीव नियंत्रण प्रचालन का अर्थ घर या सार्वजनिक स्थान या निजी परिसरों पर भूमि में धूमकों सहित कीटनाशकों का प्रयोग का छिड़काव है और इनमें निजी प्रयोग को छोड़कर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हवाई अनुप्रयोग सहित खेत में नाशीजीव नियंत्रण अनुप्रयोग शामिल हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उपर्युक्त नाशीजीवमार अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु अनुसंधान की शुरूआत की ताकि विभिन्न फसल कैनोपी मात्राओं और आकारों के लिए उपलब्ध नाशीजीवमार एप्लीकेटर और उनकी विशेषताओं को मानकीकृत किया जा सके। पेट्रोल इंजन से चलने वाले मोटरीकृत नैपसैक स्प्रेयर से दूर-दूर तक और अच्छी तरह से छिड़काव हुआ जिससे विभिन्न प्रकार के नाशीजीवों को नियंत्रित करने के लिए इच्छित नाशीजीवमारों जिन्होंने सैप संकिंग/टिश्यू बोरिंग/टिश्यू च्यूइंग या बीमारियों नेमोटोडस/संक्रमण के कारण फसल को प्रभावित किया, की जैव-क्षमता को बेहतर करने में समर्थ किया। परम्परागत नैपसैक हस्तचालित स्प्रेयरों की अपेक्षा नाशीजीव को दबाने के संबंध में अधिक सक्षमता के साथ फसल के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए कम समय और लागत का लाभ प्राप्त करने के लिए दोहरे नोजल वाले हस्तचालित नैपसैक स्प्रेयरों को अधिक बेहतर पाया गया।

ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के कारण परम्परागत बिजली स्प्रेयर को कैरोसीन चालित आयातित स्प्रेयर से प्रतिस्थापित किया गया। तथापि, लम्बे ब्रिज वाली बागवानी फसलों के लिए रॉकर/फुट पम्प स्प्रेयर का अभी भी किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर पंक्तिबद्ध फसलों हेतु कार्यनिष्पादन में उपलब्ध साधनों में काफी बेहतर है।

अपूर्ण नक्शा

3970. श्री राधा मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शित नक्शे की ओर दिलाया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर के भाग को प्रदर्शित नहीं किया गया है और राष्ट्रीय चिन्ह भी पूर्ण रूप से मुद्रित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) यह ध्यान में आया था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हाल ही में निर्मित और सज्जित पुलिस उपायुक्त/पूर्वी के नए कार्यालय की सजावटी पट्टी (पैनल) पर केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा भारत का नक्शा गलत बना दिया गया था। जैसे ही यह बात ध्यान में आई, दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों दे दी थी और सम्पूर्ण प्रदर्शन पैनल को तत्काल हटा दिया गया था। चूंकि यह एक असंज्ञेय अपराध है, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कानून की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत

एक मामला दायर करने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

आईसीवीएल में कोल इंडिया लिमिटेड का जारी रहना

3971. **श्री वैजयंत पांडा :**
श्री पी. कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड (आईसीवीएल) में बने रहने के संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड जिसकी हाल ही में बैठक हुई थी इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी और इस संबंध में विभिन्न संकल्प पारित किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) यह मामला कोल इंडिया लि. के निदेशक बोर्ड के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

एनएचआरसी को वित्तीय आवंटन

3972. **डॉ. भोला सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या एनएचआरसी को वित्तीय आवंटन में कमी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 32 के तहत सरकार से वार्षिक अनुदान प्राप्त करता है।

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किए गए वित्तीय आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	सरकार द्वारा आबंटन
1.	2009-2010	1911 लाख रुपए (संशोधित अनुमान)
2.	2010-2011	2489 लाख रुपए (संशोधित अनुमान)
3.	2011-2012	2575 लाख रुपए (संशोधित अनुमान)
4.	2012-2013	2901 लाख रुपए (बजट अनुमान)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग

3973. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेराटोजनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके आयात किए जाने के क्या कारण हैं और इसके उत्पादकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या राजस्थान सहित देश में कीटनाशकों के प्रयोग से पशु, मानव और पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम 'सत्यमेव जयते' की ओर दिलाया गया है जिसमें कीटनाशकों को हानिकारक बताया गया है और राजस्थान में इसके प्रयोग से किसान इससे भयग्रस्त हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) यदि कोई कीटनाशी टेराटोजनिक है, तो पंजीकरण समिति (आरसी) इसके पंजीकरण को स्वीकृत नहीं करता है। टेराटोजनिसिटी सहित विभिन्न विषाक्तता परीक्षणों पर उपलब्ध व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी आंकड़ों पर आपसी विचार करती है ताकि देश में उपभोग के लिए किसी कीटनाशक को पंजीकरण हेतु अनुमोदित करने से पहले सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा सके।

यदि नाशीजीवमार का प्रयोग लेबल एवं लीफलेट पर वर्णित विनिर्दिष्ट मात्रा एवं प्रणाली विज्ञान के अनुसार किया जाता है, तो वे मानव जीवन (विकासात्मक विषाक्तता जोखिम सहित), पशुओं और उनसे संबंधित मामलों के लिए कोई जोखिम या खतरा पैदा नहीं करते। भारत सरकार ने मनुष्यों, पशुओं और उनसे संबंधित मामलों के दृष्टिगत एक व्यापक विधान कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियमावली, 1971 का अधिनियमन किया है जिनका उद्देश्य, आयात, विनिर्माण, बिक्री, भंडारण, वितरण, परिवहन एवं कीटनाशकों का उपयोग था। कीटनाशी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति (आरसी) मनुष्यों एवं पशुओं को इन उत्पादों की क्षमता और सुरक्षा के संबंध में सूत्रों की जांच करने और आयातकों या विनिर्माताओं द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के बाद कीटनाशकों को पंजीकृत करती है।

(ङ) और (च) 'सत्यमेव जयते कार्यक्रम' निजी प्रेक्टिशनर द्वारा प्रदत्त सूचना उनके द्वारा पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं थी।

राज्य एवं संघ शासित सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि कीटनाशकों का प्रयोग लेबल दावों के अनुसार हो।

[अनुवाद]

कैदियों को सुविधाएं

3974. श्री अब्दुल रहमान :
श्री बदरुद्दीन अजमल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न जेलों में बंद मुस्लिम समुदाय के कैदियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रमजान के पवित्र महीने में जेलों में मुस्लिम कैदियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रबंध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में सहरी और इफ्तार के रीति-रिवाज के लिए मुस्लिम कैदियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जेल प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुस्लिम कैदियों की प्रताड़ना रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 के अंत तक देश की जेलों में मुस्लिम समुदाय के 75053 कैदी बंद हैं। मुस्लिम समुदाय के कैदियों के राज्य-वार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) भारत से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। अतः, जेलों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। मुस्लिम कैदियों के लिए रमजान के पवित्र महीने में उनके रीति-रिवाजों के लिए विशेष भोजन सहित कैदियों को आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करवाने के लिए कारागारों में पर्याप्त प्रबंधन हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोषसिद्ध	विचाराधीन व्यक्ति	निरुद्ध व्यक्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	556	1404	2	0	1962

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	6	0	0	6
3.	असम	926	1846	0	0	2772
4.	बिहार	740	3954	1	1	4696
5.	छत्तीसगढ़	233	491	0	2	726
6.	गोवा	16	93	0	0	109
7.	गुजरात	971	1501	110	0	2582
8.	हरियाणा	475	906	0	0	1381
9.	हिमाचल प्रदेश	32	35	0	0	67
10.	जम्मू और कश्मीर	122	1011	158	0	1291
11.	झारखंड	712	2017	1	0	2730
12.	कर्नाटक	958	1032	1	49	2040
13.	केरल	770	1092	1	0	1863
14.	मध्य प्रदेश	2023	2162	25	19	4229
15.	महाराष्ट्र	2513	5600	13	0	8126
16.	मणिपुर	7	74	6	0	87
17.	मेघालय	17	78	0	0	95
18.	मिजोरम	19	21	0	0	40
19.	नागालैंड	22	40	7	0	69
20.	ओडिशा	96	438	0	0	534
21.	पंजाब	308	426	0	0	734
22.	राजस्थान	1007	2249	4	1	3261
23.	सिक्किम	0	1	0	0	1
24.	तमिलनाडु	671	943	164	0	1778

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	72	101	0	0	173
26.	उत्तर प्रदेश	5877	14778	98	27	20780
27.	उत्तराखंड	453	445	0	0	898
28.	पश्चिम बंगाल	2595	6174	3	155	8927
	कुल राज्य	22191	48918	594	254	71957
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	75	97	0	0	172
30.	चंडीगढ़	26	45	0	0	71
31.	दादरा और नगर हवेली	0	4	0	0	4
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	650	2102	6	0	2758
34.	लक्षद्वीप	0	30	50	0	80
35.	पुदुचेरी	1	10	0	0	11
	कुल संघ शासित राज्य	752	2288	56	0	3096
	कुल अखिल भारत	22943	51206	650	254	75053

टीवी चैनलों द्वारा राष्ट्रीय गान का दुरुपयोग

3975. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री बलीराम जाधव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि टीवी चैनल सिनेमा हॉलों में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु अपने रियल्टी शो के प्रचार के लिए राष्ट्रीय गान का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय ने इस संबंध में संज्ञान लिया है और इन टीवी चैनलों के विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकार को सलाह जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) जितेन्द्र गुप्ता, एडवोकेट से एक प्रतिवेदन प्रापत हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि कलर्स टीवी चैनल थियेटरों में एक रियलटी शो के प्रचार के लिए राष्ट्रीय गान का दुरुपयोग कर रहा है।

श्री जितेन्द्र गुप्ता ने बाद में इए विषय के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 6611/2012 दायर की। उच्च

न्यायालय ने यह कहते हुए मामले का निपटान किया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजे गए प्रतिवेदन की जांच संबंधित मंत्रालय अर्थात् गृह मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए।

तदनुसार, श्री जितेन्द्र गुप्ता का प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक संस्थानों को विदेशी निधियां

3976. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ अल्पसंख्यक संस्थान विदेशों से विदेशी निधियां प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन संस्थानों के कार्यकरण की जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, पंजीकृत अल्पसंख्यक संस्थानों और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया विदेशी अभिदाय नीचे दर्शाया गया हैं:—

धर्म	एसोसिएशनों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3
	2008-09	
बौद्ध	103	171.07
इसाई	4871	3689.30
मुसलमान	287	114.20
सिक्ख	12	12.91
कुल	5273	3987.48
	2009-10	
बौद्ध	97	164.61
इसाई	4751	3542.31
मुसलमान	246	99.52
सिक्ख	13	4.98
कुल	5107	3811.42
	2010-11	
बौद्ध	99	168.94
इसाई	4721	3385.64
मुसलमान	251	123.33
सिक्ख	14	5.19
कुल	5085	3683.10

जहां तक वर्ष 2011-12 में प्राप्त विदेशी अभिदाय का संबंध है, इनके आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे हैं क्योंकि गैर सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31.12.2012 हैं।

(ग) और (घ) सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार देश में गैर सरकारी संगठनों की प्राप्ति और उसके उपयोग की निगरानी करती है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 में गैर सरकारी संगठनों द्वारा पंजीकरण कराने अथवा पूर्वानुमति लेने के पश्चात विदेशी निधियां प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। पंजीकरण कराने अथवा पूर्वानुमति प्रदान करने संबंधी गैर सरकारी संगठनों के प्रत्येक आवेदन

पर संबंधित सुरक्षा एजेन्सियों से मिली जानकारियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। विदेशी निधियां प्राप्त करने हेतु पंजीकृत किए गए/पूर्वानुमति प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने अपेक्षित है। इन लेखों की समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक हो, प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण दल के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

नारियल पानी की बिक्री

3977. **श्री एम.के. राघवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में नारियल पानी की बिक्री के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) क्या सरकार नारियल पानी की बोतल बंद पानी के विकल्प के रूप में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारत सरकार ने मंडी में कच्चे नारियल पानी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास पहलें की हैं:—

(i) देश भर में कच्चे नारियल पार्लरों की स्थापना करने के लिए किसानों के प्रयासों में सहायता करना;

(ii) पाउच, पैट बोतल और एल्युमीनियम कैन में कच्चे नारियल पानी को पैक करने और परिरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना;

(iii) नारियल प्रौद्योगिकी मिशन, नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) की स्कीम के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से प्रति वर्ष 30 मिलियन कच्चे नट प्रसंस्कृत करने की क्षमता सहित देश के विभिन्न भागों में आठ इकाइयों की स्थापना की।

(ख) नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक भवनों को खतरा

3978. **श्री महेश जोशी : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर में मेट्रो रेल के निर्माण से वहां स्थित ऐतिहासिक भवनों को खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को जयपुर में मेट्रो रेल के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि मेट्रो रेल के निर्माण का कार्य दुर्ग नगर के बाहर चल रहा है और वहां पर उस विभाग का कोई संरक्षित स्मारक नहीं है।

[अनुवाद]

मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण

3979. **श्री के. सुगुमार : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईसी) अपनी रुचि की मीडिया रिपोर्टों की निगरानी के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने और नियमित आधार पर सुदृढ़ कमजोर अवसर और चुनौती विश्लेषण प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनआईए ने इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चयनित फर्म को एनआईए संबंधित व्यापक अनुसंधान मीडिया रिपोर्ट और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों और दैनिक रूप से सॉफ्ट कॉपी को उद्यतन करने का कार्य सौंपा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एनआईए के हित से संबंधित मामलों अर्थात् दैनिक आधार पर दिल्ली प्रकाशनों में आने वाले आतंकवाद संबंधी समाचार इत्यादि की समाचार कतरनें उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स बीआईयूएस मीडिया मॉनिटर, नई दिल्ली को सूचीबद्ध किया है। उक्त सेवा दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए पहले ही आरंभ की जा चुकी हैं।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को निविदा जारी की थी। तथापि, तकनीकी कारणों की वजह से दिनांक 03 अक्तूबर, 2012 को निविदा सूचना रद्द कर दी गई थी क्योंकि इसमें सन्निहित धनराशि रुपए 5000/- प्रति माह थी। तथापि, इसके पश्चात् मैसर्स बीआईयूएस मीडिया मॉनीटर, जो पहले से ही सीबीआई के पास सूचीबद्ध है, को सीबीआई के साथ सहमत निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर एनआईए के पास सूचीबद्ध किया गया है।

(घ) और (ङ) चयनित एजेंसी केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हित के मामलों की ऐसी समाचार कतरने मुहैया कराएगी जो समाचार पत्रों में आएंगी। इन्हें दैनिक आधार पर ई-मेल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

छूआछूत के मामले

3980. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंगनवाड़ी, विद्यालयों में मध्याहन भोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रदान करने वाली सेवाओं में छूआछूत के मामले विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रकाश में आए कुल मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) देश के कुछेक भागों में छुआछुत की प्रथा की कुछ घटनाएं जानकारी में आयीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, व्यक्तिगत मामलों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से संबंधित आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, के प्रति अपराध सहित अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, उनके पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध के संबंध में एक विस्तृत परामर्शी पत्र भेजा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी परामर्शी पत्र में विभिन्न कदमों अर्थात् सांविधिक प्रावधानों एवं मौजूदा विधानों का सख्त एवं विवेकापूर्ण प्रवर्तन, सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों इत्यादि के जरिए एससी/एसटी के प्रति अपराध के प्रति विधि प्रवर्तन मशीनरी को सुग्राही बनाना, एससी/एसटी के प्रति अपराध संबंधी विधानों के बारे में जन जागरुकता में सुधार लाना; हिंसा, गाली-गलौज और शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली विकसित करना; एससी/एसटी के प्रति अपराध के मामलों में एफआईआर के दर्ज करने में विलम्ब न करना; निवारक उपाय अपनाने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अत्याचार बहुल क्षेत्रों की पहचान करना; अत्याचार के पीड़ितों के पुनर्वास के यथोचित उपाय करना इत्यादि का उल्लेख है।

गृह मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह मंत्रियों और सामाजिक न्याय के प्रभारी मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विवरण-I

वर्ष 2009-2011 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति केवल एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1737	599	62	1621	1440	86	1509	650	69	1209	1215	67	1439	647	52	1483	1184	128
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2534	1276	103	3375	2922	246	2548	1557	76	3345	3014	194	3024	3043	107	5180	4687	239
5.	छत्तीसगढ़	107	125	27	139	139	64	95	81	27	138	143	102	0	0	18	0	0	22
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0
7.	गुजरात	400	369	7	767	765	11	220	221	16	546	558	30	192	180	4	407	401	8
8.	हरियाणा	91	56	14	139	126	21	131	94	31	177	178	30	150	93	10	192	192	41
9.	हिमाचल प्रदेश	60	36	1	119	111	1	72	34	2	89	85	3	82	46	2	151	118	2
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	270	181	25	335	308	44	245	152	23	304	327	52	282	149	24	349	347	80
12.	कर्नाटक	1097	771	23	2168	2151	83	1292	962	49	3089	2904	120	1331	1003	69	3180	3008	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	42	16	3	18	15	6	35	11	0	12	12	0	59	13	0	27	14	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	101	0	0	148	13	13	124	22	22	238	4	3	62	5	5	101
15.	महाराष्ट्र	291	268	6	531	516	10	319	254	1	593	530	2	304	219	5	562	544	10
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	652	398	14	748	730	33	1224	927	69	1304	1352	76	1256	945	64	1558	1584	86
21.	पंजाब	71	50	5	161	180	10	50	30	6	86	78	13	24	9	3	32	39	5
22.	राजस्थान	110	23	43	33	33	124	103	25	38	30	30	120	102	22	116	42	41	69
23.	सिक्किम	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1047	599	43	1774	1656	128	1255	774	117	2436	2156	209	1011	684	224	2691	1926	321
25.	त्रिपुरा	3	1	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	2554	1933	1225	7322	5494	3870	1328	901	2552	3333	2498	6686	1995	1479	1563	6015	4095	3872
27.	उत्तराखंड	33	24	9	43	42	25	25	14	17	50	26	32	21	11	6	30	41	9
28.	पश्चिम बंगाल	10	3	0	10	6	0	27	3	0	13	10	0	37	20	0	51	24	0
	कुल राज्य	11109	6729	1711	19306	16638	4910	10495	6704	3217	16785	15143	7974	11316	8568	2329	21958	18251	5124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित राज्य	31	16	0	17	16	0	16	3	7	12	4	7	24	9	3	21	20	4
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	1	0	7	2	0	2	4	0	4	10	0	1	1	1	2	2	4
	कुल संघ शासित राज्य	34	17	0	26	18	0	13	7	8	16	14	8	26	10	4	23	22	8
	कुल अखिल भारत	11143	6746	1711	19332	16656	4910	10513	6711	3225	16801	15157	7982	11342	8578	2333	21981	18273	5132

(स्रोत: भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति केवल एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	326	139	12	347	261	20	225	102	11	251	252	30	233	172	11	210	221	28
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0
4.	बिहार	31	22	4	49	60	12	33	16	2	53	34	3	71	68	6	156	138	15
5.	छत्तीसगढ़	124	120	14	144	144	16	132	129	28	192	190	46	1	1	25	1	1	23
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	77	70	0	142	146	0	34	34	1	71	71	1	23	24	0	50	49	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	2	2	0	2	1	1	2	1	1	4	1	0	2	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	62	83	24	136	131	35	75	45	18	55	93	27	104	45	11	63	62	19
12.	कर्नाटक	147	101	3	448	426	16	168	118	6	717	578	12	162	139	6	576	500	18
13.	केरल	5	1	0	1	1	0	13	10	0	9	9	0	22	3	0	5	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	0	0	78	0	0	109	4	4	58	6	6	265	1	1	36	4	4	39
15.	महाराष्ट्र	37	39	1	79	74	1	55	38	0	103	79	0	61	52	1	118	119	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	80	89	3	154	152	4	355	253	43	358	357	43	406	291	26	490	468	28
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	21	4	10	4	4	19	26	6	15	9	9	62	20	4	15	9	9	37
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	17	14	0	51	51	0	25	23	0	33	33	0	4	2	0	5	5	0
25.	त्रिपुरा	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	0	7	4	0	13	0	0	22	0	0	27	18	17	3	38	34	7
27.	उत्तराखंड	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	8	3	0	4	2	0	21	9	0	15	9	0	19	10	0	9	8	0
	कुल	939	687	158	1566	1455	249	1169	788	205	1879	1721	517	1152	830	140	1741	1621	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	10	10	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	4	3	0	4	4	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	5	3	0	4	4	0	0	1	0	1	1	0	2	2	0	10	10	0
	कुल अखिल भारत	944	690	158	1570	1459	249	1169	789	205	1880	1722	517	1154	832	140	1751	1631	215

(*स्रोत:* भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2009-2011 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति नागरिक अधिकारों का संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	39	5	6	78	60	8	50	41	3	58	79	11	10	11	0	12	15	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2	2	0	4	4	0	0	0	3	0	0	7	2	2	0	6	6	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	5	0	1	1	1	3	3	2	3	3	0	33	33	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	2	2	0	1	1	0	4	4	0	1	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	10	7	0	22	22	0	33	25	0	153	102	0	8	10	0	39	40	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	24	21	2	42	44	2	25	19	1	57	48	1	10	3	0	179	193	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	45	45	45
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	0	8	1	0	8	3	2	0	5	2	0	12	1	0	4	2	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	61	52	31	174	141	87	0	0	44	0	0	105	0	0	22	0	0	52
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	140	89	47	323	278	105	117	90	52	287	245	126	52	35	27	318	334	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	26	14	0	34	28	0	26	27	1	55	54	1	15	13	0	19	22	0
	कुल संघ शासित राज्य	28	15	0	35	29	0	26	27	1	55	54	1	15	13	0	19	22	0
	कुल अखिल भारत	168	104	47	358	307	105	143	117	53	342	299	127	67	48	27	337	356	97

(*स्रोत:* भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति नागरिक अधिकारों का संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	0	2	8	0	4	3	0	4	4	0	3	3	0	7	7	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	2	1	0	2	3	0	5	4	0	11	11	0	7	3	0	7	7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	2	1	0	2	8	0	5	4	0	11	11	0	7	3	0	7	7	0

(*स्रोत:* भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

2जी आवंटन से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चिंताएं

8981. **श्री दारा सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, उन कंपनियों को आवंटित 2जी स्पैक्ट्रम जिनको उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था से उत्पन्न कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन कंपनियों को स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया था जिनके बारे में गृह मंत्रालय ने राष्ट्र-विरोधी शक्तियों के साथ निकट संबंधों के बारे में चिंता व्यक्त की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंग्ल भारतीयों को आवास

3982. **श्री चार्ल्स डिएस : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, आंग्ल भारतीयों जिन्हें रेल लाइन और टेलीफोन लाइन के निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए बाध्य होने और उनके एक स्थान पर ही बसने के कारण और उन्हें किराए के मकान में रहने पर बाध्य होने के मद्देनजर उन्हें आवास प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) भारत सरकार को आंग्ल भारतीयों को आवास प्रदान करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, चूंकि शहरी विकास और आवास राज्य के विषय हैं, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) [घटक शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)] के अंतर्गत क्षेत्रों/स्लमों के विकास के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने और अन्य कार्यक्रम शुरू करने से संबंधित कार्य राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे बीएसयूपी और आईएचएसडीपी, भागीदारी में किफायती आवास योजना, राजीव आवास योजना के अंतर्गत आंग्ल भारतीयों की आबादी वाले शहरों में आंग्ल भारतीयों समुदाय को शामिल करने पर विचार करें।

[हिन्दी]

बचत-सह-राहत योजना हेतु निधियां

3983. **श्री शिवराज भैया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश से 75.26 लाख रुपए स्वीकृत करने और मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत योजना के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 6.09 लाख रुपए स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 96.09 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और उक्त प्रस्तावों की 35.26 लाख रुपए की शेष राशि को स्वीकृति दी जानी है; और

(ख) यदि हां, तो शेष राशि को कब तक स्वीकृत और जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को पहली किस्त के रूप में 40 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है और 2011-12 के दौरान जारी की गई धनराशि में से खर्च न की गई 6.09 लाख रुपए की बकाया धनराशि पुन: वैद्य की गई है। पहले जारी की गई धनराशि का उपयोग किए जाने और उसका उपयोग प्रमाण-पत्र तथा संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट भेजने के बाद ही बकाया धनराशि जारी की जाती है।

आईसीएआर में रिक्त पद

3984. **श्री तूफानी सरोज : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियंत्रणाधीन कुल कितने निकाय अथवा संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या आईसीएआर का इन निकायों पर प्रशासनिक नियंत्रण है;

(ग) 31 अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार आईसीएआर और आईसीएआर के अंतर्गत संस्थानों में वैज्ञानिकों और, अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) आईसीएआर द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पूरे देश में फैले 107 अनुसंधान संस्थान वर्तमान में विविध फसलों/किस्मों/कृषि जलवायु क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं।

(ख) जी, हां। सभी 107 संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संघटक यूनिट हैं।

(ग) और (घ) दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 को वैज्ञानिक श्रेणी में 1177 पद तथा प्रशासनिक श्रेणी में अधिकारियों के 25 पद रिक्त थे। चूंकि इन रिक्त पदों को केन्द्रीय स्तर पर कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) द्वारा भरा जाता है अत: 948 पदों की मांग एएसआरबी को अधिसूचित कर दी गई है तथा शेष 229 पदों की मांग शीघ्र ही अग्रेषित की जाएगी।

एएसआरबी द्वारा इन रिक्त पदों को भरने का कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया गया है।

शाकुंबरी देवी मंदिर के लिए निधियां

3985. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित प्राचीन शाकुंबरी देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु निधियों के आवंटन करने के लिए कदम उठाए हैं/कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत सहारनपुर जिले में गंगोह स्थित शाकुंबरी देवी मंदिर, बाबा हरिदास मंदिर और कुतुब आलम दरगाह के लिए पर्यटक सुविधा हेतु वर्ष 2004-05 में 49.28 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी।

[अनुवाद]

भारत और बुल्गारिया की सुरक्षा बैठक

3986. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बुल्गारिया ने हाल ही में आपसी हितों से संबंधित द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विषयों का ब्यौरा क्या है जिन पर दोनों देश सहयोग के लिए सहमत हुए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। बुल्गारिया सरकार के आंतरिक मामले उप-मंत्री तथा भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बीच दिनांक 16 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत हुई।

भारत और बुल्गारिया ने संगठित अपराध, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध दुर्व्यापार से निपटने के लिए मई, 1994 में एक सुरक्षा समन्वय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत और बुल्गारिया ने आपराधिक मामलों के संबंध में आपसी विधिक सहायता संधि पर भी सितम्बर, 2007 में हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

खेल संघों में पदाधिकारी

3987. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री रूद्रमाधव राय :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश खेल परिषदों, संघों और परिसंघों के अध्यक्ष पदों पर नेता आसीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में खेल स्तरों में सुधार करने के लिए पूर्व खिलाड़ियों/कोचों को इन संघों का अध्यक्ष नियुक्त करने को अनिवार्य बनाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अधिकारियों, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं का आनंद लेने के लिए भारी धनराशि व्यय की है और इसके साथ-साथ राजनेताओं व उनके परिवारों, जिन्होंने लंदन ओलंपिक खेलों में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, कि रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) अधिकारियों और साथ ही राजनेताओं से उक्त राशि वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) यह सत्य है कि अनेक खेल परिसंघों के पदाधिकारी राजनीतिज्ञ हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा इस बारे में कोई विवरण नहीं रखा जाता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) चूंकि राष्ट्रीय खेल परिसंघ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त है, इसलिए सरकार उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के हस्तक्षेप नहीं करती। इसने राष्ट्रीय खेल परिसंघों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल सीमा निर्धारित करने संबंधी केवल कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का हिस्सा हैं।

इनके पदाधिकारियों द्वारा किया गया व्यय आईओए सहित संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों का दायित्व है। भारत सरकार द्वारा केवल यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि उसके द्वारा आईओए सहित विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए मंजूर की गई निधियां उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई हैं जिनके लिए वे मंजूर की गई थी।

प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का मूल्य

3988. श्री मधुसूदन यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत कृषि और वन उत्पादों की बढ़ती कीमतों की संभावना तलाश करने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देश में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने से छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है और क्या किसानों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में राज्य की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के संस्कृत कृषि और वन उत्पादों की बढ़ती कीमतों की संभावना तलाश करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ग) "विजन 2015; भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए रणनीति एवं कार्य योजना" के अप्रैल 2005 के दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2015 तक संगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में वृद्धि संबंधी प्रत्यक्ष रोजगार छत्तीसगढ़ सहित देश में 18 लाख आंका गया था।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 12वीं योजना (2012-13 के लिए) के दौरान छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लाभ हेतु विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। ये स्कीमें हैं:—

(i) अवसंरचना विकास स्कीम

(क) मेगा खाद्य पार्क

(ख) शीत श्रृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परीक्षण अवसंरचना (बागवानी उत्पादों के लिए)

(ग) बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

(ii) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास स्कीम तथा खाद्य परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने 12वीं योजना (वर्ष 2012-13 के लिए) के दौरान एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया है। एनएमएफपी की मुख्य विशेषताएं है:– (i) आगामी अपेक्षित वृद्धि प्रोत्साहन के अनुरूप मंत्रालय की अगली छलांग का अनुभव करना तथा क्षेत्र के लिए मूल्यवृद्धि; (ii) विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण; (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक भूमिका; (iv) बेहतर आउटरीच; और (v) प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गईं तथा 12वीं योजना (2012-13 के लिए) के दौरान मिशन में सन्निविष्ट की गईं सभी स्कीमें निम्नानुसार हैं:–

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम।

(ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एंव परिरक्षण अवसंरचना स्कीम।

(iii) बूचड़खाना आधुनिकीकरण स्कीम (वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए कोई लक्ष्य नहीं)

(iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी)

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन

(ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

(ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र (एफपीटीसी)

(v) प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम

(क) सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन करना

(ख) अध्ययन/सर्वेक्षण करना

(ग) प्रदर्शनियों/मेलों के लिए सहायता देना

(घ) विज्ञापन एवं प्रचार

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु लाभभोगियों, परियोजना स्थलों आदि के चयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीलापन प्रदान करता है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए तिपहिया साइकिल

3989. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए खरीदी गई लगभग 250 तिपहिया साइकिलें तीन वर्षों से अधिक समय से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के भंडार में पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और उपर्युक्त तिपहिया साइकिलों को शीघ्र नि:शक्त व्यक्तियों को दिए जाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) पूर्व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा वर्ष 2008-2009 के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के वितरण के लिए 1610 तिपहिया साइकिलें खरीदी गई थीं। इनमें से 1360 तिपहिया साइकिलें, जो क्षेत्र के नगर पार्षदों की सिफारिशों के आधार पर वितरित की जानी थीं, उन्हें 12 अंचलों के उपायुक्तों को सीधे वितरित कर दिया गया और 250 तिपहिया साइकिलें जिन्हें विवेकाधीन कोटे के तहत वितरित किया जाना था, उन्हें तत्कालीन सामुदायिक सेवा विभाग, दिल्ली नगर निगम (पूर्व निगम) की अभिरक्षा में रखा गया था। विवेकाधीन कोटे के तहत तिपहिया साइकिलें मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, स्थायी समिति, सदन के नेता और विपक्ष के नेता तथा क्षेत्र के नगर पार्षदों की सिफारिशों पर वितरित किया जाना था। अवितरित तिपहिया साइकिलें, अपेक्षित सिफारिशों की अनुपलब्धता के कारण वितरित नहीं की जा सकीं।

[हिन्दी]

बांग्लादेश के साथ भूमि सौदा

3990. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच हुए भूमि अदला-बदली संबंधी सौदे के अंतर्गत सरकार ने असम का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया है अथवा देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन और संबंधित मामलों से संबंधित समझौते के प्रोटोकाल, 1974 पर दिनांक 06 सितम्बर, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रोटोकाल में गैर-सीमांकित भूमि सीमा, एक दूसरे के कब्जे में स्थित इंक्लेवों और भू-भागों की अदला-बदली से संबंधित भूमि-सीमा के बकाया मुद्दों का समाधान किया गया है। यह प्रोटोकाल संबंधित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए वास्तविक स्थिति पर आधारित है। और इसे असम सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन-परामर्श करके तैयार किया गया था। इस समझौते के कार्यान्वयन से सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों का विस्थापन नहीं होगा।

[अनुवाद]

'नीलम' चक्रवात

3991. श्री पी. करुणाकरन :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसके कारण चेन्नई तट पर 'नीलम' चक्रवात के दौरान मालवाहक पोत एम.टी. प्रतिभा कावेरी के छह नाविक डूब गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) इस मंत्रालय को इस मामले में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नाभिकीय संयंत्रों को खतरा

3992. योगी आदित्यनाथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना एजेंसियों ने देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों पर आतंकवादी हमलों की आशंका जतायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार को लगातार देश के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों सहित महत्वपूर्ण संस्थानों के खतरों के संबंध में समय-समय पर आसूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। इन आसूचनाओं को तत्परतापूर्वक परमाणु उर्जा विभाग सहित संबंधित प्राधिकारियों के साथ साझा किया जाता है। देश में सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की चाक-चौबंद सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सहायता के लिए संस्थानों के प्रबंधन द्वारा विभागीय सुरक्षा कार्मिक भी तैनात किए जाते हैं।

सुरक्षा एजेंसियां आवधिक सुरक्षा जांच भी संचालित करती हैं तथा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी सिफारिशें देती हैं। इन सिफारिशों तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर, परमाणु उर्जा विभाग सहित संबंधित प्राधिकारियों को समय-समय पर परामर्शी पत्र भी जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना

3993. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री संजय भोई :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने सिर पर मैला ढोने का कार्य/की प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना में समेकित अल्प लागत सफाई योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को कोई निधि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) वर्ष 2011 की भारत की जनगणना द्वारा अभिज्ञात किए गए अनुसार शहरी क्षेत्रों में मानव द्वारा साफ किए जाने वाले शेष सभी 2,08,323 शौचालयों को परिवर्तित करने के प्रयोजन से मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य संबंधी समिति के अनुमोदन से एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना (आरएलसीएस) के क्रियान्वयन की अवधि को 12वीं योजना अवधि में बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सूचित किए गए शुल्क शौचालयों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय ने विगत में विभिन्न राज्य सरकारों को एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना (आरएलसीएस) के अंतर्गत निधियां स्वीकृत और जारी की हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना (आरएलसीएस) के अंतर्गत स्वीकृत निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य के नाम	शुष्क शौचालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	7111
3.	अरुणाचल प्रदेश	100
4.	असम	6178
5.	बिहार	3822
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	184
8.	दादरा और नगर हवेली	113
9.	दमन और दीव	0
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	1158
12.	हरियाणा	685
13.	हिमाचल प्रदेश	0
14.	जम्मू और कश्मीर	17673
15.	झारखंड	775
16.	कर्नाटक	5688
17.	केरल	1653
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	2717
20.	महाराष्ट्र	5331
21.	मणिपुर	3965
22.	मेघालय	305
23.	मिजोरम	14
24.	नागालैंड	108
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	583
26.	ओडिशा	7547
27.	पुदुचेरी	108
28.	पंजाब	840

1	2	3
29.	राजस्थान	1800
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	17414
32.	त्रिपुरा	118
33.	उत्तर प्रदेश	106681
34.	उत्तराखंड	1250
35.	पश्चिम बंगाल	14402
	कुल	208323

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त, स्वीकृत, आबंटित और जारी की गई निधियों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2008-09

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एककों की संख्या	स्वीकृत कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	जारी की गई कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	प्रस्तावों की स्थिति
1.	बिहार	9,808	7.48	7.48* समंजित	स्वीकृत और निधियां जारी की गईं
2.	उत्तर प्रदेश	2,35,606	179.64	70.74* (37.10 समंजित + 33.64 जारी की गई)	स्वीकृत और निधियां जारी की गईं
3.	जम्मू और कश्मीर	1,116	1.06	1.06* समंजित	स्वीकृत और निधियां जारी की गईं
4.	पश्चिम बंगाल	6,798	5.18	1.29	स्वीकृत और निधियों की पहली किस्त जारी कर दी गई
5.	केरल	1,675	1.28	0.32	स्वीकृत और निधियों की पहली किस्त जारी कर दी गई
6.	मणिपुर	7,117	6.78	1.69	स्वीकृत और निधियों की पहली किस्त जारी कर दी गई जारी कर दी गई
7.	नागालैंड	3,404	3.24	0.81	स्वीकृत और निधियों की पहली किस्त जारी कर दी गई
	कुल	2,65,524	204.66.	37.75	

*राज्यों के पास उपलब्ध विगत आईएलसीएस योजना के अंतर्गत पहली जारी की गई राशि में से अनप्रयुक्त अधिशेष राशि से समंजित निधियां।

वित्तीय वर्ष 2009-10

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एककों की संख्या	स्वीकृत कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	जारी की गई कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	प्रस्तावों की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	2323	1.771	0.44	शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। अपूर्ण परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया है।
2.	उत्तर प्रदेश	2647	2.02	43-30	शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। अपूर्ण परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया है।
3.	जम्मू और कश्मीर	4781	4.48	1.12	शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। अपूर्ण परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया है।
4.	नागालैंड	2076	1-95	2.917	प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं और निधियां जारी कर दी गई हैं।
5.	उत्तराखंड	1613	1.23	1.23	शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। तकनीकी आधार पर नए प्रस्तावों की स्वीकृत नहीं किया गया है।
6.	महाराष्ट्र	12237	8.78	0.85	स्वीकृत और पहली किस्त जारी कर दी गई है।
7.	मध्य प्रदेश	7423	5.60	0.48	स्वीकृत और निधियां जारी कर दी गई हैं।
8.	त्रिपुरा	2998	2.85	1.08	स्वीकृत और निधियां जारी कर दी गई हैं।
9.	तमिलनाडु	0	0	0	अपूर्ण परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	6
10.	केरल	6564	0	0	स्वीकृत और निधियां जारी कर दी गई है।
11.	गुजरात	0	0	0	अपूर्ण परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया है।
12.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि समग्र कस्बे के आधार पर नहीं थी।
13.	हरियाणा	0	0	0	राज्य से कहा गया है कि यह कस्बे-वार कुल स्वच्छता योजना पर आधारित शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिकता सूची प्रस्तुत करे जो प्रस्तुत नहीं की गई है।
	कुल	42662	28.681	49.857	

वित्तीय वर्ष 2010-11

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एककों की संख्या	स्वीकृत कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	जारी की गई कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	प्रस्तावों की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	असम	0	0	0	अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।
2.	उत्तर प्रदेश	0	0	62.19	पूर्व स्वीकृति के संदर्भ में निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।
3.	महाराष्ट्र	25021	0	4.02	निधियां स्वीकृत और जारी कर दी गई हैं।
4.	केरल	0	0	2.21	पूर्व स्वीकृति के संदर्भ में निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।
5.	मध्य प्रदेश	4358	0	0.92	परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं और पूर्व स्वीकृति के लिए निधियों के साथ निधियां जारी कर दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6
6.	राजस्थान	1039	0.792	0.198	केवल संपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।
7.	पश्चिम बंगाल	0	0	3-89	पूर्व स्वीकृति के संदर्भ में निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।
8.	झारखंड	0	0	0	राज्य से कहा गया है कि वह कस्बे-वार कुल स्वच्छता योजना के प्रस्ताव को पुन: तैयार करें।
9.	छत्तीसगढ़	0	0	0	राज्य से कहा गया है कि वह कस्बे-वार कुल स्वच्छता योजना के प्रस्ताव को पुन: तैयार करें।
10.	ओडिशा	0	0	0	राज्य से कहा गया है कि वह कस्बे-वार कुल स्वच्छता योजना के प्रस्ताव को पुन: तैयार करें।
	कुल	30,418	0.792	73.428	

वित्तीय वर्ष 2011-12

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एककों की संख्या	स्वीकृत कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	जारी की गई कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	प्रस्तावों की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	असम	0	0	0	अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया है।
2.	ओडिशा	4690	3.58	3.58	राज्य की प्राथमिकता के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और निधियां जारी कर दी गई हैं।
3.	झारखंड	3891	3.4	0.74	राज्य की प्राथमिकता के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और निधियां जारी कर दी गई हैं।
4.	छत्तीसगढ़	26018	22.76	4.96	राज्य की प्राथमिकता के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और निधियां जारी कर दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6
5.	पश्चिम बंगाल	7751	6.78	5.91	प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं और निधियां जारी कर दी गई हैं।
6.	नागालैंड	0	0	1.463	पहले से स्वीकृत निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई हैं।
7.	मणिपुर	0	0	5.09	पहले से स्वीकृत निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई हैं।
8.	मध्य प्रदेश	2500	3.81	5.44	प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं और निधियां जारी कर दी गई हैं।
9.	त्रिपुरा	22041	24.1	5.25	प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं और निधियां जारी कर दी गई हैं।
10.	राजस्थान	0	0	0.59	पहले से स्वीकृत निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई हैं।
11.	महाराष्ट्र	2405	0	0	परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकी हैं।
	कुल	69296	64.43	33.023	

वित्तीय वर्ष 2012-13 (वर्तमान स्थिति अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एककों की संख्या	स्वीकृत कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)	जारी की गई कुल केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपए)
1.	महाराष्ट्र	39,663	30.5	19.2

न्यायालयों में महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी मामले

3994. **श्री निशिकांत दुबे : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न न्यायालयों में राज्य-वार महिलाओं के प्रति अपराधों के कितने मामले दायर किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें निर्णय सुना दिया गया है तथा लंबित मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान विचारण के लिए महिलाओं के प्रति अपराध के कुल क्रमश: 7,52,495, 8,08,343 और 8,64,248 मामले थे। वर्ष 2009-2011 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के तहत वर्ष के दौरान विचारण के लिए मामलों, वापस लिए गए मामलों और विचारण पूरा किए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में विचारण के लिए लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संबंधी विवरण संलग्न है।

वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान विचारण पूर्ण किए गए कुल मामलों की संख्या क्रमश: 1,00,611, 1,08,933 और 1,12,368 हे तथा वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान देश में विचारण के लिए कुल क्रमश: 6,36,590, 6,85,708 और 7,36,385 मामले लंबित थे।

विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार ने देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए अभियान चलाया था। उनसे लम्बे समय से लंबित मामलों को निपटाने तथा समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया था।

विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, कुल लंबित मामलों की संख्या में 6 लाख से अधिक तक की कमी आई थी, जिसमें से 1.36 लाख मामले वरिष्ठ नागरिकों, अशक्त जनों, नाबालिगों तथा समाज के कमजोर वर्गों जैसे लक्ष्य समूहों से संबंधित थे। इस वर्ष भी जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक इसी प्रकार का अभियान चलाया गया है। इस वर्ष लंबित मामलों की संख्या कम करने से संबंधित अभियान का मुख्य बिन्दु पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों से हमारी न्याय प्रणाली को मुक्त कराना है। इसके साथ-साथ, विद्यमान रिक्तियों को भरकर तथा अतिरिक्त नए पदों का सृजन करके अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि पर बल दिया जा रहा है ताकि मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके तथा समग्र लंबित मामलों की संख्या में कमी हो सके।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में विचारण के लिए मामले (सीएफटी), वापस लिए गए मामले (सीडब्ल्यू), विचारण पूर्ण किए गए मामले (सीटीसी) और वर्ष के अंत तक विचारण के लिए लंबित मामले (सीपीटी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009				2010				2011			
		सीएफटी	सीडब्ल्यू	सीटीसी	सीपीटी	सीएफटी	सीडब्ल्यू	सीटीसी	सीपीटी	सीएफटी	सीडब्ल्यू	सीटीसी	सीपीटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	53939	5167	13791	34981	58828	4990	14772	39066	61615	4784	13275	43556
2.	अरुणाचल प्रदेश	1372	4	45	1323	1440	8	21	1411	1525	8	63	1454
3.	असम	18431	354	2895	15182	21475	205	3203	18067	24104	311	4170	19623
4.	बिहार	27442	352	4222	22868	28149	381	4201	23567	32086	573	5232	26281
5.	छत्तीसगढ़	20222	325	2536	17361	21278	404	3153	17721	21775	519	2960	18296
6.	गोवा	365	0	86	279	406	0	78	328	437	4	53	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	गुजरात	56970	259	4109	52602	60292	237	4333	55722	64056	258	3856	59942
8.	हरियाणा	14443	21	2992	11430	15390	23	3314	12053	15961	70	3672	12219
9.	हिमाचल प्रदेश	3866	101	484	3281	4098	101	386	3611	4375	124	456	3795
10.	जम्मू और कश्मीर	12029	196	1379	10454	12267	190	1015	11062	13576	251	1215	12110
11.	झारखंड	8476	190	2766	5520	8127	70	2505	5552	7861	76	1947	5838
12.	कर्नाटक	21225	637	4004	16584	23847	259	4421	19167	27062	426	5244	21392
13.	केरल	35184	486	4839	29859	38730	297	4797	33636	43167	249	4692	38226
14.	मध्य प्रदेश	64910	3772	10573	50565	66646	3638	11717	51291	67357	4202	14472	48683
15.	महाराष्ट्र	119842	1144	8105	110593	125253	1107	9555	114591	128718	1394	9559	117765
16.	मणिपुर	98	0	0	98	104	0	5	99	105	0	6	99
17.	मेघालय	761	0	56	705	838	9	30	799	957	5	49	903
18.	मिजोरम	280	0	133	147	318	0	169	149	288	6	101	181
19.	नागालैंड	91	0	28	63	102	0	49	53	85	2	39	44
20.	ओडिशा	36238	0	3538	32700	41335	0	4826	36509	45508	0	4862	40646
21.	पंजाब	7757	9	1664	6084	7562	13	1579	5970	7769	17	1472	6280
22.	राजस्थान	45437	1019	5221	39197	49429	1159	4825	43445	54443	1601	5760	47082
23.	सिक्किम	152	15	35	102	160	3	12	145	183	2	37	144
24.	तमिलनाडु	16800	19	4418	12363	17143	13	4572	12558	16898	7	3818	13073
25.	त्रिपुरा	4147	45	643	3459	4819	74	778	3967	5393	41	857	4495
26.	उत्तर प्रदेश	64672	1060	14946	48666	63067	366	17283	45418	61882	469	17007	44406
27.	उत्तराखंड	3621	46	618	2957	3821	17	807	2997	3739	24	506	3209
28.	पश्चिम बंगाल	99803	65	4829	94909	118437	125	4519	113793	137189	90	4891	132208
	कुल राज्य	738573	15286	98955	624332	793361	13689	106925	672747	848114	15513	110271	722330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	348	0	15	333	401	0	5	396	451	0	1	450
30.	चंडीगढ़	651	0	117	534	624	0	171	453	556	0	90	466
31.	दादरा और नगर हवेली	92	0	7	85	102	0	10	92	109	0	8	101
32.	दमन और दीव	37	0	5	32	43	1	6	36	42	1	3	38
33.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश	12250	0	1441	10809	13237	0	1747	11490	14443	0	1964	12479
34.	लक्षद्वीप	8	0	2	6	7	0	0	7	8	0	4	4
35.	पुदुचेरी	536	8	69	459	568	12	69	487	545	1	27	517
	कुल संघ शासित राज्य	13922	8	1656	12258	14982	13	2008	12961	16154	2	2097	14055
	कुल अखिल भारत	752495	15294	100611	636590	808343	13702	108933	685708	864268	15515	112368	736385

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: सीएफटी = सीडब्ल्यू + सीटीसी + सीपीटी

[हिन्दी]

मछुआरों को प्रशिक्षण

3995. श्री मकन सिंह सोलंकी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बांध बनाने के कारण खरगौन और बडवानी क्षेत्रों में निर्मित झीलों में मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु सरकार के पास कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में मछली उत्पादन बढ़ाने तथा मत्स्य प्रसंस्करण के लिए कोई इकाई स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ये इकाइयां कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना' के 'प्रशिक्षण और विस्तार घटक' के अधीन मानव संसाधन विकास, मत्स्य पालकों के लिए प्रशिक्षण ओर जागरुकता केन्द्रों की स्थापना, पुस्तिकाओं और प्रशिक्षण मैनुअलों के प्रकाशन, कार्यशालाओं के आयोजन, मूल्यांकन अध्ययनों आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) 'जलाशय मात्स्यिकी प्रबंधन' के संबंध में मछुआरों को प्रशिक्षण देता है। तथापि, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बांध बनाने के कारण खरगौन और बडवानी क्षेत्रों में निर्मित झीलों में केवल मछुआरों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना नहीं है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवशिष्ट से उर्वरक बनाना

3996. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि तथा रसोई अवशिष्ट और पशु मल के उपयोग से प्राकृतिक उर्वरक बनाए जा सकते हैं जैसा कि अन्य देशों में हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसमें कितनी सफलता मिली है एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक उर्वरकों का उत्पादन कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर ने विभिन्न जैविक अपशिष्ट नामतः फसल अवशेष, पशुधन और कुक्कुट मलमूत्र आदि से उर्वर/वर्मी-कम्पोस्ट सहित कम्पोस्ट की तैयारी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। जैविक खादों का उपयोग न केवल रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग में सहायता करता है बल्कि यह मृदा उर्वरकों और भौतिक एवं जीव विज्ञानीय स्वास्थ्य में भी सुधार करता है।

(ग) राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ) स्कीम के अंतर्गत 100 टन प्रतिदिन क्षमता के लिए कुल वित्तीय परिव्यय के 33% यश 60.00 लाख रु. जो भी कम हो की दर पर फल एवं सब्जी, मंडी अपशिष्ट/कृषि अपशिष्ट कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उत्कृष्ट जीवाणु रहित तरल पदार्थ/वाक आधारित 200 टीपीए जैव-उर्वरकों और सूक्ष्म जीवाणु जैव नाशीजीवमार उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए कुल वित्तीय परियोजना का 25% तक या 40 लाख रु. जो भी कम हो, नाबार्ड के माध्यम से ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशनद (एनएचएम) के अंतर्गत अधिकतम 30,000 रु. प्रति लाभार्थी के अध्यधीन लागत की 50% की दर पर वर्मी कम्पोस्टर इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरक प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएफ) के अंतर्गत जैविक खाद के उपयोग के लिए अधिकतम 500/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक उर्वरकों के मामले में प्राप्त सफलता और उत्पादन विवरण-I और II में संलग्न है।

विवरण-I

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य-वार सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	170.00	374.25	402.96
2.	बिहार	169.83	280.10	40.24
3.	छत्तीसगढ़	726.75	1143.32	1738.31
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0
5.	गोवा	5.10	2.33	1.76
6.	गुजरात	0.00	0.00	30.11
7.	हरियाणा	274.64	124.19	40.66
8.	झारखंड	25.50	11.55	227.50
9.	कर्नाटक	752.25	459.62	319.59
10.	केरल	0.00	94.25	138.91
11.	मध्य प्रदेश	63.75	58.50	12.70
12.	महाराष्ट्र	1.28	60.25	0.00
13.	ओडिशा	89.25	60.00	75.00
14.	पंजाब	51.00	67.50	20.40
15.	राजस्थान	12.75	60.97	80.02

1	2	3	4	5
16.	तमिलनाडु	23.71	30.38	18.95
17.	उत्तर प्रदेश	152.24	79.22	119.60
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	165.75	215.25
	कुल	2518.05	3072.18	3481.96

स्रोत : एनएचएम

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में उत्पादित विभिन्न जैविक खादों का राज्य-वार ब्यौरा

(राज्यों द्वारा प्रदत्त ब्यौरे के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादित जैविक खाद* (लाख एमटी)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	93.55	118.45	106.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.12	0.01
3.	असम	33.91	5.85	2.85
4.	बिहार	5.50	66.25	66.25
5.	छत्तीसगढ़	128.73	144.48	129.15
6.	गोवा	1.354	3.90	4.30
7.	गुजरात	21	40.00	363.50
8.	हरियाणा	10.05	18.40	18.40
9.	हिमाचल प्रदेश	40.55	40.55	40.55
10.	जम्मू और कश्मीर	459.95	22.20	22.20
11.	झारखंड	23.00	23.00	234.45
12.	कर्नाटक	2001.27	1442.09	1108.62
13.	केरल	131.87	131.87	84.99
14.	मध्य प्रदेश	97.50	136.00	136.00
15.	महाराष्ट्र	91.32	95.47	0.82
16.	मणिपुर	0.50	0.50	0.50
17.	मिजोरम	0.21	0.21	0.08
18.	मेघालय		0.95	10.57
19.	नागालैंड	0.09	0.16	0.16
20.	ओडिशा	85.45	131.82	11.49
21.	पंजाब	92.19	379.62	341.29
22.	राजस्थान	5.07	294.52	294.52
23.	सिक्किम	22.50	27.60	0.0058
24.	तमिलनाडु	9.06	56.39	8.37
25.	त्रिपुरा			
26.	उत्तर प्रदेश	38.76	327.78	327.78
27.	उत्तराखंड	0.38	0.38	10.64
28.	पश्चिम बंगाल	92.19	162.84	162.84
	कुल	3486.07	3671.40	3486.33

*कुल जैविक खादों में ग्रामीण कम्पोस्ट, शहरी कम्पोस्ट, फार्मयार्ड खाद (एफवाईएम), वर्मीकम्पोस्ट, हरी खाद और अन्य खाद शामिल हैं।

एनए — अर्थात् राज्य द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई।

स्रोत : एनसीओएफ, गाजियाबाद

[अनुवाद]

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

3997. डॉ. थोकचोम मैन्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार/भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एफडीआई की ऊपरी सीमा सूचना-मनोरंजन क्षेत्र में भी लागू की जाएगी या मात्रा समाचार प्रकाशन तक ही सीमित रखी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रिंट मीडिया क्षेत्र में, गैर-समाचारों अर्थात् प्रिंट मीडिया के विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक क्षेत्र में 100% तक के विदेशी निवेश की अनुमति है जबकि समाचार और समसामयिकी से संबंधित समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में 26% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। तथापि, पूर्ण स्वामित्व वाली सह-संस्था के माध्यम से अपने समाचारपत्रों के फैसीमाइल संस्करण प्रकाशित करने वाले विदेशी प्रकाशन घरानों की मामले में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ख) और (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्येक निवेश के मुद्दे पर कोई सिफारिश नहीं की है। वर्तमान में, प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने गैर-समाचार क्षेत्र अर्थात् वैज्ञानिक/तकनीकी/विशेषज्ञता पत्रिकाएं/आवधिकियां/जर्नल प्रकाशित करने के लिए पहले ही 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है।

शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना

3998. मोहम्मद असरारूल हक : क्या युवा कार्यक्रम खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) का विचार देश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्कीइंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग आदि शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के एिल राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावों पर सरकार/एनएसएफ द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) किसी भी खेल को बढ़ावा देने का मुख्य दायित्व संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ सम्मत दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार उपस्कर और उपभोज्य सामग्री की खरीद, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन करने, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी तथा भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनके प्रयासों को पूरा करती है। भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ (डब्ल्यूजीएफआई) को देश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

'आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया' नामक राष्ट्रीय खेल विकास संगठन आइस हॉकी खेल को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम के अंतर्गत, सरकार केवल राष्ट्रीय खेल परिसंघों को ही वित्तीय सहायता मुहैया कराती है और न कि किसी राज्य को। अतः पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य सरकार को कोई भी निधियां जारी नहीं की गई हैं। इस संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भी नहीं मिला है।

अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) को सुरक्षा

3999. **श्री रुद्रमाधव राय :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा विदेश में महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित किए गए कोई मानदंड मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बॉलीवुड स्टारों, पूर्व राजनेताओं और उनके परिवारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त व्यक्तियों से सुरक्षा प्रदान किए जाने का खर्च वसूलने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व मूलरूप से उस राज्य सरकार का होता है, जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा व्यक्ति रहता/होता है। केन्द्र सरकार भी कुछ सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है।

उन व्यक्तियों के अलावा, जो कार्यालयों/उनके द्वारा धारित पदों के आधार पर सुरक्षा के हकदार हैं, केन्द्र की सूची में स्थित सभी सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों को केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा खतरे के संबंध में किए गए व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही सुरक्षा मुहैया करायी जाती है।

सुरक्षा प्रबंध निर्धारित मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों को विदेश दौरों के समय सुरक्षा उनके अवबोधक्षम खतरों/सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए पूर्व सुरक्षा संपर्कों/ परस्पर प्रबंधों के आधार पर मेजबान देशों द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) खतरों के मूल्यांकन के आधार पर जिन व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं उन व्यक्तियों के ब्यौरों का खुलासा करना लोक हित में नहीं होगा। जहां तक सुरक्षा संबंधी व्यय का प्रश्न है राज्य सरकार की एजेंसियों सहित कई एजेंसियों के शामिल होने के कारण व्यय का आकलन करना कठिन है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्रों में अनियमितताएं

4000. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों/प्रदेशों में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) विभिन्न कोलफील्डों/क्षेत्रों में काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनमें प्रशासनिक प्रकृति के मुद्दे भी शामिल हैं। इन मामलों की छानबीन करने के बाद कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोपों के मामलों में आगे जांच की जाती है।

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उन मामलों, जिनमें सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के सतर्कता विभाग तथा केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की गई हैं, की संख्या नीचे दी गई है:—

कंपनी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (नवम्बर, 2012 तक)
1	2	3	4	5
कोल इंडिया लि.	30	30	13	9

1	2	3	4	5
भारत कोकिंग कोल लि.	23	39	35	20
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	38	16	21	14
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	25	16	85	55
महानदी कोलफील्ड्स लि.	12	20	22	11
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	12	10	7	3
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	22	17	15	3
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	55	18	75	29
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	0	0	02	0
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	0	0	0	0

(ग) परिणाम अर्थात् कोल इंडिया लि. (सीआईएल), इसकी सहायक कंपनियां तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के अधिकारियों/कर्मचारियों जिन पर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दंड लगाया गया/आरोप-पत्र जारी किये गए हैं, की संख्या नीचे दी गई है:—

कंपनी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (नवम्बर, 2012 तक)
1	2	3	4	5
कोल इंडिया लि.	15	05	07	00
भारत कोकिंग कोल लि.	14	49	32	04
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	108	54	61	33
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	10	07	37	01
महानदी कोलफील्ड्स लि.	16	16	13	01
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	53	21	15	03
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	16	16	08	01
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	22	03	10	20
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	0	02	0	उपलब्ध नहीं
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	0	0	0	0

[अनुवाद]

कोयला खनन में संयुक्त उद्यम

4001. श्री तथागत सत्पथी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन एवं सैनिक माइनिंग एलाइड सर्विसेज के मध्य संयुक्त उद्यम रद्द होने के आलोक में कोल बेल्ट/क्षेत्र का संयुक्त उद्यम के तहत फिर से आवंटन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) इस प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीपीएल कार्ड में वृद्धि

4002. श्री शिव कुमार उदासी :
श्री महाबल मिश्रा :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री दुष्यंत सिंह :

श्री दिलीप सिंह जूदेव :

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार एवं श्रेणी-वार कुल कितने राशन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या संबंधित नियमों में बी.पी.एल. सूची एवं राशन कार्डों के नियमित संशोधन का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(घ) क्या सरकार को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिनांक 30.09.2012 तक दी गई सूचना के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 24.28 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं। दिनांक 30.09.2012 तक प्राप्त सूचना के अनुसार जारी किए गए राशन कार्डों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियां बनाए रखने तथा उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 31.08.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया है।

आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए अनुमानों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के प्रयोजनार्थ उचित दिशा-निर्देश तैयार करेंगी और अपात्र परिवारों के नाम काटने तथा पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की समीक्षा करेंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, में यह प्रावधान भी है कि राज्य सरकारें अपात्र और जाली राशन कार्डों तथा राशन कार्डों में जाली यूनिटों की छंटाई करने के लिए राशन कार्डों की आवधिक जांच करेंगी।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करते हुए 2006 में एक नौ सूत्री कार्ययोजना तैयार की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और जाली/अपात्र राशन कार्डों को समाप्त करना शामिल है। दिनांक 30.09.2012 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने की सूचना दी है और 27 राज्यों ने जुलाई, 2006 से 318.50 लाख जाली/अपात्र राशन कार्डों को निरस्त करने की सूचना दी है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी योजना आयोग है। जहां तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का संबंध है यह विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करने के लिए योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 01 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए राशन कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है जिनमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं। कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटनों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 6.52 करोड़ की स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। अतः गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या और खाद्यान्नों का आबंटन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सके हैं।

विवरण-I

दिनांक 30.09.2012 तक प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य-वार और श्रेणीवार जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन कार्ड (लाख)			
		गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से ऊपर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	206.45	15.58	29.94	251.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.61	0.38	2.19	3.18
3.	असम	12.02	7.04	40.92	59.98
4.	बिहार	39.22	25.01	15.53	79.76
5.	छत्तीसगढ़	11.56	7.19	26.42	45.17
6.	दिल्ली	1.67	1.50	20.25	23.42
7.	गोवा	0.14	0.14	3.36	3.64
8.	गुजरात	23.70	8.10	83.29	115.09
9.	हरियाणा	9.07	2.92	44.77	56.76
10.	हिमाचल प्रदेश	3.17	1.97	10.71	15.85
11.	जम्मू और कश्मीर	4.80	2.56	12.34	19.70
12.	झारखंड	14.76	9.18	5.15	29.09
13.	कर्नाटक	84.07	11.38	38.57	134.02
14.	केरल	14.46	5.96	58.01	78.43
15.	मध्य प्रदेश	52.48	15.82	79.92	148.22
16.	महाराष्ट्र	45.88	24.64	139.53	210.05
17.	मणिपुर	1.02	0.64	2.41	4.07

1	2	3	4	5	6
18.	मेघालय	1.13	0.70	2.66	4.49
19.	मिजोरम	0.42	0.26	1.83	2.51
20.	नागालैंड	0.77	0.47	1.16	2.40
21.	ओडिशा	36.78	12.65	34.58	84.01
22.	पंजाब	2.89	1.79	55.59	60.27
23.	राजस्थान	16.53	9.32	111.68	137.53
24.	सिक्किम	0.27	0.16	4.06	4.49
25.	तमिलनाडु*	176.35	18.65	*	195.00
26.	त्रिपुरा	1.82	1.13	4.39	7.34
27.	उत्तर प्रदेश	65.84	40.95	331.19	437.98
28.	उत्तराखंड	3.07	1.91	19.39	24.37
29.	पश्चिम बंगाल	37.27	14.80	128.95	181.02
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.08	0.04	0.89	1.01
31.	चंडीगढ़	0.09	0.02	2.30	2.41
32.	दादरा और नगर हवेली	0.12	0.05	0.54	0.71
33.	दमन और दीव	0.03	0.01	0.32	0.36
34.	लक्षद्वीप	0.02	0.01	0.15	0.18
35.	पुदुचेरी	1.17	0.32	1.85	3.34
	कुल	869.73	243.25	1314.84	2427.82

*तमिलनाडु के गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के आधार पर श्रेणीकरण नहीं किया गया है।

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबंटन के लिए गरीबी रेखा से नीचे के और अधिक परिवारों को स्वीकृति दिए जाने संबंधी अनुरोध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबंटन के लिए रेखा से नीचे स्वीकृत परिवारों की संख्या (लाख)	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या जिनके लिए आबंटन का अनुरोध किया गया है (लाख)
1.	बिहार (2008)	65.23	121.00
2.	बिहार (2010)	65.23	140.00
3.	गुजरात (2010)	21.20	26.00
4.	मध्य प्रदेश (2009)	41.25	60.00
5.	महाराष्ट्र (2009)	65.34	71.34
6.	पंजाब (2010)	4.68	14.50
7.	उत्तर प्रदेश (2008)	106.79	117.39
8.	कर्नाटक (2004)	31.29	63.00

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन के लिए ई.ए.सी. के सुझाव

4003. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार द्वारा संचालित खनन कंपनी कोल इंडिया को निजी क्षेत्र के साथ करार करने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला मंत्रालय ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी कंपनियों के साथ किसी करार, यदि कोई हो, पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् से कोयला मंत्रालय को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने अपने स्वयं के संसाधनों से कोयले का उत्पादन करने के अलावा, मौजूदा मांग को पूरा करने हेतु कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने कुछ प्रचालनों को भी आउटसोर्स किया है। कोल इंडिया लि. की कुछ खानों में कोयले के उत्पादन की जिम्मेवारी खुली निविदा के माध्यम से दीर्घावधि ठेके के अधीन कुछ अभिकरणों को पहले ही दी गई है। इसके अलावा, 136.48 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाले 27 खानों/ब्लॉकों की पहचान आउटसोर्सिंग के लिए की गई है।

[अनुवाद]

सूखे की व्याप्तता

4004. श्री एल. राजगोपाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने तेलंगाना और रॉयलसीमा क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में बार-बार सूखे की व्याप्तता दर्शाते हुए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईसीएआर के निष्कर्षों में इसके क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस तरह की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल (एनआईसीआरए) के तहत सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं।

[हिन्दी]

हम्पी को विश्व विरासत का दर्जा

4005. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तुंगभद्रा नदी जिसे अब हम्पी के रूप में जाना जाता है को विश्व विरासत का दर्जा देने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में यूनेस्को के साथ बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) जी, नहीं। कर्नाटक राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संगठन से तुंगभद्रा नदी को विश्व विरासत दर्जा देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

असम में अवैध प्रवासी

4006. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के आने के कारण राज्य में जनसांख्यिकीय और जातीय समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रवासियों ने राज्य में बड़ी मात्रा में जनजातीय भूमि भी प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अन्तर राष्ट्रीय सीमा पर जांच एवं नियंत्रण के बावजूद विशेषकर कुछ ऐसे स्थानों, जहां पर दुर्गम क्षेत्रों तथा नदी तटीय क्षेत्रों की वजह से बाड़ लगा पाना व्यवहार्य नहीं हैं, के जरिए देश में बांग्लोदशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से घुसपैठ/आप्रावासन की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। चूंकि ऐसी गतिविधियां प्रच्छन्न रूप से होती हैं, इसलिए असम में अवैध रूप स रह रहे ऐसे प्रवासियों की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को ऐसा लगता है कि अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले इन व्यक्तियों से उनकी नृजातीय/सांस्कृतिक पहचान को खतरा उत्पन्न हो गया है असम राज्य में विदेशियों/अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अगस्त, 2009 में अनुमोदित चार (4) विदेशी विषयक अधिकरणों सहित छत्तीस (36) विदेशी विषयक अधिकरणों की स्थापना की गई है।

विदेशी-विषयक अधिकरणों में लंबित पड़े मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 2012 में विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया गया है जिसमें यह

परिकल्पना की गई है सक्षम प्राधिकारी से पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर ही अधिकरणों द्वारा मामलों का निपटान कर दिया जाएगा।

सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के सुदृढ़ीकरण तथा उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त को और गहन करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश की सीमा पर सीमावर्ती बाड़ को और मजबूत बनाया जा रहा है तथा सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था किए जाने संबंधी योजना कार्यान्वित की जा रही है। बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के मुद्दे को नियमित रूप से विभिन्न मंचों पर उठाया जाता है तथा समन्वित गश्त, संवेदनशील अन्तरालों की पहचान, नदी तटीय गश्त के सुदृढ़ीकरण इत्यादि के लिए कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश की सरकार से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे भारत में अपने नागरिकों के लिए प्रभावी कदम उठाएं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा तथा बाड़ लगाए जाने से भारत में बांग्लादेश से होने वाले अवैध आप्रवासन को रोकने में प्रभावी रूप से मदद मिली है।

(ग) से (ङ) असम के आदिवासी क्षेत्रों तथा ब्लाकों में व्यक्तियों द्वारा भूमि के अतिक्रमण तथा अंतरण की घटनाएं हुई हैं। राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों तथा ब्लॉकों में अतिक्रमणों को हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन पर शिकायतें

4007. **श्री एंटो एंटोनी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें से कितनी शिकायतों का निपटान किया गया एवं कितनी शिकायतें लंबित हैं; और

(ख) उक्त शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) मांगे गए ब्यौरे, जो कि नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मंत्रालय में अधिकारी प्राप्त समिति द्वारा नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन के कार्यकरण और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

विवरण

वर्ष 2010 और 2011 के दौरान नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन द्वारा प्राप्त की गई कालों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र	2010	2011
1.	उत्पाद	14073	18956
2.	टेलीकॉम	11200	18821
3.	बैंकिंग	4772	6619
4.	एलपीजी	3447	8681
5.	विधिक	3202	3755
6.	शिक्षा	1799	2807
7.	ई-कामर्स	1070	2260
8.	बीमा	3034	4375
9.	ऑटोमोबाइल	2002	2922
10.	आर.टी.आई.	379	5886
11.	बिजली	1864	2528
12.	रीयल एस्टेट	736	1150
13.	बाट तथा माप	972	2416
14.	ब्रॉडकास्टर	1022	1496
15.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1352	2692
16.	अन्य क्षेत्र	15469	41421
	कुल	66393	126785

वर्ष 2010 और 2011 के दौरान नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन द्वारा प्राप्त की गई कालों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र	2010	2011
1	2	3	4
1.	दिल्ली	24089	39294
2.	उत्तर प्रदेश	7771	17959
3.	महाराष्ट्र	6323	16465
4.	हरियाणा	5876	9638
5.	राजस्थान	4945	8743
6.	बिहार	2680	5721
7.	गुजरात	2629	5569
8.	पश्चिम बंगाल	1957	3491
9.	मध्य प्रदेश	1923	3989
10.	पंजाब	1760	3194
11.	कर्नाटक	1133	1861
12.	आंध्र प्रदेश	953	1695
13.	झारखंड	723	1618
14.	ओडिशा	699	1769
15.	तमिलनाडु	529	1237
16.	छत्तीसगढ़	494	751
17.	उत्तराखंड	408	956
18.	हिमाचल प्रदेश	342	742
19.	जम्मू और कश्मीर	335	786
20.	असम	261	396
21.	केरल	182	312
22.	चंडीगढ़	135	203
23.	गोवा	128	175
24.	त्रिपुरा	19	69
25.	दादरा और नगर हवेली	15	36
26.	अरुणाचल प्रदेश	14	8
28.	नागालैंड	12	13
29.	मेघालय	11	6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	17
31.	मणिपुर	10	6
32.	सिक्किम	10	13
33.	दमन और दीव	10	32
34.	मिजोरम	3	3
35.	पुदुचेरी	3	18
36.	लक्षद्वीप	0	0
	कुल	66393	126785

पिछले दो वर्षों के दौरान अभिरण के तहत भेजी गई शिकायतें और उनके संबंध में प्राप्त समाधान निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	भेजी गई शिकायतें	प्राप्त प्रत्युत्तर	सीधे* शिकायतकर्ता से प्राप्त समाधान
2010	12787	7688	826
2011	7858	4873	431

*शिकायतकर्ताओं से प्राप्त समाधान वे हैं जहां उपभोक्ताओं ने हेल्पलाइन को कॉल बैक किया और शिकायत के संबंध में फीडबैक दिया।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए सलाहकार समितियां

4008. **श्री जफर अली नकवी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए सलाहकार समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसी समितियों को क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति के गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति को कब तक गठित किए जाने और इनके कब तक काम शुरू करने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए सभी राज्यों की राजधानी केन्द्रों/स्टेशनों में संयुक्त कार्यक्रम सलाहकार समितियां (जेपीएसी) गठित करता है। दूरदर्शन द्वारा गठित संयुक्त कार्यक्रम सलाहकार समितियों (जेपीएसी), के अतिरिक्त, आकाशवाणी भी अन्य स्टेशनों में कार्यक्रम सलाहकार समितियां (पीएसी) भी गठित करता है जो प्रतिदिन अपने यहां से कम से कम 6 घंटे के कार्यक्रम चलाते हैं। इन समितियों की सामान्य तौर पर तीन माह में एक बार बैठकें होती हैं और पिछली बैठक से कार्यक्रम प्रसारण की समीक्षा की जाती है और आगामी अवधि के लिए कार्यक्रम योजनाओं पर चर्चा की जाती है। समितियों में कार्यक्रमों में सुधार के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं और उन स्टेशनों/केन्द्रों के कार्यक्रमों की योजना एवं प्रस्तुति से संबंधित मामलों में सलाह भी प्रदान करती है जिनसे यह जुड़ी होती है। दूरदर्शन/आकाशवाणी में जेपीएसी/पीएसी के गठन और कार्य से संबंधित दिशानिर्देशों की प्रति विवरण में संलग्न है।

(ग) से (ङ) किसी उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि जेपीएसी/पीएसी जो प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रही हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त समझी गई हैं।

विवरण

आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों से संबद्ध कार्यक्रम सलाहकार समिति के गठन से संबंधित दिशा-निर्देश

प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित आकाशवाणी केंद्र तथा अन्य आकाशवाणी केंद्रों, जहां से प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, से संबद्ध एक कार्यक्रम सलाहकार समिति होगी। दूरदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित केंद्र तथा अन्य केंद्रों, जहां से कम से कम 3 घंटे के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, के लिए एक सलाहकार समिति होगी।

2. **संरचना**

समिति की संरचना निम्नलिखित प्रकार की होगी:-

(क) अध्यक्ष: आकाशवाणी केंद्र के केंद्र निदेशक अथवा दूरदर्शन केंद्र के निदेशक, जैसी स्थिति हो।

(ख) गैर सरकारी सदस्य: समिति में न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसमें से 50% महिलाएं होंगी। नामित किए जाने वाले गैर सरकारी सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/रूचि वर्गों में से एक से संबद्ध होंगे तथा किसी भी क्षेत्र/रूचि वर्ग से एक से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(i) प्रदर्शन कला

(ii) फिल्म/लोकवार्ता

(iii) ललित कला

(iv) युवा कल्याण

(v) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

(vi) पर्यावरण

(vii) सामाजिक कल्याण जिसमें महिला एवं बाल कल्याण तथा अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण शामिल है।

(viii) जनजातीय कल्याण

(ix) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा

(x) शिक्षा

(xi) स्पोर्ट्स

(xii) वाणिज्य और उद्योग (पर्यटन सहित सूचना प्रौद्योगिकी)

(xiii) प्रसारण वितरण नेटवर्क

(xiv) क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अथवा विख्यात गैर सरकारी संस्था

(xv) साहित्य

(xvi) भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग (यह उस स्टेशन अथवा केंद्र पर लागू होगा जो क्षेत्र की मुख्य भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में कार्यक्रम निर्मित करता है)।

(xvii) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र/ग्रामीण विकास (अधिमानत: कृषि विज्ञापन केंद्र/विस्तार केंद्र से)

एक सदस्य ऊपर सूचीबद्ध एक अथवा एक से अधिक श्रेणियों/रूचिवर्ग से संबंधित हो सकता है।

पदेन सदस्य:-

(i) स्टेशन/केंद्र के अभियांत्रिकी प्रमुख जहां स्टेशन/केंद्र के निदेशक कार्यक्रम सेवा से हों और विलोमत:

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सूचना/प्रचार निदेशक अथवा उसके नामिती।

(iii) आकाशवाणी स्टेशन/दूरदर्शन केंद्र, जिनसे समिति संबद्ध है, के समाचार संपादक/सहायक समाचार संपादक।

(iv) केंद्रों के केंद्र निदेशक/निदेशक द्वारा समिति के सचिव को नामित किया जाएगा।

टिप्पणी: महानिदेशक अथवा उनके नामिती किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया

(i) स्टेशन/केंद्र निदेशक गैर-सरकारी सदस्यों का एक पैनल तैयार करेंगे जिसमें उपर्युक्त पैरा 2(ख) में उल्लिखित प्रत्येक क्षेत्र/रूचि वर्ग में से कम से कम तीन नाम सम्मिलित होंगे।

पैनल को तैयार करते समय, समिति के गठन के साथ-साथ वह दावा किए गए क्षेत्र में व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भी विचार करेंगे। केवल ऐसे व्यक्तियों के नामों पर ही विचार किया जाएगा जो आकाशवाणी केंद्रों/दूरदर्शन केंद्रों के कवरेज क्षेत्र में निवास करते हैं।

(ii) स्टेशन/केंद्र निदेशक की सिफारिशों की संवीक्षा महानिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा की जाएगी और इसके उपरांत महानिदेशक, आकाशवाणी/ महानिदेशक, दूरदर्शन समिति में शामिल किए जाने वाले नामों की सिफारिश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती से करेंगे।

(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन के साथ आकाशवाणी स्टेशन/दूरदर्शन केंद्र से संबंद्ध प्रत्येक कार्यक्रम सलाहकार समिति हेतु गैर-सरकारी सदस्यों के नाम अनुमोदित करेंगे।

(iv) महानिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, दूरदर्शन/प्रसार भारती के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन की प्राप्ति के बाद संबंधित आकाशवाणी स्टेशन/दूरदर्शन केंद्र के निदेशक समिति के गठन के लिए आदेश जारी करेंगे।

4. कार्यकाल

(i) समिति गठन की तारीख से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए गठित की जाएगी।

(ii) सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा चाहे किसी सदस्य का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा हो या नहीं।

(iii) प्रसार भारती बोर्ड समिति को जनहित में किसी भी समय विघटित कर सकती हैं और इसका पुनर्गठन भी कर सकती हैं।

(iv) इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विद्यमान समिति विघटन के कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत भी कार्य करना तब तक जारी रखेगी जब तक कि नई समिति अधिसूचित नहीं की जाती।

5. **अयोग्यता**

यदि कोई गैर सरकारी सदस्य समिति की दो निरंतर बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है तो वह समिति से हटा दिए जाने का पात्र होगा।

6. **बैठक**

(i) सामान्यत: समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी। तथापि इसके अतिरिक्त आवश्यकता प्रतीत होने पर अध्यक्ष किसी भी समय बैठक बुला सकते हैं।

(ii) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में महानिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, दूरदर्शन करेंगे।

(iii) समिति के गैर सरकारी सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या का कोरम होगा। यदि किसी समय कोरम पूरा नहीं होता है तो उस बैठक को औपचारिक माना जाएगा और उपस्थित सदस्य यथावश्यक कार्यसूची की मदों पर अनौपचारिक चर्चा करेंगे।

7. **बैठक की कार्यसूची**

(i) प्रत्येक मद हेतु कार्यसूची समिति के सचिव द्वारा तैयार की जाएगी। सचिव कार्यसूची तैयार करने से पूर्व सचिव सदस्यों से भी सुझाव आमंत्रित करेंगे। यदि कोई सदस्य किसी बिंदु को उठाना चाहता है तो उसे बैठक से तीन सप्ताह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। कार्यसूची अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाएगी और बैठक से 15 दिन पूर्व परिचालित की जाएगी।

(ii) किसी स्टाफ/स्टाफ आर्टिस्ट अथवा कार्मिकों से संबंधित अन्य मामले अथवा पूर्णत: प्रशासनिक मामले कार्यसूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

8. **समिति के कार्य**

समिति पिछली बैठक की अवधि से कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट/प्रसारण की समीक्षा करेगी और आगामी अवधि हेतु कार्यक्रम योजना पर चर्चा करेगी। समिति कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करेगी और स्टेशन/केंद्र जिससे वह संबद्ध है की कार्यक्रम योजना और प्रस्तुति संबंधी मामलों पर परामर्श देगी। कोई भी सदस्य किसी विशेष निर्माता/कार्यक्रम को प्रोत्साहित नहीं करेगा।

9. **यात्रा भत्ता/बैठक शुल्क**

(i) गैर-सरकारी सदस्य यात्रा भत्ते के पात्र होंगे। इसे प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी एसी (रेल में श्रेणी की उपलब्धता के अधीन) अथवा वास्तव में भुगतान किए गए रेल किराए, जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित किया जाएगा। जहां स्थान रेल द्वारा जुड़ा नहीं है, वास्तव में भुगतान किए गए बस किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) यात्रा भत्ते के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए 300/- रुपए प्रतिदिन का बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे।

10. **अन्य**

महानिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, दूरदर्शन यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति की बैठक समय पर आयोजित की जाए। इस आशय की रिपोर्ट को दूरदर्शन/आकाशवाणी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। बैठक का कार्यवृत्त कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर उचित स्तर पर कार्रवाई हेतु महानिदेशक अथवा नामित अधिकारी को भेजा जाएगा।

[अनुवाद]

कृषि वस्तु व्यापार

4009. श्री अजय कुमार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं के व्यापार में सट्टेबाजी और खाद्य महंगाई को रोकने के संबंध में व्यापक विनियमन हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विशेष रूप से कृषि वस्तु व्यापार की निगरानी के लिए नियामक प्राधिकरण गठित करने के बारे में योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत वस्तु वायदा बाजारों का विनियामक, वायदा बाजार आयोग, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायदा बाजार अत्यधिक-सट्टेबाजी के अधीन न रहे और मूल्य जोखिम प्रबंधन और मूल्य खोज के लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए अनेक विनियामक उपकरणों का उपयोग करता है। वायदा बाजार आयोग, फ्यूचर्स एक्सचेंजों पर व्यापारित सभी वस्तुओं के मूल्य रुझानों पर बारीकी से नजर रखता है और बाजार में यथाआवश्यक दखल देने के लिए विशेष मार्जिन, अतिरिक्त मार्जिन, आरंभिक मार्जिन को बढ़ाने, समाप्ति पूर्व मार्जिन अधिरोपित करना और पोजीशन सीमाओं आदि में परिवर्तन करना आदि जैसे उपाय करता है। हाल ही में, वायदा बाजार आयोग ने अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए अनेक उपाय किये हैं जो मूल्य उतार-चढ़ाव को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ उपाय विभाजित आपूर्ति प्रणाली को शुरू करने, मंदी के सीजन में संविदाओं की अनुमति न देने, कुछ वस्तुओं की समाप्ति की अंतिम तारीख को कम करने, खुला ब्याज अनुपात संबंधी मात्रा की जांच करने, अधिक व्यापार संबंधी सूचना की सार्वजनिक घोषणा करने और सात खाद्य पदार्थों के आरंभिक मार्जिन को दुगने करने से संबंधित हैं। जहां तक वस्तु वायदा बाजार के कारण खाद्य मुद्रास्फीति का संबंध है, योजना आयोग के सदस्य, श्री अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति, जिसने संवेदनशील वस्तुओं (खाद्यान्न और चीनी) के मूल्यों में भावी सौदा व्यापार शुरू होने से पहले और उसके बाद के वार्षिक रूझान वृद्धि दर का विश्लेषण किया था, ने यह निष्कर्ष निकाला कि हालांकि कुछ संवेदनशील वस्तुओं, जिनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में उच्चतर मान है, में भावी सौदा व्यापार शुरू होने के बाद स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई, किन्तु इस बात का सामान्य दावा करना संभव नहीं है कि भावी सौदा व्यापार वाली वस्तुओं में मूल्य वृद्धि अधिक तेजी से हुई है।

अन्य कारक खासतौर पर मांग और आपूर्ति में अंतर, आयात पर निर्भरता का स्तर और इन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इत्यादि भी वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सेवा योजना

4010. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्रीमती अन्नू टन्डन :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएम) के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) सरकार द्वारा एनएसएस में निजी क्षेत्रों के भाग लेने को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एनएसएम के अंतर्गत पुरस्कारों की संख्या और पुरस्कार की राशि बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका प्रयोजन क्या है एवं एक ऐसे प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। देश में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएम) के कार्यकरण का मूल्यांकन वर्ष 2008-09 में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (टीआईएसएस) द्वारा किया गया। इसके मुख्य निष्कर्ष वित्तपोषण पैटर्न, पर्यवेक्षण, स्वयंसेवकों द्वारा निष्काषित कार्यकलापों की मॉनीटरी और मूल्यांकन, कार्यक्रम पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, रिक्त पदों को भरने तथा इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवकों की भर्ती बढ़ाने से संबंधित हैं।

(ग) एनएसएस में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्व वित्तपोषण यूनिटों (एसएफयू) की स्कीम लागू की गई है। इन यूनिटों को राष्ट्रीय शिविरों, अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों और उत्सवों जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के सभी लाभ दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2010-11 में पुरस्कारों की संख्या और पुरस्कार धन राशि में वृद्धि की गई। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

श्रेणी	वृद्धि से पूर्व पुरस्कारों की संख्या	वृद्धि के बाद पुरस्कारों की संख्या	वृद्धि से पूर्व पुरस्कार धनराशि	वृद्धि के बाद पुरस्कार धनराशि
विश्वविद्यालय/+2 काउंसिल (राज्य स्तर)	1	1	1,00,000/- रु.	2,00,000/- रु.
अपकमिंग विश्वविद्यालय	0	1	0	1,00,000/- रु.
प्रशस्ति पत्र	0	5	0	कोई नकद पुरस्कार नहीं
कार्यक्रम अधिकारी	6	10	10,000/- रु.	20,000/- रु.
एनएसएस यूनिट	6	10	35,000/- रु. (एनएसएस कार्यक्रम विकास हेतु)	70,000/- रु. (एनएसएस कार्यक्रम विकास हेतु)
एनएसएस स्वयंसेवक	16	30	8,000/- रु.	15,000/- रु.

निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए बीज

4011. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीज उपलब्ध कराने वाली सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितने बीज उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा विकसित की गई बीज की नई किस्मों का कंपनी-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि क्षेत्र बीजों के विकास हेतु बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की कंपनियों पर निर्भर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं उक्त अवधि के दौरान बीजों के विकास के लिए इन कंपनियों को कितनी निधि प्रदान की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए फसल-वार बीजों की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बीजों की नई किस्मों का फसलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई किस्मों के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां 2009-10 में 238.13 करोड़ रुपए, 2010-11 में 309.14 करोड़ रुपए, 2011-12 में 350.54 करोड़ रुपए हैं और वर्तमान वर्ष (2012-13) के दौरान 460.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई बीजों की मात्रा का फसल-वार ब्यौरा

(मात्रा लाख क्विंटल)

फसल का नाम	2009-10 उपलब्धता			2010-11 उपलब्धता			2011-12 उपलब्धता			2012-13 उपलब्धता		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गेहूं	59.75	33.31	93.06	41.91	53.87	95.78	54.89	62.94	117.83	53.44	58.79	112.23
धान	37.77	35.64	73.41	47.36	38.94	86.30	52.67	38.93	91.60	44.63	35.69	80.32
रागी	0.27	0.10	0.37	0.27	0.07	0.34	0.27	0.03	0.30	0.31	0.06	0.37
जौ	1.80	0.96	2.76	0.65	1.31	1.96	0.70	1.11	1.80	0.63	1.72	2.35
कोडो	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
मक्का	1.23	7.54	8.77	1.34	9.79	11.14	0.71	12.92	13.63	1	10.39	11.39
बाजरा	0.88	2.53	3.41	0.47	2.61	3.09	0.35	3.02	3.37	0.14	2.82	2.96
ज्वार	0.73	2.47	3.20	0.83	1.87	2.71	0.52	2.15	2.66	0.79	2.38	3.17
कुल	102.42	82.55	184.97	92.84	108.46	201.31	110.10	121.10	231.20	100.94	111.85	212.79
चना	10.38	2.28	12.66	12.75	2.58	15.33	13.05	3.58	16.63	9.61	5.53	15.14
उड़द	1.51	0.95	2.46	1.59	1.11	2.70	1.79	1.58	3.37	1.95	1.38	3.33
लोबिया	0.08	0.13	0.21	0.08	0.17	0.24	0.09	0.07	0.16	0.16	0.04	0.2
मूंग	1.45	0.84	2.29	1.37	1.11	2.48	1.53	0.78	2.30	1.1	1.43	2.53
कुलथी	0.00			0.00	0.06	0.06	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.08
मसूर	0.56	0.24	0.80	0.60	0.32	0.92	0.65	0.30	0.95	0.44	0.3	0.74
लेथिरस	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मटर	1.26	0.45	1.71	0.54	1.18	1.72	0.52	0.83	1.36	0.51	1.09	1.6
मोठ	0.41	0.04	0.45	0.01	0.05	0.06	0.06	0.03	0.09	0.22	0.01	0.23
अरहर	1.02	0.63	1.65	1.32	1.01	2.33	2.04	1.51	3.55	1.24	1.03	2.27
राजमा	0.18	0	0.18	0.01	0.00	0.02	0.07	0.01	0.07	0.11		0.11
खेसारी	0.00			0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.04
कुल	16.84	5.56	22.40	18.29	7.61	25.90	19.84	8.70	28.54	15.4	10.88	26.28
एरंड	0.10	0.46	0.56	0.13	0.53	0.66	0.20	0.44	0.65	0.21	0.49	0.7
रेपसीड/सरसों	1.78	0.69	2.47	1.97	0.83	2.80	1.97	0.69	2.66	1.24	1.4	2.64
मूंगफली	20.19	5.16	25.35	22.54	5.49	28.03	22.01	11.68	33.69	18.31	7.42	25.73
रामतिल	0.03	0	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
तिल	0.11	0.14	0.25	0.12	0.17	0.29	0.14	0.12	0.26	0.12	0.18	0.3
अलसी	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	0.06	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02
सोयाबीन	16.72	15.08	31.80	17.80	18.01	35.82	19.95	14.49	34.44	19.1	19.18	38.28
सूरजमुखी	0.08	1.18	1.26	0.21	1.19	1.40	0.03	0.95	0.98	0.03	0.65	0.68
कुसुम	0.12	0.01	0.13	0.05	0.03	0.08	0.03	0.07	0.10	0.06	0.08	0.14
कुल	39.16	22.73	61.89	42.87	26.29	69.16	44.37	28.47	72.84	39.09	29.42	68.51
कपास	0.12	2.31	2.43	0.15	2.45	2.60	0.09	2.58	2.67	0.31	2.41	2.72
जूट/मेस्ता	0.35	0	0.35	0.66	0.19	0.85	0.31	0.16	0.48	0.23	0.14	0.37
कुल	0.69	2.31	3.00	0.81	2.64	3.45	0.41	2.74	3.15	0.54	2.55	3.09
आलू	3.55	1.48	5.03	10.35	10.21	20.57	5.58	11.75	17.34	4.73	12.59	17.32
अन्य	1.63	0.81	2.44	0.27	0.71	0.98	0.36	0.19	0.55	0.47	0.12	0.59
सकल योग	164.28	115.44	279.72	166.42	155.92	322.34	180.66	172.96	353.62	161.17	167.41	328.58

विवरण-II

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा निर्मुक्त तथा अधिसूचित नयी किस्मों की संख्या का फसल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	फसल	किस्मों की संख्या							
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धान	24	4	26	3	1	1	10	8
2.	जौ	4	—	3	—	1	—	1	—
3.	गेहूं	11	—	4	—	3	—	5	—
4.	मक्का	3	4	1	5	—	3	4	12
5.	बाजरा	5	1	—	3	1	3	3	8
6.	सोरघम	3	—	2	—	3	—	3	1
7.	अन्य कदन्न	7	—	1	—	3	—	3	—
8.	चिक पी	4	—	6	—	—	—	2	—
9.	अरहर	2	1	1	—	1	—	2	—
10.	कुलथी	3	—	—	—	1	—	1	—
11.	फ्रेंचबीन	2	—	—	—	—	—	—	—
12.	लोबिया	2	—	3	—	—	—	—	—
13.	उड़द	4	—	3	—	1	—	3	—
14.	मूंग	6	—	4	—	—	—	3	—
15.	मसूर	5	—	—	—	2	—	—	—
16.	फील्ड पी	2	—	1	—	2	—	2	—
17.	मूंगफली	11	—	6	—	4	—	3	—
18.	अलसी	1	—	3	—	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	सोयाबीन	1	—	2	—	—	—	—	—
20.	सूरजमुखी	—	—	—	—	—	—	3	—
21.	सरसों	5	1	6	—	1	—	2	1
22.	रामतिल	1	—	1	—	—	—	—	—
23.	तिल	3	—	2	—	—	—	3	—
24.	कुसुम	—	—	—	—	—	—	1	—
25.	एरंड	—	—	3	—	—	—	1	1
26.	कपास	3	—	6	1	—	—	5	—
27.	पटसन	3	—	2	—	—	—	—	—
28.	अन्य रेशे	1	—	2	—	1	—	—	—
29.	गन्ना	—	—	5	—	1	—	4	—
30.	चारा फसलें	6	—	8	—	—	—	2	—
	कुल	122	11	101	12	28	7	66	31

प्लेसमेंट एजेंसियां

4012. श्री यशवंत लागुरी :

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध धोखाधड़ी/प्लेसमेंट नियमों/अधिनियमों के उल्लंघन एवं अन्य अपराधों में संलिप्त होने के कारण प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कुल कितने मामलों की जानकारी मिली है एवं पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सहित अभियुक्तों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) देश में प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा प्लेसमेंट नियमों/अधिनियमों के उल्लंघन और भारतीय दंड संहित (आई पी सी) के तहत अन्य अपराधों में उनके संलिप्त होने के संबंध में मीडिया के कुछ क्षेत्रों में आई रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं। तथापि, इस मुद्दे से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें, यदि कोई हों, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य संघ क्षेत्र प्रशासन को प्राप्त होती हैं और समय-समय पर संगत कानूनों के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। रोजगार ढूढ़ने वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों

को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने के लिए दिनांक 30.10.2003 को दिशानिर्देश जारी किए थे। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों तथा विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसरों के लिए आकर्षक/भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए दिनांक 31.10.2011 को एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई थी। राज्य सरकारों को घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह भी दी गई थी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र से भेजे गए विधेयक

4013. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र से अनुमोदनार्थ कई विधेयक प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक प्राप्त हुए विधेयकों के नाम क्या हैं;

(ग) अनुमोदित और लंबित विधेयकों के नाम क्या हैं एवं इनके लंबित रहने के अलग-अलग कारण क्या हैं; और

(घ) लंबित विधेयकों के कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और मंजूरी के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त विधेयकों का नाम और प्रत्येक विधेयक की स्थिति संबंधी विवरण संलग्न है।

राज्य विधानों की जांच केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके तीन दृष्टिकोणों से की जाती है अर्थात्

(i) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता;

(ii) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से उनका विचलन; और

(iii) विधिक एवं सांविधानिक वैधता।

जब कभी आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकारों को उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। कभी-कभी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करना भी आवश्यक होता है। इसलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

राष्ट्रपति के विचारार्थ और मंजूरी के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त विधेयकों की स्थिति

वर्ष 2010

क्र.सं.	विधेयक का नाम	वर्तमान स्थिति: अंतिम रूप दिया गया/लंबित
1	2	3
1.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थगृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण), अपंग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी भागीदारी), भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवाशर्तों का विनियमन) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित

1	2	3
2.	महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (विनियमन) विधेयक, 2010	लंबित
3.	न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
4.	महाराष्ट्र नगर निगम, नगरपालिका परिषदें और महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं शहरी नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
5.	मजदूरी का भुगतान एवं न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट्र संशोधन), विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
6.	बाम्बे प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
7.	पंजीकरण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
8.	महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता एवं महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि पुनःस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
9.	महाराष्ट्र नगर पालिका, नगरपालिका परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
10.	मोटर वाहन (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
	वर्ष 2011	
11.	बोनस का भुगतान (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
12.	मुम्बई नगर निगम, बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर शहर निगम, बॉम्बे पुलिस और महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक शहर नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
13.	महाराष्ट्र झुग्गी क्षेत्र सुधार, सफाई एवं पुनर्विकास (संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
14.	बम्बई सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
15.	महाराष्ट्र शैक्षिक संस्थान (फीस का विनियमन) विधेयक, 2011	लंबित
16.	महाराष्ट्र सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
	वर्ष 2012	
17.	बॉम्बे किराएदारी और कृषि भूमि हैदराबाद किराएदारी और कृषि भूमि, बॉम्बे किराएदारी और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
18.	महाराष्ट्र क्षेत्रीय और टाउन प्लानिंग (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
19.	बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित

1	2	3
20.	महाराष्ट्र आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
21.	महाराष्ट्र भूमिजल (विकास एवं प्रबंधन) विधेयक, 2009	लंबित
22.	बॉम्बे किराएदारी और कृषि भूमि हैदराबाद किराएदारी और कृषि भूमि, बॉम्बे किराएदारी और कृषि भूमि (विदर्भ) (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
23.	महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल विधेयक, 2012	लंबित
24.	महाराष्ट्र आवास (विनियमन एवं विकास), विधेयक, 2012	लंबित
25.	महाराष्ट्र नगर निगम एवं नगरपालिका परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
26.	महाराष्ट्र भू-राजस्व कोड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
27.	बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट (संशोधन) विधेयक, 2012	अंतिम रूप दिया गया

[अनुवाद]

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से प्रस्ताव

4014. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि निर्धारित की गई; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी नहीं, महोदया। मंत्रालय को 12वीं योजना (2012-13) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, 12वीं योजना (2012-13) के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी), केन्द्र प्रायोजित स्कीम की शुरुआत के साथ ही मानव संसाधन विकास स्कीम और इसके सभी घटकों को मिशन में सन्निविष्ट कर दिया गया है। तदनुसार, आवेदनों की प्राप्ति, निधियों की स्वीकृति और उसकी निर्मुक्ति. स्कीम का पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य राज्य सरकारों पर निर्भर है। मिशन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास तथा क्षेत्र के लिए दक्षता प्राप्त जनशक्ति के लिए लाभभोगियों, परियोजनाओं के स्थान आदि के चयन में लचीलेपन के साथ-साथ राज्यों/राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक भूमिका का प्रावधान है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवासीय परियोजना का पूरा होना

4015. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि जब से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू हुआ है तब से इस योजना के अंतर्गत केवल कुछ परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए या किए जाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के संघटक शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं

(बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) का समन्वय कार्य आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के संबंध में उल्लेखनीय है कि गरीबों के लिए स्वीकृत 41.3 प्रतिशत आवास पूरे हो गए हैं। तथापि, ऐसी परियोजना को अपूर्ण माना जाता है जिसके एक भी अवसंरचना घटक को पूरा नहीं कर लिया जाता।

संबंधित राज्य सरकारों और उनकी क्रियान्वयन एजेंसियों मुख्यतया शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। जबकि कुछ राज्यों में प्रगति उल्लेखनीय रही है, कुछ अन्य राज्य पिछड़ रहे हैं। परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किए जाने के अन्य कारणों में से कुछेक निम्नानुसार हैं:—

(1) लागत में वृद्धि विशेष रूप से स्टील और सीमेंट की कीमतों में विभिन्न कारकों के कारण वृद्धि होना तथा राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बढ़ी हुई लागत की पूर्ति नहीं करने के प्रति अनिच्छा- विशेष कर कठिन म्युनिसिपल वित्तीय स्थिति के कारण।

(2) राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर परियोजना प्रबंधन क्षमता की कमी।

(3) स्व-स्थाने विकास परियोजनाओं के मामले में स्लम निवासियों को अस्थाई रूप से नए स्थान पर स्थानांतरिक करने में कठिनाईयां।

(4) लाभ भोगियों की अपना अंशदान देने में असमर्थता।

(5) मुकदमेबाजी से मुक्त भूमि की उपलब्धता की कमी।

(6) न्यायायिक मुकद्में बाजी सहित भूमि के विवाद।

(ग) सरकार ने मार्च, 2012 तक स्वीकृत सतत् परियोजनाओं को पूरा करने और सुधारों के क्रियान्वयन के लिए मिशन की अवधि को मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया है। केन्द्रीय/क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर पुनरीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों को सलाह दी गई है कि वे:—

(1) शुरू नहीं की गई परियोजनाओं को शुरू करें और परियोजनाओं को पूरा करने की कार्रवाई करें तथा समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार पूरे हुए आवासों का काबिज होना सुनिश्चित करें।

(2) यथा संभव मिशन अवधि के भीतर आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करें।

(3) क्रियान्वयन एजेंसियों को तथा साथ ही जहां शहरी स्थानीय निकाय और लाभभोगी दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण अपना अंशदान देने में असमर्थ हैं, अतिरिक्त राज्य अंशदान प्रदान करें ताकि लागत वृद्धि को पूरा किया जा सके।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) तथा शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन यूनिट (पीआईयू) की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 290 क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए हैं और राज्यों/पेरास्टेटलों/स्थानीय निकायों के लगभग 19,300 अधिकारियों को परियोजना बनाने, डिजाइन तैयार करने, क्रियान्वयन और निगरानी करने का प्रशिक्षण प्रदान किया है।

कोयले के उत्पादन में विलंब

4016. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री के. सुगुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को उन्हें आवंटित 33 कोयला ब्लॉकों के संबंध में उत्पादन में विलंब हेतु नोटिसें जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएल द्वारा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 13 कोयला खानों के संबंध में अपनी निर्णय लिया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जनवरी, 2012 में समीक्षा समिति की आयोजित बैठक की सिफारिशों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे उनको आबंटित किए गए कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम	कोयला ब्लॉक का नाम	राज्य
1	2	3	4
1.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	उत्कल-ए गोपाल प्रसाद	ओडिशा
2.	छत्तीसगढ़ मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	गारे पालमा, सेक्टर-I	छत्तीसगढ़
3.	महाराष्ट्र राज्य माइनिंग कॉरपोरेशन	गारे पालमा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़
	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	गारे पालमा, सेक्टर-III	छत्तीसगढ़
4.	छत्तीसगढ़ मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	शंकरपुर भट-2 एंड एक्स.	छत्तीसगढ़
5.	झारखंड राज्य मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	सुगिया क्लोज्ड माइन	झारखंड
6.	ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन	उत्कल-डी	ओडिशा
7.	नाल्को	उत्कल-ई	ओडिशा
8.	झारखंड राज्य मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	राउता क्लोज्ड माइन	झारखंड
9.	झारखंड राज्य मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	बुराखप स्माल पेच	झारखंड
10.	एमएमटीसी	गोमिया	झारखंड
11.	झारखंड राज्य मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	पिंडरा-देबीपुर-खाओवातंद	झारखंड
12.	झारखंड राज्य मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	लातेहर	झारखंड
13.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	सरिया कोईयाटांड	झारखंड
14.	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	राजबर ईएंडडी	झारखंड
15.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	उर्मा पहाड़ीटोला	झारखंड
	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	उर्मा पहाड़ीटोला	झारखंड
16.	झारखंड राज्य मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	पतरातू	झारखंड
17.	झारखंड राज्य मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	राबोडीह ओसीपी	झारखंड
18.	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लि.	ताडीचेरला-I	आंध्र प्रदेश
19-20.	गुजरात राज्य विद्युत निगम लि.	महानदी मछाकाटा	ओडिशा
	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	महानदी मछाकाटा	ओडिशा

1	2	3	4
21.	ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन	नौगांव तेलीसाही	ओडिशा
	आंध्र प्रदेश मिनरल डवलपमेंट	नौगांव तेलीसाही	ओडिशा
22-23.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	चेंदीपादा चेंदीपादा-II	ओडिशा
	छत्तीसगढ़ मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	चेंदीपादा चेंदीपादा-II	ओडिशा
	महाजेनको	चेंदीपादा चेंदीपादा-II	ओडिशा
24.	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा
	ओडिशा हाइड्रो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा
	गुजरात पावर जनरेशन कॉरपोरेशन	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा
25.	असम खनिज विकास निगम	मंदाकिनी बी	ओडिशा
	मेघालय खनिज विकास निगम	मंदाकिनी बी	ओडिशा
	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	मंदाकिनी बी	ओडिशा
	ओडिशा खनन निगम	मंदाकिनी बी	ओडिशा
26.	गुजरात मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन	नैनी	ओडिशा
	पुदुचेरी इनवेस्टमेंट पीडीआईसीएल	नैनी	ओडिशा
27.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन	इच्छापुर	पश्चिम बंगाल
28.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन	कुल्टी	पश्चिम बंगाल
29.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन	जगन्नाथपुर ए	पश्चिम बंगाल
30.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन	जगन्नाथपुर बी	पश्चिम बंगाल
31.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन	सितारामपुर	पश्चिम बंगाल

(ग) कोल इंडिया लि. की ओर से कोई निर्णय/कार्रवाई नहीं की जानी थी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कोयले को शामिल किया जाना

4017. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के दायरे से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले के ईंधन के रूप में कोयले के महत्व को देखते हुए सरकार को इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में कोयले को पहले एक आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने के साथ ही कोयले को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया। यह संशोधन दिनांक 12.02.2007 से लागू हुआ। कोयला खाना प्रचालनों, कोयले के परिवहन इत्यादि को विनियमित करने के लिए, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयला नियंत्रण नियम 2004 बनाए गए और उन्हें दिनांक 25.08.2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीएसएफ के विरुद्ध उत्पीड़न के मामले

4018. श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएफ कार्मिकों द्वारा महिलाओं सहित स्थानीय लोगों के उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या परिणाम निकाले हैं तथा दोषी पाए गए कार्मिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के मूल्यों को विनियंत्रित करना

4019. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डीजल के नियंत्रित मूल्यों को देखते हुए कृषि अदान लागत में वृद्धि के कारण खाद्यान्न के मूल्यों को विनियंत्रित करने हेतु कृषि राज्यों से अनुरोध/मांगें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संचार प्रणाली का काम न करना

4020. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की संचार प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया था जबकि इस वर्ष राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा था जिसके पांच राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसी सुरक्षा चूक को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस की संचार प्रणाली ने कभी भी काम करना बंद नहीं किया था। इस पर ब्रिक्स संबंधी व्यवस्था के पूर्वाभ्यास के दौरान धौला कुंआ में वीआईपी मार्ग पर केवल मामूली दबाव की सूचनी मिली थी, जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा धौला कुंआ में अतिरिक्त टेट्रा बेस रेडियो लगाकर तुरंत ठीक कर दिया गया था। यह धौला कुंआ क्षेत्र में चैनल पर स्थानीय रूप से पड़ने वाला दबाव था और प्रणाली ने काम करना बंद नहीं किया था।

[हिन्दी]

एसएआई योजनाएं

4021. **श्री इज्यराज सिंह :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती अन्नू टन्डन :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए संबंधित खेलों के योग्य प्रशिक्षकों के दिशा-निर्देश के अंतर्गत उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा अभी तक पहचाने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र के खेल (एसएजी) योजना का पुनरूद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल सुविधाएं और अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) योजना और राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. **उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्कीम**

यह योजना साई द्वारा राष्ट्रीय टीमों को अंतिम रूप देने के लिए चयनकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन के अधिक विकल्प देने हेतु चालू की गई थी। यह सीओई ऐसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया हो। 12 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के प्रशिक्षु सीओई स्कीम में प्रविष्ट किए जाते हैं। कनिष्ठ स्तर के उन खिलाड़ियों को भी प्रवेश दिया जाता है जो वरिष्ठ स्तर में प्रवेश पाने ही वाले हों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने की अपेक्षित क्षमता रखते हों। इस समय देश में 10 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं जो 17 विधाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षुओं को 330 दिनों के लिए 175/- रु. प्रतिदिन की दर से भोजन और आवास, 6000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से खेल किट, 1.00 लाख रु. का दुर्घटना बीमा, 3000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से प्रतियोगिता अनुभव, 500/- रु. प्रतिवर्ष की दर से चिकित्सा खर्च और 100/- रु. प्रतिवर्ष की दर से अन्य खर्चे दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत गैर आवासीय प्रशिक्षुओं को 6000/- रु. की दर से खेल किट, 3000/- रु. की दर से प्रतियोगिता अनुभव, 9000/- रु. की दर से वजीफा और 1.00 लाख रु. का दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

इस समय 10 उत्कृष्टता केंद्र है जिनमें 347 (161 लड़के और 186 लड़कियां) प्रशिक्षु हैं।

2. **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कीम:-**

इस स्कीम की मुख्य संकल्पना छोटी आयु में उदीयमान प्रतिभाओं की खोज करना और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भावी पदक आशाओं के रूप में प्रशिक्षित करना है। एनएसटीसी स्कीम के अधीन

8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को साई द्वारा अपनाए गए स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है जहां उन्हें उसी स्कूल में अध्ययन करने और अपने खेल कौशल को प्रखर करने की सुविधा दी जाती है।

इस समय 18 नियमित स्कूल, देशज खेलों और मार्शल आर्टस (आईजीएमए) के 14 स्कूल, 40 अखाड़े और अखाडों की तर्ज पर 2 खेल केंद्र एनएसटीसी स्कीम के अधीन अपनाए हुए हैं, जिनकी संयुक्त संख्या 1328 (1077 लड़के और 251 लड़कियां) प्रशिक्षु हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) पहले ही विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम चला रहा है। पूरे क्षेत्र में कुल 20 एसएजी केंद्र कर रहे हैं।

(ङ) जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित देश में खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय 2008-09 से पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश की गांव पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में खेल की बुनियादी सुविधाएं देना, विकसित करना तथा ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के अवसर प्रदान कराना है।

[अनुवाद]

भूस्खलन प्रबंधन

4022. **श्री प्रेमदास राय :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) देश में होने वाली आपदाओं को दस्तावेज में दर्ज करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम राज्य में क्षेत्र-वार कितने भूस्खलन दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या भूस्खलन के दौरान बेहतर संकट प्रबंधन की तैयारी करने के लिए कोई मामला अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) एनआईडीएम की स्थापना के बाद से उक्त प्रयोजनार्थ सिक्किम में कितने क्षमता निर्माण प्रशिक्षण हुए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने विगत में हुई कुछ बड़ी आपदाओं को दस्तावेजों में दर्ज किया है। वर्ष 2011 से, संस्थान ने बड़ी आपदाओं को दस्तावेजों में दर्ज करते हुए भारत में आपदा रिपोर्ट का संकलन और प्रकाशन शुरू किया है।

(ख) एनआईडीएम ने सिक्किम में हुए भू-स्खलन का प्रलेखन नहीं किया है। तथापि, सितम्बर, 2011 में आए भूकम्प के साथ जुड़े भूस्खलन को सिक्किम में आए भूकम्प 2011 की रिपोर्ट के दस्तावेजों में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) एनआईडीएम ने भूस्खलन के दौरान संकट प्रबंधन की तैयारी के लिए कोई मामला अध्ययन नहीं किया है। तथापि, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) भूस्खलन के खतरों का अध्ययन करता है और अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को प्रस्तुत करता है।

(ङ) एनआईडीएम भूस्खलनों के न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें आपदा के पश्चात् कार्रवाई और राहत शामिल है। एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधन केन्द्र, जी.बी. पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, सिक्किम के सहयोग से अपने प्रारंभ से अब तक सिक्किम में क्षमता निर्माण पर 8 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 359 सहभागियों ने भाग लिया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा एनडीएमए के सहयोग से राज्य सिविल सेवा के ऐसे अधिकारियों के लिए, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हुए हैं, दिनांक 2.4.2012 से 4.4.2012 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। इस प्रशिक्षण में (i) सिक्किम में भूकम्प पर मामला अध्ययन (ii) आपदा प्रबंधन जैसे विषय शामिल किए गए थे।

संस्कृति का संरक्षण

4023. **श्री तकाम संजय :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाजों तथा परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रिंट मीडिया और टेलीविजन में उत्तर-पूर्व की विविध संस्कृति को बढ़ावा देने तथा दर्शाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) संस्कृति मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीमों और अपने सम्बद्ध, अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठनों के माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्यों सहित देश भर में पारंपरिक कला रूपों के परिरक्षण का प्रयत्न कर रहा है।

(ख) और (ग) इस दिशा में उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:—

(i) संस्कृति मंत्रालय अपनी "सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम" और "विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश के संगठनों, सोसाइटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता/अनुदान जारी करता है।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनोखी सांस्कृति विरासत के संवर्धन और उस क्षेत्र के समग्र सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की वार्षिक योजना के संपूर्ण आबंटन का 10 प्रतिशत भाग, पूर्वोत्तर में कला और संस्कृति के विकास के लिए तय कर दिया गया है।

(ii) नागालैंड में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है।

(iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूर्वोत्तर में संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित कार्यक्रमों के आयोजन करता है जिनमें पूर्वोत्तर के कलाकार भाग लेते हैं। संग्रहालय द्वारा इन कार्यक्रमों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं और प्रेस नोट जारी किए जाते हैं तथा स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर स्क्रॉल विज्ञापनों का प्रसारण भी किया जाता है।

(iv) ललित कला अकादमी (एलकेए), पूर्वोत्तर के पारंपरिक कला रूपों के परिरक्षण के लिए शिविरों, सेमिनारों, कलाकृतियों, कला उत्सवों, फिल्म शो आदि का आयोजन करने जैसे कदम उठा रही है।

(v) साहित्य अकादमी, स्वयं द्वारा दी गई मान्यता वाली सभी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है जिसमें पूर्वोत्तर की असमी, बोडो, मणिपुरी ओर नेपाली जैसी पूर्वोत्तर भाषाएं शामिल हैं। यह "लोक : विविध स्वर" नामक एक कार्यक्रम का भी आयोजन करती है, जिसमें व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम की अवधारणा लोक और जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण और परिरक्षण के लिए की गई थी, जिसमें पूर्वोत्तर की संस्कृति भी शामिल है।

(vi) सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो पूर्वोत्तर की विभिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। यह ऐसी वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं पर वृत्तचित्र भी तैयार करता है और इन परंपराओं पर प्रकाशनों का मुद्रण करता है, जिनको विद्यार्थियों के मध्य प्रसार करने के लिए विद्यालय के अध्यापकों में वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, श्रव्य और दृश्य सीडी भी तैयार की जाती है।

(vii) कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से, कलाकारों को चेन्नई में मंचकला प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित करके पूर्वोत्तर के कला रूपों का संरक्षण करता रहा है।

[हिन्दी]

कृषि विस्तार कार्यक्रम

4024. **श्री गोपीनाथ मुंडे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने लिए कृषि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त और उनके द्वारा उपयोग की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत महिला किसान सहित कितने किसान तथा किसान कल्याणकारी समूह लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि से संबंधित नवीनतम सूचना और समुचित प्रौद्योगिकियों को देश में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कृषि विस्तार कार्यक्रमों के अधीन प्रसारित किया जा रहा है। इसमें शामिल हैं:—

(i) विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन का उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु नई संस्थागत व्यवस्थाओं को शुरू किए जाने के द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषक केन्द्रित विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ करना है। इस स्कीम के अधीन शुरू किए गए कार्यकलापों में शामिल हैं- विस्तार कर्मियों और किसानों की क्षमता निर्माण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, विगोपन दौर, किसान मेले, कृषक समूह संघटन, फार्म स्कूल तथा कृषक-वैज्ञानिक परस्पर वार्ता। वर्तमान में, इस स्कीम के अधीन 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 614 जिलों को कवर किया गया है।

(ii) कृषि संबंधी कार्यक्रमों को 180 नैरो कास्टिंग केन्द्रों; दूरदर्शन के 18 क्षेत्रीय और 1 राष्ट्रीय चैनल तथा 56 एफएम केन्द्रों के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा, कृषि समुदाय से संबंधित मुद्दों पर एक सकेन्द्रित प्रचार अभियान भी चल रहा है।

(iii) किसान काल केन्द्र (सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए) टाल फ्री टेलीफोन लाईनों के माध्यम से किसान समुदाय को कृषि से संबंधित सूचना मुहैया कराते हैं। किसान समुदाय को प्रश्नों के उत्तर स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं। सप्ताह के सभी सातों दिन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कालों का जवाब दिया जाता है।

(vi) कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्रों को कृषि तथा संवर्गी विषयों में शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले प्रशिक्षित युवक चलाते हैं और ये केन्द्र किसानों को विस्तार सेवाएं मुहैया कराते हैं। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों की स्थापना करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग समर्थन दिया जाता है।

(v) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) देश में विभिन्न स्तरों पर कृषि मेलों को बढ़ावा दे रहा है और इनमें भाग ले रहा है।

(vi) पूरे देश में किसानों को बीज उत्पादन तथा बीज प्रौद्योगिकियों पर बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।

(vii) देश में 630 केवीके के अपने नेटवर्क के जरिए, आईसीएआर प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवकों और विस्तार कार्मिकों को सशक्त बनाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के अधीन निर्मुक्त की गई निधियों तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीम के अधीन लाभान्वित महिला कृषकों और कृषक कल्याण समूहों सहित किसानों की संख्या संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विस्तार सुधार स्कीम के अधीन निर्मुक्त की गई निधियों और राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य वार और वर्ष वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूएसबी 1.4.09	वित्तीय वर्ष							
			2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
			निर्मुक्ति	उपयोग	निर्मुक्ति	उपयोग	निर्मुक्ति	उपयोग	निर्मुक्ति	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1197.26	989.30	1441.45	2023.39	883.13	1700.00	2115.07	2160.58	1856.07
2.	बिहार	2093.85	1246.54	1775.97	2472.90	1630.39	5320.82	5471.74	1744.61	3045.69
3.	छत्तीसगढ़	567.78	50.00	320.36	397.83	320.36	1600.00	816.93	1049.81	1102.58
4.	गोवा	27.09	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.	गुजरात	206.61	556.71	375.02	510.44	713.54	2200.00	2126.20	2869.70	2253.96
6.	हरियाणा	334.43	737.64	562.00	120.00	427.62	1071.32	749.89	0.00	236.23
7.	हिमाचल प्रदेश	4.03	514.83	471.99	402.61	220.18	1448.34	1154.73	537.18	548.20
8.	जम्मू और कश्मीर	44.70	0.00	32.95	444.80	343.30	400.00	254.74	900.00	177.97
9.	झारखंड	397.10	604.89	245.68	781.49	550.62	1280.37	1971.43	2196.85	1314.83
10.	कर्नाटक	481.52	250.00	615.29	634.63	516.11	1623.68	1190.80	593.89	893.46
11.	केरल	475.11	343.27	739.56	610.00	534.58	1173.00	861.48	1183.40	962.34
12.	महाराष्ट्र	451.60	939.17	890.77	2234.87	1634.87	3785.00	3939.94	1716.18	1734.50
13.	मध्य प्रदेश	1238.85	1534.48	2166.88	990.33	1369.43	1828.34	1781.90	3462.56	1549.00
14.	ओडिशा	124.17	1510.57	1600.90	1838.86	1386.37	4882.36	3809.89	2179.40	2923.41
15.	पंजाब	546.36	211.42	595.16	463.73	406.54	800.00	649.73	670.92	581.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	राजस्थान	369.94	1186.90	1116.45	1058.20	1266.88	2036.30	2185.54	1945.24	1120.38
17.	तमिलनाडु	318.75	1113.24	1431.99	2654.98	1492.73	2424.95	3136.66	2240.69	1896.59
18.	उत्तर प्रदेश	2016.32	4158.67	3984.60	4247.81	4054.27	4838.18	6704.07	5727.39	3284.79
19.	उत्तराखंड	292.74	664.21	540.25	300.00	518.65	350.00	471.42	463.08	81.07
20.	पश्चिम बंगाल	1182.29	0.00	710.12		339.50	200.00	137.51	1168.67	1275.90
21.	असम	205.63	0.00	83.50	375.50	114.24	561.79	482.60	726.49	636.04
22.	अरुणाचल प्रदेश	75.36	197.75	122.23	337.15	251.16	592.98	565.17	915.91	333.65
23.	मणिपुर	286.40	0.00	286.40	174.71	174.71	468.14	268.14	275.68	62.81
24.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	220.73	125.55	288.74	295.52	0.00	88.94
25.	मिजोरम	125.56	121.54	115.43	75.58	127.27	403.01	343.79	347.22	189.17
26.	नागालैंड	0.00	378.80	378.80	419.54	179.68	747.13	804.21	365.56	455.56
27.	त्रिपुरा	102.56	178.12	147.90	50.00	92.76	589.96	553.14	288.80	200.84
28.	सिक्किम	120.59	75.00	50.35		106.96	249.26	263.07	104.61	97.15
29.	दिल्ली	21.63	0.00	0.60					0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	11.64	0.00	0.69		9.62	81.40	44.00	44.00	23.55
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.21	40.41	33.93	27.76	35.31	81.37	63.43	20.00	39.23
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00						0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00						0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00						0.00
35.	मैनेज	28.84	255.75	277.69	259.65	56.45	371.10	129.00		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	डीओई	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	4.27	4.27		0.00
	कुल	13368.92	17859.21	21115.63	24128.21	19883.50	43401.80	43346.01	35898.42	28965.52

*12.12.2012 तक प्राप्त

रिपोर्टों के अनुसार

विवरण-II

विस्तार सुधार स्कीम के तहत महिला किसानों और कृषक हित समूहों (एफआईजी) सहित लाभान्वित किसानों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
		किसान	एफआईजीज	किसान	एफआईजीज	किसान	एफआईजीज	किसान	एफआईजीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	98740	1540	148889	629	188876	314	78623	108
2.	बिहार	693225	1217	647933	1113	580627	2696	76573	139
3.	छत्तीसगढ़	89514	374	24543	149	79697	142	98029	89
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	68323	2467	521369	4613	366391	6772	307686	5227
6.	हरियाणा	79312	164	38884	1	67999	320	18305	48
7.	हिमाचल प्रदेश	27647	334	12250	237	61298	599	23902	530
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	13351		511	0
9.	झारखंड	36635	53	20520	40	66157	2001	41737	254
10.	कर्नाटक	70415	508	55164	634	230885	461	74734	230
11.	केरल	226880	1602	114681	942	257736	508	118153	583
12.	महाराष्ट्र	135175	570	73671	1522	139938	3256	42852	1456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	669475	1400	186948	1000	408860	1000	6000	626
14.	ओडिशा	380176	2934	122092	1278	433072	1200	110159	0
15.	पंजाब	440443	87	107153	5	84056	24	91722	7
16.	राजस्थान	175061	870	152394	622	259418	1335	81638	280
17.	तमिलनाडु	120394	1400	246794	477	434583	2644	32901	107
18.	उत्तर प्रदेश	848748	3968	372997	2705	315773	3085	176235	985
19.	उत्तराखंड	171597	450	253333	443	57261	366	4536	34
20.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	9419	82	91255	0
21.	असम	0	192	0	0	13358	192	1344	192
22.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	6500	0	10052		0	0
23.	मणिपुर	0	0	7402	180	41627	87	0	0
24.	मेघालय	0	0	0	0	748	41	312	39
25.	मिजोरम	5809	200	12742	87	8772	260	6136	130
26.	नागालैंड	97716	321	34156	260	91363	284	0	0
27.	त्रिपुरा	22525	102	0	31	29770	0	0	40
28.	सिक्किम	2135	38	3632	96	13387	115	100	0
29.	दिल्ली	162	0	0	0	0		0	0
30.	पुदुचेरी	0	0	2577	102	2911	25	1251	10
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6834	0	5734	10	11632	13	4382	0
	कुल	4466941	20791	3172358	17176	4279017	27822	1489076	11114

*12.12.2012 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की चोरी

4025. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की चोरी के कितने मामलों का पता चला है और इसके लिए कितने अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है;

(ख) उक्त अधिकारियों को क्या दंड दिया गया तथा दंड देने में किन मानदंडों का पालन किया गया है;

(ग) उक्त अधिकारियों से कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(घ) उक्त हानियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चोरी के मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नवत् है:—

वर्ष	मामलों की संख्या	मात्रा (टन)	शामिल राशि (रुपये)
2009-10	07	34.2	487765
2010-11	03	09.05	89100
2011-12	04	14.01	376291
2012-13	00	—	—

कुल 9 कार्मिक शामिल पाए गए हैं। ऐसी घटनाओं में शामिल पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करके और जुर्माना लगाकर तथा शामिल राशि की वसूली करके कार्रवाई की जा रही है।

(ग) उक्त अधिकारियों से 564608 रुपये की राशि वसूली की गई है।

(घ) चोरी/उठाईगिरी पर अंकुश लगाने/पता लगाने हेतु किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

1. कांटेदार तार से बाड़ लगाना, गोदामों/परिसरों में उचित स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करना तथा शेडों में उचित तरीके से ताले लगाना।

2. भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा स्टाफ और अन्य एजेंसियों जैसे होम गार्ड, विशेष पुलिस अधिकारियों को तैनात करना।

3. संवेदनशील डिपुओं/गोदामों में राज्य सशस्त्र पुलिस तैनात करना।

4. सुरक्षा कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच करना।

5. जहां चोरी की घटना ध्यान में आई है वहां पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके अलावा हानि की वसूली करने सहित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

निजी प्रसारणकर्ताओं से प्राप्त राजस्व

4026. श्री रतन सिंह :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दिनांक 27 मार्च, 2012 के तारांकित प्रश्न संख्या 2196 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2196 दिनांक 27.03.2012 से संबंधित सूचना एकत्र की ली गई है। लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2196 दिनांक 27.03.2012 के संबंध में दिए गए आश्वासन को पूरा करने की प्रारूप कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति विवरण संलग्न है। उक्त आश्वासन पूरा करने हेतु वांछित कार्यान्वयन रिपोर्ट अलग से लोक सभा सचिवालय को भेजी जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

XVवीं लोक सभा का Xवां सत्र. वर्ष 2012

तारीख

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रश्न संख्या एवं दिनांक	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
1	2	3	4	5
श्री राजकुमारी रतना सिंह, श्री हरीश चौधरी द्वारा दिनांक 27.03.2012 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 2196	निजी प्रसारणकर्ताओं से प्राप्त राजस्व पूछा गया कि: (क) क्या सरकार/दूरदर्शन निजी प्रसारणकर्ताओं से धनराशि वसूलती है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और (घ) राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?	(क) एवं (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) से (ग) सरकार निजी एजेंसियों के माध्यम से से एफएम प्रसारण के विस्तार की चरण-II नीति के अनुसार निजी एफएम आपरेटर से तिमाही अग्रिम लाइसेंस शुल्क और टावर किराया लेती है। अग्रिम लाइसेंस शुल्क और किराए के रूप में विगत तीन वर्षों के दौरान निजी एफएम रेडियो स्टेशनों से सरकार द्वारा उपार्जित राजस्व के ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिए गए हैं। सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदक से प्रक्रिया शुल्क के रूप में भी 2500/- रु. प्राप्त करती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राप्त हुए राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार है:- वर्ष 2008-09 — 2,75,500/-रु. वर्ष 2009-10 — 5,57,500/-रु. वर्ष 2010-11 — 4,25,500रु-रु. वर्ष 2011-12 — 4,60,000/-रु.	प्रसार भारती/मंत्रालय में संबंधित विंग से सूचना एकत्रित करने में कुछ समय लगा।

1	2	3	4	5

इसके अतिरिक्त, सरकार निजी डीटीएच आपरेटर से एक बार के प्रवेश शुल्क और वार्षिक रूप से भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क के रूप में भी राजस्व उपार्जन करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान उपार्जित राजस्व के ब्यौरे अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन डीटीएच प्लेटफार्म वार्षिक प्रसारण शुल्क पर निजी प्रसारकों को आबंटित किया जाता है जिसका ई-नीलामी के माध्यम से किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान उपार्जित राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष 2008-09 — 24.00 करोड़ रु.

वर्ष 2009-10 — 24.00 करोड़ रु.

वर्ष 2010-11 — 25.24 करोड़ रु.

वर्ष 2011-12 — 82.61 करोड़ रु.

इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन/आकाशवाणी अवसंरचना भी भुगतान आधार पर निजी प्रसारकों के साथ साझा की जाती है। विगत तीन वर्षों और प्रत्येक के दौरान उपार्जित राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	किराया (सेवा कर सहित)	
	एआईआर	डीडी
1	2	3
2009-10	14,88,33,316	15,77,15,089/-रु.

1	2	3	4	5

1	2	3
2010-11	15,99,52,943	18,93,21,540/-रु.
2011-12	18,91,90,990	19,95,29,710/-रु.

(घ) दूरदर्शन निजी प्रसारकों से 60 लाख रुपए और विदेशी सरकारी चैनलों से 1.2 करोड़ रुपए 2009-10 में प्रसारण शुल्क के रूप में डीडी डीटीएच प्लेटफार्म पर अपने के लिए प्रभारित कर रहा था। इसे 2010-11 में संशोधित करके निजी चैनलों के लिए 80 लाख रुपए और विदेशी सरकारी चैनलों के लिए 105 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब प्रसार भारती ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए वर्ष 2011 में डीटीएच के रिक्त स्लाटों को भरने के लिए ई-नीलामी नीति अपनाई है।

अनुलग्नक-I

(राशि रुपए)

क्र.सं.	वर्ष	वार्षिक लाइसेंस शुल्क
1.	2008-09	519559772/- रु.
2.	2009-10	507606527/- रु.
3.	2010-11	494462668/- रु.
4.	2011-12	644176727/- रु.

अनुलग्नक-II

(राशि रुपए)

क्र.सं.	वर्ष	वार्षिक लाइसेंस शुल्क
1.	2008-09	10962318/- रु.
2.	2009-10	11016138/- रु.
3.	2010-11	13887393/- रु.
4.	2011-12	11525718/- रु.

अनुलग्नक-III

विगत तीन वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व

क्र. सं.	डीटीएच लाइसेंसधारी का नाम	एक बार का प्रवेश शुल्क रुपयों	विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क (रुपए)		
			2008-09	2009-10	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स डिस टीवी इंडिया लिमिटेड	10 करोड़	38,50,82,422	20,00,00,000	56,93,64,515
2.	मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड	10 करोड़	32,82,89,516	53,02,89,308	62,38,48,687
3.	मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड	10 करोड़	14,56,10,742	34,31,19,387	24,11,44,000
4.	मैसर्स रिलायंस बिग टीवी लिमिटेड	10 करोड़	3,48,29,054	8,46,09,419	8,78,52,592
5.	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड	10 करोड़	—	10,45,21,416	25,49,75,324
6.	मैसर्स भारत बिजनेस चैनल लिमिटेड	10 करोड़	—	2,40,700	17,73,000

1	2	3	4	5	6
	कुल लाइसेंस शुल्क प्राप्त रुपयों में	10 करोड़	89,38,11,734	126,27,80,230	177,89,58,118
			89.3 करोड़	126.2 करोड़	177.8 करोड़

सांस्कृतिक परिसर

4027. श्री प्रेमदास : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीमों के तहत सांस्कृतिक परिसरों के निर्माण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक ऐसे परिसर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम (टीसीसी) के तहत सांस्कृतिक परिसर निर्माण के लिए बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत 18.16 करोड़ रु. की लागत से लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और केंद्र सरकार से 10.9 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता मांगी गई थी। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति (एनएसी) द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने उक्त बैठक में एनएसी के समक्ष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किया था। एनएसी ने परियोजना के लिए राज्य सरकार को एक अधिक व्यावहारिक योजना (और, यदि संभव हो तो एक विस्तृत क्षेत्र) वाली डिजाइन पर पुन: कार्य करने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

खेलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करना

4028. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय खिलाड़ियों के लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर खेल अवसंरचना/सुविधाओं के विकास में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को शामिल करने के कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास मंत्रालय के स्तर पर साप्ताहिक अथवा मासिक आधार पर उक्त योजना की निगरानी का कोई कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) इस समय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पास राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय खिलाड़ियों के लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर खेल अवसंरचनाओं/सुविधाओं के विकास में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की भागीदारी करने संबंधी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्र के निगमित निकाय पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत वर्ष 1998 में स्थापित की गई राष्ट्रीय खेल विकास निधि में अंशदान करते हैं ताकि देश में खेल-कूद

को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संसाधन जुटाए जा सकें। राष्ट्रीय खेल विकास परिसंघों की निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ सामान्यतया खेलों को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने, खेल-अवसंरचनाओं इत्यादि के निर्माण और अनुरक्षण के लिए विशिष्ट खेल-विधाओं और एकल स्पर्धा के खिलाड़ियों के विकास के लिए किया जाता है।

बुलेट प्रूफ जैकेट

4029. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को अपने-अपने राज्यों में सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों की खरीद को उच्च प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार से अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग को तत्काल विनियमित करने के लिए अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'कानून और व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, पुलिस लाइन तथा विशेष शाखाओं जेसी सुरक्षा संबंधी अवसंरचनाएं कार्य कर रही हैं। अपने संबंधित राज्यों मे विद्यमान सुरक्षा अवसंरचना को बनाए रखना तथा उन्हें सुदृढ़ करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती करने, राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियन स्वीकृत करने, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ योजना) के माध्यम से राज्य पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा-संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करने, आसूचना के आदान-प्रदान, अंतर-राज्य समन्वय स्थापित करने इत्यादि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों तथा संसाधनों में सहायता पहुंचाता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक कार्य योजना, जो योजना के प्रावधानों के तत गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती है, की अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेटों तथ हथियारों की खरीद के लिए एमपीएफ योजना के तहत अनुदान सहायता उपलब्ध करायी गयी है। केन्द्र सरकार ऐसी मदों के केन्द्रीय प्रापण के माध्यम से राज्यों को आवश्यक सहायता भी प्रदान करती है।

(ङ) और (च) संघ सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, उपयोग, परिवहन, आयात तथा निर्यात को विनियमित करने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2012 को अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 अधिसूचित की है। अमोनियम नाइट्रेट नियमावली के नियम 5 के अनुसार सभी विद्यमान विनिर्माता, कन्वर्टर, प्रयोक्ता, ट्रांसपोर्टर, बेचने वाले, रखने वाले, आयातक, निर्यातक इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे तथा एक वर्ष की अवधि के भीतर इन नियमों के प्रावधानों की अनुपालना करेंगे।

एनईआर में ग्रामीण आजीविका परियोजना

4030. श्री खगेन दास : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के तहत शामिल किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना का लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजना ने स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की आय में बढ़ोत्तरी करने में किस हद तक सहायता की है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) चार उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात् मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में लागू की जा रही है। इस परियोजना के तहत शामिल किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) मिजोरम; आइजोल और लुंगलई जिले।

(ii) नागालैंड; पेरेन और तुएनसांग जिले।

(iii) सिक्किम; दक्षिणी, पश्चिमी सिक्किम जिले और पूर्वी सिक्किम के पंचायत वार्ड।

(iv) त्रिपुरा; उत्तरी और दक्षिणी जिले।

(ग) एनईआरएलपी का उद्देश्य आर्थिक अवसरों तक पहुंच बनाकर, भागीदारी तथा जवाबदेह समुदाय आधारित संस्थाओं के माध्यम से संधारणीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के द्वारा ग्रामीण आजीविकाओं विशेषकर महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और समाज के अति पिछड़े वर्गों की आजीविका में सुधार करना है।

(i) महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), पुरुषों एवं महिलाओं के युवा समुहों और सामुदायिक विकास समूहों के लिए संधारणीय सामुदायिक संस्थाएं सृजित करना।

(ii) स्व-शासन, बॉटम-अप प्लानिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ प्रजातांत्रिक कार्य-प्रणाली के लिए सामुदायिक संस्थाओं का क्षमता निर्माण।

(iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म-वित्त, बाजार लिंक और क्षेत्रक आर्थिक सेवाओं के लिए सामुदायिक संस्थाओं की भागीदारी विकसित कराना।

(घ) यह परियोजना मार्च, 2012 में प्रभावी हुई थी। इस परियोजना से होने वाले लाभों के बारे में अभी कुछ बताया जाना संभव नहीं है। तथापि, इस परियोजना में समुदाय में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में बचत और उधार के सिद्धांत पर संधारणीय और सशक्त प्राइमरी संस्थाओं पर जोर दिया जाएगा।

बचत-सह-राहत योजना

4031. श्री संजय भोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बचत-सह-राहत योजना के तहत ओडिशा में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सक्रिय मछुआरों को सब्सिडी प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन अन्य सक्रिय समुद्री मछुआरों को सब्सिडी नहीं दी गई है जिन्हें मंदी की अवधि में नुकसान होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सभी सक्रिय समुद्री मछुआरों को सब्सिडी देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना' के घटक 'बचत-सह-राहत' के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी से संबंधित सक्रिय मछुआरों (समुद्री और अंतर्देशीय, दोनों) को सहायता दी जाती है। गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों से संबंधि मछुआरे उक्त योजना के अधीन सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। ओडिशा सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) और (ङ) लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मामले को छोड़कर, गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों उसे संबंधित सक्रिय मछुआरों तक इस योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कमांडों के लिए क्षतिपूर्ति

4032. श्री भूदेव चौधरी :
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2008 में मुम्बई आतंकी हमले के दौरान मारे गए और घायल हुए एनएसजी कमांडों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या घायल और मारे गए सभी कमांडों को उनकी देय पेंशन और क्षतिपूर्ति मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त मुद्दों को कब तक सुलझा लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त हमले के दौरान बचाव कार्य में लगे कुछ फायरमैन के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पुरस्कारों की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) मुम्बई में दिनांक 26.11.2008 को चले अभियान ओपी ब्लैक टारनेडो में एनसीजी के दो कमांडों मारे गए थे तथा 14 घालय हुए थे।

(ख) और (ग) वर्ष 2008 में मुम्बई आतंकी हमले में भाग लेने वाले ऐसे एनएसजी कार्मिकों, जिनकी मृत्यु हो गई थी, के नजदीकी रिश्तेदारों को दी गई पेंशन एवं मुआवजे तथा घायल हुए एनएसजी कार्मिकों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्ष 2009 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुम्बई फायर ब्रिगेड के निम्नलिखित अग्निशमन सेवा कार्मिक को वरीता के लिए अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किया गया था:—

1. श्री अनिल विष्णु सावंत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सेवानिवृत्त)
2. श्री प्रताप दामोदर कारगुप्पीकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (आई/सी)
3. श्री सुधीर गोपाल अमीन, सहायक डिवीजनल अग्निशमन अधिकारी
4. श्री कैतान फ्रांसिस डीसूजा, स्टेशन अधिकारी
5. श्री संजय वामन राणे, स्टेशन अधिकारी
6. श्री मोसेज इजीकिल पुगांवकर, ड्राइवर आपरेटर
7. श्री युवराज धनजीराव पवार, फायरमैन

विवरण

दिनांक 26.11.2008 को मुम्बई में चले अभियान ओपी ब्लैक टारनेडो के दौरान मारे गए/घायल हुए एन.एस.जी. कार्मिकों को प्रदत्त पेंशन/मुआवजे का ब्यौरा

(क) मारे गए एन.एस.जी. कार्मिकों को प्रदत्त मुआवजा/पेंशन तथा वित्तीय लाभ

क्र. सं.	नाम	प्रदत्त मुआवजा/पेंशन	यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो उसका कारण
1.	मेजर संदीप उन्नीकृष्णन	केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट्र एवं केरल राज्य सरकारों द्वारा उनके नजदीकी रिश्तेदार को 1,08,31,373/- रु. का भुगतान किया गया है।	उनके नजदीकी रिश्तेदार को सभी अधिकृत लाभों का भुगतान कर दिया गया है।
2.	हवलदार गजेन्द्र सिंह	केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड राज्य सरकारों द्वारा उनके नजदीकी रिश्तेदार को 83,30,500/- रु. का भुगतान किया गया है।	उनके नजदीकी रिश्तेदार को सभी अधिकृत लाभों का भुगतान कर दिया गया है।

(ख) घायल हुए एन.एस.जी. कार्मिकों को प्रदत्त मुआवजा/पेंशन एवं वित्तीय लाभ

क्र. सं.	नाम	रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त मुआवजा एवं पेंशन	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद तथा अन्यों द्वारा प्रदत्त वित्तीय लाभ	प्रदत्त कुल वित्तीय लाभ	यदि भुगतान नहीं किया गया है तो उसके कारण/टिप्पणियां
1.	सूबेदार फायर चंद, एस.एम.	15,96,272/- रु. + प्रति माह 10,701/- रु. पेंशन	2,28,381/- रु.	18,24,653/- रु. + प्रतिमाह 10,701/- रु. पेंशन	सैन्य नियम 13(3) के साथ संलग्न तालिका की मद सं. 1(1)(ख) के तहत उन्हें उनके स्वयं के अनुरोध पर दिनांक 31.03.2011 को सेवा से मुक्त कर दिया गया तथा सभी अधिकृत देय राशियों का भुगतान कर दिया गया है।
2.	लांस नायक, सुरेन्द्र सिंह	32,09,007/- रु. + प्रति माह 20,700/- रु. पेंशन	2,48,381/- रु.	34,57,388/- रु. + प्रतिमाह 20,700/- रु. पेंशन	अपंगता के लिए 9,00,000/- रु. एकमुश्त अनुग्रह राशि (मामले को कार्रवाई के लिए पहले ही दिनांक 12 नवम्बर, 12 को पी.सी.डी.ए. (पी), इलाहाबाद को भेजा जा चुका है)।
3.	मेजर ए.के. सिंह एस.सी.	शून्य	4,78,381/- रु.	4,78,381/- रु.	वित्तीय लाभों का भुगतान कर दिया गया है। सेना द्वारा दिए जाने वाले
4.	हवलदार राजवीर	शून्य	2,28,381/- रु.	2,28,381/- रु.	मुआवजे/पेंशन का भुगतान अभी नहीं किया गया है क्योंकि वे अभी भी सेवारत है।
5.	हवलदार राजेन्द्र कोरे	शून्य	2,28,381/- रु.	2,28,381/- रु.	
6.	हवलदार एएस एन्थोनी सैमी	शून्य	2,28,381/- रु.	2,28,381/- रु.	
7.	सिपाही दिनेश साहू	शून्य	2,28,381/- रु.	2,28,381/- रु.	
8.	नायक पी.वी. मनीष	शून्य	5,18,381/- रु.	5,18,381/- रु.	
9.	सिपाही सुनील कुमार, एस.एम.	शून्य	4,98,381/- रु.	4,98,381/- रु.	
10.	सिपाही, सुनील कुमार यादव	शून्य	3,78,381/- रु.	3,78,381/- रु.	
11.	सिपाही राजेश कुमार	शून्य	2,28,381/- रु.	2,28,381/- रु.	

(ग) निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्हें मुम्बई आतंकी हमले के दौरान छोटी मोटी चोटें आई थीं, को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत न करके चिकित्सा प्राधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार सेवा में बनाए रखा गया है और इसलिए उन्हें मुआवजे/पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है:–

1. मेजर बी. भरत

2. मेजर सौरभ शाह

3. कैप्टन मोहित धींगरा

[अनुवाद]

त्रिपक्षीय समझौता

4033. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार असम राज्य सरकार और दीमा हालिम डाओगा (डीएचडी) के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसे समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वियन के बाद इस क्षेत्र में किस सीमा तक सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 08.10.2012 को केन्द्र सरकार, असम सरकार तथा दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) के घटकों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओएस की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

(i) दीमा हसाओ जिले में परिषद् की स्थापना के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371ख के तहत यथापरिकल्पित असम विधान सभा के तहत एक समिति का गठन करना;

(ii) विद्यमान परिषद् का नाम बदलकर दीमा हसाओ स्वशाषी भू-भागीय परिषद् (डीएचएटीसी) करना तथा परिषद् में सीटें भी बढ़ाना;

(iii) प्राथमिक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ग्राम परिषदों की स्थापना करना;

(iv) असम राज्य द्वारा परिषद् को विधायन संबंधी तथा कार्यकारी शक्तियों सहित अतिरिक्त विषयों का अंतरण;

(v) राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) जैसे एक निकाय की स्थापना करना तथा परिषद्-क्षेत्र के भीतर व्यवहार्य विकासात्मक कार्य करने के लिए परिषद् को और अधिक निधि के आबंटन पर विचार करना;

(vi) वित्तीय प्रबंधन, लेखों की उचित लेखा परीक्षा आदि के संबंध में मानक स्थापित करने के लिए इनका कड़ाई से अनुपालन करना;

(vii) सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक विकास के लिए उपाय;

(viii) अभिनिर्धारित परियोजना के लिए डीएचएटीसी को अगले 5 वर्षों के लिए योजना निधि के अलावा/अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये (40 करोड़ रुपये वार्षिक) का विशेष आर्थिक पैकेज;

(ix) विद्यमान योजनाओं के तहत दीमा हसाओ जिले में सड़क सम्पर्कता, जलापूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति में सुधार करना;

(x) डीपीआर आदि तैयार करने के लिए डीएचएटीसी में क्षमता संवर्धन के लिए बारगी अनुदान का प्रावधान करना; और

(xi) डीएचडी कैडरों का पुनर्वास आदि।

(ग) दीमा हसाओ जिले में बहुत हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। क्षेत्र में त्वरित सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकस सुनिश्चित करने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओएस) के कार्यान्वियन की कार्रवाई शुरू हो गई है।

प्राचीन भाषाएं

4034. श्री पी.सी. गद्दीगौदार :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेलुगू और कन्नड भाषाओं, इनके इतिहास और कविताओं में अनुसंधान हेतु तथा इन भाषाओं को तमिल भाषा के समान दर्जा मिल जाने के बाद भावी पीढ़ी तक ले जाने के लिए भी निधियां आवंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं और बारहवीं योजनावधि में अब तक इस संबंध में कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने प्राचीन तेलुगू एवं कन्नड भाषाओं में अनुसंधान के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 1.12 करोड़ रु. तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान 20.04 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान 51.14 लाख रु. और 2012-13 के दौरान अभी तक 27.40 लाख रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 11वीं योजना के दौरान इन प्राचीन भाषाओं के विकास के लिए कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रत्येक को 75.00 लाख रु. जारी किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टी.वी. चैनलों का कार्यकरण

4035. प्रो. सौगत राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में परिचालन कर रहे/कार्यरत समाचार और मनोरंजन चैनलों, देश में डाउनसिंकिंग सहित ऐसे नए चैनलों को परिचालित करने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किए गए/सरकार के पास अनुमति हेतु लंबित पड़े अनुरोधों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) उक्त लंबित प्रस्तावों को कब तक अनुमति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) घरेलू और विदेशी स्वामित्व के तहत परिचालित चैनलों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज की तिथि के अनुसार 410 समाचार एवं समसामयिकी तथा 438 गैर-समाचार और समसामयिकी चैनलों को अनुमति प्रदान की है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान स्वीकृत किए गए अनुरोधों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	अनुमति दी गई	
	समाचार	गैर-समाचार
2009	34	46
2010	40	58
2011	117	107
2012	9	27

165 प्रस्ताव अंतर-मंत्रालयीय स्वीकृति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) मंत्रालय द्वारा जारी अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग अनुमति प्रदान किए जाने के लिए प्रापत आवेदन आवश्यक स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, राजस्व विभाग और विदेश मंत्रालय को संदर्भित कर दिए जाते हैं। अत: लंबित प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में ऐसी कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीटीएच परिचालकों की सेवाएं

4036. श्रीमती अश्वमेध देवी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि निजी डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) परिचालक एक निश्चित समय के भीतर कनेक्शन देने का वादा कर नए सेट टॉप बॉक्स हेतु ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान के जरिये लोगों को ठग रहे हैं क्योंकि वे ऐसा करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केबल डिजिटलीकरण से जुड़े आम लोगों को होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सभी पणधारकों के स्तर पर संस्थागत निगरानी/शिकायत निवारण तंत्र की तत्काल आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अनुचित कार्य करने वाले डीटीएच परिचालकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ताकि आम लोग केबल डिजिटलीकरण के नाम पर ठगे न जाएं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) मंत्रालय को समय-समय पर निजी डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिन्हें समय पर समाधान किए जाने के लिए संबंधित डीटीएच ऑपरेटर को अग्रेषित कर दिया जाता है। डिजिटल केबली टीवी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 14.5.2012 को सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 और उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 जारी किया है। सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा के कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, शिफ्टिंग, अंतरण, शिकायतों के निस्तारण की समय-सीमा, बिलिंग प्रक्रिया, सेट-टॉप बॉक्स (एसटीबी) से संबंधी मुद्दों और सेवा प्रदाताओं आदि द्वारा अनुपालन किए जाने वाले तकनीकी मानकों के संबंध में मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियमों में एक शिकायत केंद्र की स्थापना करने, टॉल फ्री नवम्बर का प्रावधान करने और जिन मामलों में उपभोक्ता की शिकायत का शिकायतकर्त्ता की तुष्टि के अनुसार समाधान नहीं किया जाता, नोडल अधिकारियों के प्रावधान रखे गए हैं। किसी अनुचित व्यापार-आचरण को रोकने के लिए डीटीएच ऑपरेटर को डीटीएच लाइसेंस करार की निबंधन और शर्तों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के संबंध में ट्राई के विनियमों/आदेशों का अनुपालन करने की जिम्मेमदारी सौंपी गई है। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अनुसार उपभोक्ताओं का समूह डीटीएच सेवा प्रदाता के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। डीटीएच उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन भी निस्तारण की मांग कर सकता है जो जिला उपभोक्ता न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के दायरे में आता है।

[हिन्दी]

कोचों की कमी

4037. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के सभी खेल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में कोचों की नियुक्ति की गई है/उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मध्य प्रदेश सहित देश भर में ऐसे केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां कोचों की कमी है; और

(घ) देश भर में स्थापित एसएआई केन्द्रों की वर्तमान स्थिति क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सहित कोचों की कमी वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केन्द्रों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के खेलों को बढ़ावा देने वाली निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी ग्यारह क्षेत्रीय और शैक्षिक केन्द्र हैं:—

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसटीसी)

   (क) देशज खेल और मार्शल आर्ट्स (इगमा)

   (ख) अखाड़ा

   (ग) अखाड़ा की तर्ज पर खेल केंद्र।

2. सेना बाल खेल कंपनी स्कीम (एबीएससी)

3. साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्कीम

4. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम

5. उत्कृष्टता केंद्र स्कीम (सीओई)

6. आओ और खेलो स्कीम (सी एंड पीएस)

साई स्कीमों के अंतर्गत कार्य कर रहे साई केन्द्रों की स्थिति को दर्शाते हुए ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्रों का विवरण जहां पर कोचों की कमी है

क्र.सं.	राज्य	केंद्र का नाम
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एसएजी, पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	एसटीसी हैदराबाद
3.	आंध्र प्रदेश	एसटीवी विशाखापतनम
4.	अरूणाचल प्रदेश	एसएजी नाहरलागुन
5.	असम	एसटीसी गुवाहाटी
6.	असम	एसएजी कोकराझार
7.	असम	एसटीसी गोलाघाट
8.	असम	जूडो केंद्र, डिब्रूगढ़
9.	बिहार	एसएजी मुज्जफरपुर, बिहार
10.	छत्तीसगढ़	एसटीसी रायपुर, छत्तीसगढ़
11.	दिल्ली	एसटीसी दिल्ली
12.	गुजरात	एसटीसी गांधीनगर
13.	हरियाणा	आरसी सोनीपत
1	2	3
14.	हरियाणा	एसटीसी हिसार
15.	हरियाणा	एसटीसी सोनीपत
16.	हरियाणा	एसटीसी कुरूक्षेत्र
17.	हरियाणा	एसटीसी सोनीपत
18.	झारखंड	एसएजी रांची
19.	कर्नाटक	एमईजी बंगलूरू
20.	कर्नाटक	एसटीसी मेडिकरी, कर्नाटक
21.	कर्नाटक	एसटीसी बंगलूरू
22.	कर्नाटक	अकादमिक, बंगलूरू
23.	कर्नाटक	एसटीसी धारवाड
24.	केरल	एसटीसी त्रिचूर (केरल)
25.	केरल	एसएजी तालिचेरी
26.	केरल	एसएजी एलेप्पी
27.	केरल	एलएनसीपीई, तिरूअनंतपुरम
28.	केरल	एसटीसी कोल्लम
29.	केरल	एसटीसी कालीकट कालीकट
30.	महाराष्ट्र	एसटीसी कांदिवली, मुम्बई
31.	मणिपुर	एसएजी उत्लोव
32.	मणिपुर	सीओई, इंफाल
33.	मणिपुर	एसएजी इंफाल
34.	मणिपुर	एसटीसी इंफाल इंफाल
35.	मेघालय	एसटीसी शिलांग

1	2	3
36.	मिजोरम	एसएजी आइजवाल
37.	मध्य प्रदेश	एसटीसी भोपाल
38.	मध्य प्रदेश	एसएजी धार
39.	मध्य प्रदेश	एसटीसी जबलपुर
40.	मध्य प्रदेश	एसटीसी टीकमगढ़
41.	मध्य प्रदेश	एसटीसी खंडवा
42.	नागालैंड	एसटीसी दीमापुर
43.	ओडिशा	एसएजी सुन्दरगढ़
44.	ओडिशा	एसटीसी कोरापुट
45.	ओडिशा	एसएजी जगतपुर
46.	पंजाब	एसटीसी पटियाला
47.	पंजाब	एनएस एनआईएस पटियाला
48.	पंजाब	अकादमिक, एनआईएस पटियाला
49.	पंजाब	एसटीसी बादल
50.	सिक्किम	एसएजी नामची
51.	तमिलनाडु	एसटीसी सलेम
52.	उत्तर प्रदेश	एसटीसी रायबरेली
53.	उत्तर प्रदेश	एसटीसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
54.	उत्तर प्रदेश	एबीएससी राज रिज, फतेजगढ़, उत्तर प्रदेश
55.	उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ
56.	उत्तर प्रदेश	एसटीसी बरेली
57.	उत्तर प्रदेश	एसटीसी जोहरी का विस्तार
58.	उत्तर प्रदेश	एसटीसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
59.	उत्तराखंड	बीईजी रूरकी
60.	उत्तराखंड	एसटीसी काशीपुर
61.	पश्चिम बंगाल	एसटीसी कोलकाता
62.	पश्चिम बंगाल	एसएजी बोलपुर
63.	पश्चिम बंगाल	अकादमिक कोलकाता

विवरण-II

साई के केंद्रों और प्रशिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (2012-13)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	केंद्रों की सं.	प्रशिक्षुओं की संख्या (आवासीय)			प्रशिक्षुओं की संख्या (गैर-आवासीय)			कुल क्षमता
			लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एनएसटीसी स्कूल	18	30	22	52	483	142	625	677
	आईजीएमए	14	0	0	0	118	43	161	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अखाड़ा	40	0	0	0	415	35	450	450
	अखाड़ा के पैटर्न पर खेल केंद्र	02	0	0	0	31	09	40	40
2.	सेना बाल खेल कंपनी	15	1005	0	1005	0	0	0	1005
3.	साई प्रशिक्षण केंद्र	58	3235	1158	4393	1444	844	2288	6681
4.	विशेष क्षेत्र खेल	20	991	702	1693	108	94	202	1895
	एसटीसी/एसएजी का विस्तार केंद्र	78	0	0	0	825	536	1361	1361
5.	उत्कृष्टता केंद्र	10	155	181	386	06	05	11	347
	कुल	255	5416	2063	7479	3430	1708	5138	12617

[अनुवाद]

प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी को निधि

4038. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी (पीएसीएस) के अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के पुनर्गठन के लिए 235 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को जारी करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश भर में पीएसीएस के नकदी भाग को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एसएआई की निगरानी समिति

4039. श्री पी.के. बिजू :
श्री ए. सम्पत :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र स्कीम के तहत चिकित्सा सहायता और बीमा प्रदान करने की कार्य पद्धति को सुनिश्चित/नियंत्रित करने के लिए कोई निगरानी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में आवंटित और खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण खेलों को बढ़ावा देने वाली अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अपने प्रशिक्षुओं के लिए उपलब्ध चिकित्सा सहायता और बीमा प्रदान करने की कार्य-पद्धति की समय-समय पर संवीक्षा करता है। चिकित्सा और बीमा कवर प्रदान करने वाले पैरामीटरों का निर्णय राज्य-वार अथवा केंद्र-वार नहीं लिया जाता, अपितु स्कीम-वार किया जाता है।

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी), साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी) और एसटीसी तथा एसएजी के विस्तार केंद्र की स्कीमों के लिए प्रतिवर्ष 300/- रु. प्रति प्रशिक्षु चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है। उत्कृष्टता केंद्र स्कीम (सीओई) के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रतिवर्ष 500/- रु. प्रति प्रशिक्षु चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, साई मामले के आधार पर विशेष मामलों में चिकित्सा उपचार का खर्च वहन करता है।

साई खेलों को बढ़ावा देने वाली सभी स्कीमों के अंतर्गत सभी प्रशिक्षुओं को 1.00 लाख रु. का दुर्घटना बीता कवर मुहैया कराता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा कवर के लिए आबंटित राशि निम्नानुसार थी:—

2009-10	2010-11	2011-12
45,98,000.00 रु.	41,65,600.00 रु.	43,00,600.00 रु.

पिछले तीन वर्षों के दौरान साई प्रशिक्षुओं के लिए बीमा कवर हेतु प्रीमियम के वास्ते आबंटन निम्नानुसार है:—

2009-10	2010-11	2011-12
22,64,700.00 रु.	20,51,850.00 रु.	21,18,000.00 रु.

(घ) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए हुए व्यय का विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक एलएनसीपीई, तिरुवनंतपुरम के विकास हेतु व्यय की गई राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		आबंटित निधि रु.	व्यय रु.	आबंटित निधि रु.	व्यय रु.	आबंटित निधि रु.	व्यय रु.	आबंटित निधि रु.	व्यय रु.
1.	शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम	5000000	7473419	13750000	9322406	15473000	4737099	4083000	3583137
2.	कुल पूंजीगत व्यय (एनएनसीपीई)	—	69449	—	299997	—	1373584	—	1836442
3.	निर्माण कार्य	19300000	18330952	42383880	42341200	—	8417333	—	—
4.	सीडब्ल्यूजी-2010 के अंतर्गत साई केंद्रों का नवीकरण, उन्नयन	—	59800000	—	14000000	—	31969440	—	—

ग्वार का मूल्य

4040. श्री दुष्यंत सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अधिक उत्पादन के कारण राजस्थान में ग्वार के थोक मूल्य में गिरावट आ गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्वार और ग्वार उत्पादकों के निर्यात/आयात और व्युत्पन्न व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) खोये हुए व्यापार और कम मूल्यों के कारण प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज, मुम्बई से प्राप्त सूचना के अनुसार, जोधपुर, राजस्थान में वर्ष 2011 और 2012 के लिए ग्वार और ग्वार गोंद के एकत्रित स्पॉट मूल्य अस्थिर रहे। ब्यौरे निम्नानुसार है:—

एनसीडीईएक्स, जोधपुर में बोली गई स्पॉट कीमतें

प्रति 100 कि.ग्रा.

वर्ष (माह के अंत में)	ग्वार गम		ग्वार	
	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5
जनवरी	7787.50	39180.05	2761.50	12172.80
फरवरी	8500.00	57681.00	2894.60	18251.90
मार्च	8421.90	93670.00	2833.05	29113.40
अप्रैल	8822.90	98600.00	2996.10	30004.05
मई	10162.50	94656.00	3237.60	28530.00
जून	11500.00	56202.00	3620.85	17118.00
जुलाई	14400.00	66555.00	4390.80	19971.00
अगस्त	14473.35	28594.00	4358.50	8980.95
सितम्बर	14458.35	22924.50	4547.75	7512.90
अक्तूबर	14442.30	26622.00	4642.75	8559.00
नवम्बर	16573.80	33524.00	5098.45	10936.50
दिसम्बर	22568.45	39158.30	6789.45	12518.60

राजस्थान राज्य में ग्वार के क्षेत्र, उत्पादन और उपज के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	उत्पादन (हजार टन)	उपज (कि.ग्रा./प्रति हैक्टेयर
2010.11*	3000.78	1546.47	515
2011.12*	3094.79	1847.66	597

*अनंतिम

अपीडा के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ग्वार गोंद के निर्यात की मात्रा (मूल्य के संदर्भ में) वर्ष 2010-11 के 441611.00 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 1635674.17 लाख रुपये हो गई।

दिनांक 27 मार्च, 2012 से ग्वार और ग्वार गोंद में वायदा व्यापार की अनुमति नहीं थी। अत: डेरीवेटिव्ज मार्केट पर स्पॉट कीमतों के प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) व्यापार ना होने और कीमतें कम रहने के कारण प्रभावित किसानों का सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई स्कम नहीं है।

गोदामों का उपयोग

4041. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाले कतिपय गोदामों का उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कुल क्षमता और उपयोग की गई क्षमता का राज्य-वार और एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भंडारण क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भंडारण क्षमता के कम उपयोग हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं, केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदामों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है तथा दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार इन गोदामों का समग्र क्षमता उपयोग 91 प्रतिशत था। भातीय खाद्य निगम के स्वामित्व के गोदामों का विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र क्षमता उपयोग 75 प्रतिशत के मानक स्तर के बराबर अथवा इससे ऊपर रहा है तथा मई, 2012 से यह 90 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है।

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपलब्ध रिक्त स्थान प्रति माह भारतीय खाद्य निगम को उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने क्षमता उपयोग का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए चट्टों की ऊंचाई को चावल के मामले में 162 टन और गेहूं के मामले में 181 टन तक बढ़ाने हेतु अनुदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, भातीय खाद्य निगम द्वारा तैयार मासिक संचालन योजना में यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश भर में प्रत्येक क्षेत्र में भंडारण क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए स्टॉक को खरीद क्षेत्रों से खपत क्षेत्रों में भेजा जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि प्रौद्योगिकी में बाह्य सहायता

4042. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री सी. शिवासामी :
श्री पी.आर. नटराजन :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री रामसिंह राठवा :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री के. सुगुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में सुधार करने के लिए अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए अन्य देशों से बाह्य सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरन इन देशों से मांगी गई और इनके द्वारा दी गई सहायता का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सहायता के कारण भारतीय किसानों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) जी, नहीं। हाल ही में ऐसी किसी बाह्य सहायता की मांग नहीं की गई है।

तथापि, सितम्बर, 2010 में भारत सराकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहभागिता करार अर्थात् कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (एएफएसपी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार किए जाने के लिए कुछ परियोजनाएं शामिल हैं जिससे कि भारत के किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके तथा देश में खाद्यान्न उत्पादन में सुधार लाया जा सके।

[हिन्दी]

नक्सल गतिविधियां

4043. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री पूर्णमासी राम :
डॉ. किरोडी लाल मीणा :
श्री जगदानंद सिंह :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री यशवंत लागुरी :
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री प्रेमदास :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री सतपाल महाराज :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

श्री ए. सम्पत :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कई जिलों में नक्सली हिंसा के फैलने के निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र की तैयारी की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या इन नक्सल प्रभावित जिलों में कई विकास योजनाएं शुरू किए जाने से इन क्षेत्रों में हिंसा में पर्याप्त कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन जिलों में कार्यान्वित विभिन्न विकास संबंधी स्कीमों के अंतर्गत क्या सफलता मिली है; और

(ङ) इन राज्यों में नक्सलवाद, को नियंत्रित करने के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की आवधि समीक्षा, संबंधी राज्य सरकारों के साथ मिलकर करती है। ऐसी अद्यतन समीक्षा दिनांक 18.10.2012 को की गई थी जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों ने किया था। बैठक के दौरान विभिन्न संबंधित अन्य मुद्दों के अलावा, नक्सल – रोधी अभियानों के कुशल संचालन संबंधी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की स्थिति पर भी चर्चा की गई थी।

(ग) वामपंथी उग्रवादी हिंसा की ट्रेजेक्टरी से विगत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2011 और 2012 के दौरान इसकी घटती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। सरकार का यह विश्वास है कि वर्तमान समय में कार्यान्वयनाधीन सुरक्षा उपायों की व्यापक नीति और विकासपरक पहलों ने वामपंथी उग्रवादी हिंसा के फैलाव को रोकने और हिंसा के कम होने में काफी योगदान किया है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी-1) ऐसी दो योजनाएं हैं जो पूर्णरुपेण वामपंथी उग्रवादी जिलों पर संकेन्द्रित हैं। इन दो योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार की अन्य विकासपरक योजनाओं में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को आवश्यकतानुसार विशेष रियायतें और मानदंडों में छूट प्रदान की गई है।

वर्ष 2010-11 से कार्यान्वित की जा रही एकीकृत कार्य योजनाएं (आईएपी) 71 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित 82 चयनित जनजातीय एवं पिछड़ जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना और सेवा संबंधी परियोजनाओं पर संकेन्द्रित हैं। आईएपी के तहत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की संख्या वर्ष 2010-11 में 9414, वर्ष 2011-12 में 43438 और 2012-13 में (12.12.2012 तक) 13700 है। आईएपी के तहत निधियों का आबंटन वर्ष 2010-11 में 1500 करोड़ रुपए, वर्ष 2011-12 में 2340 करोड़ रुपए और वर्ष 2012-13 में 2460 करोड़ रुपए है।

34 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित की जा रही आरआापी-I के तहत पूरी कर ली गई सड़क कार्यों के लम्बाई वर्ष 2010-11 में 251 किमी., वर्ष 2011-12 में 1084 किमी. और 2012-13 (नवम्बर, 2012 तक) 593 किमी. है। आरआरपी-I के लिए निधियों का आबंटन वर्ष 2009-10 में 73 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-11 में 750 करोड़ रुपए, वर्ष 2011-12 में 1200 करोड़ रुपए और वर्ष 2012-13 में 1500 करोड़ रुपए है।

भारत सरकार का यह मानना है कि यथापेक्षित एवं संतुलित पुलिस कार्रवाई करना, संकेन्द्रित विकासपरक प्रयास जारी रखना और शासन प्रणाली में सुधार लाना, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के प्रभावकारी उपाय हैं।

कोयला क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4044. श्रीमती रमादेवी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला खनन में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी अलग-अलग क्या है;

(ख) क्या कतिपय सरकारी क्षेत्र उपक्रम घाटे में चल रहे हैं जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियां लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे में चल रहे इन पीएसयू को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा अलग-अलग नीचे दिया गया है:—

प्रतिशत में उत्पादन

क्षेत्र	2010-11	2011-12
सार्वजनिक क्षेत्र	92.66	92.50
निजी क्षेत्र	7.34	7.50
कुल	100	100

(ख) से (घ) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियां तथा सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लि. (एससीसीएल) लाभ कमा रही है। 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के दौरन सीआईएल की सभी सहायता कंपनियां तथा एससीसीएल का कर पश्चात् लाभ नीचे दी गई हैं:—

(करोड़ रु.)

कंपनी का नाम	2011-12	2010-11
1	2	3
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	962.13	106.57
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	822.36	1093.69
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	1319.55	1246.83
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	2770.09	2445.45
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	306.71	538.30
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	4098.68	2300.82
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	3709.51	2609.32
ओवरआल कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	14788.20	10867.35
सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लि. (एससीसीएल)	358.27	351.37

सिंथेटिक खेल सतह

4045. श्री बलीराम जाधव :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उन विभिन्न खेल मैदानों/स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां सिंथेटिक सतह बिछाई गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित/जारी की गई/उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनके पास किसी भी खेल मैदान पर सिंथेटिक खेल सतह नहीं है और उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों तथा इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वर्ष 2010-11 से प्रायोगिक आधार पर शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) नामक एक योजना का कार्यान्वियन कर रहा है। इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित खेल अवसंरचनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:—

(i) सिंथेटिक खेल सतह (हॉकी, फुटबाल और एथलेटिक्स के लिए)

(ii) बहु-उद्देश्यीय इन्डोर हॉल

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अधीन सिंथेटिक खेल सतह (हॉकी, फुटबाल और एथेलेटिक्स के लिए) बिछाने हेतु मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सिंथेटिक सतहों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) खेल राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विकसित की गई सिंथेटिक खेल सतहों का रिकॉर्ड नहीं रखती। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सिंथेटिक खेल सतह नहीं हैं, वे यूएसआईएस के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इन प्रस्तावों के प्राप्त होते ही, निधियों की उपलब्ध्ता और उपयोग की संभावनाओं आदि पहलुओं के आधार पर, उन पर विचार किया जाता है और अनुमोदित कर दिया जाता है। निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती। राज्य से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन होते ही उस राज्य को निधियां जारी कर दी जाती है।

विवरण-I

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अधीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (30 नवम्बर, 2012 तक) में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुमोदित और जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे का विवरण। (यह स्कीम वर्ष 2010-11 में चालू की गई थी)

2010-11 (करोड़ रुपयों)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1.	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा स्टेडियम, ऊना में हॉकी के मैदान पर सिंथेटिक सतह बिछाना	5.00	3.50
2.	मिजोरम	बाल हाकी अकादमी, कानपुरी में हाकी के के मैदान पर सिंथेटिक सतह बिछाना	5.00	4.00
		कुल	10.00	7.50

2011-12 (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	ओडिशा	कलिंगा स्टेडियम, खेल परिसर, भुवनेश्वर में सिंथेटिक हाकी सतह बिछाना	5.00	5.00
2.	मध्य प्रदेश	रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिंथेटिक हाकी सतह बिछाना	4.81	3.62

1	2	3	4	5
3.	नागालैंड	इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.00	3.00
4.	मेघालय	जेएन खेल परिसर, शिलांग में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50	4.30
5.	जम्मू और कश्मीर	टीआरसी ग्राउंड, श्रीनगर में फुटबाल ट्रक ग्राउंड का निर्माण	4.50	4.47
		कुल	24.81	20.39

2012-13 (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1.	हरियाणा	खेल परिसर, हिसार में सिंथेटिक हाकी-मैदान (सामान्य लाइटिंग सहित)	5.00	3.75
2.		दरियापुर, फतेहाबाद जिले में फुटबाल का आर्टीफीशियल ट्रक बिछाना	4.50	3.50
		कुल	9.50	7.25

विवरण-II

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिछाई गई सिंथेटिक सतहों का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/जगह	अनुमोदित लागत (लाखों)	स्थिति	सिंथेटिक सतह
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र (कांदीवली)	315.00	2009	एथलेटिक
2.	हरियाणा (सोनीपत)	337.90	2009	यथोपरि
3.	पंजाब (पटियाला)	300.00	2009	यथोपरि
4.	गुजरात (गांधीनगर)	350.00*	2009	यथोपरि

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश (शिलारू)	353.00	2009	हाकी
6.	कर्नाटक (मेडिकेरि)	272.06	2009	यथोपरि
7.	ओडिशा (सुन्दरगढ़)	290.00	2009	यथोपरि
8.	हरियाणा (सोनीपत)	252.90	2009	यथोपरि
9.	पंजाब (पटियाला)-2 संख्या	500.00	2009	यथोपरि
10.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	250.29	2009	यथोपरि
11.	महाराष्ट्र (कांदीवली)	230.00	2010	यथोपरि
12.	पंजाब जी.एन.डी.यू., अमृतसर, पी.ए.पी. हैडक्वाटर्स, जालन्धर	345.00 335.00	2010 2011	यथोपरि
13.	उत्तर प्रदेश, बरेली, अलीगढ़	339.77 390.00	कार्य प्रगति पर है	यथोपरि
14.	मेघालय (शिलांग)	333.00	यथोपरि	यथोपरि

सिंथेटिक सतह की अन्य साई परियोजनाएं जो अनुमोदित हो गई हैं/पूरी हो गई हैं/प्रगति पर हैं।

क्र.सं.	राज्य/जगह	अनुमोदित लागत (लाखों)	स्थिति	सिंथेटिक सतह
1	2	3	4	5
1.	केरल (कोलम)	350.00*	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निविदा कार्रवाई की जा रही है।	एथलेटिक
	(तिरूवनन्तपुरम)	350.00	हाल ही में काम पूरा हुआ है	यथोपरि
2.	असम (गुवाहटी)	308.00	यथोपरि	यथोपरि
3.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	362.00	कार्रवाई की जा रही है	यथोपरि
4.	मणिपुर (इंफाल)	300.00	कार्रवाई की जा रही है	यथोपरि
5.	मध्य प्रदेश, भोपाल	350.00*	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा	यथोपरि
	ग्वालियर	350.00*	निविदा कार्रवाई की जा रही है।	

1	2	3	4	5
6.	महाराष्ट्र (औरंगाबाद)	350.00*	यथोपरि	एथलेटिक
7.	ओडिशा (भुवनेश्वर)	350.00*	यथोपरि	यथोपरि
8.	पंजाब (तरन तारन)	494.00	कार्रवाई की जा रही है	यथोपरि
9.	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	350.00*	यथोपरि	यथोपरि
10.	उत्तराखंड (देहरादून)	350.00*	यथोपरि	यथोपरि
11.	मेघालय (शिलांग)	350.00*	यथोपरि	यथोपरि
12.	तमिलनाडु (तिरुनेवेली)	350.00*	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है	यथोपरि
13.	दिल्ली (सीडब्ल्यूजी)-2010	(1) जेएन स्टेडियम (क) प्रतियोगिता हेतु एथलेटिक ट्रेक-400 + 9 लेन जिसमें श्रेणी-1 प्रमाणन (मेन अरेना) की 10 स्प्रिंट लेन हों। (ख) प्रशिक्षण हेतु एथलेटिक ट्रेक-400 + 9 लेन (वार्म-अप एरिया) (ग) 4 लान बाउल सिंथेटिक सतहें (2) मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम (क) 3 हॉकी सिंथेटिक सतहें		

*अनंतिम लागत।

नक्सलवादियों को बाह्य सहायता

4046. श्री जितेंद्र सिंह बुन्देला :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री अजय कुमार :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें हैं कि विदेशी एजेंसियों/देशों से नक्सलवादियों को वित्त, हथियार और गोलाबारी और प्रशिक्षण के संदर्भ में सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 2011 से सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों में झारखंड के वामपंथी उग्रवादियों से विदेश में निर्मित एक ग्रेनेड लांचर, दो पिस्तौलों, एक एम-16 राइफल, एक कार्बाइन और एक एसबीबीएल बंदूक सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वे विभिन्न स्रोतों से हथियारों का प्रापण कर रहे हैं।

जानकारियों से यह भी पता चला है कि फिलिपीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ वरिष्ठ काडरों ने सीपीआई (माओवादी) के काडरों को वर्ष 2005 और वर्ष 2011 में प्रशिक्षण दिया गया था।

सरकार स्थिति की गहन निगरानी कर रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण

4047. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री अशोक तंवर :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्री वरुण गांधी :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) के अंतर्गत पाठकों की पुस्तकों और सूचना तक पहुंच बनाने के प्रयास में ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के पुस्तकालयों को आधुनिक और डिजिटल रूप में लिंक करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और शहर/नगर-वार इस प्रयोजन हेतु आबंटित, निधियां जारी और प्रयुक्त निधियों सहित बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय ज्ञान आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विश्व भर से पुस्तकों के संग्रहण को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ कोई समझौता हस्ताक्षरित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) एक उच्चस्तरीय समिति अर्थात् राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) गठित की गई तथा यह दिनांक 4 मई, 2012 को अधिसूचित की गई है। एनएमएल का प्रारंभिक उद्देश्य पुस्तकालय क्षेत्र का सुधार एवं आधुनिकीकण करना और सेवाओं तथा बुनियादी सुविधाओं का गुणात्मक सुधार करने के लिए मानक स्थापित करना है और भारत के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति तथा सूचना प्रणाली तैयार करना भी है। एनएलएल ने एक नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा आईसीटी अनुप्रयोगों से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

चूंकि, एनएमएल गठित किया गया है तथा 2012-13 में अधिसूचित किया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने एनएमएल के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान 6.00 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया है तथा अभी तक राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ) को 3.00 करोड़ रुपए की रशि जारी की गई है, जिसे बजटीय उद्देश्य के लिए एनएमएल के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने राष्ट्र को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में (2006-2009) पुस्तकालयों पर दस प्रमुख सिफारिशें की हैं। इसके अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति अर्थात् राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) की स्थापना की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

वर्षासिंचित कृषि

4048. श्री नरहरि महतो :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में वर्षासिंचित कृषि की ओर ध्यान नहीं देने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान चिन्ता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलों सहित देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में भविष्य में खाद्य सुरक्षा की मांग को पूरा करने के लिए वर्षासिंचित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अपने मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान निम्न व्यय स्तर और बहुत अधिक अपूर्ण परियोजनाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। योजना आयोग ने वर्षासिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता पर पनधारा विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की जरूरत पर जोर दिया है।

राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने योजना आयोग के परामर्श से पनधारा परियोजना क्षेत्रों में कार्यात्मक साझेदारी में सहक्रिया लाने और पणधारियों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वयन को बढ़ाने हेतु पनधारा विकास परियोजनाओं के लिए नए सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भू-संसाधन विभाग के मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को 26.09.2009 से समेकित करके एक एकत्र संशोधित कार्यक्रम 'समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आइडब्ल्यूएमपी)' बनाया गया है। ग्यारहवीं योजना के दौरान 24.2 मिलियन हैक्टेयर के विकास के लिए करीब 5087 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आईडब्ल्यूएमपी में 11वीं योजना के तहत गुजरात और राजस्थान राज्यों में सामान्यत: 430 परियोजनाएं (2.1 एमएचए के करीब) और 604 परियोजनाएं (3.5 एमएचए के करीब) मंजूर की गयी हैं। 2010-11 के दौरान, 250 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) को एक उप-योजना के रूप में प्रारंभ किया।

केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीडब्ल्यूसीआरएंडटीआई), देहरादून के जरिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस); केन्द्रीय शुल्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद और केन्द्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (जीएजेडआरआई), जोधपुर, वर्षासिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता के साथ-साथ अनुसंधान प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय शीतागार विकास केन्द्र

4049. श्री हेमानंद बिसवाल :
डॉ. भोला सिंह :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मूल्य संवेदी उत्पादों विशेषकर नाशवान प्रकृति के उत्पादों हेतु अतिरिक्त भंडारण के निर्माण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय शीतागार विकास केन्द्र (एनसीसीडी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राज्य-वार राष्ट्रीय शीतागार विकास हेतु अपनी निधियां आवंटित की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय शीत शृंखला विकास केन्द्र (एनसीसीडी) की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार शीत शृंखला परीक्षण से सत्यापन प्रमाणन और प्रत्यायन से संबंधित मानकों और नयाचारों का विकास और मानव संसाधन विकास किया जा सके। एनसीसीडी एक विनियामक एवं मानव संसाधन विकास संस्था है।

(ग) राज्यों को आबंटन के लिए एनसीसीडी को निधियां प्रदान नहीं की गईं।

राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

4050. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश के स्कूली बच्चों हेतु राष्ट्रीय स्वस्थता कार्यक्रम को तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में आम जनता/मानव संसाधन विकास मंत्रालय/राज्यों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्ताव कब तक तैयार/लागू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वार्षिक राष्ट्रीय खेल समारोह के दौरान छह राष्ट्रीय स्वास्थता कार्य पुरस्कार गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने स्कूली बच्चों के राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम (एनीएफपी) पर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार किया है। प्रस्तावित एनपीएफपी का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली को लागू करके स्कूली बच्चों की शारीरिक स्वस्थता सुनिश्चित करना है जो पांचवीं से आगे की कक्षाओं के किसी बच्चे की शारीरिक स्वस्थता का निर्धारिण एवं अभिनिश्चय निम्नलिखित छह घटकों को देखकर करेगी:—

(i) ह्यदय संबंधी श्वसन क्षमता

(ii) पेशीय शक्ति

(iii) पेशीय क्षमता

(iv) लचीलापन

(v) एक्सपलोसिव स्ट्रेंथ

(iv) शारीरिक गठन (शरीर में चरबी का प्रतिशत)

प्रस्तावित एनपीएफपी की प्रकृति प्रेरणा प्रदान करना है और उसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में परीक्षण शृंखला में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 प्रतिशत छात्र एवं छात्राओं प्रत्येक को शैक्षणिक विधाओं में प्राप्तांकों में 3% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव के अनुसार 10 से 20 प्रतिशत वालों को 2.50% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। 20 से 30 प्रतिशत वालों को 2.0%, 30 ये 40 प्रतिशत वालों को 1.5% और 40 से 50% वालों को 1% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जिन्हें प्रचलित मानदंडों के अनुसार ग्रेडों में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) एनपीएफपी पर तैयार किए गए एक्सपोजर ड्राफ्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों तथा आम जनता सहित सभी संबंधित पणधारियों के सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक किया गया है।

स्कूली बच्चों के राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के अभी कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि एनपीएफपी को कार्यान्वियन हेतु अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणियां बड़ी निर्णायक और आवश्यक हैं।

(ङ) और (च) प्रस्तावित एनपीएफपी में यह प्रावधान भी है कि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले राज्य, जिले और स्कूल की श्रेणी में और पिछले वर्ष के दौरान सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य, जिला और स्कूल की श्रेणी में छह राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता पुरस्कार दिए जाएं जिन्हें वार्षिक खेल दिवस उत्सव में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाए।

कृषि विपणन संस्थानों की संस्थापना

4051. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के अग्रणीय कृषि राज्यों में कृषि विपणन संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त संस्थानों की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) कृषि विपणन के क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं परामर्श देने के लिए अगस्त, 1988 में भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम), जयपुर स्थापित किया गया है। हालांकि, राज्यों में ऐसे अन्य संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आवंटन

4052. **श्री गणेश सिंह :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री देवराज सिंह पटेल :
श्री शिवराज भैया :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री भूदेव चौधरी :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री निशिकांत दुबे :
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क :
श्री ए. सम्पत :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राज्यों को विभिन्न मदों के आवंटन में कोई अनियमितताएं सूचित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, श्रेणी-वार और मद-वार खाद्यान्नों सहित उक्त मदों को उठाना और राशन कार्डधारकों, कुल अधिकृतता, आवंटन की संख्या कितनी है;

(ग) राज्यों द्वारा उठान नहीं किए जाने के कारण खाद्यान्नों और अन्य मदों के सरकार के पास अनुप्रयुक्त रहने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी नागरिकों के लिए खाद्य/पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खरीद और वितरण प्रणाली की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्येक राज्य से लाभार्थियों की संख्या और विभिन्न मदों के आवंटन को बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को विभिन्न वस्तुओं के आवंटन में अनियमितता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चावल और गेहूं तथा मिट्टी के तेल के आवंटन एवं उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से VII में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VIII में दिया गया है।

(ग) दिनांक 1 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 306.07 लाख टन चावल और 376.52 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। केन्द्रीय पूल में अधिशेष स्टॉक को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने और अधिशेष स्टाक को कम करने के लिए उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य आवंटन के अलावा अतिरिक्त आवंटन कर रही है।

(घ) और (ङ) खरीद नीति की समीक्षा करने/इसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार नियमित रूप से समीक्षा करती है और निगरानी तत्रं एवं सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की पारदर्शिता में वृद्धि करके, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाकर और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की कार्य क्षमता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी करती है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य क्षमता और प्रभावकारिता में सुधार करने हेतु समयबद्ध तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करें।

(च) असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड आदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लाभभोगियों की संख्या तथा खाद्यान्नों एवं चीनी के आवंटन में वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए है। केन्द्रीय पूल में उपलब्ध अधिशेष स्टॉक को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर अतिरिक्त खाद्यान्नों का आवंटन करती रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान भारत सरकार ने अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के/अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों के लिए 69.42 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन किया है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए चावल का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10								2010-11							
		आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
		बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	1052.088	654.288	1923.366	3629.742	1025.602	624.841	1846.089	3496.532	1052.088	654.288	1813.682	3520.058	1047.270	651.972	1684.814	3384.056
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.452	15.972	53.7	92124	21.855	15.515	53.184	90.554	22.452	15.972	53.700	92.124	19.559	13.258	44.367	77.184
3.	असम	475.224	295.692	437.544	1208.46	472.792	294.94	409.371	1177.103	475.224	295.692	575.274	1346.190	467.054	292.276	523.921	1283.251
4.	बिहार	1272.06	611.988	19.212	1903.26	721.537	541.088	10.145	1272.77	1255.329	628.719	65.160	1949.208	1105.392	595.383	21.448	1722.223
5.	छत्तीसगढ़	454.368	301.944	97.443	853.755	454.808	297.851	97.443	850.102	454.368	301.944	169.968	926.280	454.368	290.276	162.547	907.191
6.	दिल्ली	33.18	18.024	96	147.204	24.147	14.894	101.696	140.737	33.180	18.024	97.272	148.476	29.446	13.431	102.961	145.838
7.	गोवा	5.46	6.108	27.664	39.232	5.461	5.584	27.99	39.035	5.460	6.108	42.897	54.465	5.766	6.007	30.343	42.116
8.	गुजरात	173.844	155.604	0	329.448	161.816	148.504	2.312	312.632	173.844	155.604	39.822	369.270	172.539	149.045	10.515	332.099
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	57.084	35.436	92.844	185.364	52.928	34.441	84.613	171.982	57.084	35.436	96.580	189.100	51.826	35.463	93.382	180.671
11.	जम्मू और कश्मीर	151.524	86.244	294.904	532.672	147.259	79.618	308.837	535.714	151.524	86.244	295.404	533.172	151.086	85.536	289.460	526.082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	झारखंड	458.76	235.176	33.924	727.86	436.756	232.625	0.438	669.819	566.381	336.004	99.714	1002.099	517.812	314.034	26.500	858.346
13.	कर्नाटक	669.84	416.508	723.709	1810.057	681.348	424.395	690.383	1796.126	669.840	416.508	842.556	1928.904	678.760	381.159	764.667	1824.586
14.	केरल	318.792	250.26	482.672	1051.724	318.881	249.106	441.493	1009.48	318.792	250.260	580.586	1149.638	327.582	256.364	539.260	1123.206
15.	मध्य प्रदेश	119.148	104.064	0	223.212	131.219	113.471	0.63	245.32	299.978	104.064	33.468	437.510	367.848	114.880	41.804	524.532
16.	महाराष्ट्र	824.076	510.18	381.125	1715.381	766.366	473.329	237.297	1476.992	824.076	510.180	310.704	1644.960	793.663	471.053	268.753	1533.469
17.	मणिपुर	41.736	26.724	29.596	98.056	46.954	28.787	32.089	107.83	41.736	26.724	48.600	117.060	25.102	17.699	19.971	62.772
18.	मेघालय	47.376	29.484	53.256	130.116	46.972	29.263	52.361	128.596	47.376	29.484	78.874	155.734	45.893	29.024	58.701	133.618
19.	मिजोरम	17.64	10.92	46.86	75.42	16.14	9.62	42.451	68.211	17.640	10.920	34.092	62.652	16.439	9.938	31.164	57.541
20	नागालैंड	25.908	16.056	53.211	95.175	28.603	18.794	53.552	100.949	25.908	16.056	52.320	94.284	29.181	17.172	58.321	104.674
21	ओडिशा	1165.572	531.12	26.34	1723.032	1166.1	533.22	10.264	1709.584	1165.572	531.120	92.727	1789.419	1116.503	520.996	42.701	1680.200
22	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	38.616	38.616	0.000	0.000	20.313	20.313
24	सिक्किम	11.304	6.936	23.04	41.28	11.301	7	22.96	41.261	11.304	6.936	23.070	41.310	10.490	6.451	22.854	39.795
25	तमिलनाडु	1259.232	783.144	1515.06	3557.436	1214.759	781.254	1743.984	3739.997	1259.232	783.144	1515.060	3557.436	1253.445	775.561	1504.861	3533.867
26	त्रिपुरा	76.38	47.52	150.06	273.96	73.998	48.243	132.615	254.856	76.380	47.520	150.582	274.482	72.264	45.016	111.028	228.308
27	उत्तर प्रदेश	1567.356	1153.608	[illegible]	2721.364	1399.434	1110.045	0.522	2510.001	1567.356	1153.608	110.778	2831.742	1579.555	1108.765	115.877	2804.197
28	उत्तराखंड	97.14	44.532	33.886	175.56	98.963	43.918	31.783	174.664	93.244	48.428	38.736	180.408	104.288	46.395	35.637	186.320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	पश्चिम बंगाल	956.484	349.092	88.7	1394.276	881.496	269.693	85.982	1237.171	956.484	349.092	266.892	1572.468	973.278	266.714	217.095	1457.087
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.383	1.548	17.268	23.199	2.734	1.239	10.067	14.04	4.608	1.548	17.268	23.424	2.965	0.843	9.092	12.900
31	चंडीगढ़	3.072	0.624	0	3.696	3033	0.194	0	3.227	3.228	0.624	0.000	3.852	3.209	0.140	0.065	3.414
32	दादरा और नगर हवेली	4.332	2.04	1.872	8.244	1.444	0.68	0.514	2.638	4.740	2.040	2.304	9.084	1.394	0.347	0541	2.282
33	दमन और दीव	0.96	0.576	0.756	2.292	0.445	0.233	0.344	1.022	0.960	0.576	1.284	2.820	0.338	0.117	0.395	0.850
34	लक्षद्वीप	0.756	0.498	3.36	4.614	0.756	0.504	2.447	3.707	0.756	0.504	3.360	4.620	0.986	0.504	4.895	6.385
35	पुदुचेरी	21.564	13.548	6.66	41.772	16.893	8.943	3.155	28.991	21.564	13.548	11.742	46.854	20.480	12.385	8.657	41.522
	सकल जोड़	11389.095	6715.458	6714.434	24818.987	10432.8	6441.832	6537.011	23411.643	11657.71	6836.919	7603.092	26097.719	11445.781	6528.204	6866.91	24840.895

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए चावल का आबंटन और उठान (अक्तूबर, 2012 तक)

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12								2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)							
		आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
		बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	1052.088	654.298	1990.148	3696.524	1011.733	632.317	1387.892	3031.942	613.718	381.668	1209.236	2204.622	665.885	418.925	824.380	1909.190
2.	अरुणाचल प्रदेश	22452	15.972	537	92.124	19.573	13.687	42.703	75.963	13.097	9.317	31.325	53.739	13.268	9.401	31.749	54.418
3.	असम	475.224	295.892	670.046	1440.962	471.582	293.832	533.627	1299.041	277.214	172.487	421.085	870.786	274.276	170.923	367.062	812.261
4.	बिहार	1253.808	630.252	1.258	1885.318	1052.389	566.99	10.797	1630.176	731.388	367.647	0.777	1099.812	607.523	351.219	0.167	958.909
5.	छत्तीसगढ़	454.368	301.944	176.12	932.432	454.368	291.602	146.332	892.302	249.627	176.134	178.780	604.541	251.830	176.134	168.780	596.744
6.	दिल्ली	33.18	18.024	97.21	148.414	30.589	11.581	87.214	129.384	19.365	10.514	56.847	86.716	19.169	7.569	51.791	78.529
7.	गोवा	5.532	6.108	39.718	51.358	5.363	6.16	40.039	51.562	3.227	3.563	24.465	31.255	3.668	4.072	25.808	33.568
8.	गुजरात	173.844	155.604	0	329.448	153.566	151.978	01	305.644	101.409	90.769	0.000	192.178	84.326	93.369	0.000	177.695
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	57.084	35.436	99.896	192.416	56.354	34.995	99.458	190.807	33.299	20.671	59.962	113.932	32.426	20.561	59.674	112.661
11.	जम्मू और कश्मीर	151.524	86.244	295.404	533.172	149.964	85.961	286.129	522.074	88.389	50.309	172.319	311.017	92.256	52.129	187.894	332.279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	झारखंड	619.968	385.524	166.77	1172.262	591.889	376.44	38.04	1006.369	361.648	224.889	103.005	689.542	340.911	219.169	8.987	569.067
13.	कर्नाटक	673.432	412.916	980.276	2066.624	650.274	405.506	870.069	1925.849	403.312	230.391	905.465	1539.168	409.635	236.382	557.701	1203.718
14.	केरल	318.792	250.26	587.252	1156.304	318.786	249.383	587.492	1155.661	185.962	145.985	360.598	692.545	193.602	149.391	371.913	714.906
15.	मध्य प्रदेश	213.648	104.064	0	317.712	307.463	97.415	0	404.878	124.628	60.704	0.000	185.332	213.504	71.005	0.000	284.509
16.	महाराष्ट्र	824.076	510.18	313.31	1647.566	768.019	462.896	201.126	1432.041	480.711	297.605	223.515	1001.831	467.729	285.389	155.076	908.194
17.	मणिपुर	41.736	26.724	62.204	130.664	53.097	33.606	37.741	124.444	24.346	15.589	40.488	80.423	25.873	16.282	46.565	88.720
18.	मेघालय	47.376	29.484	79.286	156.146	47.092	29.673	78.954	155.719	27.636	17.199	49.287	94.122	27.636	17.136	49.510	94.282
19.	मिजोरम	17.64	10.92	34.092	62.652	16.59	10.121	31.667	58.378	10.290	6.370	19.887	36.547	9.890	6.020	19.157	35.067
20.	नागालैंड	25.908	16.056	52.32	94.284	28.314	17.81	60.388	106.512	15.113	9.366	30.520	54.999	16.771	10.926	34.271	61.968
21.	ओडिशा	1165.572	531.12	30.684	1727.376	1155.167	521.182	9.357	1686.706	679.917	309.820	22.232	1011.969	679.942	297.030	10.014	986.986
22.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.	सिक्किम	11.304	6.936	23.08	41.32	12.166	7252	22.818	42.236	6.594	4.046	13.468	24.108	6.607	3.965	13.143	23.715
25.	तमिलनाडु	1259.232	783.144	1515.06	3557.436	1247.254	770.227	1515.06	3532.541	734.552	456.834	883.785	2075.171	728.619	444.458	883.784	2056.861
26.	त्रिपुरा	76.38	47.52	150.93	274.83	77.571	47.465	131.954	256.99	44.555	27.720	88.144	160.419	43.080	29.943	77.402	150.425
27.	उत्तर प्रदेश	1567.356	1153.608	0.3	2721.264	1674.345	1135.849	14.361	2824.555	914.291	672.938	0.000	1587.229	899.856	667.101	0.000	1566.957
28.	उत्तराखंड	85.452	56.22	41.968	183.64	84.731	54.157	52.089	190.977	49.847	32.795	27.024	109.666	502.86	31.058	22.651	103.995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	पश्चिम बंगाल	956.484	349.092	118.58	1424.156	863.252	255.637	103.455	1222 344	557.949	203.637	73.241	834.827	644.067	229.569	62.817	936.453
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.608	1.548	17.268	23.424	3.697	0.816	6.36	10.873	2.688	0.903	10.073	13.664	1.283	0.413	4.579	6.275
31.	चंडीगढ़	3.228	0.624	0	3.852	3.228	0.125	0	3.353	1.883	0.364	0.000	2.247	1.883	0.090	0.000	1.973
32.	दादरा और नगर हवेली	4.74	2.04	2.652	9.432	4.837	2.093	2.289	9.219	2.765	1.190	1.638	5.593	2.771	1.199	1.692	5.662
33.	दमन और दीव	0.98	0.576	1.076	2.612	1.67	0.524	0.847	3.041	0.560	0.336	0.665	1.561	0.492	0356	0.552	1.400
34.	लक्षद्वीप	0.758	0.504	3.36	4.62	0.756	0504	2.793	4.053	0.441	0.294	3.960	4.695	0.000	0.000	1.250	1.250
35.	पुदुचेरी	21.564	13.548	11.9	47.012	18.716	12.759	9.734	41.209	12.579	7.903	7.350	27.832	12.322	6.903	5.759	24.984
	सकल जोड़	11619.316	6892.172	7615.868	26127.356	11334.415	6580.543	6410.885	24325.843	6772.990	4009.957	5019.141	15802.088	6821.406	4028.087	4044.128	14893.821

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10								2010-11							
		आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
		बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	254.508	254.508	0	0	30.16	30.16	0000	0.000	156.422	156.422	0.000	0.000	49.081	49.081
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.072	0	6.36	9.432	2 791	0	6.193	8.984	3.072	0.000	6.360	9.432	2.462	0.000	5.377	7.839
3.	असम	0	0	277.506	277.506	0	0	223.13	223.13	0.000	0.000	326.936	326.936	0.000	0.000	308.390	308.390
4.	बिहार	447.744	408	678.477	1534.221	407.207	376.557	217.48	1001.244	436.579	419.165	738.240	1593.984	473.271	394.818	378.842	1246.931
5.	छत्तीसगढ़	31.32	0	206.877	238.197	28.572	0	127.224	155.796	31.320	0.000	210.432	241.752	34.477	0.000	193.439	227.916
6.	दिल्ली	75.516	45.06	324.768	445.344	59.147	36.57	340.821	436.538	75.516	45.060	326.682	447.258	73.384	34.261	353.820	461.465
7.	गोवा	0	0	7.476	7.476	0	0	6.273	6.273	0.000	0.000	14.286	14.286	0.000	0.000	11.688	11.688
8.	गुजरात	308.124	184.476	796.44	1289.04	274.417	161.223	277.192	712.832	376.524	184.476	955.728	1516.728	394.297	180.662	625.822	1200.781
9.	हरियाणा	208.572	122.82	649.08	980.472	194.958	111.564	195.149	501.671	208.572	122.820	353.850	685.242	208.278	119.619	285.200	613.097
10.	हिमाचल प्रदेश	76.056	47.304	188.742	312.102	72.379	47.458	169.993	289.83	76.056	47.304	196.528	319.888	67.693	47.025	191.073	305.791
11.	जम्मू और कश्मीर	50.172	21.144	152.816	224.132	51.119	21.018	151.003	223.14	50.172	21.144	152.616	223.932	48.380	20.675	153.978	223.033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	झारखंड	161.196	150 36	272.376	583.932	148.52	144.93	75.011	368.461	53.584	49.523	214.206	317.313	50.755	47.765	75.881	174.401
13.	कर्नाटक	140.544	87.384	129.507	357.435	142.212	88.496	65.358	296.066	140.544	87.384	103.644	331.572	141.404	74.313	91.737	307.454
14.	केरल	83.556	0	166.324	249.88	83.554	0	140.409	223.963	83.556	0.000	166.452	250.008	83.310	0.000	166.641	249.951
15.	मध्य प्रदेश	949.068	560.196	1298.394	2807.658	1194.94	629.63	883.536	2708.106	768.238	560.196	844.510	2172.944	953.228	478.253	751.847	2183.328
16.	महाराष्ट्र	885.348	524.7	1383.93	2793.978	834.208	480.34	784.477	2099.025	885.348	524.700	1435.404	2845.452	863.579	472.893	817.228	2153.700
17.	मणिपुर	1.272	0	17.818	19.09	1.274	0	13	14.274	1.272	0.000	23.512	24.784	0.779	0.000	7.658	8.437
18.	मेघालय	0	0	17.16	17.16	0	0	16.719	16.719	0.000	0.000	27.194	27.194	0.000	0.000	22.987	22.987
19.	मिजोरम	0	0	7.488	7.488	0	0	7.464	7.464	0.000	0.000	7.488	7.488	0000	0.000	6.961	6.961
20.	नागालैंड	6.204	3.912	24.255	34.371	6.204	3.844	23.535	33.583	6.204	3.912	22.476	32.592	5.687	3.654	24.111	33.452
21.	ओडिशा	0	0	392.82	392.82	0	3.164	367.953	371.117	0.000	0.000	432.369	432.369	2.441	0.000	369.448	371.889
22.	पंजाब	121.176	75.36	1017.384	1213.92	112.253	50.17	825.103	987.526	121.176	75.360	589.812	786.348	114.963	51.853	513.891	680.707
23.	राजस्थान	629.532	391.488	924.444	1945.464	627.407	384712	907.216	1919.335	629.532	391.488	977.492	1998.512	635.059	384.787	897.684	1917.530
24.	सिक्किम	0	0	2.94	2.94	0	0	2.945	2.945	0.000	0.000	2.940	2.940	0.000	0.000	3.205	3.205
25.	तमिलनाडु	0	0	210.396	210.396	0	0	211.115	211.115	0.000	0.000	165.396	165.396	0.000	0.000	164.259	164.259
26.	त्रिपुरा	0	0	28.044	28.044	0	0	24.32	24.32	0000	0.000	28.140	28.140	0.000	0.000	20.712	20.712
27.	उत्तर प्रदेश	1198.344	565.872	2554.314	4318.53	1233.675	554.224	2157.113	3945.012	1198.344	565.872	2352.990	4117.206	1237.276	570.502	1943.978	3751.756
28.	उत्तराखंड	48.516	18.964	192.942	260.442	48.703	18.967	166.138	233.808	46.856	20.644	226.214	293.714	49.540	21.140	198.838	269.518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	पश्चिम बंगाल	597.096	272.592	1052.58	1922.268	588.286	239.459	1080.377	1908.122	597.096	272.592	1159.708	2029.396	562.151	224.979	1081.401	1868.531
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.732	0.252	7.776	8.76	0.278	0.113	4.058	4.449	0 732	0252	9.612	10.596	0.208	0.064	4.749	5.021
31.	चंडीगढ़	0.5	0	21.6	221	0.412	0	21.637	22.049	0.528	0.000	27.000	27.528	0.308	0.000	222.53	22.561
32.	दादरा और नगर हवेली	0.192	0.156	0.288	0636	0.064	0.052	0.219	0.335	0288	0.156	0396	0.840	0.065	0.026	0.084	0.175
33.	दमन और दीव	0.084	0.06	1.884	2.028	0.044	0.035	0.245	0.324	0.084	0.060	2.016	2.160	0.032	0.026	0.254	0.312
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पुदुचेरी	0	0	11.94	11.94	0	0	3.326	3.326	0.000	0.000	9.258	9.258	0.000	0.000	6.913	6.913
	सकल जोड़	6023.936	3480.12	13279.654	22783.71	6112.624	3352.526	9525.892	18991.042	5791.193	3392.108	12266.309	21449.61	6003.027	3127.315	9749.43	18879.772

विवरण-IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए गेहूं का आबंटन और उठान (अक्तूबर, 2012 तक)

(हजार टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12								2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)							
		आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
		बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	41.728	41.728	0	0	33.532	33.532	0.000	0.000	25.354	25.354	0.000	0.000	16.040	16.040
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.072	0	6.36	9.432	2.641	0	4.985	7.626	1.792	0.000	3.710	5.502	1.508	0.000	3.045	4.553
3.	असम	0	0	365.794	365.794	0	0	363.71	363.71	0.000	0.000	229.880	229.880	0.000	0.000	233.700	233.700
4.	बिहार	435.564	420.168	909.262	1764.994	421.635	383.368	322.171	1127.174	254.079	245.098	561.603	1060.780	265.705	251.060	76.118	592.883
5.	छत्तीसगढ़	31.32	0	255	286.32	28.548	0	164.344	192.892	33.691	0.000	87.500	121.191	28.824	0.000	65.408	94.232
6.	दिल्ली	75.516	45 06	328.868	449.444	73.127	28.886	313.898	415.911	44.051	26.285	192.318	262.654	46.130	18.951	193.763	258.844
7.	गोवा	0	0	8.958	8.958	0	0	8.859	8.859	0.000	0.000	5.516	5.516	0.000	0.000	5.898	5.898
8.	गुजरात	376.524	184.476	1128.29	1689.29	349.343	177.448	410.364	937.155	219.639	107.611	696.885	1024.135	196.109	103.169	258.543	557.821
9.	हरियाणा	208.572	122.82	401.03	732.422	223.97	116.173	246.288	586.431	121.667	71.645	247.695	441.007	120.108	66.799	83.827	270.734
10.	हिमाचल प्रदेश	76.056	47.304	203.37	326 73	73.59	46.37	201.896	321.856	44.366	27.594	122.073	194.033	42.662	28.081	123.265	194.008
11.	जम्मू और कश्मीर	50.172	21.144	152.316	223.632	53.533	21.691	146.187	221.411	29.267	12.334	83.851	130.452	28.910	12.193	92.355	133.458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	झारखंड	0	0	166.77	166.77	0	0	15.669	15.669	0000	0.000	103.005	103.005	0.000	0.000	0.747	0.747
13.	कर्नाटक	141.298	86.63	92.094	320.022	136.912	85.007	86.844	308.763	84.623	48.335	114.082	247.040	86.786	49.228	52.763	188.777
14.	केरल	835.56	0	191.814	275.37	83.277	0	189.869	273.146	48.741	0.000	117.782	166.523	48.925	0.000	120.534	169.459
15.	मध्य प्रदेश	854.568	560.196	948.26	2363.024	1081.818	544.769	621.952	2248.539	498.408	326.781	585.690	1410.879	1186.059	456 367	500.807	2143.233
16.	महाराष्ट्र	885.348	524 7	1589.5	2999.548	840.577	450.285	816.342	2107.204	516.453	306.075	1011.750	1834.278	502.502	283.730	512.303	1296.535
17.	मणिपुर	1.272	0	28.51	29.782	1.271	0	19.169	20.44	0.742	0.000	18.557	19.299	0.742	0.000	17.281	18.023
13.	मेघालय	0	0	25.55	25.55	0	0	26.971	26.971	0.000	0.000	15.883	15.883	0.000	0.000	16.370	16.370
19.	मिजोरम	0	0	7.488	7.488	0	0	7.855	7.855	0.000	0.000	4.368	4.368	0.000	0.000	4.277	4.277
20.	नागालैंड	6204	3.912	22.476	32.592	6.203	3.912	23.467	33.582	3.619	2.282	13.111	19.012	4.136	2.608	15.821	22.565
21.	ओडिशा	0	0	391.532	391.532	0	0	372.299	372.299	0.000	0.000	269.017	269.017	0.000	0.000	247.612	247.612
22.	पंजाब	121.176	75.36	617.564	814.1	115.518	54.871	515.966	686.355	70.686	43.960	368.340	482.986	57.261	27.820	281.420	366.501
23.	राजस्थान	629.532	391.488	1094.12	2115.14	620.447	387.224	1071.022	2076.693	367.227	228.368	675.780	1271.375	363.878	225.953	671.074	1260.905
24.	सिक्किम	0	0	2.95	2.95	0	0	2.7	2.7	0.000	0.000	1.722	1.722	0.000	0.000	1.721	1.721
25.	तमिलनाडु	0	0	165.396	165.396	0	0	168.093	168.093	0.000	0.000	96.481	96.481	0.000	0.000	24.977	24.977
26.	त्रिपुरा	0	0	33.204	33.204	0	0	18.391	18.391	0.000	0.000	16.471	16.471	0.000	0.000	16.415	16.415
27.	उत्तर प्रदेश	1198.344	565.872	2629.11	4393.326	1249.813	576.14	1994.825	3820.778	699.034	330.092	1623.615	2652.741	673.145	329.762	1222.403	2230.310
28.	उत्तराखंड	43.536	23.964	250.562	318.062	40.282	22.197	203.42	265.899	25.396	13.979	155.621	194.996	25.721	13.891	157.320	196.932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	पश्चिम बंगाल	597.096	272.592	1469.91	2339.598	565.256	229.149	1264.456	2058.861	348.306	159.012	907.886	1415.204	346.269	140.884	825.662	1312.815
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.732	0.252	9.612	10.596	0.231	0.093	4.829	5.153	0.427	0.147	5.607	6.181	0.126	0.042	2.330	2.498
31.	चंडीगढ़	0.528	0	30.6	31.128	0.264	0	30.599	30.863	0308	0.000	18.900	19.208	0.308	0.000	19.644	19.952
32.	दादरा और नगर हवेली	0.288	0.156	0.408	0.852	0.288	0.366	0.374	1.028	0.168	0.091	0.252	0.511	0.170	0.091	0.247	0.508
33.	दमन और दीव	0.084	0.06	2.674	2.818	0.078	0.047	1 503	1.628	0.049	0.035	1.652	1.736	0.082	0.029	1.075	1.186
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पुदुचेरी	0	0	11.9	11.9	0	0	6.607	6.607	0.000	0.000	7.350	7.350	0.000	0.000	6.364	6.364
	सकल जोड़	5820.358	3346.154	13582.980	22749.492	5968.622	3127.996	9679.456	18776.074	3412.739	1949.724	8394.307	13756.770	4031.066	2010.658	5871.129	11912.853

विवरण-V

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के चावल का आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11						2011-12				2012-13			
		न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित/व्युपत्तन मूल्यों की दर पर जनवरी, 2010 की आबंटन की तारीख		दिनांक 19.5.2010 को 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. एवं 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर एएवाई/बीपीएल/एपीएल हेतु आबंटन		दिनांक 6.1.2011 को 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. एवं 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर किया गया एपीएल हेतु आबंटन*		बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर दिनांक 7.9.2010 और 6.1.2011 को किया गया बीपीएल आबंटन*		बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर दिनांक 16.5.2011 को किया गया बीपीएल आबंटन*		निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/एएवाई आबंटन@		बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर जुलाई, 2012 में किया गया बीपीएल आबंटन*@		निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/एएवाई आबंटन@	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	64.946	0.973	175.216	3.436	211.64	0.731	511.57	509.791	311.57	297.194	116.797	114.713	280.413	114.311	11.584	3.793
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.512	0	3.146	1.058	2.421	2.028	11.678	6.323	6.678	5.214	0.682	0.682	6.01	2.605	0	0
3.	असम	37.384	22.356	114.119	46.106	164.239	28.044	290.794	171.081	190.794	199.829	15.34	14.544	126.715	75.505	26.273	7.013
4.	बिहार	237.252	0	121.166	9.832	54.351	7.901	371.246	222.311	371.246	338.97	367.086	146.4572	334.12	0	416.023	104.308
5.	छत्तीसगढ़	52.18	50.367	101.956	0	136.983	121.253	134.512	186.409	134.512	133.979	125.6	133.243	121.061	48.461	298.766	101.72
6.	दिल्ली	42.946	16.35	9.905	4.788	11.076	0	9.574	6.902	9.574	8.389	0	0	8.617	0	0	0
7.	गोवा	1.172	0	3.966	0.002	3.892	2.361	3.68	3.372	3.68	3.849	0	0	3.312	0.169	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	गुजरात	175.14	9.025	24.51	4.626	24.307	4.69	51.352	41.708	51.352	51.323	19.066	19.009	46.217	40.345	0	0
9.	हरियाणा	62.96	15.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	16.844	4.29	6.746	6.461	5.131	4.888	16.9	13.19	16.9	11.795	4.943	4.896	15.21	0.769	4.943	0.46
11.	जम्मू और कश्मीर	12.26	12.259	18.194	18.19	34.019	24.169	42.4	42.93	42.4	38.331	8.939	8.005	38.16	0	8.818	6.684
12.	झारखंड	76.872	0	35.026	3.874	31.547	0.261	183.584	126.175	183.584	86.158	132.229	117.54	165.226	36.13	131.781	22.875
13.	कर्नाटक	16.208	8.736	90.636	41.649	99.956	12.552	198.332	192.424	198.332	198.515	25.96	25.95	178.499	92.516	26.013	24.8
14.	केरल	30.086	4.067	105.818	77.942	123.158	83.455	96.97	96.971	94.42	94.355	4.408	4.409	84.978	51.185	0	0
15.	मध्य प्रदेश	194.06	0	12.923	0	19.297	1.092	99.54	2.236	99.54	79.747	61.973	16.214	89.586	0	34.231	0
16.	महाराष्ट्र	262.362	0	89.343	20.489	74.185	16.407	241.55	135.778	241.55	145.27	51.452	33.816	217.394	36.1	0	0
17.	मणिपुर	3.346	1.673	5.116	0	3.628	4.467	17.354	16.627	12.354	12.354	1.199	1.199	11.119	2.658	0	0
18.	मेघालय	2.188	1.488	5.685	7.083	4.248	4.738	19.034	11.2	14.033	14.213	1.719	1.308	12.63	3.6	0	0
19.	मिजोरम	0.46	0.46	4.276	2.138	17.651	17.101	10.214	11.436	10.214	8.542	0.159	0.159	4.693	4.643	0.159	0.159
20.	नागालैंड	1.816	1.816	6.432	2.482	7.469	2.826	12.672	13.296	12.672	12.777	0.254	0.254	6.905	6.944	0.254	0
21.	ओडिशा	127.286	5.693	73.245	0.135	51.944	0	252.906	190.414	252.906	151.273	143.933	143.702	227.615	13.717	119.901	25.651
22.	पंजाब	79.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134	0
23.	राजस्थान	177.34	46.641	40	20.106	4.257	4.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	सिक्किम	2.1	0.938	1.405	1.223	1.081	0.541	4.298	4.299	9.378	4.886	0.264	0.169	2.968	1.079	0.44	0.228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.	तमिलनाडु	27.326	8.047	148.39	115.637	160.877	0	372.918	353.252	377.918	378.43	40.948	40.359	335.626	235.852	40.948	4.894
26.	त्रिपुरा	2.274	0	9.387	0	7.229	0	22.622	22.623	22.622	22.093	2.734	2.23	20.36	11.55	1.746	1.746
27.	उत्तर प्रदेश	522.83	0	266.642	39.677	103.089	4.16	546.122	333.266	546.122	407.346	192.145	167.214	491.509	0	90.422	30.072
28.	उत्तराखंड	20.048	0	7.151	1.551	105.382	83.26	21.642	2.681	21.642	17.952	1.742	1.738	19.478	0	1.155	1.155
29.	पश्चिम बंगाल	268.778	208.714	81.063	73.95	78.035	51.126	244.512	166.121	244.512	191.29	154.268	28.598	220.061	61.927	159.651	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.476	0	0.799	0	0.681	0	1.852	0.308	1.852	1.526	0	0	1.667	0.667	0	0
31.	चंडीगढ़	4.06	0	0.431	0	0.352	0	1.516	0.555	1.516	1.436	0	0	1.364	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.096	0.096	0.476	0	0.306	0.306	1.302	0.652	1.302	0.013	0	0	1.172	0.055	0	0
33.	दमन और दीव	0.364	0.2	0	0	0.244	0	0.246	0.103	0.246	0.032	0	0	0.221	0.061	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.158	0	0.15	0.7	0.23	0	0.23	0.23	0	0	0.207	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1.844	0	2.691	0.309	2.175	3.096	6.442	1.567	9.442	8.492	0	0	5.798	0.871	0	0
	सकल जोड़	2545.336	419.607	1379.884#	502.744	1125.000#	486.255	3421.014#	2886.001	3421.013#	2925.803	1473.829	1026.408	3078.911	841.72	1374.242	335.558

*भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 10.4.2012 को समेकित 31.3.2012 की स्थिति। स्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।

@विशेष आबंटन के प्रति उठान और निर्धनतम जिलों को आबंटन अक्तूबर, 2012 तक है।

#कतिपय मामलों में कुल को राज्यों को किए गए आबंटन में दिखाए गए सकल जोड़ के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि समग्र आबंटन में से नहीं उठाई गई मात्रा से पुन: आबंटन किया गया था।

विवरण-VI

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन का गेहूं का आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11						2011-12				2012-13			
		न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित/व्युपत्तन मूल्यों की दर पर जनवरी, 2010 की आबंटन की तारीख		दिनांक 19.5.2010 को 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. एवं 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर एएवाई/ बीपीएल/एपीएल हेतु आबंटन		दिनांक 6.1.2011 को 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. एवं 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर किया गया एपीएल हेतु आबंटन*		बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर दिनांक 7.9.2010 और 6.1.2011 को किया गया बीपीएल आबंटन*		बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर दिनांक 16.5.2011 को किया गया बीपीएल आबंटन*		निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/ एएवाई आबंटन@		बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर जुलाई, 2012 में किया गया बीपीएल आबंटन*@		निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/एएवाई आबंटन@	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	251.474	124.59	93.741	0.27	43.58	11.801	0	0.547	0	0	0	0	31.157	7.139	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.328	0	0.968	1.132	0.683	0.376	0.914	0.857	0.914	0.795	0.055	0.055	1.582	0.701	0	0
3.	असम	52.476	0.88	82.262	35.912	118.434	83.578	0	0	30	0	0	0	14.079	0	0	0
4.	बिहार	0.328	0	80.777	15.128	61.907	12.85	128.968	103.571	228.968	135.786	229.426	161.984	166.093	31.391	179.372	140.235
5.	छत्तीसगढ़	36.04	0	48.008	41.787	68.064	22.447	9.272	8.002	9.272	9.455	6.352	2.593	22.723	11.471	8.508	35.427
6.	दिल्ली	12.694	5.448	37.389	17.852	40.433	0	21.79	16.467	21.79	21.587	0	0	22.747	0	0	0
7.	गोवा	5.228	0	1.474	0	2.012	0.646	0	0.002	0	0	0	0	0.368	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	गुजरात	0	0	124.359	11.515	119.756	9.9	111.22	91.166	111.22	111.715	32.436	31.359	116.355	81.633	0	0
9.	हरियाणा	0	0	53.516	16.28	51.205	36.806	60.504	22.076	60.504	39.618	9.739	3.391	60.504	29.61	7.164	3.969
10.	हिमाचल प्रदेश	8.296	1.753	14.623	14.623	10.997	9.732	22.516	16.301	22.516	15.694	6.594	6.524	24.206	1.5	6.594	1.235
11.	जम्मू और कश्मीर	23.78	19.999	12.44	12.793	29.12	27.164	14.04	14.04	14.04	14.038	2.818	2.649	18.28	0	2.939	2936
12.	झारखंड	10.248	0	39.026	4.489	11.04	0.503	0	0	0	0	0	0	18.358	0	0	0
13.	कर्नाटक	172.532	64.949	69.793	9.876	36.966	0	41.614	41.147	41.614	41.474	5.445	5.42	61.447	26.964	5.382	5.382
14.	केरल	92.114	4.175	48.052	38.12	56.735	44.451	28.683	28.582	24.748	24.737	0.66	0.659	34.19	20.296	0	0
15.	मध्य प्रदेश	0	0	152.028	13.322	101.78	10.841	416.784	4.432	216.784	190.316	216.071	97.749	226.738	0	136.925	0
16.	महाराष्ट्र	72.178	0	212.016	20.205	168.771	10.738	259.51	150.236	259.51	149.139	54.36	32.73	283.665	44.589	0	0
17.	मणिपुर	4.794	4.794	1.803	0	1.603	1.603	0.376	0.294	0.376	0.376	0.016	0	1.611	1.074	0	0
18.	मेघालय	6.792	0.847	1.948	0.76	1.525	0.779	0	0	0	0	0	0	1.403	1.399	0	0
19.	मिजोरम	2.88	2.88	1.402	0.643	0.498	0.498	0	0	0	0	0	0	0.521	0.238	0	0
20.	नागालैंड	4.224	0	3.836	0.459	6.395	6.528	1.838	1.836	6.838	6.838	0.061	0.061	2.605	2.605	0.061	0
21.	ओडिशा	8.534	0	42.202	0	23.875	12.006	0	0	0	0	0	0	25.291	0	0	0
22.	पंजाब	0	0	67.592	59.295	276.145	70.905	35.888	28.664	35.888	34.235	1.839	1.839	35.888	0	0.705	0
23.	राजस्थान	0	0	261.478	171.663	235.443	182.551	236.42	221.277	186.42	179.772	99.054	70.182	186.42	51.966	50.538	49.988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.	सिक्किम	0	0	0.88	0.054	0.565	0.3	0.2	0.2	1.4	1.4	0	0	0.33	0.33	0	0
25.	तमिलनाडु	250.314	250.314	87.604	13.828	34.89	34.731	0	0	0	0	0	0	37.292	36.216	0	0
26.	त्रिपुरा	12.166	0	2.887	0	2.04	0	0	0	0	0	0	0	2.262	0.954	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	177.764	74.549	232.552	0	272.758	175.232	272.756	221.657	124.579	117.514	327.37	3.253	69.134	25.472
26.	उत्तराखंड	4.332	0	13.572	2.483	60.268	10.193	16.546	12.619	16.546	13.939	0.86	0.86	18.71	0	0.526	0.526
29.	पश्चिम बंगाल	21.682	20.274	165.828	149.466	124.787	92.484	152.64	125.206	152.64	134.697	105.047	101.813	177.091	44.739	99.664	36.713
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.144	0	0.578	0	0.469	0	0.294	0.147	0.294	0.294	0	0	0.479	0		0
31.	चंडीगढ़	0	0	3.02	0	3.555	3.116	0.248	0	0.248	0.199	0	0	0.4	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.624	0.624	0.136	0	0.085	0.085	0.08	0.04	0.08	0.004	0	0	0.21	0.009	0	0
33.	दमन और दीव	0.148	0.1	0	0	0.234	0	0.022	0009	0.022	0	0	0	0.047	0.007	0	0
34.	लक्षद्वीप	022	0.22	0.029	0	0.024	0.024	0	0	0	फर	0	0	0.023	0	0	0
35.	पुदुचेरी	2.636	0.406	1.117	0	0.864	1.132	0	0	1.269	0	0	0	0.644	0.146	0	0
	सकल जोड़	1062.204	502.253	1686.526#	726.504	1375.000#	698.768	1578.990#	1062.95	1578.990#	1347.765	895.412	637.382	1921.089	398.23	567.512	301.883

*भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 10.4.2012 को समेकित 31.3.2012 की स्थिति।   स्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।

@विशेष आबंटन के प्रति उठान और निर्धनतम जिलों को आबंटन अक्तूबर, 2012 तक है।

#कतिपय मामलों में कुल को राज्यों को किए गए आबंटन में दिखाए गए सकल जोड़ के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि समग्र आबंटन में से नहीं उठाई गई मात्र से पुन: आबंटन किया गया था।

विवरण-VII

2010-11 से 2012-13 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन और उठान

(किलोमीटर)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों	2010-11		2011-12		2012-13	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7248	7247	7248	7236	5424	2181
2.	आंध्र प्रदेश	595800	595639	530808	530809	349488	155312
3.	अरुणाचल प्रदेश	11736	11616	11628	11519	8676	3827
4.	असम	331176	331107	330708	327128	246096	109036
5.	बिहार	824760	819371	820320	815590	612900	267247
6.	चंडीगढ़	9168	8588	7332	7048	3000	1201
7.	छत्तीसगढ़	186972	186421	186600	185577	139680	59165
8.	दादरा और नगर हवेली	3036	3022	2484	2468	1692	752
9.	दमन और दीव	2328	2190	2016	1884	684	324
10.	दिल्ली	138900	135587	61380	60129	40464	17664
11.	गोवा	22680	22667	19776	19775	4140	1956
12.	गुजरात	920556	920278	673584	673245	505188	224391
13.	हरियाणा	172632	171955	157260	157171	72252	31019
14.	हिमाचल प्रदेश	40260	40068	32472	32396	18960	8621
15.	जम्मू और कश्मीर	95082	90311	95082	92138	63048	25288
16.	झारखंड	270852	268658	270276	269200	202500	89066
17.	कर्नाटक	562812	562759	539544	539521	392148	174283
18.	केरल	225096	225090	197124	197119	95148	45071
19.	लक्षद्वीप	1020	1020	1020	996	1008	504

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मध्य प्रदेश	626412	610091	626412	625458	469476	208448
21.	महाराष्ट्र	1564176	1562723	1258812	1257099	718740	340050
22.	मणिपुर	25344	13635	25344	21920	19008	8408
23.	मेघालय	26136	26012	26064	25894	19440	8639
24.	मिजोरम	7920	7833	7836	7812	5868	2592
25.	नागालैंड	17100	17088	17100	17101	12816	5694
26.	ओडिशा	403140	400456	400944	399176	299808	132927
27.	पुदुचेरी	15732	15695	10440	10223	3540	1668
28.	पंजाब	285396	284129	272556	271476	78960	28193
29.	राजस्थान	511644	510907	511404	510049	383220	168988
30.	सिक्किम	6600	6588	6588	6867	4752	2113
31.	तमिलनाडु	633648	638082	551352	551877	363954	163784
32.	त्रिपुरा	39300	39231	39264	39106	29376	13056
33.	उत्तर प्रदेश	1593768	1592103	1592700	1590932	1194120	528618
34.	उत्तराखंड	111060	111442	107520	107001	28836	12946
35.	पश्चिम बंगाल	965388	964863	964728	964544	723348	320867
	कुल	11254878	11204472	10365726	10337484	7117758	3163899

विवरण-VIII

दिनांक 30.9.2012 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी राशन कार्डों की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या

(किलोमीटर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन कार्ड (लाख)			
		बीपीएल	एएवाई	एपीएल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	206.45	15.58	29.94	251.97

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.61	0.38	2.19	3.18
3.	असम	12.02	7.04	40.92	59.98
4.	बिहार	39.22	25.01	15.53	79.78
5.	छत्तीसगढ़	11.56	7.19	26.42	45.17
6.	दिल्ली	1.67	1.50	20.25	23.42
7.	गोवा	0.14	0.14	3.36	3.64
8.	गुजरात	23.70	8.10	83.29	115.09
9.	हरियाणा	9.07	2.92	44.77	56.76
10.	हिमाचल प्रदेश	3.17	1.97	10.71	15.85
11.	जम्मू और कश्मीर	4.80	2.56	12.34	19.70
12.	झारखंड	14.76	9.18	5.15	29.09
13.	कर्नाटक	84.07	11.38	38.57	134.02
14.	केरल	14.46	5.96	58.01	78.43
15.	मध्य प्रदेश	52.48	15.82	79.92	148.22
16.	महाराष्ट्र	45.88	24.64	139.53	210.05
17.	मणिपुर	1.02	0.64	2.41	4.07
18.	मेघालय	1.13	0.70	2.66	4.49
19.	मिजोरम	0.42	0.26	1.83	2.51
20.	नागालैंड	0.77	0.47	1.16	2.40
21.	ओडिशा	36.78	12.65	34.58	84.01
22.	पंजाब	2.89	1.79	55.59	60.27
23.	राजस्थान	16.53	9.32	111.68	137.53
24.	सिक्किम	0.27	0.16	4.06	4.49
25.	तमिलनाडु	176.35	18.65	*	195.00
26.	असम	1.82	1.13	4.39	7.34

1	2	3	4	5	6
27.	अरुणाचल प्रदेश	65.84	40.95	331.19	437.98
28.	उत्तराखंड	3.07	1.91	19.39	24.37
29.	पश्चिम बंगाल	37.27	14.80	128.95	181.02
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.08	0.04	0.89	1.01
31.	चंडीगढ़	0.09	0.02	230	2.41
32.	दादरा और नगर हवेली	0.12	0.05	0.54	0.71
33.	दमन और दीव	0.03	0.01	0.32	036
34.	लक्षद्वीप	0.02	0.01	0.15	0.18
35.	पुदुचेरी	1.17	0.32	1.85	3.34
	जोड़	869.73	243.26	1314.84	2427.82

*तमिलनाडु के गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के आधार पर श्रेणीकरण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कोयला कंपनियों में श्रमिक

4053. श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में राज्यों राज्य और कंपनी-वार स्थित विभिन्न कोयला कंपनियों में कार्यरत शारीरिक और यांत्रिक कार्यों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कंपनियों ने श्रम सघन फील्ड कार्यों और कोयले के परिवहन को बाह्य एजेंसियों को दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अनुषंगी-वार क्या कारण हैं;

(घ) क्या बाह्य एजेंसियों से काम कराने के कारण इन अनुषंगी कंपनियों के स्थायी श्रमिकों को वीआरएस लेने के लिए बाधित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या श्रमिक संघों ने कोयला क्षेत्र में बाह्य एजेंसियों से कार्यान्वयन के विरुद्ध विरोध जताया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 01.11.2012 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न कोयला कंपनियों में मैन्युअल और मेकैनिकल कार्यों में तैनात कामगारों की संख्या 273279 है। कंपनी-वार आंकड़ों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

कंपनी	मैन्युअल और मेकैनिकल कार्यों में तैनात कामगारों की संख्या
1	2
ईसीएल	59436
बीसीसीएल	49388
सीसीएल	35813
डब्ल्यूसीएल	41780

1	2
एसईसीएल	58048
एमसीएल	15477
एनसीएल	10778
एनईसी	1542
सीएमपीडीआईएल	959
सीआईएल	58
कुल	273279

(ख) जी, हां। उत्पादन और ओवरबर्डन रिमूवल (हैवी अर्थमूविंग मशीनरी को किराये पर लेकर, का सहारा उन्हीं स्थानों पर लिया जाता है जहां विभागीय क्षमताएं पर्याप्त नहीं होती हैं। 2011-12 और अप्रैल-सितम्बर, 2012 के दौरान आउसोर्सिंग के माध्यम से कोयला उत्पादन (ओपनकास्ट) और ओबी रिमूवल पर इस संबंध में सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(ग) 2011-12 और अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2012 के दौरान मशीनरी और उपकरण को किराये पर लेकर/आउटसोर्सिंग द्वारा सीआईएल में ओसी कोयला उत्पादन और ओबी रिमूवल का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

कंपनी	अप्रैल से सितम्बर (2012-13)		(अनुसूचित) 2011-12	
	ओसी कोयला (मि.ट.)	ओबीआर (घन एमएम)	ओसी कोयला (मि.ट.)	ओबीआर (घन एमएम)
1	2	3	4	5
ईसीएल	2.775	19.522	7.5	31.273
बीसीसीएल	6.561	28.284	12.253	52.288
सीसीएल	7.639	12.598	17.399	28.308
एनसीएल	0.00	51.164	0	114.795
डबल्यूसीएल	2.856	19.222	5.201	58.926
एसईसीएल	44.311	22.01	90.459	53.363
एमसीएल	36.781	17.966	86.568	38.821
एनईसी	0.183	1.849	0.598	4.475
सीआईएल	101.106	172.615	219.978	382.249

(घ) जी, नहीं

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हत्याओं के मामलों में वृद्धि

4054. श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हत्याओं के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सूचित ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) कुल पकड़े गए अभियुक्तों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 2009-2011 के दौरान हत्या के तहत दर्ज मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण और जांच के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तथापि, संघ सरकार अपराध के निवारण से संबंधित मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है और इसलिए संघ सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपराध के निवारण और नियंत्रण पर अधिक संकेन्द्रित ध्यान देने का परामर्श देती रही है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 16 जुलाई, 2010 को अपराध के निवारण के संबंध में एक समेकित परामर्शी पत्र भी जारी किया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान हत्या के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), दोषसिद्धि की दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2009							2010							2011						
		सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	2449	2054	386	19.5	4604	4269	945	2538	2232	463	20.1	4239	4274	909	2808	2250	450	18.6	5584	4878	942
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	44	0	0.0	83	49	0	75	38	8	72.7	103	50	8	65	58	16	34.8	62	62	16
3.	असम	1323	744	165	305	1866	1350	243	1223	656	171	42.0	1537	1098	223	1303	702	191	42.4	1666	1241	293
4.	बिहार	3152	1795	752	32.1	5394	4553	1619	3362	1930	653	27.8	5207	5047	1491	3198	3189	706	32.5	8898	6445	1489
5.	छत्तीसगढ़	1083	963	398	41.4	1739	1734	661	1065	782	343	42.6	1727	1716	559	1110	942	361	44.7	1683	1698	583
6.	गोवा	53	37	11	32.4	88	62	11	35	29	15	35.7	44	65	19	48	33	7	70.0	87	62	12
7.	गुजरात	1020	848	127	27.1	2130	2116	208	1048	849	138	30.9	2116	2167	277	1126	944	136	24.5	2408	2327	285
8.	हरियाणा	948	659	263	41.5	1842	1834	692	1005	828	271	46.8	1961	1903	703	1062	786	221	33.2	1999	1980	548
9.	हिमाचल प्रदेश	125	99	38	46.3	191	196	94	132	108	41	46.1	193	191	82	130	81	30	40.5	186	161	57
10.	जम्मू और कश्मीर	237	160	24	15.7	432	433	59	217	114	27	17.1	318	313	32	169	127	20	14.2	328	328	50
11.	झारखंड	1636	1151	386	38.6	1975	1596	587	1689	1158	308	28.2	2095	2442	492	1747	1288	344	35.3	2038	2026	545
12.	कर्नाटक	1702	1398	158	13.5	3287	3189	382	1805	1260	291	25.7	3631	3515	658	1820	1501	259	23.4	3404	3333	491
13.	केरल	343	395	101	38.7	710	783	277	363	348	88	44.9	680	812	193	365	355	73	47.7	733	593	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.	मध्य प्रदेश	2386	2186	770	44.4	5265	5273	1756	2423	2223	1071	50.6	5521	5554	2891	2511	2187	1324	52.5	5317	5245	2690
15.	महाराष्ट्र	2653	2310	439	30.1	5904	6133	862	2744	2259	380	20.6	5725	5300	651	2818	2427	449	29.4	6193	6551	846
16.	मणिपुर	131	6	1	20.0	85	6	1	92	10	1	25.0	57	11	1	78	8	0	0.0	94	11	0
17.	मेघालय	128	52	18	64.3	130	104	36	134	54	7	43.8	133	252	9	170	70	8	25.0	156	74	12
18.	मिजोरम	31	34	22	91.7	29	57	69	48	40	39	95.1	57	56	59	26	20	16	100.0	28	22	16
19.	नागालैंड	46	33	17	68.0	27	21	28	45	44	21	67.7	37	38	31	46	59	56	96.6	27	26	72
20.	ओडिशा	1250	974	185	29.8	1859	1799	291	1308	1199	197	26.4	2051	2141	331	1477	1342	184	23.0	2340	2288	321
21.	पंजाब	853	652	303	49.4	1489	1286	629	907	697	334	52.4	1547	1415	618	842	635	355	51.1	1550	1283	722
22.	राजस्थान	1395	995	368	53.3	2297	2308	801	1421	891	304	49.3	2061	2033	655	1461	952	351	53.4	2378	2360	1003
23.	सिक्किम	19	13	3	60.0	17	17	3	17	23	2	25.0	17	23	2	14	10	7	63.6	7	13	7
24.	तमिलनाडु	1776	1674	457	40.6	3602	3776	1040	1875	1505	469	35.9	4185	3567	1086	1877	1583	433	33.9	4128	3406	1180
25.	त्रिपुरा	133	113	23	50.0	206	119	28	150	108	21	29.2	176	121	38	163	173	19	28.8	306	213	38
26.	उत्तर प्रदेश	4534	3531	1916	47.2	12365	10052	6500	4401	3437	2284	52.4	11784	9397	7714	4951	3893	2339	54.5	14093	10492	6901
27.	उत्तराखंड	195	173	71	46.1	388	449	173	176	127	97	55.4	324	287	235	178	136	50	58.8	311	315	132
28.	पश्चिम बंगाल	2068	1130	140	16.5	3498	2670	344	2398	1727	158	20.3	3746	3010	373	2109	1653	109	18.9	3363	3369	275
	कुल राज्य	31728	24223	7542	35.8	61502	56234	18339	32696	24676	8202	36.7	61272	56798	20340	33672	27404	8514	38.4	69367	60802	19658
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	15	5	31.3	38	38	5	9	6	1	14.3	7	7	4	14	10	1	50.0	18	13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
30.	चंडीगढ़	22	17	16	88.9	51	44	36	21	13	13	65.0	45	30	43	24	24	13	61.9	65	65	32
31.	दादरा और नगर हवेली	10	4	0	0.0	7	5	0	6	4	0	0.0	7	7	0	14	4	2	25.0	24	10	2
32.	दमन और दीव	5	3	0	0.0	11	9	0	5	5	1	50.0	19	23	1	6	6	1	20.0	7	7	1
33.	दिल्ली संघ शासित	552	456	126	48.1	889	880	237	565	455	160	39.9	953	919	254	543	506	185	47.9	974	918	310
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
35.	पुदुचेरी	37	56	13	32.5	167	238	43	33	37	6	20.0	163	160	17	32	25	2	22.2	138	116	4
	कुल संघ शासित राज्य	641	551	160	46.9	1163	1214	321	639	520	181	38.8	1194	1146	319	633	575	204	47.3	1226	1129	350
	कुल अखिल भारत	32369	24774	7702	36.0	62665	57448	18660	33335	25196	8383	36.7	62466	57944	20659	34305	27979	8718	38.5	70593	61931	20008

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

खरीद नीति

4055. श्री ए. साई प्रताप :
श्री अजय कुमार :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों और दलहनों सहित दो दर्जन से अधिक वस्तुओं हेतु समर्थन मूल्यों की घोषणा के बावजूद वर्तमान खरीद नीति किसानों से केवल गेहूं और चावल की खरीद पर अत्यधिक रूप से केन्द्रित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनाज-वार खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की कुल कितनी मात्रा खरीदी गई है और इसका प्रयोग किस ढंग में किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अंगीकृत यह खाद्यान्न खरीद पैटर्न केवल इन दो वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है जिसके लिए देश के पास पर्याप्त बफर स्टॉक है जोकि दलहनों और तिलहनों सहित अन्य वस्तुओं की कीमत पर है, जिनका बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार तिलहनों, दलहनों और अन्य खाद्यान्नों/वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनी खरीद नीति में आवश्यक परिवर्तन करने और इसकी समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.सी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 जिंसों के लिए निर्धारित किया जाता है। गेहूं और धान/चावल की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/एजेंसियों के जरिए की जाती है। मोटे अनाजों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ लिमिटेड (नेफेड) सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन तिलहनों, दालों और कपास के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी है। 2010 से केंद्रीय भंडारण निगम और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को भी तिलहनों और दालों की खरीद के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। मूल्य समर्थन योजना उस समय क्रियान्वित की जाती है जब इन जिंसों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाते हैं। मौजूदा नीति के अनुसार, जब मूल्यों में गिरावट आती है, तब निर्दिष्ट केंद्रों पर बिक्री के लिए लाए गए समस्त खाद्यान्नों जो विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं, मूल्य कम होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की खरीद तथा नेफेड द्वारा अन्य जिंसों की खरीद के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

खरीदे गए गेहूं और चावल का उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने और बफर स्टॉक बनाने के लिए किया जाता है। मोटे अनाजों के मामले में राज्य सरकारें लक्षित सार्वजरिक वितरण प्रणाली के लिए अपनी आवश्यकता की सीमा तक खरीदी गई मात्रा रख लेती हैं और शेष मात्रा निविदा के जरिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेच दी जाती है। दालों और तिलहनों की खरीदी गई मात्रा का निपटान खरीद मौसम के बाद नेफेड द्वारा खुले बाजार में किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार की खरीद नीति का लक्ष्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों की पेशकश करना है। गेहूं और धान/चावल की खरीद करने के अलावा सरकार किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकने की दृष्टि से अन्य जिंसों की खरीदारी भी करती है।

कृषि की विभिन्न जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ये सिफारिशें करते समय आयोग किसी जिंस विशेष अथवा जिंसों के समूह की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचे, कई घटकों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान-उत्पादन मूल्य समानता, बाजार मूल्यों के रुझान, मांग और आपूर्ति तथा अंतर फसल मूल्य समानता सहित सभी बातों को ध्यान में रखता है।

(ङ) और (च) मौजूदा खरीद नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

खाद्यान्नों की खरीद

(हजार टन)

जिन्स	फसल वर्ष 2009-10	फसल वर्ष 2010-11	फसल वर्ष 2011-12	फसल वर्ष 2012-13
गेहूं	22,514	28,335	38,148	*
चावल	32,034	34,198	35,036	13,862 (14-12-2012 की स्थिति के अनुसार)
मोटा अनाज	4.07	1.28	0.36	12ण्94 (14-12-2012 की स्थिति के अनुसार)
सूर्यमुखी बीज	3.38	0.84	—	—
बॉल खोपरा	1.25	0.89	—	8.46
मिलिंग खोपरा (एसजी तथा एफएक्यू सहित)	63.95	30.60	0.34	60.36 (06-12-2012 की स्थिति के अनुसार)
तिल बीज	—	1.88	—	—
उड़द	—	0.13	0.01	22.99 (11-12-2012 की स्थिति के अनुसार)
अरहर	—	0.46	—	—
चना	—	—	6.34	—

*फसल वर्ष 2012-13 के लिए गेहूं की खरीद रबी विपणन मौसम 2013-14 में की जाएगी।

कृषि अनुसंधान पर व्यय

4056. श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री के. सुगुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास पर अपने आवंटनों में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार देश में कृषि अनुसंधान पर आवंटित और व्यय निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि अनुसंधान हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विवरण निम्नवत् है:—

वर्ष	कृषि जीडीपी (करोड़ रुपए)	कृषि अनुसंधान और विकास पर सार्वजनिक व्यय (करोड़ रुपए)	कृषि जीडीपी का प्रतिशत
1	2	3	4
2006-07	7,22,984	3982	0.55
2007-08	8,36,518	4472	0.53
2008-09	9,43,204	5456	0.58
2009-10	10,79,365	6304	0.58
2010-11	12,69,888	7472	0.59

(ख) जी, हां।

(ग) संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राज्य-वार राशि आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधसान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत देश में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित संस्थानों/राज्य कृषि व पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों को राशि आबंटित की जाती है।

(घ) वर्ष 2012-13 का योजना आबंटन 3220 करोड़ रुपए तथा 2012-13 का गैर-योजना बजट आकलन 2172 करोड़ रुपए है।

विवरण

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से संबंधित ग्यारहवीं योजना आबंटन विवरण के साथ-साथ वास्तविक व्यय तथा बारहवीं योजना के वर्तमान वर्ष का ब्यौरा

योजना (ग्यारहवीं योजना)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	2012-13
प्रस्तावित बजट आकलन	1945.50	2646.79	4000.00	4000.00	5119.00	17711.29	—
बजट आकलन	1620.00	1760.00	1760.00	2300.00	2800.00	10240.00	3220.00
संशोधित आकलन	1434.00	1760.00	1760.00	2521.76	2850.00	10325.76	—
वास्तविक व्यय	1317.19	1652.61	1710.99	2354.29	2765.27	9800.76	1075.66**
आर.ई. के संदर्भ में कुल व्यय का प्रतिशत	91.85%	93.90%	97.24%	93.36%	97.03%	94.92%	—

टिप्पणी: #आर.ई. 2010-11 के आबंटन में कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का आबंटन शामिल है।

**सितम्बर, 2012 तक व्यय के आंकड़े।

गैर-योजना (ग्यारहवीं योजना)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	2012-13
बजट आकलन	840.00	920.00	1481.00	1518.05	2157.60	6917.05	2172.00
संशोधित आकलन	903.00	1200.00	1501.36	2865.00	2157.60	8626.96	—
वास्तविक व्यय*	967.39	1374.80	1914.02	2829.96	2176.57	9262.74	1278.29**
आर.ई. के संदर्भ में कुल व्यय का प्रतिशत	107.13%	114.57%	127.49%	98.78%	100.88%	107.37%	—

*बीई/आर.ई. आबंटन से अधिक व्यय को भा.कृ.अ.प. के आंतरिक स्रोतों से पूरा किया गया।

**सितम्बर, 2012 तक व्यय के आंकड़े।

कोयला खनन परियोजनाएं

4057. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार कोयला खनन, औद्योगिक और गैर-औद्योगिक परियोजनाओं हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं हेतु पट्टे पर दी जाने वाली/अधिग्रहीत कुल कृषि/उपजाऊ भूमि का हैक्टेयर में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं द्वारा विस्थापित होने वाले लोगों की संभावित संख्या कितनी है और राज्य-वार और स्थान-वार इन्हें प्रदत्त की जाने वाली राहत/क्षतिपूर्ति पैकेज का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान 7 खनन एवं 2 गैर-खनन परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन परियोजनाओं में शामिल भूमि तथा उन्हें प्रदत्त/संभावित रूप से प्रदान की जाने वाली राहत/मुआवजा पैकेज का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:—

क्र. सं.	परियोजना	प्रकार	विषय	राज्य	जिला	मंजूरी की तारीख	क्षमता (मि.ट. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	अपेक्षित काश्तकार भूमि (हैक्टेयर)	शामिल परियोजना प्रभावित लोग	मुआवजे का भुगतान किया गया/किया जाना है (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मुराईडीह-सीएम एसएम-111/11/1	यूजी	बीसीसीएल	जेएच	धनबाद	फरवरी-11	2.00	339.88	97.72	—	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	बेलपाहर विस्तार-II	ओसी	एमसीएल	ओडीआई	सम्बलपुर	फरवरी-11	4.50	14.41	शून्य	—	—
3.	समलेश्वरी विस्तार-IV	ओसी	एमसीएल	ओडीआई	झरसुगदा	फरवरी-11	5.00	27.82	225.50	80.00	1.72
4.	बगदेवा आरपीआर	यूजी	एसईसीएल	सीएच	कोरबा	मार्च-11	0.75	117.60	143.51	अभी मूल्यांकन किया जाना है	28.36
5.	झिलमिल आरपीआर	यूजी	एसईसीएल	सीएच	कोरिया	मार्च-11	0.50	73.38	201.13	अभी मूल्यांकन किया जाना है	39.76
6.	गेवरा विस्तार (35 मि.ट. प्रति वर्ष)	ओसी	एसईसीएल	सीएच	कोरबा	जून-10	35.00	2675.67	395.94	1920.00	78.27
7.	गथरोहना-अम्लग	ओसी	डब्ल्यूसीएल	एमएच	नागपुर	जनवरी-11	2.00	73.88	206.87	अधिसूचना के बाद मूल्यांकन किया जाना है	
					गैर-खनन परियोजना						
1.	मधुबंध	डब्ल्यूएस	बीसीसीएल	जेएच	धनबाद	मई-10	5.00	262.99	शून्य	—	—
2.	पाथरडीह	डब्ल्यूएस	बीसीसीएल	जेएच	धनबाद	फरवरी-11	5.00	169.64	शून्य	—	—

जेएच - झारखंड, ओडीआई - ओडिशा, सीएच - छत्तीसगढ़, एमएच - महाराष्ट्र, डब्ल्यूएस - वाशरी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4058. **श्री रमेन डेका :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार और राज्य-वार उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार लिए गए और पूर्ण किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित कार्य, यदि कोई हैं तो, उनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीबी) 17 राज्यों, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय

भू-सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है, के 98 जिलों के 360 पहचान किए गए सीमावर्ती ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

देश में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए ब्लॉकों की राज्य-वार विस्तृत सूची दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) बीएडीपी के अंतर्गत योजनाएं/परियोजनाएं बनाने, उसे अंतिम रूप और अनुमोदन प्रदान करने का प्राथमिक उत्तदायित्व राज्य सरकारों का है। बीएडीपी एक सतत् प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों द्वारा शुरू की जाने वाली विकासात्मक गतिविधियां विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् (i) सड़क, (ii) शिक्षा, (iii) सामाजिक अवसंरचना, (iv) कृषि और संबंधित क्षेत्र, (v) स्वास्थ्य, (vi) विद्युत, (vii) सुरक्षा क्षेत्र में हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 17 सीमावर्ती राज्यों के सीमावर्ती ब्लॉकों में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के संबंध में आबंटित और उपयोग की गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

उन ब्लॉकों का राज्य-वार ब्यौरा जहां सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	12	40
2.	असम	7	28
3.	बिहार	7	34
4.	गुजरात	3	8
5.	हिमाचल प्रदेश	2	3
6.	जम्मू और कश्मीर	11	44
7.	मणिपुर	3	8
8.	मेघालय	5	10
9.	मिजोरम	6	16
10.	नागालैंड	4	7
11.	पंजाब	6	19
12.	राजस्थान	4	14
13.	सिक्किम	3	9
14.	त्रिपुरा	4	25
15.	उत्तर प्रदेश	7	21
16.	उत्तराखंड	5	9
17.	पश्चिम बंगाल	9	65
	कुल	98	360

विवरण-Iक

उन जिलों और ब्लॉकों की सूची जहां सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	अंजवा	चागलागम
2.			हुईलियांग

1	2	3	4
3.			हवाई-वालंग
4.			मंचल
5.		चांगलांग	खागम-मिवां सीडी ब्लॉक
6.			खिमयांग
7.			नामपोंग
8.			मनमाओ
9.		दिबांग घाटी	अनेली-आरजू
10.			अनीनी-मिपी अलीनी
11.			इटालिन-मलीनी
12.		पूवी कामेंग	बामेंग
13.			छयांगटाजो-टाजो
14.			खेनेवा
15.		कुरूंग-कुम्मे	हुरी-दमिन
16.			कोलोरियांग
17.			पिप्सोरंग
18.			सरली
19.			परसी-पारलो
20.		निचली दिबांग घाटी	हुनली-दिसाली
21.		तवांग	मुक्तो बोंगखार
22.			जंग थिंग्बू
23.			लुमला
24.			जिमिथांग-डुडुंगखार
25.			तंवाग
26.			कितपी

1	2	3	4
27.		तिरप	लजू
28.			पोंगचाऊ
29.			वक्का
30.		ऊपरी सियांग	टूटिंग
31.			सिंगा-गेलिंग
32.		ऊपरी सुबानसिरी	नाचो
33.			लाइमकिंग
34.			सियूम
35.		पूर्वी कामेंग	दिरांग
36.			कलकतंग
37.			नफरा
38.		पश्चिमी सियांग	कियांग-पैयूम
39.			मिचूका-टाटू
40.			मोनीगांग-पिडी
41.	असम	धुबरी	गौरीपुर
42.			दक्षिण सलमारा
43.			मनकाचर
44.			फेकामारी
45.			बीरासिंह झरुआ
46.			रूपसी देब
47.			अगोमनी
48.			गोलकगंज
49.		कछार	काटीगोरा
50.			कलाइन

1	2	3	4
51.		करीमगंज	बदरपुर
52.			पठारकंडी
53.			उत्तरी करीमगंज
54.			दक्षिण करीमगंज
55.			लोविरपुरा
56.		कोकराझार	कोकराझार
57.			डोटमा
58.			कोचूगांव
59.		बसका	जलाह
60.			गोबरधाना
61.			बसका
62.			नगरीजुली
63.			तमुलपुर
64.			धमधमा
65.		चिरांग	बोरोबाजार
66.			सिदली
67.		उदलगुड़ी	उदलगुड़ी
68.			भेरगांव
69.	बिहार	अररिया	फोरबसगंज
70.			कुरसाकटा
71.			नरपतगंज
72.			सिक्ती
73.		पूर्वी चंपारन	अदापुर
74.			गौनहा

1	2	3	4
75.			ढाका
76.			घोरासहान
77.			रक्सौल
78.			बनकटवा
79.			छौराडेन
80.		पश्चिमी चम्पारन	बगहा
81.			गौनहा
82.			मैनातर
83.			रामनगर
84.			सिक्ता
85.		किशनगंज	दिघालबैंक
86.			टेरागछ
85.			ठाकुरगंज
88.		मधुबनी	बसोपति
89.			हयलखी
90.			जयनगर
91.			खुटौना
92.			लडानिया
93.			लौकही
94.			मधवापुर
95.		सीमामढ़ी	बरगैनिया
96.			मेजरगंज
97.			परिहार

1	2	3	4
98.			सोनबरसा
99.			सुरसांध
100.			सुप्पी
101.		सुपौल	बसंतपुर
102.			निर्मली
103.	गुजरात	बनासकंठा	वाव
104.		कच्छ	अबाडासा
105.			बचऊ
106.			भुज
107.			लखपत
108.			मांडवी
109.			रापर
110.		पाटन	संतालपुर
111.	हिमालच प्रदेश	किन्नौर	कल्पा
112.			पूह
113.		लाहौल और स्पीति	स्पीति
114.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	अखनूर
115.			बिशना
116.			खूर
117.			मरह
118.			आर.एस. पुरा
119.			सतवारी
120.		सांबा	सांबा
121.			विजयपुर

1	2	3	4
122.			घगवाल
123.		कठुआ	बरनौती
124.			हीरानगर
125.		पुंछ	बालाकोटे
126.			मंडी
127.			मेंढर
128.			पुंछ
129.		राजौरी	मंजाकोटे
130.			नौशेरा
131.			राजौरी
132.			सुंदरबनी
133.			डूंगी
134.		बारामुला	बूनियार
135.			तांगमार्ग
136.			बारामुला
137.			रुहमा
138.			डांगीवाच्चा/रफियाबाद
139.			उरी
140.		बांदीपुरा	गुरेज
141.		बडगाम	खाग
142.		कुपवाड़ा	करलपुरा
143.			कुपवाड़ा
144.			लंगाते

1	2	3	4
145.			राजवर
146.			रमहल
147.			सोगम
148.			तंगदार
149.			टीटवल
150.			त्रेहगम
151.		कारगिल	द्रास
152.			कारगिल
153.			साकेर चिकतन
154.		लेह	दुरबुक
155.			खलसी
156.			नोबरा
157.			नियोमा
158.	मणिपुर	चंडेल	चकपिकरांग
159.			टेंगनोपल
160.		सेपुर	सिंगहट
161.			थनलोन
162.		उखरूल	चिंगई (चिंगई)
163.			कमजोंग
164.			कसम खुलेन (दक्षिण)
165.			उखरूल (मध्य)
166.	मेघालय	पश्चिमी गारो हिल्स	डालू
167.			कलईचर

1	2	3	4
168.		दक्षिण गारो हिल्स	बगमारा
169.			गसुआपारा
170.			दवकी
171.			खलिहेरियात
172.		पूर्वी खासी हिल्स	मवसईनरम
173.			प्यानूरसा
174.			सोहरा
175.		पश्चिमी खासी हिल्स	रानीखूर
176.	मिजोरम	चम्पई	नगोपा
177.			खवाजल
178.			खावबंग
179.			चम्फई
180.		लांगतलई	लांगतलई
181.			छांगटे
182.			बंगटलंग
183.			संगू
184.		लुगंलेई	हंथियाल
185.			बंगमम
186.			लुंगसेन
187.		ममित	डब्ल्यू फैलेंग
188.			पालनुआम
189.		सैहा	तुईपंग
190.			सैहा
191.		सिरचिप	ई लुंगडार

1	2	3	4
192.	नागालैंड	किफीर	पुंगरो
193.		मोन	चेन
194.			फोम
195.			टोबू
196.		फेक	मेलुरी
197.		त्वेनसांग	नौकलक
198.			थोनोक्यू
199.	पंजाब	अमृतसर	अजनाला
200.			चौंगावन
201.			अटारी
202.		तरन-तारन	भिखीविंड
203.			गांडीविंड
204.			बलटोहा
205.		फाजिल्का	फाजिल्का
206.			जलालाबाद
207.			खुयां सरवर
208.		फिरोजपुर	फिरोजपुर
209.			गुरूहरसहाय
210.			ममदूत
211.		गुरूदासपुर	डेरा बाबा नामक
212.			दीनानगर
213.			डोरंगला
214.			गुरूदासपुर
215.			कलनौर

1	2	3	4
216.		पठानकोट	नरोत जयमल सिंह
217.			बमियाल
218.	राजस्थान	बाड़मेर	बाड़मेर
219.			चोहटन
220.			धोरीमाना
221.			शिव
222.		बीकानेर	काजूवाला
223.			कोलायत
224.		श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
225.			घरसाना
226.			श्रीगंगानगर
227.			करनपुर
228.			पदमपुर
229.			रायसिंहनगर
230.		जैसलमेर	जैसलमेर
231.			साम
232.	सिक्किम	पूर्वी	रेगोह
233.			गंगटोक
234.			रेगोह
235.		उत्तरी	चुंगथांग
236.			डोंगू
237.		पश्चिमी	यूकसाम
238.			ग्यालसिंग
239.			डेंटम
240.			डरामदिन

1	2	3	4
241.	त्रिपुरा	त्रिपुरा (दक्षिण)	हरीश्यामुख
242.			करबुक
243.			राजनगर
244.			रूपाईचारी
245.			सतचंद
246.		धलाई	डुमबुरनगर
247.			चवामनु
248.			अम्बासा
249.			सलम्स
250.		त्रिपुरा (उत्तर)	गौरनगर
251.			कद्मतला
252.			पानीसागर
253.			कुमारघाट
254.			डासडा
255.			जम्पुई हिल्स
256.		त्रिपुरा (पश्चिम)	कथलिया
257.			डुकली
258.			मेलागढ़
259.			बिशालगढ़
260.			मोहनपुर
261.			हेजामारा
262.			पदमाबिल
263.			खोवाई
264.			तुलसीखार
265.			बोक्सानगर

1	2	3	4
266.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	नवाबगंज
267.			मिहिपुरवा
268.		बलरामपुर	गईराय
269.			हरया सतगढ़वा
270.			पैचपेडवा
271.			तुलसीपुर
272.		लखीमपुरखीरी	निघासन
273.			पालिया
274.			रमियाबेहर
275.		महाराजगंज	नौटनवा
276.			निचलौल
277.			बृजमनगंज
278.			लक्ष्मीपुर
279.		पीलीभीत	पुरानपुर
280.		सिद्धार्थनगर	बढ़नी
281.			बिरदपुर
282.			लोटन
283.			शोहरतगढ़
284.		श्रावस्ती	हरीहरपुरानी
285.			जमनुहा
286.			सिरसिया
287.	उत्तराखंड	चमोली	जोशीमठ
288.		चंपावत	चंपावत
289.			लोहाघाट

1	2	3	4
290.		पिथौरागढ़	धारचुला
291.			कनालीचिना
292.			मुनाकोट
293.			मुनसिआ
294.		यू.एस. नगर	खटीमा
295.		उत्तरकाशी	भटवारी
296.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	दिनहटा-I
297.			दिनहटा-II
298.			हल्दीबारी
299.			मथाबंगा-I
200.			मेखलीगंज
301.			सैतई
302.			सिताईकुची
303.			तूफानगंज-I
304.		दार्जिलिंग	गोरूबट्टन
305.			सुखियापोखरी
306.			खोरीबारी
307.			मीरिक
308.			नक्सलबाड़ी
309.			फांसीदेवा
310.			पुलबाजार
311.		दक्षिण दीनाजपुर	बालुरघाट
312.			गंगारामपुर
313.			हिली

1	2	3	4
314.			कुमारगंज
315.			कुशमंडी
316.			तपन
317.		जलपाईगुड़ी	धुपगुरी
318.			जलपाईगुडी सदर
319.			कलचिनी
320.			कुमारग्राम
321.			मदरीहाट
322.			नगराकाटा
323.			राजगंज
324.		माल्दा	बामनगोला
325.			इंगलिश बाजार
326.			हबीबपुर
327.			ओल्ड माल्दा
328.			कलियाचक-III
329.		मुर्शिदाबाद	भागबनगोला-I
330.			भागबनगोला-II
331.			जलंगी
332.			लालगोला
333.			रघुनाथगंज-II
334.			रानीनगर-I
335.			रानीनगर-II
336.			समसेरगंज

1	2	3	4
337.			सुती-I
338.			सुती-II
339.		नाडिया	चपरा
340.			हंसखली
341.			करीमपुर-I
342.			करीमपुर-II
343.			कृष्णगंज
344.			रानाघाट-II
345.			टेहटा-I
346.		उत्तरी 24 परगना	बदुरिया
347.			बागदा
348.			बसीरहाट-I
349.			बोनगांव
350.			गैघटा
351.			हसनबाद
352.			हिंगलगंज
353.			स्वरूपनगर
354.		उत्तर दीनाजपुर	चोपरा
355.			गोलपोखेर-I
356.			हेमताबाद
357.			कालियागंज
358.			करनदीघी
359.			रायगंज
360.			इस्लमापुर

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यों द्वारा निधियों के क्षेत्र-वार उपयोग का ब्यौरा

दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपए)

राज्यों के नाम	सड़क क्षेत्र	शिक्षा	सामाजिक क्षेत्र	कृषि	स्वास्थ्य	विद्युत	सुरक्षा	विशिष्ट क्षेत्र योजना	सिंधु परियोजना	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश	2700.50	1326.08	572.22	1192.41	154.00	—	518.18	—	—	184.06	6647.45
असम	1465.92	297.30	374.59	—	5.27	—	221.27	—	—	31.27	2395.62
बिहार	2282.85	237.70	687.96	58.27	33.00	—	360.22	—	—	—	3660.00
गुजरात	1566.22	397.64	419.67	693.53	7.50	—	184.44	—	—	—	3269.00
हिमाचल प्रदेश	308.62	83.00	95.00	179.95	50.00	60.43	128.00	371.00	—	—	1276.00
जम्मू और कश्मीर	3716.15	423.79	1772.43	471.39	546.83	391.15	434.78	487.78	587.78	1045.66	9877.74
मणिपुर	1320.00	152.00	249.00	202.00	42.00	—	106.85	—	—	14.15	2086.00
मेघालय	951.03	225.12	140.52	80.06	64.30	—	149.00	—	—	37.16	1647.19
मिजोरम	1074.00	411.50	435.42	289.50	167.00	—	43.00	—	—	74.00	2494.42
नागालैंड	375.00	103.00	420.00	584.00	52.00	—	—	100.00	—	316.00	1950.00
पंजाब	1953.93	395.00	299.92	116.23	34.00	—	178.92	—	—	—	2978.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्थान	2601.05	1821.05	948.05	554.75	369.35	416.75	806.15	—	—	1778.85	9296.00
सिक्किम	920.00	207.00	—	370.50	—	—	10.00	—	—	13.00	1520.50
त्रिपुरा	880.04	750.78	614.66	178.59	61.20	—	372.62	—	—	148.00	3005.89
उत्तर प्रदेश	1557.97	2ध1.58	186.92	256.53	148.07	259.05	110.25	—	—	204.86	2995.23
उत्तराखंड	1317.12	296.80	269.42	165.68	40.00	—	42.60	—	—	47.18	2178.80
पश्चिम बंगाल	4028.83	653.65	227.27	328.26	210.05	31.14	362.90	—	—	380.06	6222.16
कुल	29019.23	8052.99	7713.05	5721.65	1984.57	1158.52	4029.18	958.78	587.78	4274.25	63500.00

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों द्वारा निधियों के क्षेत्र-वार उपयोग का ब्यौरा

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपए)

राज्यों के नाम	सड़क क्षेत्र	शिक्षा	सामाजिक क्षेत्र	कृषि	स्वास्थ्य	विद्युत	सुरक्षा	विशिष्ट क्षेत्र योजना	सिंधु परियोजना	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश	2545.70	1250.78	862.98	1101.55	267.33	-	181.35	-	-	480.81	6690.50
असम	3314.52	377.03	490.32	122.50	60.00	28.06	241.00	-	-	166.57	4800.00
बिहार	2464.73	167.60	177.55	50.00	9.50	-	206.95	-	-	119.95	3196.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गुजरात	927.83	341.92	282.57	690.08	47.00	117.60	253.00	—	—	180.00	2840.00
हिमाचल प्रदेश	400.00	300.00	90.00	146.00	65.00	118.00	161.00	—	—	—	1280.00
जम्मू और कश्मीर	3728.37	436.00	2484.65	483.61	558.98	403.37	447.00	500.00	600.00	1058.02	10700.00
मणिपुर	1049.00	136.00	236.00	206.00	28.00	60.00	120.00	—	—	8.00	1843.00
मेघालय	1349.00	234.74	408.00	106.84	4.82	—	80.00	—	—	18.60	2202.00
मिजोरम	1455.91	449.00	500.50	184.00	121.00	21.00	145.00	—	—	53.59	2930.00
नागालैंड	1176.00	253.00	472.00	51.00	30.00	—	—	500.00	—	18.00	2500.00
पंजाब	1468.16	104.55	344.85	41.95	15.50	—	217.09	—	—	32.90	2225.00
राजस्थान	2144.30	829.20	2975.37	764.00	370.90	744.18	868.05	—	—	—	8696.00
सिक्किम	687.08	145.00	640.54	273.37	6.00	84.00	110.57	—	—	53.44	2000.00
त्रिपुरा	1450.34	618.55	520.25	318.19	152.70	—	312.62	—	—	206.35	3579.00
उत्तर प्रदेश	2328.04	—	451.20	163.00	25.57	185.34	172.42	—	—	40.00	3365.57
उत्तराखंड	1173.92	225.63	494.89	281.41	91.90	—	161.47	—	—	31.78	2461.00
पश्चिम बंगाल	5839.56	544.45	541.55	371.95	75.00	5.14	400.00	—	—	14.00	7791.65
कुल	33502.46	6413.45	11973.22	5355.45	1929.20	1766.69	4077.52	1000.00	600.00	2482.01	69100.00

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों द्वारा निधियों के क्षेत्र-वार उपयोग का ब्यौरा

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपए)

राज्यों के नाम	सड़क क्षेत्र	शिक्षा	सामाजिक क्षेत्र	कृषि	स्वास्थ्य	विद्युत	सुरक्षा	विशिष्ट क्षेत्र योजना	सिंधु परियोजना	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश	7928.55	2668.64	1044.54	1965.18	678.91	—	586.78	—	—	560.40	15433.00
असम	1208.00	173.00	155.00	112.00	—	—	205.00	—	—	127.01	1980.01
बिहार	3155.00	440.86	840.85	86.00	139.56	—	555.46	—	—	359.27	5577.00
गुजरात	1018.00	315.80	542.00	918.40	123.00	—	414.77	—	—	284.85	3616.82
हिमाचल प्रदेश	445.03	204.00	360.00	145.50	405.47	168.50	80.00	—	—	191.50	2000.00
जम्मू और कश्मीर	4159.75	414.29	487.81	1140.46	745.58	457.25	569.00	1600.00	399.00	2489.26	12462.40
मणिपुर	842.90	173.50	395.80	357.80	127.87	—	82.13	—	—	20.00	2000.00
मेघालय	2184.31	373.97	324.90	64.43	20.00	—	80.00	—	—	92.39	3140.00
मिजोरम	1721.35	716.50	544.38	366.50	165.00	16.00	270.00	—	—	40.00	3839.73
नागालैंड	954.00	167.00	272.00	149.00	46.00	—	—	—	—	427.00	2015.00
पंजाब	2300.45	183.14	401.67	29.88	21.75	—	305.79	—	—	49.32	3292.00
राजस्थान	2197.29	1271.40	573.70	1062.43	923.25	1121.75	1124.09	—	—	3235.09	11509.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सिक्किम	1400.97	125.00	127.00	77.52	—	32.51	10.00	—	—	312.00	2085.00
त्रिपुरा	6753.88	1084.66	316.00	368.90	726.15	—	345.41	—	—	40.00	9635.00
उत्तर प्रदेश	3699.69	72.24	556.22	105.29	230.55	—	150.46	—	—	61.55	4876.00
उत्तराखंड	1786.56	386.01	654.32	108.18	85.52	—	226.57	—	—	50.84	3298.00
पश्चिम बंगाल	9726.30	1040.00	314.00	454.00	65.50	—	1290.24	—	—	673.00	13563.04
कुल	51482.03	9810.01	7910.19	7511.47	4504.11	1796.01	6295.70	1600.00	399.00	9013.48	100322.00

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यों द्वारा निधियों के क्षेत्र-वार उपयोग का ब्यौरा

दिनांक 12.12.2012 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपए)

राज्यों के नाम	सड़क क्षेत्र	शिक्षा	सामाजिक क्षेत्र	कृषि	स्वास्थ्य	विद्युत	सुरक्षा	विशिष्ट क्षेत्र योजना	सिंधु परियोजना	विविध	कुल	राज्यों के नाम	सड़क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अरुणाचल प्रदेश	2825.08	1467.78	978.95	2640.45	309.13	—	733.75	299.86	—	—	—	22.00	9277.00
असम	2038.50	159.00	642.60	254.00	21.00	—	324.90	—	—	—	40.00	—	3480.00
बिहार	3476.00	125.00	913.82	—	956.28	—	608.40	—	—	—	—	4.50	6084.00
गुजरात	1448.58	247.28	618.39	1278.21	313.80	—	450.00	45.00	—	—	—	103.74	4505.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिमाचल प्रदेश	621.00	230.00	519.00	501.00	83.00	—	64.00	52.00	—	—	—	30.00	2100.00
जम्मू और कश्मीर	6558.97	403.29	1370.87	339.41	1256.73	—	596.00	217.73	1426.66	—	40.00	590.34	12800.00
मणिपुर	812.05	128.20	506.55	526.20	29.00	—	176.00	—	—	—	22.00	—	2200.00
मेघालय	1091.72	380.48	285.50	—	—	—	48.20	—	—	—	5.00	289.10	2100.00
मिजोरम	1647.91	631.00	787.61	267.00	117.33	—	289.50	212.15	—	—	40.00	24.50	4017.00
नागालैंड	985.00	124.00	418.00	87.00	26.00	—	25.00	—	—	—	30.00	305.00	2000.00
पंजाब	1817.32	581.95	194.35	37.60	313.70	—	366.55	171.95	—	—	42.58	—	3526.00
राजस्थान	6385.84	1021.50	710.75	1282.41	665.64	1668.04	1373.76	—	—	—	—	665.12	13773.06
सिक्किम	1122.00	70.00	27.00	51.09	—	7.00	40.00	90.80	—	—	—	592.11	2000.00
त्रिपुरा	1841.87	1323.89	704.12	81.29	319.23	—	245.64	78.96	—	—	40.00	190.00	4825.00
उत्तर प्रदेश	3980.26	—	713.31	—	82.93	—	—	100.50	—	—	40.00	65.00	4982.00
उत्तराखंड	2002.52	244.67	484.30	380.15	47.95	—	265.85	116.84	—	—	14.72	8.00	3565.00
पश्चिम बंगाल	12442.22	874.00	1118.72	1016.71	296.81	—	33.54	—	—	—	53.00	—	15835.00
कुल	51096.84	8012.04	10993.84	8742.52	4838.53	1675.04	5641.09	1385.79	1426.66	0.00	367.30	2889.41	97069.06

ऑनर किलिंग

4059. श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री पी. करूणाकरन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा केन्द्र सरकार और राज्यों को अंतर-जाति विवाह करने वाले जोड़ों उके जान-माल के संरक्षण हेतु कितने मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऑनर किलिंग की घटनाओं का सामना करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों के साथ परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर ऑन किलिंग के संबंध में 333 शिकायतें दर्ज की गईं हैं और इन सभी मामलों में कार्रवाईयां आरंभ की गईं। उपर्युक्त के अलावा, आयोग ने ऑनर किलिंग के 11 मामलों में स्वयंमेव संज्ञान लिया है और उन पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की है।

वर्तमान में, सरकार ऑनर किलिंग की घटनाओं से निपटने के लिए संविधान में कोई संशोधन लाने का विचार नहीं कर रही है। तथापि, विधि आयोग ने वैवाहिक संबंधों की स्वंत्रता में हस्तक्षेप की रोकथाम (सम्मान एवं प्रथा के नाम पर) के संबंध में अपनी 242वीं रिपोर्ट में विधि एवं न्याय मंत्रालय को एक "विधिक ढांचे" का सुझाव दिया जिसमें इसने एक ही गोत्र अथवा अलग जाति/धर्म के शादी करने वाले युवा जोड़ों की जान और उनकी आजादी को खतरा पहुंचाने वाली जातिगत परिषद्ों/पंचायतों द्वारा हस्तक्षेप करने की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक पृथक (स्टैंड-अलोन) विधान की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना

4060. श्रीमती राजकुमारी चौहान :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी हेतु क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक खेलों जैसे कबड्डी, खो-खो इत्यादि को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वित की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार क्रिकेट के लिए आवंटित/व्यय निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट पर अधिक ध्यान देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान खेल विधा-वार पारंपरिक खेलों में खिलाड़ियों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) परंपरागत और देशज खेलों सहित विशिष्ट खेल-विधाओं को लोकप्रिय बनाने, उनका संवर्धन और विकास करने का मुख्य दायित्व संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है।

भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की मौजूदा स्कीमें परंपरागत और देशज खेलों के विकास पर पर्याप्त ध्यान देती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता की स्कीम के अंतर्गत, तीरंदाजी, शतरंज, खो-खो, रस्साकशी, कबड्डी, कुश्ती आदि जैसी देशज/परंपरागत खेलों से संबंधित खेल-परिसंघों को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और उन्हें संबंधित खेल-विधाओं में संवर्धन और विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की

जाती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, पुरूष और महिला, दोनों के लिए सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्गों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन विदेशों में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों की भागीदारी और कोचिंग कैंपों आदि के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान देशज/परंपरागत खेलों से संबंधित खेल परिसंघों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(लाख रु.)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तू., 2012 तक)
1.	भारतीय तीरंदाजी संघ	360.31	42.10	606.00	128.32
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	163.00	180.05	162.13	142.73
3.	भारतीय अत्या-पत्या परिसंघ	5.92	12.00	10.50	11.00
4.	भारतीय खो-खो परिसंघ	4.50	7.50	16.50	16.00
5.	भारतीय हाकी परिसंघ (पुरूष) और (महिला)	762.82	435.76	1809.00	347.24
6.	इंडियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन	11.77	10.00	121.00	6.19
7.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	9.75	16.00	11.25	9.00
8.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	470.00	153.98	983.00	449.38

(ग) और (घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), जो कि देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय स्तर का निकाय है, को कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई है, क्योंकि बीसीसीआई आत्म-निर्भर है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय और प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधाओं, दोनों में, संबंधित स्कीमों के प्रावधानों के अंतर्गत सभी खेल-विधाओं में सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत परंपरागत और देशज खेलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है:-

(i) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा केंद्र (एनएसटीसी) स्कीम

(ii) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) स्कीम

(iii) साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) स्कीम

(iv) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम

(v) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्कीम

इसके अतिरिक्त, परंपरागत खेलों के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार भी राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों का आयोजन किया जाता है।

खेलों को बढ़ावा देने वाली साई की स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान परंपरागत और देशज खेलों की खेल-विधा में प्रशिक्षित खिलाड़ियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए साई की खेल संवर्धन स्कीमों के तहत परंपरागत खेलों के प्रशिक्षुओं का खेल-वार ब्यौरा

2009-10

क्र.सं.	खेल विधा	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	तीरंदाजी	442	186	628
2.	हॉकी	1289	615	1904
3.	कबड्डी	522	344	866
4.	खो-खो	70	49	119
5.	मुकना	09	0	09
6.	सिलाम्बूम	21	01	22
7.	थांटा	08	08	16
8.	भारोत्तोलन	182	86	268
9.	कुश्ती	912	69	981
	कुल	3455	1358	4813

2010-2011

क्र.सं.	खेल विधा	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	तीरंदाजी	221	93	314
2.	हॉकी	751	395	1146
3.	कबड्डी	519	342	861
4.	खो-खो	70	52	122
5.	मुकलर	09	0	09
6.	सिलाम्बूम	21	01	22
7.	थांटा	08	08	16
8.	भारोत्तोलन	182	86	268
9.	कुश्ती	892	69	961
	कुल	2673	1046	3719

2011-12

क्र.सं.	खेल विधा	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	तीरंदाजी	248	108	353
2.	हॉकी	1220	764	1984
3.	कबड्डी	492	294	786
4.	खो-खो	69	36	105
5.	मुकलर	09	0	09
6.	सिलाम्बूम	24	01	25
7.	थांटा	16	0	16
8.	भारोत्तोलन	191	97	288
9.	कुश्ती	834	66	900
	कुल	3103	1363	4466

2012-13

क्र.सं.	खेल विधा	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	तीरंदाजी	225	102	327

1	2	3	4	5
2.	हॉकी	1061	663	1724
3.	कबड्डी	438	224	662
4.	खो-खो	31	45	76
5.	मुकलर	07	0	07
6.	सिलाम्बूम	17	0	17
7.	थांटा	09	09	18
8.	भारोत्तोलन	171	81	252
9.	कुश्ती	769	93	862
	कुल	2728	1217	3945

[अनुवाद]

खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स का प्रयोग

4061. **श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एण्टी डोपिंग एजेंसी (एनएडीए) खिलाड़ियों में ड्रग्स के प्रयोग को रोकने के अपने प्रयासों में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खिलाड़ियों ने ड्रग्स हेतु पोजिटव पाए जाने के लिए खाद्य अनुपूरक इरुलिंग को दोषी बताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर एनएडीए के निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इरुलिंग के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकारक और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी सभी पणधारियों के समन्वय के खेलों को "डोप मुक्त" बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि भारत में खेलों के लिए साफ और स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी खिलाड़ियों के प्रतियोगिता में रहने के दौरान और प्रतियोगिता से बाहर होने पर डोप परीक्षणों का आयोजन करके खेलों में डोप के खिलाफ कठोर उपाय कर रही है। सरकार डोप रोधी विनियमों का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल बरदशत न करने की घोषणा बार-बार कर चुकी है। इस प्रयास में नाडा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एथलीटों पर 9101 डोप परीक्षण किए हैं।

वर्ष	कुल एकत्रित डोप नमूने
2010	2794
2011	3206
2012 (अक्तूबर, 2012 तक)	3101

आयोजित किए गए कुल डोप परीक्षणों में से 397 एथलीट पॉजीटिव पाए गए और 351 एथलीटों पर आगे खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने नाडा के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए डोपिंग और उसके कुप्रभावों के बारे में देशभर में विभिन्न शिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नाडा के तकनीकी अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के क्षेत्रीय केंद्रों और अन्य स्थानों (जहां भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं,) का दौरा कर रहे हैं और नियमित आधार पर लैक्चरों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं इत्यादि काक आयोजन करके डोप नियंत्रण पुस्तिका की मदद से एथलीटों को खेलों में डोपिंग और डोप पदार्थों के नुकशानदेह प्रभावों की शिक्षा दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप खेलों में डोपिंग की घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, ताकि खेलों से डोपिंग के खतरे को समाप्त किया जा सके।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिसलिंग नामक कोई खाद्य अनुपूरक नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर

4062. **श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (आईसीएच) में सूचीबद्ध किए जाने हेतु भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए;

(ख) क्या सरकार देश के आईसीएच और रिकॉर्ड के लिए संगीत नाटक अकादमी (एसएनए) के तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी अध्ययन पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, 2003 को सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को सम्मेलन की भारत द्वारा वर्ष 2005 में पुष्टि की गई थी। तबसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) संबंधी 34 भारतीय तत्वों को आईसीएच की प्रतिनिधि सूची में विचार के लिए नामित किया गया हैं, इनमें से 9 तत्व अंकित किए गए हैं। शेष 25 तत्वों का नामांकन यूनेस्को के विचारार्थ उनके पास लंबित है, तथा उन पर सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, संगीत नाटक अकादमी को नामांकन डॉजियर तैयार करने और उन्हें यूनेस्कों में प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

पशु अस्पतालों हेतु आबंटन

4063. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अहमद नगर क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में पशु अस्पतालों के निर्माण हेतु कोई आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या स्वीकृत निधियों को जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (घ) योजना आयोग (राज्य योजना प्रभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अहमदनगर सहित महाराष्ट्र में पशुचिकित्सा अस्पताल के निर्माण के लिए एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ओटीएसीए) के अंतर्गत कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, नए पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पैंसरियों को स्थापित करने और मौजूदा को सुदृढ़ और सुसज्जित करने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए, भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी)' का एक घटक 'मौजूदा पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पैंसरियों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (इएसवीएचडी)' के अंतर्गत राज्यों को 75:25 (केन्द्र: राज्य) की हिस्सेदारी के आधार पर सहायता प्रदान करती है। इस घटक के अंतर्गत, विभाग ने पशुचिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए महाराष्ट्र को केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 2010-11 के दौरान 10.00 करोड़ रुपए और 2012-13 के दौरान 6.00 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पशुपालग विभाग, महाराष्ट्र से प्राप्त सूचना के अनुसार 2010-11 के दौरान जारी की गई धनराशि में से इस योजना के जरिए राज्य के कुल 383 संस्थान सुदृढ़ किए गए थे और 2012-13 के दौरान जारी की गई धनराशि से अहमदनगर जिला सहित राज्य के कुल 133 संस्थान सुदृढ़ किए जाएंगे।

बोट बिल्डिंग यार्डों का आधुनिकीकरण

4064. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप प्रशासन बोट बिल्डिंग यार्डों के निर्माण या आधुनिकीकरण तथा मत्स्यन उपकरणों की खरीद की योजना का लाभ नहीं उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रशासन ने स्थानीय जनता के लिए योजनाओं/धनराशि का उपयोग नहीं करने के क्या कारण बताए हैं; और

(ग) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने वाले लक्षद्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्रों की जांच करने के लिए कोई तंत्र है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं लक्षद्वीप प्रशासन योजनाओं का लाभ उठा रहा है। विभिन्न

द्वीपों में मछुआरों को समस्त मत्स्यन सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति विभागीय भंडारों, मछुआरा सरकारी समितियों आदि के माध्यम से की जा रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण

4065. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्यमान पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण करने/आधुनिक पशु वधशालाओं की स्थापना करने के लिए योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी अवसंरचना विकास योजना के अधीन नई पशु वधशालाओं की स्थापना/मौजूदा पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। सामान्य और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी में तथा तकनीकी सिविल निर्माण-कार्यों की लागत के क्रमश: 50% और 75% वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) दी जाती है, लेकिन यह सहायता प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपये होगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50% पूंजीगत सब्सिडी, 25% बैंक ऋण और 25% मार्जिन राशि के साथ केवल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय में क्रियान्वित करने के लिए पायलट आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'ग्रामीण पशु वधशालाओं की स्थापना और आधुनिकीकरण' आरम्भ की थी।

(ग) 11वीं योजना के दौरान, नई पशु वधशालाओं की स्थापना/मौजूदा वधशालाओं का आधुनिकीकरण करने की योजना के अधीन कुल 10 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। इनमें से, अहमदनगर, महाराष्ट्र और दीमापुर, नागालैंड में दो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। अन्य आठ परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान 25 नई पशु वधशालाओं और मौजूदा 25 पशु वधशालाओं की स्थापना के लिए 11वीं योजना स्कीम को व्यापक बनाने की मंजूरी दी है। इसके पश्चात्, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अधीन राज्य सरकार द्वारा योजना क्रियान्वित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने 11वीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में एक कुक्कुट यूनिट को सहायता दी है।

[हिन्दी]

आग से सुरक्षा संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिशें

4066. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी/निजी भवनों और समारोहों के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए ढांचों और पंडालों में आग से सुरक्षा के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्रत्येक सरकारी/निजी भवनों में आग से सुरक्षा संबंधी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकीकरण के सुव्यवस्थित विकास, चिन्ह तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए एक संगठन है। अग्निशमन तथा बचाव उपकरणों के लिए मानक, विभिन्न भवनों और समारोहों के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए ढांचों तथा पंडालों में आग से सुरक्षा/बचाव के लिए आचार संहिता तथा प्रथाएं हैं। भारतीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) भवन निर्माण कार्यों संबंधी कार्य करने वाली सभी एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक मॉडल संहिता के रूप में कार्य करती है और इसमें अग्नि सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं भी निहित हैं।

''अग्नि सेवाएं'' राज्य का विषय है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ब की XIIवीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्य के रूप में शामिल किया गया है। अत: एनबीसी में दी गई अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं को अपने भवन निर्माण उपनियमों में अपनाकर देश में प्रत्येक सरकारी/निजी भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित करना और जान-माल की रक्षा करने के लिए बीआईएस द्वारा बनाई गई आचार संहिता तथा पद्धति को लागू करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

कृषि योजनाएं

4067. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्तमान में 19 प्रमुख विषयों के अंतर्गत 50 से ज्यादा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रही है, लेकिन इसने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 8 प्रमुख योजनाओं को चलाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग वर्तमान में कृषि के विकास के लिए 51 योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। हालांकि संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने और दोहराव से बचने के उद्देश्य से इन योजनाओं को पांच मिशनों, पांच केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं और एक राज्य प्लान योजना में पुनर्संरचित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय विरासत मार्ग हेतु निधियां

4068. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या संस्कृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सड़क परिवहन मंत्रालय से गुजरात राज्य सरकार को राष्ट्रीय विरासत मार्ग (अहमदाबाद-दांडी) को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। संस्कृति मंत्रालय को भूतल परिवहन मंत्रालय से राष्ट्रीय विरासत मार्ग (अहमदाबाद-डांडी) को पूरा करने के लिए गुजरात राज्य सरकार को निधि प्रदान करने से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गुजरात सरकार ने डॉडी विरासत पथ (रूट) को विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, परंतु अवलोकन में यह पाया गया कि विरासत पथ की योजना, उच्च स्तरीय डॉडी स्मारक समिति (एचएलडीएमसी) की सिफारिशों के अनुसार नहीं थी। एचएलडीएमसी के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे इस मुद्दे पर गुजरात राज्य सरकार से विचार-विमर्श करें जिससे, गुजरात राज्य सरकार, संशोधित योजना और वित्तीय अनुमानों को तैयार करके इस मंत्रालय को भेज सके। गुजरात राज्य सरकार से अभी तक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सिमी की गतिविधियां

4069. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कितने लोगों को राज्य-वार गिरफ्तार किया गया है;

(ख) देश में सिमी की गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली विदेशी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिमी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना/संस्तुतियों तथा अन्य जानकारियों के आधार पर द स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) को विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के तहत दिनांक 3.2.2012 को दो वर्ष की अवधि के लिए विधिविरूद्ध संगठन घोषित किया गया है। ''लोक व्यवस्था'' तथा ''पुलिस'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 1 एवं 2 में आते हैं तथा अपराध के पंजीकरण एवं उसकी जांच सहित लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथा सिमी से संबंध रखने वाले गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसके अनुसार किसी विदेशी एजेंसी ने सिमी को इसकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की हो। विधि प्रवर्तन एजेंसियां उक्त संगठन की गतिविधियों

पर निरंतर नजर रखती हैं तथा जहां कहीं भी आवश्यक होता है, वहां प्रतिबंध लगाए जाने सहित अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण

4070. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे देशों के द्वारा देश की सीमाओं पर कतिपय क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सीमा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) दूसरे देशों द्वारा भारत-बांग्लादेश, भात-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान तथा भारत-म्यांमार सीमाओं पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। तथापि, जहां तक भारत-पाकिस्तान सीमा का संबंध है, पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर स्थित भारतीय भू-भाग में लगभग 78000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में अवैध एवं जबरन कब्जा किए हुए हैं। पाकिस्तान ने तथाकथित '1963 के साइनो-पाकिस्तान सीमा करार' के अंतर्गत पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में भारतीय भू-भाग की 5180 वर्ग कि.मी. भूमि अवैध रूप से चीन की समर्पित कर दी है।

सरकार बराबर सतर्क रहती है और भारत की सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता की प्रभावी रक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के अपने संकल्प पर अडिग है।

खेलकूद/शारीरिक शिक्षा हेतु संस्थान

4071. श्री रवनीत सिंह : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी संस्थानों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्थान-वार इन संस्थानों में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का और अधिक ऐसे संस्थान खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन संस्थान हैं, नामत: लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर जिसका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) गुवाहाटी में है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला जिसके पाठ्यक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बेंगलूरु और कोलकाता केंद्रों में चलाए जा रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में राज्य सरकारों द्वारा संचालित शारीरिक और खेल शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का डाटा नहीं रखता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संस्थाओं में प्रशिक्षण दिए गए छात्रों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिए जा रहे छात्रों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:—

क्र.सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण दिए गए/दिए जा रहे छात्रों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) गुवाहाटी सहित	655	702	772	859
2.	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम	172	175	192	142

1	2	3	4	5	6
3.	राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, और इसके भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बेंगलूरु और कोलकाता केन्द्रों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों सहित	399	455	418	576

(ग) से (ङ) देश में और शारीरिक शिक्षा तथा खेल शिक्षा संस्थान खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में नहीं है। इसका कारण संसाधनों की कमी है। इसके अलावा, चूंकि 'खेल' राज्य का विषय है, शारीरिक शिक्षा और खेल शिक्षा संस्थानों की स्थापना का मुख्य दायित्व भी राज्य सरकारों का है।

फलों व सब्जियों की कीमतों में वृद्धि

4072. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश में फलों व सब्जियों की कीमतों में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा फलों व सब्जियों की कीमतों को नीचे लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (आधार वर्ष 2004-05 = 100) का संकलन केवल अखिल भारतीय आधार पर ही किया जाता है। सब्जियों एवं फलों के लिए थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) निम्नलिखित हैं:—

अवधि	सब्जियां (थोक मूल्य सूचकांक)	फल (थोक मूल्य सूचकांक)	सब्जियां (प्रतिशत परिवर्तन)	फल (प्रतिशत परिवर्तन)
1	2	3	4	5
अक्तूबर, 2009	179.3	136.4	—	—
अक्तूबर, 2010	193.9	159.7	8.14	17.08
अक्तूबर, 2011	224.3	177.7	15.68	11.27
अक्तूबर, 2012	207.6	183.5	-7.45	3.26

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, सब्जियों के लिए माह-दर-माह सूचकांक में पूर्व वर्ष (2010) के तद्नुरूप माह के ऊपर अक्तूबर, 2011 में 15.68 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर, 2012 में (-) 7.45 प्रतिशत की गिरावट हुई है। पिछले वर्ष (2010) के अनुरूप माह के ऊपर मिलों के सूचकांक में अक्तूबर, 2011 में 11.27 की तुलना में अक्तूबर, 2012 में 3.26 की बढ़ोत्तरी हुई है।

फलों तथा सब्जियों के मूल्य उनके कारकों पर निर्भर करते हैं। इसमें शामिल हैं:— मौसम परिस्थितियों के कारण उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण मांग तथा आपूर्ति के बीच मेल न होना, ढुलाई की लागत, भंडारण, आपूर्ति अड़चन, बिचौलिये की भूमिका, बढ़ती हुई आय के कारण बढ़ती हुई मांग, शहरीकरण आदि।

(ग) फलों तथा सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग 2005-06 से देश में "राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)" पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वियन कर रहा है। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जिनको उत्तर पूर्वी तथा हिमालयन राज्यों (एचएमएनईएचएस) के बागवानी मिशन के अंतर्गत कवर किया गया है, को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को मिशन के अंतर्गत कवर किया गया है। इसके अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तत्वाधान के अंतर्गत 2011-12 के दौरान, नए कार्यक्रम नामत: शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल (वीआईयूसी) की शुरूआत की है। यह योजना प्रत्येक राज्य, जो जम्मू और कश्मीर जहां दोनों

राजधानियों को कवर किया गया है, को छोड़कर एक मिलियन से भी अधिक जनसंख्या वाली या तो राज्य की राजधानी अथवा कोई अन्य नगर है, को कवर करता है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर नगर को कवर किया गया है। इस योजना को 300.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2012-13 के दौरान जारी रखा जा रहा है।

एफटीआईआई का स्तरोन्नयन

4073. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) को एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोन्नयन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कृत्य क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विद्यार्थियों के लाभ के लिए कल्याण निधि बनाने तथा नए एफटीआईआई कैम्पस में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन नये मुद्दों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) को संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने हेतु कदम उठाए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय फिल्म और टेलीविजन, संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) में पाठ्यक्रम शुल्क अत्यधिक सहायिकी-प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, संस्थान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। फिल्म, टेलीविजन और उससे जुड़े विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने संसद के प्रस्तावित अधिनियम में संस्थान के उद्देश्यों में से एक के रूप में प्रकल्पित है।

फलों व सब्जियों पर निजी कम्पनियों का एकाधिकार

4074. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि निजी कम्पनियों द्वारा फलों और सब्जियों पर नियंत्रण से छोटे किसानों के हितों तथा छोटे सब्जी विक्रेताओं की आजीविका पर दुष्प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या ऐसे एकाधिकार से भविष्य में फलों व सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या नीति बनाई है/नीति बनाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) फलों एवं सब्जियों समेत कृषि उत्पादों की वर्तमान विपणन प्रणाली में मुख्यतया अपर्याप्त फसलोपरान्त अवसंरचना के साथ लम्बी, विखण्डित आपूर्ति श्रृंखला है। इसके परिणामस्वरूप, अधिक क्षति होती है और ज्यादा सौदे संबंधी लागत आती है और उपभोक्ता के रुपयों में किसानों का अंश कम होता है और इसीलिए विपणन अवसंरचना के विकास में वैकल्पिक विपणन चैनलों और निवेश की आवश्यकता होती है। अत: सरकार ने 2003 के दौरान राज्यों को जारी मॉडल अधिनियम के दिशा-निर्देशों पर संबंधित राज्य एपीएमसी अधिनियम में संशोधन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श देने के जरिए सुधार संबंधी पहल की है। इससे वैकल्पिक विपणन चैनल, सीधे विपणन, ठेका कृषि और विपणन अवसंरचना के विकास में निवेश को प्रोत्साहन का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे किसानों को कृषि उत्पादों की सीधी खरीद की सुविधा देकर फसलोपरान्त हानियों और सौदे संबंधी लागत से कम किया जा सकेगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जो छोटे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में है और यह छोटे फल एवं सब्जी विक्रेताओं की आजीविका को प्रभावित नहीं करती है।

स्टेडियमों में सुविधाएं

4075. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़ी संख्या में स्थापित स्टेडियमों में छात्रावास/आवासीय सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रमुख स्टेडियमों में छात्रावास और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने/उनकी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 'खेल' राज्य का विषय है। संघ सरकार राज्य सरकारों द्वारा निर्मित खेल स्टेडियमों संबंधी कोई डाटा नहीं रखती। तथापि, दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के पाचं स्टेडियम हैं नामत: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर और डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर और इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में होस्टल/आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, प्रत्येक स्टेडियम में 140 बिस्तरों की क्षमता है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों के स्टेडियमों में होस्टल/आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए संघ सरकार की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में होस्टल सुविधाएं हैं।

नक्सली कैदियों की स्थिति

4076. **श्री नित्यानंद प्रधान :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नक्सली कैदियों को राजनीतिक कैदी के रूप में मान लेने और राजनीतिक कैदियों के समतुल्य उन्हें जेल में सभी प्रकार की सुविधाएं देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायपालिका ने इस संबंध में ऐसा ही निर्णय दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) कोलकाता उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश वाली खण्डपीठ (सिंगल जज बेंच) ने दिनांक 8.8.2012 के निर्णय के तहत पश्चिम बंगाल के सात विचाराधीन माओवादी कैदियों को तीन पुनरीक्षण याचिकाओं (वर्ष 2011 की सीआरआर 4000 सहित वर्ष 2012 की सीआरआर 1312 के साथ वर्ष 2012 की सीआरआर 463) पर विचार करने के बाद "राजनीतिक कैदियों" का दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 1992 की व्याख्या पर आधारित है। तद्नुसार, इस निर्णय का विस्तार केवल पश्चिम बंगाल राज्य तक समिति है।

गृह मंत्रालय ने 8.10.2012 को, पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह दी है कि वह उपर्युक्त निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय की किसी बड़ी खण्डपीठ (लार्जर बेंच) के समक्ष एक अपील अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विषय अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करे और पश्चिम बंगाल सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 1992 के उपबंधों में संशोधन पर भी विचार करे ताकि उसमें इस आशय का एक परन्तुक शामिल किया जा सके कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत निषिद्ध किए गए किसी भी संगठन के किसी भी सदस्य को "राजनीतिक कैदी" का दर्जा उपलब्ध नहीं होगा।

केलों का पौधरोपण

4077. **श्री सी. शिवासामी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च घनत्व पौधरोपण से केले के उत्पादन में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार/कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा केलों के उच्च घनत्व पौधरोपण के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) अधिक सघन रोपण से केले की पैदावार बढ़ती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक सघन रोपण को अपनाने से फसल में 50% बढ़ोतरी दर्ज की है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, जागरुकता अभियानों, फील्ड प्रदर्शनों आदि के आयोजन और केलों के वाणिज्यिक रूप से खेती के लिए अपनाने हेतु इसके अधिक सघन रोपण के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र केलों से अधिक सघन रोपण से मिलने वाले लाभों के बारे में किसानों और बागवानी विभाग के अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों का आयोजन भी करते हैं।

[हिन्दी]

एन.एस.एन.आई.एस. की उपलब्धि

4078. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल :** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान (एन.एस.एन.आई.एस.) की स्थापना का उद्देश्य क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों/प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने में उक्त संस्थानों के निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए खेलकूद के क्षेत्र में अन्य विकसित देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त संस्थान को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस) के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

(i) विभिन्न खेल विधाओं के खेल कोचों का प्रशिक्षण।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों का प्रशिक्षण।

(iii) खेल वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण।

(iv) खेल से संबंधित मुद्दों पर सूचना स्रोत तथा परामर्शी के रूप में कार्य करना।

(v) राष्ट्रीय खेल संग्रहालय आदि का प्रबंधन।

(ख) संस्थान में आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:—

(i) खेल कोचिंग में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

(ii) खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(iii) खेल कोचिंग में एम.एससी.

(iv) खेल औषधि में दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

(I) उक्त पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:—

खेल कोचिंग में छह सप्ताह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2009-2010	311
2010-2011	368
2011-2012	485
2012-2013	561

खेल कोचिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2009-2010	396
2010-2011	455
2011-2012	425
2012-2013	423 (पाठ्यक्रम प्रगति पर)

खेल कोचिंग में एम.एससी.

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2009-2011	06
2010-2012	04
2011-2013	06

खेल औषधि में दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2009-2011	02
2010-2012	04
2011-2013	03

(II) पिछले तीन वर्षों के दौरान भा.खे.प्रा., एनएसएनआईएस, पटियाला में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में प्रशिक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वर्ष	आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों की सं.	प्रशिक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	2009-10	34	646	299	945
2.	2010-11	47	786	546	1332
3.	2011-12	39	483	518	1001

(III) एनआईएस द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	प्रतियोगिता	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	एशियाई खेल, 2010	05	03	03	11
2.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	11	07	18	36
3.	ओलंपिक खेल, 2008	—	—	02	02
4.	ओलंपिक खेल, 2012	एनआईएस में प्रशिक्षित 22 खिलाड़ियों ने लंदन ओलंपिक्स, 2012 के लिए क्वालिफाई किया।			

(ग) और (घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए विभिन्न देशों यथा अर्जेंटीना, ब्राजील, बेलारूस, चीन, क्यूबा, टर्की, मारिशस और न्यूजीलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत खेल विज्ञान, खेल शिक्षा, खेल प्रबंधन, खेल अवसंरचना विकास, शारीरिक शिक्षा और स्वस्थता विकास कार्यक्रम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में खिलाड़ियों, कोचों, खेल वैज्ञानिको और अन्य विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल है।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एनआईएस सहित भारतीय खेल प्राधिकरण को विभिन्न खेल कार्यकलापों के लिए 288 करोड़ रु. मुहैया कराए गए हैं।

[अनुवाद]

हैदराबाद विरासत संग्रहालय का निर्माण

4079. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालारजंग संग्रहालय के समन्वय से रात्री बाजार के

स्थान पर नगर की संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए हैदराबाद विरासत संग्रहालय का निर्माण करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद विरासत, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए एक विशिष्ट दीर्घा सहित विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलाप शुरू करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु संग्रहालय के समीप रिक्त भूमि को आबंटित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

खाद्य प्रसंस्करण का संवर्धन

4080. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश में किसानों के बीच खाद्य प्रसंस्करण का संवर्धन करने के लिए उन्हें सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण संबंधी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किसानों को किस सीमा तक लाभ हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (घ) महाराष्ट्र समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अवसंरचना स्कीम का कार्यान्वियन कर रही है जिसमें मेगा खाद्य पार्क, बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम तथा बूचड़खाना स्कीम जिसे किसान अधिकतम मूल्यवृद्धि प्राप्त करने, बरबादी को न्यूनतम करने और अपनी आय में सुधार करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शामिल करते हुए विकेंद्रीकरण और बेहतर पहुंच द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) – केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की थी ताकि मिशन की सभी स्कीमों को 12वीं योजना (2012-13 के दौरान कार्यान्वित किया जा सके, ये स्कीमें हैं:–

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम।

(ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम।

(iii) बूचड़खाना आधुनिकीकरण स्कीम (वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए कोई लक्ष्य नहीं)।

(iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी) जिसके निम्नलिखित घटक हैं, अर्थात्:–

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन; (ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी); (ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी);

(v) प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम अर्थात् (क) सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजना करना; (ख) अध्ययन/सर्वेक्षण करना; (ग) प्रदर्शनियों/मेलों के लिए सहायता देना और (घ) विज्ञापन एवं प्रचार।

किसानों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों को मंत्री (कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद् के अनुमोदन से नई स्कीमों को भी कार्यान्वित करने के लिए मिशन में लचीलापन दिया गया है।

11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 11वीं योजना के दौरान और 12वीं योजना (2012-13) के पहले वर्ष में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली यूनिटों का राज्य-वार ब्यौरा**

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13** (01.11.12 की स्थिति के अनुसार)	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	105	1904.726	80	1686.751
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.42	0	0	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	12	242.7782	10	184.133
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	5	89.65674	2	36.435
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	75	841.8276	67	751.3186
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.6	16	410.68	5	118.25
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25	2	50	1	19.42
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	106	1975.034	34	623.207
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.28	62	828.2817	61	778.855
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.53	14	377.51	4	95.95
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	6	98.42	2	16.4269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	1	16.57	0	0
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.79	61	896.2926	40	623.953
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	52	901.285	14	227.435
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	211.294	23	376.5413	16	217.1205
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	202	2824.152	84	1174.478
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	11	189.7182	14	301.353
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0	1	5.420
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0
22.	नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0	2	14.205
23.	ओडिशा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	9	113.5908	6	97.22077
24.	पुदुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	1	25	2	50
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	147	1692.902	106	1140.428
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	691.123	95	1236.563	31	457.2913
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	75	1389.79	23	408.405
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	53	907.0513	28	477.442
31.	उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	5	138.047	3	67.505
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	19	319.87	5	120.045
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	1157	17846.29	645	9932.17

*आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक के समन्वयनाधीन हैं।

**11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं।

[हिन्दी]

यूथ हॉस्टल

4081. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित/चालू यूथ हॉस्टल की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्मित यूथ हॉस्टलों की स्थान-वार संख्या कितनी है; और

(ग) देश में युवाओं के कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) देश में अभी तक 80 युवा हॉस्टलों का निर्माण हो चुका है और 4 युवा हॉस्टल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 80 युवा हॉस्टलों में से 68 युवा कार्यक्रम विभाग के अधीन हैं तथा 12 युवा हॉस्टलों को युवाओं और खेलों के विकास के इष्टतम उपयोग के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और विभिन्न राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है। युवा हॉस्टलों की राज्य-वार/स्थान-वार सूची दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जालंधर (पंजाब) और कडापा (आंध्र प्रदेश) में क्रमशः वर्ष 2010-11 और 2012-13 के दौरान 2 युवा हॉस्टलों का निर्माण पूरा किया गया। तथापि, योजना आयोग ने किसी नए युवा हॉस्टल का निर्माण न करने, अपितु केवल निर्माणाधीन युवा हॉस्टलों का निर्माण कार्यपूरा करने की सलाह दी है।

(ग) देश के विभिन्न भागों में खेलों को बढ़ावा देने और युवा कार्यक्रमों के विकास के लिए कार्यान्वित स्कीम/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

युवा कार्यक्रम विभाग:

(i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

(iii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

(iv) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)

(v) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)

खेल विभाग:

(vi) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)

(vii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम

(viii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम

(ix) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)

(x) प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण स्कीम

(xi) विशेष नकद पुरस्कार स्कीम

(xii) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार स्कीम-राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार

(xiii) खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कल्याण निधि

(xiv) निःशक्त व्यक्तियों के लिए खेल-कूद स्कीम

(xv) राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण (साई) को सहायता अनुदान

(xvi) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), ग्वालियर को सहायता अनुदान

(xvii) डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को सहायता अनुदान

(xviii) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) को सहायता अनुदान

विवरण

युवा हॉस्टलों की राज्य-वार/स्थान-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य में युवा हॉस्टलों की सं.	युवा हॉस्टलों का स्थान
1	2	3	4
सामान्य राज्य			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	7	सिकंदराबाद, विजयवाडा, तिरूपति, विशाखापत्तनम, नागार्जुनसागर, वारांगल, विजयनगरम
3.	बिहार	1	पटना
4.	गोवा	2	पणजी, पदम मपूसा
5.	गुजरात	1	गांधीनगर
6.	हरियाणा	7	पंचकूला, कुरूक्षेत्र, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, यमुना नगर, रिवाड़ी
7.	हिमाचल प्रदेश	1	डलहौजी
8.	जम्मू और कश्मीर	2	पतनीटोप, श्रीनगर
9.	कर्नाटक	4	मैसूर, हसन, तीर्थरामेश्वर, सोगालू
10.	केरल	3	त्रिवेन्द्रम, एर्णाकुलम (कोच्चि), कालीकट (कोझीकोड)
11.	मध्य प्रदेश	3	भोपाल, जबलपुर, खजुराहो
12.	महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
13.	ओडिशा	4	पुरी, जोशीपुर, गोपालपुर ऑन-सी, कोरापुट
14.	पुदुचेरी	1	पुदुचेरी
15.	पंजाब	6	रोपड़, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, तरनतारन, जालंधर
16.	राजस्थान	4	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर
17.	तमिलनाडु	5	चेन्नई, मदुरई, तंजावुर, त्रिची, ऊटी
18.	उत्तर प्रदेश	2	आगरा, लखनऊ
19.	उत्तराखंड	4	मसूरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, बद्रीनाथ
20.	पश्चिम बंगाल	1	दार्जिलिंग
	पूर्वोत्तर राज्य		
21.	असम	2	गुवाहाटी, तेजपुर
22.	मणिपुर	1	इम्फाल
23.	मेघालय	1	शिलांग
24.	मिजोरम	1	एजवाल
25.	नागालैंड	1	दीमापुर
26.	सिक्किम	1	गंगटोक
27.	त्रिपुरा	1	अगरतला
	कुल	68	

निर्माणाधीन युवा हॉस्टलों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	युवा हॉस्टलों की सं.	युवा हॉस्टलों का स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	1	कडापा
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	रूइंग
3.	मणिपुर	2	चूराचांदपुर और थौबाल

नोट: निम्नलिखित युवा हॉस्टल एनवाईकेएस/राज्य सरकार/साई को हस्तांतरित कर दिए गए हैं:-

(1) बिलासपुर (हि.प्र.), (2) नगरोटा (जम्मू और कश्मीर), (3) बुलडाना (महाराष्ट्र), (4) बर्दवान (पश्चिम बंगाल), (5) चुरूलिया (पश्चिम बंगाल), (6) नाहरलागून (अरुणाचल प्रदेश), (7) गोलाघाट (असम), (8) नागांव (असम), (9) उखरूल (मणिपुर), (10) तूरा (मेघालय), (11) मोकोकचुंग (नागालैंड) एवं (12) नामची (सिक्किम)

सोयाबीन का उत्पादन

4082. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सोयाबीन का राज्य-वार उत्पादन और इसके खेती क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा विश्व में सोयाबीन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में सोयाबीन के औने-पौने मूल्य पर बिक्री करने की रिपोर्ट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) मुख्य उत्पादक राज्यों में वर्ष 2011-12 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन और क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है:

उत्पादन : मिलियन टन

क्षेत्र : मिलियन हैक्टेयर

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन	क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	0.21	0.13
2.	कर्नाटक	0.18	0.20
3.	मध्य प्रदेश	6.28	5.67
4.	महाराष्ट्र	4.02	3.07
5.	राजस्थान	1.39	0.90
6.	अन्य	0.20	0.21
	अखिल भारत	12.28	10.18

(डीईएस के चौथे अग्रिम अनुमान)

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन और भारत में सोयाबीन के वैश्विक उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन होता है। विश्व के सोयाबीन उत्पादन में भारत का स्थान पांचवां है।

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान सोयाबीन का औसत प्रचलित मूल्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। अत: महाराष्ट्र सहित देश के किसी भी भाग से सोयाबीन की मजबूरी में बिक्री किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) इन राज्यों में नैफेड सोयाबीन की खरीद में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

एफ.पी.आई. क्षेत्र हेतु आयोग

4083. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफ.पी. आई.) हेतु संवर्धन निकाय/आयोग की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है

1. **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)**

मंत्रालय ने राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने हेतु 12वीं योजना के दौरान नई केंद्र प्रायोजित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया है। मंत्रालय की कुछ चालू स्कीमें नए प्रस्तावित घटकों के अलावा एनएमएफपी में समाविष्ट कर दी गई हैं। इससे न केवल मंत्रालय की स्कीमों के लिए बेहतर आउटरीच उपलब्ध होगा बल्कि मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों पर फोकस पर फोकस भी कर सकेगा।

2. **अवसंरचना विकास स्कीम**

(क) मेगा खाद्य पार्कः-

स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के सृजन का उपबंध किया गया है। स्कीम में प्रति परियोजना भूमि घटक को छोड़कर परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

(ख) एकीकृत शीत श्रृंखलाः-

वित्तीय सहायता प्रति परियोजना संयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

(ग) बूचड़खानों की स्थापना एवं आधुनिकीकरणः-

वित्तीय सहायता प्रति परियोजना संयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 15.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

3. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण**

वित्तीय सहायता प्रति परियोजना संयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

4. **गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, आर एण्ड डी और अन्य प्रोत्साहन कार्यकलापों के लिए स्कीम**

(क) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

वित्तीय सहायता प्रयोगशाला उपकरणों की सम्पूर्ण लागत के लिए डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों, इसके संगठनों/विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई जाती है। वे उपकरणों तथा फर्नीचर और उपकरणों से जुड़े फिक्सर्स को लगाने के लिए तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों में 33% के भी पात्र हैं। अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियां/निजी क्षेत्र के संगठन प्रयोगशाला उपकरणों की लागत की 50% की दर से और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की 25% की दर से अनुदान सहायता की पात्र होंगी।

(ख) हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटीकल कंट्रोल प्वाइंटस का कार्यान्वयन

वित्तीय सहायता समग्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों, आईआईटीज और विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र को

परामर्श शुल्क, संयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत तथा अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति के रूप में सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से परन्तु अधिकतम 15 लाख रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 20 लाख रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) अनुसंधान एवं विकास

केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों, आईआईटीज और विश्वविद्यालयों को उपकरणों की लागत/उपभोज्य वस्तुओं/जेआरडी/एसआरएफ की 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5. मानव संसाधन विकास स्कीम

स्कीम में

(i) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र (एफपीटीसी)

(ii) विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना के सृजन

(iii) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपीज)

(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

6. संस्थान सुदृढ़ीकरण

(i) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम):-

हाल के वर्षों में निफ्टेम का सृजन निश्चित रूप से मंत्रालय की सबसे बड़ी पहल है। संस्थान सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न पहलुओं के व्यापक अधिदेश वाला क्षेत्र का शीर्ष संस्थान है।

(ii) राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड (एनएमपीपीबी):-

बोर्ड ने मानकीकरण, परीक्षण आदि के लिए पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में स्वच्छता एवं गुणवत्ता के आधुनिक मानकों का विकास करने और अनुपालन करने पर फोकस किया हुआ है।

(iii) भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड (आईजीपीबी):-

अंगूर उत्पादन के क्षेत्र से घिरे हुए पुणे में अवस्थित इस बोर्ड का घरेलू और विदेशी बाजार दोनों में भारतीय वाइन को पसंद का उत्पाद बनाने का लक्ष्य बना रहा है।

(iv) भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी):-

आईआईसीपीटी इस मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास का एक अग्रणी संस्थान है। संस्थान खाद्यान्न प्रसंस्करण के अनुसंधान एवं विकास, मूल्यवृद्धि, बायो प्रसंस्करण, प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास के माध्यम से उप-उत्पाद उपयोग में लगा हुआ है।

औषधीय पौधों की खेती

4084. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन के अंतर्गत औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2008-09 से राजस्थान समेत देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन" कार्यान्वित कर रहा है। योजना का उद्देश्य नर्सरियों की स्थापना, गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसलोपरान्त प्रबंधन एवं विपणन अवसंरचना का सृजन, प्रमाणीकरण इत्यादि के लिए अग्र एवं पश्च सम्पर्कों वाली मिशन मोड पद्धति में निजी भूमि पर औषधीय पौधों की बाजार की मांग के आधार पर कृषि के लिए सहायता देना है।

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में निर्मुक्त राज्य-वार निधियां

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	900.00	700.00	512.52	834.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	281.56	58.85	285.14	0.00
3.	असम	0.00	332.80	114.52	162.81
4.	बिहार	150.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	350.00	0.00	186.96	0.00
6.	गुजरात	161.35	0.00	47.35	0.00
7.	हरियाणा	175.70	0.00	85.46	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	106.11	84.30	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	294.40	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	563.33	165.18	257.61	0.00
11.	कर्नाटक	100.00	372.22	0.00	0.00
12.	केरल	131.25	96.14	223.17	0.00
13.	मध्य प्रदेश	0.00	737.58	302.93	247.48
14.	महाराष्ट्र	0.00	243.49	327.08	0.00
15.	मणिपुर	126.24	0.00	138.54	43.205
16.	मेघालय	306.60	68.50	91.62	0.00
17.	मिजोरम	188.16	124.05	160.12	8.91
18.	नागालैंड	265.70	181.63	181.12	0.00

1	2	3	4	5	6
19.	ओडिशा	236.10	166.69	475.58	84.73
20.	पंजाब	0.00	96.00	0.00	0.00
21.	राजस्थान	169.80	100.00	0.00	0.00
22.	सिक्किम	366.10	4.17	91.10	123.67
23.	तमिलनाडु	300.00	834.70	961.39	579.5
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	84.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	760.00	0.00	0.00	834.54
26.	उत्तराखंड	414.11	280.98	262.73	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	684.60	107.54	0.00	0.00
	कुल	6925.00	4776.63	4873.24	2919.165

*23.11.2012 तक

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4085. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सहित देश में युवाओं में खेल और एथलेटिक क्षमता का दोहन करने के लिए सुविधाओं और अवसंरचना के सुधार हेतु कार्यान्वयनाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गरीब बालकों/बालिकाओं के लिए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग उपलब्ध कराने तथा पोषक आहार और रोजगार के संदर्भ में विशेषकर एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी और फुटबॉल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को सहायता देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकार (साई) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसएआई के आवंटित/जारी की गई निधियों और एसएआई द्वारा विभिन्न खेल कार्यकलापों में व्यय की गई राशि का खेल-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) 'खेल' राज्य का विषय है। तथापि, सरकार पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) एवं शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) जैसी अपनी स्कीमों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देती रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) भी विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज (एनएसटीसी), सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी), साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) तथा आओ और खेलो स्कीम।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देश में खेलों में उत्कृष्टता लाने के लिए इन स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती करने के अलावा, यह देश के ग्रामीण, जनजातीय, तटीय और दूर-दराज के क्षेत्रों से प्रतिभाओं की खोज भी करता है तथा 8 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के चुनिंदा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में

उत्कृष्टता विकसित करने के लिए 28 खेल विधाओं में प्रशिक्षण देता है। साई के विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत प्रविष्ट प्रशिक्षओं को भोजन, आवास, खेल किट, प्रतियोगिताओं का अनुभव, चिकित्सा, शैक्षिक खर्चे, बीमा इत्यादि दिया जाता है। साई के विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत प्रविष्ट प्रशिक्षुओं को भोजन, आवास, खेल, किट, प्रतियोगिताओं का अनुभव, चिकित्सा, शैक्षिक खर्चे, बीमा इत्यादि दिया जाता है। साई के विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अधीन एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी और फुटबाल में 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षुओं का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	खेल-विधा	आवासीय		गैर-आवासीय	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1	2	3	4	5	6
1.	एथलेटिक्स	665	373	194	304
2.	तीरंदाजी	158	67	22	80
3.	हॉकी	665	396	257	406
4.	फुटबाल	589	445	50	85

जबकि सभी प्रशिक्षओं को एनआईएस प्रशिक्षित कोचों का मार्गदर्शन प्राप्त कराया जाता है और स्कीम के अंतर्गत प्राधिकृत खुराक दी जाती है, विशिष्ट प्रशिक्षुओं को उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश दिया जाता है जहां उन्हें प्रतियोगिता का अनुभव, रु. 175/- प्रतिदिन की खुराक, वरिष्ठ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कोचों से कोचिंग और वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) साई द्वारा अपनी संवर्धन स्कीमों के लिए आबंटित/व्यय की गई निधियों तथा साई प्रशिक्षुओं की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

साई खेल संवर्धन स्कीमों का पिछले तीन वर्षों (2009-2012) का बजट आबंटन/व्यय

शेष भारत

(करोड़ रु.)

स्कीम	2009-10		2010-11		2011-12	
	आवंटित	व्यय	आवंटित	व्यय	आवंटित	व्यय
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)	1.18	1.18	1.81	1.12	0.94	0.67
सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)	3.00	3.00	4.53	4.83	3.72	3.72
साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)	16.20	20.13	30.90	23.82	22.87	24.61
विशेष क्षेत्र	3.39	4.39	6.09	4.53	4.42	4.80
उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	0.77	1.06	2.03	1.00	0.85	0.94
कुल	24.47	29.76	45.36	35.30	32.80	34.74

पूर्वोत्तर क्षेत्र

(करोड़ रु.)

स्कीम	2009-10		2010-11		2011-12	
	आवंटित	व्यय	आवंटित	व्यय	आवंटित	व्यय
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)	0.21	0.23	0.28	0.14	0.15	0.13
सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)	0.40	0.30	1.10	0.30	0.56	0.50
साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)	3.20	3.40	4.79	3.80	3.67	4.10
विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)	4.40	4.96	6.50	5.89	5.50	6.73
उत्कृष्टता केंद्र (सीओई	0.29	0.29	0.54	0.34	0.30	0.37
कुल	8.50	9.18	13.21	10.47	10.18	11.83

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए साई स्कीम प्रशिक्षुओं की उपलब्धियां

राष्ट्रीय स्तर

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2009-10			2010-11			2011-12		
		जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कूल	10	10	19	46	36	23	22	13	10
2.	सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)	60	32	24	98	83	72	69	51	52
3.	साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)	131	121	139	357	175	235	641	544	599
4.	विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)	69	67	51	303	205	207	202	137	136
5.	एसटीसी/एसएजी के विस्तार केन्द्र	0	0	02	27	01	12	14	19	15
6.	उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)	74	56	43	38	19	24	26	15	17
	कुल	344	286	278	869	519	573	974	779	829

अंतर्राष्ट्रीय स्तर

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2009-10			2010-11			2011-12		
		जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कूल	0	01	0	0	0	0	04	0	0
2.	सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)	09	03	03	14	10	4	11	17	07
3.	साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)	05	13	06	53	21	43	29	30	38
4.	विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)	04	04	07	17	11	21	10	21	08
5.	एसटीसी/एसएजी के विस्तार केन्द्र	0	0	0	0	0	02	0	0	0
6.	उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	22	09	17	11	07	19	03	04	01
	कुल	40	30	33	95	49	89	57	72	54

लंदन ओलंपिक पर व्यय

4086. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलंपिक संघ ने लंदन ओलंपिक के दौरान टिकटों, दैनिक भत्तों और आवास आदि पर करोड़ों रुपये खर्च किए;

(ख) यदि हां, तो शीर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार खर्च की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कार्यकलापों पर खर्च की गई ऐसी राशि को वसूल करने का है जो मानदंडों के अनुसार खर्च नहीं की जा सकती; और

(च) यदि नहीं, तो निर्धारित सीमा से अधिक खर्च की गई राशि को वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और जवाबदेह पदाधिकारियों/खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (च) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) एक स्वायत्त संगठन है और यह हाल ही में आयोजित लंदन ओलंपिक्स, 2012 के लिए टिकटों की प्राप्ति, आवास आदि से संबधित मामलों सहित अपने मामलों के संचालन के लिए स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार है। मंत्रालय को केवल यह सुनिश्चित करना है कि मंत्रालय द्वारा आईओए को जारी धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिनके लिए धनराशि मंजूर की गई थी।

लंदन ओलंपिक्स, 2012 के लिए मंत्रालय ने भारतीय दल के लिए हवाई यात्रा, विदेश में चिकित्सा बीमा, आउट ऑफ पॉकेट भत्ता, समारोह की पोशाक, उपस्करों के किराए, अतिरिक्त सामान आदि पर होने वाले व्यय का वहन करने के लिए आईओए को 1.07 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया था। 1.07 करोड़ रु. की अनुमोदित धनराशि में से अनुमोदित अनुदान के 75 प्रतिशत के रूप में 83.19 लाख रु. की पहली किस्त भारतीय ओलंपिक संघ को जारी कर दी गई है। लंदन ओलंपिक्स, 2012 के लिए जारी निधियों का निपटान आईओए द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के सम्परीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र की संवीक्षा तथा आईओए को जारी अनुदान से संबंधित शर्तों औरा निबंधन के आधार पर किया जाएगा।

कोयला मूल्य निर्धारण प्रणाली

4087. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को 137 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता वृद्धि वाले 57 प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएल ने 15 प्रतिशत ऐसे कोयले के मूल्य निर्धारण के लिए एक प्रणाली ईजाद की है जिसका मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए आयात किया जाना है और उपभोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सीआईएल से क्या सूचना प्राप्त हुई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय 241.03 मि.ट. प्रति वर्ष की वृद्धिक क्षमता वाले 67 प्रस्ताव पर्यावरणीय स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) बोर्ड ने 31.08.2012 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि सीआईएल अपने स्वदेशी उत्पादन से वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) के 65% की पूर्ति करेगी और एसीक्यू का शेष 15% लागत जमा मूल्य पर आयात से पूरा करने का प्रयास करेगी। तद्नुसार, सीआईएल ने इस मामले को सभी विद्युत कंपनियों के साथ उठाया था।

विवरण

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना	प्रकार	वृद्धिक क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्थान
1	2	3	4	5
1.	बीसीसीएल क्लस्टर 1	ओसी + यूजी	1.17	झारखंड
2.	बीसीसीएल क्लस्टर 10	ओसी + यूजी	2.29	झारखंड
3.	बीसीसीएल क्लस्टर 13	ओसी + यूजी	0.23	झारखंड
4.	बीसीसीएल क्लस्टर 14	यूजी	0.53	झारखंड
5.	बीसीसीएल क्लस्टर 16	ओसी + यूजी	1.96	झारखंड
6.	बीसीसीएल क्लस्टर 2	ओसी + यूजी	20.22	झारखंड
7.	बीसीसीएल क्लस्टर 3	ओसी + यूजी	3.60	झारखंड

1	2	3	4	5
8.	बीसीसीएल क्लस्टर 4	ओसी + यूजी	3.71	झारखंड
9.	बीसीसीएल क्लस्टर 5	ओसी + यूजी	6.31	झारखंड
10.	बीसीसीएल क्लस्टर 7	ओसी + यूजी	8.23	झारखंड
11.	बीसीसीएल क्लस्टर 8	ओसी + यूजी	6.38	झारखंड
12.	बीसीसीएल क्लस्टर 9	ओसी + यूजी	11.76	झारखंड
13.	लाईयो	यूजी	0.38	झारखंड
14.	राय-बचरा	यूजी	0.30	झारखंड
15.	बसुंधरा (डब्ल्यू) विस्तार	ओसी	5.60	ओडिशा
16.	बेलपाहर विस्तार	ओसी	1.50	ओडिशा
17.	भुवनेश्वरी ओसीपी	ओसी	10.00	ओडिशा
18.	एचबीआई (अग.)	यूजी	0.95	ओडिशा
19.	लजकुरा विस्तार फेस-I	ओसी	2.00	ओडिशा
20.	ओरिन्ट संख्या 3	यूजी	0.69	ओडिशा
21.	ओरिन्ट माईन संख्या 1 एवं 3	यूजी	0.87	ओडिशा
22.	ओरिन्ट माईन संख्या 4	यूजी	0.50	ओडिशा
23.	समलेश्वरी विस्तार-III	ओसी	6.00	ओडिशा
24.	लेखापानी	ओसी	0.25	असम
25.	तिकाक (ईस्ट) विस्तार	ओसी	0.20	असम
26.	दिपका विस्तार (33.75)	ओसी	8.75	छत्तीसगढ़
27.	धूपताला (सास्ती यूजी-ओसी)	ओसी	1.70	महाराष्ट्र
28.	इन्दर यूजी टू ओसी	ओसी	0.60	महाराष्ट्र
29.	जमुनिया* (सीएसए)	यूजी	0.83	मध्य प्रदेश
30.	पेनगंगा	ओसी	4.50	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
31.	उकनी दीप	ओसी	1.30	महाराष्ट्र
32.	हर्रादोल* (सीएसए)	यूजी	0.14	महाराष्ट्र
33.	कथारा ओसी	ओसी	1.90	झारखंड
34.	अंनता विस्तार (15 मि.ट. प्रतिवष) फेस-III	ओसी	8.00	ओडिशा
35.	गोपाल प्रसाद	ओसी	15.00	ओडिशा
36.	हिंगुला विस्तार (15 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	3.00	ओडिशा
37.	लाखनपुर विस्तार (15 मि.ट. प्रतिवष) फेस-II	ओसी	5.00	ओडिशा
38.	तालाबीरा-II और III, एमएनएच शक्ति लि.	ओसी	20.00	ओडिशा
39.	मानिकपुर	ओसी	1.50	छत्तीसगढ़
40.	भाकरा* (सीएसए)	यूजी	0.27	मध्य प्रदेश
41.	चिनचोली* (सीएसए)	ओसी	0.45	महाराष्ट्र
42.	जुनाकुंडा ओसी विस्तार	ओसी	0.60	महाराष्ट्र
43.	तावा-III	यूजी	0.60	मध्य प्रदेश
44.	तावा-II	यूजी	0.35	मध्य प्रदेश
45.	कोरिया ओसीपी पैच	ओसी	0.36	छत्तीसगढ़
46.	बीसीसीएल क्लस्टर 11	ओसी+यूजी	3.46	झारखंड
47.	बीसीसीएल क्लस्टर 15	यूजी	0.42	झारखंड
48.	बीसीसीएल क्लस्टर 17	ओसी+यूजी	0.05	झारखंड
49.	बीसीसीएल क्लस्टर 6	यूजी	7.63	झारखंड
50.	अशोक विस्तार (10 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	10.00	झारखंड
51.	बरका सायल जीओएम	काम्ब	1.17	झारखंड

1	2	3	4	5
52.	उरीमरी	यूजी	0.36	झारखंड
53.	ईसीएल क्लस्टर 9	काम्ब	8.00	झारखंड
54.	बिजारी ओसी	ओसी	2.25	छत्तीसगढ़
55.	चिरीमिरी	ओसी	2.70	छत्तीसगढ़
56.	जुनाद विस्तार	ओसी	0.90	छत्तीसगढ़
57.	कम्पटी दीप	ओसी	0.50	महाराष्ट्र
58.	बीसीसीएल क्लस्टर 12	यूजी	3.12	झारखंड
59.	डीआरडी	ओसी	4.60	झारखंड
60.	काजू एसडीएल	यूजी	1.50	झारखंड
61.	ईसीएल क्लस्टर 4	काम्ब	8.21	पश्चिम बंगाल
62.	बलराम विस्तार	ओसी	12.00	ओडिशा
63.	झाडू नार्थ*	यूजी	0.36	मध्य प्रदेश
64.	नई सेथिआ	ओसी	0.50	मध्य प्रदेश
65.	पदमपुर	ओसी	1.25	महाराष्ट्र
66.	वीसापुर	ओसी	1.00	महाराष्ट्र
67.	वनोजा ओसी	ओसी	0.58	महाराष्ट्र
	कुल		241.03	

कृषि उपस्कर

4088. **श्रीमती मेनका गांधी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उपस्कर की मांग में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछेक प्रमुख विदेशी कंपनियां देश में कृषि उपस्कर के विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि मजदूरों की कमी, खेती की मैन्यूअल पद्धतियों की बढ़ती लागत, जलवायुवीय विविधता के कारण कृषि कार्य शीघ्र तथा समय पर करने की आवश्यकता आदि देश में कृषि उपस्करों की मांग में बढ़ोत्तरी के लिए योगदान कर रही है।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा तैयार

की गई सूना के अनुसार अप्रैल, 2010 से सितम्बर, 2012 तक के वर्ष-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के इक्विटी प्रवाह के आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

अप्रैल, 2010 से सितम्बर, 2012 तक वित्तीय वर्ष-वार एफडीआई इक्विटी प्रवाह क्षेत्र : कृषि मशीनरी

क्र. सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	एफडीआई (करोड़ रु.)	एफडीआई (मिलियन डॉलर)
1.	2010-11	2.21	0.49
2.	2011-12	12.72	2.77
3.	2012-13 (अप्रैल-सितम्बर)	12.69	2.29
	सकल योग	27.62	5.54

चावल का उत्पादन

4089. श्री नवीन जिन्दल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश में चावल के कुल उत्पादन और निर्यात का बासमती-वार/गैर-बासमती-वार ब्यौरा क्या हे और भारत का वैश्विक चावल व्यापार में कितना प्रतिशत हिस्सा है;

(ग) क्या हाल ही में विश्व स्तर पर चावल उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और कुछेक परम्परागत चावल आयातक देशों में भी चावल के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उत्पादन में इस वृद्धि से चावल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आ सकती है और इससे बासमती चावल उत्पादक किसानों सहित स्वाभाविक कीमतों की तुलना में कम कीमत पाने वाले चावल उत्पादक किसानों को खतरा हो सकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों के उतार- चढ़ाव से बासमती चावल उत्पापदकों के जोखिम को कम करने के लिए, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित आंकड़ा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

मात्रा मिलियन मीट्रिक अन

वितरण	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन विश्व	441	448	463
उत्पादन भारत	89.09	95.99	104.32
विश्व चावल उत्पादन में भारत का % हिस्सा	20.20	21.43	22.53
व्यापार विश्व चावल	31	36	38
भारत से निर्यात-बासमती	2.02	2.37	3.18
भारत से निर्यात-गैर बासमती	0.14	0.10	4.0
भारत से निर्यात-कुल चावल	2.16	2.47	7.18
विश्व चावल व्यापार में भारत का % हिस्सा	6.97	6.86	18.89

(*स्रोत:* विश्व उत्पादन और विश्व व्यापार-अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद्, भारत का उत्पादन-कृषि एवं सहकारिता विभाग; भारत का व्यापार-वाणिज्य विभाग)

(ग) वर्ष 2012-13 में विश्व चावल उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद् के पूर्वानुमान के अनुसार 2011-12 में 463 मिलियन मीट्रिक टन तथा 2010-11 में 488 मीट्रिक टन की तुलना में 464 मिलियन मिट्रिक टन है। वर्ष 2008, 2009, और 2010 में (एफएओ डाटा के अनुसार) प्रमुख आयातक देशों में चावल का देशवार उत्पादन संलग्न विवरण में

दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि अनेक देशों में उत्पादन बढ़ा है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2009-12 के दौरान चावल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। एफएओ डाटा के अनुसार चावल (सफेद टूटा चावल, थाई ए 1 सुपर एफओबी बैंकॉक) का औसत वार्षिक मूल्य 2009 में 328.10 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2012 में 540.30 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन हो गया है। चावल के मूल्यों में पर्याप्त तरलता हाल के वर्षों में नहीं देखी गई है।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान प्रमुख आयातक देशों में धान का उत्पादन

(मीट्रिक टन)

क्र. सं.	देश	2008	2009	2010	2008 से 2010 % में बढ़ोत्तरी
1.	बांग्लादेश	46742000	47724000	50061200	7.1
2.	बेनिन	109371	150604	167000	52.7
3.	चीन	193284180	196681170	197212010	2.0
4.	कोट डि-वाइरे	679969	687721	722609	6.3
5.	हैती	110000	128300	124600	13.3
6.	इन्डोनेशिया	60251100	64398900	66469400	10.3
7.	ईरान (इस्लामिक गणतंत्र	2183960	2253420	2288150	4.8
8.	इराक	248157	173074	155829	-37.2
9.	जापान	11028800	10590000	10600000	-3.9
10.	मलेशिया	2353000	2511000	2548000	8.3
11.	मेक्सिको	224371	263028	216676	-3.4
12.	नाईजीरिया	4179000	3402590	3218760	-23.0
13.	फिलीपीन्स	16815500	16266400	15771700	-6.2
14.	सऊदी अरब	0	0	0	0.0
15.	सेनेगल	408219	502104	604043	48.0
16.	दक्षिण अफ्रीका	3000	2848	2900	-3.3
17.	संयुक्त राज्य अमेरिका	9241170	9972230	11027000	19.3
	विश्व कुल उत्पादन	689028941	684595076	696324395	1.1

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदा के लिए **विशेष पैकेज**

4090. श्री पूर्णमासी राम :
कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008 की कोसी बाढ़ त्रासदी को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और बिहार राज्य को एक विशेष पैकेज आबंटित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राहत और बचाव कार्यों में नावों के उपयोग सहित बिहार राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोसी नदी में बाढ़ के लिए एक स्थायी समाधान हेतु केंद्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आपदा राहत कोष, अब अधिसूचित राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष, अब अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष की योजनाओं में किसी आपदा को एक "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के उद्देश्य से संभार-तंत्र और वित्तीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित राज्य सरकार को सहायता मुहैया कराई जाती है।

बिहार राज्य के लिए कोई विशेष पैकेज आबंटित नहीं था। तथापि तत्काल राहत हेतु भारत सरकार ने मौजूदा आपदा के लिए राज्य के सीआरएफ खाते में उपलब्ध 75% शेष राशि के समायोजन के अध्यधीन एनसीसीएफ से 497.35 करोड़ रु. की धनराशि अनुमोदित की थी। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति द्वारा, सीआरएफ मानदंडों में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय के लिए तत्काल भरण-पोषण के अत्यधिक जरूरतमंद परिवारों और राहत शिविरों के संचालन के लिए मौजूदा मानदंडों की तुलना में अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में 117.21 करोड़ रु. की धनराशि अनुमोदित की गई है। इसके अतिरिक्त संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों ने कोसी बाढ़, 2008 के संदर्भ में अपने संबंधित क्षेत्रों में मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्वास के लिए 2273.15 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

(ग) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए राहत उपाय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) कोसी नदी में बाढ़ के संबंध में स्थायी समाधान हेतु संघ सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

कोसी बाढ़, 2008 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए राहत उपायों का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	मात्रा
1.	राहत शिविरों की संख्या	398
2.	स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	244
3.	पशु चिकित्सा केन्द्रों की संख्या	105
4.	नि:शुल्क राहत (गेहूं और चावल)	817559 क्विंटल
5.	वितरित नगद राशि	23744 लाख रु.
6.	बर्तन	1663 लाख रु.
7.	कपड़े	1663 लाख रु.
8.	सुरक्षित बाहर निकाले गए लोगों की संख्या	9.93 लाख
9.	हवाई मार्ग से खाद्य पैकेटों को गिराना	121892 पैकेट
10.	बने बनाये खाद्य पैकेट	208957 पैकेट
11.	वितरित पालीथीन शीट	342176 पीस
12.	भूमि से गाद हटाने के लिए सहायता	550 लाख रु.
13.	भूमि संरक्षण के लिए सहायता	2326 लाख रु.
14.	कृषि इन्पुट सब्सिडी	4785 लाख रु.
15.	क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता	7783 लाख रु.
16.	तैनाती नौकाओं की संख्या	2329

विवरण-II

कोसी नदी में बाढ़ के लिए स्थायी समाधान हेतु किए गए उपायों को दर्शाने वाला विवरण

1. कोसी तटबंध समापन निर्माण कार्यों पर सलाह देने के लिए बिहार सरकार ने दिनांक 26/08/2008 को श्री एन. सन्याल, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, बिहार सरकार और भूतपूर्व अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में कोसी तटबंध समापन सलाहकार दल का गठन किया था। इस दल ने 31/08/2008 को स्थल का दौरा किया और तटबंध को रोकने और टूटे हुए खंड की बहाली के लिए कुछ उपचारी उपाय सुझाए। इन सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया है और पूर्वी प्रवाह-बांध को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ इसके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय ने नेपाल में कोसी बेराज के पूर्वी प्रवाह-बंध के टूटे हुए खंड के पुनर्निर्माण के लिए बिहार सरकार को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में 115 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया करायी है।

2. इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में बिहार सरकार द्वारा गठित कोसी उच्च स्तरीय समिति ने भी 11-14/10/2008 के दौरान कोसी नदी पर चल रहे बाढ़ नियंत्रण के कार्यों का निरीक्षण किया और वर्ष 2009 के बाढ़ के मौसम के पहले निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिए कुछ सिफारिशें की। कोसी उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत सभी कार्य 30/06/2009 को पूरे कर लिये गये हैं।

3. सप्तकोसी पर नेपाल में एक ऊचांई वाला बांध भारत और नेपाल की संयुक्त जांच के अधीन है। जांच की 100 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

4. कोसी नदी पर तथा कोसी बेराज के आसपास कोसी बेराज, कनाल प्रणाली तथा प्रवाहबांधों और बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सभी अन्य कार्यों का अनुरक्षण बिहार सरकार को सौंपा गया है। भारत सरकार नेपाल के हिस्से वाले कार्यों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 1992 से राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर रही है।

5. बिहार सरकार ने केंद्रीय योजना के अंतर्गत एक राज्य क्षेत्र योजना-बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता (केन्द्र का अंशदान: 254.54 करोड़ रुपए) के साथ 339.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ''कोसी तटबंधों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण'' संबंधी कार्य शुरू किया है।

6. केन्द्रीय जल आयोग का बीरपुर, बलतारा और कुरसेला में कोसी नदी पर जल विज्ञान निरीक्षण स्थलों का एक नेटवर्क है। भारी बाढ़ की स्थिति के दौरान केन्द्रीय जल आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, पटना समुचित उपचारी उपायों के लिए स्थानीय प्रशासन को बाढ़ संबंधी भविष्यवाणियां जारी करता है। बाढ़ के दौरान, बाढ़ की स्थिति के आधार पर प्रत्येक घंटे पर जल स्तर की निगरानी की जाती है और दिन में दो बार भविष्यवाणियां जारी की जाती हैं। केन्द्रीय जल आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने अपना नियंत्रण कक्ष पहले ही स्थापित कर लिया है और यह 15 जून 2009 से क्रियाशील है।

7. बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। इसने बाढ़ के मौसम के दौरान तटबंधों पर गहन चौकसी बरतने के लिए 9 बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य दलों का गठन भी किया है। एक कार्यदल कोसी नदी के लिए गठित है।

8. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शिलाखंड, बालू की बोरियों आदि जैसी अपेक्षित सामग्रियों का प्रर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लें।

9. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के एक अधिकारी को तटबंधों और प्रवाह-बांधों की सुरक्षा की निगरानी के लिए तथा आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण कक्षों को सूचित करने के लिए कोसी तटबंध पर प्रतिनियुक्त किया गया है।

[अनुवाद]

दैनिक मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा और कल्याण योजनाएं

4091. श्री विष्णु पद राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने दैनिक मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा और कल्याण योजनाएं बनाने के लिए वर्ष 2009 और 2011 मे सचिव, पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद् को आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने दिनांक 22.10.2009 के पत्र संख्या 3-132/2008-एलएसपी (पीएफ) के तहत सचिव, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद् को यह संसूचित किया था कि नियमितीकरण संबंधी मामले की जांच की गई है और परिषद् को समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था जिसके द्वारा दो श्रेणियों के वरिष्ठतम दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया जा सकता है बशर्ते है कि वे भर्ती नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करें और यह कि उनकी मूल भर्ती समुचित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की गई हो।

(ग) दिहाड़ी मजदूरों को समय-समय पर अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करके वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित कार्य वालू मजदूरों और सफाई मजदूरों की मृत्यु और सेवानिवृत्ति के पश्चात् रिक्त पदों पर नियमित किया जाता है। तद्नुसार, निम्नलिखित दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया गया है:-

क्र. सं.	वर्ष	सफाई खंड में नियमित किए गए दिहाड़ी मजदूरों की संख्या	निर्माण कार्य और अन्य खंडों में नियमित किए गए दिहाड़ी मजदूरों की संख्या
1	2	3	4
1.	1990	—	145
2.	2000	110	06
3.	2001	50	80
4.	2002	53	123
5.	2003	—	30
6.	2004	66	39
7.	2005	50	129
8.	2011	89	87
9.	2012	37	49
	कुल	455	688

एनएसएस/स्काउट और गाइड्स

4092. श्री वैजयंत पांडा : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्काउट्स और गाइडों से संबंधित/सरकार द्वारा संचालित/सहायता प्राप्त संस्थाओं की कुल संख्या में गिरावट आई हैं;

(ख) यदि हां, तो एनएसएस, स्काउट्स और गाइड्स से संबंधित संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त गिरावट को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बालिका कैडेट प्रशासकों की वेतन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए ओडिशा में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केपीसीएल को स्वीकृति

4093. श्री शिवराम गौडा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केपीसीएल के लिए कोयले हेतु

शीघ्र स्वीकृति और कोयले के आबंटन हेतु कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) येरमारूस (2×500 मेगावाट), एदलापुर (500 मेगावाट), और बेल्लारी इकाई-3 (500 मेगावाट) में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए दीर्घावधि कोयला लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) की मांग करते हुए अक्तूबर, 2007 में कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लि. (केपीसीएल) से आवेदन प्राप्त हुए थे। केपीसीएल ने येरमारुस में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की क्षमता में परिवर्तन करके 2×800 मेगावाट और एदलापुर की क्षमता में परिवर्तन करके 800 मेगावाट करके फरवरी, 2009 में संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया और बेल्लारी इकाई-3 (700 मेगावाट) के लिए भी संशोधित आवेदन अप्रैल, 2010 में प्रस्तुत किया। इन आवेदनों को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की टिप्पणी/सिफारिशों के लिए अग्रेषित किया गया था। केपीसीएल की विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं पर एमओपी की सिफारिशें जून, 2011 में प्राप्त हुई।

(ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने 1,08,878 मेगावाट की क्षमता को शामिल करते हुए विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति के लिए 172 आश्वासन पत्र (एलओए) जारी कर दिये हैं। 11वीं योजनावधि के पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 26,000 मेगावाट की क्षमता आरंभ कर दी गई है और लगभग 82,000 मेगावाट की शेष क्षमता 12वीं योजनावधि और उसके भागे की अवधि के दौरान आरंभ किये जाने की संभावना है। चूंकि विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए 80,000 मेगावाट से अधिक के लिए एलओए पहले ही विद्यमान हैं, इसलिए 12वीं योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रथम दृष्टया नये कोयला लिंकेजों/एलओए प्रदान किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

4094. श्री दारा सिंह चौहान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशभर में उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या मौजूदा सुविधाएं वर्ष में एक बार सभी बिक्री केन्द्रों से खरीफ और रबी फसलों के नमूनों के परीक्षण के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना, सुदृढ़ीकरण तथा केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूटी एंड टीआई) तथा इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के रखरखाव के लिए खर्च की गई राशि के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कई राज्यों में उर्वरकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, नमूनों की पर्याप्त संख्या के परीक्षण के लिए अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की आवश्यकता है।

(घ) उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार राष्ट्रीय मुद्रा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना (एनपीएमएसएच एंड एफ) के अंतर्गत राज्यों का निधियां प्रदान कर रही है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण तथा सीएफक्यूसी एवं टीआई तथा इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के रखरखाव के लिए राज्य-वार खर्च की गई राशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संस्थान	2009.10	2010.11	2011.12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	75.00	0.00	125.00
2.	बिहार	37.50	37.50	0.00
3.	झारखंड	37.50	0.00	0.00

1	2	3	4	5
4.	कर्नाटक	12.60	0.00	0.00
5.	महाराष्ट्र	25.00	0.00	0.00
6.	मिजोरम	12.50	0.00	0.00
7.	पंजाब	25.00	0.00	0.00
8.	राजस्थान	100.00	25.00	0.00
9.	उत्तर प्रदेश	145.00	0.00	0.00
10.	छत्तीसगढ़	0.00	12.50	0.00
11.	गुजरात	0.00	0.00	62.50
12.	हिमाचल प्रदेश	15.22	0.00	0.00
13.	ओडिशा	0.00	37.50	0.00
14.	सीएफक्यूसीएंडटीआई तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं	430.53	392.64	373.69
	कुल	915.85	505.14	561.19

सीएफक्यूसीएण्डटीआई : केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान

[हिन्दी]

शहद का उत्पादन

4095. श्री दत्ता मेघे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में मधुमक्खियों से प्राकृतिक तौर पर कितने टन शहद का उत्पादन किया गया है; और

(ख) उक्त मात्रा में से राज्य-वार कितने प्रतिशत शहद का निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) देश में शहद के उत्पादन तथा निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(i) विगत तीन वर्षों के दौरान शहद का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (मी.टन)
2008-09	65,000
2009-10	65,000
2010-11	65,000

स्रोत: भारतीय बागवानी डाटाबेस-2011

(ii) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान शहद का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मी.टन)
2009-10	13310.77
2010-11	25979.24
2011-12	26089.03
2012-13 (अप्रैल से सितम्बर)	13938.43

स्रोत: डीजीसीआईएस

[अनुवाद]

बाजार अवसंरचना का विकास

4096. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार अवसंरचना के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कितनी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है; और

(घ) शेष प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में कब तक स्वीकृति/अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) जी, हां। राज्यों में केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों यथा (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), (iii) उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और (iv) कृषि विपणन अवसंरचना का विकास, सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण (एएमआईजीएस) के अंतर्गत मंडी अवसंरचना का विकास करने के लिए सहायता दी जाती है। आरकेवीवाई के अंतर्गत राज्यों को विपणन अवसंरचना परियोजनों सहित स्कीमों/ परियोजनाओं के चयन, अनुमोदन और निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की जाती है।

एनएचएम स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों से 145 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 124 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया और 21 प्रस्तावों को कार्यात्मक दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए राज्य सरकारों को लौटा दिया गया था।

एचएमएनईएच स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों से 161 प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे जिनमें से 68 प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया है और 93 को स्वीकृत नहीं किया गया है।

एएमआईजीएस स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड राज्यों से 98 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 21 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है, महाराष्ट्र और गुजरात की 15 परियोजनाओं को अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए नाबार्ड परामर्शी सेवाओं (नाबकोन्स) को भेजा गया था तथा 62 परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं किया गया था। परियोजनाओं की स्वीकृति उनकी गणुवत्ता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

असम में फेरी दुर्घटना

4097. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में इस वर्ष अप्रैल माल में मेडार्टरी फेरी दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दुर्घटना के संबंध में कोई जांच की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल, 2012 को हुई मेडार्टरी फेरी दुर्घटना में कुल 49 (उन्चास) लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 41 (इकतालीस) लाशें मिली और उनकी पहचान की जा सकी। पहचाने गए 41 पीड़ितों के निकट सम्बन्धियों को 3.50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में एकल व्यक्ति जांच समिति गठित की है। इसी बीच असम सरकार द्वारा नावों की ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय निर्दिष्ट किए हैं:—

(i) सभी जिला प्रशासनों को फेरी के संचालनों की निगरानी करने के लिए मेजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी गठित करने का निर्देश दिया गया है।

(ii) उपयोगकर्त्ताओं को सुरक्षित नदीया यात्रा के लिए जागरुक करने के लिए फेरी सेवाओं के प्रमुख स्थानों पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं।

(iii) जन-साधारण को सुरक्षित नदीय यात्रा के लिए जागरुक

करने हेतु ''दैनिक समाचार पत्रों'' में नोटिस प्रकाशित किए गए है।

(iv) गुवाहाटी धुबरी और जोरहार में भारतीय मौसम विभाग के सक्रिय समर्थन से मानसून के दौरान कार्य करने हेतु ''नाऊकास्टिंग'' सूचना प्रणाली शुरू की गई है।

(v) जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से अप्राधिकृत रूप से यंत्रसृज्जित नावों का इस्तेमाल रोकने के लिए इंलैंड वाटर ट्रासपोर्ट विजिलेंस सैल कार्य कर रहा है।

जलियांवाला बाग नरहसंहार के स्वतंत्रता सेनानी

4098. **श्री यशवीर सिंह :**
श्री नीरज शेखर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलियांवाला बाग नरसंहार के उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की संख्या क्या है, जिन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या उक्त घटना के कुछेक स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों कों पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अपने निर्णय की समीक्षा करने और उन स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को पेंशन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अनुसार, पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले तथा योजना की पात्रता संबंधी शर्तों तथा साक्ष्यपरक अपेक्षाओं को पूरा करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय सम्मान पेंशन मंजूर की जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों/केंद्रीय सम्मान पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की मृत्यु के बादउ उनके पति-पत्नी और विधवा/विधुरों की मृत्यु के बाद उनकी अविवाहित तथा बेरोजगार पुत्रियों (ऐसी अधिकतम तीन पुत्रियों तक), स्वतंत्रता सेनानियों के माता तथा पिता को आश्रित परिवार पेंशन मंजूर की जाती है। जलियांवाला बाग नर-संहार के भुक्तभोगी स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों से समर्थित दस्तावेजों तथा राज्य सरकार की सिफारिश वाला कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आयातित खाद्य तेल को छूट

4099. **श्री पशुपति नाथ सिंह :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित खाद्य तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भंडारण मानदंडों/प्रतिबंधों के दायरे से छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) आयातित खाद्य तेलों को, सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी की गई स्टॉक होल्डिंग सीमाओं/केन्द्रीय आदेशों से पहले से ही छुट प्राप्त है।

(ख) स्टॉक होल्डिंग सीमाओं संबंधी दिनांक 30.03.2011 का केन्द्रीय आदेश संख्या का.आ. 654(अ) संलग्न विवरण निम्नानुसार है:—

''यदि कोई थोक व्यापारी अथवा खुदरा व्यापारी अथवा डीलर आयात किए गए दलहन, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के अपने स्टाक का कोई भाग प्रदर्शित करता है तो उन्हें स्टाक सीमाओं के परिकलन के परियोजनार्थ छोड़ दिया जाएगा।''

आयातित खाद्य तेलों के संबंध में इस छूट की वैधता को 30.09.2013 तक बढ़ाया गया है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II-खंड 3-उप-खंड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 539] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/चैत्र 9, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2011

का.आ. 654(अ)- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन), आदेश 2011 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुपालन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में, खंड 6 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"7(1) इस आदेश के उपबंध, खंड 5 और 6 के सिवाय,

(i) 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए दालों, धान और चावल को;

(ii) 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए खाद्य तेल और खाद्य तिलहन को; और

(iii) 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए चीनी को, इन वस्तुओं के क्रय, संचालन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण को लागू नहीं होंगे:

परन्तु इस खंड की कोई बात, इन वस्तुओं के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को न तो प्रभावित करेगी, न ही इन वस्तुओं के आयात को लागू होगी:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेगी कि वे इन वस्तुओं के स्टाकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा प्रतिधारित स्टाकों की घोषणा करें।

(2) इस आदेश के अन्य सभी उपबंध उप-खंड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे।

स्पष्टीकरण : यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसने दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में अपने स्टाकों का भाग आयात से प्राप्त किया है, तो उन्हे स्टाक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।"

3. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010 और का. आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010, उन बातों के सिवाय, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी अथवा जिनके करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत हो गई हैं।

[फा.सं. 10/1/2006-ईसीआर एंड ई]
राकेश कक्कड़, विशेष सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का. नि. संख्यांक 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003; का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006; का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007; का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007; का.आ 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008; का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008; का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का. आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009; का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009; का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का. आ. 906(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009; का.आ. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009; का. आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009; का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010 और का.आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा उसे संशोधित किया गया।

खेल के लिए बजट आबंटन

4100. श्री हरीश चौधरी :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्याप्त बजटीय आबंटन की कमी के कारण खेलों को बढ़ावा देने में कठिनाइयों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने खेल बजट में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 'खेल' चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आता है, खेलों के लिए पर्याप्त बजट आबंटन का प्रावधान करना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। जहां तक केंद्रीय सरकार का संबंध है, समग्र बजटीय आबंटन और विभिन्न सेक्टरों की परस्पर आधारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए खेलों के लिए निधियों का आबंटन किया जाता है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खेलों के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन करने के लिए इस मामले को समय-समय पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ उठाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम हेतु निधियां

4101. श्री अशोक तंवर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में एनएफडीसी ने विभिन्न भाषाओं में फिल्मों के निर्माण हेतु भाषा-वार कितनी फिल्में वित्तपोषित कीं; और

(ग) सरकार/एनएफडीसी द्वारा देश में फिल्मों को बढ़ावा देने/उनके विकास हेतु अभी तक उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएफडीसी के जरिए 'विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण नामक अपनी योजना स्कीम को कार्यान्वित किया है और तद्नुसार विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 15 फिल्मों तथा हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में 3 फिल्मों का निर्माण करने हेतु 36.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान एनएफडीसी के पुनरुद्धार हेतु निम्नलिखित उपायों को अनुमोदित किया:—

(1) 3.00 करोड़ रुपए की नई इक्विटी का समावेशन।

(2) 8.63 करोड़ रुपए से संचित ब्याज के साथ 19.77 करोड़ रुपए के बकाया सरकारी ऋण का इक्विटी में परिवर्तन।

वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य सचिवालय की XII योजना स्कीम 'फिल्मी विषय-वस्तु का विकास, संचार और प्रसार' के घटक 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण' के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण हेतु 17.00 करोड़ रुपए के आबंटन में से एनएफडीसी को 13.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान एनएफडीसी द्वारा प्राप्त की गई निधि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	विभिन्न क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए प्राप्त की गई निधि (करोड़ रुपए)	एनएफडीसी फिल्मों के पुन:स्थापन और डिजिटलीकरण के लिए प्राप्त की गई निधि (करोड़ रुपए)
2009-10	7.84	शून्य
2010-11	9.99	5.00
2011-12	11.67	5.00
2012-13	13.60	—

(ख) एनएफडीसी ने 2006-07 से फिल्मों का वित्तपोषण करना बंद कर दिया है।

(ग) राष्ट्रीय आर्थिक नीति और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अनुसार फिल्म उद्योग के समन्वित और सक्षम विकास की योजना, उसके प्रोन्नयन और आयोजन हेतु एनएफडीसी के अधिदेश के अनुसार एनएफडीसी ने देश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ का निष्पादन सूचना और प्रसारण मंत्रालय/एनएफडीसी द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित है:—

(i) विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण;

(ii) भारत के भीतर और विदेशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों का प्रचार;

(iii) पुन:स्थापन, डिजिटलीकरण; और

(iv) प्रशिक्षण और विकास।

[हिन्दी]

पुलिस प्रशिक्षण अकादमी

4102. **श्री भूपेन्द्र सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत पुलिस प्रशिक्षण कालेजों/अकादमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने उक्त कालेजों/अकादमियों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 284 पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय/अकादमियां हैं। इनका राज्य-वार और संगठन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों तथा महाविद्यालयों की कार्यप्रणाली की निगरानी राज्य पुलिस मुख्यालय के संबंधित प्रशिक्षण निदेशालयों द्वारा की जाती है जिनके अध्यक्ष सहायक महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने नए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए मानक तैयार किए हैं। 25 राज्यों में प्रशिक्षण अवसंरचना में सुधार लाने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा 2266 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

विवरण

राज्य और संघटन-वार पुलिस प्रशिक्षण एकादमियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ सीएपीएफ/सीपीओ	संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	41
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	1
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	4
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	2
10.	झारखंड	4
11.	जम्मू और कश्मीर	7
12.	कर्नाटक	6
13.	केरल	2
14.	मध्य प्रदेश	13
15.	महाराष्ट्र	12
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	4
18.	मिजोरम	1

1	2	3
19.	नागालैंड	2
20.	ओडिशा	6
21.	पंजाब	6
22.	पुदुचेरी	1
23.	राजस्थान	9
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	17
26.	त्रिपुरा	4
27.	उत्तर प्रदेश	40
28.	उत्तराखंड	2
29.	पश्चिम बंगाल	1
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
31.	चंडीगढ़	1
32.	दिल्ली	6
33.	कोलकाता	1
34.	असम राइफल	1
35.	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)	18
36.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)	3
37.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)	1
38.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	7
39.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)	11
40.	पुलिस समन्वय एवं बेतार महानिदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)	1
41.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)	7
42.	लोकनायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेएन) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस)	1
43.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)	1
44.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	1
45.	पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनईपीए)	1
46.	रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ)	9
47.	सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)	6
48.	एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए)	1
	कुल	284

[अनुवाद]

कोयले से तेल निकालना

4103. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का कोयला से तेल निकालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु प्रयोग में लायी गई तकनीकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी कंपनियों ने भी कोयला से तेल निकालने के लिए विदेशी कंपनियों के सहयोग से परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयले से निकाला गया तेल देश में कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतही) तथा कोयला तरलीकरण के माध्यम से प्राप्त सिन-गैस के उत्पादन को 12.07.2007 को कोयला खान के लिए एक अंत्य उपयोग के रूप में अधिसूचित किया गया था। तद्नुसार, कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतही) तथा कोयला तरलीकरण के माध्यम से प्राप्त सिन-गैस के उत्पादन में लगी हुई कंपनी भारत मे केवल केप्टिव खपत के लिए कोयला खनन कर सकती है। कोयला मंत्रालय ने मै. स्टेटेजिक एनर्जी टैक्नोलॉजी सिस्टम (एसईजीएसएल) तथा मै. जिन्दल स्टील एंड पॉवर लि. को कोयला से तरल (सीटीएल) परियोजनाओं के लिए लगभग 1500-1500 मिलियन टन के अनुमानित भू-गर्भीय भंडार के साथ क्रमश: ओडिशा में तालचेर में नार्थ ऑफ अरखापल श्रीरामपुर कोयला ब्लॉक तथा ओडिशा राज्य में रामचंदी संवर्धनात्मक ब्लॉक आबंटित किया है।

आबंटिती कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार जर्मनी की लुरगी अपनी भारतीय सहायक कंपनी अर्थात् लुरगी इंडिया कंपनी लि. के माध्यम से मै. जिंदल स्टील एंड पॉवर लि. को सीटीएल प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है तथा साउथ अफ्रीका का सासोल ग्रुप मैं. एसईटीएसएल को सहायता कर रहा है।

(ङ) आबंटन की शर्तों के अनुसार, पूर्वेक्षण/अंवेषण तथा भू-गर्भीय रिपोर्ट (जीआर) की तैयारी आबंटन की तिथि से 27 महीने के भीतर पूरी की जानी है। केप्टिव कोयला ब्लॉक से उत्पादन भू-गर्भीय रिपोर्ट के तैयार होने की तिथि से ओपन कास्ट खानों के मामले में 36 महीने के भीतर (यदि क्षेत्र वन भूमि में पड़ता हो तो 42 महीने) तथा भूमिगत खान के मामले में 48 महीने (यदि क्षेत्र वन भूमि में पड़ता हो तो 54 महीने) शुरू होगा।

[हिन्दी]

चावल और गेहूं की अधिप्राप्ति

4104. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा विभिन्न राज्यों से वर्तमान वर्ष के प्रथम सात माह के दौरान खरीदे गए गेहूं और चावल और खरीदे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का शेष खाद्यान्न की खरीद के लिए राज्यों को अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) गेहूं और चावल की खरीद संबंधित विपणन मौसम अर्थात् रबी विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च) और खरीफ विपणन मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान की जाती है। चालू खरीद विपणन मौसम में दिनांक 01 अक्तूबर से 14 दिसम्बर, 2012 तक खरीदे गए चावल की राज्यवार मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। रबी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान खरीदे गए गेहूं की राज्यवार मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चूंकि खाद्यान्नों की खरीद खुली खरीद है इसलिए खरीदी जाने वाली मात्रा की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। तथापि प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने के पूर्व संबंधित राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा कुल खरीद का अनुमान लगाया जाता है। इन अनुमानों के अनुसार रबी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान 318 लाख टन गेहूं की खरीद करने का अनुमान था, जबकि 381.48 लाख टन गेहूं की खरीद की गयी है। खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के दौरान 401.31 लाख टन चावल की अनुमानित खरीद की तुलना में दिनांक 14.12.2012 तक 138.62 लाख टन चावल की खरीद की गयी है।

(ख) और (ग) चूंकि चालू खरीफ विपणन मौसम सितम्बर, 2013 तक जारी रहेगा इसलिए धान की खरीद करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त समय देने का अभी प्रश्न नहीं उठता है। गेहूं की खरीद रबी विपणन मौसम के प्रथम चार महीनों में की जाती है इसलिए समय बढ़ाने का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के लिए
चावल राज्यवार खरीद

(लाख टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मात्रा
1	2
आंध्र प्रदेश	8.2
चंडीगढ़	0.12
छत्तीसगढ़	12.99

1	2
हरियाणा	25.66
जम्मू और कश्मीर	0.02
मध्य प्रदेश	1.88
महाराष्ट्र	0.14
पंजाब	85.23
तमिलनाडु	0.01
उत्तर प्रदेश	3.33
उत्तराखंड	0.97
पश्चिम बंगाल	0.07
अखिल भारत जोड़	138.62*

*दिनांक 14.12.2012 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए गेहूं की राज्यवार खरीद

(लाख टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मात्रा
1	2
बिहार	7.72
चंडीगढ़	0.17
दिल्ली	0.31
गुजरात	1.56
हरियाणा	86.65
हिमाचल प्रदेश	0.01
जम्मू और कश्मीर	0.09
मध्य प्रदेश	84.93
महाराष्ट्र	0.02
पंजाब	128.34
राजस्थान	19.64
उत्तर प्रदेश	50.63
उत्तराखंड	1.39
पश्चिम बंगाल	0.02
अखिल भारत जोड़	381.48

सीएपीएफ की तैनाती के लिए अनुरोध

4105. डॉ. भोला सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने यहां और अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती का अनुरोध हाल ही में प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) अपने संबंधित राज्यों में कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों तथा उग्रवाद रोधी ड्यूटियों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती के लिए राज्य सरकारों की मांग एक गत्यात्मक और सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, कानून और व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों के अनुरोधों के आधार पर, राज्य सरकारों की विशिष्ट अपेक्षाओं/आवश्यकताओं, स्थिति की गंभीरता, सुरक्षा संबंधी समय परिदृश्य तथा सीएपीएफ की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों

में सीएपीएफ की तैनाती की जाती है। सीएपीएफ की तैनाती के स्तर को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सार्वजनिक नहीं किया जाता है।

(ग) मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, राज्यों में तैनात सीएपीएफ के लिए आवास तथा अन्य संभारतंत्रीय व्यवस्था सहित आवश्यक अवसंरचना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सीएपीएफ कार्मिकों तथा उनके परिवार को आवास, चिकित्सा देखभाल, बच्चों को छात्रवृत्ति, परिवहन, छात्रावास, मनोरंजन/कल्याण, कैन्टीन और अन्य भत्तों के संबंध में निर्धारित मानकों तथा बल कार्मिकों की पात्रता के अनुसार और उनकी तैनाती के क्षेत्र तथा प्रत्येक सीएपीएफ की ड्यूटियों की प्रकृति के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

एफपीआई में अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमी

4106. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, शीतागारों, फूड पार्क इत्यादि की स्थापना हेतु सरकार की कोई योजना है जिससे इन वर्गों का उत्थान हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई योजना स्कीमों का लक्ष्य देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। ये स्कीमें परियोजनान्मुखी हैं और राज्य अथवा क्षेत्र या समुदाय विशिष्ट नहीं। इन स्कीमों के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के लिए कोई अलग उपबंध निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। तथापि, इन स्कीमों में आईटीडीपी क्षेत्रों सहित दुर्गम क्षेत्रों के लिए अभिवृद्धि सहायता स्तर की परिकल्पना की गइ है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु, स्कीम के दिशा-निर्देशों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए इन समुदायों के आवेदकों को वरीयता देने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सेमीनार, संगोष्ठियों आदि आयोजित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। स्कीम के दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की निश्चित प्रतिशतता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से होनी चाहिए।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादों की चोरी

4107. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) संयंत्रों में बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादों की चोरी से संबंधित कुछ मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पकड़े गए व्यक्तियों/कर्मचारियों की संख्या और उनके विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) संयंत्र में बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादों की चोरी से संबंधित कोई घंटना प्रकाश में नहीं आई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता है।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना में चोरी रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली मौजूद है।

[अनुवाद]

खाद्य तेल

4108. श्री एल. राजगोपाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान दिशा-निर्देश खाना बनाने वाले तेल का उत्पादन करने वाली घरेलू कम्पनियों को खाद्य तेल के उत्पादन में प्रयुक्त केवल 70 प्रतिशत तत्वों को ही प्रकट करने का अधिदेश देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य तेल का उत्पादन करने वाली घरेलू कम्पनियां नियमों की इस खामी का लाभ उठाते हुए बीटी कॉटन सीड से निकाले गए तेल की 30 प्रतिशत तक मिलावट कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीटी कॉटन सीड से निकाले गए तेल के खाद्य तेल में मिलावट हेतु उपयोग से किसी विपरीत प्रभाव की जानकारी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार ने घरेलू रसोई तेल कंपनियों को ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं कि रसोई तेल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले केवल 70% घटकों को ही उजागर करें।

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ''पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक सूक्ष्म जीवों/अनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों अथवा कोशिकाओं का निर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण नियमावली, 1989'' के अधीन अधिसूचित अनुवांशिक इंजीनियरी मूल्यांकन समिति, जो शीर्षस्थ समिति है, को बीटी बिनौला तेल मिश्रित रसोई तेल के उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में हिंसा प्रभावित लोगों के लिए सहायता

4109. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम राज्य में हाल में हिंसा से प्रभावित लोगों के घरों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार घर के निर्माण के लिए सहायता की धनराशि में वृद्धि करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास अनुदान उन परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे है जिनके मकान पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुनर्वास अनुदान में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये की नकद सहायता, जीसीआई शीट के तीन (3) बंडल, प्रत्येक परिवार को कपड़े-लत्ते तथा बर्तनों के लिए 2,700 रुपए शामिल हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों वाले प्रत्येक परिवार को भी 20,000 रुपये की नगद सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 30,000 रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 20,000 रुपये की नगद सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। अभिचिन्हित प्रभावित परिवारों के लिए आईएआई मकानों के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

एनपीवाईएडी का कार्यान्वियन

4110. श्री एंटो एंटोनी :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में कार्यान्वित राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आबंटित/जारी/खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो पहचान की गई खामियों के साथ-साथ उन के संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या धनराशि के उपयोग में कोई असमानता पाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईडी) नामक स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(i) **इस स्कीम में पांच कार्यक्रमों नामतः** युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन, किशोरों का विकास और सशक्तिकरण और तकनीकी तथा संसाधन विकास के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है। उपर्युक्त कार्यक्रमों में से युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास तथा तकनीकी और संसाधन विकास का कार्यान्वयन विशेष रूप से क्रमशः नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) के माध्यम से किया जाता है।

(ii) संशोधित स्कीम के अनुसार युवा विकास के क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय गैर-सरकारी संगठनों/अन्य स्वयंसेवी संगठनों, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठनों और राज्य सरकार के संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) इस स्कीम में लाभार्थी 13-35 वर्ष की आयु वर्ग के युवा तथा 10-19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर हैं।

(iv) इस कार्यक्रम के अनुमोदनोपरान्त संबंधित संगठनों को अनुमोदित धनराशि का 50 प्रतिशत तक सहायता अनुदान पहली किस्त के रूप में जारी किया जाता है। राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकार और सरकार के अधीन स्वायत्त संगठनों के मामले में अनुमोदित धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि पहली किस्त के रूप में जारी की जाती है। शेष अनुदान कार्यक्रम के समापन तथा उपयोग प्रमाण-पत्र एवं अन्य संबद्ध दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर जारी किया जाता है।

(v) स्कीम में कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यकलापों के लिए लागत मानक निर्धारित किए जाते हैं।

(vi) स्कीम के दिशा-निर्देशों में लागत मानकों सहित किसी प्रावधान में संशोधन/छूट की कार्रवाई मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विभागक के सचिव के अनुमोदन से की जाती है।

(vii) इस स्कीम के अंतर्गत युवाओं द्वारा समुदाय विकास और साहस के कार्यकलापों में किए गए व्यक्तिगत प्रयासों को भी मान्यता प्रदान की गई है और उनके संबंधित क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने के लिए वैयक्तिक रूप से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार तथा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत के राज्यों में से एक राज्य, जो इच्छुक और मेजबानी की तैयारियों से सुसज्जित हो, में स्वामी विवेकानंद की जन्म वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा उत्सव का भी आयोजन किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निधियों को जारी करने का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस स्कीम की समय-समय पर समीक्षा की गई है और इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें तद्नुसार संशोधन किए गए हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां अब केवल इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण के माध्यम से की जाती हैं ताकि निधिपोषण प्रक्रिया को त्वरित और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष से स्कीम के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने वाले सभी संगठनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे योजना आयोग द्वारा विकसित पार्टनरशिप सिस्टम, सॉफ्टवेयर पर अपना ऑन लाइन पंजीकरण कराएं।

(ङ) स्कीम के अंतर्गत निधियों के उपयोग में कोई विसंगति देखने में नहीं आई है।

विवरण

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) स्कीम के अधीन पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 के दौरान आज तक जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

(राशि रु.)

राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आज तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	43,875/-	5,31,313/-	3,35,500/-	—
बिहार	1,87,726/-	1,76,900/-	—	—
छत्तीसगढ़	1,56,500/-	—	—	—
दिल्ली*	12,31,86,002/-	17,69,50ण506/-	13,96,00087/-	5,31,81,560/-
गुजरात	17,93,275/-	7,57,900/-	—	—
हरियाणा	28ण79,661/-	5,70,347/-	—	—
हिमाचल प्रदेश	12,13,000/-	7,50,000/-	4,87,500/-	4,87,500/-
जम्मू और कश्मीर	32,12,500/-	75,99,768/-	90,54,384/-	98,16,000/-
झारखंड	1,21,875/-	—	—	—
केरल	47,400/-	22,809/-	86,500/-	—
कर्नाटक	18,32,218/-	2,50,000/-	2,88,08,801/-	23,69,431/-
मध्य प्रदेश	2,41,875/-	97,819/-	—	—
महाराष्ट्र	6,79,125/-	36,162/-	1,28,000/-	3,86,498/-
ओडिशा	3,24,58,469/-	59,65,860/-	—	—
पंजाब	4,20,825/-	26,813/-	—	—
राजस्थान	88,41,787/-	3,46,38,862/-	51,04,215/-	21,33,472/-
तमिलनाडु	66,35,001/-	1,44,368/-	96,93,263/-	33,80,300/-

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	11,30,476/-	13,02,956/-	2,14,000/-	—
उत्तराखंड	7,77,813/-	5,80,000/-	5,80,000/-	—
पश्चिम बंगाल	1,68,57,893/-	1,61,57,225/-	1,18,89,399/-	49,70,370/-
चंडीगढ़	6,35,000/-	3,17,500/-	5,00,000/-	5,00,000/-
अरुणाचल प्रदेश	—	—	1,77,187/-	1,00,00,000/-
असम	36,03,887/-	50,34,413/-	1,13,40,000/-	1,73,000/-
मणिपुर	44,41,375/-	10,83,413/-	53,15,500/-	5,00,000/-
मेघालय	23,000/-	95,43,250/-	—	—
मिजोरम	—	—	—	16,00,000/-
नागालैंड	1,55,08,701/-	12,18,813/-	1,17,000/-	—
कुल	22,69,29,259/-	26,37,56,997/-	22,33,67,336/-	8,94,98,131/-

* इस राशि में एनवाईकेएस, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, आईएमएफ, स्पिक मैके, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट इत्यादि जैसे उन अखिल भारतीय संगठनों को आबंटित राशि शामिल है जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं। तथापि, उनके कार्यक्रम और कार्यकलाप देश के सभी भागों में निष्पादित किए जाते हैं।

खरीद प्रणाली

4111. **श्री अजय कुमार :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद प्रणाली के बारे में जागरुकता के अभाव में किसान अपने उत्पाद को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसानों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद प्रणाली के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीफ प्रणाली के बारे में जागरुकता की कमी होने के कारण गेहूं और चावल औने-पौने दामों में बेचने संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) फसल वर्ष के आरंभ होने के काफी पहले न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्यों के प्रचालन संबंधी जागरुकता पैदा करने के लिए पम्पलेट, बैनर, साईन बोर्ड तथा विज्ञापन एवं प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद

4112. **श्री जगदानन्द सिंह :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य खरीद एजेन्सियां बिहार राज्य में पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र स्थापित करने में विफल रही हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के बावजूद राज्य में किसानों से धान नहीं खरीद रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) धान की समुचित खरीद और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार भारतीय खाद्य निगम खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में बिहार में धान की खरीद में भाग नहीं ले रहा है।

बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 8463 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पंचायत स्तर पर धान खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने आवश्यकतानुसार ब्लॉक स्तर पर 570 खरीद केन्द्र खोले हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खरीद केन्द्र खोलने के अतिरिक्त, राज्य भर में किसानों को एकाउन्ट पेई चैक के जरिए मौके पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, धान की खरीद में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए विगत कुछ वर्षों में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है।

2. न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालनों का दायरा सीमांत/लघु किसानों तक बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों/स्व-सहायता समूहों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से कमीशन देने की अनुमति दी गयी है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार की खरीद नीति के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रति वर्ष विवरण पत्रों, साईनबोर्डों और प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

4. खरीद को अधिकतम बनाने और किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए राज्यों को विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नक्सलवादियों के लिए पुनर्वास नीति

4113. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
डॉ. रत्ना डे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नक्सलवादी संगठनों से देश में हिंसा त्यागने के बारे में बातचीत आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नक्सलवादियों के लिए कार्यान्वित की जा रही आत्मसमर्पण सह-पुनर्वास नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की राज्य-वार संख्या क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारें समय-समय पर वामपंथी उग्रवादियों विशेष रूप से, सीपीआई (माओवादी), जो अत्यन्त हिंसक समूह है, से हिंसा त्यागने और उनसे संबंधित किसी भी मुद्दे पर वार्ता करने की अपील करती रही हैं। किन्तु अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। सीपीआई (माओवादी) "जनता की लम्बी लड़ाई" के माध्यम से मौजूदा संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली को ध्वस्त करने में विश्वास रखती है। केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और वामपंथी उग्रवादियों के बीच वार्ताओं का स्वागत करेगी बशर्ते वामपंथी हिंसा त्याग दें और भारतीय शासन के विरूद्ध अपना कथित सशस्त्र संघर्ष छोड़ दें।

(ग) और (घ) वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्यों को अपनी-अपनी आत्म-समर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां हैं।

भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए एक माडल आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तत्काल 1.5 लाख के अनुदान, 3 वर्ष के लिए 2000/- रु. की वृत्तिका, व्यावसायिक प्रशिक्षण और हथियारों के समर्पण के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (10.12.2012 तक) के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (10.12.2012 तक) के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों की राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी			
	2009	2010	2011	2012 (10.12.2012 तक)
आंध्र प्रदेश	89	141	242	296
बिहार	16	13	26	39
छत्तीसगढ़	16	06	20	26
झारखंड	08	23	17	6
मध्य प्रदेश	01	02	0	0
महाराष्ट्र	08	22	15	10
ओडिशा	10	48	49	33
उत्तर प्रदेश	01	01	09	0
पश्चिम बंगाल	0	06	15	21
अन्य	01	04	1	0
कुल	150	266	394	431

ट्रांसमीटरों की स्थापना संबंधी लक्ष्य

4114. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/प्रसार भारती ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अत्यन्त कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (वीएलपीटी), कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एलपीटी), उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एचपीटी) स्थापित करने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और वर्ष-वार इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हैदराबाद सहित देश के विभिन्न भागों में डिजिटल उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन की 10वीं योजना से चल रही स्कीमों के हिस्से के रूप में 11वीं योजना के अंतर्गत 29 नए टीवी ट्रांसमीटर (एचपीटी-9, वीएलपीटी-20) लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 28 टीवी ट्रांसमीटर (एचपीटी-9, वीएलपीटी-19) चालू किए जा चुके हैं। उपरोक्त ट्रांसमीटरों की राज्य और वर्ष-वार अवस्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

शेष बचे ट्रांसमीटर अर्थात वीएलपीटी जोगिन्दर नगर पर कार्रवाई चल रही है, इस परियोजना को 2013 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में रेडियो और टीवी कवरेज मजबूत करने की एक स्कीम, जिसका परिव्यय 100 करोड़ रुपए है, 11वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदित की गई है। इस स्कीम में अन्यों

के साथ-साथ निम्नलिखित स्थानों पर पांच उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना भी शामिल है:—

नाथा टाप

ग्रीन रिज

हिंबोटिंगला

राजौरी (डीडी-1 और डीडी न्यूज)

उपरोक्त ट्रांसमीटरों के लिए स्थान के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार, उपरोक्त ट्रांसमीटर चरणबद्ध ढंग से 2014 के अंत तक स्थापित कर लिए जाने की आशा है। दूरदर्शन के 12वीं पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्ताव को अभी अनुमोदित किया जाना है।

(घ) और (ङ) हैदराबाद में एक सहित 40 डिजिटल उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं को 11वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। इन ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। उपर्युक्त डिजिटल ट्रांसमीटर दो चरणों (चरण-I-19, चरण-II-21) में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। 19 टावरों के लिए ऐन्टेना और केबल की आपूर्ति और संस्थापना आदेश जारी किए जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है। 19 डिजिटल ट्रांसमीटरों की खरीद संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। मौजूदा संकेतों के अनुसार डिजिटल ट्रांसमीटर चरणबद्ध ढंग से 2014 तक संस्थापित किए जाने की आशा है।

विवरण-I

11वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए नए टीवी ट्रांसमीटर

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, डिगलीपुर (डीडी न्यूज)				
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर (डीडी न्यूज)	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मायाबंदर (डीडी न्यूज)	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हटबे (डीडी न्यूज)			
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमतला	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रंगत (डीडी न्यूज)	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, चौरा			
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हरीनगर	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कैम्बेल से (डीडी न्यूज)				
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, आर.के. पुरम	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मानकॉवरी (डीडी न्यूज)				

1	2	3	4	5	6	7
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, लोंग आइलैंड	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, टेरेसा				
		अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नील आइलैंड				
आंध्र प्रदेश						उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, महबूबनगर
असम	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कोकराझार					
बिहार	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, सहरसा					
छत्तीसगढ़				उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बिलासपुर		
हिमाचल प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, धर्मशाला					
लक्षद्वीप	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अमीनी (डीडी न्यूज)	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मिनीकॉय (डीडी न्यूज)				
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अगाती (डीडी न्यूज)	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, एंड्रोट (डीडी न्यूज)				
		अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमत (डीडी न्यूज)				
		अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कल्पेनी (डीडी न्यूज)				
मध्य प्रदेश		उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, छतरपुर				
राजस्थान	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बीकानेर					

विवरण-II

11वीं योजना के अंग के रूप में स्थापित किए जाने वाले डिजीटल ट्रांसमीटर

राज्य	अवस्थिति	
	फेज-1	फेज-2
1	2	3
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी	
बिहार	पटना	
छत्तीसगढ़	रायपुर	
दिल्ली	दिल्ली	
गुजरात	अहमदाबाद	सूरत
		वडोदरा
		राजकोट
हिमाचल प्रदेश		कसौली
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	
झारखंड	रांची	
कर्नाटक	बंगलौर	मैसूर
केरल	तिरुवनंतपुरम	कोच्चि
मध्य प्रदेश	भोपाल	ग्वालियर
	इंदौर	
महाराष्ट्र	मुंबई	नागपुर
	औरंगाबाद	पुणे
ओडिशा	कटक	
पंजाब	जालंधर	अमृतसर
राजस्थान		जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नै	कोडिकनाल
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	कानपुर
		वाराणसी
		इलाहाबाद
		आगरा
		बरेली
उत्तराखंड		मसूरी
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कर्सियांग
		कृष्णानगर

खाद्यान्न निर्गत करना

4115. **श्री शिवराज भैया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने चालू वर्ष के प्रथम सात माह के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित 34 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न में से केवल 24 लाख टन खाद्यान्न जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष मात्रा कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अन्य राज्यों को 30 लाख मीट्रिक टन की तुलना में उक्त राज्य को केवल 1.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के अधीन सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए मध्य प्रदेश को प्रतिमाह 2.228 लाख टन की दर पर 27.36 लाख टन खाद्यान्नों को आबंटन किया है। राज्य के लिए मासिक कोटे के आधार पर 7 माह का आबंटन 15.96 लाख टन बनता है जिसका उठान राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।

मध्य प्रदेश विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वाला राज्य होने के कारण खाद्यान्नों की खरीदारी स्वयं करता है और मध्याहन भोजन योजना/रक्षा सेवाओं के अधीन किए गए आबंटन को छोड़कर खाद्यान्नों के आबंटन के प्रति अपने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के स्टाक में से निर्गम करता है, मध्याहन भोजन योजना और रक्षा सेवाओं के लिए राज्य भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का उठान कर रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारत सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन वर्ष के प्रथम सात माह के दौरान राज्य सरकार ने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के स्टाक में से 31.07 लाख टन खाद्यान्न जारी किए हैं और भारतीय खाद्य निगम ने 1.19 लाख टन खाद्यान्न जारी किए हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान वर्ष के दौरान भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन मध्य प्रदेश को 30.10 लाख टन गेहूं आबंटित किया है जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य वार्षिक आबंटन के अधीन किया गया 24.19 लाख टन, अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किया गया 2.27 लाख टन, निर्धनतम जिलों के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किया गया 1.37 लाख टन और खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन किया गया 2.27 लाख टन का आबंटन शामिल है। यद्यपि राज्य सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य आबंटन के प्रति अपने सात माह के कोटे का पूर्ण उठान किया है लेकिन अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के आबंटन और निर्धनतम जिलों के आबंटन के प्रति उठान (अक्तूबर, 2012 तक) शून्य रहा है।

[अनुवाद]

टर्की के साथ समझौता ज्ञापन

4116. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने टर्की सरकार के साथ खेल और युवा कार्यकलाप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन के कार्यान्वियन के पश्चात् दोनों देशों के बीच किस हद तक खेल और युवा कार्यकलापों के लाभान्वित होने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) खेल और युवा कार्यकलाप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और टर्की के बीच 5 जून, 2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं। उक्त समझौता ज्ञापन में प्रावधित रूपरेखा के अनुसार खेल और युवा कार्यक्रमों से संबंधित विस्तृत प्रस्तावों पर आदान-प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर विचार किया जाना है। इस समझौता ज्ञापन में अन्य क्षेत्रों सहित निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यक्रमों, कौशल, तकनीकों, सूचना और ज्ञान के आदान-प्रदान के रूप में सहयोग का प्रावधान किया गया है:—

- खिलाड़ियों और टीमों का प्रशिक्षण और प्रतियोगिता
- कोचों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
- युवा और खेलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा खेल प्रभारियों, खेल प्रशासकों, पेशेवरों और विशेषज्ञों के दौरे
- युवा और खेल के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं तैयार करना
- युवा पर्यटन को प्रोत्साहन
- खेल विज्ञान कार्मिक के लिए प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और सहायता कार्यक्रम तथा खेल विज्ञान आदि का विकास

(घ) दोनों देश समझौता ज्ञापन के उपबंधों के अंतर्गत खेल और युवा कार्यकलाप के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने सहित देशों द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्यकलापों और आदान-प्रदान कार्यक्रमों से खेलों के संवर्धन और विकास में योगदान करेंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विधायिका

4117. **श्री पी.आर. नटराजन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में विधान सभा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, नहीं। वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विधान सभा स्थापित करने का फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नारियल से चीनी का उत्पादन

4118. **श्री एम.के. राघवन :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल से भी चीनी का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारियल से चीनी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोई पहल की है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। नारियल से भी चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। तथापि वर्तमान में देश में कोई भी वाणिज्यिक नारियल पाम चीनी उत्पादन इकाई नहीं है।

(ग) वर्तमान में नारियल से चीनी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीआईएल को विद्युत आपूर्ति

4119. **डॉ. पी. वेणुगोपाल :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने उनके द्वारा सामना की जा रही विभिन्न प्रचालन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का अनुरोध सरकार से किया है ताकि देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीआईएल और इसकी अनुषंगी कम्पनियों को विद्युत की ज्यादा आपूर्ति सहित सरकार द्वारा अन्य मांगों को पूरा करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि उनके प्रचालनात्मक भाग में शीघ्र निर्णय लेने हेतु उन्हें सक्षम बनाया जा सके?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा विचारित कोयला उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति तथा वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, आरएंडआर एवं कोयला निकासी अवसंरचना से संबंधित मामले महत्वपूर्ण हैं। कोल इंडिया लि. और सरकार ने इन मामलों के समाधान हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की है:—

(i) अधिग्रहण कार्यवाही को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकारों के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सक्रिय रूप से करना।

(ii) राज्य प्राधिकारियों अर्थात् भूमि राजस्व आयुक्त, भूमि राजस्व सचिव के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं ताकि गंभीर समस्याओं का निपटारा किया जा सके।

(iii) आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रश्नों के समाधान हेतु जिला तथा तहसील स्तर पर वन अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर संपर्क किया जाता है। वन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के साथ आवधिक संपर्क किए जाते हैं।

(iv) पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तावों विशेष रूप से सार्वजनिक सुनवाई के लिए तिथियों तथा अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों को तेजी से निपटाने के लिए सभी स्तरों पर राज्य एवं एमओईएफ अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क किया जाता है एवं बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(v) पुनर्वास स्थल के चयन के लिए और पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित होने के लिए उन्हें राजी करने हेतु भू-स्वामियों/ग्रामीणों के साथ चर्चा की जाती है।

(vi) कोयला मंत्रालय लंबित स्वीकृतियों में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एवं केन्द्रीय स्तर पर नियमित आधार पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ तथा कोयले की निकासी के लिए लंबित रेल परियोजनाओं के बारे में रेल मंत्रालय के साथ भी उन मामलों को उठाकर उनका समाधान निकाला जा रहा है।

(ग) कोल इंडिया लि. में नयी परियोजनाओं को शुरू करके तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों को पहले से ही आबंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का विकास करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने निर्णय लेने में संवर्धित स्वायत्तता के एिल कोल इंडिया लि. को नवरत्न का दर्जा एवं इसके 6 सहायक कंपनियों को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया है।

बीजों पर अनुसंधान कार्य

4120. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने दालों, खाद्यान्नों और तिलहनों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के बीजों में सुधार के लिए कोई कदम उठाये हैं/अनुसंधान किया है जिससे इन वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके साथ-साथ गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा राज्य-वार क्या है;

(ग) क्या सरकार/आईसीएआर द्वारा अधिक उपज वाले बीजों और मृदा संरक्षण की कृषि प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय में स्थित भा.कृ.अ.प. की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं में किए गए अनुसंधान कार्यों के आधार पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 211 किस्में जारी की गईं जिसमें तिलहन (56), दलहन (59), तथा अनाज (96) की किस्में शामिल है (संलग्न विवरण)। राशि का आबंटन उन्नत बीज किस्मों/संकर किस्मों के विकास से संबंधित अनुसंधान कार्यों के अलावा जैविक और अजैविक दबाव प्रबंधन, उन्नत पोषण और जल उपयोग दक्षता, उत्पादन प्रौद्योगिकियों आदि मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के फसल विज्ञान प्रभाग में अनुसंधान के लिए पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान योजना राशि का आबंटन क्रमशः रु. 304.00 करोड़ रु. 366.00 करोड़, रु. 392.77 करोड़ तथा रु. 460.00 करोड़ है।

(ग) और (घ) जी, हां। दलहन तिलहन तथा अनाज की उच्च पैदावार, नाशीजीव सहिष्णुता तथा रोग प्रतिरोध किस्मों के संबंध में प्रासंगिक कृषि क्रिया पैकेज के मानकीकरण के क्रम में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और किस्मों का विकास और आकलन किया गया है। कृषि फार्मों में मृदा कटाव की रोकथाम के लिए मृदा एवं जल संरक्षण की स्थान विशिष्ट विधियां विकसित की गई हैं। भा.कृ.अ.प. ने अनेक स्थान विशिष्ट, लागत प्रभावी, उन्नत प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिनमें किस्में/संकर किस्में, फसल विविधीकरण, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां (शून्य जुताई, क्यारी रोपण, लेजर लेवलिंग, चावल सघनीकरण प्रणाली), मृदा पुनःचक्रण/सुधार विधियां, समेकित मृदा-जल-पोषण प्रबंधन, जल संग्रहण और संरक्षण, प्रतिभागी जलसंभर मॉडल, सूक्ष्म सिंचाई, समेकित कृषि प्रणाली, समेकित नाशीजीव/रोग प्रबंधन विधियां आदि शामिल हैं इनसे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

विवरण

वर्ष 2010-2012 (तीन वर्ष) के दौरान तिलहन, दलहन और मुख्य अनाजों की जारी की गयी किस्में/संकर प्रजातियां तिलहन

फसल	किस्म
1	2
मूंगफली (15)	गुजरात के जूनागढ़ मूंगफली-31 (जीजेजी-31) (जे-71), गुजरात जूनागढ़ ग्राउंडनट-9 (जीजेजी-9) (जे-69), सीओ-6, आईसीजीवी-00350, एचएनजी-123, राज मूंगफली-1 (आरजी-510), दिव्या (सीएसएमजी-2003-19), गिरनार-3 (पीबीएस-12,160), कादिरी हरीथन्ध्रा (के-1319), जीपीबीडी-5, जीजेजी-एचपीएस-1 (जेएसपी- एचपीएस-44), आरएआरएस-टी-1, ग्राऊंडनट आरएआरएस-टी-2 ग्राउंडनट, प्रताप राज मूंगफली, आरजी-425
रेपसीड सरसों (15)	पूसा सरसों 28, पंत राय-19 (पीआर-2006-1), सीओआरएएल-437 (पीएसी-437), आरएलसी-2, शालीमार सरसों-1, पूसा मस्टर्ड-28 (एनपीजे-124), डीआरएमआर-601 (एनआरसीडीआर-601), पूसा मस्टर्ड-26 (एनपीजे-113), पूसा मस्टर्ड-27 (इजे-17), सीओआरएएल-432 (पीएसी-432) (हाइब्रिड), आरएच-0119, वितामबरी (आरवाईएसके-05-02), छत्तीसगढ़ सरसों वल्लभ तारामीरा-1 (पीयूटी-93-11), वल्लभ तारामीरा-2 (पीयूटी-93-1)
आरण्डी (5)	जेआई-273 (जीसी-3), डीएसपी 222, डीसीएस-107, के-8501 (चन्द्र प्रभा), वाईआरसीएच-1
सूरजमुखी (4)	आरएसएफएच-130, (भद्र), आरएसएफवी-90, (कांथी), सीओ-2 (हाइब्रिड), पीएसएच-569
कुसुंभ (1)	एसएसएफ-708
तिल (5)	गुजरात तिल-4 (जीतिल-4), (एटी-159), डीएसएस-9, जेएलटी-408 (जेएलएस-9848-2), राजस्थान तिल-351 (आरटी-351), टीएमवी (एसवी) 7
अलसी (6)	मऊ आजाद अलसी-2 (एलएमएस-149-4), जवाहर लिंसिड-41 (पीकेडीएल-41), जेएलएस-67 (शिवाल), रुचि (एलसीके-5021), जेएलएस-73 (एसएलएस-73), भागसु
रामतिल (2) (नाइजर)	उत्कल नाइजर-150 (ओएनएस-150), फुले कराला (आईजीपीएन-2004-1)
दलहन	
चना (13)	एके-4 (एच-05-169), राज विजय काबुली ग्राम-101 (जेएससी-42), राज विजय ग्राम 201 (जेएससी-40), राज विजय ग्राम-202, राज विजय ग्राम-203, पीकेवी हरिता (एकेजी-9303-12), उज्जवल। (आईपीसीके-2004-29), गुजरात जूनागढ़ ग्राम-3 (जीजेजी-0207), कृपा, जीपीएफ-2, आरएसजी-974 (अभिलाषा), पीकेवी काबुली-4, एमएनके-1
अरहर (4)	आनंद ग्रेन तूर-2 (एजीटी-2), बीडएन-211 (बीडीएन-2004-3), टीएस-3 आर, राजीवलोचन
उड़द (10)	विश्वास (एनयूएल-7), यूएच-1, (यूएच-04-06), वीबीएन-6, सीओ-6 सीओबीजी-653, वीबीएन (बीजी) 7 (वीबीर्जी-04-0008), मैश-479 (केयूजी-479), मैश-391 (एलयू-391), मैश-114, यूपीयू-00-31 (मैश हिमाचल-1)
मूंग (7)	केएम-2195 (स्वाति), एमएच-421, बीएम-2003-2, आईपीएम-02-14, पीकेवी एकेएम-4 (एकेएम-9904) वीबीएन, (जीजीजी) 3 पीकेवी ग्रीन गोल्ड
मटर (7)	गोमती, (टीआरसीपी-8), एचएफपी-529, आईपीएफ-4-9, वीएल मटर-47 (वीएल-47), अमन (आईपीएफ-5-19), गोमती (टीआरसीपी-8), दंतीवाडा फील्ड पी-1 (एसकेएनपी-04-09)
मसूर (6)	एलएल-931, वीएल मसूर-514 (वीएल-514), एलएल-931, वीएल मसूर-133 (वीएल-133), पंत लेन्टिल 8 (पंत एल-063), पंत लेन्टिल-7 (पंत एल-024)

1	2
फ्रेंच बीन (1)	गुजरात राजमा-1 (डीपीआर-88-1-2)
कुलथी (3)	गुजरात दंतीवाडा होर्सग्राम-1 (जीएचजी-5), इंदिरा कुल्थी-1 (आईकेजीएच-05-01), सीआरआईडी एएलएटीएचए (सीआरएचजी-4)
कलस्टर बीन (4)	एचजी-884, एचजी-2-20, एचजी-870, ग्वार कुंजल (आरजीसी-1033)
भारतीय बीन (1)	गुजरात वाल-2
	अनाज
चावल (47)	चिन्हसुरा राइस आईजीकेवीआर-1, आईजीकेवीआर-2, सीआर धान-401, सीआर धार-601, सीआर धान-501, आरसी मनीफो-11, एसजेआर-5, इन्दम-200-017, सीआर धान-500, पंजाब बासमती-2, मुगदसिरी-1253, वीटीएल-8, एमओ-21 (प्रतीक्षा), अन्ना (आर) 4, सीओ (आर) 49, जीएआर-13, एनएयूआर-1 रत्नागिरी-4, कर्जत-184, रत्नागिरी-24, वीएएमएसएडीएचएआरए, अक्षय, जेजीएल-11470, जेजीएल-3855, भावपुरी संलालु, सुगंधा सांबा, लूना सम्पद, रीता, मंदाकिनी, नुआ चिनीकामनी, फाल्गुनी, लूना सुवर्णा, मृणालिनी, तेजस्विनी, एनडीआर-2065, चंद्रमा, आईजीआरकेवीआर-1244, इंदिरा बारानी धान-1, टीआरवाई-3, एडीटी-49, एटीटी-50, सीओ-4, गुजरात आनंद राइस-2, एनके-5251, जेजीएल-3844 जेजीएल-3828।
गेहूं (25)	एमपीओ (जेडब्ल्यू)-1215, एमएसीएस-6222, पीडीडब्ल्यू-314, डीबीडब्ल्यू-39, वीएल गेहूं-907, एचएस-507, एचआई-1563, डब्ल्यूएचडी-943, एनआईएडब्ल्यू-1415, डीपीडब्ल्यू-621-50, डब्ल्यूएच-1080, एमपी-3288, केआरएल-213, एचडी-2967 केआरएल-210, एचडी-3043 एकेएडब्ल्यू-4627, पीबीडब्ल्यू-644, यूएएस-428, राज-4079, सीसीएनएनआरवी-01 (राज मोल्या रोधक-1), एमपी (जेडब्ल्यू)-1201, राज विजय वीट-4106, सीओडब्ल्यू-2, डब्ल्यूएसएम-1472
मक्का (17)	एचएससी-1, एसक्यूपीएम-4, एमसीएच-36, डीएचएम-119, पीएमएच-4, पीएमएच-5, डीकेसी-9081, आईजी-8011, आईजी-8237, विवेक मेज हाइब्रिड-43, विवेक मेज हाइब्रिड-39, पी-3501, एसएमएच-3904, केएमएच-22168, सीओ-6, केएमएच-25 के 60, केएमएच-3712
जौ (7)	बीएच-902 डीडब्ल्यूआरबी-73 पूसा लोसर (बीएल-380), यूपीबी-1008, डीडब्ल्यूआरयूबी-64, एचबीएल-391 (गोकुल), बीएच-885

कोयला क्षेत्र के लिए संवर्धन बोर्ड

4121. श्री के. सुगुमार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड जैसे किसी निकाय की स्थापना करने के साथ-साथ कोयला परियोजनाओं की मंजूरी हेतु एकल खिड़की तंत्र बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने विशेषरूप से अवसंरचना क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदनों/स्वीकृतियों के संबंध में तेजी से निर्णय लेने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्रों से संपर्क की सुविधा

4122. श्री विश्व मोहन कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार अब तक कितने कृषि विज्ञान केन्द्रों में संपर्क-सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार कार्य नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को अभी तक इस सुविधा से वंचित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारोपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में समय-अंतराल को कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बिहार में 38 कृषि विज्ञान केन्द्रों सहित देश में 631 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के एक नेटवर्क की स्थापना की है। कृषि विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य किसानों के खेलों में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों का मूल्यांकन, परिष्करण तथा प्रदर्शन करना है।

(ख) से (ङ) कृषि पर वेब आधारित सामग्री के उपयोग की सुविधा हेतु 623 कृषि विज्ञान केंद्रों में इंटरनेट/इलेक्ट्रानिक लिंकेज की सुविधा है, जिसमें से 192 कृषि विज्ञान केंद्रों के पास वी-सैट आधारित ई-कनेक्टिविटी सुविधा है तथा 431 कृषि विज्ञान केंद्र, बीएसएनएल और अन्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। समय-समय पर कृषि परामर्श उपलब्ध कराने के लिए 401 कृषि विज्ञान केंद्रों के पास मोबाइल फोन लिंकेज की सुविधा उपलब्ध है तथा 10.11 लाख किसान पंजीकृत हैं। उन कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और किसानों के साथ मोबाइल फोन लिंकेज मौजूद हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान पंजीकृत किसानों को 4.9 लाख कृषि सलाह से संबंधित संदेश भेजे गए हैं।

इसके अलावा, सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों ने किसानोंन्मुखी कार्यक्रमों जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, फ्रंटलाइन प्रदर्शनों, प्रौद्योगिकी सप्ताह का आयोजन, किसानों के लिए फील्ड स्कूलों, किसानों-वैज्ञानिकों में परस्पर वार्ता और अनेक प्रकार की प्रसार-गतिविधियों को संचालित करने के लिए देश में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (आत्मा) साथ संपर्क स्थापित किये हैं ताकि किसानों में उन्नत प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

विवरण

किसानों को कृषि-परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु इंटरनेट-कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन लिंकेज की सुविधा वाले कृषि विज्ञान केंद्रों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वीसैट आधारित ई-कनेक्टिविटी के साथ केवीके की संख्या	बीएसएनएल या अन्य सेवा प्रदाता के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले केवीके की संख्या	किसानों के पास मोबाइल फोन संपर्क वाले केवीके की संख्या	कृषि-परामर्शी सेवाए प्रदान करने के लिए जुड़े हुए किसानों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	2	1	207
2.	आंध्र प्रदेश	12	34	18	1800
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	13	3	2352
4.	असम	2	7	12	5910
5.	बिहार	5	33	18	7238
6.	छत्तीसगढ़	3	14	11	4450
7.	दिल्ली	0	1	1	316
8.	गोवा	1	1	1	1945

1	2	3	4	5	6
9.	गुजरात	5	27	5	2932
10.	हरियाणा	9	9	12	16958
11.	हिमाचल प्रदेश	6	6	9	5541
12.	जम्मू और कश्मीर	3	6	0	0
13.	झारखंड	4	18	9	2760
14.	कर्नाटक	11	19	24	462561
15.	केरल	10	4	7	20543
16.	लक्षद्वीप	0	1	0	0
17.	मध्य प्रदेश	19	27	45	25187
18.	महाराष्ट्र	17	44	30	3000
19.	मणिपुर	2	7	3	1165
20.	मेघालय	0	5	4	578
21.	मिजोरम	0	8	4	382
22.	नागालैंड	1	8	5	8076
23.	ओडिशा	8	22	24	17975
24.	पुदुचेरी	1	2	1	415
25.	पंजाब	9	8	15	8435
26.	राजस्थान	20	32	20	11679
27.	सिक्किम	0	4	3	1214
28.	तमिलनाडु	14	16	26	386266
29.	त्रिपुरा	0	4	2	2340
30.	उत्तर प्रदेश	20	22	68	6800
31.	उत्तराखंड	4	13	13	1300
32.	पश्चिम बंगाल	5	14	7	999
	कुल	192	431	401	1011324

वायदा-व्यापार में निवेश

4123. श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वस्तु वायदा-व्यापार में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का संगत कानूनों में संशोधन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे आम आदमी को क्या लाभ होगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वर्तमान में अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियमन, 1952 के तहत वस्तु भावी सौदा व्यापार में स्थानीय और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने कमोडिटी एक्सचेंजों के संबंध में विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश पर नीति निर्धारित की है। विदेशी निवेश को सरकार के अनुमोदन के माध्यम से अथवा विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के जरिए 49% की संयुक्त (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश) सीमा की अनुमति प्राप्त है। पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा 49% निवेश की इस समग्र सीमा के अन्दर पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के तहत निवेश 23% तक सीमित है और प्रत्यक्ष विदेशी स्कीम स्कीम के तहत निवेश 26% तक सीमित है। संस्थाओं की भागीदारी, जहां तक कि बैंक, बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों का संबंध है, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में उनकी भागीदारी पर कोई प्रतिबंधित उपबंध नहीं है। तथापि ऐसी सभी संस्थाओं को संबंधित कानूनों के तहत उनके संबंधित विनियामकों द्वारा अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) सरकार का, अन्य बातों के साथ-साथ, कमोडिटी डेरीवेटिव्ज मार्किट में विदेशी मध्यस्थों/भागीदारों के पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन में विनियामक, वायदा बाजार आयोग द्वारा पंजीकरण को निलम्बित और रद्द करने की भी व्यवस्था है।

(ङ) वायदा बाजार के कार्य मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन है। बैंकों और म्यूचल फंडों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी से भारतीय कमोडिटी बाजारों में मूल्य निगमित प्रतिष्ठानों को उनके मूल्य जोखिम को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना संबंधी सुविधाएं बढ़ेगी। ये प्रतिष्ठान व्यवसायिकों की व्यापक भागीदारी को भी बढ़ाएंगे, जिससे इन बाजारों की गुणवत्ता बढ़ेगी। वस्तु व्यापारियों और प्रसंस्कर्ताओं को ऋण देने से बैंक स्वयं भी अपने मूल्य जोखिमों को कम करने में सक्षम होंगे। उनकी सक्रिय भागीदारी से किसानों को भी अधिक ऋण मिल सकेगा।

आपराधिक गतिविधियां

4124. श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि देश के पांच प्रमुख शहरों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़े चिंताजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शहरों में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2009-2011 के दौरान 6 महानगरों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सूचित किए गए अपराध शीर्ष-वार मामलों से संबंधित आंकड़े संबंधी विवरण में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण और जांच के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तथापि, संघ सरकार अपराध के निवारण से संबंधित मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है और इसलिए संघ सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपराध के निवारण और नियंत्रण पर अधिक संकेन्द्रित ध्यान देने का परामर्श देती रही है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 16 जुलाई, 2010 को अपराध के निवारण के संबंध में एक समेकित परामर्शी पत्र भी जारी किया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान महानगरों में आईपीसी के विभिन्न अपराध शीर्षों के तहत सूचित किए गए मामले

क्र.सं.	अपराध	बेंगलरू			चेन्नई			दिल्ली			हैदराबाद			कोलकाता			मुम्बई		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	हत्या	256	266	232	96	103	168	444	453	438	153	134	117	41	49	54	217	228	203
2.	हत्या का प्रयास	338	445	460	175	158	332	327	260	323	110	143	136	71	55	85	160	170	180
3.	हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध	1	5	3	0	2	1	75	63	53	5	8	6	42	43	28	6	7	4
4.	बलात्कार	65	65	97	39	47	76	404	414	453	47	45	59	42	32	46	182	194	221
5.	अपहरण एवं व्यपहरण	270	513	573	42	47	56	2149	2629	3007	108	121	95	129	125	148	149	194	221
6.	डकैती	41	66	43	7	2	3	33	30	28	5	7	8	2	0	1	39	35	28
7.	डकैती के लिए तैयारी करना एवं एकत्र होना	278	246	342	0	2	0	62	27	23	0	0	0	36	26	44	34	42	46
8.	लूटपाट	743	641	783	84	74	219	473	554	473	59	54	40	40	18	34	316	410	467
9.	सेंधमारी	1592	1335	1313	398	383	766	1566	1355	1226	969	906	693	90	66	63	2769	3059	2745
10.	चोरी	11730	10568	10543	1716	1540	2866	20088	21373	21095	5091	4916	4416	3078	3118	3532	12009	13195	12983
11	दंगा	337	349	390	70	60	160	50	46	44	199	513	220	253	282	336	305	391	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	आपराधिक न्यास भंग	214	139	152	46	21	22	305	249	287	85	96	75	280	329	333	511	482	553
13.	धोखाधड़ी	3007	3073	3155	350	524	767	1874	1720	2403	2007	2021	1864	1433	1271	1625	2132	2211	1946
14.	जालसाजी	65	72	60	42	72	99	47	32	44	49	29	44	37	73	63	129	76	81
15.	आगजनी	8	7	4	2	1	7	26	48	33	7	15	50	0	0	0	14	22	46
16.	चोट/गंभीर चोट	2653	3153	2927	735	773	1466	1738	1700	1684	3516	3425	3334	1866	2007	2271	3892	4487	4302
17.	दहेज हत्या	50	52	53	19	16	20	104	112	115	36	44	37	10	12	11	15	21	14
18.	छेड़छाड़	251	308	250	42	45	73	491	550	556	295	171	157	201	226	254	400	475	553
19.	यौन उत्पीड़न	35	50	40	10	23	121	113	73	149	63	60	93	90	133	144	101	138	162
20.	पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	367	398	458	154	125	229	1177	1273	1498	1363	1420	1355	411	400	557	434	312	393
21.	लड़कियों की खरीद-फरोख्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
22.	लापरवाही से मृत्यु	87	104	108	602	604	1431	815	868	1098	516	542	505	424	362	414	710	690	656
23.	अन्य आई.पी.सी. अपराध	9992	10333	8297	6276	6247	12464	12886	12165	12182	3157	2879	2353	5035	6880	7109	6738	7093	6464
	कुल संज्ञेय अपराध	32380	32188	30283	10905	10869	21346	45247	45994	47212	17840	17549	15657	13615	15510	17152	31262	33932	32647

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: चेन्नई शहर में वर्ष 2010 की तुलना में 2011 के आंकड़ों में अंतर चेन्नई उप-नगर का चेन्नई शहर के साथ विलय करने की वजह से है।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं की तस्करी

4125. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में नशीली दवाओं और उनकी तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य में सूचित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गईं;

(ग) क्या उक्त राज्य सीमापार से नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र बन गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारोपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जब्त की गई नशीली दवाओं की मात्रा एवं मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

जब्त की गई नशीली दवाएं (कि.ग्रा.)	ब्यौरा	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर तक)
हेराइन	जब्ती	209.17	221.58	227.84	349.99
	मामले	859	742	886	349
अफीम	जब्ती	671.27	645.32	894.53	209.89
	मामले	499	503	525	256
कोकेन	जब्ती	4.00	1.22	0.42	0
	मामले	4	6	2	0
हशीश	जब्ती	297.60	119.88	157.26	19.22
	मामले	122	142	136	35
गांजा	जब्ती	258.43	556.09	303.90	1310.67
	मामले	67	93	93	41

(ग) और (घ) सीमा पार से दक्षिण पश्चिम एशियाई (एसडब्ल्यूए) हेरोइन की तस्करी/दुर्व्यापार की सूचना प्राप्त हुई है। उन मामलों, जिनमें सीमा पार स्रोत से नशीली दवा भेजी गयी और पंजाब राज्य में जब्त की गई, का विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

नशीली दवा की जब्ती (कि.ग्रा.)	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर तक)
हेरोइन	97.177	171.150	180ण्244	378ण्785

(ङ) नशीली दवाओं तथा मन:प्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) की जांच करने, पता लगाने और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए कई एक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सीमा रक्षक बलों समेत विभिन्न दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उन्नत समन्वय।

(ii) प्रचालनात्मक आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार को उन्नत बनाने हेतु आसूचना उपकरणों का सुदृढ़ीकरण।

(iii) नशीली दवाओं की जब्ती किए जाने संबंधी सूचना के लिए सूचना प्रदाताओं एवं अधिकारियों के लिए आर्थिक पुरस्कारों की योजना को कार्यान्वित करना।

(iv) नशीली दवा के अभिज्ञात मार्गों पर गहन रोकथाम एवं अवरोधन के उपाय।

(v) आयात एवं निर्यात स्थलों पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन।

(vi) सीमा रक्षक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को नशीली दवा एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नशीली दवाओं के अवरोधन का अधिकार दिया गया है।

(vii) नशीली दवाओं एवं मन:प्रभावी पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों के आवागमन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करने तथा इनके प्रबंध नियंत्रण पर जांच संबंधी सहायता के लिए बढ़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

(viii) पात्र राज्यों को अपनी स्वापक यूनिटों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

हल्दी का अधिमूल्य

4126. **श्री वरुण गांधी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में हल्दी-उत्पादकों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य न मिलने की समस्या के कारण फसल पश्चात् हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उद्यमियों और उद्योगपतियों की सहायता से इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करके हल्दी-उत्पादकों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) हल्दी सहित बागवानी उत्पाद के मूल्य अंततः मांग एवं आपूर्ति के बाजार दबावों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह विद्यमान मौसम परिस्थितियों, फसल के आसारों, ढुलाई लागत, निर्यात मांग आदि पर भी निर्भर करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का संकलन केवल अखिल भारतीय आधार पर ही किया जाता है, हल्दी का थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05 = 100) अक्तूबर, 2011 में 190.1 से घटकर अक्तूबर, 2012 में 169.4 तक आ गया है जो 10.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

(ग) और (घ) मेघालय राज्य सरकार ने जैंतिया पहाड़ियों में एक माध्यम पैमाने वाले हल्दी प्रसंस्करण एकक की स्थापना की है जो हल्दी की उपज वाला क्षेत्र है। मेघालय में हल्दी उत्पादकों ने स्वयं भी कॉटेज हल्दी प्रसंस्करण एककों की स्थापना की है।

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत् मसाला बोर्ड, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वास्थकर पोस्ट हार्वेट व्यवसायों को अपनाने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में हल्दी उत्पादकों की सहायता करने के लिए सामुदायिक उपयोग के लिए हल्दी बॉयलरों तथा हल्दी पॉलिस करने वालों जैसे अनेक पोस्ट हार्वेट सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है।

किसानों को लाभकारी मुनाफा प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को हल्दी सहित बागवानी उत्पाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) पूर्वोत्तर एवं हिमालय के समीपवर्ती राज्यों (एचएमएनईएच) के अंतर्गत किसानों को सहायता प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं— खेती के लिए सहायता, प्रशीतन भंडारों की स्थापना, टर्मिनल बाजारों, थोक बाजार तथा ग्रामीण प्राथमिक बाजारों/अपनी मंडियों की स्थापना करना।

इसके अतिरिक्त, हल्दी जिसे मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कवर नहीं किया गया है, सहित बागवानी जिन्सों के उत्पादकों के हित की रक्षा करने के लिए, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस)

का क्रियान्वयन राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकार के विशेष अनुरोध पर किया जाता है। बाजार हस्तक्षेप योजना बंपर फसल की स्थिति में कम बिक्री होने से इन जिन्सों के उतपादकों को उस समय बचाव करती है जब बाजार में सामान की अधिकता हो जाता है तथा इनके मूल्य आर्थिक स्तरों/उत्पादन लागत से कम हो जाते हैं।

[हिन्दी]

कला और संस्कृति का प्रचार-प्रसार

4127. **श्री कपिल मुनि करवारिया :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने जनवरी, 2013 में आयोजित किए जाने वाले महाकुंभ मेले के दौरान देश-विदेश में भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद, 'चलो मन गंगा युमना तीर' नामक अपने वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक वर्ष माघ मेला के दौरान भारतीय लोक कला और संस्कृति का संवर्धन करता है। इस वर्ष यह मेला, महाकुंभ मेला के साथ-साथ है जिसमें यह कार्यक्रम (चलो मन गंगा यमुना तीर) व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाएगा तथा विज्ञापनों और प्रचार के माध्यम से इसका लक्ष्य और अधिक दर्शक जुटाने का होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीविजन प्रसारणकर्त्ताओं हेतु आचार-संहिता

4128. **श्री प्रेमदास राय :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में टेलीविजन-प्रसारणकर्त्ताओं के लिए कोई आचार-संहिता तय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो टेलीविजन पर प्रसारित सामग्री के विनियमन की विद्यमान प्रविधियां क्या हैं;

(घ) क्या क्षेत्रीय टीवी चैनलों पर किसी प्रकार का विनियमन लागू किया जा रहा है अथवा वे स्वत: किसी विनियमन का पालन करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का क्षेत्रीय चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री का विनियमन किस प्रकार करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों, जिनका प्रसारण/पुन: प्रसारण केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, को केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्धारित पहले से विद्यमान कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना होता है।

(ग) इस मंत्रालय ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गठित की है। इस अंतर-मंत्रालयीय समिति में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) के प्रतिनिधि होते हैं। अंतर-मंत्रालयीय समिति की बैठकें आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं और उनमें उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। सरकार ने भी 24 घंटे निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु की मॉनीटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है।

(घ) से (च) केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान क्षेत्रीय भाषा चैनलों सहित सभी निजी सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूरे देश में राज्य स्तर और जिला स्तर की मॉनीटरिंग समितियां गठित की हैं जो निजी सैटेलाइट/केबल टेलीविजन चैनलों में प्रसारित विषय-वस्तु की मॉनीटरिंग करती हैं। अभी तक केन्द्रशासित प्रदेशों सहित 21 राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समितियां और 274 जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समितियां देश भर में गठित की जा चुकी हैं। सूची संलग्न विवरण में दी गई है। विषय-वस्तु के विनियमन के मौजूदा प्रावधानों को वर्तमान के लिए पर्याप्त समझा गया है।

विवण

निगरानी समितियों की सूची

(क) राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति = 21

1. अरुणाचल प्रदेश
2. बिहार
3. छत्तीसगढ़
4. गुजरात
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और कश्मीर
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. मणिपुर
11. मेघालय
12. मिजोरम
13. राजस्थान
14. त्रिपुरा
15. उत्तराखंड
16. पश्चिम बंगाल
17. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
18. चंडीगढ़
19. दमन और दीव
20. दादरा और नगर हवेली
21. लक्षद्वीप

(ख) जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति = 274

असम

1. कबी एंग्लोंग
2. नलबारी
3. गोलाघाट
4. मंगलदाई (दारंग)
5. शिवसागर
6. सोनितपुर (तेजपुर)
7. करीमगंज

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. नॉर्थ और मिडल अंडमान
2. निकोबार
3. साऊथ अंडमान

अरुणाचल प्रदेश

1. लोअर सुबंसीरी
2. चंगलंग
3. पप्पूम परे
4. ऊपरी दिबंग वेल्ली
5. अंजाव

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. हैदराबाद
3. वारंगल

बिहार

1. अररिया

2. अरवाल

3. औरंगाबाद (सारण)

4. बांका

5. बेगुसराय

6. भभुआ

7. भागलपुर

8. भोजपुर

9. बक्सर

10. दरभंगा

11. पूर्वी चम्पारन

12. गया

13. गोपालगंज

14. जमुई

15. जहानाबाद

16. कटिहार

17. खगरिया

18. किशनगंज

19. लखीसराय

20. मधेपुरा

21. मधुबनी

22. मुंगेर

23. मुजफ्फरपुर

24. नालंदा

25. नवादा

26. पटना

27. पूर्णिया

28. रोहतास

29. सहरसा

30. समस्तीपुर

31. सारण

32. शेखपुरा

33. शिवहर

34. सीतामढ़ी

35. सिवान

36. सुपोल

37. वैशाली

38. पश्चिमी चम्पारन

छत्तीसगढ़

1. रायगढ़

2. जगदलपुर (बस्तर)

दमन और दीव

1. दमन

हरियाणा

1. अंबाला

2. पानीपत

हिमाचल प्रदेश

1. बिलासपुर

2. मंडी

3. किन्नौर

4. हमीरपुर

5. चम्पा

6. कुल्लु

7. शिमला

8. लाहौल-स्पीति

9. सोलन

10. नाहन (सिरमौर)

11. कांगड़ा

12. ऊना

जम्मू और कश्मीर

1. श्रीनगर

2. कठुआ

3. लेह

4. अनंतनाग

5. जम्मू

6. सांबा

7. बरामुल्ला

8. रीसी

9. उधमपुर

10. रामबन

11. डोडा

12. किशतवाड़

13. पूंछ

14. राजौरी

15. कुपवाड़ा

16. बांदीपुरा

17. गंडेर्बाल

18. पुलवामा

19. बड़गाम

20. कुलगॉम

21. शॉपियन

22. कारगिल

झारखंड

1. कोडरमा

2. साहेबगंज

3. रांची

केरल

1. कासरगोड

2. कोझिकोड

3. पलक्कड

4. पतनमथिट्टा

कर्नाटक

1. बेंगलुरु-शहरी

2. बेंगलुरु-ग्रामीण

3. बागलकोट

4. बेलगाम

5. बेल्लारी

6. बिदर

7. बिजापुर

8. चामराजनगर

9. चिकबल्लापुर

10. चिकमंगलूम

11. चित्रदुर्ग

12. दक्षिण कन्नड़

13. दावणगेरे

14. धारवाड़

15. गुलबर्गा

16. गदग

17. हासन

18. हवेरी

19. कोडगु

20. कोलार

21. कोप्पल (कुशटगी)

22. मंडया

23. मैसूर

24. रायचूर

25. रामनगरा

26. शिमोगा

27. तुमकूर

28. उडुप्पी

29. उत्तर कन्नड

30. यादगिर

महाराष्ट्र

1. गढ़चिरौली

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट

2. छिंदवाडा

3. बुरहानपुर

4. मुरैना

5. टिकमगढ़

6. नीमच

7. राजगढ़

8. दिंडोरी

9. मंदसौर

10. नरसिंहपुर

11. खड़गौन

12. अनूपपुर

13. अशोकनगर

14. खंडवा

15. जबलपुर

16. होशंगाबाद

17. बर्हवानि

18. सिंगरौली

19. शाजापुर

20. मंडला

21. इंदौर

22. पन्ना

23. दमोह

24. देवास

25. उमरिया

26. शिवपुरी

27. झबुआ

28. सागर

29. रीवा

30. सिहोर

31. बड़वानी

32. सतना

33. बेतुल

34. ग्वालियर

35. सिवनी

36. खार

37. रतलाम

38. उज्जैन

39. गुना

40. रायसेन

41. विदिशा

42. भोपाल

43. दतिया

44. भिंड

45. निमाद

46. हरदा

47. शाहडोल

48. सीधी

मेघालय

1. पूर्व खासी हिल्स

2. पश्चिमी खासी हिल्स

3. री-भोई (नोंग्पो)

4. जयंतिया (जोवाई)

5. पूर्व गारो (विलियम नगर)

6. पश्चिमी गारो (तुरा)

7. दक्षिणी गारो (बाघमरा)

मिजोरम

1. आइजोल

2. कोलासिब

मणिपुर

1. उखरूल

2. इम्फाल (वेस्ट)

3. इम्फाल (पूर्व)

4. सेनापति

5. चंदेल

6. थौबाल

नागालैंड

1. कोहिमा

मिजोरम

1. आइजोल

2. कोलासिब

मणिपुर

1. उखरूल

2. इम्फाल (वेस्ट)

3. इम्फाल (पूर्व)

4. सेनापति

5. चंदेल

6. थौबाल

नागालैंड

1. कोहिमा

ओडिशा

1. जगतसिंहपुर

2. नयागढ़

3. कोरापुर

4. कटक

5. देवगढ़

6. रायगढ़

7. मयूरभंज (बारीपाडा)

8. पुरी

9. गंजम

पंजाब

1. मोगा

2. लुधियाना

3. पटियाला

4. जालंधर

5. अमृतसर

6. संगरूर

राजस्थान

1. अजमेर

2. अलवर

3. भीलवाड़ा

4. बांसवाडा

5. बारा

6. चित्तौड़गढ

7. चुरू

8. धौलपुर

9. डुंगरपुर

10. हनुमानगढ़

11. जैसलमेर

12. जोधपुर

13. कोटा

14. करोली

15. नागौर

16. पाली

17. राजसामंद

18. सवाईमाधौपुर

19. सिरोही

20. सीकर

21. उदयपुर

तमिलनाडु

1. पेरम्बलूर

2. रामनाथपुरम

3. तेनी

4. तिरुवन्नमलाई

उत्तर प्रदेश

1. कांशीराम नगर

2. इलाहाबाद

3. उन्नाव

4. गोरखपुर

5. फैजाबाद

6. अलीगढ़

7. बाराबंकी

8. लखीमपुर खीरी

9. महाराजगंज

10. इटावा,

11. संतकबीर

12. एटा

13. ललितपुर

14. सुल्तानपुर

15. सीतापुर

16. हरदोई

17. गोंडा

18. सोनभद्रा

19. मैनपुरी

20. गौतमबुद्ध नगर

21. गाजियाबाद

उत्तराखंड

1. हरिद्वार

2. टिहरी गढ़वाल

3. पौडी गढ़वाल

4. रुद्रप्रयाग

5. बागेश्वर

6. चमोली

7. उत्तरकाशी

8. देहरादून

9. उधमसिंह नगर

10. चम्पावत

11. पिथोरागढ़

12. नैनीताल

13. अल्मोडा

पश्चिम बंगाल

1. हावड़ा

2. वेस्ट मिदनापुर

3. पुरुलिया

4. मालदा

नृत्य और कलाशैलियां

4129. **श्री चार्ल्स डिएस : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रत्येक राज्य के विशिष्ट विविध नृत्यप्रकारों, नाट्य व कलाशैलियों, युद्धकलाओं, लोककला और दृश्यकलाओं इत्यादि में बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इनके विषय में पुस्तकें प्रकाशित कराने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, संगीत नाटक अकादमी के पास नृत्य संगीत एवं नाटक के क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों पर ऑडियो एवं वीडियो टेप, पुस्तकें, फोटोग्राफ और फिल्में हैं। अकादमी के पास एक संदर्भ पुस्तकालय है, जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नृत्य, नाटक और संगीत के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकें शामिल हैं। अकादमी की वाद्य यंत्रों, मुखौटों और कठपुतलियों की एक दीर्घा भी है। अकादमी द्वारा प्रकाशित डाटा प्रत्येक राज्य में कला की अद्वितीयता को प्रदर्शित करता है। मंत्रालय के दो अन्य संगठन नामत: ललित कला अकादमी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने देश के मूर्त और अमूर्त कला रूपों पर कुछ पुस्तकें प्रकाशित किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यातायात-समस्या

4130. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीटी) में यातायात जाम की समस्या बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने यातायात-नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कोई विशेष अभियान शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यातायात पुलिस द्वारा जुर्माने के रूप में कुल कितनी राशि संग्रहित की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिल्ली में पंजीकृत लगभग 75 लाख वाहनों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एवं इससे जुड़े राज्यों से लाखों वाहनों के शहर में प्रवेश करने से कतिपय सड़कों पर, विशेषकर व्यस्त घंटों के दौरान किन्हीं घटनाओं अर्थात् रैलियों, प्रदर्शनों और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के आवागमन तथा अन्य घटकों के कारण जाम लग जाता है। इन समस्याओं के बावजूद दिल्ली यातायात पुलिस पूरी दक्षता के साथ यातायात के प्रवाह को व्यवस्थित करती है।

(ग) स्थिति को संभालने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने हेतु दिल्ली पुलिस ने एक यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है, जो सड़क सुरक्षा शिक्षा, विनियमन, प्रवर्तन और इंजीनियरी समाधानों के सिद्धांतों पर आधारित है। दिल्ली पुलिस ने यातायात प्रबंधन योजना के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात को जाम रहित और सुगम बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान चलाए जाते हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान यातायात पुलिस द्वारा जुर्माने के रूप संग्रहीत कुल धनराशि का ब्यौरा निम्नवत् है:–

क्र.सं.	वर्ष	संयोजित धनराशि (रुपये)
1.	2009	52,38,64,600/-
2.	2010	44,16,06,900/-
3.	2011	44,52,21,400/-
4.	2012 (30.11.12 तक)	45,06,28,800/-

पुस्तकों का प्रकाशन

4131. श्री तूफानी सरोज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में प्रकाशन विभाग द्वारा भाषा-वार कितनी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है;

(ख) लेखकों को रॉयल्टी-भुगतान किस आधार पर होता है;

(ग) क्या प्रकाशन विभाग द्वारा लेखकों को रायल्टी का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) प्रकाशन प्रभाग संबंधी ब्यौरे तैयार कर लिए गए हैं जो पुस्तकों के लिए संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) लेखकों को रायल्टी का भुगतान विक्रय की गई प्रतियों के आधार पर किया जाता है। लेखक और प्रकाशन विभाग के बीच हुए करार के अनुसार लेखक को विक्रय की गई प्रतियों की बिक्री के 15 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) रॉयल्टी का भुगतान लेखकों को करार के अनुसार समय पर किया जाता है। भुगतान विक्रय संबंधी आंकड़े प्राप्त और संकलित हो जाने के बाद शीघ्र ही कर दिया जाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक) के दौरान प्रकाशित की गई पुस्तकों का ब्यौरा

(i) वर्ष 2009-10 के ब्यौरे:

वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या	-54
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या	-21
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई क्षेत्रीय पुस्तकों की कुल संख्या	-11
कुल	-86

(ii) वर्ष 2010-11 के ब्यौरे:

वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या	-49
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या	-30
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई क्षेत्रीय पुस्तकों की कुल संख्या	-14
कुल	-93

(iii) वर्ष 2010-11 के ब्यौरे:

वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या	-71
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या	-20
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई क्षेत्रीय पुस्तकों की कुल संख्या	-08
कुल	-99

(iv) वर्ष 2012-13 की मौजूदा स्थिति (नवम्बर, 2012 तक):

वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या	-10
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या	-17
वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई क्षेत्रीय पुस्तकों की कुल संख्या	-शून्य
कुल	-27

भाषा-वार प्रकाशित पुस्तकों का ब्यौरा

क्षेत्रीय भाषाएं	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (नवम्बर तक)
तमिल	2	10	—	शून्य
गुजराती	1	1	2	
बंगाली	2	1	1	
तेलुगु	1	1	1	
उर्दू	2	1	—	
पंजाबी	1	—	3	
मराठी	—		1	
उड़ीया	1	—	—	
मलयालम	1	—	—	
क्षेत्रीय पुस्तकों की कुल संख्या	11	14	08	

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन-कार्य

4132. श्री मधुसूदन यादव :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश में छत्तीसगढ़ सहित किन-किन क्षेत्रों में उत्खनन कार्य किया गया और इससे किन-किन पुरातात्विक वस्तुओं की प्राप्ति हुई;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग ऐसी पुरातात्विक सामग्री के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है;

(ग) यदि हां, तो उक्तावधि के दौरान प्रकाशित ऐसी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किन-किन स्थलों पर उत्खनन किया जा रहा है, कहां-कहां इसे रोक दिया गया या स्थागित कर दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्तावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत, जारी तथा प्रयुक्त की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी) : (क) गत तीन वर्षों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खननों पर सारांश रिपोर्टें अपने वार्षिक प्रकाशन, "इंडियन आर्कियोलॉजी-ए रिव्यु" में तथा विस्तृत रिपोर्टें मेमोयर सिरीज के अंतर्गत प्रकाशित करता है।

(ग) मेमोयर सिरीज से संबंधित गत तीन वर्षों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

- त्रिवेदी, पी.के. 2009, तरखनेवाला में उत्खनन-डेरा तथा चक 86 (2003-04)।
- नम्बिराजन, एम. 2009, बेकल उत्खनन (1997-2001)।
- वर्मा, बी.एस. 2011, अंतिचक उत्खनन-2 (1971-1981)।
- लाल, बी.बी. 2011, भारद्वाज आश्रम में उत्खनन (1978-79 तथा 1982-83)।
- त्रिवेदी, पी.के. 2011, उदयगिरी-2 में उत्खनन, ओडिशा (2001-03)।
- बद्रीनाथ, एस. 2011, सिरूथावुर में उत्खनन (2008)।

- पुनाचा, के.पी. 2011, कंगनाहल्ली में उत्खनन।

(घ) उन स्थलों का ब्यौरा जहां हाल ही में उत्खनन किए जा रहे हैं तथा वे स्थल जहां उत्खनन नहीं किए जा सके, का कारणों सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्खनन तथा अन्वेषण के लिए (03 00 50) उपशीर्ष के अंतर्गत) आबंटित, निर्मुक्त तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(लाख रुपए)

वर्ष	आबंटन तथा निर्मुक्ति	व्यय
2009-10	408.00	387.79
2010-11	327.00	310.52
2011-12	305.62	303.37

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं के ब्यौरे सहित देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए (छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार) अथवा न किए गए उत्खननों (कारण सहित) तथा वर्ष 2012-13 में शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा

वर्ष 2009-10

क्र. सं.	स्थल का नाम	वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा	वर्ष 2009-10 के दौरान उत्खनन कार्य न किए जाने के कारण
1	2	3	4
1.	कोण्डापुर, कोण्डापुर मंडल, जिला मेढक, आंध्र प्रदेश	8 शीशे के बर्तन (कप); रोमन सिक्के; टेराकोटा पेन्डेंट्स; सीसे, तांबे, पोतिन तथा चांदी के सिक्के; टेराकोटा के मनके, ग्लास, खोल, लेप तथा अल्प-मूल्य पत्थर; मानव की केवोलिन मूर्तियां तथा पशु और मानव की टेराकोटा आकृतियां; लौह औजार; श्लाका सहित अस्थि वस्तुएं तथा टेराकोटा मुहरें।	—
2.	निंदौर में उत्खनन, जिला भभुआ, बिहार	—	स्टाफ की कमी की वजह से उत्खनन नहीं किया जा सका।
3.	मल्हार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, पशुओं तथा मानव की टेराकोटा आकृतियां, मुहरें, काठी और चकरियां, वृत्ताकार मुद्राएं, कर्णफूल, हाथी दांत के पासे तथा धातु के सिक्के, लौह कील, शर-शीर्ष, कुल्हाड़ी इत्यादि।	—

1	2	3	4
4.	नेत्र खीरसरा, जिला कच्छ, गुजरात	टेराकोटा आकृतियां, अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, तांबे के औजार इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के ठीकरें तथा पुरावशेष।	—
5.	शीला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उत्खनन	—	निदेशक, उत्खनन के स्थानांतरण के कारण कार्य नहीं किया जा सका।
6.	कुषाण स्तूप (असंध), जिला करनाल, हरियाणा	—	मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं किया जा सका।
7.	टिब्बा नामे शाह, मढ़ ब्लाक, जिला जम्मू, जम्मू और कश्मीर	टेराकोटा की पशु आकृतियां, चूड़ियों के टुकड़े, मनके, गेम्समैन, स्लिंग बाल, खिलौना गाड़ी, पहिया, हॉपस्कॉच, टेराकोटा केक तथा शल्क की चूड़ी के टुकड़े, पत्थर का मूसल तथा अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, लौह वस्तुएं; इत्यादि।	
8.	समीपवर्ती क्षेत्र सहित प्राचीन स्तूप के अवशेष, मलांगपुरा, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर	वैज्ञानिक शोधन कार्य किया गया।	
9.	अर्द्धगोलाकार खुली छतें/संरचनात्मक परिसरों का समूह, परी महल, जिला श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	—	वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।
10.	दौलताबाद किला, दौलताबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	तांबे के सिक्के, टेराकोटा की पशु आकृतियां; शीशे की चूड़ियों के टुकड़े; टेराकोटा मनके, शीशे के मनके; तांबे की अंगुठियां, शैलखड़ी का शिवलिंग, कीलें, लौह शर-शीर्ष तथा प्रस्तर डेबिटेज; तांबे की अंगूठी, नथनी,	—

1	2	3	4
		शीशे के मनके; टेराकोटा मनके; हॉपस्कॉचें, लैम्प; कीलें; चाकू के ब्लेड, अंगूठियां; शर-शीर्ष इत्यादि।	
11.	वैश्य टेकरी, भैरोगढ़, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश	—	समय की कमी के कारण कार्य नहीं किया जा सका।
12.	असुरगढ़ किला, केसिंगा नार्ला, जिला कालाहांडी	—	स्टाफ की कमी की वजह से कार्य नहीं किया जा सका।
13.	सैंगलूर और वदाकीपट्टी, मानापारारी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	मानव, पशु तथा पक्षियों की कई टेराकोटा आकृतियां, गेम्समैन, तकली घुमाव तथा हॉपस्कॉच और लौह वस्तुएं, छत की टाइलें तथा अन्य वस्तुएं।	—
14.	मोदीकुप्पम, तालुक गुडियाट्टम, जिला वैल्लोर, तमिलनाडु	—	स्टाफ की कमी के कारण उत्खनन नहीं किया जा सका।
15.	महाबलिपुरम पर तट से दूर और तट पर उत्खनन, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु	—	निदेशक, उत्खनन के अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका था।
16.	अहिछत्र, रामनगर, तहसील औंला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में उत्खनन	नलिकाकार ताबीज, सुरमा सलाईयां, तांबे की उत्कीर्णित वस्तु, गोमेद, क्वार्टज, एमीथीस्ट, रक्तमणि, श्रृंग प्रस्तर इत्यादि सहित अल्पमूल्य पत्थरों के मनके, सीसे की चरखी/कर्णफूल तथा चांदी और तांबे तथा तांबे और चांदी की मिश्र धातु के कुछ पंच मार्क वाले सिक्के।	—
17.	लातिया, जमानिया के नजदीक, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में उत्खनन	टेराकोटा की उत्कीर्णित मुहरें, तांबे की एक अंगूठी-सह-मुहर, टेराकोटा शीशा और पत्थर के मनके,	—

1	2	3	4
		टेराकोटा की मानक तथा पशु, पक्षी तथा सर्प की आकृतियां; तांबे के पंच मार्क वाले स्वर्ण जड़ित तांबे की अंगूठी, शल्क की चूड़ियां, टेराकोटा तथा तांबा; हाथी-दांत के पेन्डेंट्स, कछुआ आकार के टेराकोटा पेन्डेंट्स, झुनझुना, त्वचा मार्जक, सीटी, आमलक, लौह दरांतियां तथा खुरपी तथा लौह चकरियां, पेषणी तथा मूर्ति के टुकड़े।	
18.	संकीसा, जिला फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्खनन	—	स्टाफ की कमी के कारण उत्खनन नहीं किया जा सका।
19.	बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिणी दीनापुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन	ताम-पाषाणकालीन संस्कृति के काष्ठ फलक, उत्कीर्णित मोहरें तथा मुहरबंद; टेराकोटा की पशु तथा मानव आकृतियां, तांबे तथा चांदी के सिक्के, स्वर्ण वस्तुएं तथा अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके।	—

वर्ष 2010-11

क्र. सं.	स्थल का नाम	वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा	वर्ष 2010-11 के दौरान उत्खनन कार्य न किए जाने के कारण
1	2	3	4
1.	कोण्डापुर, कोण्डापुर मंडल, जिला मेढक, आंध्र प्रदेश	8 शीशे के बर्तन (कप); रोमन सिक्के; टेराकोटा पेन्डेंट्स; सीसे, तांबे, पोतिन तथा चांदी के सिक्के, टेराकोटा के मनके, ग्लास, कवच, लेप तथा अल्प-मूल्य पत्थर केवोलिन मानव तथा पशु की आकृतियां; लौह औजार; शलाका सहित अस्थि वस्तुएं तथा टेराकोटा मुहरें। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—

1	2	3	4
2.	कोतापालम, कट्रेनाकोना मंडल, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में दबे हुए बर्तनों का उत्खनन	—	तकनीकी स्टाफ की कमी की वजह से उत्खनन नहीं किया जा सका।
3.	कोल्हुआ, वैशाली के नजदीक, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बौद्धमत से संबंधित टेराकोटा मुहर तथा गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षरों में चार वर्ण लिखा हुआ एक ठीकरा, टेराकोटा मनके, टेराकोटा की मानव तथा पशु आकृतियां, गोफन कन्दुक तथा एक आमलक डैबर का टुकड़ा। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—
4.	राजा-विशाल-का-गढ़, जिला वैशाली, बिहार	मानव तथा पशु आकृतियां, पहिए, मनके, त्वचा मार्जक, मुहरें, टेराकोटा का हॉपस्कॉच, अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, अस्थि औजार, तांबे की सुरमा सलाईयां तथा तांबे के सिक्के।	—
5.	मल्हार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, टेराकोटा की मानव तथा पशु आकृतियां, मुहरें, काठी तथा चकरियां, वृत्ताकार मुद्राएं, कर्णफूल, हाथी दांत के पासे तथा सिक्के, लौह कील, शर-शीर्ष, कुल्हाड़ी इत्यादि।	—
6.	खीरसरा, जिला कच्छ, गुजरात	सभी प्रकार की हड़प्पाकालीन कलाकृतियां जिनमें विभिन्न प्रकारों तथा आकारों की नौ मुहरें सम्मिलित हैं।	—
7.	चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क, चम्पानेर, गुजरात	लौह वस्तुएं-समतल शीर्ष तथा कई मुख वाली कीलें; कुदाल के ब्लेड, लोहे की समतल पट्टियां; छड़ें अथवा खूंटियां, तांबे के बर्तन की एक पतली ठीकरी तथा तांबे की एक पतली छड़; तांबे का सिक्का,	

1	2	3	4
		शीशे की चूड़ियों के टुकड़े, टेराकोटा की बेलनाकार पाइपें; मानव तथा मानव टेराकोटा आकृतियां, नक्काशीदार डिजाइनों सहित अनेक प्रस्तर कलाकृतियां; अल्प-मूल्य पत्थर, एक छोटी तोप कन्दुक तथा एक पिस्टल की गोली।	
8.	कुषाण स्तूप (असंध), जिला करनाल, हरियाणा	—	मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं किया जा सका।
9.	कुरुगोडू (बुद्धिकोला), जिला बेल्लारी, कर्नाटक	परिष्कृत प्रस्तर कुल्हाड़ियां, सामानांतर भुजीय ब्लेडों, दांतेदार ब्लेडों तथा धारहीन कड़े ब्लेडों सहित प्रस्तरयुगीन वस्तुएं, शल्क तथा गोमेद के मनके, मानव जैसी टेराकोटा वस्तुएं तथा आकृतियां, स्वर्ण, तांबा तथा लौह धातु की वस्तुएं।	—
10.	खंडेरा नारवाड़ और टिकोडा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	प्रस्तरखंडों, हस्त-कुल्हाड़ियां, विदारकों, बची हुई पपड़ियां, सतहों की पपड़ियां, अनगढ़े पत्थर, क्रोड़ों इत्यादि सहित पाषाणयुगीन कलाकृतियां।	—
11.	सैंगलूर, कुलात्तुर, पुदुकोट्टई, तमिलनाडु	विविध प्रकार की महापाषाणयुगीन इमारतें तथा समकालीन अवधि के आवासीय खंडहर भी। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—
12.	मलायादीपट्टी, तालुक कुलात्तुर, पुदुकोट्टई, तमिलनाडु	पाषाणयुगीन औजार।	—
13.	अहिछत्र, रामनगर, तहसील औंला जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में उत्खनन	टेराकोटा मानव शीर्ष, अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके तथा पत्थर, फियांस तथा लेप।	—

1	2	3	4
14.	बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन	उत्कीर्णित मुहरें तथा मुहरबंद, टेराकोटा की मानव तथा पशु आकृतियां, तांबे तथा चांदी के सिक्के, स्वर्ण वस्तुएं तथा अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—
15.	चंद्रकेतुगढ़, मौजा हादीपुर चुपरीझारा और सिंगराती, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	टेराकोटा फलक, मुहरें तथा मुहरबंद, सिक्के। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—

वर्ष 2011-12 और 2012-13

क्र. सं.	स्थल का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा	वर्ष 2011-12 के दौरान उत्खनन कार्य न किए जाने के कारण	वर्ष 2012-13 के दौरान चल रहे कार्य
1	2	3	4	5
1.	राजा-विशाल-का-गढ़, जिला वैशाली, बिहार	टेराकोटा वस्तुएं त्वचा मार्जक, मानव आकृतियां, पेंडेन्ट्स; स्वर्ण वस्तुएं, लौह वस्तुएं, तांबे की सुरमा सलाईयां	—	—
2.	मानेर, दानापुर सैनिक छावनी के नजदीक, जिला पटना	—	—	वर्ष 2012-13 के दौरान कार्य प्रगति पर है।
3.	हरसाई स्तूप टीला, गांव गौरपुर, उपप्रभाग मंझौल, जिला बेगूसराय, बिहार	—	उत्खनन के निदेशक की पदोन्नति की वजह से स्थानान्तरण पर जाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।	—

1	2	3	4	5
4.	मल्हार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, टेराकोटा की मानव तथा पशु आकृतियां, मुहरें, काठी तथा चकरियां, वृत्ताकार मुद्राएं, कर्णफूल, हाथी-दांत के पासे तथा धातु के सिक्के, लौह कील, शर-शीर्ष, कुल्हाड़ी, झुलसा हुआ हाथी का दांत तथा 246 सिक्कों का जखीरा, इत्यादि। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—	—
5.	खीरसरा, जिला नखत्रण, गुजरात	टेराकोटा मूर्तियां, अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, तांबे के औजार इत्यादि सहित ठीकरे तथा पुरावशेष।	—	वर्ष 2012-13 के दौरान कार्य प्रगति पर है।
6.	चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क, चम्पानेर, गुजरात	लौह कीलें; शीशे की बोतलों तथा शीशे की चूड़ियों के टुकड़े, टेराकोटा की मानव तथा पशु आकृतियां, चांदी की अंगूठी, तांबे की गणेश की लघु मूर्ति, दो तांबे के सिक्के तथा दो भाले। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—	—
7.	इतखोरी, जिला चतरा, झारखंड	स्तूपों, संरचनाओं, कुछ मन्नत स्तूपों के कई विखंडित टुकड़े, बौद्ध तथा ब्राह्मणीय मूर्तिकलाएं, बलुआ पत्थर के मूर्तिकला-विषयक पैनल, मनकों जैसे टेराकोटा	—	वर्ष 2012-13 के दौरान कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
		की वस्तुएं, हॉपस्कॉच, हुक्का-चिलम, पशु की आकृतियां, गेम्समैन, कील, क्लैम्प्स, दरांती, शर-शीर्ष जैसी लौह वस्तुएं, अंगूठी तथा प्रस्तर वस्तुएं, त्वचा मार्जक, काठी, चकरी, इत्यादि।		
8.	कुरूगोडू (बुद्धिकोला) जिला बेल्लारी, कर्नाटक	मनके, टेराकोटा वस्तुएं, मानव तथा पशु आकृतियां, धातु की वस्तुएं, पतली तार की तांबे की चुड़ियां तथा अंगूठी। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—	—
9.	खंडेरा नरवाड़ और टिकोडा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	पाषाणयुगीन कलाकृतियां जिसमें हस्त कुल्हाड़ियां, विदारक, चाकू, गंडासें तथा खुरचनियां सम्मिलित हैं।	—	वर्ष 2012-13 के दौरान कार्य प्रगति पर है।
10.	खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश	गोलाश्म (शिला) के अलावा किसी प्रकार के सामग्री अवशेष नहीं पाए गए हैं। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।		
11.	शिशुपालगढ़, जिला खुर्दा, ओडिशा में उत्खनन	टेराकोटा मनके, मुहरबंद, लौह कीलें, मूसल, कर्ण गहनें। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	—	—
12.	रूपनगर या रोपड़ के कालेज	मनके, चूड़ियां, अस्थिनोक, एक बटन मुहर,	—	—

1	2	3	4	5
	परिसर के नजदीक प्राचीन स्थल, जिला रूपनगर, पंजाब	श्रृंग-प्रस्तर ब्लेड, सिक्के, तांबे, लौह तथा टेराकोटा के मानव और पशु आकृतियां इत्यादि। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।		
13.	कर्णपुर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान	–	–	वर्ष 2012-13 में कार्य शुरू किया गया है।
14.	महाराज की खेड़ी का प्राचीन टीला, तहसील-गिरवा, जिला उदयपुर, राजस्थान	–	–	वर्ष 2012-13 में कार्य शुरू किया गया है।
15.	अहिछत्र, रामनगर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश	–	–	वर्ष 2012-13 में कार्य शुरू किया गया है।
16.	पिपरहवा में प्राचीन स्थल तथा टोला गनवरिया में प्राचीन स्थल, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश	–	–	वर्ष 2012-13 में कार्य शुरू किया गया है।
17.	बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिणी दीनाजपुर, पश्चिमी बंगाल में उत्खनन	टेराकोटा टाइलें, पत्थर के वास्तुशिल्पीय खंडों के टुकड़े, मृण्पात्र, लौह कीलें, टेराकोटा फलक और प्रस्तर मनके।	–	–

विवरण-II

उप-शीर्ष 03 00 50 — अन्य प्रभार (योजना एवं गैर-योजना) के तहत अन्वेषण और उत्खनन के लिए 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आबंटन और व्यय

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/शाखाओं का नाम	मंडल का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
			आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	05.50	05.50	02.50	02.49	03.00	02.97
2.	असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय त्रिपुरा नागालैंड	गुवाहाटी	11.00	09.72	06.00	05.98	06.12	05.98
3.	बिहार	पटना	02.50	02.50	04.50	04.50	07.50	07.50
		उत्खनन शाखा: III, पटना	46.00	46.00	17.50	17.50	09.00	08.99
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	01.50	01.50	0.50	0.50	0.50	0.50
5.	गुजरात दमन और दीव (यू.टी.)	वडोदरा	04.50	04.49	10.00	10.00	05.00	05.00
		उत्खनन शाखा: V वडोदरा	16.50	16.50	18.00	18.00	20.00	22.50
6.	गोवा	गोवा	03.00	03.01	01.50	01.49	01.15	01.14
7.	हरियाणा पंजाब	चंडीगढ़	01.50	01.50	07.50	07.50	01.50	01.50
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	03.00	03.00	01.50	01.50	04.00	03.99
9.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	09.00	09.00	02.50	02.50	01.00	01.00
		लेह मंडल	0.00	0.00	0.00	02.10	02.00	01.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	झारखंड	रांची	01.50	01.50	01.50	01.49	04.00	03.98
11.	कर्नाटक	बेंगलुरु	08.50	08.49	09.00	09.00	07.00	07.00
		धारवाड़	04.50	04.49	03.50	03.50	01.50	01.50
		उत्खनन शाखा: VI, मैसूर	03.34	0.70	03.50	02.41	04.00	03.96
12.	केरल	त्रिशूर	02.50	02.50	02.50	02.50	02.50	02.50
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल	02.00	01.98	01.50	01.23	01.50	0.90
14.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	06.00	06.00	06.00	06.00	01.50	01.49
		मुम्बई	01.00	01.00	01.50	01.49	0.50	0.50
		उत्खनन शाखा I नागपुर	33.00	32.92	43.00	43.00	33.00	33.00
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दिल्ली	03.00	02.43	01.25	01.18	02.45	01.94
		उत्खनन शाखा II, नई दिल्ली	36.25	36.22	18.00	18.00	36.50	36.47
16.	ओडिशा	भुवनेश्वर	04.90	04.85	04.50	04.56	0.50	0.00
		उत्खनन शाखा IV, भुवनेश्वर	35.75	35.72	21.50	20.50	20.50	20.50
17.	तमिलनाडु	चैन्नई	06.00	06.00	7.30	6.30	04.00	04.73
18.	राजस्थान	जयपुर	03.75	03.75	1.00	0.98	0.80	0.80
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा	11.00	11.00	12.00	12.00	07.00	06.98
		लखनऊ	09.50	09.50	7.00	7.00	04.00	03.25
20.	उत्तराखंड	देहरादून	02.50	02.42	1.00	1.00	01.00	0.98
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	18.50	18.50	21.00	21.00	11.00	10.95
22.	पुरालेख नागपुर		01.75	01.49	1.75	1.75	01.50	01.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	पुरालेख मैसूर		02.00	02.16	4.50	4.19	06.50	06.50
24.	पुरालेख, चैन्नई		02.75	02.75	2.50	2.50	01.50	01.50
25.	पुरालेख, लखनऊ		0.10	0.09	0.06	0.05	01.00	0.14
26.	प्रागैतिसिक इतिहास, नागपुर		05.00	04.79	13.60	11.83	03.50	02.50
27.	मंदिर सर्वेक्षण परियोजना भोपाल		02.50	02.50	6.00	6.00	03.50	03.50
28.	मंदिर सर्वेक्षण परियोजना, चेन्नई		02.25	02.30	11.00	11.00	03.00	03.00
29.	बीएसपी, नई दिल्ली		02.16	02.30	3.90	3.71	01.10	01.20
30.	महानिदेशक, कार्यालय		78.00	74.84	23.00	20.29	58.38	58.36
31.	पुरातत्व संस्थान		03.00	01.88	6.00	7.00	07.00	06.73
32.	आर.डी., केंद्रीय, भोपाल		00.00	0.00	6.00	5.00	11.00	11.00
33.	अंर्तजलीय पुरातत्व		00.00	0.00	0.00	0.00	02.00	02.00
34.	विज्ञान शाखा, औरंगाबाद		00.00	0.00	0.00	0.00	01.00	01.00
35.	आरक्षित		11.00	0.00	10.14	0.00	0.62	0.00
	जोड़		408.00	387.79	327.00	310.52	305.62	303.37

[अनुवाद]

चारा-फसल को प्रोत्साहन

4133. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में चारा-फसल को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से चारा-फसलों के उच्च पैदावार वाले नए किस्म के बीज निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं;

(घ) क्या विगत तीन वषो के दौरान सरकार को चारा-फसलों के उच्च्च पैदावार वाले नए किस्म के बीजों के वितरण में पक्षपात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारोपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह विभाग राज्यों को चारा मिनीकिट्स आवंटित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए आवंटन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है। लाभभोगियों का चयन राज्यों द्वारा किया जाता है।

(घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

आहार और चारे का विकास करनें के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा:-

(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजना: एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'चारा और आहार विकास योजना' 01.04.2010 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन आहार और चारे का विकास करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षे. के राज्यों सहित राज्यों को सहायता दी जाती है। घटक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

योजना के घटक और सहायता की पद्धति:

क्र. सं.	संशोधित घटकों/नए घटकों के नाम	सहायता की पद्धति
1	2	3
1	चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनिटों की स्थापना	50:50
2	घास रिजर्व सहित चरागाह विकास	100:00
3	चारा बीज खरीद और वितरण	75:25
4	आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	50:50
5(क)	हाथ से चलने वाले शेफ कटर शुरू करना	75:25
5(ख)	बिजली से चलने वाले शेफ कटर शुरू करना	75:25
6	सांइलेज बनाने वाले यूनिटों को स्थापना	100:00
7	अझोला खेती और उत्पादन यूनिटों का प्रदर्शन	50:50
8	बाइपास प्रोटीन उत्पादन यूनिटों का स्थापना	25:75
9	क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण/आहार पेलेटिंग/आहार निर्माण यूनिटों की स्थापना	25:75

(2) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना: इनका नाम केन्द्रीय चारा विकास संगठन (सीएफडीओ) है। इसमें निम्नलिखित तीन घटक हैं:-

1. चारा उत्पादन और प्रदर्शनों के लिए सात क्षेत्रीय केन्द्र (आरएसएफपी एंड डी)।
2. एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म (सीएफएसपीएफ)
3. केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम (सीएमटीपी)

(3) 100% केन्द्रीय सहायता के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन 2011-12 में एक त्वरित चारा विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 2011-12 और 2012-13 के दौरान आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-4 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार केरल राज्य के इडुक्की और कुट्टानाड के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पशुधन और मात्स्यकी पैकेज क्रियान्वित कर रही है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना के अधीन जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (22.11.2012 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	82.25	622.00	0.00	301.35
अरुणाचल प्रदेश	55.00	0.00	55.00	
असम	0.00	0.00	218.20	
बिहार	0.00	100.00	0.00	
छत्तीसगढ़	6.00	0.00	65.20	
गुजरात	224.00	550.00	1368.43	493.63
हरियाणा	0.00	145.00	120.00	
हिमाचल प्रदेश		258.75	0.00	
झारखंड	0.00	255.00	0.00	415.41
जम्मू और कश्मीर	66.50	53.19	213.43	66.50
कर्नाटक	0.00	435.00	0.00	894.21
केरल	138.95	112.01	130.25	
मध्य प्रदेश	0.00	114.00	199.00	
महाराष्ट्र	54.50	160.75	376.32	1782.94
मणिपुर	80.00	0.00	0.00	
मेघालय	0.00	27.61	0.00	
मिजोरम	0.00	100.00	0.00	278.00
नागालैंड	0.00	71.00	127.80	
ओडिशा	12.00	0.00	0.00	15.00

1	2	3	4	5
पंजाब	0.00	465.51	0.00	273.63
राजस्थान	129.26	145.00	0.00	120.75
सिक्किम	50.00	65.00	124.00	124.00
तमिलनाडु	63.50	121.00	0.00	
त्रिपुरा	0.00	32.25	0.00	36.53
उत्तर प्रदेश	118.34	123.00	0.00	36.00
उत्तराखंड	0.00	230.00	247.37	
पश्चिम बंगाल	0.00	57.91	0.00	50.00
अन्य (एनपीसी)	29.70	0.00	6.00	10.00
कुल	1110.00	4243.98	3251.00	4897.95

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों को चारा मिनीकिटों का आवंटन

राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	42,000	63,500	57,317	1,121
अरुणाचल प्रदेश	20,00	5,833	4,500	2,300
असम	15,000	19,100	12,500	0
बिहार	92,500	2,05,000	1,44,167	4,100
छत्तीसगढ़	18,000	33,000	21,000	2,300
गोवा	4,000	5,000	3,000	0
गुजरात	64,840	42,630	44,187	6,900
हरियाणा	56,187	69,588	94,100	27,263

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	50,650	44,500	69,000	7,400
जम्मू और कश्मीर	39,773	56,006	43,250	5,572
झारखंड	24,000	67,000	39,750	5,600
कर्नाटक	68,042	51,500	56,186	4,500
केरल	20,250	37,558	24,850	0
मध्य प्रदेश	62,000	42,000	72,000	2,800
महाराष्ट्र	36,000	38,500	1,01,342	5,400
मणिपुर	3,000	3,000	4,000	0
मेघालय	2,500	3,000	3,500	0
मिजोरम	2,000	3,000	3,500	0
नागालैंड	3,200	3,000	5,500	3,600
ओडिशा	68,500	20,500	33,000	3,600
पंजाब	26,500	21,300	59,690	5,600
राजस्थान	92,566	110,966	1,18,206	5,615
सिक्किम	3,000	7,000	4,000	0
तमिलनाडु	28,300	39,976	19,838	3,536
त्रिपुरा	3,000	5,000	6,500	0
उत्तर प्रदेश	59,347	106,430	1,39,524	3,600
उत्तराखंड	20,000	44,430	41,500	3,600
पश्चिम बंगाल	15,500	29,565	20,125	9,944
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	500	1,500	500	0
कुल	9,23,155	11,79,382	12,46,532	1,14,351

2011-12 के दौरान त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (एएफडीपी) के संबंध में राज्य-वार सूचना और 2012-13 के दौरान धनराशि के आवंटन के संबंध में राज्य-वार सूचना

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2011-12 के दौरान उपलब्धि		2012-13	
		पहचान किए गए समूह	जारी की गई धनराशि	धनराशि का आवंटन	23.11.2012 की स्थिति के अनुसार जारी की गई धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	72.00	30.00	20.00	10.00
2.	बिहार	75.00	24.50	—	—
3.	छत्तीसगढ़	18.00	4.69	—	—
4.	गुजरात	73.00	15.00	40.00	40.00
5.	हरियाणा	84.00	15.00	20.00	15.00
6.	कर्नाटक	175.00	30.00	15.00	15.00
7.	मध्य प्रदेश	55.00	30.00	—	—
8.	महाराष्ट्र	150.00	37.77	45.00	35.00
9.	पंजाब	65.00	15.50	20.00	10.00
10.	राजस्थान	302.00	52.04	30.00	15.00
11.	तमिलनाडु	31.00	15.50	10.00	10.00
12.	उत्तर प्रदेश	380.00	30.00	—	—
	कुल	1480.00	300.00	200.00	150.00

[हिन्दी]

बीएसएफ हेतु पेंशन-लाभ

4134. श्री रामसिंह कस्वां : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) का सेवा शर्तें सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस बल के लिए पृथक सेवा नियम बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सेवानिवृत्त कार्मिकों को, सरकार द्वारा ऐसे कार्मिकों को पेंशनदाय का आदेश दिए जाने के बावजूद, पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशनदाय के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को अखिल भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भूतपूर्व-सैनिक कल्याण संघ (रजि.), राजस्थान की ओर से कतिपय मांगे प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अपने संबंधित अधिनियमों तथा नियमों द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा, सीएपीएफ कार्मिकों की सेवाओं के कुछ घटक अपने संबंधित नियमों में यथानिर्दिष्ट सिविल सेवा नियमावली द्वारा शासित होते हैं, जिनमें सीसीएस (आचरण) नियम, सीसीएस (एलटीसी) नियम, सीसीएस (चिकित्सा परिचर्या) नियम, सीसीएस (एफआर/एसआर) नियम, सीसीएस स्थापना एवं प्रशासनिक मैनुअल, सीसीएस (जेटी) नियम तथा सीसीएस (टीए/एचआरए) नियम शामिल हैं। इसके अलावा, सीएपीएफ के सेवानिवृत्त कार्मिक केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 तथा अन्य संबद्ध नियमों द्वारा शासित होते हैं।

(ग) और (घ) दिनांक 01.01.2004 से पहले बीएसएफ में नियुक्त हुए सभी सेवानिवृत्त बीएसएफ कार्मिक सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन के पात्र हैं। तथापि, दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त हुए बीएसएफ कार्मिक नई परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा शासित होते हैं।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ (रजि.) राजस्थान से ऐसी कोई मांग इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कोयला-ब्लॉकों का आबंटन

4135. श्री खगेन दास : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने इस्पात का अपना उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय से और अधिक कोयला-ब्लॉक आबंटित करने की गुजारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) सेल सहित विभिन्न केन्द्रीय पीएसयू से कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। तथापि, सरकार को वर्तमान में कोयला ब्लॉकों के आवंटन के एिल सरकारी कंपनियों से आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्देशीय जलचर-पालन तथा मत्स्यपालन विकास

4136. श्री संजय भोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्ष 2012-13 के दौरान ओडिशा में अंतर्देशीय जलचर-पालन तथा मत्स्यपालन विकास योजना के तहत तालाब विकास कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों को राजसहायतार्थ पर्याप्त निधि आबंटित करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए उक्त योजना के तहत उन्हें पर्याप्त राजसहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास' के अधीन, अन्यों के साथ-साथ तालाबों के विकास के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना के अधीन सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजसहायता प्राप्त करने के लि पात्र हैं। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह योजना मांग-आधारित है। 2012-13 के दौरान उपर्युक्त योजना के अधीन तालाबों के विकास और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए ओडिशा सरकार को 313 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण

4137. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छोटे किसानों को उनकी कृषि उपज के प्रसंस्करण के संबंध में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त कार्य योजना के तहत राज्य-वार कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां, महोदया। मानव संसाधन विकास स्कीम के उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) घटक के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि उपज की बरबादी को कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से कृषि उत्पादों को मूल्यवर्द्धित उत्पादों में प्रसंस्करण करने पर बल देता है। इसके लिए किसानों एवं संदर्शी उद्यमियों/बेरोजगार युवकों को सघन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें मूल्यवृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण की संकल्पना के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

11वीं योजना के दौरान, उद्यमशीलता कार्यक्रमों को संपूर्ण भारत में आयोजित करने के लिए उद्यमशीलता कार्यक्रमों को विभिन्न केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थानों, उद्योग संगठनों/एसोसिएशनों तथा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संस्वीकृत और कार्यान्वित किए गए हैं। 11वीं योजना (2012-13) के दौरान, केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) की शुरूआत के साथ मानव संसाधन विकास स्कीम तथा इसके सभी घटकों को वर्ष 2012-13 के दौरान मिशन में सन्निविष्ट कर दिया गया है जिन्हें राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और राज्य ही आवेदन प्राप्त करते हैं और निधियों को संस्वीकृत करके जारी करते हैं, स्कीम का पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग करते हैं।

(ख) जिन संगठनों को उद्यमशीलता कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई थी, उन्होंने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (नवम्बर, 2012 तक) पूरे देश में 729 ईडीपी उद्यमशीलता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान प्रतिबद्ध मामलों को निपटाया है तथा 12वीं योजना (2012-13) के दौरान एक उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालित करने के लिए 2.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। मानव संसाधन विकास स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक उद्यमशीलता कार्यक्रम 25-35 प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया जाता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, आयोजित किए गए उद्यमशीलता कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों (ईडीपीज) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 30.11.2012 तक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	17	14	13	3	47
3.	असम	10	20	8	0	38
4.	अरुणाचल प्रदेश	0	8	4	0	12

1	2	3	4	5	6	7
5.	बिहार	5	6	10	0	21
6.	छत्तीसगढ़	5	15	15	0	35
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
8.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	0	3	5	0	8
10.	गोवा	3	3	3	0	9
11.	गुजरात	0	0	0	3	3
12.	हरियाणा	7	8	12	2	29
13.	हिमाचल प्रदेश	4	5	15	0	24
14.	जम्मू और कश्मीर	0	10	11	0	21
15.	कर्नाटक	3	6	5	6	20
16.	केरल	11	12	5	1	29
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1	11	18	1	31
19.	महाराष्ट्र	17	11	28	5	61
20.	मणिपुर	1	7	2	1	11
21.	मिजोरम	0	7	3	0	10
22.	मेघालय	3	7	4	0	14
23.	नागालैंड	5	8	2	0	15
24.	ओडिशा	18	19	12	4	53
25.	पुदुचेरी	2	2	2	0	6
26.	पंजाब	0	10	15	0	25
27.	राजस्थान	0	5	11	3	19

1	2	3	4	5	6	7
28.	सिक्किम	4	2	0	0	6
29.	तमिलनाडु	14	18	18	3	53
30.	त्रिपुरा	5	5	8	0	18
31.	उत्तर प्रदेश	10	12	15	0	37
32.	उत्तराखंड	14	2	10	0	26
33.	पश्चिम बंगाल	9	6	8	5	28
34.	झारखंड	4	10	6	0	20
	कुल	172	252	268	37	729

दूरदर्शन-केन्द्रों में अपलिंक/डाउनलिंकिंग सुविधाएं

4138. **योगी आदित्यनाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी दूरदर्शन-केन्द्रों में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी दूरदर्शन-केन्द्रों में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सैटेलाइट अपलिंकिंग सुविधा उन दूरदर्शन केंद्रों में प्रदान की गई है जहां कार्यक्रमों के अपलिंकिंग हेतु आवश्यकता होती है। डाउनलिंकिंग सुविधा सैटेलाइट के माध्यम से कार्यक्रमों की अभिप्राप्ति हेतु सभी दूरदर्शन केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है।

सैटेलाइट अपलिंकिंग सुविधा वर्तमान में पूरे देशभर में 36 दूरदर्शन केंद्रों में उपलब्ध है। निम्नलिखित पांच और दूरदर्शन केंद्रों में सैटेलाइट अपलिंकिंग सुविधा स्थापित करने हेतु परियोजनाएं चल रही हैं जो 11वीं योजना के हिस्से के रूप में हैं:-

(i) इंदौर (मध्य प्रदेश)

(ii) जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)

(iii) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

(iv) विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)

(v) राजकोट (गुजरात)

उपर्युक्त परियोजनाएं 2013 में पूरी हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

बहुस्तरीय विपणन संबंधी समिति

4139. **श्री प्रदीप माझी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विक्रय नेटवर्क/बहुस्तरीय विपणन में संलग्न कंपनियों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के साथ, बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कम्पनियां प्रत्यक्ष विक्रय/नेटवर्क मार्केटिंग/बहुस्तरीय विपणन श्रृंखला पद्धति का उपयोग करते हुए भारतीय उपभोक्ता बाजार में कार्य कर रही है और अपने उत्पादों को बेच रही हैं। तथापि, इन कम्पनियों द्वारा झेले जा रहे परिचालनात्मक मुद्दों को देखने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। जिसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:—

सौंपे गए कार्य

निम्नलिखित पर विचार करना:—

(i) प्रत्येक/बहुस्तरीय विपणन कम्पनियों को विनियमित करने के कोई कानून अधिनियमित करने की आवश्यकता; अथवा

(ii) केरल दिशा-निर्देशों के अनुसार इन कम्पनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना; अथवा

(iii) पुरस्कार, चिट एवं धन परिचालन (प्रतिबंध) अधिनिय, 1978 में संशोधन के माध्यम से प्रत्यक्ष/बहुस्तरीय विपणन और पिरामिड स्कीम की परिभाषाओं को शामिल करना;

(iv) ऐसी बहुस्तरीय विपणन स्कीमों के संबंध में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए 'जागो ग्राहक जागो' के अंतर्गत जागरुकता अभियान आयोजित करना;

(v) उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां;

(vi) ऐसी बहुस्तरीय विपणन स्कीमों को चला रही कम्पनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सुझाव;

(vii) इन विपणन स्कीमों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए कौन सा विभाग होना चाहिए;

(viii) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय;

(ग) और (घ) इस विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि-फसलों की आनुवंशिक सामग्री

4140. श्री एम. आनन्दन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने निजी बीज कंपनियों को पादप-जीव बैंक तक अभिगम्यता देते हुए उन्हें विभिन्न कृषि फसलों की आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कदम देश में जैविक चौरी को विधिमान्य कर देगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आईसीएआर के इस कदम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने निजी बीज कंपनियों को पादप आनुवांशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की मांग के अनुसार निजी बीज कंपनियों को जारी किस्मों के प्रजनक बीज और संकर किस्मों के पैकृत वंशक्रम की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा पैतृक वंशक्रम के बीज की आपूर्ति के लिए भा.कृ.अ.प. ने परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जननद्रव्य के समस्त आदान-प्रदान का कार्य भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

(घ) भारत सरकार द्वारा सुरक्षित तंत्र के रूप में जैव-विज्ञान विविधता अधिनियम, 2002 तथा जैव विज्ञान विविधता नियम, 2004 पहले से ही मौजूद है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा सभा पटल पर रखे गऐ पत्रों को लेगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री जगदीश शर्मा, श्री रामकिशुन, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

...*(व्यवधान)*

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सिंगरेनी कोलीएरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) सिंगरेनी कोलीएरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8044/15/12]

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8045/15/12]

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8046/15/12]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8047/15/12]

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8048/15/12]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोर्ल्ड फील्ड्स के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री दिनशा पटेल]

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8049/15/12]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8050/15/12]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8051/15/12]

(2) (एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8052/15/12]

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8053/15/12]

(3) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8054/15/12]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्ति अपेक्षाएं, भंडारण सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (संशोधन) आदेश, 2012 जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2320(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8055/15/12]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय

में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8056/15/12]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8057/15/12]

(ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8058/15/12]

(ग) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8059/15/12]

(घ) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8060/15/12]

(4) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुबुदूर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8061/15/12]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

[श्री मनीष तिवारी]

(क) (एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8062/15/12]

(ख) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8063/15/12]

(2) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8064/15/12]

(3) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8065/15/12]

(4) (एक) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8066/15/12]

(5) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों एवं अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 884(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राधिकरण विनियम, 2012 जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-10/178/2012-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8067/15/12]

(6) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8068/15/12]

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी, नोएडा के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी, नोएडा के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8069/15/12]

अध्यक्ष महोदया : श्री आर.पी.एन. सिंह — उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरण दास महन्त) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 22 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी-02/12 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8076/15/12]

(2) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8077/15/12]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महन्त) : महोदया, मैं श्री तारिक अनवर के स्थान पर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8078/15/12]

(ख) (एक) नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8079/15/12]

(2) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[डॉ. चरण दास महन्त]

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8080/15/12]

(4) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8081/15/12]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8082/15/12]

(6) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8083/15/12]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. मंगलोर के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. मंगलोर के वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा एन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8084/15/12]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम

127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 दिसम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 सितम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये पूर्वो त्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(दो) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(तीन) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में पारित संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक 2012 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2012 को यथापारित संविधान (एक सौ सत्रहवां (संशोधन) विधेयक, 2012 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 13 दिसम्बर, 2012 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

आचार समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : महोदया, आचार समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

38वां से 41वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राव इंद्रजीत सिंह (गुड़गांव) : सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

[श्री राव इंद्रजीत सिंह]

से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

31वां से 32वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महोदया, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(2) ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 24वां और 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति (2011-12) का 17वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति (2011-12) का 18वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बदूर) : रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों — 2011-12' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) 'नई रेलवे भर्ती नीति' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.05½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

(एक) 34वें से 37वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 27वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 28वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 29वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 30वां प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे-की-गई अनुवर्ती कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम, 389 के अनुसरण में तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा संसदीय समाचार भाग-II के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

इस समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई का विवरण कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

इस समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गयी है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़ने के लिए सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(दो) खान मंत्रालय अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8085/15/12

**सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8086/15/12

[श्री दिनशा पटेल]

कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 25वीं रिपोर्ट को 08.05.2012 को लोक सभा में पेश किया गया, जो वर्ष 2012-13 के लिए खान मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित था। इस पर की गई कार्रवाई की सूचना समिति कार्यालय को 17.08.2012 को भेज दी गई है। समिति की 25वीं रिपोर्ट में 22 सिफारिशें थीं, जिस पर सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित थी।

कार्यान्वयन की स्थिति को मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है, जो सदन के पटल पर रखा गया है। अनुलग्नक को पढ़ने हेतु मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता, एवं आग्रह करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा संसदीय समाचार भाग-II के माध्यम से जारी किए गए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 389 के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर यह वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

गृह मंत्रालय की वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठकें दिनांक 28 मार्च, 2012 और 4 अप्रैल, 2012 को हुई थीं। इसके बाद समिति ने दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को अपना 161वें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति ने अपनी 161वें प्रतिवेदन में कुल अस्सी (80) सिफारिशें (पैराग्राफ संख्या 2.21.1; 2.21.4; 2.21.8; 3.2.15; 3.2.16; 3.2.17; 3.2.18; 3.3.8; 3.3.9; 3.4.5; 3.4.6; 3.5.3; 3.5.4; 3.6.4; 3.7.5; 3.8.3; 3.9.4; 3.10.8; 3.10.9; 3.10.10; 3.11.23; 3.11.24; 3.11.25; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.19; 4.1.20; 4.1.25; 4.1.26; 4.1.35; 4.1.36; 4.1.37; 4.1.42; 4.1.43; 4.1.48; 4.1.56; 4.1.57; 4.1.62; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.21; 4.2.22; 4.2.23; 4.2.24; 4.3.15; 4.3.16; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.19; 4.4.12; 4.4.13; 4.4.14; 4.4.15; 4.5.7; 4.5.8; 4.5.9; 4.5.40; 4.6.18; 4.6.19; 4.6.20; 4.6.21; 5.1.10; 5.1.11; 5.1.12; 5.1.13; 5.1.14; 5.1.15; 5.2.7; 5.2.8; 5.2.9; 5.2.10; 5.3.4; 5.3.5; 5.4.22; 5.4.23 (I से XII) 5.5.3; 5.5.4; 5.6.10; 5.6.11; और 5.7.2] कीं जिन पर गृह मंत्रालय को कार्रवाई करनी थी। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सभा सचिवालय को की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट भेज दी गई है।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8087/15/12

इस मंत्रालय ने प्रतिवेदन में निहित 80 सिफारिशों में से 79 सिफारिशों को पूरी तरह से/आंशिक रूप से अथवा मामूली संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है और 01 सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। कुछ सिफारिशों के संबंध में, यह मंत्रालय उसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अनेक सिफारिशों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा कार्रवाई किया जाना एक सतत् प्रक्रिया होती है और तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है अथवा की जा रही है।

समिति की 161वें प्रतिवेदन के विभिन्न पैराग्राफों में विहित सिफारिशों के संबंध में की गई/की जा रही कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

अपराह्न 12.07½ बजे

(चार) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महन्त) : महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:—

कृषि संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की चौंतीसवीं रिपोर्ट 30.04.2012 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2012-13 हेतु कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है और इसमें 17 सिफारिशें

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8088/15/12

हैं। ये सिफारिशें मुख्यतया निधियों के आबंटन और उपयोग, कृषि में निवेश, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य पहलों एनएफएसएम, विपणन अनुसंधान तथा सूचना तंत्र, ग्रामीण भंडारण योजना, भारत में नाशीजीव प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/प्रेक्षणों पर की-गई-कार्रवाई की विवरणी दिनांक 30.7.2012 को कृषि से संबंधित समिति को भेजी गई थी।

समिति की 17 सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख मेरे वक्तव्य के अनुबंध में किया गया है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं इस अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा, इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2013 के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2013 के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

43वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दक्षिण दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम शून्य काल लेते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मैडम, आपने पहले माननीय नेता जी को बोलने देने के लिए कहा था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह महिलाओं का विषय है और लीडर ऑफ अपोजिशन की रिक्वेस्ट थी। इसके बाद आपको बुला देते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्षा जी, दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते यहां की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के नीचे नहीं है बल्कि सीधे केंद्र सरकार के नीचे है। लेकिन बहुत दु:ख होता है, जब अखबारों में सुर्खियां छपती हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कर के यह कहा जाता है कि यह शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है। यह टिप्पणी उस समय ज्यादा कष्टदायक हो जाती है, जब यह पता लगता है कि यहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। आए दिन नई-नई वारदातें होती हैं। बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के, महिला मुख्य मंत्री की तरफ से एक बयान आता है कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां अकेले न निकलें।...*(व्यवधान)*

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अध्यक्ष जी, कल रात जो घटना घटी, वह रात्रि 9.30 बजे की है। महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पुरुष मित्र भी था। इसलिए न तो घटना देर रात की है और न लड़की अकेली थी। 23 वर्ष की फिजियोथैरेपिस्ट महिला द्वारका जाने के लिए 9.30 बजे एक बस में बैठती है। अंदर जो बैठे हैं, उनमें से कोई भी यात्री नहीं हैं। वे एक तरह का नापाक इरादा ले कर बैठे हैं। वे उस महिला के साथ छेड़खानी करते हैं। उसका पुरुष मित्र रिसिस्ट करता है, लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, तो उसके सिर पर रॉड्स मारते हैं, लोहे की छड़ें मारते हैं और उसके बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। गैंगरेप करके उसे बस से नीचे फैंक देते हैं। कल हमारे यहां से कुछ महिलायें, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वहां देखने के लिए गयीं, डॉक्टर ने उन्हें मिलने नहीं दिया, लेकिन बाहर उसकी दास्तान सुनायी कि लड़की वेंटिलेटर पर है। उसके इंटेस्टाइंस पूरे डैमेज हो चुके हैं। वह बचेगी या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है। आज सुबह पीठ से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया – जघन्य कृत्य। शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नहीं हो सकता है।

अध्यक्षा जी, यह कोई एक अकेली घटना नहीं है, आए-दिन ये घटनायें हो रही हैं और इसलिए आज हम लोगों को प्रश्न काल स्थगित करने इस प्रश्न को उठाना चाहा था, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप शून्य प्रहर में इसे उठाने देंगी और स्वयं जब आपने कहा कि यह जघन्य कृत्य है तो हमें लगा कि ज्यादा शांति से इस मसले को उठाया जाना जरूरी है। बहुत बारे मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों की फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इस तरह की घटना की शिकार महिला न जिंदा में रही और न मरे में रही। वह एक जीवित लाश बनकर अपना जीवन जियेगी, अगर बच गयी तो, अभी वह जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं वह बचेगी या नहीं। अगर वह बच गयी तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए?

अनेक माननीय सदस्य : होनी चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कहना चाहती हूं कि अभी तो सब लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, केवल दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं? यह सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाएं, जो महिलायें कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, पेट की भूख उनको रात में वहां ले जाती है क्योंकि कॉल सेंटर्स रात में ही चलते हैं। ये मध्यमवर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। मैंने कहा कि कल की वारदात तो देर रात की भी नहीं है। वह अकेली भी नहीं है, इससे ज्यादा वह क्या करे? रात के साढ़े 9 बजे वह एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है।

अध्यक्षा जी, आप स्वयं बताइए कि किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए? कोई शब्द इसकी निंदा करने के लिए नहीं बचता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्रवाई केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बतायें। यह पूरा सदन इसकी पुरजोर भर्त्सना करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें आश्वासन दें। मुझे यही आपसे कहना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : डॉ. गिरिजा व्यास।

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलैंगोवन (चेन्नई उत्तर) : मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। हम इस मुद्दे से अपने-आपको संबद्ध करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : कृपया इससे स्वयं को सम्बद्ध करें। कृपया अपना नाम भेज दें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : महोदया, यह दिल्ली का मसला है, मुझे भी इस पर बोलने का समय दे दीजिए। मुझे केवल दो मिनट का समय दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं इस मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवराम गौड्डा, श्री जोसेफ टोप्पो, श्री रामकिशुन, श्री यशवीर सिंह, श्री नीरज शेखर, श्री धनंजय सिंह, श्री

रमेन डेका, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री पी.टी. थॉमस, डॉ. मिर्जा महबूब बेग, श्री शिवकुमार उदासी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और प्रो. सौगत राय अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़) : महोदया, पहले मैं बोलूंगी। यह महिला का विषय है। दिल्ली से ज्यादा महिला का विषय है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया, उनको बोल लेने दीजिए। यह विषय ऐसा है कि इसमें बीच में डिस्टर्ब न करें तो ठीक रहेगा। आप बोलिये।

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदया, मुझे नहीं पता कि मैं पीड़ा से, दु:ख से, शर्म से, लज्जा से या क्रोध, किस भावना से आज अपनी बात को इस सदन में रखूंगी। माननीया सुषमा जी ने जो विषय उठाया, वह विषय हर एक के दिल में है। मैं अपने भाई से माफी चाहती हूं, लेकिन मैं सोचती हूं कि प्रत्येक महिला आज लज्जा से भी, क्रोध से भी और निश्चित तौर पर हम लोग एक ऐसे तय के वातावरण में हैं, आज उन सबकी तरफ से मैं यहां पर निवेदन करना चाहती हूं। चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मैट्रो सिटीज हों, चाहे दूर-दराज के गांव हों, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, आज जिस तरह महिलाओं के साथ रेप की घटनायें बढ़ती ही चल जा रही हैं और विशेषकर दिल्ली पर तो इसलिए ज्यादा ध्यान जाता है क्योंकि दिल्ली में सारे देश की महिलायें, बच्चियां, यहां पर पढ़ने भी आती हैं, कामकाज के लिए भी आती हैं और यहां पर निश्चित तौर पर अपने भविष्य के लिए भी आती हैं और अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, रोजगार के लिए भी यहां आती हैं। पहले सुनने में आता था और मैं तो इसकी गवाह हूं, महिला आयोग में रोजमर्रा का कार्य था कि एक दूसरे-तीसरे दिन इस प्रकार की घटना हो जाती थी। लेकिन कारों में या बस में, बड़ी बस में यह घटना घटती है तो निश्चित तौर पर आज बहुत सारे प्रश्नों पर दिमाग जाता है कि इसका कारण क्या है। महोदया, मैंने स्वयं रात को चैक किया था। अभी का तो मुझे पता नहीं लेकिन आज से दो साल पहले तक इन बसों में एक कांस्टेबल जाया करता था। ट्रेन स्टेशन्स पर भी मैंने स्क्यूरिटी देखी थी, लेकिन कल की घटना के बाद मैंने देखा, इसका पता किया तो मुझे पता चला कि बसों में किसी तरह की कोई सिक्यूरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पैट्रोलिंग के लिए रात को जो कारें चला करती थीं, उनमें कमी हुई है। तीसरी बात यह है कि कुछ प्रोन इलाके हैं जो बस से संबंधित भी हैं और जो उन झुग्गी झोपड़ियों में या दूसरे इलाके हैं जो इसके लिए प्रोन माने गए हैं, वहां भी पुलिस की जिस तरह से चौकसी होती थी, वह चौकसी भी गायब है। मैं आज दिल्ली की बात तो कर ही रही हूं, लेकिन तीन सालों के देश के आंकड़े हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम लोग जहां दूसरे विषयों के प्रति तो जागरुक हैं, लेकिन महिला की अस्मिता के प्रति जागरुक नहीं हैं। इसके लिए मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब एक बार जब *साक्षी वर्सेज़ यूनियन गवर्नमैंट* के संबंध में अपना जजमैंट देने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि कभी कोई औरत मरती है या मारी जाती है तो वह एक बार मरती है, लेकिन जब किसी औरत का रेप होता है, बलात्कार होता है तो वह प्रत्येक पल मरती है। आज इसलिए इस विषय को गंभीरता के साथ लिए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं दु:ख के साथ निवेदन करना चाहती हूं, मैंने यह मामला उठाना ही चाहा था और हमने इस पर सैक्सुअल असॉल्ट बिल बनाकर बहुत पहले सरकार को भेजा हुआ है। वह आपकी सूची में भी है। मैं आपके माध्यम से आज संसदीय कार्य मंत्री जी से और विशेषकर अपोजीशन की लीडर और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि अविलंब उस बिल को सदन में लाकर पास किया जाए। इंडियन पिनल कोर्ड में रेप की जो परिभाषा है, वह भी परिवर्तित होनी जरूरी है क्योंकि अब तक केवल एक्चुअल रेप को ही रेप माना जाता है लेकिन *ईव-टीजिंग* के नाम पर जो घटनाएं होती हैं, मैं उसको भी इसमें जोड़ना चाहूंगी। एक केस मेरे पास आया था। मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की लड़की थी, उस लड़की ने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया और हर पांच मिनट बाद वह नहाने के लिए गुसलखाने में घुस जाती थी। मां मेरे पास लाई। मैंने उसकी कुछ काउंसलिंग की और तब निकलकर आया कि गरीब घर की बच्ची है, एक टीचर की बच्ची है, किसी तरह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी और बस में उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता था जिसके साथ छेड़छाड़ न हो। और उसकी मानसिक हालत ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि वह हर पल सोचती थी कि मैं अशुद्ध हो गई हूं और मुझे नहाना चाहिए। बहुत मुश्किल से वह बच्ची ठीक हुई। महोदया, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। यह विषय इसका या उसका, इधर का या उधर का, महिलाओं का या पुरुष का, किसी एक स्टेट का या दसरी स्टेट का, किसी एक वर्ग का या दूसरे वर्ग का नहीं है। यह महिलाओं का सवाल है, औरतों का सवाल है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने इस पर एक कमेटी सभी

[डॉ. गिरिजा व्यास]

गवर्नर्स को लेकर बनाई थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं और सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूं कि पहले भी जो कमेटी बनी थी, उनकी भी मीटिंग नहीं हुई, उस संबंध में हम लोग चर्चा करें।

महोदया, इसमें पांच चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला होता है कानून का कड़ा होना। कानून है लेकिन आईपीसी में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें पुलिस का जो एक्जीक्यूशन पार्ट है, उस पार्ट में ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन उस ट्रेनिंग का हश्र क्या हुआ? किसी भी राज्य में अब पुलिस की कोई ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। महोदया, यह राज्य का विषय है। मैं आपके माध्यम से राज्यों से केन्द्र सरकार की तरह से निवेदन करना चाहती हूं कि आप कहें कि वे इस पर ट्रेनिंग शुरू करें। तीसरा, एक्जीक्यूशन पोर्ट का हाल यह है कि जो रेप के एक्चुअल केसेज भी हैं, उनको भी पता नहीं किन धाराओं में वे केस बना देते हैं कि वे जल्दी से छूट जाते हैं। राजस्थान की एक घटना है कि सात साल की एक बच्ची से रेप करने वाला कुछ दिनों के लिए जेल गया। धाराएं ऐसी छोटी थीं कि छूटकर आया और छूटने के 15 दिन बाद ही उसने फिर से रेप किया, लेकिन इस बार वह रेप उसने तीन साल की बच्ची के साथ किया और उस बच्ची को उसने मार भी डाला। इसलिए मैं इस बात को नहीं कहती क्योंकि अगर मौत की सजा होने लगी तो उन बच्चियों को मारने की घटनाएं भी होंगी। लेकिन जो सैक्सुअल असॉल्ट बिल है, उसमें इस सबकी बात है। तीसरा होता है अवेयरनैस का प्रोग्राम, ट्रेनिंग का प्रोग्राम और सैल्फ डिफैन्स का प्रोग्राम। यह सैल्फ डिफैन्स का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस भी करती थी, और राज्य भी करते थे, लेकिन सैल्फ डिफैन्स के प्रोग्राम मुझे इन दिनों न किन्हीं राज्यों में और न दिल्ली राय में दिखाई देते हैं। उस कार्यक्रम के लिए आप सरकार को निर्देश दें कि प्रत्येक राज्य सरकार से कहें कि इस प्रकार के सैल्फ डिफेंस के कार्यक्रम भी हों। महिलाएं तो जाएंगी, रात को भी नौकरी करेंगी। नर्सेस भी रात को जाती हैं। आज ही मीडिया कर्मी की एक शिकायत मेरे सामने आई है कि रात को दस बजे वह मीडिया कर्मी बच्ची किसी अपने कार्यक्रम को कर रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़, ईव टीजिंग को भी सेक्सुअल एसॉल्ट में एक तरह से रेप के समकक्ष ही माना गया है और एक दंड की प्रक्रिया, जब तक दंड बहुत मजबूत नहीं होगा, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं, जिनमें उन्होंने उन्हें मृत्युदंड तक का दंड दिया। चाहे कोलकाता का ही मामला हो, जो बहुत दिनों बाद तक निकल करके, बहुत सालों बाद हुआ है, लेकिन प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि उसमें दस-दस, बीस-बीस साल लग जाते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, पांच कदम कर लें। पहली बात यह है कि प्रिवेंशन के लिए सेल्फ डिफेंस हो। उसी के साथ-साथ सुरक्षा कर्मी हर जगह पर हों। सेल्फ डिफेंस के साथ-साथ पहले से वे प्रोन एरियाज पर सरकार, प्रशासन एवं विशेषकर पुलिस की निगाह हो। दूसरी बात यह है कि यदि घटना घट जाती है तो तुरंत प्रभाव से उनको पकड़ा जाए। उनको सजा के लिए ले जाया जाए। 164 के तहत उस महिला या बच्ची का बयान हो। उसी समय उसका मेडिकल हो, क्योंकि विलम्ब से मेडिकल घटना को आगे बढ़ा देता है और फिर फास्ट ट्रेक कोर्ट हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बात पर तारीफ करना चाहूंगी।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरे जितना कड़ा कोई नहीं बोला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उन्होंने इस बात को कहा है। मैं चाहती हूं कि आप उन पर दबाव डालें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केवल दिल्ली में, बल्कि प्रत्येक राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकता है।...*(व्यवधान)* जब राजस्थान डेढ़ महीने में इस पर फैसला सुना सकता है।...*(व्यवधान)* दस-दस साल तक रेप की बच्चियां कहां जाएं? तीसरी और आखिरी बात यह है कि रेप विक्टिम के संबंध में...*(व्यवधान)* शांत रहिए, मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूं। आप महिला के दर्द को सुनिए।

अध्यक्ष महोदया, डेढ़ महीने में इसका फैसला एक राजस्थान की कोर्ट ने सुनाया था। कोर्ट चाहे तो इस पर फैसला कर सकती है। प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था – *[अनुवाद]* आप कर सकते हैं और यही कारण है कि आपको करना चाहिए। *[हिन्दी]* सरकार और प्रशासन भी कर सकता है। इसलिए उन्हें करना चाहिए। चौथी बात यह है कि इसमें सिविल सोसायटी की भूमिका है। हम केवल यहां बैठ कर चर्चा न करें। अपने इलाकों में इसकी निगरानी में भी हमारी भागीदारी हो और मीडिया की भूमिका, जिसमें मैं मीडिया की तारीफ करना चाहूंगी कि उनके द्वारा कम से कम इन बातों का पता हमें चलता है। ये सब बातें होने के लिए आज आपका इंटरवेंशन बहुत आवश्यक हो गया है। मैं फिर कहूंगी, फिर दोहराऊंगी कि बहुत शर्म और लज्जा के साथ मैं एक औसत के दर्द को यहां पर, इस सदन में रखी रही हूं। यह दर्द और पीड़ा कोई राजनीति से प्रेरित नहीं हैं, यह दर्द और पीड़ा केवल महिला होने के नाते है, यह दर्द और पीड़ा एक मानवीयता

के नाते हैं। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम भी इंसान हैं और इंसान के साथ जीना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री एस.एस. रामासुब्बू अपने आपको डॉ. गिरिजा व्यास के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

कल जो घटना हुई है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पूरे देश और समाज के लिए शर्म से सिर झुका लेने वाली घटना है कि हम अपपने समाज को किस और ले जा रहे हैं, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता।

मैं सरकार के पक्ष में यह निवेदन करना चाहती हूं, पूरे सदन की यह भावना है कि इस पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं। कोई विलंब न हो, कोई ऐसा संदेश न जाए कि इसमें विलम्ब हो रहा है।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, मैं आपकी भावनाओं से और सदन की भावनाओं से अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सख्त से सख्त से कदम उठाए जाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं होगी। ये जो घटना हुई है, इस घटना से केवल ये सदन ही चिंतित नहीं, आज देश का हर सिटिजन बहुत चिंतित है।

अपराह्न 12.30 बजे

(दो) सच्चर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, मैंने पिछले सत्र में भी सवाल उठाया था और कहा था कि देश में सबसे खराब हालत और गिरी हुई हालत मुसलमानों की है। यह हम नहीं कह रहे हैं, राजेन्द्र सच्चर जी की जो कमेटी बैठी, उस कमेटी की रिपोर्ट में यह आया है कि अनुसूचित जाति से और जनजाति से भी खराब हालत मुसलमानों की है, इसलिए मुसलमानों की संख्या के अनुसार आरक्षण किया जाये।

जहां तक मुसलमानों का सवाल है, देश की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने आगे बढ़कर काम किया है। अब्दुल हमीद ने हिन्दुस्तान की शान को कायम रखा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के लिए कुर्बानी करने में पीछे नहीं रहे। आज सबसे जयादा दस्तकारी 80 फीसदी मुसलमानों के हाथों में है। आज सबसे अच्छा कपड़ा बुनने वाले मुसलमान, बनारसी साड़ी बनाने वाले मुसलमान, भदोही के कारपेट बनाने वाले मुसलमान, बढ़िया से बढ़िया शेव बनाने वाले मुसलमान और अच्छे बाल काटने वाले मुसलमान हैं। हिन्दुस्तान के अंदर आज भी 80 फीसदी दस्तकारी मुसलमानों के हाथों में है। ताले बनाने वाले भी, मिसाइल बनाने वाले भी, रेल के डिब्बे बनाने वाले, बस बनाने वाले, हर स्तर पर, साइकिल से लेकर सारे दस्तकारी के काम आज मुसलमानों के हाथों में हैं। देश के विकास में अगर हिन्दुस्तान में किसी का योगदान है तो दो वर्गों का है, एक मुसलमान और एक किसान। इन दोनों ने देश की तरक्की के लिए काम किया है। इन 80 फीसदी लोगों ने देश के विकास के लिए काम किया है, लेकिन आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मुसलमानों की इतनी गिरी हुई हालत होते हुए भी, पहले सत्र में भी हमने सवाल उठाया था और पिछले साल के और पिछले साल भी सवाल उठाया था और उस पर विचार करने के लिए सरकार ने वायदा किया था कि हम विचार करेंगे, गम्भीरता से विचार करेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार ने क्या विचार किया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है, आपकी सरकार ने ही सच्चर कमेटी बिठाई और रंगनाथ मिश्र आयोग भी और उन्होंने भी लिखा है, लेकिन जस्टिस सच्चर ने तो स्पष्ट लिखा है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए।

सरकार ने यहीं सदन के अंदर वायदा किया था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। सरकार ने आरक्षण के संबंध में क्या विचार किया, आपका विचार किया, आपका विचार क्या है, जबकि सच्चर कमेटी आपकी सरकार ने बिठाई? कांग्रेस सरकार ने अंदर की सरकार के पास उन्होंने अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट भेजी है। आपके पास रखी हुई रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की और आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा वर्ग, जो देश के विकास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, उसके आरक्षण में आज तक क्या देरी हो रही है? जो सच्चर कमेटी ने भी और अन्य कमेटियों ने भी, रंगनाथ मिश्र आयोग ने भी, सब ने यह स्वीकार किया है कि मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में गिरी हुई है, वे अनुसूचित जाति और जनजाति से भी ज्यादा निम्न स्तर पर हैं, वे आज रिक्शा चला रहे हैं और बनारसी साड़ी और अच्छा कपड़ा बुनने वाले हैं, सबसे ज्यादा रिक्शा चलाने वाले मुसलमान हैं और उम्र से पहले अपनी जान दे देते हैं तो उन मुसलमानों के बारे में जब देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश में अच्छे हथियार

[श्री मुलायम सिंह यादव]

बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए मुसलमानों की अहम भूमिका रही है तो आखिर सरकार इनके आरक्षण पर क्यों नहीं तैयार हो रही है? हमारी मांग है कि मुसलमानों के हालात तभी सुधरेंगे, जब मुसलमानों की संख्या के अनुसार उनका आरक्षण सरकारी नौकरियों से लेकर, चाहे विधान सभा हो या लोक सभा हो, इसमें निश्चित रूप से आरक्षण किया जाये।

अध्यक्ष महोदया, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। यह मामूली बात नहीं है कि आज मुसलमानों की हालात गिरती चली जा रही है। आज मुसलमान रिक्शा चला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं और बड़े-बड़े घरानों में जाकर भी सफाई कर रहे हैं, गंदगी दूर कर रहे हैं, नालियों और गंदगी दूर कर रहे हैं, देश के अंदर आजादी के बाद इस स्तर पर मुसलमानों को पहुंचा दिया है, इसलिए आज हमारी अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं हस्तक्षेप करके मुसलमानों के आरक्षण पर जोर देकर उनका आरक्षण सारे स्तरों पर करायें। यह हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुरा) : महोदया, आज अल्पसंख्यक दिवस है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री कमल नाथ जी बोलेंगे। श्री आचार्य जी, माननीय मंत्री जी को बोलने दें। आचार्य जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कमल नाथ जी, आप बोलएं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, जहां तक जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात है, गवर्नमेंट ने उसके कई मुद्दों पर एक्शन लिया है और जो बाकी बचे हैं, उन पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : विचार नहीं, उसे लागू कब कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : डॉ. एम. तम्बिदुरई, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महादेया : उनको बोलने दीजिए, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री कमल नाथ जी, क्या आप अभी भी इनका जबाव दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : मैडम, मैंने अभी कहा था कि इस रिपोर्ट पर हमने कई कदम उठाए हैं और उसकी जानकारी आपको और पूरे सदन को भी है। उनकी बाकी जो सिफारिशें थीं, हम उन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सबसे चर्चा करके...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आरक्षण के बारे में क्या राय है? सच्चर आयोग ने साफ कहा है कि बिना आरक्षण के...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं) : उसे लागू कब करेंगे?

श्री कमल नाथ : मैडम, हम आरक्षण के कोई मुद्दे को नजरंदाज नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा है कि कुछ कदम हमने उठाये हैं, वह आप भी जानते हैं। बाकी कदम जो हमें उठाने हैं, उन पर हम आपस में विचार कर रहे हैं, गवर्नमेंट में उनकी चर्चा हो रही है। ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : बहुत सी सिफारिशें नहीं लागू कर रही है यह सरकार,...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : मैडम, सच्चर या...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यहां क्या हो रहा है? मैंने श्री तम्बिदुरई जी को बोलने के लिए कहा है। कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री, डॉ. पुरात्ची थलैवी अम्मा ने तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन जो तमिलनाडु सरकार के पूर्ण-स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है, की पुनः चालू किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं, वे बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। श्री तम्बिदुरई जी बोल रहे हैं, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। श्री देव गौडा जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : यह कॉरपोरेशन प्रत्येक ग्राहक को प्रतिमाह में 70 रुपये 100 चैनल उपलब्ध करा रहा है। इसके कारण, लगभग 60 लाख ग्राहकों ने तमिलनाडु अरासु टीवी केबल कॉर्पोरेशन में नामांकन कराया है। हमने भी डीएएस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार ने इस प्रकार की प्रणाली के लिए वर्ष 2008 में अनुमति ली थी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने इस तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कारपोरेशन को शुरू किया था जो गरीब जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले निजी प्रचालक प्रति ग्राहक प्रति माह 250 रुपये ले रहे हैं। निजी प्रचालक केवल 30 चैनल उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन तमिलनाडु कॉर्पोरेशन केवल 70 रुपये में 100 चैनल उपलब्ध करा रहा है। तदुपरांत, भारत सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम एरिया को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम एरिया में बदल दिया। तदनुसार, तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन ने चेन्नई शहर में भी डिजिटल मोड में अपना प्रचालन शुरू करने के लिए सभी प्रयास किये हैं इस कॉर्पोरेशन ने लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से सेट टाप बाक्स, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ग्राहक प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति और हेड एंड को बनाने के लिए क्रयादेश दिया है।

तमिलनाडु अरासु केबल टीवी-कॉर्पोरेशन ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम लाइसेंस के लिए 5.7.2012 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया। लाइसेंस जारी करना अभी भी लंबित है। यह ज्ञात हुआ है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तमिलनाडु में 9 बहु-प्रणाली प्रचालकों को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम लाइसेंस जारी किये थे। इन सभी प्रचालकों ने तमिलनाडु अरासु केबल-टीवी कारपोरेशन के आवेदन करने के बाद लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय मदुरई खंडपीठ ने भी 6.12.2012 को आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कारपोरेशन को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया जारी रह सकती है और लाइसेंस दिया भी जा सकता है।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं अपने दल की ओर से और तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री की ओर से मैं भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र लाइसेंस जारी किया जाए ताकि जनता इसमें लाभान्वित हो सके। हमने माननीय मंत्री जी को कई बार अभ्यावेदन दिया है। हम सभी संसद सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और अनुरोध किया लेकिन इसमें विलंब हो रहा है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक आप से अनुरोध करता हूं कि यह सिर्फ जनहित के लिए है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यह निजी कम्पनी नहीं है। तमिलनाडु सरकार इस पर एकाधिकार नहीं कर रही है। यहां तक कि निजी प्रचालकों को भी तमिलनाडु में प्रचालन करने की अनुमति है। तब क्यों भारत सरकार लाइसेंस देने से मना कर रही है और इसमें विलंब कर रही है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके इसमें कोई निहित हित हैं। इस बारे में हमें संदेह है। यही कारण है कि हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से यथाशीघ्र डीएएस लाइसेंस देने का पुनः अनुरोध करेंगे ताकि तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन कार्यक्रम प्रसारित करने और लोगों को लाभान्वित करने में सक्षम हो सके। तमिलाडु सरकार ने इस उपक्रम का तमिलनाडु में सबसे बड़ा नेटवर्क कवरेज है। इसीलिए, हमें आशा है कि सरकार प्रोत्साहित करेगी और देखेगी यथाशीघ्र लाइसेंस दिया जाए।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. एन. तम्बिदुरई द्वारा उठाये गये मामले से श्री के. सुगुमार को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के भिन्न भागों में सैकड़ों मुस्लिम युवाओं को आतंकी हमलों से संबंधित मामलों में गलत तरीके से गिरफ्तार करने और झूठे अभियोग लगाने संबंधी न्यायिक अवहेलना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ मामलों में इन नवयुवकों को मुकदमों के दौरान ही 10 से 14 वर्षों तक जेल में कैद रखा गया और अन्त में न्यायालय द्वारा उन्हें निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया। यह दिल्ली में हुआ, यह कश्मीर में हुआ, यह उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में हुआ। नवीनतम उदाहरण लाजपत नगर घटना का मामला है। सरोकार रखने वाले नागरिकों के अनेक समूहों और संगठनों ने इन मामलों के ब्यौरे इक्कठे किये जिससे यह पता चला कि न्यायालय के निर्णयों में अन्वेषण एजेंसियों के मुस्लिम नवयुवकों के प्रति पक्षपातपूर्ण मानसिकता और कई मामलों में निर्दोष नवयुवकों के विरुद्ध गलत सबूत प्रस्तुत करने पर कठोर टिप्पणी की गई है।

मुस्लिम युवकों को आज सबसे अधिक निशाना बनाया जाता है। यही कारण है कि मैं सरकार से उन अधिकारियों जिन्होंने उन्हें जेल में रखा को दंडित करने और ऐसे मामलों में फसाएं गए निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा देने और उनके पुनर्वास करने की मांग करता हूं। इसी के साथ, विशेष न्यायालय का प्रावधान भी किया जाना चाहिए जो समयबद्ध प्रक्रिया से एक वर्ष के अंदर इन मामलों को निपटा सके। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के कठोर उपबंधों पर फिर से विचार किया जाए और उसे हटाया जाए। यह मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदया : श्री एम.बी. राजेश को प्रो. शेख सैदुल हक द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में आज बैंक लोन और एजुकेशन लोन की जो स्थिति है उसके बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी परिस्थिति का विकास हुआ है कि आज गरीब भी किसी भी कीमत पर अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहता है। उसी की वजह से बैंकों से 4 लाख रुपये तक के लोन की व्यवस्था हुई है कि बच्चों को एजुकेशन लोन देना चाहिए। दुर्भाग्य से बहुत से प्रयासों के बाद भी आज बैंक ऐसे कार्य के लिए उत्साहित नहीं हैं जिसमें उन्हें घूसखोरी का फायदा न हो। आज बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई के लिए एडमिशन होता है। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें समय पर लोन मिल जाए लेकिन बैंक इतना तंग करते हैं कि उन्हें 8-10 बार भागना पड़ता है। हमने इस बारे में मंत्री जी को लिखा, प्रयास किया और तमाम अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन इसका कोई उत्साहवर्धक परिणाम नहीं मिल रहा है।

मैं माननीय सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करें कि यह जो नियम लागू हुआ है, इसका क्रियान्वयन भी समय पर जो जाए जिससे गरीब विद्यार्थियों का बहुत लाभ हो सकता है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा कोई सिस्टम बने जिससे बैंकों की मनमानी न चले और विद्यार्थियों को लाभ हो सके।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री कमल किशोर 'कमांडो' अपने आपको डॉ. संजय सिंह के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने देश के दूध उत्पाद किसानों की समस्या रखना चाहता हूं। आज पूरे देश में किसान और दूध उत्पादक बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन कर रहे हैं। कई सहकारी संघ और प्राइवेट कंपनियां दूध खरीदते हैं। देश में हर राज जितना दूध जमा होता है, उसमें से 60-70 प्रतिशत दूध की बिक्री होती है और बाकी बचे हुए दूध का पाउडर हर संघ और उत्पादक बना देते हैं। दूध के संकलन और बिक्री में आज भी ज्यादा तफावुत आ रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें बनावट, दूध का उत्पादन भी बड़ी समस्या है। दूध का ज्यादा उत्पादन और कम बिक्री से संकलन करने वाले असमर्थता की स्थिति में हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे जलगांव जिले का एक दूध संघ जो हर रोज ढाई लाख लीटर दूध का संकलन करता है, उसमें से डेढ़ लाख लीटर दूध की बिक्री होती है और बाकी के एक लाख लीटर दूध का पाउडर बनाना पड़ता है। आज पूरे देश में दूध पाउडर का रेट 130 रुपये प्रति किलो है और उसके बनाने का खर्च 180 रुपये प्रति किलो है। बीच में सरकार ने कुछ दूध पाउडर निर्यात भी किया था और उसके लिए सब्सिडी दी थी। लेकिन बाद में सब्सिडी बंद हो गई और निर्यात भी बंद हो गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे दूध उत्पादक जो किसान भी हैं, जिनका पूरक व्यवसाय दूध है, अगर उन्हें बचाना है तो दूध पाउडर एक्सपोर्ट होना चाहिए। उसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। इससे सहकारी संघ बेचेंगे और दूध उत्पादकों को भी मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदया : श्री हंसराज गं. अहीर, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी और श्री दुष्यंत सिंह अपने आपको श्री हरिभाऊ जावले के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़) : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान पालक्काड़ में रेल डिब्बा कारखाना परियोजना के कार्यान्वयन में हो रहे अत्यधिक विलंब के गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पालक्काड़ रेल डिब्बा कारखाना की घोषणा रेल बजट 2008-09 में रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के साथ की गई थी। तथापि, रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली पहले ही उत्पादन प्रारंभ कर चुका है और पालक्काड़ रेल डिब्बा कारखाना परियोजना के कार्यान्वयन में अभी भी विलंब किया जा रहा है।

केरल सरकार ने रेलवे को अपेक्षित भूमि निःशुल्क दे दी है। केरल की पूर्व सरकार ने भी सारी व्यवस्थाएं की थीं। एक वर्ष पूर्व इस परियोजना की नींव रखने का समारोह आयोजित किया गया था। तत्कालीन रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि रेल डिब्बा कारखाना परियोजना को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा कि वैश्विक निविदा छह माह के अंदर आमंत्रित की जाएगी और एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई जाएगी। तथापि, उसके बाद से लगभग एक वर्ष बीत गया है किन्तु सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। यह केरल के लोगों की काफी लंबे समय से और उचित मांग है। इस परियोजना को लागू न करके सरकार ने केरल के लोगों को धोखा दिया है। मैं सरकार से आग्रह कहना चाहता हूं कि वह अपने वचन का मान रखे और केरल के लोगों को किए गए वायदे को पूरा करे। यह केरल प्रति भेदभाव है। ऐसा केरल से संबंधित प्रत्येक परियोजना के संबंध में बार-बार हो रहा हैं यह गंभीर चिन्ता का विषय है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आश्वासन दे कि इस परियोजना को समयबद्ध ढंग से शीघ्र लागू किया जाएगा सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया होना चाहिए कि इस परियोजना को समयबद्ध ढंग में लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.टी. थॉमस, श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री पी.के. बिजू को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : मैं अविलंबनीय लोक महत्व का एक विषय उठाना चाहता हूं। स्वर्गीय जगन्नाथ नाना शंकरशेर 1803-1865 एक प्रसिद्ध मानवतावादी और शिक्षाविद् थे। वह प्रायद्वीपीय रेल, जो मुम्बई और ठाणे के बीच चलती थी, से संबद्ध एक महान भारतीय थे। मुंबई के बृहद् पुनर्निर्माण कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वह 1861 में मुम्बई विधानपरिषद् के लिए भी नामित किए गए थे। एक प्रसिद्ध और राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से, मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकरशेर रेलवे स्टेशन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं संथाल परगना के जिस एरिया से आता हूं, पहले ऐसा होता था और कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु है, धर्म गुरु है, तो अंदाजा नहीं होता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि मैथेलॉजी है, रामायण में और महाभारत में जो बातें लिखी हुई हैं, वे गलत हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की लिपि मिली है, यदि उसकी भाषा का क्लियरेंस हुआ है तो वह दिखाता है कि संथाल की भाषा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से काफी हद तक मिलती है। इसी कारण हमारे यहां जो मंदार पहाड़ है, जहां की पुतुल देवी सांसद हैं। वहीं पर देवों और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें अमृत मिला, एरावत मिला और लक्ष्मी भी मिलीं। यह मैथेलॉजी साइंस के आधार पर, बीरबल साहनी जो बहुत बड़े ज्योलोजिस्ट थे, उन्होंने इसे प्रूव किया है। सन् 1940 से लेकर 1948 तक उन्होंने संथाल परगना जो कि अंग प्रदेश का अंग है, उसमें उन्होंने काफी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये देखा कि साहबगंज की जो पहाड़ी है, उसमें डायनासोर युग के जीवाश्म हैं। 15 लाख से 20 लाख करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिलते हैं। यदि मंदार पहाड़ को आप देखेंगे, यदि इसकी तुलना करेंगे कि वहां जीवाश्म मिला है अंग प्रदेश में, यह बीरबल साहनी ने साइंस के आधार पर प्रूव किया है। लेकिन उस जीवाश्म को रखने के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए आज तक भारत सरकार या राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया है। यही कारण कि खनन माफिया के द्वारा अंधाधुंध उस इलाके में पत्थर तोड़ने का व्यवसाय हो रहा है। इस कारण वे जीवाश्म दिन-प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। उसे भी पत्थर

[श्री निशिकांत दुबे]

माफिया यह कहकर तोड़ रहा है कि यह भी पत्थर का ही कोई अंग है। इस पर आईआईटी खड्गपुर के, लखनऊ के बीबरल साहनी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, वहां की स्थानीय सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी और भागलपुर विश्वविद्यलाय के प्रोफेसर हैं, लगातार प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। मैंने भी पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन जी से और नारायण स्वामी जी, जो कि यहां बैठे हुए हैं, उनसे मिला, लेकिन आज तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ। पिछले 50-60 साल से वैज्ञानिक, वहां के स्थानीय लोग, वहां के जनप्रतिनिधि लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चहता हूं कि यह देश की बात है। मैं कनाडा गया था, वहां केलेग्री, एक छोटी सी जगह है। वहां पर पूरे देश भर के डायनासोर युग के जीवाश्म हैं। उस म्यूजियम को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इंटरवीन करें, सरकार को आदेश दें कि इस जीवाशम की कैसे रक्षा होगी। वहां कैसे म्यूजियम बनाया जाएगा। वहां पर्यटन और साइंस के लिए कैसे व्यवस्था होगी। यदि यह हो जाता है तो संथाल परगना और अंग प्रदेश के लिए बड़ा काम हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदया: श्री निशिकांत दुबे ने जो विषय उठाया है, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री शिवकुमारी उदासी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री पी.एल. पुनिया अपने आपके उससे सम्बद्ध करते हैं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी प्रदेश रहा है लेकिन दुर्भाग्य से आज वह पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो कभी शुगर उत्पादन का कटोरा माना जाता था, सात सरकारों की उपेक्षा के कारण कोओपरेटिव्ज क्षेत्र की मिलें कुछ तो बंद हो गयी हैं और कुछ बंदी के कगार पर हैं। तमाम मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। मैंने सरकार को इस बारे में लिखा भी था लेकिन सरकार का एक गलत जबाव इस संबंध में आया कि चीनी मिलों पर किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है जबकि सभी चीनी मिलों पर 14 करोड़ रुपये से लेकर 30-40 करोड़ रुपये तक प्रत्येक चीनी मिल पर किसानों का बकाया है। एक तरफ चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है, दूसरी तरफ जो समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए था वह भी सरकार ने मात्र 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया है। चीनी का दाम तिगुना हो गया है, 12 रुपये किलों की चीनी आज 36 रुपये किलो बिक रही है। आखिर उसी तर्ज पर गन्ने का मूल्य किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है?

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, आपने नोटिस तो कुछ और दिया है और आप बोल कुछ और रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ : किसानों पर नोटिस होगा।

अध्यक्ष महोदया : अब आप देखकर आइये, फिर बोलिये। आपका इश्यू खत्म हो गया।

योगी आदित्यनाथ : मैं अपने मूल विषय पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : अब आप देखकर आइये, फिर बोलिये। आपका इश्यू खत्म हो गया।

योगी महोदया : मैं अपने मूल विषय पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप इतना इधर-उधर घूम रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मूल विषय पर आ रहा हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : मैडम, महात्मा लोग तो इधर-उधर घूमते ही रहते हैं।

योगी आदित्यनाथ : मैडम, मेरा विषय वही है। गन्ना किसानों की समस्या....

अध्यक्ष महोदया : आपने नोटिस गन्ना किसानों पर नहीं दिया है।

योगी आदित्यनाथ : मैडम, मैंने क्वेश्चयन ऑवर सस्पेंशन का नोटिस इस पर दिया था और मैंने एलपीजी से संबंधित जीरो-ऑवर का नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)* मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जाए और जो उनका बकाया है उसका भी भुगतान किया जाए और जो उनका बकाया है कि उसका भी भुगतान किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : आप अब बैठ जाएं, आपकी बात पूरी हो गयी है, अब आपकी बात समाप्त हो गयी है।

श्री कामेश्वर बैठा — उपस्थित नहीं।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : अध्यक्षा जी, आज चंदवा के चांद की चांदनी से आसन आलोकित है और उसी आलोक में मैं सदन

के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैडम, 2000 ईस्वी से बिहार अंधेरे में है और 22 वर्षों से बिहार की कोख से बिजली की एक किरण नहीं निकल रही है और मैं समझता हूं कि 2015 ईस्वी तक बिहार अंधेरे में रहने के लिए विवश है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पिछले दिनों चार वर्ष पहले, हमारा क्षेत्र जो नवादा है जो पिछड़ेपन से अभिशप्त है, उस रजौली को विद्युत ताप केन्द्र के रूप में चयनित किया है। सर्वेक्षण भी हुए और उसके बाद भारत सरकार ने बिहार सरकार को लिखा कि आपके यहां आबादी तो घनी नहीं है, ठीक है, सकारात्मक है लेकिन पानी की कमी है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दो-दो बार राष्ट्रीय विकास परिषद् में भारत सरकार को आश्वस्त किया कि वहां की जो नदी है उसमें डैम बनाकर पानी की व्यवस्था करके, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं। बिहार सरकार के बार-बार आग्रह करने के बाद भी भारत सरकार अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। मैडम, मैं अपनी पीड़ा को इसीलिए व्यक्त करना चाहता हूं। बिहार एक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता है।

महोदया, बिहार का मौन आने वाले तूफान को निमंत्रण देता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार को हमारी भावना का, क्योंकि हमारी भावना केवल एक क्षेत्र की भावना नहीं है बल्कि सम्पूर्ण बिहार की सियासत है, सम्पूर्ण बिहार की जो सांस्कृतिक चैतन्य आत्मा है, ध्यान रखना चाहिए। उसकी पीड़ा को हम आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी संवेदना का समादर करते हुए आपके माध्यम से भारत सरकार रजौली में आणुविक विद्युत ताप केंद्र की स्थापना करेगी।

[अनुवाद]

***श्री पी. लिंगम** (तेनवासी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, रेल बजट 2011-12 में यह घोषणा की गई थी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएम) पेराम्बुर, चेन्नई की दूसरी इकाई हमारे देश में रेल सेवाओं के विस्तार और अच्छी गुणवत्ता वाले डिब्बों के विनिर्माण करने के लिए स्थापित की जाएगी। परंतु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को यह दूसरी इकाई आज तक स्थापित नहीं की गई है। रेलगाड़ियों में अनेक डिब्बों का सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। डिब्बों में चूहे और खटमल होते हैं। जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त लोग चाहते हैं कि रेलवे नई रेलगाड़ियां चलाए और नई सेवाएं शुरू करें। इस समय, रेल बजट – 2011-12 में यथाघोषित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बुर, चेन्नई की स्थापना न करना, काफी निराशाजनक है।

महोदया, इंटीग्रल कोच, फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई अपनी कोटि में श्रेष्ठ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, चेन्नई में विनिर्मित होने वाले डिब्बे श्रेष्ठ गुणवत्ता के हैं, इस प्रकार देश के तरह रेल डिब्बा कारखानों में से इस रेल डिब्बा कारखाना का कार्य निष्पादन सबसे श्रेष्ठ है।

फिर भी चेन्नई में कारखाने की दूसरी इकाई स्थापित नहीं की गई है। इस इकाई में निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यह वस्तुतः निराशाजनक है। महोदया, विगत वर्ष में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर, चेन्नई में एक हजार पांच सौ चौबीस रेल डिब्बे बनाए गए थे। पहले 16 हजार कर्मी एक हजार रेल डिब्बे बनाते थे। परन्तु अब केवल 11 हजार कर्मचारियों ने काम कर एक हजार पांच सौ चौबीस रेल डिब्बे बनाए हैं। चेन्नई स्थित इस इंटीग्रल कोच फैक्टरी में स्टाफ की कमी है। अब कर्मचारियों पर काम का अधिक बोझ है। उन्हें इस स्थिति में धकेला गया है। उनके मजदूर संघ अधिकारों को स्वीकार नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक मजदूर संघों को मान्यता नहीं दी जाती है।

इसलिए, महोदया इस सम्मानित सभा के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार और रेल मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल बजट 2011-12 में यथा घोषित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, चेन्नई की दूसरी इकाई की स्थापना बिना किसी और विलंब के की जाए। कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को मजदूर संघ के सभी अधिकार देने होंगे। कर्मचारियों की कमी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देना होगा। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि देश की रेल सेवा का उन्नयन और विस्तार योगियों की आवश्यकताओं के अनुयप किया जाए ताकि उन्हें आरामदायक यात्रा का लाभ मिल सके। महोदय, मैं एक बार पुनः रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इन मुद्दों पर विचार करें।

श्री एम.के. राघवन (कोझीकोड) : अध्यक्ष महोदया, मैं दुःखी मन से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सभी के सरोकार से जुड़े मुद को उठाने का अवसर दिया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा का ध्यान 1971 के भारत पाक युद्ध में लापता हुए फ्लाइंग आफिसर के.पी. मुरलीधरन द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान देश के द्वारा दिए गए अपमान की ओर दिलाना चाहता हूं।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री एम.के. राघवन]

हाल ही में राष्ट्र ने 16 दिसंबर, 2012 को भारत-पाक युद्ध में प्राप्त विजय को याद करते हुए विजय दिवस को मनाया। किन्तु भारतीय वायु सेना के वीरतापूर्ण कार्यों को आघात पहुंचाकर और सरकार के निष्क्रिय ओर अटपटे के जबाव ने मुझे इस मुद्दे को उठाने के लिए बाध्य किया तथा यह के.पी. मुरलीधरन जो भारतीय वायु सेना के 20वीं स्कवाड्रन के फ्लाइंग आफिसर थे, को 41 वर्ष बाद भी महावीर चक्र न देने से संबंधित है। उन्होंने पेशावर के एयर बेस पर साहसपूर्ण हवाई हमला किया था जिससे बहुत से हैंगर, एयर फील्ड के भवन इत्यादि नष्ट हो गए थे तथा इस कार्य के दौरान उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिये। उनके बहादुरी भरे कारनामे की विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) सलीम बेग जिन्होंने उस विमान को मार गिराया था, ने अपने संस्करण "एयर बैटल्स – दिसंबर, 1971 आईएक्सपीरियन्स " मं प्रशंसा की है।

अपराह्न 01.00 बजे

परन्तु, दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने न तो इस युवा अधिकारी के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित किया बल्कि महावीर चक्र से उसे सम्मानित न करके इस पूरे कार्य और अधिकारी का अपमान किया और यह कहा गया कि ऐसे कार्य के दो वर्षों के भीतर सम्मानित किया जाना चाहिए। सम्मान देने से इंकार करते हुए इस प्रकार के अटपटे और माफी न मांगने वाले वक्तव्य की कभी उम्मीद नहीं थी जबकि स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवाय्या को वही सम्मान उनकी मृत्यु के 23 वर्षों बाद दिया गया।

यह दोहरा मानदंड क्यों अपनाया गया है? यदि दो वर्ष की बाध्यता है तो चूककर्त्ताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या इस दुनिया में शहादत की समाप्ति की भी कोई तिथि होती है? ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना है।

अत: इस अवसर पर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुन: विचार करे तथा राष्ट्र के द्वारा सम्मान के रूप में दिवंगत सैनिक को उसके साहसपूर्ण कार्य के लिए सम्मानित करे तथा मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि हम ऐसे अवसर पर ऊपर उठते हुए युद्ध वीरों का अपमान नहीं करना चाहिए।

***श्री थोल तिरुमावलावन** (चिदम्बरम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 करोड़ से अधिक है। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए सरकार और देश के कानून पर भरोसा करना पड़ता है। किन्तु स्वतंत्रता के 65 वर्षों बाद भी जातिगत अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। दलितों का जीवन असुरक्षित है। मैं हाल ही में दलितों के साथ हुई जातिगत हिंसा की कुछ घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लक्ष्मीपेट नामक गांव में 'मल्ला' समुदाय के कुछ दलित सरकारी भूमि पर कृषि कार्य करते थे। इस कार्य में शामिल होने के कारण कुछ महीने पहले 'कापू रेड्डी' समुदाय के जातिवादी समर्थकों ने उन पर हमला किया। 'कापू रेड्डी' समुदाय के ये लोग दलितों की गलियों में गए और उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में पांच दलित मारे गए। पूरे गांव में रक्तपात हुआ। मैंने जातिगत हिंसा से पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए गांव का दौरा किया था। इस तरह के अत्याचार हर राज्य में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में हाल ही में नाथम, अन्ना नगर एक कोंडमपट्टी नामक दलितों के तीन गांवों पर हमला किया गया था। तीन हजार से अधिक जातिवादी समर्थकों इन तीन गांवों में तोड़-फोड़ की। उन्होंने बड़े पैमाने पर आगजनी करके गांव को नष्ट किया और उनकी बहुत सारी सम्पत्ति लूट ली। उन्होंने यह कार्य दिन दहाड़े किया। उन्होंने गांव के शाम चार बजे प्रवेश किया उनकी तोड़-फोड़ रात दस बजे तक चलती रही। इसका मतलब वे लगातार छह घंटे विनाशलीला करते रहे। उन्होंने दलितों की संपत्ति का भारी नुकसान जानबूझकर किया। तीन गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। पुलिस विभाग ने दलितों की रक्षा के लिए कोई निवारक उपाय नहीं किए। लोग अभी भी इन गांवों में नहीं रह पा रहे हैं। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। वस्तुत: तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था पंगु है। दलित असुरक्षित है। दलित पूरे देश में हर जगह प्रभावित होते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पी. लिंगम भी स्वयं को श्री थोल तिरुमावलावन से संबद्ध कर रहे हैं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : महोदया राज्य की पुलिस ने कार्रवाई की है।...*(व्यवधान)* उनका वक्तव्य गलत है और वे सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् सभा अपराह्न 02.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। वे सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा-पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी के समय पर भुगतान को सुकर बनाने के लिये मध्य प्रदेश में योजना में योजना के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना मनरेगा है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अरबों रुपयों का बजट प्रत्येक राज्य को आबंटित किया जाता है तथा जिन राज्यों में मनरेगा योजना का सुचारू संचालन हुआ है वहां के निवासियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। जिसका ज्वलंत उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र मां जालपा की नगरी राजगढ़ का है। जहां के ग्रामीण लोग पूर्व में एक वर्ष में लगभग आठ महीने राजस्थान के कोटा तथा अन्य जिलों में अपने परिवार के साथ मजदूरी करने जाते थे जिससे उनका साल भर के लिए जीवन यापन करने हेतु मात्र राशन-पानी की ही व्यवस्था हो पाती थी। लेकिन आज मनरेगा ने मेढ़ बंधान एवं कूप निर्माण, भूमि सुधार जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है।

इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है जो मध्य प्रदेश राज्य में आ रही है। जहां पर राज्य शासन द्वारा समय पर एमआईएस न करने के कारण तकनीकी कारणों से केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा सकती है। प्रदेश सरकार की इस गलती का खामियाजा मनरेगा के मजदूरों को भुगतान पड़ रहा है।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में इस महत्वपूर्ण जीवनदायिनी योजना की समीक्षा की जाए तथा राज्य समय पर एमआईएस न करें अथवा मनरेगा की राशि किसी अन्य योजना में उपयोग कर ले जैसाकि मध्य प्रदेश राज्य करता आ रहा है। ऐसे राज्यों में जिस प्रकार भारत सरकार के रेलवे, हवाई यातायात और दूरदर्शन जैसे विभाग, बिना राज्य सरकार के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। उसी प्रकार इस मनरेगा योजना के समुचित संचालन हेतु भी केन्द्र सरकार का अमला, ऐसे राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सीधे हमारे देश के मजदूर वर्ग को ही मिले और राज्य सरकारें केन्द्र शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का दुरुपयोग न कर पाएं।

(दो) आंध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सिरिसिल्ला में एक वस्त्र पार्क की स्थापना करके उसे विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) : मैं सभा का ध्यान सिरिसिल्ला, जो कि आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करीमनगर में आता है, में वस्त्र-पार्क की स्थापना की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं, इस संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं कि सिरिसिल्ला में बुनकरों के समक्ष अनेक समस्याएं आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग 2,50,805 हथकरघों और 45,064 विद्युतकरघे हैं। सिरिसिल्ला क्षेत्र विद्युतकरघा केन्द्रों का एक प्रमुख केंद्र है क्योंकि यहां लगभग 35,000 विद्युतकरघे और 220 हथकरघा इकाइयां हैं। 18,500 से अधिक बुनकर हथकरघा बुनकर के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्राय: सभी इकाइयां घाटे में चल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप बुनकरों द्वारा आत्महत्या की

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री पोन्नम प्रभाकर]

घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में सिरिसिल्ला में विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा आत्महत्या की बहुत सी घटनाएं हुई हैं और इनके कारण हैं — (क) नियमित काम की कमी; (ख) अपर्याप्त वेतन; (ग) सूक्ष्म-वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋणदाए के बाद श्रमिकों का उत्पीड़न; (घ) अविक्रीत भंडार के इकट्ठा हो जोने के कारण और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए बैंकों से ऋण की अनुपलब्धता के कारण विद्युतकरघों का बंद होना। श्रमिक वर्ग के लिए कोई पेंशन योजना, ईएसआई और ईपीएफ योजना नहीं है और उन्हें रेशम और जरी वस्त्रों सहित अन्य प्रकार के धागे पर मूल्यवर्धित कर से छूट देने की आवश्यकता है ताकि उन पर आयकर का बोझ नहीं पड़े। उन्हें एक हथकरघा नीति और हथकरघा आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की जरूरत है। सिरिसिल्ला में एक वस्त्रपार्क स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन हेतु पहले से ही लंबित पड़ा है। यह बताया गया है कि सोसाइटी और किसान ऋण माफ कर दिए गए लेकिन सरकार बुनकरों के ऋण माफ नहीं कर रही है। इसीलिए मैं माननीय वस्त्र मंत्री से मेरे संसदीय क्षेत्र करीमनगर में एक वस्त्रपार्क स्थापित करके उसे वस्त्र विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) महाराष्ट्र के नागपुर में विद्युत करघा और हथकरघा उद्योग के विकास को सुकर बनाने के लिये उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : नागपुर शहर भी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। लगभग 120 वर्ष पहले छोटे बुनकरों सहित निजी क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा यहां बड़ी संख्या में बहुत सारे वस्त्र संयंत्रों, जैसे कि 'ए मिल' और 'मॉडल मिल' की स्थापना की गई थी और कुछ लघु इकाइयां नागपुर के पास हिंगनघाट, अमरावती, अकोला, अचलपुर और पुलगांव में स्थापित की गई थीं।

दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति बहुत निराशाजनक है क्योंकि सभी वस्त्र मिलें या तो बंद हो गई हैं या रुग्ण घोषित कर दी गई हैं। वर्तमान में लगभग 50,000 बुनकर नागपुर में और एक लाख से अधिक विदर्भ के अन्य भागों में इस व्यवसाय में कार्यरत हैं। बुनकर और बुनाई उद्योग कड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं और जीवन व आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस कारण बहुत से बुनकारों को अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए अन्य अवसरों की तलाश हेतु मजबूर होना पड़ रहा है या बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है।

सरकार द्वारा बुनकरों की उत्तरजीविता हेतु और उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी में मदद देने हेतु तात्कालिक उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता है। बुनकर-वर्ग, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने उद्योग के विकास के लिए सरकार से प्रोत्साहन और अन्य लाभ जैसे कि राजसहायता प्राप्त दरों पर विद्युत आपूर्ति; उनकी मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता; रियायती दरों पर ऋण; विनिर्धारित सरकारी दरों पर समूह कार्यस्थल योजना के अधीन भूमि द्वारा; उचित दरों पर सूती-धागे के विक्रय पटलों की स्थापना; उनके उत्पादों की सीधे राज्य सरकार द्वारा खरीद; जांच प्रयोगशालाओं, अभिकल्प केन्द्रों और कामगार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना; पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों के बुनकरों को विशेष वित्तीय सहायता; मजदूरों के लिए आवास और बीमा योजना के आरंभ; इत्यादि की अपेक्षा कर रहे हैं।

उपर्युक्त के आलोक में, मैं सरकार से हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों के समक्ष विद्यमान घोर समस्याओं के आकलन हेतु जो न केवल इस कुटीर उद्योग जिसमें समाज के अत्यधिक गरीब तबके के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अपार संभावनाएं हैं को बचाने को ध्यान में रखकर उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश करे बल्कि इसके विकास हेतु सहायता के उपयुक्त सुझाव भी दे के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को नागपुर भेजने का अनुरोध करता हूं।

(चार) मध्य प्रदेश की नागदा तहसील में स्थित रासायनिक कारखाने से निकलने वाली गैस से प्रदूषित हो रहे वातावरण को बचाने के लिए उक्त कारखाने को बंद किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की नागदा तहसील में स्थित रसायन उद्योग द्वारा नियमों का उल्लंघन कर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला जारी है। यह एक खतरनाक उद्योग की श्रेणी में है। मैं इस संबंध में पूर्व में हुई अनियमितताओं के बारे में सदन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अभी 7 दिसम्बर की रात की घटना है। इस उद्योग से निकली क्लोरीन गैस पूरे नागदा क्षेत्र में फैल गई। तेज गंध से परेशान लोग बैचेन होकर घरों से बाहर निकाल आएं। दहशत के मारे लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। इसका ज्यादा पता, जिनके यहां शादियां थी, उन लोगों को लगा।

इस उद्योग से इतनी भयानक गैस निकलती है जिससे आंखें खराब होकर व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा श्वास नली के द्वारा गैस को ग्रहण करने से मृत्यु भी हो सकती है। ग्रेसिम उद्योग में एक श्रमिक की मृत्यु भी हो चुकी है। 04 अक्तूबर, 2010 को उद्योग में एसिड लीक होने से दो मजदूर घायल भी हुए थे। इनसे निकलने वाले प्रदूषित पानी से किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर बनती जा रही है।

इस उद्योग द्वारा प्रदूषित पानी की बोरिंग करके जमीन में ही डाला जा रहा है जिससे आसपास के क्षेत्र का पानी दूषित हो गया है। वहां का पानी पीने से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी फैल गई थी जिसके कारण इस क्षेत्र में 12 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित पाए गए। अब स्थानीय नागरिक जमीन का पानी नहीं पी रहे हैं। प्रशासन ने बोरिंग पानी पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं जब भी क्षेत्रीय भ्रमण पर जाता हूं तो जनता की एक ही मांग रहती है, इस उद्योग से हमें निजात दिलाओ। मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जबाव नहीं होता। इस उद्योग में जो अनियमितताएं थी उसको दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण करने के निर्देश केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण बोर्डों ने दिए थे लेकिन उद्योग में सेफ्टी के उपाय आज तक भी पूर्ण नहीं किए गए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी होने से पहले लोगों ने प्रशासन को पत्र लिखे थे लेकिन उन्हें प्रशासन ने अनदेखा कर बहुत बड़े कांड को निमंत्रण दिया था। मुझे इस उद्योग के अंदर उसी महाविनाशकारी कांड की पुनरावृत्ति दूबार नजर आ रही है। मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए ताकि जन-जीवन को बचाया जा सके।

(पांच) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य इकाइयों द्वारा निगमित सामाजिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्ययों की निगरानी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : इस सम्मानीय सभा के ध्यान में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहती हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 250 उपक्रम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं और निजी क्षेत्र के 10 प्रमुख घराने भी भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित है। इन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों, के अतिरिक्त राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन भी कई उपक्रम हैं।

सरकारी क्षेत्र की कंपनियां समाज की बेहतरी और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सीएसआर कार्यकलाप हेतु अपने बजट में एक निश्चित राशि निर्धारित करती है। यदि किसी 100 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली प्रत्येक कंपनी अपने निवल लाभ का 3.5 प्रतिशत राशि तथा 100 से 500 करोड़ रुपए के करोबारी वाली कंपनी अपने निबल लाभ का 2-3 प्रतिशत राशि तथा 500 करोड़ एवं इससे अधिक करोबार वाली कंपनी अपने निवल लाभ का 0.5-25 प्रतिशत राशि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने पर व्यय करेगी। अब तक सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम अपनी वर्तमान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों के अंतर्गत निधि आवंटित कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकता और समुदाय के विकास के नाम पर हजारों करोड़ रु. का योगदान दिया जा रहा है और खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इनकी निगरानी नहीं की जा रही है तथा से ऐसे गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें सीएसआर संबंधी कार्य सौंपे गये लेकिन वे वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाए के विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

चूंकि प्रत्येक संस्था समाज के विकास के लिए एक भारी राशि का योगदान दे रही है, इसलिए केंद्र सरकार को एक प्राधिकरण/समूह या एक बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यों के लिए सारे आबंटन वार्षिक रूप से एकत्रित किए जा सके और इस प्राधिकरण के अंतर्गत देश भर में पारदर्शी तरीके से समुदाय/समाज के विकासात्मक कार्य किए जाने चाहिए। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधियों के अलग-अलग आबंटन की वर्तमान प्रणाली और इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत किये जाने वाले वास्तविक कार्य की मात्रा के बारे में किसी को पता नहीं होता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत किए गए कार्यों पर किसी की निगरानी होनी चाहिए। अपव्यय को रोकने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति मं पारदर्शिता लाने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के सार्थक क्रियान्वयन हेतु एक निकाय की स्थापना करने की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों की देख-रेख के लिए एक पृथक् निकाय की स्थापना की जाए ताकि पारदर्शी तरीके से सीएसआर परियोजनाओं की समुचित निगरानी मूल्यांकन और कार्यान्वियन किया जा सके।

(छह) ब्रज भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : ब्रज भाषा पूरे देश भर की ऐसी भाषा है जिसमें काफी मिठास है और इसे प्रेममयी एवं रसीली भाषा के रूप में जाना जाता है और इस भाषा में शब्दों में कई आकर्षण देखने को मिलते हैं। संक्षेप में ब्रज भाषा के बिना हिंदी की कल्पना करना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण के अधिकांश ग्रंथ एवं काव्य इस ब्रज भाषा में है। यह भाषा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों भारतवासियों द्वारा बोली जाती है। आठवीं अनुसूची में इस भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण ब्रज भाषा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में काफी असंतोष है। भक्ति काव्य अधिकांश ब्रज भाषा में है और महाभारत ग्रंथ का मूल उत्थान ब्रज भाषा के द्वारा हुआ है। अमीर खुसरो, रसखान एवं सूरदास के ग्रंथ एवं अन्य महाकाव्य भी ब्रज भाषा में है और हिन्दी के प्रयोग में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाये तो हिन्दी को और अधिक कारगर ढंग से लोकप्रिय बनाया जा सकता है। अभी तक ब्रज भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जो मापदंड है, ब्रज भाषा इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करती है।

सरकार से अनुरोध है कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ब्रज भाषा को शामिल किया जाये।

(सात) नई रसोई गैस नीति को सरल और कारगर बनाए जाने, सरकारी सहायता प्राप्त परिवारों और सामाजिक संगठनों की पर्याप्त रसोई गैस कनेक्शन और राजसहायता प्राप्त सिलिंडर उपलब्ध कराएं जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वर्तमान में देशभर में लगातार बढ़ रही महंगाई एवं गैस सिलेंडरों की बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी त्रस्त है। इस महंगाई के दौर में सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडरों के संबंध में रियायती दर पर साल में केवल 6(छह) एलपीजी गैस सिलेंडरों तथा एक परिवार एक गैस कनेक्शन की बनाई गई वर्तमान नई नीति आम आदमी, संयुक्त रहने वाले परिवारों के साथ-साथ गृहणियों पर किया जा रहा प्रहार है। मैं बताना चाहूंगी कि हम भारत जैसे संस्कारवान देश में रहते हैं और हमारे यहां संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। घर के सभी सदस्य चाहे वो चार भाई क्यों न हो, एक ही घर में रहते हैं। उन परिवारों का खाना भी एकत्र बनाया जाता है। उन परिवारों को टिकाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आए हैं जिसमें एक बड़े भवन में जिसका एक ही नंबर है जिसमें अनेक परिवार निवास करते हैं तथा उनके निवास स्थान का पता भी एक ही हो जाता है। सरकार द्वारा वर्तमान एलपीजी गैस सिलेंडरों के संबंध में बनाई गई इस नई नीति के कारण ऐसे परिवारों के एक ही पते पर अनेक कनेक्शन दर्शाते हुए उनके गैस कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। इंदौर में ही ऐसे एक भवन में करीब 50 अलग-अलग परिवार निवास करते होने से उन्हें भी इस समस्या को झेलना पड़ रहा है तथा संबंधित कंपनियों को यह स्थिति स्पष्ट करने के उपरांत भी तेल कंपनियां तथा उनके वितरक उन परिवारों की किसी भी प्रकार से सहायता करने को तैयार नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे साल में रियायती दर 6 गैस सिलेंडरों एवं एक परिवार एक गैस कनेक्शन की बनाई गई नीति/नियमों में जल्द से जल्द बदलाव/परिवर्तन करें एवं साल में रियायती दर के गैस सिलेंडरों की संख्या को भी बढ़ाया जाए ताकि भविष्य में देशभर में रह रही गृहणियों, आम आदमी एवं संयुक्त रह रहे परिवार को संकटों का सामना न करना पड़े। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि महोदया देश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे अनाथालय, वृद्धा आश्रम जैसी कई सामाजिक संस्थाएं जो अनुदान पर चलाई जाती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे रहे हैं। उन संस्थाओं के लिए रियायती दरों के सिलेंडरों हेतु अलग नियम बनाए जावे जिससे इन संस्थाओं को साल मे रियायती दरों पर ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर उपलब्धस हो सके।

(आठ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवासों का पर्याप्त कोटा आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले देश के बीपीएल परिवारों को जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है जिनकी पहचान पंचायत-वार सभी राज्यों ने विशेषकर मध्य प्रदेश ने करवाई है। उसी अनुसार इंदिरा आवास की मांग केन्द्र सरकार से लगातार की जा रही है। परंतु जो राज्य को इंदिरा आवास का कोटा दिया जा रहा है, वो अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत कम दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा आवास योजना सामान्य के लिए 3.38 लाख आवास, वनाधिकार पट्टाधिकारियों के लिए 1.60 लाख

आवास एवं इंदिरा आवास होम स्टेड के लिए 105020 आवासों की मांग भारत सरकार से की गई है। किन्तु वर्ष 2012-13 के लिए मध्य प्रदेश को 3490 अनुसूचित जाति, 5860 अनुसूचित जनजाति, 885 अल्पसंख्यक, 9405 सामान्य एवं 371 विकलांगों के लिए स्वीकृति दी गई है जो कि अत्यंत कम है जबकि कई राज्यों को जहां की आबादी कम है उन राज्यों को लाखों की संख्या में इंदिरा आवासों का आबंटन दिया गया है।

मैं प्रदेश सरकार की मांग के अनुसार इंदिरा आवास के नए आबंटन दिए जाने की मांग करता हूं।

(नौ) रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने तथा बिहार के पूर्वी चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : भारतीय रेल हमारी जीवन रेखा है। मध्य पूर्व रेलवे एक महत्वपूर्ण जोन है। जिसकी रेल लाइनें उत्तर बिहार की नेपाल सीमा क्षेत्र में लगी हुई है। उत्तर बिहार की राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर जंक्शन से मेहसी, चकिया, पिपरा, जीवधारा, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से गुजरती हुई गाड़ियां नेपाल की ओर भी जाती है और दिल्ली भी आती हैं। उपरोक्त स्टेशनों पर यात्री सुविधा का घोर अभाव है। पहुंच पथों की हालत जर्जर है, इनके निर्माण की आवश्यकता है। चकिया रेलवे स्टेशन एक आदर्श एवं बी ग्रेड सुविधा प्राप्त स्टेशन है। यहां पर मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ, मुजफ्फरपुर-पोरबंदर एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-मडुवाडीह एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्प्रेस का ठहराव आवश्यक है। पिपरा जैसे अति महत्वपूर्ण स्टेशन पर भी जो गाड़ी गोरखपुर से हाजीपुर जाती है उसका ठहराव होना चाहिए। सप्तक्रांति रेलगाड़ी जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली आती है, इस मार्ग से गुजरने वाली यह एक महत्वपूर्ण गाड़ी है जो किसी मायने में किसी प्रीमियम ट्रेन से कम नहीं है। इस महत्वपूर्ण मार्ग से राजधानी, दूरंतो जैसे कोई अन्य द्रुतगामी गाड़ी नहीं चलती है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सप्तक्रांति ट्रेन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की ए.सी. बोगियां जोड़ी जाए तथा इस रेल खंड पर दिल्ली की ओर जाने के लिए एक और द्रुतगामी ट्रेन चलाई जाएं।

(दस) बिहार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लाभकारी मूल्य पर किसानों से धान की खरीद यथाशीघ्र किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : बिहार में कृषि में अभूतपूर्व क्रांति हुई है जो बिहार अन्न के मामले में केंद्र पर आश्रित था आज वह लाखों टन धान और गेहूं केन्द्रीय पूल में देने के लिए प्रयासरत है। केंद्र पंजाब, हरियाणा को ही सरप्लस राज्य के रूप में खाद्यान्न के मामले में जानता था। अब उ त्तर प्रदेश, बिहार भी पंजाब और हरियाणा से उत्पादन के मामले में बढ़त हासिल करने के लिए आतुर है। लाखों टन धान होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम किसानों से धान खरीदने से आनाकानी कर रहा है। किसानों को डिस्ट्रेस सेल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलने के कारण उनकी खेती मुसीबत बनती जा रही है। जहां धान का मूल्य 1250/- रुपये निर्धारित किया गया है पर उस मूल्य पर किसानों से धान नहीं खरीदी जा रही है। किसान हमारी कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। केन्द्रीय सरकार के भारतीय खाद्य निगम के इस दृष्टिकोण से किसानों में आक्रोश है। आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

अत: केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वह निर्धारित मूल्यों पर बिहार के किसानों से पैक्स के द्वारा धान खरीदने की एक वृहद योजना बनाएं। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रेल संपर्क में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : अंतर्राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल अयोध्या की भारतीय रेलवे द्वारा रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की अति आवश्यकता है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन एवं यहां पर व्यवसायिक परिसर बनाने की रेल मंत्रालय की घोषणाएं अभी तक कार्य रूप में परिणत नहीं हुई हैं। इस स्टेशन पर प्लेटफार्म की कमी और नई रेलगाड़ियों को चलाने के लिए वाशिंग लाइन तथा पानी भरने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अयोध्या के लिए दक्षिण भारत के प्रांतों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि से यहां के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी की सुविधा नहीं होने के कारण वहां के यात्रियों को यहां आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके समय एवं साधन पर अपव्यय होता है। अयोध्या में लगने वाले मेलों में सबसे अधिक तीर्थयात्री तराई बेल्ट के जिलों से आते हैं परंतु आज तक अयोध्या को सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत आदि को सीधी रेल सेवा से जोड़ा नहीं जा सका। इसी तरह मैलानी, दुधवापार्क, बहराइच, गोंडा छोटी लाइन का अभी तक आमान परिवर्तन नहीं किया गया जबकि पिछले कई रेल बजटों में इसका उल्लेख किया गया। इस परियोजना को शीघ्र पूरा कराकर अयोध्या से सीधी रेल सेवा से जोड़ने की

[श्री बृजभूषण शरण सिंह]

आवश्यकता है। इसी तरह सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जिलों के तीर्थ यात्रियों को केवल बस सेवा का ही सहारा रहता है। इसलिये बढ़नी, बलरामपुर, गोंडा रेल लाइन का आमान परिवर्तन के बाद इन स्टेशनों को अयोध्या से सीधी रेल सुविधा से जोड़ा जाए। मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं वह इस समस्या के समाधान हेतु शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करें।

(बारह) उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क़ (सम्भल) : सरकार का ध्यान मैं अपने संसदीय क्षेत्र व जिला सम्भल में केंद्रीय विद्यालय न होने की तरह दिलाना चाहता हूं। करीब 5-6 साल पहले यहां सरकार ने केंद्रीय विद्यालय मंजूरी किया था तब से अब तक इस दिशा में कोई कार्यवाई नहीं हुई। जिसका बेहद अफसोस है। जहां सरकार पढ़ाई की तरफ हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है वहीं मेरे इस ऐतिहासिक संसदीय क्षेत्र को नजरअंदाज कर रही है। जबकि अब यह जिला भी बन गया है और तमाम सरकारी दफ्तार व बैंक भी नए खुले हैं। मेरे क्षेत्र की जनता कई सालों से केन्द्रीय विद्यालय खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है।

आपसे गुजारिश है कि मेरे संसदीय क्षेत्र व सम्भल में 5-6 साल पहले मंजूर हुए केन्द्रीय विद्यालय को जल्द से जल्द खुलवाने की मेहरबानी करें।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (سنبھل): محترمہ اسپیکر صاحبہ، میں آپ کا دھیان اپنے پارلیمانی حلقہ سنبھل میں سینٹرل اسکول نہ ہونے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ تقریب 5-6 سال سے پہلے یہاں سرکار نے سینٹرل اسکول منظور کیا تھا، تب سے اب تک اس طرف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے۔ جس کا بے حد افسوس ہے۔ جہاں سرکار پڑھائی کی طرف ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے وہی میرے اس تاریخی پارلیمانی حلقہ کو نظر انداز کر رہی ہے۔ جبکہ اب تو یہ ضلع بھی بن گیا ہے۔ اور تمام سرکاری دفتر و بینک بھی نئے کھلے ہیں۔ میرے حلقہ کی عوام کئی سالوں سے سینٹرل اسکول کھلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ میرے پارلیمانی حلقہ سنبھل میں 5-6 سال پہلے منظور ہوئے سینٹرل اسکول کو جلد سے جلد کھلوانے کی مہربانی کریں۔ شکریہ

(तेरह) देश में औषधीय और सुगंधिक पादपों की खेती के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पास खुशबुदार पौधों सहित औषधीय गुणों वाले पौधों की 6,198 प्रजातियां है। यह सत्य है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप 2008-09 से बोर्ड औषधीय पौधों संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वियन कर रहा है। एक पेशेवर के रूप में, चाहे इस विशिष्ट क्षेत्र में बहीं, मैं इसका स्वागत करती हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूगीं कि वे इसके लिए पर्याप्त राशि सुनिश्चित करे ताकि हमारे औषधीय एवं खुशबूदार पौधों का और आगे संवर्धन किया जा सके और प्रयोग में लाए जा सके एवं विभिन्न हितधारकों को विभिन्न सहायता देने के लिए कुछ नए तरीके निकाले जाए, जैसे कि पश्चिमी बंगाल में औषधीय एवं खुशबूदार पौधों की व्यापारिक खेती।

(चौदह) भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : भारत और मालदीव गणराज्य के बीच सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग संबंधी द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण और करीबी रहे हैं। भारत ने इस द्वितीय राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने में योगदान दिया है और हिन्द महासागर में उसके सामरिक हितों के संबंध में उससे गठबंधन किया है। कुछ वर्ष पहले राजीव जी ने भी सत्ता परिवर्तन के षडयंत्र को विफल करने में इस देश की सरकार की मदद की थी।

लेकिन आज, हम अलग-थलग पड़ गए हैं। हम भूगोल तो नहीं बदल सकते। हम ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियों का समर्थन करते हैं। जिससे हमें पड़ोस में कोई सहायता नहीं मिल रही। मालदीव के राष्ट्रपति के प्रवक्ता द्वारा भारतीय उच्चायोगों को देशद्रोही और मालदीव का दुश्मन कहा जाना गहरी चिंता का विषय है। राष्ट्रपति के प्रमुख सहायक द्वारा इस प्रकार की भारत-विरोधी टिप्पणी राजनयिक नयाचार के विरुद्ध है।

तथापि, भारत को इस देश को सहायता देनी बंद नहीं करनी चाहिए। इस मामले को सहज बनाना चाहिए और उत्तरी क्षेत्र के हमारे गैर-मित्र पड़ोसियों को मालदीव में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिए। अतः, मैं सरकार से इस संबंध में वह उचित कार्रवाई करने, जैसी कि वह आवश्यक समझे, का अनुरोध करता हूं।

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई नहरों की सफाई का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर) : मैं बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर की नहरें रजवाहें जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं और अधिकांश नहरों व रजवाहों की सफाई भी नहीं की गई हैं केन्द्र सरकार द्वारा इन नहरों व रजवाहों की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में धन भेजा जाता है, मगर प्रदेश सरकार द्वारा नहरों व रजवाहों के समयानुसार सफाई न होने के कारण नहरों व रजवाहों का पानी बाहर निकल कर नष्ट हो जाता है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी भूमि तक नहीं पहुंच पाता है जिससे किसानों की फसलें सूख कर नष्ट हो जाती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार नहरों व रजवाहों की सफाई हेतु इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को उचित निर्देश दें।

(सोलह) तमिलनाडु में मदुरै और सेनगोट्टई के बीच बारास्ता पेरैयूर, वथियारिरूप्पू, सुंदरापांडियापुरम्, श्रीविल्लीपुथुर, राजापलायम, सेथलूर, सिवागिरी, पुलियागुंडी, टाउन पंचायत, इडैकल और तेनकाशी तक एक नई रेलवे लाइन आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. लिंगम (तेनकासी) : दक्षिण रेलवे भारतीय रेल के लाभसृर्जित करने वाले मंडलों में से एक हैं दक्षिण रेलवे में, आम जनता की सेवा करने में मदुरै मंडल का एक विशेष स्थान है। रेल-लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बाद, इस परिवर्तन से पहले मौजूद कई रेल मार्गों को फिर से चालू नहीं किया गया था। ऐसा एक मार्ग विरुदनगर और सेनगोट्टई के बीच था। रेल सेवाओं को बंद कर दिए जाने के कारण इस क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इसके आसपास कई महत्वपूर्ण कस्बे स्थित हैं इसके साथ ही साथ कई कस्बे रेल-संपर्क विहीन हैं। मदुरै और सेनगोट्टई के बीच बरास्ते-पेराइयूट, वतिरथिरूप्पू, सुंदरापांडियापुरम, श्रीविल्लीपुत्तुर, राजपाल्यम, सेइतुर, शिवागिरी, पुलियगुडी टाउन म्यूनिसिपैल्टी (जो रेलवे स्टेशन विहीन है), इडाइकल और तेनकासी – एक नया रेल संपर्क, जिसका विस्तार 200 किमी. में है, आज की जरूरत है और इसे यथाशीघ्र चालू किया जाना चाहिए।

मदुरै और सेनगोट्टई के बीच एक नई रेल लाइन यथाशीघ्र चालू करने के लिए मैं रेल मंत्रालय से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.02 बजे

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 – *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 28 लेगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों में पारिणामिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट मूव किए गए थे, क्या माननीय मंत्री जी ने अमेंडमेंट विदड्रा कर लिए हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब डिसकशन होगा तब विचार होगा। अभी नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय पहले इस पर जबाव दें।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, क्या यह चर्चा बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक के बारे में है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने मूव किए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब डिसकशन होगा तब बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे लगता है कि सब सदस्यों का एकमत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डिसकशन के समय आपको मौका दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मैं वहीं प्रश्न उठा रहा हूं और बाकी सदस्यों का भी यही मत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में मौका दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने सभा पटल पर एक नया संशोधन रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह विधेयक स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट इन्होंने मूव किया था, क्या वे पावर्ड कांट्रेक्ट और बाकी अमेंडमेंट विदड्रो कर चुके हैं? मुझे लगता है कि बाकी सदस्य भी यही जानना चाहते हैं। अगर मंत्री महोदय पहले उल्लेख कर दें तो उसका लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है, जब क्लॉज बाइ क्लॉज डिसकशन होगा तब मौका दिया जाएगा। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : श्री सौगत राय जी और श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने उनसे अनुमति ले ली है। उन्होंने मुझसे बोलने के लिए कहा गया है।

महोदय, हालांकि एक अन्य स्थायी समिति द्वारा नये खंड की सिफारिश की गई थी, लेकिन विचार-विमर्श के दौरान दिए गए सुझावों के प्रत्युत्तर में चूंकि शेष विधेयक भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मैंने पहले ही यह सूचना दे दी है कि नये खंड पर आग्रह नहीं किया जाएगा।

इसलिए चर्चा जारी रहनी चाहिए। हम बचे हुए विधेयक पर वाद-विवाद करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : सर, मिनिस्टर जो कह रहे हैं...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इनके कहने के बाद कुछ नहीं बचता, उन्होंने बोल ही दिया है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिये। पाइंट ऑफ आर्डर उन्होंने उठाया है, मंत्री जी ने जबाव दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाइंट ऑफ आर्डर को आप अवॉइड नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एवॉइड नहीं कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : लेकिन आप सौगत राय की बात सुनिये। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उसी समय होगा, जिस क्षण वह उठाया जा रहा है। उसी समय उसका निर्णय होगा आप रूलिंग दीजिए। एक्सैप्ट करें या न करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन सौगत राय को बोलने तो दीजिए, जो पाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह क्या बोलना चाहते हैं, बोलें।...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : मुझे बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखकर दिया है, उसके अनुसार जब क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होगा, तब आपको मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : सर, आप दूसरों को मत सुनिये, मेरी बात सुनिये। मैं रूल 376 के अनुसार पाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूं। रूल 376 क्या बोलता है कि हाउस में जो बिजनेस है, उस पर चर्चा के लिए अगर कोई सवाल उठाना चाहता है तो उसे पाइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। *[अनुवाद]* व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 की व्याख्या या उसके प्रवर्तन से संबंधित होगा।...*(व्यवधान)*

मैं श्री संजय निरुपम को सलाह दूंगा कि वे अपनी पार्टी की 'शोर-मचाओ ब्रिगेड' में शामिल न हों। इसके लिए अन्य लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं।...*(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न संशोधन के प्रश्न पर संभवत: नियम 80 से संबंधित है...*(व्यवधान)* मुझे आपका विनिर्णय चाहिए। विधेयक के खंडों या अनुसूचियों में संशोधन की ग्राह्यता के लिए ये शर्तें हैं – (एक) संशोधन विधेयक के कार्यक्षेत्र के भीतर हो और जिस खंड से यह संबंधित है, उसकी विषयवस्तु से सुसंगत हो।

मैंने लिखित में व्यवस्था का प्रश्न दिया है, जिस पर आपको मंत्री को बोलने की अनुमति देने से पहले मुझे अनुमति देनी चाहिए थी। लेकिन, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि व्यवस्था का यह प्रश्न श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3 से संबंधित है। बैंकों द्वारा फॉरवर्ड ट्रेडिंग शुरू किए जाने के संबंध में उन्होंने एक नये खंड का अंत:स्थापन किए जाने का प्रस्ताव किया है। फिर, उन्होंने एक संशोधन – संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत किया कि इस नियम, जिसे मैंने अभी-अभी उद्धृत किया है, को आस्थगित किया जाए ताकि वे इसे प्रस्तुत कर सकें। यह आपकी उदारता है कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि आज एक नया खंड अंत:स्थापित नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने नहीं कहा कि व्यवस्था का प्रश्न सही है। मैंने व्यवस्था के प्रश्न में व्यवधान नहीं डाला है...*(व्यवधान)* आप आरोप लगा रहे हैं कि मैंने व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार किया है। कृपया यह नहीं कहें कि मैंने इसे स्वीकार किया है।

प्रो. सौगत राय : आप व्यवधान डाल रहे हैं। क्या यह उचित संसदीय प्रथा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का समय दिया है, अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : उपाध्यक्ष महोदय, आपको भविष्य के लिए विनिर्णय अवश्य देना चाहिए। सम्पूर्ण मामला यह है कि मंत्री महोदय सदन में विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं और विधेयक पुर:स्थापित करने के बाद स्थायी समिति को भेज दिया जाता है। स्थायी समिति उस पर वापस रिपोर्ट सौंपती है और इस रिपोर्ट या अन्य के आधार पर मंत्री कई संशोधन ला सकते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है स्थायी समति की रिपोर्ट आ जाने के बाद मंत्री महोदय आते हैं और कहते हैं कि मैं विधेयक में कुछ नये खंड जोडूंगा जिसपर स्थायी समिति ने विचार नहीं किया। समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि सदन के नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत विधेयक को फिर स्थायी समिति को भेजा जा सके। इसलिए, मंत्री द्वारा स्वत: नये खंड ने पुर:स्थापन पर स्थायी समिति द्वारा विचार नहीं किया जाता है।

मैं आपसे विनिर्णय चाहता हूं यह श्री जयराम रमेश के विधेयक से भी संबंधित हो, तत्पश्चात् स्थायी समिति के रिपोर्ट आने के पश्चात् मंत्री महोदय आकर कहते हैं कि वह नये खंड पुर:स्थापित करना चाहते हैं। सदन में ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने और संशोधन किए जाने के बाद कोई नया खंड नहीं जोड़ा जाए क्योंकि इससे स्थायी समिति के उचित रूप से विचार करने के विशेषधिकार छिन जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : सर, आपको मुझे बोलने देना चाहिए था। आपने ऐसा न कर के मेरे साथ अन्याय किया है। *[अनुवाद]* ...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने पुन: समवेत सदन के समक्ष नोटिस दिया। इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप इस पर विनिर्णय दें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब अमेंडमेंट आएगा तब आपको बोलना है। आप पूरा एक्सप्लेन किये जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए।...*(व्यवधान)* आप धीरज खो रहे हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें धीरज खोने का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदय, मुझे पूरा करने दें। महोदय, यह अच्छी बात है कि श्री चिदंबरम ने नया खंड वापस ले लिया है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदय, मंत्री जी द्वारा भविष्य में नियम 80(झ) का निलंबन नहीं किया जाना चाहिए। सदन को चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। जिसमें सभी मानकों का उल्लंघन किया जाए।...*(व्यवधान)* आप बाद में विचार नहीं रख सकते। यदि आप नया खंड अंत:स्थापित करना चाहते हैं तो आपको यहां दूसरा संशोधन लाना चाहिए। इसे सदन द्वारा पारित होने दें। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसे करने का यह तरीका नहीं है। भविष्य में, मंत्रियों को विचारोपरांत नये खंड पुर:स्थापित नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

सर, आप यह समझने की कोशिश कीजिए। भविष्य काल में लोग आपकी रुलिंग पढ़ेंगे कि डेप्यूटी स्पीकर ने एक अच्छा रुलिंग दी थी, जिससे संसद की महिमा रखी जाएगी। अभी स्पीकर नहीं हैं, लेकिन आपको उस चेयर पर पूरी पॉवर है। आप भविष्य के लिए एक रुलिंग दीजिए कि यह अभी और नहीं किया जाएगा। *[अनुवाद]* यह सदन के नियमों का दुरुपयोग है।

श्री पी. चिदंबरम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर उत्तर देने दीजिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस खंड पर जोर नहीं दे रहा हूं। मैं सदन के विभिन्न पक्षों की भावना का आदर करते हुए खंड वापस ले रहा हूं। संसदीय लोकतंत्र में, कुछ लेन-देन होना चाहिए और हम सहमत हैं यदि सदन के किसी पक्ष का विचार है कि यह खंड अब नहीं जोड़ा जाना चाहिए तो इस पर और ज्यादा चर्चा की जरूरत है, यद्यपि अन्य माननीय सदस्य की अध्यक्षता में दूसरी समिति, जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है ने सर्वसम्मति से खंड को अनुशंसित किया था। मैंने इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया है और हम कहते हैं "ठीक है, हम लोग खंड नहीं लाएंगे।"

परन्तु मेरे प्रिय मित्र प्रो. सौगत राय को सादर कहना चाहता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल अनुपयुक्त है...*(व्यवधान)* मैंने केवल यह कहा कि 'अनुपयुक्त' स्थान। मैंने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा।

सदन में अधिकारिक संशोधन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नए खंड के पुर:स्थापन की आकस्मिकता के आशय का प्रावधान नियम 80 में किया गया है। इस संसद के अस्तित्व में आने के पश्चात् किसी नये खंड को पुर:स्थापित करने के लिए नियम 80 को लागू किए जाने के सैकड़ों उदाहरण हुए हैं। केवल कुछ दिन पहले ही इस विधेयक पर विचार करने से 10 मिनट पूर्व तीन बार नियम 80 लागू किया गया और 3 नए खंड पुर:स्थापित किए गए।

प्रो. सौगत राय : यह गलत है।

श्री पी. चिदम्बरम : एक मिनट। पीठ को कहना चाहिए कि क्या यह सही है अथवा गलत। न तो आप और न ही मैं यह कह सकता हूं...*(व्यवधान)* आप अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त कर चुके हैं। मुझे दूसरा बिन्दु स्पष्ट करने दें।

मौजूदा खंड में संशोधन के रूप में नियम 80 इसी प्रयोजन के लिए बनाया गया है कि कुछ सरकारी संशोधनों को पुर:स्थापित नहीं किए जा सकने की स्थिति में संशोधन पुर:स्थापित किया जा सके। कुछ सरकारी संशोधन केवल नए खंड के रूप में पुर:स्थापित किए जा सकते हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। जब मैंने विपक्ष के

नेता के साथ चर्चा की थी तब मैं उनके संज्ञान में यह बात लाया था कि अनेक बार नियम 80 को लागू किया गया है। मैंने वे उदाहरण भी दिए जहां नियम 80 लागू किया गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : नियम 80 नहीं, नियम 80 का निलंबन।

श्री पी. चिदम्बरम : सभा के नियमों को निलम्बित रखने के लिए नियम 80 का उपयोग किया जाता है ताकि नया खंड पुर:स्थापित किया जा सके।

ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मेरे पास हाल ही के ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें श्री यशवंत सिन्हा, श्री प्रमोद महाजन, श्री अरुण जेटली, श्री सुरेश प्रभु, श्री श्रीनिवास प्रसाद, श्री जसवंत सिंह, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री अनंत गंगा राम गीते सभी ने नियम 80 लागू किया है। सैकड़ों उदाहरण हैं...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : क्या यह द्विपक्षीय समझौता है?

श्री पी. चिदम्बरम : यह द्विपक्षीय समझौता नहीं है मुझे पूरा करने दीजिए...*(व्यवधान)* मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : वे अपने दल के नेताओं के उदाहरण क्यों नहीं देते?...*(व्यवधान)*

श्री उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदय, आप अपनी व्यवस्था दें...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने गैर-कांग्रेसी मंत्रियों के उदाहरण दिये हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी सैकड़ों ऐसे उदाहरण हुए और पिछले सप्ताह का मेरा अपना उदाहरण है; हमने तीन बार नियम 80 लागू किया; तीन नए खंड पुर:स्थापित करने के पश्चात् इस सभा ने विधेयक पारित किया।

महोदय, कृपया अपनी व्यवस्था दें कि इन परिस्थितियों में नियम 80 लागू किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रुलिंग दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : महोदय, मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात छोटी नहीं होती है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : महोदय, तब स्टैंडिंग कमेटीज चालू नहीं हुई थीं। स्टैंडिंग कमेटीज हाउस में रिलेटिवली न्यू कॉसेप्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी के बोलने के बाद कितना बोलेंगे?

प्रो. सौगत राय : महोदय, मंत्री जी ने कोई खास बात नहीं बोली है, आपकी असली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम रुलिंग दे रहे हैं। आप बैठेंगे तभी तो हम रुलिंग देंगे।

प्रो. सौगत राय : मंत्री जी क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, तब हम रुलिंग देंगे।

प्रो. सौगत राय : महोदय, मेरी बात सुनिये। स्टैंडिंग कमेटीज चालू होने के बाद अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के बिना नया क्लॉज एडीशन नहीं किया जा सकता है। अगर पहले ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। किसी भी मिनिस्टर ने किया है तो वह गलत किया है। *[अनुवाद]* आप उद्देश्य बोध और भविष्य के लिए अपनी व्यवस्था दें...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ये आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको क्या व्यवस्था देनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि सरकार बिना सोच-विचार के काम कर रही है। अपने विधेयकों को पारित करने के लिए वे विभिन्न दलों के साथ समझौता करते हैं और यह समझौते की राजनीति के बावजूद...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह समझौते की राजनीति है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, माननीय मंत्री को और ईमानदार होना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, समर्थन प्राप्त करने के लिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आप उन्हें रुलिंग देने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा श्री सौगत राय जी के द्वारा गलत समय पर उठाया गया है। यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट, अभी हमने रुलिंग नहीं दी है, आप सुन तो लीजिए। यह केवल एक सुझाव है, फिर भी मैं अपनी रुलिंग दे रहा हूं।

[अनुवाद]

"इस संदर्भ में, मैं सभा को जानकारी देना चाहूंगा कि जब कभी भी नियम 80(1) के निलंबन हेतु सरकार से निवेदन प्राप्त होता है। संबंधित मंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति की परम्परा है। इसलिए पिछली परम्परा और मौजूदा नियम 388 के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदया ने माननीय मंत्री को नियम 80(1) के निलंबन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।"

...*(व्यवधान)*

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर) : महोदय, विधेयक स्थायी समिति को संदर्भित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हमने रुलिंग दे दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रुलिंग चैलेंज नहीं होती है। हमने रुलिंग दे दी है, रुलिंग चैजेंज नहीं होती है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने रुलिंग देने के लिए कहा, मैंने रुलिंग दे दी है। आप फिर चैलेन्ज कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था दे दी है। आप इसे चुनौती न दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की व्यवस्था को चुनौती नहीं जा सकती।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.20 बजे

इस समय श्री एम.बी. राजेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग अपनी सीट्स पर वापस जाइए। आप लोग बैठ जाइए। हमने रुलिंग दे दी है। आप उसको चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनुराग ठाकुर, आप शुरू करें। सिर्फ अनुराग ठाकुर जी की बात रिकॉर्ड पर जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने अपनी रुलिंग दी है, लेकिन जैसा आपने देखा कि हाउस में सभी सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी की ओर से या बाकी दलों के सदस्यों ने, सभी ने इस बात का विरोध किया कि माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से अमेन्डमेंट मूव किया है, उसको किसी ने भी अपना मत नहीं दिया और यही कहने के लिए हमने पहले भी बात कही थी कि अगर माननीय मंत्री जी ने सभी दलों को नाराज करके इस बिल को लाना था तो ऐसे बिल का क्या लाभ है और ऐसे *पीसमील अमेंन्डमेंट्स* का क्या लाभ है जिससे न बैंकिंग सैक्टर को लाभ होने वाला है और न ही सदन के बाकी दल आप और मुझसे सहमत रहेंगे। अगर आप अभी भी देखेंगे तो अधिकतर दल इसका विरोध कर रहे हैं। आपने अपनी रुलिंग दे दी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो बात कही कि उन्होंने जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उसको विदड्रा करने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन अगर हाउस ही ऑर्डर में नहीं होगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अनुराग ठाकुर जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)...**

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष जी, न मैं कुछ सुन पा रहा हूं, न मैं इससे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं।...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। पीसमील अमेंडमेंट्स लाने के बजाय अगर मॉडर्न बैंकिंग लॉ लाते तो शायद सदन के सभी सदस्य इससे सहमत होते।..*(व्यवधान)*

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, न आप मेरी बात सुन सकते हैं ...*(व्यवधान)* क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.45 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.45 बजे

लोक सभा अपराह्न 02.45 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुईं*]

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 — *जारी*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : अनुराग जी, आप बोलिए। आप एक मिनट बात को समझ लीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.45½ बजे

इस समय, श्री एम.बी. राजेश, श्री सी. शिवासामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : उन्होंने अमेंडमेंट को विदड्रा कर लिया है, बिल कैसे विदड्रा करें?

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आदरणीय सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल, यह पहली बार नहीं आया है। सन् 2005 में भी बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया, लेकिन 14वीं लोक सभा के खत्म हो जाने के कारण ये बैंकिंग बिल बीच में ही पड़ा रहा। सन् 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी एक बार फिर लोक सभा में बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल लेकर आए, जिसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें अपने महत्वपूर्ण

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

सुझाव देते हुए वापस भेजा है। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बिल को लाने से पहले कुछ अमेंडमेंट्स साथ में मूव कर दीं। उनकी वजह से, आज इस सदन के अधिकतर दल उन अमेंटमेंट्स के खिलाफ थे।...*(व्यवधान)* फारवर्ड कांट्रेक्ट की जो बात 3-ए के अंतर्गत कही गई, वह न भारतीय जनता पार्टी को मंजूर थी ओर न ही बाकी दलों को मंजूर थी। हम लोग उसका लगातार विरोध करते रहे।...*(व्यवधान)* आज माननीय मंत्री जी ने सदन में आकर अफसोस किया है कि जो अमेंडमेंट्स उन्होंने मूव की थीं, उन अमेंडमेंट्स को ये विदड्रा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो सुझाव हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने माननीय यशवंत सिन्हा जी की अध्यक्षता में भेजे थे, उनमें से अधिकतर सुझाव माने गए हैं।...*(व्यवधान)* आज ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये कोई कांप्रीहेंसिव माडर्न बैंकिंग लॉ नहीं है।...*(व्यवधान)* आज देश को ये अमेंडमेंट नहीं चाहिए, देश कांप्रीहेंसिव माडर्न बैंकिंग लॉ का इंतजार कर रहा है।...*(व्यवधान)* अगर हम कम्पनीस लॉ बिल को एवं अन्य बिलों को ला रहे हैं तो देश के हित में यह होगा कि माडर्न बैंकिंग बिल लाया जाए, तब देश को लाभ मिलेगा।...*(व्यवधान)*

मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि बैंकिंग की जहां तक बात है, बैंकिंग कोई आज की बात नहीं है।...*(व्यवधान)* अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो इतिहास गवाह है।...*(व्यवधान)* हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि शुद्रों का काम पैसा कर्जे पर देने का होता था। ये आज कोई नयी बात नहीं हुई है।...*(व्यवधान)* कई बार यह देखने को मिलता है, आम आदमी को लगता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया आप एक बात समझ लें, आपने अपनी बात भी रखी थी, प्वाइंट ऑफ आर्डर भी रखा था, अध्यक्ष महोदया ने भी अपनी बात बता दी है। आपने यह भी कहा, मंत्री जी ने वह क्लॉज वापस भी ले लिया है, ये सब बातें हो गई हैं। यह बिल महत्वपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपको इस बिल को हल्ले में ही पास करना हो तो हमें इसे हल्ले में पास करना पड़ेगा। आपकी बात मान ली गई है। *[अनुवाद]* ऐसा नहीं चलेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, आम आदमी को यह लगता है कि शायद अंग्रेज भारत में आये, तभी बैंकिंग देश में आया, लेकिन ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)* जैसे मैंने वेदों का उदाहरण देकर कहा, मनु स्मृति में भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि किस तरह से उस समय शूद्र कर्जा देने के लिए भी आगे आया करते थे, ...*(व्यवधान)* उनका जिम्मा होता था, लेकिन जब सोशल बैंकिंग का नाम कहीं न कहीं जुड़ता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सोशल बैंकिंग कहने की आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)* बैंकिंग का उद्देश्य ही सोशल कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है, ...*(व्यवधान)* लेकिन शायद हमने बैंकों को केवल इन्वेस्टमेंट तक सीमित कर दिया है।...*(व्यवधान)* यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, यह केवल बैंकों के मर्जर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज भी देश में लगभग 75 हजार ऐसी बस्तियां हैं, ...*(व्यवधान)* जो दो हजार से ज्यादा जनसंख्या वाली हैं, लेकिन उन गांवों में बैंकों की ब्रांचेज़ नहीं खुली हैं।...*(व्यवधान)* सरकार कैश ट्रांसफर की बात करती है, उसका लाभ लेने की बात तो करती हैं, ...*(व्यवधान)* लेकिन क्या आज गांवों में बैंक ब्रांच खुली हैं, क्या सरकार उस दिशा में कोई काम कर पाई है?...*(व्यवधान)* आज भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में 51 प्रतिशत लोगों के बैंक खाते हैं...*(व्यवधान)* और विकासशील देशों में देखें तो 41 प्रतिशत लोगों के बैंक खाते हैं, लेकिन अगर भारत को देखा जाये तो एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 35 प्रतिशत लोगों के बैंक खाते हैं।...*(व्यवधान)* इन सारे आंकड़ों से यह पता चलता है कि इनमें से अधिकतर बैंकिंग खाते शहरों या छोटे शहरों तक सीमित हैं।...*(व्यवधान)* ग्रामीण भारत में अभी तक 10 से 20 परसेंट से ज्यादा बैंकिंग खाते नहीं हैं तो क्या हम बैंकों के मर्जर की जो बात कर रहे हैं, ...*(व्यवधान)* इससे आम आदमी को लाभ होगा या नुकसान होने वाला है?...*(व्यवधान)* अगर एक बड़ा बैंक को खरीदता है या डूबते हुए बैंक को खरीदता है...*(व्यवधान)* और दूसरे बैंक की शाखा उससे लगभग दो किलोमीटर दूर है तो क्या वे दोनों ब्रांचेज चलेंगी या एक ब्रांच को बंद करके उसके कर्मचारी दूसरी ब्रांच में काम करेंगे।...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* आखिर इसमें ऐसे क्या-क्या पाइंट्स हैं? मैं चाहूंगा कि एक-एक पाइंट पर विस्तार से चर्चा की जाये, ...*(व्यवधान)* लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शायद न आप मेरी बात सुन पा रही हैं, न मंत्री जी मेरी बात सुन पा रहे होंगे और मुझे भी जितनी जोर-जोन से बोलना पड़ रहा है, ...*(व्यवधान)* मैडम, इसके लिए हाउस को ऑर्डर में लाना होगा, नहीं तो मैं अपनी बात नहीं

कह पाऊंगा।...*(व्यवधान)* इस पर मुझे बहुत ज्यादा बातें करनी हैं। इसमें बहुत सारे विषय हैं।...*(व्यवधान)* मुझे यह भी सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कह रही हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपने अगर अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं बिल पास करा लूं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मेरी बात अभी कम से कम 40 मिनट में पूरी होगी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई।...*(व्यवधान)* अगर बैंकिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो वोटिंग राइट अब बढ़ाये गये हैं।...*(व्यवधान)* वोटिंग का अधिकार क्यों बढ़ाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, *[अनुवाद]* इसके अनुसार:

"विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारकों के मतदान अधिकार को इनके शेयरधारिता अधिकारों का समानुपाती बनाया जाएं। यह महसूस किया गया है कि यह निजी बैंकों को बैंककारी व्यवसाय के विकास हेतु पूंजी प्राप्त करने में मदद करेगा।"

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बैंकिंग में जो अधिकार शेयर होल्डयर्स के वोटिंग राइट का था, ...*(व्यवधान)* यह 10 परसेंट से बढ़ाकर 26 परसेंट किया गया है। पहले जब यह 10 प्रतिशत हुआ करता था तो 10 प्रतिशत की वजह से जो शेयर होल्डर्स थे, ...*(व्यवधान)* वे सब्सिडियरीज बनाते थे और अपना 50 परसेंट का अधिकार करते थे, ...*(व्यवधान)* अपने शेयर्स जो थे, वोटिंग राइट 50 परसेंट का करते थे, लेकिन अब केवल 26 परसेंट किया है।...*(व्यवधान)* इससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतना अंतर जरूर पड़ेगा कि यह वीटो करने के काम आएगा।...*(व्यवधान)* यह 26 परसेंट होने के बाद कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अपनी बात रखने का उन शेयर होल्डर्स को मौका मिलेगा, ...*(व्यवधान)* उन लोगों को, जिन्होंने बैंकिंग में पैसा लगा रखा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं न कहीं यह 10 परसेंट से बढ़ाकर जो 26 परसेंट किया गया है, ...*(व्यवधान)* कुछ समय के लिए इसका बहुत लाभ मिल सकता है, इसलिए इसको 26 परसेंट करना चाहिए और आने वाले समय में देखना चाहिए कि किस तरह हमें आगे और क्या निर्णय लेना है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.54 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : एक और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के परव्यू से इस बात को बाहर निकाल दिया गया है।...*(व्यवधान)* जो बैंकिंग का मर्जर है, उस मर्जर को कम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के परव्यू से निकाल कर आरबीआई को एथॉरिटी बना दिया जाये।...*(व्यवधान)* मैडम, मैं इसें यह बात कहना चाहता हूं कि कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आखिर काम क्या है?

[अनुवाद]

मेरा अगला प्रश्न भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्राधिकार से छूट से संबंधित है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिदेश देता कि वह बैंककारी कंपनियों सहित कंपनियों के अधिग्रहण/विलय/आमेलन/समावेशन की संविक्षा और विनियमन करे। तथापि, विधेयक की धारा 2, जिस पर आज चर्चा की जा रही है का आशय सभी बैंकों को, चाहे वह निजी या राष्ट्रीयकृत या ग्रामीण या सहकारिता बैंक हो, का विलय/अधिग्रहण और आमेलन क बजाए प्रतिस्पर्धा आयोग के सभी विनियमन या पुनरीक्षण या संविक्षा या नियंत्रण से छूट प्रदान करती हैं। महोदया, यहां सरकार क्या हासिल करना चाहती है?

[हिन्दी]

आखिर कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रिव्यू से क्यों निकाला जा रहा है?...*(व्यवधान)* आरबीआई जिसकी बात हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूं, ...*(व्यवधान)* आरबीआई को यह अधिकार दिया गया है। आखिर कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तो शायद आम आदमी चला भी जाये, लेकिन क्या आरबीआई के पास आम आदमी जाकर अपनी बात रख सकता है?...*(व्यवधान)* इस सदन में पिछले पांच वर्षों में मैं अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन बैंक की नयी ब्रांच नहीं खुलती है।...*(व्यवधान)* जो बैंक से हम लोन लेते हैं, कर्ज जिस दर पर मिलता है, सरकार ने दस बार कह दिया होगा, लेकिन आरबीआई आज भी उसकी ब्याज दर कम करने क लिए राजी नहीं है।...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)* आरबीआई को हम अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन आरबीआई इसमें करने क्या वाला है? ...*(व्यवधान)* इसको सिर्फ कुछ समय तक देना चाहिए, ताकि कुछ समय के बाद

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

यह चर्चा जरूर की जाये कि क्या कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और आरबीआई इसे ज्वाइंटली देखे, ताकि ऐसा न हो कि मर्जर्स के नाम पर हमारे देश के बैंक जो एक विस्तार कर रहे थे, वे शायद उतना नहीं कर पायेंगे।...*(व्यवधान)* डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनैस फंड की बात यहां पर कही गयी।...*(व्यवधान)* इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* अब, मैं जमाकर्त्ता-शिक्षा और जागरुकता निधि पर आता हूं। विधेयक में जमाकर्त्ता-शिक्षा और जागरुकता निधि को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह निधि जमाकर्त्ताओं के उन खातों को अधिग्रहित करेगी, जिसपर पिछले 10 वर्षों या अधिक से दावा नहीं किया गया है या उससे काई प्रचालन नहीं किया गया है। *[हिन्दी]* मैडम, केवल दस वर्षों की यहां बात कही गयी है।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में यह अमेंडमेंट लायी गयी थी इसको नोटीफाई बिल में किया गया था...*(व्यवधान)* लेकिन आज अगर आप देखें...*(व्यवधान)* आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक करोड़ लोगों का पैसा पूरे देश भर में...*(व्यवधान)* जिसमें दो हजार चार सौ इक्यासी करोड़ रुपए पड़े हैं।...*(व्यवधान)* मैडम, यह कोई छोटी एमाउंट नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्लीज कंक्लूड करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, नो योर कस्टमर, केवाईसी नॉर्म्स की बात कही है, क्या उसको हम लागू कर पा रहे हैं?...*(व्यवधान)* अगर उसको हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* 482 करोड़ रुपए बैंकों में पड़ा है, क्या वह आम आदमी को कभी मिलेगा? माननीय वित्त मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह पैसा लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है?...*(व्यवधान)* मैडम, इस पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आखिर किन बैंकों के पास यह पैसा पड़ा हुआ है, केनरा बैंक के पास चार सौ करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास तीन सौ छः करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के पास दो सौ सत्तर करोड़ रुपए, फॉरेन बैंक्स के पास चालीस करोड़ रुपए, प्राइवेट बैंक्स के पास... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : सभा में व्यवस्था नहीं है। सभा अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 03.15 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुई*]

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 — *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया चर्चा को प्रारंभ होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया, कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे सरकार को एक सुझाव देना है।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि बैंककारी विधेयक पर चर्चा कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाए। सरकार को हममें से ऐसे कुछ लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए जिसका इस पर गंभीर आपत्ति है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि चर्चा के बाद जो भी परिणाम रहेगा, हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम विभाजन की मांग भी करेंगे, परन्तु सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि सब चाहेंगे?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): महोदय, माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि वे इस पर चर्चा करना चाहते हैं, वह कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं और वह हमारे विचारों को भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और सभा में यह आश्वासन देने के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं कि विधेयक पर कुछ समय के बाद चर्चा की जाए।

महोदया, इसे आज पारित किया जाएगा क्योंकि हम इस विधेयक को राज्य सभा में ले जाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप सब लोग शोर न मचाएं।

श्री कमल नाथ : महोदया, यदि इसमें सबकी राय है तो हम इससे सहमत हो सकते हैं और यदि यह आपसी समझ है, तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम अगली मद को ले सकते हैं संविधान (संशोधन) विधेयक।

इससे पूर्व यदि आप अनुमति दें तो सदन के नेता वक्तव्य दे सकते हैं।

सभापति महोदया : ठीक है।

अपराह्न 3.17 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य — *जारी*

(पांच) 16 दिसम्बर, 2012 को दक्षिण दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : महोदया, अध्यक्षपीठ के निदेश और मेरे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के प्रत्युत्तर में, मैं 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में हुये सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

फिजियोथेरिपी की एक छात्रा और उनके एक मित्र ने 16 दिसम्बर, 2012 को रात्रि लगभग 9:15 बजे बाहरी रिंग रोड पर मुनिरका बस स्टैंड के पास एक चार्टर्ड बस में लिफ्ट ली, जो सवारियों को ले जाने के लिए प्राधिकृत नहीं थी। यात्रा के दौरान इन छह व्यक्तियों ने इस जोड़े को पीटा...*(व्यवधान)* जोड़े के स्थान पर मैं इसे लड़की और उसका मित्र कहूंगा — आप इसे सही कर सकते हैं और छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिससे उसको गंभीर चोटें आईं, उनका सामान और कपड़े छीन लिए और उन्हें महिपालपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-08 के पास छोड़ दिया। पीड़ितों को पीसीआर द्वारा तत्काल सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लड़के को उसी दिन उपचार के बाद छोड़ दिया गया। लड़की अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों के अनुसार स्वास्थ्य लाभ ले रही है।

दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और बस की पहचान की और उसे जब्त कर लिया और मुख्य अभियुक्त, बस के नियमित चालक राम सिंह (33 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। उसने इस घटना में शामिल अन्य पांच व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया। इनमें से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या चार हो गई है। शेष दो व्यक्तियों को पकड़ने के लिए अरेस्ट पार्टियां भेजी गई हैं। बस संख्य डीएल-1 पीसी-0149 एक निजी ट्रांसपोर्टर की है और इसका इस्तेमाल पुष्प विहार, साकेत में स्थित बिरला विद्या निकेतन स्कूल के बच्चों को लाने-ले जाने में किया जाता है।

इस मामले में बिना समय गवाएं कार्रवाई की गई और छह अभियुक्तों में से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले का विचारण एक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के अनुरोध के साथ करवाए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह मामला ज्यादा लंबा न खिचें।

मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ इस मामले की विस्तृत समीक्षा करुंगा और सुनिश्चित करुंगा कि दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम जिन्हें उठाए जाने की जरूरत है उठाए जाएं।

यदि कोई चूक होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रात्रि में दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कुछ तथ्य:—

(क) रात्रि में सभी सड़कों पर पीसीआर वैन मौजूद होती हैं। यथासंभव अधिक से अधिक गश्त लगाई जाती है;

(ख) विशिष्ट मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिनका प्रयोग रात्रि में कॉल सेंटरों/बीपीओ जैसे कार्यस्थलों से लौटने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा इन मार्गों पर मोटरसाइकिल द्वारा गश्त शुरू किए जाने के अतिरिक्त, आपात कार्रवाई वाहनों तथा पीसीआर वैनों की संख्या में वृद्धि की गई है;

(ग) दिल्ली पुलिस ने बीपीओ तथा अन्य प्रतिष्ठानों को आदेश जारी किए है कि वे रात्रि में अपने कर्मचारियों को उनके घरों तक अवश्य छोड़ें; और

(घ) महिलाओं के लिए समर्पित तीन हेल्पलाइनें शुरू की गई हैं और इनका प्रचार किया गया है।

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

राज्य सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों, जिनकी चर्चा अभी मैं इस सदन में कर रहा हूं, को ध्यान में रखते हुए गृह सचिव के स्तर पर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए एक विशेष कृतक बल का गठन किया जाएगा।

महिलाओं के प्रति यौन अपराधों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से 4 दिसम्बर, 2012 को लोक सभा में दंड विधि संशोधन विधेयक, 2012 पहले ही पेश किया जा चुका है ताकि दोषसिद्धि की दर में सुधार हो।

इस विधेयक में आपने देखा होगा कि हमने दुष्कर्म के लिए भी सजा में बढ़ोत्तरी की है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आज यह डिसकशन का विषय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : उन्होंने ''सामूहिक बलात्कार'' शब्द का उल्लेख नहीं किया है। इस शब्द के प्रयोग में क्या गलती है?

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : इसमें ''सामूहिक बलात्कार'' शब्द नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं क्षमा चाहती हूं कृपया इस पर चर्चा न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : प्लीज आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : इस स्टेटमेंट पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : उन्होंने ''सामूहिक बलात्कार'' शब्द का उल्लेख नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसमें इस शब्द का उल्लेख होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : इसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया इस कथन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्षपीठ से मद संख्या 31 को उठाने का अनुरोध किया है क्योंकि *[हिन्दी]* अभी यह बात हो गई है कि इसे थोड़ा पोस्टपोन किया जाए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.23 बजे

संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012

(नए अनुच्छेद 371ञ का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : यदि सदन सहमत हो, तो अब हम एक दूसरे विधेयक नामत: संविधान (एक सौ अरठारहवां संशोधन) विधेयक पर विचार करें।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदया : माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : सभापति महोदया, मैंने इस विधेयक पर विचार करने और इसे पारित कर संविधान में अनुच्छेद 371ञ के रूप में अंतःस्थापन के लिए इस आशय का नोटिस दिया है।

मैं प्रस्ताव करता हूं:—

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

पूर्व हैदराबाद राज्य, जो निजाम के शासन के अधीन था, सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा था। वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र, जो पूर्व हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, जो कर्नाटक राज्य में मिला दिया गया तथा बेल्लारी जिला जो मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन था को कर्नाटक को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत संघ ने अनुच्छेद 371 में संविधान संशोधन कर 1956 में मराठवाड़ा और तेलंगाना क्षेत्रों को विशेष संवैधानिक दर्जा देकर इनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया था। 1998 में ही कर्नाटक सरकार ने भी हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के संबंध में ऐसे ही प्रावधानों की मांग की थी।

बाद में, कर्नाटक सरकार ने राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों और समाधानों के अध्ययन के लिए डॉ. डी.एम.जे. नन्जुडप्पा की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की गठन की थी।

मानव विकास सूचकांक के आधार पर विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत समिति ने 2002 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में स्वास्थ्य अवसंरचना, श्रम भागीदारी, सरकारी क्षेत्र में नियोजन की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की तथा कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्र के बीच असमानताओं को रेखांकित किया।

रिपोर्ट के अनुसार बीदर, बेल्लारी, रायचुर, यादगिर, गुलबर्गा और कोप्पल जिलों को राज्य का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र माना गया। राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद् ने कर्नाटक राज्य सरकार के संशोधन के पक्ष में एक संकल्प पारित किया था तथा उसे पृष्ठांकित भी किया था। संविधान में नया अनुच्छेद 371ञ कर्नाटक राज्य के तत्कालीन हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र जिसमें अतिरिक्त रूप से जोड़े गए बेल्लारी जिले सहित गुलबर्गा, बीदर, रायचुर, कोप्पल और यादगिर के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। यह आशा की गई कि यह राज्य के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाएगा तथा राज्य के अंतर-जिले और अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देगा। विधेयक में (क) उक्त क्षेत्र में अलग विकास निधि बोर्ड की स्थापना करने (ख) संपूर्ण राज्य की आवश्यकताओं के अध्यधीन उक्त क्षेत्र के विकास हेतु निधियों के समतुल्य आवंटन करने (ग) क्षेत्र के अधिवासियों के लिए स्थानीय संवर्ग के गठन के माध्यम से सरकारी रोजगार में आरक्षण प्रदान करने और (घ) क्षेत्र के अधिवासियों के लिए शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान के रूप में धारा 371ञ को अंत:स्थापित करने का विचार है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य विशेष प्रावधानों के माध्यम से कर्नाटक राज्य के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में विकास की तेज करने तथा इसे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि सभा की आम सहमति से इन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।

सभापति महोदया : "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : मेरे विचार में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय किया गया है। मैं आप की सराहना करुंगा। यदि आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें क्योंकि अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री अनंत कुमार (बेंगलुर दक्षिण) : महोदया, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं क्योंकि यह कर्नाटक के लिए महान दिन है। मैं पांच या छह मिनट में अपनी बात समाप्त करुंगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे : इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करना बेहतर है।

श्री अनंत कुमार : महोदय सर्वसम्मति होगी।

सभापति महोदय : आप इस विधेयक के स्वागत में दो मिनट बोल सकते हैं तदुपरांत अन्य सदस्य बोलेंगे।

श्री अनंत कुमार : महोदया, यह कर्नाटक राज्य और कर्नाटक के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। जैसाकि माननीय मंत्री ने संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है कि विदर्भ, मराठवाडा और तेलंगाना को 1956 में ही विशेष दर्जा मिला...*(व्यवधान)* तेलंगाना को यह 1974 में मिला तथा दलगत भावना से ऊपर उठते हुए, हम आंदोलन कर रहे हैं। हम यह कहते हुए कर्नाटक के बीदर, गुलबर्गा, रायचुर, यादगिर, कोप्पल और बेल्लारी जिले में आंदोलन कर रहे थे कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए क्योंकि निजाम के शासन काल में हम पूरी तरह से पिछड़े थे। मैं पिछड़ेपन पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। डॉ. डी.एम. नाजुनदप्पा रिपोर्ट में इस पिछड़ेपन को सामने लाया गया और सुझाव दिया गया कि 36,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने 2008 में 9000 करोड़ रुपए प्रदान किये जो इस क्षेत्र में विकास के लिए ऐतिहासिक था लेकिन महोदया वह पर्याप्त नहीं था। अत: हमने सोचा कि विदर्भ की तर्ज पर विकास के लिए एक बोर्ड होना चाहिए तथा रोजगार एवं शिक्षा दोनों में आरक्षण होना चाहिए। यह विदर्भ माडल मराठवाड़ा माडल

[श्री अनंत कुमार]

और तेलंगाना माडल का मिश्रित सच है। मैं भारत सरकार और इस सभा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कि अनुच्छेद 371ञ को अंत:स्थापित करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इससे हैदराबाद-कर्नाटक के लोगों को टिकाऊ न्याय मिलेगा और हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री जगदीश शेट्टर कर्नाटक के सभी माननीय संसद सदस्यों एवं कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद् सदस्यों के साथ कुछ दिन पहले मिले थे। उन्होंने इस संबंध में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था। यह मांग आज पूरी की जा रही है।

अत: महोदया मैं आपके माध्यम से पूरे सभा से अनुरोध करता हूं कि इस संविधान (संशोधन) विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए तथा क्षेत्र को न्याय दिया जाए। यह न्याय पहली बार 1956 में मराठवाड़ा एवं उसके बाद 1974 में तेलंगाना को दिया गया था किन्तु कर्नाटक को देने में विलंब हुआ। छप्पन वर्ष बीत चुके हैं और अंत में हमें यह न्याय मल रहा है। अत: महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरी सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करें तथा कर्नाटक-हैदराबाद क्षेत्र को न्याय दे।

श्री के. जयप्रकाश हेगड़े (उदूपी चिकमंगलूर) : महोदया, पिछली सरकार द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब हमारे नेता के हस्तक्षेप के कारण यह हो रहा है। मैं, संप्रग की अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री तथा कर्नाटक के अपने उन सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विधेयक को वापस लाने के लिए नेताओं पर दबाव बनाया है। वास्तव में, इसमें संभवत: तरह-तरह के अवरोध थे। पहले, जब इसे पुर:स्थापित किया जाना था, तब इस पर कर्नाटक सरकार की ओर से कुछ आपत्तियां थीं, क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलत धारणाएं थीं। अब, सरकार इसे एक बार फिर लेकर आई हैं, तो इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं।

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन) : महोदया, मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यह मुद्दा आज सुलझने जा रहा है। पूरा सदन इस संविधान (संशोधन) विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए तैयार है।

एक बार इस विषय को इस तरह बैठे हमारे मान्य विपक्ष ने खारिज कर दिया था। मुझे इसके पीछे की पूरी कहानी की जानकारी है, लेकिन मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। पिछले 40 वर्षों से यह लंबित पड़ा है। देवराज उर्स के समय से लेकर आज तक, लगभग सभी सरकारों ने कर्नाटक के जरिए केन्द्र सरकार से इसकी सिफारिश की है। केन्द्र सकरार से सिफारिश करने वालों में से मैं भी एक था, जब थोड़े समय के लिए मैं अपने राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारे मोइली जी यहां उपस्थित हैं, वे जानते हैं कि यह विषय पिछले 40 वर्षों से लंबित है। इस लंबित मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए मैं वर्तमान संप्रग सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हैदराबाद-कर्नाटक की ओर से मैं, संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371(ञ) शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए वर्तमान संप्रग सरकार की सराहना करना चाहता हूं।

***श्री एस. पक्कीरप्पा** (रायचूर) : धन्यवाद महोदया, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए आज केन्द्र सरकार अनुच्छेद 371(ञ) को शामिल करने के लिए संविधान का 118वां संशोधन विधेयक लेकर आई है। इस संबंध में कर्नाटक के सभी माननीय संसद-सदस्यों और सरकार ने ईमानदार प्रयास किए हैं। इस सम्माननीय सभा के समक्ष इस संविधान संशोधन विधेयक को लाकर सरकार ने हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित पड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा किया है। हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के छह जिलों— बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगिर, कोप्पल और बेल्लारी को नए संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक विशेष दर्जा मिलने वाला है। इससे क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पर्याप्त धनराशि हासिल करने में मदद मिलेगी। मैं मानता हूं कि अब इस क्षेत्र के लिए आबंटित धन कहीं और नहीं लगाया जाएगा।

इससे क्षेत्र के चहुंमुखी विकास में मदद मिलेगी; विशेषकर शिक्षा, रोजगार, उत्पादन और अवसंरचनात्मक विकास में क्षेत्र में। स्थानीय लोगों को रोजगार और शिक्षा संबंधी अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। उन्हें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ रोजगार में भी आरक्षण मिलेगा।

महाराष्ट्र में विदर्भ और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के मुकाबले हैदराबाद-कर्नाटक अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है। आज, इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देने के लिए यह विधेयक यहां रखा गया है, तो मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सभी माननीय संसद सदस्यों, विशेषकर उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के सदस्यों, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

***श्री शिवराम गौडा** (कोप्पल) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी को धन्यवाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक संघीय राष्ट्र है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 और उप-धारा 1 और 2 में यह उपबंध किया गया है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बराबर लाभ प्राप्त हो। सभी लोगों को समान विकास सुनिश्चित करने के लिए कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। सरकार का जाति, लिंग और क्षेत्र का भेदभाव किए बिना सभी लोगों के लिए सुरक्षा, संरक्षा, आय का समान वितरण, रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले, महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ, आंध्र प्रदेश राज्य में तेलंगाना और कर्नाटक के बीदर, गुलबर्गा, कोप्पल, बेल्लारी और रायचूर जिले जैसे क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के शासनाधीन थे। ये सभी क्षेत्र आज भी विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों के लोग आज भी दुर्दशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विशेषकर हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र ने केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना की दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। इन सभी बिंदुओं और हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के छह जिलों के लोगों की कठिनाइयों पर विचार करके, केंद्र सरकार यह विधेयक इस सम्मानीय सभा के सामने लायी है। इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। इस विधेयक से हमारे लोगों के लंबे समय से संजोये गए स्वप्न पूरे हो गए हैं। इसलिए, हम प्रसन्न हैं। मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए अपना सहयोग देने के लिए कर्नाटक के अपने सहयोगियों सहित इस सम्मानीय सभा के सभी वरिष्ठ सदस्यों को अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। तथापि, यह मेरे लिए एक महान दिन है क्योंकि हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा देने का उपबंध करने वाला संविधान (एक सौ अट्ठारहवां संशोधन) विधेयक आज पारित किया जा रहा है।

मुझे उम्मीद है कि यह संशोधन हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के कन्नड लोगों सहित सभी कन्नड लोगों का और एकीकरण सुनिश्चित करेगा। संपूर्ण कर्नाटक राज्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास की दृष्टि से समृद्ध बन जाएगा। इन शब्दों के साथ, मैं पूरे हृदय से इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, 118वां संशोधन विधेयक-2012, जो माननीय शिंदे साहब लेकर आये हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और यूपीए-2 गवर्नमेंट को विशेष धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि कर्नाटक और हैदराबाद के जो पिछड़े इलाके थे, उन्हें विशेष दर्जा दिया जाएगा। इसी प्रकार से विशेष दर्जे के तौर पर बहुत से इलाके हैं जैसे हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, उन्हें भी विशेष दर्जा दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) : *माननीय सभापति जी, बुंदेलखंड को भी विशेष दर्जा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपका भाषण रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, बाप बैठ जाएं

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदया : श्री तथागत सत्पथी।

श्री एन. धरम सिंह (बीदर) : *सभापति महोदया, मैं और खडगे जी गुलबर्गा से आते हैं।...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : धर्म सिंह जी, तथागत जी का नाम लिया है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : धरम सिंह जी, मैंने बोलने के लिए आपका नाम नहीं, बल्कि तथागत जी का नाम लिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं, मैं भी धरम सिंह जी को बता सकती हूं कि मैंने तथागत जी को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सभा के हम सब लोग कर्नाटक राज्य के निवासियों, जिनका गौरवमयी अतीत और उज्जवल भविष्य है, को बधाई देते हैं।

मैं यूपीए नेतृत्व, जिसने यह उचित समझा है कि कर्नाटक को एक महान राज्य के रूप में मान्यता मिले, के साथ-साथ इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहूंगा।

महोदया, यह कहते समय मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि अब यह देश जानता है कि कैसे स्वतंत्रता के पश्चात् ओडिशा, बिहार, बंगाल और अब झारखंड ने मालभाड़ा औचित्यीकरण का भार उठाया है। पूरे देश के विकास के लिए इन राज्यों ने अत्यधिक बलिदान दिया है। कोई और नहीं बल्कि सीधे यूपीए की अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया, गांधी बहुत समय पहले कालाहांडी और बोलनगीर जिलों में गई थीं और वे ओडिशा राज्य को भलीभांति जानती हैं। यह उनके लिए और उनकी पार्टी और सरकार के लिए आसान बात है कि वे नेतृत्व कर रही हैं और मैडम सोनिया गांधी जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वह हमारे मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक की मांगों को स्वीकार करें जिन्होंने कई बार आग्रह किया है कि ओडिशा राज्य को भी विशेष मान्यता की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इस सभा में उपस्थित हम सब लोग, जो पुराने समय से परिचित हैं, यह जानते होंगे कि किस प्रकार झारखंड, ओडिशा, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों ने इस देश के विकास में योगदान दिया है। यह स्वीकारोक्ति विलंबित है और मैं आशा करता हूं कि आगामी चुनावों के पहले यूपीए ओडिशा राज्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को अत्यधिक अपेक्षित मान्यता प्रदान करने की समझदारी दिखाएगा।

[हिन्दी]

श्री एन. धरम सिंह (बीदर) : सभापति महोदया, जो अमेंडमेंट बिल 371 आया है, मैं हैदराबाद और कर्नाटक के तमाम लोगों की तरफ से सरकार को मुबारकबाद देता हूं। हमारे लेबर एंड इम्प्लायमेंट के मिनिस्टर खरगे साहब जब गुलबर्गा में इलेक्शन के लिए ठहरे थे, तब राहुल गांधी वहां आए थे। मैंने राहुल गांधी जी को यही कहा कि अगर यूपीए की सरकार बनती है, तो यहां के लोगों की मंशा है कि यहां आर्टिकल 371 लागू होना चाहिए और पिछड़े इलाके के लिए सामाजिक तथा दूसरी चीजों की तरक्की होनी चाहिए। चाहे कर्नाटक की खुशकिस्मती हो या बदकिस्मती हो, मैं जब मुख्यमंत्री बना तब हाई लैवल डेलिगेशन के साथ मिला। अब एस.एम. कृष्णा जी चीफ मिनिस्टर थे, तब भी हम मिले, उसके बाद वीरप्पा मोइली जी की सरहद पर मिले। मैं और खरगे जी, दोनों लगातार मैदान में उतरे। मखदू मोहियादुद्दीन, जो हैदराबाद इलाके के बड़े रिवाल्यूशनरी पोएट थे, उनका कहना था:—

"हैयात ले चलो, कायनात ले चलो,
अगर चलो तो सारे जमाने को ले चलो।"

यह हमारी मंशा थी। हमने इन सब चीजों को लेकर प्रयास किया। मैं चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं कि वे तीन-चार बार वहां आईं। वहां के लोगों से मुखातिब हुईं। होम मिनिस्टर हमारे इलाके गुलबर्ग के बाजू में रहते हैं, उनको सब स्थिति के बारे में पता है। 371 अमेंडमेंट को तरमीम करना है, आसपास बुंदेलखंड आदि के लिए भी आवाजें उठ रही हैं। हमारा रिजर्व इलाका है। तेलंगाना का बहुत बड़ा एजीटेशन हुआ। डॉ. चेन्नारेड्डी इसके लीडर थे। इसके बाद हमने इस इलाके के लिए बहुत मेहनत की है। आज यहां जो अमेंडमेंट हो रहा है, इसके बाद वहां के सामाजिक और अन्य हालात सुधरेंगे। वहां के लोगों के मन में कांफिडेंस आया है, लोगों के मन में आ गया कि हमे बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज को पाया है। मैं अपने इलाके की तरफ से एक बार फिर प्राइममिनिस्टर साहब, मैडम, चिदंबरम साहब और खास तौर से होम मिनिस्टर साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमने सभी हिम्मत नहीं हारी।

"साहिल, साहिल क्या चलें, ले चल तूं मझदारों में,
मेरी तू जिक्र न कर, मैं आद हूं तूफानों का।"

हमने इन चीजों के लिए प्रयास किया है। मैं एक बार फिर उस इलाके की तरफ से मुबारकबाद देता हूं हिन्दुस्तान में एक नया दौर चालू हो रहा है। वहां के लोग फिर से आपकी हुकूमत में विश्वास रखेंगे। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : माननीय सभापति महोदया, मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत पुरानी मांग थी। मैं देवगौड़ा जी, धरम सिंह जी और हमारे पुराने साथी अनंत कुमार जी को बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर यूपीए सरकार तो इसके

लिए बधाई की पात्र है हम भी साथ हैं। इस मामले में हम सब शरीक रहे हैं और इस सवाल के लिए लड़ते रहे हैं। सतपथी जी ने जो बात कही है, कई जगह बहुत पिछड़े इलाके हैं। यहां बुंदेलखंड और कालाहांडी का जिक्र हो रहा था। बंगाल प्रेसीडेंसी में जो सूबे रहे हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए पूरी तरह समर्थन करता हूं होम मिनिस्टर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदया, आपके सामने लोगों ने जो बयान और दर्द रखे हैं, वे बहुत पुराने हैं। ये इतने गहरे हो गए हैं कि उनके बारे में बयान करते नहीं बनता है। सोनिया जी यहां बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उदास, लाचार और बेबस इलाकों की तरफ सरकार ध्यान दे। मेरी विनती है कि इस मौके पर जो खुशी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोगों को मिली है, मैं उसमें शरीक होना चाहता हूं। मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं जबकि मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो जबलपुर से चलते हुए पहुंच गया। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि कि वे इलाके नहीं उठेंगे तो मैं मानता हूं कि देश नहीं बनेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं सारे सदन और सरकार को इस सवाल पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से संविधान (118वां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं और हैदराबाद-कर्नाटक नामक कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्र का विकास करने की सरकार की इस पहले का स्वागत करता हूं।

जैसा कि आप भली-भांति जानते हैं हैदराबाद के पूर्व निजाम का साम्राज्य अब भारत के तीन राज्यों, अर्थात्:— आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र तथा कर्नाटक में हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र तक विस्तृत है।

तो अब, वर्तमान कर्नाटक, राज्य दो भागों से बना है। एक तो मैसूर के महाराजा द्वारा शासित वह पूर्व-क्षेत्र, जो पहले बहादुर टीपू सुल्तान के शासन में था। श्रीरंगपट्नम के युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद, मैसूर महाराजा का शासन उस क्षेत्र पर हो गया था। लेकिन यह क्षेत्र विशेष, अर्थात् हैदराबाद-कर्नाटक निजाम के अंतर्गत ही रहा।

यह बहुत अच्छी बात है कि एक विकास बोर्ड का गठन इन क्षेत्रों के विकास के लिए और इस पिछड़े क्षेत्र में रोजगार और अन्य क्षेत्रकों में अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है क्योंकि, अंततोगत्वा, हम जितना अधिक पिछड़ापन दूर करेंगे भारत उतना ही अधिक एकसूत्र में बंधेगा। अत: पिछड़े क्षेत्र में विकास करने की यह एक कोशिश है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि क्या संविधान संशोधन ही किसी क्षेत्र के विकास का सबसे सक्षम साधन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने विकास करने का एक अलग रास्ता दिखाया है। जैसा आपको मालूम होगा कि गोरखालैंड नामक अलग राज्य के लिए आंदोलन करने के बाद भारत-सरकार ने — उस समय स्व. श्री राजीव गांधी जीवित थे — वे पहले दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् का गठन किया था। उसके बाद अलग राज्य के दर्जे के लिए फिर आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसके बाद, वर्तमान मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के कार्यकाल में, भारत सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया और अंतत:, गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) का गठन किया गया उक्त जीटीए के गठन के लिए कोई संविधान संशोधन आवश्यक नहीं था। अब जीटीए समुचित रूप से कार्य कर रहा है। चूंकि, गृह मंत्री अभी यहां हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के लिए पर्याप्त राशि आबंटित करें ताकि अलंग राज्य की मांग समाप्त हो जाए तथा दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को विकास की सौंगात मिले।

जैसा मैंने कहा, कि यह हम सब का कर्त्तव्य है कि देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों, सभी विभाजनकारी आंदोलनों का मुकाबला करें क्योंकि आखिरकार हमारी पसंद एक एकीकृत भारत ही होना चाहिए जहां क्षेत्रयी विषमताएं विद्यमान न हों। जैसा हम कहते हैं कि हमारा प्रेम भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए होना चाहिए। *[हिन्दी]* ये कहा गया है — "रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं।" *[अनुवाद]* अत: इसलिए, प्रेम तो पूरे देश के लिए होना चाहिए और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बांटा नहीं जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में विकास करने के लिए इस संविधान (संशोधन) विधेयक का पुन: समर्थन करता हूं। मैं इस संविधान (118वां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : महोदया, आज आर्टिकल-371 जे, कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो इस सदन में रखा गया है, इसके लिए बहुत दिनों से हम सभी की कोशिशें चलीं और आज यह दिन देखने को मिला है कि रियलिटी में आज वह अमेंडमेंट हो रहा है। कम से कम तीस-पैंतीस साल से इस अमेंडमेंट के लिए हम लड़ रहे थे। आज यह लड़ाई यहीं पर खत्म हुई है। इसके लिए मैं खास कर श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉ. मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम साहब और शिंदे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं सीएलपी लीडर था, उस वक्त मुझे आदेश दिया गया कि आपको पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट करना है। तब श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर मैंने पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट किया। उस वक्त राहुल गांधी जी गुलबर्गा आए थे और उन्होंने यह एलान किया था कि आर्टिकल-371 हम करेंगे। जैसा कि तेलंगाना के लिए आर्टिकल-371डी और विदर्भ के लिए, मराठवाड़ा के लिए, सौराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, नागालैंड के लिए, जो आर्टिकल-371 दिए हैं, उसी ढंग से आपको भी दिया जाएगा। यह वायदा था। उस वायदे के अनुसार, अमेंडमेंट आ कर आज यह पक्का हो गया। मैं सभी को जिन्होंने भी इसमें मदद की है, चाहे वह बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे जेडीएस गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, सभी ने लगातार इसको सपोर्ट किया है। इसीलिए आज यह अमेंडमेंट हो रहा है। बीच में मुझे मालूम नहीं, क्यों और किस वजह से इसको विदड्रॉ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लिखा। यह मुझे मालूम नहीं है। हमारे दोस्त, जिन्होंने पहले इसको इनिशिएट किया, उन्होंने यह बेहतर बताया होगा। लेकिन तेलंगाना में, जो 371डी है, उसमें सिर्फ एंप्लॉएमेंट और एजुकेशन के लिए है। विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो है, 371(2) जिसमें डिवेल्पमेंट के लिए वहां पर जगह बनाई गई है। लेकिन जब मीटिंग हुई, चिदम्बरम साहब ने हम सब सांसदों और मिनिस्टर को बुलाया तो उस मीटिंग में उन्होंने यह कहा कि अगर आप सिर्फ 371डी कहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, डिवेल्पमेंट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ विदर्भ का पूछेंगे, मराठवाड़ा का पूछेंगे या सौराष्ट्र का पूछेंगे, उस बेसिस पर करेंगे तो आपको एजुकेशन और एम्पलाइमेंट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इन तीनों को मिला कर एक हाइब्रिड करेंगे और वह 371-जे था। लेकिन चंद लोगों ने इसको मिस्टेक कर लिया। कर्नाटक सरकार ने भी मिस्टक कर ली। उन्होंने फौरन होम मिनिस्टर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को एक लैटर लिखा कि यह आर्टिकल हमें मंजूर नहीं है, इस बिल को विदड्रॉ कीजिए। हम जो फ्रेश सलाह देंगे, उस आधार पर आप एक नया बिल बना कर पेश कीजिए। उसके बाद हमने अनंत कुमार जी को कहा और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नायडु साहब से मिले। हमने कहा कि यह अन्याय है क्योंकि सारा कर्नाटक यह चाहता है। सक्सेसिव गवर्नमेंट ने यह रिकमेंड किया है। बड़ी कोशिशों के बाद यह बिल आया है। जब हम यूपीए चेयरपर्सन से मिले, उन्होंने चिदंबरम साहब को यह कहा कि जल्द से जल्द इस बिल को पेश करने की कोशिश करें। उसके बाद में बिल आया था, तो इसको किसी ढंग से आप विदड्रॉ कर लीजिए। बाद में चर्चा करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक और लैटर लिखा कि हम एज़ इट इज़ 371-जे को मानते हैं इसलिए आप इस बिल को पारित कीजिए।

अपराह्न 04.00 बजे

मेरा कहना यही है कि सभी के कोआपरेशन से ही यह हो रहा है क्योंकि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के पास होने के लिए यहां पर भी और वहां पर भी दो-तिहाई मेजोरिटी होनी चाहिए। आप मदद कर रहे हैं और सर्वसम्मति से यह एक्ट पास हो रहा है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, खासकर यूपीए की चेयरपर्सन और प्रधानमंत्री जी को। इस बिल को पास होने दो, इससे इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें हो जायेंगी। मैं सभी से यही कहूंगा कि केवल इससे ही खत्म होने वाला नहीं है, आगे बहुत कोशिश करनी है, स्पेशल पैकेज देना है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि डेवलपमेंट के लिए "मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है, दिल मिलें या न मिलें कम से कम हाथ मिलाकर चलो।"

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) महोदया, यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसे गृह मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, मैं इस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं और समर्थन करते हुए मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदया, जहां पर भी देश में पिछड़े क्षेत्र हैं, हर पिछड़े क्षेत्र के लोगों की यह मांग रहती है कि एक तो उस पिछड़ेपन से बाहर आने के लिए हमें स्पेशल पैकेज दिया जाये या उस क्षेत्र के लिए अलग से डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया जाये और इसीलिए देश के

अलग-अलग राज्यों में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन सारे पिछड़े क्षेत्रों से यह मांग आती है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के दो डेवलपमेंट बोर्ड हैं, जैसे विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड है, मराठवाड़ा डेवलपमेंट बोर्ड है, ...*(व्यवधान)* जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, लेकिन वह स्पेसिफिक किसी एरिया के लिए नहीं है, इसी प्रकार से निजाम का जो राज था, निजाम के राज में तीन राज्य आते थे, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र हैदराबाद और कर्नाटक थे। उसमें से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के लिए तो बन गया था, तेलंगाना के लिए बन गया था और कर्नाटक शासित जो निजाम का प्रदेश था, उसके लिए आप यह अमेंडमेंड यहां पर लाये हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार के डेवलपमेंट बोर्ड से निश्चित रूप में उस क्षेत्र का विकास होने वाला है।

अपराह्न 04.02 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

वहां की जो पिछड़ी हुई जनता है, वह पिछड़ेपन से बाहर आ सकती है। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप वहां के लोगों को पिछड़ेपन से बाहर लाने के लिए डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं कोंकण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, गृह मंत्री जी इस बात को जानते हैं, वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोंकण डेवलपमेंट बोर्ड की मांग होती आ रही है। यहां पर प्रपोजल भेजा है, कई वर्षों से यह मांग लंबित पड़ी है। मैं यह चाहूंगा कि जिस प्रकार हैदराबाद, कर्नाटक के पिछड़ेपन को हटाने के लिए आप डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने के लिए कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट यहां लाये हैं, उसी प्रकार जो कोंकण का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वर्षों से लोगों की मांग है, राज्य सरकार लगातार यहां पर प्रपोज भेजती रही हैं और कई वर्षों से भारत सरकार के पास लंबित पड़ा है। मैं गृह मंत्री जी से मांग करुंगा कि कोंकण डेवलपमेंट बोर्ड के लिए भी आप सदन के अन्दर जल्द से जल्द प्रस्ताव लाइये।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, मैं इस दस्तूरी तरमीमी बिल का खैर मकदम करता हूं और यकीनन हैदराबाद, कर्नाटक इलाके की जामिये तरक्की के लिए इस तरह दस्तूर में तरमीम करने की बेहद जरूरत थी क्योंकि इस इलाके का जो खवानगी का तनासुब है और रियासते-कर्नाटक का जो खवानगी का तनासुब है, वह 75 फीसदी है और इस इलाके का 65 फीसदी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पसमांदगी कितनी ज्यादा है? मगर सबसे अहम बात यह है कि हम किसी चीज का यहां पर आगाज कर रहे हैं और अगर इस चीज को कामयाब होना है तो हुक्मरानों के दिलों में इखलाक होना जरूरी है और नेकनीयति होनी चाहिए। हुआ क्या है कि 55 साल पहले जो एक्सपैरिमेंट हुआ या फिर 1970 में आंध्र प्रदेश में जो किया गया, आज अगर आंध्र प्रदेश में तमाम परेशानियां हैं, इलाका-ए-तेलंगाना में अगर 700 से ज़ायद बच्चे खुदकुशी करते हैं, तो यही डेवलपमेंट बोर्ड एक जमाने में बनाया गया था और तेलुगुदेशम ने सबको खत्म कर दिया। मेरी हुकूमत से यह मुतालबा है कि जब आप एक डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं तो क्या इस तरह का डेवलपमेंट बोर्ड रियासते आंध्र प्रदेश में भी बनाया जाएगा? अगर यह कर्नाटक के लिए अच्छा है तो आंध्र प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैं इसलिए मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि आप रोजगार में और तालीम में मवाके फ़राहम करने के लिए इस इलाके के लोगों को ताहफ़ुज़ा दे रहे हैं। यही चीज हमारे पास वहां पर भी थी। उस पर कहां तक अमलावरी हुआ? 6 पॉइंट फॉर्मूला जिसको जीओ 610 के नाम से जानते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर आप यह कह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे किसी को हुकूमत हो, कि पूरे इख़लास के साथ इस तरमीमी बिल का जो फायदा हैदराबाद और कर्नाटक के अवाम को होना चाहिए, वह पूरा मिलना चाहिए। और अगर नहीं होता तो फिर आप तैयार हो जाइए 1970 के बाद अब जो 2012 में हो रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है, सिर्फ दस्तूर में तरमीम करने से हासिल नहीं है, दिमाग में तरमीम लाने की जरूरत है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि मरकज़ी हुकूमत हमारी रियासत का मसला तय कर दे, हमारी रियासत का मसला खत्म कर दे। अगर यह इस इलाके के लिए अच्छा है, जब दस्तूर में तरमीम हो सकती है इस ऐवान में तो आप हमारे इलाके का भी कुछ मसला तय कीजिए। 28 को मीटिंग है। आप इसको हल करिए ताकि हमेशा के लिए मसला खत्म हो जाए।

جناب اسد الدین اویسی (حیدر آباد): محترم چیرمین صاحب، میں اس دستوری ترمیمی بل کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یقیناً حیدر آباد، کرناٹک علاقے کی جامع ترقی کے لئے اس دستور میں ترمیم کرنے کی بے حد ضرورت تھی، کیونکہ اس علاقہ کا جو خواندگی کا تناسب ہے اور ریاستِ کرناٹک کا جو خواندگی کا تناسب ہے وہ 75 فیصد ہے اور اس علاقہ کا 65 فیصد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پسماندگی کتنی زیادہ ہے؟ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کا یہاں پر آغاز کر رہے ہیں اور اگر اس چیز کو کامیاب ہونا ہے تو حکمرانوں کے دلوں میں اخلاق ہونا ضروری ہے اور نیک نیتی ہونی چاہئے۔ ہوا کیا ہے کہ 55 سال پہلے جو ایکسپیریمنٹ ہوا یا پھر 1970 میں آندھرا پردیش میں جو کیا گیا، آج اگر آندھرا پردیش میں تمام پریشانیاں ہیں، تیلنگانہ علاقے میں اگر 700 سے زیادہ بچے خودکشی کرتے ہیں تو یہی ڈیولپمینٹ بورڈ ایک زمانے میں بنایا گیا تھا اور تیلگو دیسم نے سب کو ختم کر دیا۔ میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جب آپ ایک ڈیولپمنٹ بورڈ بنا رہے ہیں تو کیا اس طرح کا ڈیولپمنٹ بورڈ ریاست آندھرا پردیش میں بھی بنایا جائے گا؟ اگر یہ کرناٹک کے لئے اچھا ہے تو آندھرا پردیش کے لئے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ میں اس لئے آپ کو متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ روزگار میں اور تعلیم میں مواقع فراہم کرنے کے لئے اس علاقے کے لوگوں کو تحفظات دے رہے ہیں۔ یہی چیز ہمارے پاس وہاں پر بھی تھی۔ اس پر کہاں تک عمل آوری ہوئی؟ 6 پوائنٹ فارمولہ جسے ہم جی۔او۔610 کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے کسی کی حکومت ہو، پورے اخلاص کے ساتھ اس ترمیمی بل کا جو فائدہ حیدر آباد اور کرناٹک کے عوام کو ہونا چاہئے، وہ پورا ملنا چاہئے۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ تیار ہو جائے 1970 کے بعد اب جو 2012 میں ہمارے پاس ہو رہا ہے، اس لئے بے حد ضروری ہے، صرف دستور میں ترمیم کرنے سے حاصل نہیں ہے، دماغ میں بھی ترمیم لانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مرکزی حکومت ہماری ریاست کا مسئلہ طے کر دے، ہماری ریاست کا مسئلہ ختم کر دے۔ اگر یہ اس علاقہ کے لئے اچھا ہے، جب دستو میں ترمیم ہو سکتی ہے اس ایوان میں تو آپ ہمارے علاقے کا بھی کچھ مسئلہ حل کیجئے۔ 28 کو میٹنگ ہے۔ آپ اس کو حل کرئے تا کہ ہمیشہ کے لئے مسئلہ ختم ہو جائے۔۔۔ شکریہ

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, यह जो कांस्टीट्यूशन अमेंन्डमेंट बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उसमें जो थोड़ा कंफ्यूजन है कि सभी माननीय सदस्यों ने जब अपनी बात करते समय हैदराबाद का नाम लिया, उससे सब लोग सोच रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को भी इसका बैनिफिट होगा। हैदराबाद का नाम तो है, मगर जितना भी है टोटल कर्नाटक है, मगर कर्नाटक को बैनिफिट मिलना चाहिए। इसमें गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल और यादगिरी जिले ये सब डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के हैं। कर्नाटक में जो बोर्ड बना दिया यह अच्छा है, मगर अभी बात करने के समय में जो तेलंगाना के लिए 371डी को पहले दिया था, अभी जो न्यू आर्टिकल 371जे है, इसमें जो चार पॉइंट रेज किए हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट बोर्ड का कहा है, उसी तरह से स्पेशल फंड्ज एलोकेशन का और फाइनली एजुकेशन का रिजर्वेशन, ये सब अभी 371जे में जो इनक्लूड किया है, बाकी जगह भी यह होना चाहिए। यहां तक हमारे साथी ने अपनी बात करते हुए कहा कि तेलुगूदेशम ने ऑब्जैक्ट किया है, वह बिल्कुल सही नहीं है। डेवलपमेंट के लिए तेलुगूदेशम और चंद्रबाबू नायडू जी ने हरेक टाइप के डेवलपमेंट की बात कही। चंद्रबाबू नायडू जी का नमा ही ऐसा है कि जब भी उनका नाम आता है तो डेवलपमेंट की बात आती है। आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट तेलुगूदेशम पार्टी के समय में हुआ, उतना कभी नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़) : महोदय, मुझे इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि सरकार हमें इसका समर्थन करने और बधाई देने का अधिक अवसर नहीं दे रही है तो, मैं इस अवसर का उपयोग दुर्लभतम अवसर के रूप में करते हुए सरकार को बधाई देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी हैदराबाद और कर्नाटक के इलाके में जो डेवलपमेंट बोर्ड बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव लाए हैं, यह बहुत ही सराहनीय कदम है और प्रोग्रेसिव स्टैप है। हम सरकार को बधाई देते हैं, सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों को भी हम बधाई देते हैं क्योंकि इससे उन इलाकों का विकास होगा, अपलिफ्टमेंट होगा ऐसा हम सबको विश्वास है। भारत सरकार और यूपीए गवर्नमेंट नंबर 2 ने अपना विकास का और अपलिफ्टमेंट का पूरा पिटारा खोला है, यह अच्छी बात है। इसको अन्य राज्यों में भी यह सब करना चाहिए जो राज्य पीछे छूट गए हैं। इसके लिए हम सब तैयार हैं।...*(व्यवधान)* बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एन.डी.सी. देगा, नरेन्द्र मोदी वगैरह तय करेंगे। यह इस सरकार का नहीं है।...*(व्यवधान)* असली बात यह है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, अपनी पार्टी अर्थात् भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह चिर-प्रतीक्षित विधेयक है। यदि सरकार इसे पहले ही पेश करती तो अच्छा होता। लेकिन कभी नहीं से देर भली। इसलिए, मैं यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं और संबंधित क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं। इस विधेयक के पारित होने से कर्नाटक के संबंधित क्षेत्र प्रगति करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार अन्य ऐसे क्षेत्रों के बारे में विचार करेंगे और सभी तरीके से ऐसे क्षेत्रों की अपना समर्थन देगी।

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि अपाने मुझे 118वें संविधान संशोधन पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं सबसे पहले यूपीए सरकार और यूपीए की चैयरपर्सन को धन्यवाद देता हूं कि एक पिछड़े इलाके के बेहतर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहां रोजगार सृजन करने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां का बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। मैं मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए विशेष पैकेज देकर वहां रोजगार सृजन करने का यह कष्ट करें।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : सभापति महोदय, आज जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन यह फैसला किया गया है। इसके लिए सरकार को बधाई और हैदराबाद, विदर्भ और सारे क्षेत्र के लोगों को जिनको आगे इससे लाभ मिलेगा, उनको मैं हृदय से बधाई देती हूं और उनकी खुशी में मैं शरीक़ होना चाहती हूं।

[श्रीमती पुतुल कुमारी]

महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य शरद जी और सत्पथी जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा ऐसे राज्य हैं, जिनको इस सूची में शामिल करना चाहिए। मैं अपने सुर को उनकी बातों से मिलाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि बिहार बड़े दिनों से बढ़ी शिद्दत से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में कल-कारखाने नहीं हैं, खनिज पदार्थ नहीं हैं। झारखंड राज्य अलग बन जाने के बाद खनिज पदार्थों से भी बिहार महरूम है। बिहार में माइग्रेशन रेट 18 परसेंट है। बिहार आज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और देख रहा है कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। अभी पिछले दिनों पटना में एक बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें लाखों बिहारी लोगों ने जमा होकर अपनी आवाज बुलन्द की। उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार अपना बड़ा दिल करे और बिहार के प्रति उतना ही उदार हृदय रखे और अगली सूची में बिहार को शामिल करे, ऐसा बोलते हुए मैं फिर से बधाई देती हूं।

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं बुंदेलखंड से चुन कर आता हूं। बुंदेलखंड के लिए सरकार ने पैकेज दिया है, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। इस बिल के साथ-साथ बुंदेलखंड में छत्रसाल का राज रहा है। "इत यमुना उत बैतवा, उत चम्बल उत तौंस, छत्रसाल से लड़न को नहीं अंग्रेजों में ठोंस।" यह कहावत कही जाती रही है। आज बुंदेलखंड त्राहि-त्राहि कर रहा है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह आए दिन पेपरों में आता है। इसलिए माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस बिल के साथ-साथ, जब आपने बंदेलखंड को स्पेशल पैकेज दिया है तो फिर स्पेशल जोन घोषित किया जाए। उसको भी आप इसमें शामिल करें। इसी तरह का एक बिल लाएं।

[अनुवाद]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : इस महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए, सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन पर सरकार को बधाई देना चाहूंगा। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह झारखंड जैसे राष्ट्यों तथा संथाल परगना व कोल्हन जैसे झारखंड के संबंद्ध क्षेत्र जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, पर भी विचार करे। यदि सरकार उन मुद्दों पर विशेष विकास के प्रसंग में गौर करेगी तो मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगा।

[हिन्दी]

श्री आर.पी.एन. सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे माननीय सदस्यों और सारी पोलिटिकल पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस बिल का समर्थन किया। मैं सारी पार्टियों को उम्मीद भी दिलाना चाहता हूं...*(व्यवधान)* इसी तरह का एक बिल लाएंगे, जिससे सब लोगों का समर्थन मिल सके। कुछ लोगों ने बुंदेलखंड की बात की, मैं बुंदेलखंड के बारे में बताना चाहता हूं। इसी हाउस के बाद सांसद श्री राहुल जी ने बुंदेलखंड की आवाज उठाई थी, जिस पर कार्य हुआ और एक पैकेज बुंदेलखंड को मिला।

मैं एक बार फिर से उन सारे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व में सभा को यह बता देना चाहता हूं। कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें

सभापति महोदय : अब, महासचिव स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग मशीन प्रणाली के प्रचालन की प्रक्रिया के बारे में सभा को बताएंगे।

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:—

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

2. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्षपीठ के दोनों तरफ 'सूचना बोर्ड' पर लाल बत्ती जल रही हैं। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गई है।

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय

सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा एक 'लाल' बटन और साथ ही सीट में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बटनों में से एक बटन:—

पक्ष में	—	हरा बटन
विपक्ष में	—	लाल बटन
भाग नहीं लिया	—	पीला बटन

4. जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए और 'लाल' बत्ती 'बुझ' न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

5. मत-विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बजट (पी) नहीं दबाएं।

6. माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान सूचक बोर्डों पर तथा अपने 'डेक्स यूनिट' पर देख सकते हैं।

7. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

सभापति महोदय : अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

माननीय सदस्यगण, अब मैं विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा मत मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 1 पक्ष में अपराह्न 4.22 बजे

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजनाला, डा. रतन सिंह

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन मोहम्मद

अडसुल, श्री आनन्दराव

अधिकारी, श्री शिशिर

अनन्त कुमार, श्री

अनुरागी, श्री घनश्याम

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

कमलनाथ, श्री

कमांडो, श्री कमल किशोर

करवारिया, श्री कपिल मुनि

कलमाडी, श्री सुरेश

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

*किल्ली, डॉ. क्रपारानी

कुमार श्री अजय

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

*कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्री सोनिया

गांधी, सेलवन, श्री एस.

गायकवाडे, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोगोई, श्री दीप

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र

चांग, श्री सी.एम.

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तकाम, श्री संजय

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री खगेन

दास, श्री भक्त चरण

दसगुप्त, श्री गुरुदास

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिंद

देवी, श्रीमती अश्वमेघ

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्र

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्री आर.के. सिंह

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री देवराज सिंह

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बख्शी, श्री सुब्रत

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री कल्याण

बलीराम, डॉ.

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

भोई, श्री संजय

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मणि, श्री जोस के.

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मलिक, श्री शक्ति मोहन

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

मांझी, श्री हरि

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री रघुवीर सिंह

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजभर, श्री रमाशंकर

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राणे, श्री निलेश नारायण

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, प्रो. सौगत

राव, श्री नामा नागेश्वर

*राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री हरीश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रियान, श्री बाजू बन

*रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.आर.जी.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानन्द, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.

विश्वनाथ, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार

शर्मा, श्री जगदीश

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

सईद, श्री हमदुल्ला

सचान, श्री राकेश

सत्पथी, श्री तथागत

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कान्त

साई प्रताप, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

*सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारीलाल

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राधे मोहन

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजैया

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हक, शेख सैदुल

हजारी, श्री महेश्वर

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री इस्माइल

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनन्त कुमार

हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, *मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:–

पक्ष में : 343

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

अब मैं खंड 2 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 2 पक्ष में अपराह्न 4.23 बजे

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजनाला, डा. रतन सिंह

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन मोहम्मद

अडसुल, श्री आनन्दराव

---

*निम्नलिखित सदस्यों में पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की

पक्ष में : 343 + सर्वश्री मिलिन्द देवरा, डॉ. क्रुपारानी किल्ली, सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, रायापति सांबाशिवा राव, सी.एल. रुआला और जगदानन्द सिंह = 349

विपक्ष में : शून्य

अधिकारी, श्री शिशिर

अनन्त कुमार, श्री

अनुरागी, श्री घनश्याम

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

कमलनाथ, श्री

*कमांडो, श्री कमल किशोर

करवारिया, श्री कपिल मुनि

कलमाडी, श्री सुरेश

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रपारानी

कुमार श्री अजय

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गणेशमूर्ति श्री ए.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्री सोनिया

गांधी, सेलवन, श्री एस.

*गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोगोई, श्री दीप

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र

चांग, श्री सी.एम.

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तकाम, श्री संजय

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री खगेन

दास, श्री भक्त चरण

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिंद

देवी, श्रीमती अश्वमेघ

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्र

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री पी. बलराम

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्री आर.के. सिंह

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री देवराज सिंह

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

~~बक्शी, श्री सुब्रत~~

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री कल्याण

बलीराम, डॉ.

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बीजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

भोई, श्री संजय

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मणि, श्री जोस के.

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मलिक, श्री शक्ति मोहन

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

मांझी, श्री हरि

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री रघुवीर सिंह

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुखर्जी, श्री अभिजीत

*मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री ओम प्रकाश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजभर, श्री रमाशंकर

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राणे, श्री निलेश नारायण

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, प्रो. सौगत

राव, श्री नामा नागेश्वर

*राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री हरीश

रियान, श्री बाजू बन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.आर.जी.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लाल, श्री पकौड़ी

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानन्द, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.

विश्वनाथ, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार

शर्मा, श्री जगदीश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शांता, श्रीमती जे.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शेखवत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

सईद, श्री हमदुल्ला

सचान, श्री राकेश

सत्पथी, श्री तथागत

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कान्त

साई प्रताप, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री गणेश

*सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारीलाल

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राधे मोहन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सिब्बल, श्री कपिल

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हक, शेख सैदुल

हजारी, श्री महेश्वर

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री इस्माइल

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनन्त कुमार

हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:—

पक्ष में : 342

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

अब मैं खंड 2 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

खंड 1

सभापति महोदय : खंड 1 में एक संशोधन है। अब, मंत्री महोदय, संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4:—

"संविधान (118वां संशोधन) अधिनियम, 2012" के स्थान पर—

"संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2012" प्रतिस्थापित किया जाए।"

(श्री आर.पी.एन. सिंह)

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की।

पक्ष में : 342 + सर्वश्री पुलिन बिहारी बासके, कमल किशोर "कमांडो", माणिकराव होडल्या गावित, विलास मुत्तेमवार और जगदानंद सिंह = 347

विपक्ष में : शून्य

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 3 पक्ष में अपराह्न 4.25 बजे

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजनाला, डा. रतन सिंह

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन मोहम्मद

अडसुल, श्री आनन्दराव

अधिकारी, श्री शिशिर

अनन्त कुमार, श्री

अनुरागी, श्री घनश्याम

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम
इंगती, श्री बिरेन सिंह
इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.
ईरींग, श्री निनोंग
उदासी, श्री शिवकुमार
एंटोनी, श्री एंटो
ओला, श्री शीश राम
ओवेसी, श्री असादूद्दीन
कटारिया, श्री लालचन्द
कटील, श्री नलिन कुमार
कमलनाथ, श्री
कमांडो, श्री कमल किशोर
करवारिया, श्री कपिल मुनि
कलमाडी, श्री सुरेश
कश्यप, श्री दिनेश
कश्यप, श्री वीरेन्द्र
कस्वां, श्री राम सिंह
कामत, श्री गुरुदास
किल्ली, डॉ. क्रुपारानी
कुमार श्री अजय
कुमार, श्री कौशलेन्द्र
कुमार, श्री रमेश
कुमार, श्री विश्व मोहन
कुमार, श्री वीरेन्द्र
कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश
कुरुप, श्री एन. पीताम्बर
कृष्णास्वामी, श्री एम.
कुमारी, श्रीमती पुतुल
केपी, श्री महिन्दर सिंह
कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी
कौर, श्रीमती परनीत
खंडेला, श्री महादेव सिंह
खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील
खत्री, डॉ. निर्मल
खरगे, मल्लिकार्जुन
खान, श्री हसन
खुर्शीद, श्री सलमान
गद्दीगौदर, श्री पी.सी.
गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल
गांधी, श्री वरुण
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री सोनिया
गांधी, सेलवन, श्री एस.
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव
गावित, श्री माणिकराव होडल्या
गीते, श्री अनन्त गंगाराम
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर
गोगोई, श्री दीप
गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र

चांग, श्री सी.एम.

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तकाम, श्री संजय

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री खगेन

दास, श्री भक्त चरण

दसगुप्त, श्री गुरुदास

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिंद

देवी, श्रीमती अश्वमेघ

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्र

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री पी. बलराम

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्री आर.के. सिंह

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री देवराज सिंह

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बक्शी, श्री सुब्रत

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री कल्याण

बलीराम, डॉ.

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बाल्मीकि, श्री कमलेश

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बीजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

भोई, श्री संजय

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मणि, श्री जोस के.

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मलिक, श्री शक्ति मोहन

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

मांझी, श्री हरि

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री रघुवीर सिंह

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजभर, श्री रमाशंकर

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राणे, श्री निलेश नारायण

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, प्रो. सौगत

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री हरीश

रियान, श्री बाजू बन

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.आर.जी.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लाल, श्री पकौड़ी

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानन्द, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.

विश्वनाथ, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार

शर्मा, श्री जगदीश

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शेखवत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

सईद, श्री हमदुल्ला

सचान, श्री राकेश

सत्पथी, श्री तथागत

सहाय, श्री सुबोध कान्त

साई प्रताप, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारीलाल

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राधे मोहन

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हक, शेख सैदुल

हजारी, श्री महेश्वर

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री इस्माइल

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनन्त कुमार

हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, विभाजन का परिणाम निम्नलिखित है:—

पक्ष में : 348

विपक्ष में : शून्य

यह सभा की कुल सदस्यों के बहुमत तथा सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : मैं अब अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री आर.पी.एन. सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : दीर्घाएं पहले ही खाली की जा चुकी हैं। अब मैं प्रस्ताव करूंगा कि विधेयक, संशोधित, रूप में पारित किए जाने के लिए सभा में मतदान के लिए रखा जाए।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की।
पक्ष में : 348 + श्री जगदानंद सिंह = 349
विपक्ष में : शून्य

मत विभाजन संख्या 4 **पक्ष में** **अपराह्न 4.27 बजे**

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजनाला, डा. रतन सिंह

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन मोहम्मद

अडसुल, श्री आनन्दराव

अधिकारी, श्री शिशिर

अनन्त कुमार, श्री

अनुरागी, श्री घनश्याम

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

कमलनाथ, श्री

कमांडो, श्री कमल किशोर

करवारिया, श्री कपिल मुनि

कलमाडी, श्री सुरेश

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रपारानी

कुमार श्री अजय

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री अनंत

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्री सोनिया

गांधी, सेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

गोगोई, श्री दीप

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र

चांग, श्री सी.एम.

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

*जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री खगेन

दास, श्री भक्त चरण

दसगुप्त, श्री गुरुदास

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिंद

देवी, श्रीमती अश्वमेघ

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्र

नाईक, श्री पी. बलराम

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्री आर.के. सिंह

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री देवराज सिंह

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री कल्याण

बलीराम, डॉ.

बक्शी, श्री सुब्रत

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बाल्मीकि, श्री कमलेश

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बीजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

भोई, श्री संजय

मणि, श्री जोस के.

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

मांझी, श्री हरि

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री रघुवीर सिंह

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजभर, श्री रमाशंकर

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राणे, श्री निलेश नारायण

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, प्रो. सौगत

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री हरीश

रियान, श्री बाजू बन

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.आर.जी.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लाल, श्री पकौड़ी

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानन्द, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.

विश्वनाथ, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार

शर्मा, श्री जगदीश

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

शेखवत, श्री गोपाल सिंह

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्ला

सचान, श्री राकेश

सत्पथी, श्री तथागत

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कान्त

साई प्रताप, श्री ए.

शाह, श्रीमती माया राज्यलक्ष्मी

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारीलाल

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राधे मोहन

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हजारी, श्री महेश्वर

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री इस्माइल

हेगड़े, श्री अनन्त कुमार

हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:-

पक्ष में : 347

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 04.29 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र – *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मद संख्या 10 – श्री आर.पी.एन. सिंह।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8070/15/12]

(2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8071/15/12]

(3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 और 15 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2497(अ) जो 15 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2348(अ) जो 1 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में, उसमें उल्लिखित, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को अनधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1939(अ) से का.आ. 1950(अ) जो 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उनमें उल्लिखित विशेष न्यायालयों में पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2173(अ) और का.आ. 2174(अ) जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उनमें उल्लिखित विशेष न्यायालयों में पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8072/15/12]

(4) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 53 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ संख्या 11034/12/2011-आई.एस. छह जो 29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 36(4) के साथ पठित धारा 36(1) के अंतर्गत निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8073/15/12]

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की।
पक्ष में : 347 + श्री कैलाश जोशी = 348
विपक्ष में : शून्य।

[श्री आर.पी.एन. सिंह]

(5) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2012 जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2755(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8074/15/12]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8075/15/12]

अपराह्न 04.30 बजे

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 — *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम वापस मद संख्या 28 पर आते हैं मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो सदस्य सदन से जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं और मैं अन्य सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी जगह पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनुराग सिंह ठाकुर, आप अब अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी है और जिस तरह से मैंने शुरूआत में कहा कि बैंकिंग केवल इंवेस्टमेंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। बैंकिंग से आम आदमी के जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। जब कई लोग सोशल बैंकिंग का नाम लेते हैं तो मेरा अपना मानना यह है कि बैंकिंग का परपस ही सोशल है और अगर समाज को उसका लाभ मिलता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, बैंकिंग केवल इंवेस्टमेंट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बैंकिंग सोशल सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस लॉ की वजह से जहां हम एक ओर उम्मीद करते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार आएंगे लेकिन पिसमिल अमेंडमेंट लाने से

शायद कुछ नहीं होगा। स्टैंडिंग कमेटी जो माननीय यशवंत सिन्हा जी की अध्यक्षता में बनी है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बारबार पिसमिल अमेंडमेंट लाने से बैंकिंग सेक्टर का सुधार नहीं होगा। हम कंपनी बिल पर चर्चा करेंगे और बाकियों पर भी चर्चा करेंगे। लैंड ऐक्वीजिशन बिल भी इस सदन में आ रहा है लेकिन हमारा और स्टैंडिंग कमेटी का एक ही सुझाव था कि पिसमिल अमेंडमेंट्स न लायी जाए। मॉडर्न बैंकिंग लॉ लाई जाए ताकि उससे पूरे सेक्टर को इसका लाभ मिल सके। मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर रखूंगा और आशा करता हूं कि जिस तरह से मंत्री महोदय ने अपनी ओर से जो अमेंडमेंट मूव की थी, वह उन्होंने विद्ड्रा कर ली है जिसके खिलाफ पूरा सदन था। लगभग हर पार्टी के लोग फारवर्ड कांट्रैक्ट के उस विषय के खिलाफ थें ताकि उसके इसमें सम्मिलित न किया जाए। मंत्री महोदय ने उसको विद्ड्रा किया है जिसका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, एक पार्ट इसमें कहा गया है कि:

[अनुवाद]

''विधेयक का उद्देश्य निक्षेपकर्त्ता शिक्षा और जागरुकता निधि की स्थापना करना है। यह निधि ऐसे निक्षेपकर्त्ताओं के खातों को अधिग्रहित करेगी जिसका 10 वर्षों या अधिक अवधि के दौरान दावा नहीं किया गया अथवा जिनमें लेन देन नहीं किया गया हो।''

[हिन्दी]

एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है, कि उसमें एक करोड़ बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें लगभग 2481 करोड़ रुपया जमा है और यह केवल उन खातों की बात की गई है जो 10 वर्ष तक ऑपरेट नहीं किए गए लेकिन बहुत सारे ऐसे खाते होंगे जो 10 वर्ष से कम ऑपरेट किए गए हैं। इसका मतलब है कि कई हजार करोड़ रुपये बैंकों के पास ऐसे पड़े हैं जो उन बैंक एकाउंट धारकों का है लेकिन उन तक पहुंचाया नहीं गया। इनमें नेशनलाइज्ड बैंक ज्यादा हैं जिनके पास यह पैसा ज्यादा है। केनरा बैंक के पास 400 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास 306 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक के पास लगभग 270 करोड़ रुपये और विदेशी बैंकों, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक के पास लगभग 40 करोड़ रुपये पड़े हैं। मुझे एक बात की हैरानी होती है कि वर्ष 2022 में हमने बात की और 2005 में कमेटी ने इसे नोटिफाई भी कर दिया, यहां इसमें नोटिफिकेशन हो गई और कह दिया कि 'अपने ग्राहक को जानिए', हमने केबीसी मानदंड की बात कही। क्या बैंक उन्हें लागू कर रहे हैं? अगर लागू कर रहे हैं तो आज सात वर्षों के बाद भी बैंकों के पास एक करोड़ खाते ऐसे हैं जिनके 2,481 करोड़ रुपये देने हैं। अगर देना है तो इसका मतलब बैंक गंभीर नहीं है? कि कस्टमर्स को उनका पैसा वापिस मिले। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने उत्तर में इसका जबाव देंगे कि क्या केवीसी मानदंड केवल बनाने के लिए बनाई गई थी कि कस्टमर्स को कभी उनका पैसा वापिस मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो उसके लिए क्या कानून, गाइडलाइन्स हैं, उस पर मैं जानकारी चाहता हूं।

मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहूंगा। बैंक्स को उन एकाउंट्स का लगातार रिव्यू करना चाहिए जो खाते ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं। कम से कम उन लोगों तक पहुंचने के लिए लिखित रूप में इन्फॉर्म भी करना चाहिए ताकि यदि किसी का फिक्स डिपॉजिट या कोई ऐसा एकाउंट है जिसकी जानकारी शायद उस एकाउंट धारक के पास नहीं है, तो उसे जानकारी मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर अपना घर, कारखाना, दुकान शिफ्ट करता है तो ऐड्रैस सेम नहीं रहता। इसकी वजह से भी बहुत सारे एकाउंट ऑपरेट नहीं हो पाते। कई बार आपके लैटर्स डिलीवर नहीं होते तब भी जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोग एकाउंट खुलवाते समय इंट्रोड्यूस करते हैं, बैंक उन तक पहुंचे ताकि जिन लोगों का एकाउंट है, उनके माध्यम से उनका पैसा पहुंच सके। क्या आप आरबीआई या डायरेक्टली बैंकों को बोलकर गाइडलाइन्स ईशू करेंगे ताकि जिन कस्टमर्स का पैसा पड़ा है, वह उन तक पहुंचे? केवल यह कहने से कि आप एक निक्षेपकर्त्ता शिक्षा और जागरुकता निधि बनाएंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। हमारी अच्छी होनी चाहिए और मेरी मांग भी है, मैं जनता का प्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का पैसा बैंकों में पड़ा है, वह बैंक का नहीं है, लोगों का पैसा है। वह उन तक पहुंचे, उनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए यह भी करना चाहिए कि केवल बैंकों के पास जाकर डिपॉजिट जमा न हो जाए। हमें कहना चाहिए कि यह पैसा उन्हीं लोगों का है जिनका बैंक एकाउंट है। वह पैसा चाहे बैंक के पास पड़ा रहे। जब वे एक महीने के अंदर अर्जी दें तो उन डिपॉजिटर्स के पास यह पैसा वापिस जाए, ऐसा प्रावधान इसमें करना चाहिए। आप विशेष तौर पर नेशनलाइज्ड, प्राइवेट बैंकों को, लिखित रूप में कहें कि जल्द से जल्द केवाईसी नॉर्म्स लागू किए जाएं और मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनके माध्यम से भी लोगों तक पैसा पहुंचे।

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

आपने समान अधिकृत पूंजी के बारे में कहा कि तीन हजार करोड़ रुपये तक की कैप को नहीं मानना चाहिए, खत्म करना चाहिए। आपने 51 प्रतिशत शेयर कैपिटल को भी कम करने की बात कही है। आपने कहा कि हम बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को कम्पीटिशन में लाने की बात कर रहे हैं लेकिन अपने देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके बैंक खाते आज तक नहीं खुले हैं। क्या बैंक अपने नेटवर्क को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या समेटने की बात कर रहे हैं? आप एक ओर सरकार का शेयर परसेंटेज कम करने की बात कर रहे हैं, यूनीफार्म केपिटल को कम करने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंकों में यूनीफार्म अथोराइज्ड कैपिटल को तीन हजार करोड़ से कम कर दिया जाए। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसे आरबीआई की देख-रेख में किया जाएगा। आरबीआई ने आज तक यह बताया नहीं कि कितने बैड डेट्स ऐसे थे जिनको वेब-ऑफ किया गया? क्या सरकार के कहने पर आरबीआई इंट्रेस्ट रेट्स कम करती है? मुझे लगता है कि सरकार पिछले तीन वर्षों से कह रही होगी कि आप इंट्रेस्ट रेट को कम कीजिए, लेकिन आरबीआई उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर आप कहते हैं कि कम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के परव्यू से निकाल दें और आरबीआई के परब्यू में लें जाएं। आरबीआई के पास पहले से इतना काम है, क्या कंप्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया के परव्यू से निकालकर आरबीआई के परब्यू में लाने से ही काम चलने वाला है? अस्थायी रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लांग रन में ऐसा करना न बैंकों के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है। आप रेगुलेटरी अथारिटीज की बात करते हैं, मैं उस काफी लंबा बोलना चाहता हूं, न केवल बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर, बल्कि अन्य रेगुलेटर्स की भी बात करना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी है। मैं अंत में इतना अवश्य कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में रिफार्म्स जरूरी हैं, लेकिन पीसमिल अमेंडमेंट्स से काम चलने वाला नहीं है। आज बैंकिंग सेक्टर में इंटरनेशनल कंप्टीशन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स हमारे देश में आए, लेकिन केवल शहरों तक सीमित होकर रह गए। कितने इंटरनेशनल बैंक्स की ब्रांच गांवों तक गई? आप कैश ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन स्थायी समिति की रिपोर्ट में पहले भी कहा गया था कि 2000 आबादी वाले कम से कम 74,000 हैबिटेट्स ऐसे हैं जहां पर आज भी बैंकों की ब्रांच नहीं है। जब आप मर्जर की बात करते हैं, जब दो बैंकों का मर्जर होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : एक मिनट समय चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

अब, श्री रामासुब्बू। आप अपनी बात रख चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अगर एक किलोमीटर के दायरे में, दो किलोमीटर के दायरे में बैंकों का मर्जर होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं मैंने उन्हें पहले ही उन्हें अपनी बात रखने के लिए कहा है। कृपया एक मिनट में समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, अगर दो किलोमीटर के दायरे में बैंकों का मर्जर होगा, तो आप दूसरी ब्रांच को बंद करवा देंगे, उन लोगों को पांच किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ेगा। आप बैंकों का मुनाफा देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी को इससे क्या लाभ होगा? उस बैंक के इम्पलाइज कहां जाएंगे? आज बैंकिंग का विस्तार करने की बजाय आप बैंकों को मर्ज करने की बात कर रहे हैं, यह बड़ा दुःखद विषय है। अगर कोई बैंक अच्छा काम नहीं कर रहा है, मैं उसके मर्जर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आम उपभोक्ता को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? आपने उनके वोटिंग राइट्स दस से 26 प्रतिशत बढ़ाने की बात की है। मैं मानता हूं कि शेयरधारक होने के नाते उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, 10 प्रतिशत वोटिंग राइट से वे पहले सब्सिडरीज बनाते थे और उसके माध्यम से वोट इकट्ठा करके अपनी बात कहने का प्रयास करते थे। 26 प्रतिशत से उनको पूरा काम चलने वाला नहीं है, *[अनुवाद]* लेकिन अब वे वीटो करने की स्थिति में होंगे। अन्यथा *[हिन्दी]* 26 प्रतिशत से भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फॉर दि टाइम बींग हमें 26 प्रतिशत

रखना चाहिए। *[अनुवाद]* दीर्घ काल के लिए हमें उन क्षेत्रों पर विचार करना चाहिए कि निकट भविष्य में हमें क्या संशोधन करने की आवश्यकता है। परन्तु महोदय, इस खंड बद्ध संशोधन के साथ हम बैंककारी क्षेत्र में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। मैं मंत्री महोदय से एक आधुनिक और व्यापक बैंककारी विधेयक लाने का निवेदन करता हूं जिससे कि बैंककारी क्षेत्र लाभान्वित हो।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मेरे दल की ओर से मेरी अंत में व्यक्तिगत सिफारिश है कि कृपया एक आधुनिक बैंककारी विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिससे कि इस क्षेत्र को लाभ हो सके।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक 2011 पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

वास्तव में बैंककारी क्षेत्र के विकास के लिए यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। भारतीय रिजर्व बैंक को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हमारी अनुभवी और योग्य वित्त मंत्री ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। इस विधेयक के संशोधन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षण शक्ति में वृद्धि हुई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किए जाने के पश्चात् अब हमारे देश का बैंककारी क्षेत्र काफी सुदृढ़ है। साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंक लाभ अर्जित कर रहे हैं और वे देश के विकास में सहायता कर रहे हैं।

अब हमें विदेशी बैंकों से मुकाबला करना है। विदेशी बैंक हमारे देश के बैंककारी क्षेत्र के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें और पूंजी संसाधनों की आवश्यकता है। बैंककारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमें और पूंजी संसाधन की व्यवस्था करनी होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2008 में संकट के दौरान जहां सभी अंतर्राष्ट्रीय बैंक चरमरा गए थे वही हमारा बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ बना रहा। हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से विकसित की गई है। सं.प्र.ग. सरकार ने हमारे बैंककारी क्षेत्र का संरक्षण किया है। माननीय वित्त मंत्री का इरादा इस विधेयक में संशोधन के माध्यम से बैंककारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना है। व्यक्तिगत शेयर धारकों के संबंध में 10 प्रतिशत मताधिकार की सीमा को बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। इससे हमारी बैंककारी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमारे संसाधनों में वृद्धि होगी।

महोदय, कॉर्पोरेट क्षेत्र में कुछ लोग बैंककारी क्षेत्र में धन निवेश करने से हिचकिचाते हैं। इसीलिए शेयर धारकों को मताधिकार दिया जाना चाहिए। इन संशोधनों के पश्चात् बैंककारी क्षेत्र को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र को और अधिक धन लाना चाहिए। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

अब हमें अपनी विकास दर को बढ़ाना चाहिए, संकट के पश्चात् यह 5.4 प्रतिशत है। हमें इसे 8 प्रतिशत तक लाना चाहिए। यह केवल अपने बैंककारी और वित्तीय व्यवस्था को सुरक्षित और सुदृढ़ करने के पश्चात् ही संभव है। इसीलिए हमारी सरकार द्वारा इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है।

सहकारी क्षेत्र के संबंध में भी एक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों सहकारी बैंक स्थित है। क्योंकि इन सहकारी क्षेत्र द्वारा किसानों की सहायता की जाती है इन सहकारी क्षेत्रों को विनियमित किया जाना चाहिए अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस संशोधनकारी विधेयक के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्रत्येक गांव में सहकारी बैंक खोलने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि हमें विदेशी बैंकों से मुकाबला करना है। इसलिए हमारे बैंक सुदृढ़ होने चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण समय है। बैंककारी क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित होना चाहिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री को इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे बैंक के कर्मचारी और अधिकारी अधिक समय तक काम करते हैं। वे एक दिन में 15 घंटे तक काम करते हैं। हमें अपने बैंकों में रोजगार के और अवसर सृजित करने होंगे। प्रत्येक बैंक में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना होगा। उनके अधिकारों का संरक्षण करना होगा। इस प्रकार हम अपनी बैंककारी व्यवस्था के सुदृढ़ कर पाएंगे। इसलिए अवसर पर मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, अपने मुझे बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी मैं अपने मित्र अनुराग ठाकुर जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने इस बिल पर बोलते हुए बड़े अच्छे सुझाव और विचार व्यक्त किए। मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

जहां तक इस बिल में संशोधन की बात थी, उसे सरकार न मान लिया और वापस भी ले रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक यहां पेश किया गया है, इसके तहत विदेशों से तमाम बैंक यहां आएंगे या हमारे छोटे-छोटे बैंक हैं, उनका मर्जर हो सकेगा। इस बिल के अंदर छोटे-छोटे बैंकों का मर्जर करके बड़े बैंक बना देंगे। उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी स्थिति यह उत्पन्न होगी कि आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की छोटी-छोटी शाखाएं हर कस्बे में खुली हुई हैं और सभी किसानों के उनमें खाते भी खुले हुए हैं। ऐसा न हो कि उन छोटे बैंकों को तोड़कर हम एक बड़ा बैंक कहीं स्थापित कर दें और वह बहुत दूर हो जाए और किसानों को मजदूरों को दिक्कत हो। किसानों के, मजदूरों के और मनरेगा के तमाम ऐसे खाते खुले हैं उन्हें दिक्कत न हो। इसलिए देश हित में, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हित में अगर ये बैंक दूर-दूर खुलें और मर्जर की बात आये तो इस बात का ख्याल रखा जाए। बैंक के बारे में सरकार की योजना है कि 2000 की आबादी पर एक बैंक खोलेंगे और उस मंशा को देखते हुए हम आपसे यही निवेदन करेंगे और सरकार से भी आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि यह बात देश-हित, किसान और नौजवान के हित में हो, ये हमें ध्यान देना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे बैंककारी विधि संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया है और अभी विस्तार से भाई अनुराग ठाकुर ने बड़े विस्तार से अपना विचार रखा है। आज सरकार की मंशा रही है कि 2000 की आबादी वाले सभी गांवों में बैंक खोलेंगे, जिससे वहां के किसानों और वहां के रहने वाले लोगों को लाभ मिल सके। अभी तक संबंध में जो विदेशी बैंकों को लाने की बात कही गयी है और उस पर माननीय वित्त मंत्री जी उसे वापिस भी लिया है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आज इस बात को भी गंभीरता से ध्यान में रखने की जरूरत है। जब दूर-दूर ये बैंक रहेंगे तो वहां को लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। अभी मैं एक हफ्ते की घटना का जिक्र कर रहा हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो चाचा-भतीजे थे, वे बैंक से पैसा निकाल कर ले जा रहे थे और पांच किलोमीटर दूर उनका घर था और उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। इस तरह की घटनाएं न घट सकें, इसलिए जहां मर्जर का सवाल हो रहा है तो हमारे यह मांग है कि कम-से-कम 2000 की आबादी पर इस तरह के बैंक खोलें ताकि वहां के किसानों, छात्रों और मजदूरों का उसका फायदा मिल सके और किसी की हत्या न हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद) : सभापति जी, बैंककारी विधि संशोधन विधेयक, 2011 के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और इन्हें गृह मंत्रालय चलाने का भी बहुत अनुभव है। हमारे जो संशोधन आते हैं और हमारे पहले से जो कानून बने हुए हैं, उसमें जो संशोधन आते हैं उसके कारण क्या हैं? समय-समय पर आम जनता की परिस्थितियां बदलती हैं और उन परिस्थितियों में समय-समय पर हमारे कानूनों, विधेयकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है।

महोदय, आज मैं दूसरे विचार और दूसरे दल से संबंध रखता हूं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, यह उनका बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी काम था। मैं दल की सीमाओं से हट कर यह बात कह रहा हूं। उनका उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं, समाज के पिछड़े और वंचित लोग हैं, उनके लिए सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका नाम बैंकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। लेकिन महोदय आज क्या हो रहा है, आप भी सन ऑफ स्वायल के लीडर हैं, मैं जानता हूं कि आप भी मिट्टी से उपजे आदमी हैं। हमारे साथ क्या कठिनाई है कि चाहे एमपी किसी दल के हों, सारे लोक कल्याण के काम या योजनाएं बैंकों के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। चार दिन पहले सदन में बैंकिंग से संबंधित शिक्षा लोन का प्रश्न पूछा गया था, जिसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा लोन सरकार के प्राइयोरिटी सेक्टर में है और कोई बैंक एजुकेशन लोन देने में किसी के साभ भेदभाव नहीं कर सकता है और यह हमारी स्पेशल गाइडलाइन है। मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, इनके सामने यह समस्या नहीं आती होगी लेकिन जो आम एमपीज हैं, बैंक शिक्षा लोन देने में किस तरह की हेराफेरी कर रहा है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। एक कहावत है– जिसके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर परायी। मंत्री महोदय, मैं आपकी बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं, लेकिन जब एजुकेशन लोन की दरख्वास्त जाती है तो बैंक क्या कहता है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बिहार के जहानाबाद जिले से आता हूं। बैंक कहता है कि आपके पिता जी ने लोन लिया था, वह डिफाल्टर हैं। एजुकेशन लोन मं अगर दस हजार रुपये का कर्ज कृषि के लिए लिया, तो बैंक कहता है कि आपके पिता जी डिफाल्टर हैं, आपको लोन नहीं देंगे। दूसरा क्या कहता है कि आपके नंबर मैट्रिक

में या आईएसी में कम नंबर आए हैं, हम को इसकी गणना करने का आदेश रिजर्व बैंक ने दिया है। तीसरा, आप को हम लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंक का लक्ष्य साल में तीन लोन ही देने का था, इसलिए चौथा लोन हम नहीं देंगे। बैंक यह कहता है। मैनेजर आरएम के पास स्वीकृत के लिए भेजता है। मैं मंत्री जी आरोप नहीं लगाता हूं, चूंकि सही बात और सच्चाई आपके सामने नहीं आती है, जब तक दस परसेंट आरएम आफिस में वह लड़का तय नहीं करेगा, तब तक उसका लोन स्वीकृत नहीं होगा। बैंक को एजुकेशन लोन के लिए फार्म देना होता है। जब बैंक में लड़का फार्म लेने के लिए जाता है, यह बेंगलुरु में पढ़ रहा है और छुट्टी लेकर आता है। उससे बैंक कहता है कि आप दस दिन रुको, हमारे पास फार्म की कमी हो गयी है। जब वह बैंक को मांगी हुई रकम घूस के रूप में दे देगा तो तुरंत फार्म उसको मुहैया हो जाएगा। यह सारी चीज हम रोज फेस करते हैं। लड़के जो कि महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है, वह वहां से बार-बार आकर अपना फार्म ठीक करवाएं, यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह हम लोग रोज फेस कर रहे हैं।

अपराह्न 05.00 बजे

हम हर रोज, हर दिन इसे फेस करते हैं लेकिन आप इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, जानने के लिए तैयार नहीं है। आपने पत्र के क्वैश्चन के जबाव में क्या कहा, कहा कि आप हमें पत्र लिखिए, जहां गड़बड़ी हो रही है वहां हम सुधार करेंगे। मैं पत्र लिखने का हश्र जानता हूं। मैं उदाहरण दे सकता हूं। वे पहले वित्त मंत्री थे अब महामहिम राष्ट्रपति हो गए हैं। स्पेसिफिक पीएनबी बैंक, जहानाबाद, मुरगांव ने कृषि और शिक्षा लोन में ढाई करोड़ रुपए का फेक लोन किसानों के नाम पर दे दिया। मैंने मंत्री जी के नाम से अपने लैटरहैड पर पत्र दिया था जो मंत्री जी ने जांच के लिए भेजा था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करे। आप ने अपनी बात रख दी है।

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा : महोदय, इनके पत्र का जो हश्र हो रहा है, मैं वह बता रहा हूं। साढ़े तीन साल गुजरने वाले हैं, आप जानते हैं अब बैंक क्या कहता है, वह कहता है कि कृषि ऋण माफ हो गया, हमारा तो फेक लोन था, सध गया, अब कौन जवाबदेह है। यानी आपने कृषि ऋण में माफी दी और फेक लोन हुआ। मैं स्पेसिफिक बैंक का नमा बता रहा हूं, बिहार के जहानाबाद जिले, मुरगांव का पीएनबी बैंक। मेरे पास पत्र है, साढ़े तीन साल गुजर गए हैं और आज तक जांच नहीं हुई है। जहां चिट्ठी देंगे, यही हाल होगा। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा लोन के संबंध में निवेदन है कि एक स्पष्ट गाईडलाइन भेजिए कि प्रोफेशनल, टेक्नीकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल के छात्र एजुकेशन लोन के लिए एप्लाई करते हैं तो बिना किसी गारंटियर, बैरियर, भेदभाव और डिफाल्टर के लोन दें और उनके आवेदन पत्र का एक महीने के अंदर निस्तार करें। तब मैं समझूंगा कि आपने सदन में जो जबाव दिया उसके प्रति जबावदेह हैं और सरकार हिन्दुस्तान के नागरिक, छात्र और नौजवान में प्रति चिंता कर रही है।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह कार्यक्रम चलाया। उनके समय में इसका नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना था। यूपीए नई सरकार आई और नाम बदल गया, हो गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस तरह से सृजन जुड़ गया। क्या आपने कभी इसका रिव्यू किया है? आपका क्या उद्देश्य है? आपको तजुर्बा गृह मंत्री का भी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात रख दी। कृपया इस तरह न करिए।

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा : आज देश में आतंकवाद, उग्रवाद है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेरोजगारी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करें। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा : आज बेरोजगार जब बैंक में ऋण लेने जाते हैं। तो उनके साथ बिना रिश्वत के, बिना घूस के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कोई ऋण नहीं मिलता है। यह मेरी चुनौती है। मेरा दावा है। आप जांच कराएं। अगर जांच में मेरी बात गलत साहिब हो तो मुझे सजा दीजिए, मैं उसे बदर्शश्त करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। प्रो. सौगत राय

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया व्यवधान न डालें। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, सभापीठ को पता है कि कितना समय दिया जाए। अत: सभापीठ के साथ सहयोग करें। कृपया सभा की कार्यवाही की हाइजैक न करें।

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं अपनी बात शीघ्र करुंगा क्योंकि समय कम है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन के बाद इस विधेयक को लाया गया है। मैं स्थायी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से पूरी तरह खुश नहीं हूं फिर भी मैं विधेयक पर कुछ बोलना चाहूंगा।

अपराह्न 05.06 बजे

[**श्री इंदर सिंह नामधारी** *पीठासीन* हुए]

वायदा बाजार को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को वापस लेने हेतु मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार में यह पश्चगामी कदम होता। अब मैं विधेयक के बारे में क्या सोचता हूं? वित्त मंत्री जिस विधेयक के बारे में बहुत इच्छुक थे, वह मिला-जुला सच है। इसके दो अलग-अलग भाग हैं। पहले भाग में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम की भूमिका को आगे बनाए रखने तथा बैंकों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी गई है। रिज़र्व बैंक आज भी बैंक के अन्य व्यापार में नियंत्रण स्थापित करता है। पांच प्रतिशत से अधिक शेयरधारण के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। यह रिजर्व बैंक को प्रशासन की नियुक्ति के द्वारा निदेशक मंडल पर अविभावी होने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्राथमिक सहकारी समितियों को आरबीआई से लाइसेंस लेने के बाद बैंकिंग प्रचालन करने की अनुमति देगा। इससे सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा की जाएगी। सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के बहुत से मामले सामने आए हैं। अत: इससे आरबीआई को सहकारी बैंकों की विशेष लेखा-परीक्षा की शक्ति मिलेगी। मेरा कानून के इस भाग पर कोई मतभेद नहीं है क्योंकि मैं मानता हूं कि बैंकिंग क्षेत्र को एक मजबूत नियामक की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक और बैंकिंग प्रचालन के इसके विभाग ने बैंकों पर नियंत्रण रखने का अच्छा कार्य किया है। विशेष रूप से सहकारी बैंकों पर और अधिक नियंत्रण रखना आवश्यक है। आप हितेन दलाल और इन सहकारी बैंकों के प्रकरण से अवगत है कि किस प्रकार लोगों को मूर्ख बनाया गया। बैंकों के नियंत्रण की आवश्यकता है।

मैं विधेयक के मूल ध्येय से असहमत हूं। मैं सरकार की सोच से असहमत हूं। सरकार का मानना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक व्याधियों, कम वृद्धि दर, उच्च राजकोषीय घाटा और मुद्रा स्फीत की दर से जूझ रहे देश के लिए रामबाण है। मंत्री महोदय ने पहले ही निजी बैंकों में 74 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दे दी है तथा अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि में कांग्रेस में 1969 से हूं जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय बहुत उत्साह था। सरकार, जो स्वयं को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कहती है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी में घालमेल कर रही है। इससे मुझे बहुत दु:ख हुआ है कि उनके पास अर्थव्यवस्था के लिए यही उपाय है। अब उनका मुख्य ध्येय पूंजी संबंधी प्रतिबंधों को हटाने पर है। पहले यह 3000 करोड़ रुपए था। अब आरबीआई की अनुमति से राष्ट्रीयकृत बैंक लाभांश और राइट इश्यू के द्वारा पूंजी जुटा सकते हैं। बैंकिंग कंपनियां अधिमान शेयर जारी कर सकती हैं जो आरबीआई द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा। यह मताधिकार की उच्च-सीमा को बढ़ा रही है। पूर्व में वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र में मताधिकार पर सभी उच्च सीमाओं को हटाने का प्रस्ताव किया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश के बाद उच्चतम सीमा 26 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में उच्चतम सीमा 10 प्रतिशत है। इस प्रकार के कपटपूर्ण तरीके से विदेशी कंपनियां भारत और बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश कर रही है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1991 से श्री चिदम्बरम उदारीकरण के पहले समर्थक रहे थे। मेरा उदारीकरण से कोई झगड़ा नहीं है न ही सुधार से हैं। किन्तु अमेरिका उदारीकरण पर दबाव दे रहा ताकि वे निवेश कर सकें। हम एक-एक करके खोलते जा रहे हैं। किन्तु वे निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें निवेश के लिए कई अन्य स्थान मिल गए हैं। मैं सरकार और वित्त मंत्री, जो सर्वेसर्वा हैं, से अनुरोध करता है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या एफडीआई अकेले समस्या का समाधान कर सकती है या लोगों की प्रति व्यक्ति आप, लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाकर और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है।

अब बैंक खोले गए हैं। अगली बार, बीमा पर विधेयक होगा। उसके बाद पेंशन निधि पर विधेयक आएगा। अंततः, हम खुली अर्थव्यवस्था ला रहे हैं। लेकिन, अमेरिकी या विदेशी लोग हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं बचाएंगे मि. गोर्बाचेव के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने सोचा था कि फेरेस्त्रोइका को लाकर अमेरिका उनकी अर्थव्यवस्था को बचाएगा। लेकिन, सोवियत संघ विभाजित हो गया। दीर्घावधि में हम इसी आरे जाएंगे।

अब हम अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के प्रदर्शन को देखते हैं। अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है? इस महीने रायटर्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सिटी ग्रुप – श्री विक्रम पंडित, एक भारतीय को निकाला गया – ने इस वर्ष लगभग 11,000 नौकरियां समाप्त करने की घोषणा की है। यह 2007 से 2011 के बीच समाप्त की गई 96,500 नौकरियों के अतिरिक्त हैं। एक अन्य अग्रणी बैंक – दि बैंक ऑफ अमेरिका – द्वारा इस वर्ष 11,000 नौकरियां समाप्त किए जाने की सूचना है। संक्षेप में, विश्व के शीर्ष 10 बैंकों द्वारा मिलकर इस वर्ष जुलाई से अब तक 150,000 नौकरियां समाप्त किए जाने की सूचना है। क्या हमारे वित्त मंत्री यह चाहते हैं कि हमारे बैंक इन तथाकथित विश्व के अग्रणी बैंकों के पद्चिहनों पर चलें? वित्त मंत्री की एक अभिलाषा, जैसा कि उन्होंने व्यक्त की है, वह बैंकों का विलय करना चाहते हैं। उन्होंने इस विलयन के बारे में प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच को हटा दिया है। उनका कहना है कि वे विश्व-स्तरीय बैंक चाहते हैं। विश्व स्तरीय बैंकों में यही हो रहा है और आप कितने ही विलय क्यों न करें, हम ऋण देने और बंद होने में चीनी बैंकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

दूसरे, पश्चिम में कितने बैंक विफल हुए हैं? अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई विफल बैंकों की सूची के अनुसार सितंबर, 2008 में वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद से 457 बैंक दिवालिया हुए हैं। क्या आप इस संस्कृति का आयात करना चाहते हैं जिसमें बड़े पूंजीपति लाखों सीमांत जमाकर्त्ताओं की कीमत पर अथाह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और बाद में उन जमाकर्त्ताओं को हमारे डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा बचाया जाता है? इस प्रश्न पर मैं वित्त मंत्री जी से विचार करने के लिए कहूंगा जोकि अपने आपको सुधारक कहते हैं।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2008 की मंदी के बाद वैश्विक जगत में क्या हुआ। बेयर स्टेयर्न्स, लेहमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच, नार्दर्न रॉक, फ्रेड्डी मैक जैसी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। भारतीय प्रणाली 2008 की मंदी से बच गई। वित्त मंत्री हमारी भारतीय बैंकिंग प्रणाली की ताकत को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मैं यह मूल प्रश्न पूछ रहा हूं। आप हर संभव तरीके से सुधार कीजिए। लेकिन सुधार का अर्थ हमारे बुनियादी ढांचे को नष्ट या कमजोर करना नहीं है जिसका निर्माण भारत के गरीब लोगों के खून, पसीने, परिश्रम और आंसुओं से हुआ है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अभी भी हमारे देश में विदेशी बैंक हैं। क्या ये बैंक खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं? नहीं। क्या ये वरीयता क्षेत्र में ऋण देते हैं? नहीं। ये केवल बड़े शहरों में जमा राशि को हजम करने के इच्छुक हैं, वे सुंदर, वातानुकूलित और चमक-दमक वाली शाखाएं खोलते हैं। लेकिन ये शाखाएं देश के गरीब लोगों के लिए नहीं हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं?

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

प्रो. सौगत राय : यह मूल प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। इसीलिए, मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि मैं बैंकों की शेयरधारिता को तथाकथित कम किए जाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बैंकिंग क्षेत्र को खोले जाने का मैं विरोध करता हूं। महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक मैं यही कहना चाहता हूं कि बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक जल्दी में लाया गया है। इससे पहले मंत्री महोदय ने इस सभा में प्रतिभूतिकरण विधेयक पारित किया। हमने उसका समर्थन किया। हमने कहा – जैसा कि बैंकिंग के विशेषज्ञ और एआईबीईए के नेता, श्री गुरूदास दासगुप्त कहना पसंद करते हैं – गैर-निष्पादनकारी आस्तियां क्यों बढ़ रही हैं? आज बड़े चूककर्त्ताओं, बड़े पूंजीपतियों की सूची क्यों नहीं प्रकाशित करते? आय उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? बैंकों में राष्ट्रीय धारिता को कम करके, मैं भारतीय बैंकिंग उद्योग की छवि बदलने नहीं जा रहा है।

इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपकी दीर्घायु की कामना करता हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा, पश्चिम) : सभापति महादेय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों का मैं विरोध करता हूं।

सबसे पहले, मैं कहना चाहूंगा कि 1999 में 'विश्व बैंक' और 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' ने अपने सदस्यों द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानदंडों के आकलन और कार्यान्वयन हेतु, संयुक्त रूप से 'एक वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम' (एफएसएपी) प्रायोजित किया था, भारत वर्ष 2001 में एफएसएपी का सदस्य बन गया। एफएसएपी के आदेशों के अनुरूप, यूजीए-1 सरकार ने 13 मई, 2005 को इस सभा में बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया। लेकिन, वाम दलों, जिनके समर्थन से सरकार बच सकी, के कई विरोध के कारण करना ने और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई।

वर्तमान विधेयक का आशय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में व्यापक परिवर्तन और संशोधन करना है। यह विधेयक सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली के अस्तित्व के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्वदेशी स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी खतरनाक है।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में सरकार ने कहा है कि:—

> "बैंककारी कंपनियां अब उदारीकृत वातावरण में प्रचालन कर रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, यह आवश्यक हो गया है कि भारत में बैंककारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुसार पूंजी जुटाने में समर्थ हों।"

शब्द आकर्षित करते हैं। लेकिन, इसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य हमारे बैंकों को विश्व के अग्रणी बैंकों के पद्चिह्नों पर चलाना है। विश्व के अग्रणी बैंकों की क्या स्थिति है? श्री राय ने इसके बारे में बता दिया है। 6 सितंबर, 2012 की रायटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 10 अग्रणी बैंकों ने मिलकर इस वर्ष जुलाई से अब तक 1,50,000 नौकरियां समाप्त कर दी हैं। माननीय मंत्री जी, क्या आप चाहते हैं कि उदारीकृत वातावरण में हमारे बैंक इन विश्व के अग्रणी बैकों के पद चिन्हों पर चलें।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है। कि निजी कॉर्पोरेट समूह निजी बैंकों की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। मंत्री जी, राजनेताओं वाले देश में निजी बैंकों का पिछला कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड क्या है? फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई अमेरिका के विफल बैंकों की सूची के अनुसार, श्री राय ने भी इसका उल्लेख किया है, 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से 457 बैंक दिवालिए हो गए थे। वर्ष 2008 में जब अटलांटिक के दोनों तरफ विश्व के अनेक भाग वैश्विक आर्थिक संकट से प्रभावित हुए थे, तब बेअर स्टेयर्न्स, लेहमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच नॉर्दर्न रॉक्स, फ्रेडी मैक इत्यादि जैसे कंपनियां भी ताश के पत्तों की तरह गिर गई थीं। भारत में, कई संकटों के बावजूद बैंकिंग प्रणाली अपने सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप के कारण उनसे अछूती रही। इसलिए, भारत इससे बचा रहा। लेकिन सरकार ने इन अनुभवों से कुछ नहीं सीखा। हमारे देश के नीति-निर्माता देश हित को नुकसान की कीमत पर बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने पर तुले हुए हैं।

समयाभाव के कारण, मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला यह है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2), जैसा कि यह इस समय है, जो तक एक निजी बैंक के किसी भी शेयरधारक के मताधिकार की ऊपरी सीमा की 10 प्रतिशत तय करती है। लेकिन नए पुरःस्थापित विधेयक में इसे बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने की बात कही गई है। निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के साथ, कोई दो विदेशी कंपनियां, जिसमें प्रत्येक की शेयरधारिता 26 प्रतिशत होंगी, वे जब चाहें, किसी निजी बैंक के प्रबंधन का संयुक्त रूप से अधिग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, की धारा 3 की उपधारा 2(ङ) के अनुसार है राष्ट्रीयकृत बैंक का एक निजी शेयरधारक एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग नपहीं कर सकेगा।"

इस विधेयक में, निजी शेयरधारकों के अधिक शेयरों के साथ, महाधिकार की इस सीमा को एक प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की बात कही गई है; इसलिए, कोई पांच या अधिक कॉर्पोरेट मिलकर एक उत्पादक संघ बना सकते हैं और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिग्रहण कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम बैंककारी क्षेत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सशक्त और प्रभावी नियंत्रण के पक्ष में हैं, विधेयक की धारा 5 बैंककारी कंपनी में शेयरों में अर्जन के मामले में किसी एक को अनुमति देने या वंचित करने के संबंध में आरबीआई को सशक्त बनाने के पक्ष में है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है और उन्हें मनमाने ढंग से उपयोग किया जा सकता

है। अत: हमारा सुझाव है कि भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों के साथ इस संबंध में दिशा-निर्देश भी बनाए जाने चाहिए और उन शक्तियों का प्रयोग विधेयक की धारा 5 के उचित संशोधन द्वारा संसद की जांच का विषय होना चाहिए।

धारा 2(क) के अनुसार, बैंकों का विल्यन प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, 2002 से मुक्त होगा। इसका अर्थ यह है कि बैंकों के विलयन के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे देश में बैंकों का वियलन अवांछनीय होगा। बड़े बैंक गरीब और आम लोगों की फिक्र नहीं करेंगे।

इस विधेयक में बैंकों को वायदा कारोबार व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति की बात कही गई है। माननीय मंत्री ने अस्थायी रूप से इसे वापस ले लिया है, परंतु यह बात अब भी उनके दिमाग में है, वह इस पर बाद में निर्णय लेंगे। हम अतीत में देख चुके हैं और हम सभी वायदा कारोबार के बारे में जानते हैं। अटकलबाजी के लिए यह सिर्फ एक प्रयोक्ति है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमोदन लेने का एक संशोजन है, लेकिन आरबीआई द्वारा इस तरह की अनुमोदन दिए जाने संबंधी कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। एक बार अनुमोदन दे दिया गया है, तो जो इस समय वाणिज्यिक बैंकों में 60,00,000 लाख करोड़ रुपए से अधिन की आम जनता की जमा की गई बचत राशि, उसे सट्टा उद्देश्य या व्यवसाय, जिसे हल्के शब्दों में वायदा कारोबार कहा जाता है, मैं लगा दी जाएगी, जिससे आम आदमी की मेहनत की कमाई की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए, मेरा सुविचारित मत है कि बिल में प्रस्तावित संशोधनों से हमारे बैंककारी और वित्तीय क्षेत्र तथा हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को अत्याधिक नुकसान पहुंचेगा और इसलिए आगे न बढ़ाकर, विधेयक को वापस लिया जाए।

यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि बैंक कर्मचारी संगठन ने इस विधेयक के विरुद्ध पिछले वर्ष 20 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया था। मैं पुन: वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का पूर्णत: विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं यहां एक बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2011 पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन एक प्रमुख चुनौती है। वित्तीय समावेशन एक प्रमुख चुनौती है। वित्तीय समावेशन का मूल रूप से अर्थ है कि संपूर्ण आबादी, विशेषकर शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को बैंकिंग के दायरे में लाना। यह बहुत दूर का सपना लगता है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 जो बैंककारी से संबंधित विधि होने के कारण छह से अधिक दशकों से प्रवृत्त है। बैंककारी क्षेत्र को विनियमित करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक है। बैंककारी कंपनियों अब उदारीकृत वातावरण में प्रचालन कर रही हैं और इसलिए, बैंककारी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुसार पूंजी जुटाने में समर्थ हो सके बैंककारी कंपनियां उदारीकृत ववातावरण के साथ सहयुक्त उद्यमों के माध्यम से बहुविध कार्यकलाप कर रही हैं। इसलिए, बैंककारी कंपनियों के विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति के संबंध में ऐसे उद्यमों के कारबार के वित्तीय प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए।

गत वर्ष 2011 में पेश किए गए संशोधन से संबंधित कई मुद्दे हैं और वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा भी उस विधेयक पर विचार किया गया था। मैं सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, कुछ ही बिन्दुओं, ज्यादा से ज्यादा तीन या चार बिन्दुओं ही ही बोलूंगा, मेरा मानना हे कि अध्यक्षपीठ मुझे इसके लिए बोलने की अनुमति दे देंगे।

इस विधेयक के प्रावधानों में पूर्व के बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 संबंधी स्थयी समिति द्वारा प्रस्तावित लगभग सभी सिफारिशों को सम्मिलित किया गया है, जो कि 14वीं लोक सभा के विघटन के साथ ही व्यपगत हो गया था। इस विधेयक में बैंकों के विलयन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संवीक्षा से छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रावधान के होने से आरबीआई को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना बैंकों के विलयन और समयबद्ध तरीके से बैंककारी कंपनियों के समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकेगा। नि:संदेह इससे लचीलापन आएगा, परन्तु मेरा सुझाव है कि विशेष मामला मानकर यह छूट दी जानी चाहिए और इसकी दो विनियामकों अर्थात् आरबीआई और सीसीआई के अनुभव के आधार पर उचित समय आने पर समीक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 एवं 6 ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को बड़े-बड़े विलय एवं अधिग्रण को मंजूरी देने की शक्ति प्रदान की है। अपवर्जन या छूट के लिए कोई कोशिश

[श्री भर्तृहरि महताब]

नहीं की जानी चाहिए। विधेयक प्रस्ताव करता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारकों के मताधिकार शेयरधारण अधिकारों के समानुपाती किए जा सकते हैं। इससे गैर-सरकारी बैंकों को अपने बैंकिंग व्यवसाय के विकास हेतु पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गैर-सरकारी बैंकों के मामले में मताधिकारों पर 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को हटाया जाय पर इसकी अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत को बरकरार रखी जानी चाहिए ताकि आर्थिक नियंत्रण और कॉर्पोरेट लोकतंत्र प्रोत्साहन के बीच संतुलन कायम रखा जा सके। मेरा सुझाव है कि भारतीय रिजर्व बैंक को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियामक तंत्र सटीक हो और उसे कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि सीमा बढ़ाने के प्रावधान में किसी दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक को इस खंड के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने से पूर्व प्रत्यायन, निधियों के स्रोत ट्रैक रिकॉर्ड, वित्तीय समावेशन से संविधान शर्ते निर्धारित करते समय पर्याप्त रक्षोपाय भी करना चाहिए।

महोदय, वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सरकार से अनुरोध किया था कि कुछ लोगों के हाथ में संकेन्द्रन एवं प्रबंध नियंत्रण की अनुमति दिए बगैर गैर-मत (नान वोटिंग) शेयर के मुद्दे के गुण-दोष पर विचार करते हुए बैंकों के पूंजी आधार का विस्तार करने के तरीके पर गौर करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि मार्च, 2018 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 1.4 से 1.5 लाख करोड़ रुपये की नेट इक्विटी एवं 2.65 लाख करोड़ रुपये की गैर-इक्विटी पूंजी की जरूरत होगी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्रमश: इस मद में 20 से 25 करोड़ एवं 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये की क्रमश: जरूरत होगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निधि पूंजी आवश्यकता की दीर्घावधि कार्ययोजना को तिगुना करने की जरूरत है अन्यथा उनका बाजार अंश कम हो जाएगा।

महोदय, मैं डॉ. सी. रंगराजन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं उन्होंने कहा था कि यदि बीतते वर्षों में बैंकिंग व्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना है तब नए बैंकों की सार्वधिक प्रवेश होना चाहिए। एक बंद व्यवस्था केवल एकाधिकार को ही बल देता है। एक सक्षम ऋण बाजार ने केवल बड़े उद्योगों को मदद करता है बल्कि छोटे एवं मंझोले उपक्रमों को भी मदद करता है। विगत में सरकार ने गैर-सरकारी बैंकों को दो बार प्रवेश की अनुमति दी थी। पहली बार 1993 में जब आईसीआईसीआई; एचडीएफसी, यूटीआई जो बाद में एक्सिस बैंक हो गया, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो विफल हो गया एवं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ जिसका विलय हो गया, टाइम्स बैंक जिसका विलय एचडीएफसी बेंक में हो गया तथा इंडस इंड बैंक जैसे बैंकों को या तो विद्यमान वित्तीय संस्थाओं से निकलकर अस्तित्व ग्रहण करने या नए रूप से गठन करने की अनुमति दी गयी थी। दूसरी बार 2004 में जब कोटक महिन्द्रा को स्वयं को बैंक में बदलने की अनुमति दी गयी एवं यस बैंक को लाइसेंस दिया गया था।

महोदय, इसलिए मैं कहूंगा कि इन अनुभवों से तीन सबक मिले। पहला, संस्थाएं उल्लेखनीय आकार केवल तभी ग्रहण कर पायीं जब इनका सृजन आईसीआईसीआई या एचडीएफसी जैसी पहले से विद्यमान वित्तीय संस्थाओं से भिन्न हुआ। दूसरा, वैसे बैंक भी जिनकी सराहना उनके नवोन्मेषों के कारण की गयी थी जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को शेयर बाजार के प्रति अपने बढ़े एक्सपोजर जैसी गतिविधियों में रत पाया गया जिससे वे कमजोर हुई तथा तीसरा, वास्तव में नए गैर-सरकारी बैंकों में से कुछ भी आकार, संचालन एवं पहुंच में पर्याप्त रूप से विकसित हुए हैं।

अब सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने, कि नए गैर-सरकारी बैंक भी बड़े हों, के लिए तरीके सोचने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एक बार बड़ी गैर-सरकारी बेहद धनी कंपनियां प्रवेश कर लीं — यह मेरी आशंका है — तो गैर-सरकारी बैंकों से संबंधित शर्तों में ढील देने के लिए दबाव पड़ने की संभावना होगी। इनमं से दो ढील-मतदान अधिकार सीमा को दूर करने एवं प्रोमोटरों के अंश को कम करने के एिल अपेक्षित अवधि के विस्तार के रूप में हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि यह प्रस्ताव पुन: आए। हमें इस सभा में माननीय मंत्री ने कहा था कि दूसरी समिति ने इसका प्रस्ताव किया है एवं इसी कारण इस मुद्दे पर हमारे दल के विचार रिकॉर्ड में रखे जाने चाहिए यद्यपि वित्त मंत्री उस संशोधन पर बल नहीं दे रहे हैं जिसका प्रस्ताव वह करने वाले थे।

अंत में, वस्तुओं में वायदा कारोबार कर रहे बैंकों पर मालिकाना आधार पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित संशोधनों में से जिसका प्रस्ताव मंत्री ने किया है, का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। बैंककारी विनियमन अधिनियम वस्तुओं की खरीद, बिक्री या वस्तु-विनिमय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से करने का निषेध करता है – बशर्ते कि उनके द्वारा धारित प्रतिभूति को भुनाने का मामला न हो।

वर्तमान में, बैंकों को वस्तु व्यापारियों को वित्त पोषण करने की अनुमति दी जाती है तथा वस्तु विनियमों में इक्विटी अंश धारित करने की अनुमति दी जाती है पर वे वस्तुओं का वायदा-कारोबार नहीं कर सकते।

वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अध्ययनित मूल संशोधनों का अंग नहीं रहे उपबंधों का समावेशन वास्तव में एक नया विधेयक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था एवं भविष्य में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव के गुण-दोष के बारे में मैं कहूंगा कि वायदा कारोबार संबंधी उपबंध से बैंकों को सट्टा कारोबार करने की अनुमति होगी। इस विधेयक पर वर्ष 2005 से तैयारी चल रही है और यह अभी भी विकसित हो रहा हैं मुझे नहीं मालूम कि अगले बटज सत्र में और क्या सामने आएगा।

इसलिए, मेरा मत है कि बैंकिंग क्षेत्र शासी कानून में टुकड़ों-टुकड़ों में संशोधन लाने के बजाय सरकार को देश के लिए समेकित आधुनिक बैंककारी विधि बनाने के विधेयक लाने पर विचार करना चाहिए।

इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : महोदय, सर्वप्रथम मैं बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

बैंकिंग क्षेत्र में विश्वव्यापी बदलते परिदृश्य और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में भी संशोधन करना बहुत ही जरूरी है। तद्नुसार, माननीय वित्त मंत्री के इन दोनों अधिनियमों में कुछ संशोधन लेकर आए हैं। बैंकिंग कार्य-व्यापार के विस्तार हेतु, पहला संशोधन अंश पूंजी की सीमा बढ़ाने, 3000 करोड़ की सीमा को हटाने और अपने अंश पूंजी को बढ़ाने या घटाने हेतु बैंकिंग उद्योग को भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने के संबंध में है।

दूसरा संशोधन बोनस अंश पूंजी को जारी करने तथा निर्गम जारी का अधिकार संबंधी बैंकों को अनुमति देने के संबंध में है। महोदय, अगला संशोधन बैंकिंग कम्पनियों का उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के संबंध में है तथा जो व्यक्ति बैंकिंग कम्पनी का 5% या इससे अधिक अंश पूंजी प्राप्त करने चाहता है, उसे कतिपय शर्तों अध्यधीन भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वा अनुमति लेना अनिवार्य है।

सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग कमपनी के निदेशक या किसी अधिकारी को हटाने का अधिकार का लेकिन यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनी के निक्षेपकों के हितों कि विरुद्ध काम करने के बैंकिंग कम्पनी के समग्र निदेशक मंडल को निलंबित करने का अधिकार देता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों को बैंकिंग संबंधी कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की समय-सीमा नियत करता है। इसे तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। यह संशोधन भी बहुत व्यावहारिक है। यह विधेयक निक्षेपक शिक्षा और जागरुकता कोष का गठन करने का प्रस्ताव करता है। यह कोष वैसे निक्षेपकों के खातों का अधिग्रहण करेगा जिसका पिछले दस वर्षों में दावा नहीं किया गया है या कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

यह विधेयक बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के कतिपय मामलों में दंड तथा जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। सौभाग्यवश, वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं इसे दुबारा दोहराता हूं। यह विधेयक बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उल्लंघन के कतिपय मामलों में दंड तथा जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। मैं इसे कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्वीकार करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाये गये सभी संशोधनों का मैं समर्थन करता हूं। मैं इसे पुन: दोहराना चाहता हूं। यह विधेयक बैंकिंग विनियम अधिनियम का उल्लंघन के कतिपय मामलों में दंड और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। नि:संदेह में इसे स्वीकार करता हूं लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारीगण निर्णय लेने हेतु हमेशा उपयुक्त व्यक्ति होते हैं। यह मेरा अनुभव नहीं है। माननीय वित्त मंत्री, मुझे एक मिनट सुनें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अडसुल, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री आनंदराव अडसुल : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अडसुल आपसे अपेक्षा है कि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री आनंदराव अडसुल : यह मामला बहुत ही गंभीर है। इसीलिए, मैं उनसे इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे सदन में ही बैठे हैं। इसलिए, यह सर्वविदित है कि वे सब कुछ सुन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री आनंदराव अडसुल : आरबीआई के कार्यकारी अधिकारीगण हमेशा निर्णय करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। इसलिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में मेरा सुझाव है कि बैंककारी कंपनियों से संबंधित दंड के मामले में अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए। उनके लिए कोई अपीलीय प्राधिकरण का कोई प्रावधान नहीं है। लाइसेंस का निलंबन या निदेशक मंडल का विघटन के मामलों में अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान है। लेकिन दंड और अन्य कार्रवाई हेतु अपीलीय प्राधिकरण का कोई प्रावधान नहीं है। वहां कोई व्यक्ति नहीं है जो सही या गलत को सुन सके। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक में भी एक अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए। अन्यथा, सभी संशोधन बहुत ही व्यवहारिक है और बैंककारी कम्पनियों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए, मैं एक बार पुन: इस बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 का समर्थन करता हूं।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : सभापति महोदय, हम सब यूरोपीय देशों और अमेरिका की आर्थिक स्थिति से अवगत है। लेहमन बदर्स, फेडरल बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए हैं। इन देशों में गंभीर आर्थिक संकट है। वे ग्राहकों की जमा राशि को वापस करने में असमर्थ हैं। भारत सरकार और विपक्षी दलों ने इस बात पर बल दिया है कि मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। यह आंशिक रूप से सत्य है। इसका कारण देश में सशक्त बैंकिंग प्रणाली का होना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की निगरानी की जाती है और केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का विनियमन किया जाता है। इससे हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने में सहायता की है।

परन्तु अब जो बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक 2011 लाया गया है उससे पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है और विदेशी निधियों का स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) विधेयक पेंशन विधेयक दृश्यमान है। इन सभी उपायों का वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के योगदान के बारे में हम सब अवगत है। परन्तु यदि विदेशी बैंकों को यहां प्रचालन की अनुमति दी जाती है और उनकी मताधिकार सीमा को 10% से बढ़ाकर 26% कर दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का विनियमन शेष नहीं बचेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही सरकार भी कमजोर होगी। इससे केवल विदेशी बैंकों को ही लाभ होगा और यूरोपीय देशों को ही लाभ होगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार को नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और हर संकट का सामना करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। इन्हीं कारणों से मैं इस विधेयक रूप में प्रबल विरोध करता हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि अनेक राज्यों में अथवा लगभग सभी बैंकों के अप्रचलित खातों में निधियां बेकार पड़ी हुई हैं। यह धन सरकार का नहीं है। सरकार राशि को शिक्षा क्षेत्र अथवा अन्य कार्यक्रमों पर व्यय करने की योजना बना रही है। परन्तु यह वैध नहीं है। धनराशि खाता धारकों को लौटाई जानी चाहिए। लोग अनापेक्षित करणों से वे अपने खातों को चालू नहीं रख पाए परन्तु उन्हें अपनी धनराशि से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों को अपने पूर्वजों के खातों की जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार को खाता धारकों की पहचान करनी चाहिए ओर उनकी देय राशि उन्हें तत्काल वापस करनी चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि धारा 8क जिसका प्रयोजन अनुषंगिक बैंक खोलने और शुल्क में छूट से है, का लोप किया जाना चाहिए। और अंत में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को सशक्त नीतियां अपनानी चाहिए और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए उसके पश्चात् ही समृद्धि आ सकती है।

मैं सरकार से बैंक कर्मचारियों के साथ परामर्श करने का निवेदन करता हूं। कर्मचारी संघ सुसंगठित और सशक्त है और नीतियां तैयार करने में उपयोगी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद भी प्रशान्त कुमार मजूमदार जी। श्री गुरूदास दासगुप्त जी बोलिए।

...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : हम सब सइसका समर्थन कर रहे हैं. ..*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के बीच सांठ-गांठ हुई है।

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सांठ-गांठ एक असंसदीय शब्द है। सांठ-गांठ का अर्थ है कुछ अनैतिक। इसएिल मित्र इसका प्रयोग मत कीजिए...*(व्यवधान)* खैर तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे स्पष्ट करने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं। आप इस ओर और इस ओर देख रहे हैं परन्तु मेरी आंखें आपकी ही ओर हैं।

विषय यह है कि समान मुद्दे पर मत होने में अवसरवादिता का कोई भाव नहीं है। यदि इस मुद्दे पर वाम और तृणमूल कांग्रेस के एक जैसे विचार हैं तो इसमें क्या गलत है? भाजपा के साथ भी हमारे एक जैसे विचार हैं। कभी-कभार हमारे कांग्रेस के साथ भी एक जैसे विचार होते हैं। यह एक पृथक मुद्दा है। यह संसद है। हम समान वचारों और विचारों पर असहमति के लिए स्वतंत्र हैं...*(व्यवधान)* मुद्दा यह है कि विधेयक उतना सरल नहीं है जितना यह दिखाई देता है क्योंकि विधेयक बैंककारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभा के समक्ष लाया गया हैं यही बात मेरे मित्र और माननीय वित्त मंत्री कह रहे हैं। किस प्रकार सुदृढ़ करेंगे? बैंककारी व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ की जाएगी? आज बैंककारी व्यवस्था की क्या स्थिति है? महोदय 2.25 लाख करोड़ रु. की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां हैं जिसका काई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, कृपया राष्ट्रीयकरण जो आपके नेता ने किया था, पर गौर कीजिए। उन्होंने 2.25 लाख करोड़ का उल्लेख नहीं किया है। बैंक आज उत्पादक क्षेत्र में निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आपकी आर्थिक नीति के कारण मंदी उत्पन्न हुई है; बैंक कारोबार में आगे उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए, वे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं, न कि वैश्विक। यह आपकी रचना है...*(व्यवधान)* नहीं, यह नहीं है। आपका अर्थशास्त्र का ज्ञान सीमित है, – क्या मैं आपको सविनय बता सकता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में बात न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह तीन वर्षों में मंदी का दूसरा चरण है। पहले चरण में, हम अप्रभावित रहे थे। मेरे मित्र को यह पता नहीं है। पहले चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही थी, जिसका अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल से भारत प्रभावित नहीं होगा। यह सर्वविदित सत्य है। परन्तु आज भारत प्रभावित है। मंदी के दूसरे चरण में, भारत प्रभावित है। इसलिए, जादू क्या है? देश अंतर्राष्ट्रीय मंदी से प्रभावित नहीं हुआ है। हां, यह प्रभावित हुआ है। परन्तु हमारी अपनी ताकत है। परन्तु इस बार हम प्रभावित हुए हैं क्योंकि उदारीकरण की नीति असफल हुई है: क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि घटकर 5.3 प्रतिशत रह गई है; क्योंकि निवेश कम हुआ है; क्योंकि बचत कम हुई है; क्योंकि मूल्य बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा है; उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है; और अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने को और बल मिला है क्योंकि यह सरकार अपने व्यय को सीमित कर रही है।

मैं इस मुद्दे को कभी नहीं उठाना चाहता था। यह एक अलग मुद्दा है। हमने कभी आर्थिक स्थिति पर चर्चा नहीं की है। हमने हर बात पर चर्चा की, परन्तु आर्थिक स्थिति पर नहीं की। जिसने 120 करोड़ के संपूर्ण राष्ट्र को पूर्णतः प्रभावित किया है। हमारे पास समय नहीं है। संसद इस पर चर्चा करने में असफल रही है। यह एक दोष है। इसी समय, सरकार संसद से दूर भाग रही है। वे वस्तुतः संसद में यह बताने नहीं आते कि मंदी और महंगाई को नियंत्रित करने की कार्यनीति क्या है। हमें कुछ भी पता नहीं है। प्रधानमंत्री फिक्की में वक्तव्य दे रहे हैं; और मेरे सम्मानित साथी श्री चिदम्बरम ने कड़े निर्णयों की बात कही। इसलिए, यह अलग स्थिति है, जो अमेरिकी अधिनिवेश्वाद द्वारा निर्मित है...*(व्यवधान)* मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। वे सरकार के सम्मानित सदस्य हैं। मैं सरकार से बाहर के व्यक्ति को नहीं ला सकता; वह योजना आयोग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

में है। मैं किसी नौकरशाह का नाम नहीं ले सकता। मैं, उन्हें वह सम्मान नहीं दे सकता। कृपया, हम इसे छोड़ दें।

इसलिए, प्रश्न यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के कारण नहीं है। मेरे साथी को इंटरनेट पर उपलब्ध विकास के अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड से सीख लेनी चाहिए। उन्हें इंटरनेट खोलने दीजिए। उन्हें यह मिल जाएगा...*(व्यवधान)* कृपया मुझे मत उकसाइए...*(व्यवधान)* क्यूबा आर्थिक मंदी में नहीं है। आपको नहीं मालूम। चीन आर्थिक मंदी में नहीं है।

महोदय यह विधेयक विरोधाभाषी है। कैसे? उन्होंने इसे डॉ. रंगाराजन समिति को संदर्भित किया है...*(व्यवधान)* महोदय, जेपीसी के सभापति मुझे रोक रहे हैं। क्या यह संसदीय शिष्टाचार है?...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर) : महोदय, विगत 20 वर्षों से वे इसी बात को कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दासगुप्त जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि उदारीकरण को मेरे मित्र डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, जब वे 1991-92 में वित्त मंत्री थे। इसको कितने वर्ष बीत चुके हैं? इस नई आर्थिक नीति को इसी सरकार द्वारा लागू किया गया और वे तब से अधिकतर समय तक सत्ता में रहे हैं। यह नीति विगत 20 वर्षों से जारी है। इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 57वां है। यह परिणाम है। भारत में सबसे बड़ी संख्या में गरीब लोग रह रहे हैं। हमारे देश के 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। यह भारत से पृथक् नहीं है।..*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मेरे प्रबुद्ध मित्र यह नहीं जानते हैं कि देश की आर्थिक नीति दिल्ली में बनाई जाती है न कि कोलकाता में बनाई जाती है। इसलिए, चाहे कोई भी सरकार कोलकाता में सत्ता में हो, वे भारत सरकार द्वारा अनुसरित आर्थिक नीति का अनुपालन करने के लिए बाध्य होते हैं। क्या आप संघीय प्रणाली को तोड़ने के लिए विद्रोह करना चाहते हैं? वे समान आर्थिक नीति द्वारा बाध्य हैं। यह बात है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन क्यों नहीं करना चाहता। आमलेन का अर्थ क्या है? कुल 27 सरकारी क्षेत्र बैंक हैं। बैंकों के आमेलन से संख्या घटाकर 12 या 15 रह जाएगी। इसका क्या अर्थ है? बैंकों की संख्या घटाई जाएगी और बैंकों की संख्या घटाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा? इसमें एकाधिकार की वृद्धि का तत्व होगा। वे एक तर्क ये दे रहे हैं कि आमेलन बड़े बैंक बनाने के लिए है। दूसरी ओर, श्री चिदम्बरम भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव बना रहे हैं कि निजी कंपनियों नए बैंक खोलने दिए जाएं। इसमें क्या दुविधा आप बैंकों की संख्या घटाना चाहते हैं। रिजर्व बैंक के गर्वनर का कथन रिकॉर्ड में हैं और रिजर्व बैंक ने कहा कि यदि आप अधिक पर्यवेक्षण शक्ति नहीं देंगे, तो हम आपको नए बैंक नहीं खोलने देंगे। इसमें क्या परस्पर-विरोध है? एक ओर, आप प्रतिस्पर्धा के नाम पर नए निजी बैंक चाहते हैं और दूसरी ओर सरकारी क्षेत्रों का आमेलन चाहते हैं, यह एक परस्पर-विरोधी बातें है?

दूसरा विरोधाभास पूंजी की आवश्यकता है। भारत भूमि के महान क्षेत्र केरल से जुड़े माननीय मित्र को यह पता होना चाहिए कि हम इसी स्थिति से क्यों बंधे हैं। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि बैंकिंग कारोबार पूंजी पर निर्भर नहीं करता; बैंकिंग कारोबार निक्षेपों पर निर्भर करता है।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : दासगुप्त जी, कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए।

माननीय सदस्यगण इस विधेयक पर तीन और वक्ताओं को बोलना है और उसके पश्चात् माननीय मंत्री का उत्तर होगा। यदि सभा सहमत हो तो सभा की कार्यावधि को एक घंटे के लिए बढ़ायी जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): महोदय, मैं केवल यह आग्रह करूंगा कि जबकि हमें इस सभा की कार्यविध बढ़ानी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम कंपनी विधेयक को आज ही लें। मैंने अन्य दलों के नेताओं के साथ इस पर चर्चा की है और वे सभी इससे सहमत हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसे भी लिया जाना चाहिए। क्या यह गुरूदास दासगुप्त के लिए ठीक है?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभा सहमत है। श्री दासगुप्त आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, हम इस सभा की वैध कार्यवाही में बाधा खड़ी नहीं करते हैं; वैध कार्यवाही में .... रेखांकित किया गया।...*(व्यवधान)* वैध लेन-देन...*(व्यवधान)*। जी, हां व्यवसायिक लेनदेन। कारोबार का अर्थ लाभ अर्जित करना नहीं है। उन्होंने इसे गलत समझा होगा क्योंकि मेरे मित्र को सदा लाभ में ही विश्वास है...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अर्थशास्त्र।

श्री गुरूदास दासगुप्त : अर्थशास्त्र नहीं, वे एक व्यवसायी हैं ...*(व्यवधान)*

सायं 6.01 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन* *हुए*]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, इसलिए दूसरी बात यह है कि वे एक ओर एकीकरण चाहते हैं और दूसरी ओर नए बैंक चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? वे चाहते हैं कि टाटा, रिलायंस और निजी कंपनियां नए बैंक खोलें और साथ ही वे चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या को कम किया जाए। यह एक विरोधाभासी नीति है।

महोदय, मैं सरकार को सावधान करता हूं कि वह निजी कंपनियों को अपने बैंक खोलने की अनुमति प्रदान नहीं करे। हमने देखा है कि निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे बैंक किस प्रकार अपनी कंपनी हेतु लाभ अर्जित करने के लिए अनियमितताओं, धन शोधन में संलिप्त होते हैं। हमने देखा है कि बैंक ऑफ कराड ने हर्षद मेहता, हितेन दलाल और प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए क्या किया था।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसलिए, कृपया लाइसेंस देने में अथवा लाइसेंस जारी करने हेतु रिजर्व बैंक पर दबाव डालने में सावधानी बरतें. ..*(व्यवधान)* दबाव डालना शब्द सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे इससे सहमत नहीं हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव डालने के लिए अपने राजनीतिक तंत्र का इस्तेमाल करने के बजाए उसके प्रति सावधान रहे जो इन शीर्ष कंपनियों द्वारा नए बैंक खोलने पर होने जा रहा है। विश्व की चार शीर्ष कंपनियां भारतीय हैं। यदि वे बैंक खोलती हैं तो क्या होगा? वे काम चलाऊ कार्य करेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ में रुचि है, इसलिए मैं श्री चाको का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को लाभ में रुचि है।

तीसरी बात नियामक भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में है, मैं भारतीय रिजर्व बैंक का सम्मान करता है। मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक एक सफेद हाथी बन गया है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे बृहद कारोबार को नियंत्रित करना इसके कार्यक्षेत्र से परे है। मैं जानता हूं, मैं 1993-94 में संयुक्त समिति का सदस्य था। हमने अपने प्रतिवेदन में रिजर्व बैंक की भूमिका पर अभ्यारोप लगाया था। हमने सुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक को विभाजित कर दिया जाना चाहिए किन्तु सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके पश्चात् केतन पारेख से जुड़ी घटनाएं हुईं। इसके लिए कौन उत्तरदायी था? भारतीय रिजर्व बैंक ही इसके लिए उत्तरदायी था।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : गैर-निष्पादन आस्तियों, जो बैंकिंग प्रणाली को संक्षारित कर रही हैं, के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक पर्याप्त मजबूत है? इसलिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि वे सही मायने में विस्तार करना चाहते हैं तो वे मजबूत नियामक के बारे में सोचे न कि केवल रिजर्व बैंक के बारे में।

महोदय, देश के समक्ष मुद्दा लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ कराने का है; केवल 40 प्रतिशत लोगों को ही बैंकिंग सुविधा सुलभ है और 60 प्रतिशत लोगों का बैंकिंग सुविधा सुलभ नहीं है।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब भाषण समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, आप जनजातीय क्षेत्रों में जाएं हैं, आप कम विकसित क्षेत्रों में गए हैं, आप किसानों के पास जाएं हैं *[हिन्दी]* आप आम आदमी की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। श्री दासगुप्त कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम पूछना चाहते हैं मेहरबानी करके चिदम्बरम साहब हमें बताएं कि आम आदमी का कितना अकाउंट बैंक में है? *[अनुवाद]* इसलिए, यह बैंक राष्ट्रीय हित में बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच के अनुरूप नहीं है।

साथ ही, मैं कहूंगा कि यह विधेयक इस प्रणाली के और उदार बनाए जाने की दिशा में एक कदम है। आप राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि आपके पास वह राजनीतिक ताकत नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मुझे यह भय नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है। आपके पास वह ताकत नहीं हैं। इस सभा में संख्या बल में यह सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो लेकिन आप इतने शक्तिशाली नहीं है कि आप देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकृत चरित्र को समाप्त कर दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपको इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह मेरा भय नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनहें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं आपको एक कहावत बता रहा हूं। जितनी अधिक आपकी उम्र बढ़ती है आप उतने ही अधिक जराग्रस्त हो जाते हैं। वृद्धावस्था में जराग्रस्तता बढ़ती जाती है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह और अधिक उदारीकरण की दिशा में एक कदम है जिसका विराष्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता है। आप के पास वह शक्ति नहीं है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके विचार की तुलना में जनता की राय मायने रखती है...*(व्यवधान)* मेरा कहना यह है कि आप बैंक को संयुक्त क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। *[हिन्दी]* ये पब्लिक सेक्टर को ज्वाइंट सेक्टर बनाना चाहते हैं। *[अनुवाद]* हम इसका विरोध करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कि आप जो कानून प्रख्यापित करें उस पर जनता की राय हो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री एस. सेम्मलई अपनी बात रखेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मेरा मानना है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंदी के आघात से बचाया, के बारे में जो आप चाहते हैं, भारतीय जनमत ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देगा।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार से यह विधेयक स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भावना के प्रतिकूल है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था किन्तु हमारे वित्त मंत्री ने एक ही प्रयास में अपने नेता की नीति को पलटने का प्रयास किया। किसी भी प्रकार का सुधार स्वागत योग्य है यदि यह उस क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। किन्तु इस विधेयक में बैंककारी क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित बाते हैं, इस पर मुझे संशय है।

धारा 2(क) का संदर्भ लें जिसमें एक बार में बैंकिंग विलय और अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर दिया गया। अंततः इसकी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक पर होगी। यदि सरकार बैंकों को प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार क्षेत्र से अलग कर देती है तो इसकी क्या गारंटी है कि बीमा जैसे अन्य क्षेत्र इस प्रकार की छूट नहीं मागेंगे। तब प्रतिस्पर्धा आयोग की क्या आवश्यकता है? अतः मेरे विचार में प्रावधान औचित्यहीन है क्योंकि हमारी 60 प्रतिशत जनसंख्या के पास अभी भी खाता नहीं है। केवल पांच प्रतिशत ग्रामीणों के पास बैंकिंग सुविधा है। मुझे आरबीआई को बैंक विलय के मामले में अंतिम मंजूरी देने के निर्णय पर आशंका है कि

यह बैंकिंग उद्योग पर निजी क्षेत्र के नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे विचार में वित्त मंत्रालय की अब यह सोच है कि मूल स्थिति को पुन:स्थापित किया जाए और प्रतिस्पर्धा आयोग को इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने की अनुमति देने पर विचार किया जाए। यदि ऐसा है तो यह स्वागत योग्य है।

इसके पश्चात्, निजी भागीदारों के मताधिकार की सीमा को 10 से बढ़ाकर 26 करने का प्रस्ताव एक नया कदम है। इससे कार्पोरेट और निजी क्षेत्र को बैंकिंग उद्योग पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। यह विदेशी कॉर्पोरेट को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भारी निवश करने का मार्ग खोलेगा और अंतत: बैंकिंग उद्योग में सरकारी क्षेत्र की पहल को कुचल दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक घरानों के बैंकिंग प्रचालन पर रोक है। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया ने भी 1997 के वित्तीय संकट के बाद औद्योगिक घरानों द्वारा नए बैंकों के प्रवर्तन पर रोक है। तब हम अलग दिशा में जाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए।

2008 में आए वैश्विक आर्थिक संकट में भारतीय बैंकों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। इसका श्रेय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मजबूत स्थिति को जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति देने से देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य ही खराब हो जाएगा। वे लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं और वे गरीबों की चिंता नहीं करते।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस मामले को बहुत सावधानी से लें। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी अपील करता हूं कि वह मताधिकार, जिसका उल्लेख धारा 23 में किया गया है, को अचानक बढ़ाकर 24 न करें।

खंडेलवाल समिति की अधिकांश सिफारिशें बैंक कर्मचारियों के हित में नहीं है। बैंक कर्मचारियों की यही भावना है। समिति की अधिकांश सिफारिशें बैंक कर्मचारियेां के कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। अत: में माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह व्यक्तिगत रूप से उनकी शिकायतें सुनें और उनका निवारण आदान-प्रदान की भावना को ध्यान में रखकर करें।

सभापति महोदय, मैं अत: में केन्द्र से एक विशेष अपील करता हूं। कृपया सुधारों के नाम पर बड़ी औद्योगिक हस्तियों को बैंकिंग क्षेत्र में जाने की अनुमति न दें अन्यथा वे छोटे-छोटे बैंकों का अधिग्रहण कर लेंगे। हमें ऐसे हंस को नहीं मारना चाहिए जो सोने का अंडा देती हो। हमें सरकारी, क्षेत्रों के बैंक, जो लगातार बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, के साथ एक संतुलित बैंकिंग, क्षेत्र का विकास करना होगा।

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसका समर्थन करने के बावजूद भी, कई मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और मेरा मानना है कि पिछले वक्ताओं द्वारा उन मुद्दों को पहले ही उठाया जा चुका है।

मैं भी इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरीके से 2008 में दुनिया की आर्थिक मंदी ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह बैंकिंग के मूल सिद्धांतों की ओर लौटने की जरूरत है। मेरा मानना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम बैंकिंग के मूल सिद्धांतों पर ध्यान नहीं देंगे तो बैंकिंग उस बुनियादी जोखम में पड़ सकती है। पश्चिमी देशों में आई आर्थिक मंदी में हमने इसका स्पष्ट उदाहरण देखा।

तथापि, यहां तक हमारा संबंध है, निश्चित रूप से हम एक उदारवादी युग में जी रहे हैं। इसलिए, हमें अपने विनियामक ढांचे में और बदलाव तथा उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। यह विधेयक निश्चित रूप से ऐसा करने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा कहते हुए मैं एनपीए का मुद्दा भी उठाना चाहता हूं, जिसके बारे में हमारे कई सदस्य पहले ही कह चुके हैं। अब एनपीए में बढ़ोत्तरी हो रही है, जबकि एमएसएमई क्षेत्र के अग्रिम में भारी कमी आई है। यही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके सभी नवोन्मेषण और विनिर्माण इस देश की सहायता करते हैं। मेरे विचार से यह काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए कि हम एमएसएमई क्षेत्र में अधिक धनराशि प्रत्यक्ष तरीके से लगा सकें।

दूसरी बात, हमारे देश के बिना बैंक वाले क्षेत्रों, जैसे कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के वित्तीय समावेशन की है। हम वित्त समिति में भी इस बात पर विचार करते रहे हैं कि हम किस तरह बैंकों को इस बात के निर्देश दे सकते हैं कि वह इस पर विचार करें कि हमारे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, जहां बैंक नहीं हैं, जहां, आज तक हमारी बड़ी नकद अर्थव्यवस्था है, जो बड़ी भूमिका निभाती है, और इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि अधिक से अधिक बैंक और शाखाएं खोली जाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए पर्याप्त स्थान और प्रतिस्पर्धा आयोग के मुद्दे पर पहले चर्चा हो चुकी है।

इसलिए, इन्हीं शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस विधेयक का समर्थन करती है।

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदय, आपने मुझे इस बिल के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वे इस विधेयक में ऐसे बहुत प्रावधान लाए हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छे हैं जिनमें आरबीआई सुपरसेशन ऑफ बैंक्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो आदि में है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए तीन-चार बातें कहूंगा। मैं अमलगमेशन ऑफ बैंक के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक को अमलगमेट करते हैं तो वित्त मंत्री सुनिश्चित करें कि कोई बैंक की ब्रांच बंद न हो। जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था, एक छोटा सा कदम बैंकों को गरीबों की एप्रोच के लिए गांव की तरफ ले जाना था। मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री सुनिश्चित कर लें कि बैंक की ब्रांचिस कम न हों।

महोदय, देश की सबसे बड़ी समस्या इन्कलूजन बैंकिंग है। 70 प्रतिशत लोगों के बैंक एकाउंट नहीं हैं। यदि मंत्री जी बैंकिंग अमेंडमेंट में एक बात ले आते हैं कि वोटर आईडी या यूआईडी से सभी लोगों का बैंक एकाउंट फ्री में खुल जाए तो मैं समझता हूं कि इंकलूजन बैंकिंग के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी। प्राइवेट बैंक देहाती या पिछड़े क्षेत्र में बैंक नहीं खोलते हैं। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन था या एयर इंडिया के साथ नार्थ ईस्ट में फ्लाइट चलाना था उसी तरह से अगर बैंक या यूनवर्सल सर्विस ऑबलीगेशन फी लगा देंगे और इसके माध्यम से पब्लिक सेक्टर बैंक की हर पंचायत में ब्रांच खुल जाएगी। मुझे लगता है कि इस तरह से गरीब लोगों के लिए बैंक की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।

जहां तक बंद खाते के पैसे की बात है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि यह कस्टमर को एजुकेट करने के लिए यूज होगा। मेरा अनुरोध है कि इस पैसे से इन्कलूजन बैंकिंग लागू कीजिए और सभी लोगों के इसी पैसे से बैंक एकाउंट खोल दें, इससे कम से कम कम्पलीट प्लान तो बनेगा मेरा मानना है कि टीवी कंपनियां और अखबार तो इसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही लगा देंगी और असल में कोई काम नहीं होगा। यहां सभी साथियों ने फारवर्ड ट्रेनिंग के बारे में कहा है। यह सरकार की इच्छा भी कि फारवर्ड ट्रेनिंग का प्रावधान हो। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस बारे में आश्वासन दें क्योंकि हमने विदेशों में, पश्चिम देशों में देखा है कि किस तरह फारवर्ड ट्रेनिंग के कारण इकनॉमिक क्राइसिस आया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आम विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा लाए गए बिल के फेवर में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको नार्थ ईस्ट की हालत मालूम है कि असम में ऐसे बहुत मसाईल हैं। वर्ष 2012 में असम में हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सैलाब आए जिसमें लाखों किसानों की जमीन और सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वर्ष 2012 के बैंक के लोन माफ कर दें।

महोदय, असम में जूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी लेकिन आज यह खत्म हो गई है। इस कारण किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्हें जो माल 800-900 रुपए का पड़ता है बाजार में 500 रुपए में बेचना पड़ता है। जब वे बाजार में माल लेकर निकलते हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। बिचौलिए उनका इस्तेमाल करते हैं, वे गरीबी से मजबूर है। मेरा अनुरोध है कि उनकी तरफ अगर फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मदद होगी।

महोदय, असम में हर साल फ्लड आता है, यह सबको मालूम है। जब लोग फ्लड इरोजन के एरिया में बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो उनसे जमीन का पट्टा मांगा जाता है। यह बेसिक चीज है। 90 परसेंट लोगों के पास जमीन का पट्टा नहीं होता है। लेकिन दूसरे डॉकूमैन्ट्स भी होते हैं, क्योंकि पानी के साथ उनका घर बह जाता है, जमीन बह जाती हैं, यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसकी वजह से उन्हें बैंक लोन मिलने में बहुत परेशानी होती है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस मामले में ध्यान दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान इस प्रॉब्लम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके लिए किसी दूसरे डॉकूमैन्ट्स को भी इसमें मान्य करें, ताकि उन गरीबों को लोन लेने का मौका मिल सके।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी का सपना था कि बैंकों को किसानों और गरीबों तक ले जाया जाए, लेकिन बैंक्स आज गरीबों तक नहीं पहुंच रहे हैं। पहले तो बैंक देहातों में होते ही नहीं हैं और वे अपनी ब्रांचेज शहरों में खोलते हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बैंक्स गरीबों की मदद के बारे में वन परसेंट भी चिंता नहीं करते हैं, वे कमर्शियलाइज हो गये हैं, बड़े-बड़े बिल्डरों के साथ उनकी सांठ-गांठ है, वे रियल स्टेट में काम करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें मजबूर किया जाए कि वे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूलों, कॉलेजों और ट्रेनिंग सेंटरों के लिए इस्तेमाल करें, यही मेरा निवेदन है। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

جناب بدرالدین اجمل (ڈھبری): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے اس بے حد اہم مسئلہ پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکرگزار ہوں۔ میں فائنس منسٹر صاحب کے ذریعہ لائے گئے بل کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کو نارتھ۔ ایسٹ کی حالت معلوم ہے کہ آسام میں ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ سال 2012 میں آسام میں ہندوستان کے سب سے بڑے سیلاب آئے جس میں لاکھوں کسانوں کی زمین اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے ذریعہ سے فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سال 2012 کے بینک کے لون معاف کردیں۔

جناب، آسام میں جوٹ انڈسٹری بہت بڑی تھی، لیکن آج یہ ختم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہیں جو مال 800-900 روپئے میں پڑتا ہے بازار میں 500 روپئے میں بیچنا پڑتا ہے۔ جب وہ بازار میں مال لیکر نکلتے ہیں تو انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ بچولئے ان کا استحصال کرتے ہیں، وہ غریبی سے مجبور ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ان کی طرف اگر فائننس منسٹر صاحب دھیان دیں گے تو ان کی بڑی مدد ہوگی۔

جناب چیرمین صاحب، آسام میں ہر سال باڑھ آتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ جب لوگ فلڈ ایروزن کے علاقہ میں بینک سے قرض لینے کے لئے جاتے ہیں تو ان سے زمین کا پٹہ مانگا جاتا ہے۔ یہ بیسک چیز ہے۔ 90% لوگوں کے پاس زمین کا پٹہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ڈوکیومینٹس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پانی کے ساتھ ان کا گھر بہہ جاتا ہے، زمینیں بہہ جاتی ہیں، یہ ایک پریکٹکل پروبلم ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں بینک لون لینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اگر فائننس منسٹر صاحب اس معاملے میں دھیان دیں گے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آپ کے ذریعہ ان کا دھیان اس پروبلم کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے دوسرے ڈوکیومنٹس، دستاویز کو بھی الاؤ کریں، ماننے کریں، تاکہ ان غریبوں کو لون لینے کا موقع مل سکے۔

آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اندرا گاندھی جی کا سپنا تھا کہ بینکوں کو کسانوں اور غریبوں تک لے جایا جائے، لیکن بینکس آج غریب لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ پہلے تو بینکس دیہاتوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں اور وہ اپنی برانچز شہروں میں کھولتے ہیں۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بینک غریبوں کی مدد کے معاملے میں ایک فیصد بھی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ کمرشیلائز ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بلڈروں کے ساتھ ان کی سانٹھ گانٹھ ہے، وہ ریل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اسپتال، سڑکیں، اسکولوں، کالجوں اور ٹریننگ سینٹروں کے لئے استعمال کریں، یہی میری گزارش ہے۔ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔۔۔

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं सबसे पहले नौजवान सदस्य श्री अनुराग ठाकुर को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण भाषण दिया और मैं अंत में बोलने वाले श्री बदरुद्दीन अजमल साहब सहित सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं।

महोदय, बैंककारी संबंधी विधेयक पर कई गलतफहमियां हो रही जाती हैं; और मुझे डर है कि कुछ आलोचनाएं विधेयक को नहीं समझने के कारण हैं। शायद यह मेरी गलत है कि विधेयक को पेश करते वक्त मैंने इस विधेयक को समझाने के लिए पर्याप्त समम नहीं लिया। वस्तुत: मुझे शोर-शराबे के बीच इस विधेयक को प्रस्तुत करना पड़ा था।

लेकिन मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि विधेयक बहुत छोटा विधेयक है; इसके कतिपय निश्चित उद्देश्य हैं; और मैं यहां उठाए गए हर प्रश्न का जबाव दूंगा।

सबसे पहले, महोदय, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, मैं मानता हूं कि इस सभा का प्रत्येक वर्ग, संप्रग-I, संप्रग-II सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के सुदृढ़ीकरण और हमारे सरकारी क्षेत्र चरित्र को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

वास्तव में, यह इस प्रतिबद्धता का एक भाग है कि अधिकाधिक पूंजी लगाकर हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ कर रहे हैं। जब तक हम इसमें ज्यादा से ज्यादा पूंजी नहीं लगाएंगे, तब तक कोई बैंक चल नहीं रह सकता, कोई वृद्धि कृषि नहीं कर सकता। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई बैंक विवेकपूर्ण मानंदड से उतना गुना ही उधार दे सकता है, जितनी पूंजी उसके पास है। ये इंटरनेशनल बैंकिंग असोसिएशन और बीएएसईएल द्वारा तय किए गए बीएएसईएल (बासेल) मानदंड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड भी हैं। इसलिए, कोई बैंक ऋण नहीं दे सकता, अगर एक बार उसकी पूंजी-पर्याप्तता परिपूर्णता बिंदु तक पहुंच जाती है। इसलिए, हमें बैंकों में और अधिक पूंजी लगाना होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आप करेंगे। यही तो समस्या है...*(व्यवधान)* अगर आभी आप मुझसे प्रश्न करेंगे तो आप परेशान करेंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : क्या वे व्यवधान डाल रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं, वे व्यवधान नहीं डाल रहे हैं; उनका प्रश्न व्यवधान डालने वाला हो सकता है...*(व्यवधान)*

इस वर्ष, उदाहरणास्वरूप, 31 मार्च के पहले, हम 15,000 करोड़ रुपये और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवेश करेंगे। अगले वर्ष, हमें और निवेश करना है, जैसा कि श्री महताब — जो यहां उपस्थित नहीं है — ने कहा था। अनुमान यह है कि हमें और ज्यादा निवेश करना होगा।

एक ओर आप कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संरक्षण प्रदान की जानी चाहिए लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक बढ़ते जा रहे हैं। हमारे निजी क्षेत्र के बैंक क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए कि वे ज्यादा पूंजी जुटाते हैं। वे ज्यादा पूंजी जुटाने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार को पूंजी निवेश करना होता है, हमने अब कहा कि ये पूंजी राइट्स इश्यूज, बोनस, शेयर इत्यादि के माध्यम से जुटाये जा सकते हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्वरूप बदले बिना पूंजी जुटाने के वे सभी उपाय किए जा सके जो स्वीकार्य हो जिससे बैंकों को ज्यादा पूंजी प्राप्त हो सके।

सरकार और ज्यादा पूंजी निवेश करने के प्रति प्रतिबद्ध है। आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास व्यापार का 75% अंश है। अतएव, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई चुनौतियों के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र के बैंक अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी सरकारी क्षेत्र की बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बैंक से कई गुणा बड़ी है। लेकिन अगर हमें सरकारी क्षेत्र का बड़ा बैंक बने रहना है तो पूंजी निवेश करना होगा। हमें अपने बैंकों की प्रगति करने के लिए अनुमति देनी होगी।

विधेयक का उद्देश्य काफी सरल है। विधेयक के अधिकांश उपबंध नियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक को मजबूत करने वाले हैं। मुझे उन सभी उपबंधों को पहले की आवश्यकता नहीं जो भारतीय रिजर्व

बैंक को और ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य रखते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इससे सहमत था कि अधिकांश उपबंध नियामक को और ज्यादा मजबूत बनाने वाले हैं तथापि, विधेयक के प्रवधान के संबंध में कतिपय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। जिनका में उत्तर देना चाहता हूं।

लेकिन इसके पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि स्थायी समिति की प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा उन्हें सरकारी संशोधनों के माध्यम से लाई गई हैं। एक-दो सिफारिशों में हमने छोटे-मोटे संशोधन किए हैं लेकिन उन पर मैंने चर्चा कर ली है। इन छोटे परिवर्तनों पर जो हमने की है, पर कोई विशेष प्रतिरोप नहीं है। ये प्रारुप परिवर्तन है। ये ऐसे परिवर्तन है जो की गई सिफारिश में आवश्यक है।

दो सिफारिशों के संबंध में कुछ विवाद हुए लेकिन मुझे खुशी है कि विवाद सुलझा लिए गए। एक विवाद उस सिफारिश से था जो दूसरी स्थायी समिति द्वारा की गई थी। मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन रिकॉर्ड के लिए, स्थिति स्पष्ट करने के लिए, विभाग – यही स्थिति विभाग की थी जो मेरे द्वारा प्रभार संभाला के पूर्ण था – तथा विभाग के पदाधिकारियों के हित में मुझे यह स्पष्ट करना है। एक दूसरी स्थायी समिति अर्थात् खाद्य और उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थायी समिति जिसकी अध्यक्षता हमारे एक विशिष्ट सदस्य, श्री विलास मुत्तेमवार ने की में मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों के साथ-साथ सभा के सभी वर्गों के सदस्यों थे, ने भारतीय रिजर्व की कार्यसमूह की रिपोर्ट के आधार पर, यह समिति की रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया, जो मैं आपसे पढ़ने के लिए अनुरोध करूंगा, आज नहीं तो फिर कभी क्योंकि आज यह ज्वलंत मुद्दा नहीं है, सिफारिश की कि उपबंध शामिल की जांच शामिल की जाएं, और इसलिए उस उपबंध को शामिल किया गया। जैसे कि हम एक स्थायी समिति की सलाह को मानते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी स्थायी समिति की सलाह को भी मानते हैं। लेकिन बॉकी विधेयक भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह विधेयक पारित होना चाहिए क्योंकि भातीरय रिजर्व बैंक अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करने के लिए इस विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी तथा कुछ अन्य लोगों के द्वारा करने के पश्चात् कि कृपया इस खंड पर अड़े नहीं रहें मैंने कहा कि ठीक है, मैं उस खंड पर अडियल रवैया नहीं अपनाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यसमूह की सिफारिश पर आधारित है जिसमें सभा के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था।

एक अन्य खंड प्रतिस्पर्धा योजना से संबंधित है, तथा सदस्यों ने इस तथ्य को नोटिस नहीं किया होगा कि मैंने निर्णय में संशोधन किया है। श्री महताब ने इसका उल्लेख किया था। जब यह खंड लाया गया कि बैंकों को प्रतिस्पर्धा आयोग से बाहर रखा जाए, वित्त संबंधी स्थायी समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की तथा मैं वह छोटा पैरा पढ़ता हूं:–

> "समिति, बैंक विलय इत्यादि के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्राधिकार से फिलहाल इसे बाहर रखती है तथा इस बीच यह सिफारिश करती है कि यह छूट विशेष मामले के रूप में तथा व्यावहारिक आधार पर देखना चाहती है तथा जिस पर समीक्षा नियामक, अर्थात्, भारतीय रिजर्व बैंक तथा प्रतिस्पर्धा आयोग दोनों द्वारा प्राप्त अनुभव के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।"

अतएव, समिति ने इसकी पुष्टि नहीं की। समिति ने कहा, ठीक है, अभी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन कृपया इसपर पुनर्विचार करें। जब मैंने कार्यभार संभाला, मैंने इसपर पुनः विचार किया और मैं इस खंड पर जोर भी नहीं डाल रहा हूं। मैंने पहले ही नोटिस दे दिया कि उस खंड पर जोर नहीं दिया जाये। बैंकिंग विनियामक अधिनियम की उपबंधों के अंतर्गत सभी बैंकिंग गतिविधियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियामक होगा। प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा के लिए नियामक होगा क्योंकि जैसा कि श्री महताब ने बताया कि यदि हम बैंकिंग क्षेत्र को निकालते हैं, तो बीमा क्षेत्र कहेगी कि हमें भी इससे बाहर निकालो क्योंकि हमारा नियामक आईआरडीए हैं। दूरसंचार क्षेत्र कहेगा हमें इससे बाहर निकाले क्योंकि हमारा नियामक टीआरएआई है। पेट्रोलियम क्षेत्र कहेगा हमें इस्से बाहर निकालो क्योंकि हमारा नियामक पेट्रोलियम बोर्ड है। अतएव, हमने कैबिनेट में *निर्णय लिया है कि हम* बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा आयोग से बाहर नहीं निकालेंगे। माननीय रिजर्व बैंक जहां तक बैंकिंग नियामक की बात है बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करता रहेगा। प्रतिस्पर्धा आयोग गैर-प्रतिस्पर्धा प्रयासों का नियामक भी कहेगा तथा किसी विलय की अनुमति भी देगा। अतएव, स्थायी समिति की वह शंका भी स्वीकार कर ली गई है और हम इस खंड के पक्ष में अपना मत नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है है कि हम उस खंड के विरोध में मत डालेंगे।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मुझे आपका कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : कृपया सभा के कार्य में व्यवधान नहीं डालें।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि नोटिस दिया है। नोटिस मेंबर्स को सर्कुलेट करना चाहिए। मेंबर्स को कैसे पता होगा?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : सभा को सूचना दी जाती है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

माननीय मंत्री जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : सौगत राय जी, मैं इसे अभी स्पष्ट कर रहा हूं।

मैं समझता हूं कि श्री अनुराग ठाकुर ने यह मुद्दा उठाया कि कितने बैंक खाते निष्क्रिय है। 1,12,49,844 खाते निष्क्रिय हैं और इन खातों में 2,481 करोड़ रुपये हैं। लेकिन, विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रावधान किए गए हैं। दस वर्ष के बाद भी यदि व्यक्ति, जिनका खाता है, आता है और अपना धनराशि मांगता है तो उसे पैसा वापस करना होगा और बैंक जमा खाता से धनराशि लेगा। 15 या 20 वर्षो के बाद भी किसी भी व्यक्ति का धनराशि नहीं ले लिया जाएगा। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति का धनराशि विनियोग करना नहीं है। लेकिन, हम 2481 करोड़ रुपये को निष्क्रिय नहीं रहने दे सकते। हम इस धनराशि का उपयोग करेंगे लेकिन यदि दावाकर्ता आता है और धनराशि का दावा करता है तो हम धनराशि वापस करेंगे।

हमने वित्तीय क्षेत्र के सभी कानूनों की समीक्षा करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र संबंधी कानून के पुन: प्रारुपण पर रिपोर्ट देने के लिए न्यायामूर्ति श्री कृष्ण आयोग को नियुक्त किया है। यह रिपोर्ट प्रारुप के रूप में आया है। इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की गयी हैं। मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने के बाद हमारे पास के व्यापक बैंकिंग कानून का प्रारुप तैयार करने का अवसर होगा, लेकिन, इस समय मैं केवल विद्यमान कानून में संशोधन कर सकता हूं।

बंद की जा रही बैंक की शाखाओं के बारे में प्रश्न किया गया। मैं नहीं जानता कि हमें कहां से यह अनुभव हुआ। संभव है कि गांव में या एक ही सड़क पर या एक ही शहर में दो शाखाओं का विलय किया गया हो हमारी सरकार के रिकॉर्ड को देखे। हमने वर्ष 2011-12 के 6489 शाखाएं खोले हैं। इस वर्ष हम लोग लगभग इतनी ही बैंक शाखाएं खोलेंगे। एक बार मैंने वह संख्या बताई थी। मौटे तौर पर हम लोगों ने प्रतिदिन लगभग 18 या 19 शाखाएं खोली थीं। उसके अलावा पिछले एक वर्ष में जब इस योजना की घोषणा हुई थी हमने 32,518 अत्यंत छोटी बैंक शाखाएं खोली हैं। इस प्रकार, पर्याप्त संख्या में शाखाएं खोली गई हैं। हम लोग लगभग 6000 बैंक प्रतिवर्ष की दर से शाखाएं खोलेंगे। ऐसी योजना है।

छोटी शाखाओं में विलय के बारे में कुछ प्रश्न थे। महोदय, संशोधनकारी विधेयक में विलय के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो भी कानून इस संबंध में है वह कानून है, इस विधेयक में किसी प्रकार के विलय के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। हम कोई नया प्रावधान पुर:स्थापित नहीं कर रहे हैं।

शिक्षा-ऋण के संबंध में प्रश्न था। महोदय, कतिपय रूप से इस बारे में मैं काफी उत्साही हूं। तमिलनाडु में मेरे मित्र जानते हैं कि मैंने हमेशा सार्वजनिक मंच पर शिक्षा-ऋण के बारे में जरूर बल दिया है। आज, 30 सितम्बर की तारीख की स्थिति के अनुसार लिए और चुकाए गए ऋणों के अतिरिक्त 24 लाख खातों में 52,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। मुझे अपने संसदीय क्षेत्र या अन्य जगहों से शिकायतें मिलती हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग में एक अनुभाग है जो इन शिकायतों को प्राप्त करता है। प्रत्येक बैंक में एक संबंध होता है जो शिकायतें प्राप्त करता है। मैं यह नहीं कह रहा कि बैंकिंग उद्योग में कोई कुल कलंक नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई निष्ठुर प्रबंधक नहीं है, कहीं कहीं एकाध हो सकता है। वास्तव में, यदि कहीं एकाध है तो उसका नाम बताइए मैं इसे गुरूदास दासगुप्त जी को भेज दूंगा। ताकि, वह कार्रवाई कर सकें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

सभापित महोदय : महोदय, कृपया व्यवधान न करें।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : हम लोग ऋण दे रहे हैं और मैंने कहा, मैं समझता हूं कि मैंने दूसरी सभा में कहा है कि यदि कोई माननीय

सदस्य अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र में भिक्षा ऋण संबंधी शिविर लगवाना चाहते हैं तो कृपया मुझे लिखिए और मैं अग्रणी बैंक को आपके संसदीय चुनाव क्षेत्र में शिविर लगाने के लिए कहूंगा। लेकिन उन्हें पहल करना होगा। वास्तव में व्यवस्था करने में कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसकी सहायता नहीं की जा सकती। कुछ प्रारंभिक व्यवस्थाएं करनी होती, एक हॉल लेना पड़ेगा, कुछ बैनर लगाने पड़ेंगे और कुछ विज्ञापन भी देना पड़ेगा। लेकिन, आपको यह कहना चाहिए। यदि आप यह सब करते हैं, तो मैं अग्रणी बैंक को शिविर आयोजित करने के लिए कहूंगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था। यह कोई नया उपबंध नहीं है। यह 1980 के अधिनियम का एक उपबंध है। 1980 के अधिनियम की धारा 2घ में एक उपबंध है कि कोई भी अनिवासी इसमें 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रख सकता है। हमने कोई नया उपबंध नहीं किया है। यह कई वर्षों से इसी अधिनियम का एक भाग रहा है। कोई नया उपबंध नहीं बनाया जा रहा है।

विश्व के बैंकों और अन्य बैंकों में छंटाई के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था और यह पूछा गया कि हम यहां क्या कर रहे हैं। हमें विश्व की क्यों चिंता है? यदि विश्वभर में बैंकिंग प्रणाली में छंटाई हो रही है, तो वे छंटाई करें। यह देखें कि हमने क्या किया है। वर्ष 2011-12 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग में कुल मिलाकर 55632 युवा पुरुष और महिलाओं की भर्ती की है। इस वर्ष 84489 युवा पुरुषों और महिलाओं को भर्ती करने की योजना है। हम 6000 शाखाएं खोलने जा रहे हैं, हम भर्ती कैसे नहीं कर सकते हैं? यदि हम प्रत्येक शाखा में अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में तीन या चार लोगों को ही ले तो भी 6000 शाखाओं के लिए हमें 25000 लोगों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कुछ लोग अन्य नौकरियों के लिए इस नौकरी को छोड़ देते हैं। हम इस वर्ष 84489 लोगों की भर्ती कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि निकट भविष्य में हमारे बैंक किसी भी छंटनी करेंगे। बल्कि भविष्य में अगले पांच वर्षों, दस वर्षों, बीस वर्षों में हम कई शाखाएं खोलेंगे और हम कई युवा लोगों की भर्ती करेंगे।

श्री आनंदराव अडसुल जी ने यह प्रश्न पूछा कि जुर्माना लगाए जाने के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी कौन है? प्रबंधक और अन्य पदों पर पदस्थ लोगों को हटाने के लिए धारा 36कक(3क) के तहत केन्द्र सरकार से अपील की जाती है। धारा 22(5) के तहत केन्द्र सरकार से लाइसेंस रद्द करने के लिए अपील की जाती है। जुर्माने के अधिरोपण के लिए कोई अपीलीय प्राधिकारी नहीं है; व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट न्यायालय जाना होता है।

गैर-निष्पादनकारी आस्ति के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गये थे। मैं लगता है कि मैंने इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया था। जब अर्थव्यवस्था पर दबाव होता है। तो कुछ क्षेत्रों पर भी दबाव होगा। कुछ क्षेत्रों के दबाव में रहने के कारण ही अर्थव्यवस्था दबाव में रहती है। यदि प्रत्येक क्षेत्र बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहा हो तो अर्थव्यवस्था दबाव में क्यों होगी? कुछ क्षेत्र दबाव में है। मुझे विश्वास है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इससे सहमत होंगे कि जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही हो अथवा दबाव में हो तो हम दबाव वाले क्षेत्र पर और दबाव नहीं डाल सकते हैं। यह समय होता है कि हम इस कठिन समय से बाहर निकलने में उनकी मदद करें ताकि अर्थव्यवस्था पुन: पटरी पर लौट आए और वह क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए और ऋण की अदायगी करे। वे जानबूझ कर चूक करने वाले नहीं होते हैं। कुछ क्षेत्र हैं जो दबाव में है। इसलिए यह समय है कि ऋण को पुनर्गठित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में ऐसे ऋण को पुनर्गठित करने की व्यवस्था है।

कई संसद सदस्यों ने ऋण के पुनर्गठन में सहायता पाने के लिए व्यक्तिगत मामलों के साथ मुझसे संपर्क किया है। ऐसा करना सही है। आप अपने संसदीय क्षेत्र के किसी भी उद्योग को केवल इसलिए बंद नहीं होने दे सकते कि आज वह उद्योग दबाव में है। यही समय होता है कि उस उद्योग को इस कठिन समय से बाहर निकलने में उसकी सहायता की जाए। हम छ: माह या एक वर्ष प्रतीक्षा करें। अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी। इसलिए, गैर-निष्पादनकारी आस्ति (एनपीए) के अनुपात में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) 3.1 प्रतिशत है। निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां, (एनपीए) केवल 1.4 प्रतिशत है। इसलिए इन एनपीए की व्यवस्था की गई है...*(व्यवधान)*

मैंने यही कहा है। कृपया उन सिद्धांतों को नहीं लागू करें जो बैंकिंग प्रणाली के लिए अनजान हो। विश्व के प्रत्येक देश के प्रत्येक बैंक में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) है। यदि कोई एनपीए न हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति ने अपना ऋण अदा कर दिया हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति ने अपना ब्याज चुका दिया हो, कोई भी खाता अशोध्य नहीं बना है, तो हम बेहतरीन स्थिति में होंगे। यह आदर्श स्थिति है; ऐसा नहीं होता। इसके कुछ या अन्य कारण हो सकते हैं और इसलिए. ..*(व्यवधान)*

[श्री पी. चिदम्बरम]

कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। गैर-निष्पादनकारी आस्तियां होंगी। शुद्ध गैर-निष्पादनकारी आस्तियां केवल 1.4 प्रतिशत हैं। मैंने यह कहा है और सावधानीपूर्वक मेरा यह कहना है कि जी हां, यह चिंता का विषय है। लेकिन यह चौंका देने वाली बात नहीं है। यह ऋण के पुनर्गठन में मदद करने, उद्योग को मंदी से उबारने में सहायता करने का समय है और वे इस अवस्था से बाहर आएंगे और ये ऋण, जो संदेहास्पद परिसंपत्तियां है, कुछ समय बाद मानक परिसपंत्तियां बन जाएंगे।

महोदय, हमारे बैंकों में पर्याप्त मात्रा में पूंजी है। हम बेसल मानदंड से काफी ऊपर हैं। हम बेसल-3 मानदंडों से आगे होंगे, क्योंकि हमने उनका बार-बार फायदा उठाया है। उनके पास ऋण देने के लिए पर्याप्त धन है। अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। लेकिन, जैसाकि मैंने कहा है, यह मंदी से बाहर निकलेगी; इसमें सुधार होगा और जब इसमें सुधार होगा तब बैंकों को और अधिक पैसा उधार देना पड़ेगा। बैंकों के पास अधिकाधिक ऋण देने के लिए नकदी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1,46,290 करोड़ रुपये की धनराशि देकर उनकी नकदी में वृद्धि की है। बैंकों के पास सभी क्षेत्रों और सभी खंडों, जिन्हें धन की आवश्यकता है, को ऋण देने के लिए काफी नकदी है।

मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रमुख प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। समेकन के बारे में कुछ प्रश्न थे। कृपया यह समझ लें कि हमारे बैंकों में से एक भी विश्व के सर्वोच्च 20 बैंकों में नहीं है। चीन के तीन बैंक हैं। आज यदि 6,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, ऐसा एक भी बैंक नहीं है, जो इस कार्य (पोर्टफोलियों) का हिसाब-किताब रख सके। इसे एक सहायता संघ को एक साथ रखना होगा। इसके सकल घरेलू उत्पाद के आकार हेतु भविष्य के लिए हम भारत पूर्वकल्पना करते हैं, हमें विश्व के अनुसार बैंकों की आवश्यकता है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों को समेकित किया जाएगा। कृपया बैनकॉन में दिए गए मेरे भाषण को पढ़ें और यही भाषण मैंने चार या पांच वर्ष पहले दिया था। यह नरसिम्हन-I समिति और नरसिम्हन-II समिति पर आधारित है। हमने कहा कि हमें दो या तीन विश्व-आकार के बैंकों की आवश्यकता है और दो या तीन विश्व-आकार के बैंक इस देश के छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में समेकित करके बनेंगे लेकिन हमारे पास अभी भी 20 से अधिक सरकारी क्षेत्र के बैंक होंगे और उनमें से हरेक बैंक विकास करेगा। हमें विश्व-आकार के बैंकों की आवश्यकता है। मैं इस पर किन्हीं अन्य मंचों पर भी चर्चा करने को तैयार हूं। आज समय नहीं है। हमें दो या तीन विश्व आकार के बैंकों की आवश्यकता है। यदि निजी क्षेत्र के बैंक बड़े होते जाएंगे, तो क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक भी उन्हीं के साथ गति मिलाते हुए बड़े नहीं होना चाहिए? मेरे विचार से यह बैंकों के विलय का मामला है और यह दो या तीन विश्व-आकार के बैंकों का मामला है।

मैं अपनी अंतिम और समापन वक्तव्य पर आता हूं। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया, जिसका उन्होंने मनमोहन-चिदम्बरम मॉडल के रूप में उल्लेख किया। कृपया मुझे प्रधानमंत्री के बराबर मत मानिए। प्रधानमंत्री एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, मैं नहीं। प्रधानमंत्री के पास व्यापक अनुभव है; मेरे पास नहीं, लेकिन मनमोहन मॉडल ने इस देश को यह दिखाया है कि हम नौ प्रतिशत से अधिक विकास दर प्राप्त कर सकते हैं। मनमोहन मॉडल ने देश को यह भी दिखाया कि हम अपने राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत से कम कर सकते हैं और यह 2.7 प्रतिशत पर आ गया है...*(व्यवधान)* इसलिए इस मॉडल को दोषी न ठहराएं। यदि आप मनमोहन मॉडल को दोषी ठहराएंगे...*(व्यवधान)* में अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आप मनमोहन मॉडल को दोषी ठहराते हैं, तो आपको मनमोहन मॉडल की प्रशंसा भी अवश्य करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* यदि इस मनमोहन मॉडल से यह समस्या उत्पन्न हुई है, तो आपको मनमोहन मॉडल की इस बात के लिए भी प्रशंसा करनी चाहिए कि इससे भारत विश्व में दूसरी सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है।

इन शब्दों के साथ, मैं हम विधेयक को सभा में समर्पित करता हूं और सभा के सभी वर्गों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कपंनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों में पारिणामिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा द्वारा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया जाएगा।

सरकार चाहती है कि सभा द्वारा खंड 2 अस्वीकृत किया जाए। तथापि, इस खंड में संशोधन किए जाने हैं जिन्हें पहले निपटाया जाना है।

शेख सैदुल हक द्वारा संशोधन संख्या 19, 20 और 21 प्रस्तुत किए जाने हैं। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, केवल एक मिनट रूकिए। महोदय, आप खंड 2 का संशोधन कर रहे हैं। हम खंड 2 को अस्वीकृत कर रहे हैं। खंड 2 का संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसे अस्वीकृत कर रहे हैं। अतः, इन्हें खंड 2 के लिए इनके संशोधनों को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शेख सैदुल हक क्या आप अपने संशोधन संख्या 19, 20 और 21 प्रस्तुत कर रहे हैं?

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठि 2, पंक्ति 10 से 15 **के स्थान पर** निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए—

"2क. धारा 2 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी नई बैंककारी कंपनी को समामेलन, विलयन, पुनर्निर्माण, अंतरण, पुनर्गठन या अर्जन से संबंधित विषयों की बाबत निम्नलिखित के अधीन लागू नहीं होगी—"। (19)

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 ला लोप किया जाए। (20)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 का लोप किया जाए। (21)

सभापति महोदय : अब मैं शेख सैदुल हक द्वारा खंड 2 के लिए प्रस्तुत संशोधन संख्या 19, 20 और 21 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 धारा 5 का संशोधन

शेख सैदुल हक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 26 से 28 **के स्थान पर** निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,—

"(क) "अनुमोदित प्रतिभूति" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं"। (22)

सभापति महोदय : अब मैं शेख सैदुल हक द्वारा खंड 3 के लिए प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 3क

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने सभा को बताया था, हम नया खंड 3क प्रस्तुत नहीं करेंगे। मुझे इसे वापस लेना है। इसलिए, मैं नियम 80(एक) के अधीन प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं। इसलिए, नये खंड 3क को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : तो, आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अब मैं खंड 4 पर आता हूं।

खंड 4 धारा 12 का संशोधन

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 29 **के स्थान पर** रखें–

"4. मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(अ) उपधारा (1) में,–"।" (4)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 29 **के स्थान पर** रखें–

"4. मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(अ) उपधारा (1) में,–"।" (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 7 **के स्थान पर** रखें–

'(आ) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु रिजर्व बैंक क्रमिक रूप से मतदान अधिकार की अधिकतम सीमा दस प्रतिशत से बढ़ाकर छब्बीस प्रतिशत कर सकता है।"।'। (4)

शेख सैदुल हक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तावित और संशोधनों की सूची संख्या 1 में क्रम संख्या 5 पर मुद्रित संशोधन में–

"छब्बीस प्रतिशत" **के स्थान पर** "दस दशमलव एक प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

सभापति महोदय : मैं शेख सैदुल हक द्वारा खंड 4 के लिए प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया "हां" बोलें।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"।

सभापति महोदय : जो सदस्य इसके पक्ष में हों वे कृपया "नहीं" बोलें।

अनेक सम्मानीय सदस्य : "नहीं"।

...*(व्यवधान)*

शेख सैदुल हक : महोदय, मैं इस पर मत-विभाजन चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : यह क्या है? आप इस पर मत-विभाजन क्यों चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : दो संशोधनों पर हम मत-विभाजन के लिए जोर देंगें। इस मामले में आप मतदान अधिकारों की अधिकतम सीमा को दस-प्रतिशत से बढ़ाकर छब्बीस प्रतिशत कर रहे हैं।

शेख सैदुल हक : आप इस अधिकतम सीमा को दस प्रतिशत से बढ़ाकर छब्बीस प्रतिशत कर रहे हैं और इसलिए, हम दस दशमलव एक प्रतिशत पर इसे सीमित करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जाएं। अब, दीर्घायें खाली हो गई हैं।

अब महासचिव स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के बारे में सभा को बताएंगे।

महासचिव : माननीय सदस्यगण, जिन्हें अब तक विभाजन संख्या आवंटित नहीं की गई है उन्हें अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए उनके स्थान पर ही पक्ष में/विपक्ष में मतदान करने के लिए मुद्रित पर्ची दी जाएगी। सदस्य इन पर्चियों पर निर्धारित स्थान पर साफ-साफ अपना नाम और सदस्यों को दिए गए अस्थायी/स्थायी पहचान-पत्र पर दी गयी पहचान-पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और दिनांक लिखकर और हस्ताक्षर करके अपने इच्छानुसार मतदान कर सकते हैं। सदस्य, जो 'भाग नहीं लिया' रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वे इस पर्ची की मांग कर सकते हैं।

स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग मशीन की कार्य-प्रणाली:–

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:–

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

2. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्षपीठ के दोनों तरफ 'सूचना बोर्ड' पर लाल बत्ती जल रही हैं। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गई है।

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों की कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा एक 'लाल' बटन और साथ ही सीट में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बटनों में से एक बटन:—

पक्ष में	—	हरा बटन
विपक्ष में	—	लाल बटन
भाग नहीं लिया	—	पीला बटन

4. जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए और 'लाल' बत्ती 'बुझ' न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

महत्वपूर्णः माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि यदि दूसरी बार अलार्म बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है, तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

5. मत-विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बजट (पी) नहीं दबाएं।

6. माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान सूचक बोर्डों पर तथा अपने 'डेक्स यूनिट' पर देख सकते हैं।

7. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

सभापति महोदय : खंड संख्या 4 के लिए शेख सैदुल हक द्वारा प्रस्तुत सरकारी संशोधन संख्या 5 हेतु में सभा में मतदान के लिए संशोधन संख्या 29 रखूंगा।

प्रश्न यह है:

''कि श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तावित और संशोधन की सूची संख्या 1 में क्रम संख्या 5 के रूप में प्रस्तुत संशोधन में छब्बीस प्रतिशत **के स्थान पर** ''दस दशमलव एक प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाए।'' (24)

लोक सभा मत मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन **पक्ष में** **सायं 06.35 बजे**

आचार्य, श्री बसुदेव

आनंदन, श्री एम.

करुणाकरन, श्री पी.

कुमार, श्री पी.

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तिरकी, श्री मनोहर

दास, श्री खगेन

दासगुप्त, श्री गुरूदास

पाण्डा, श्री प्रबोध

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बीज, श्री पी.के.

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राय, श्री महेन्द्र कुमार

रियान, श्री बाजू बन

लिंगम, श्री पी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

सत्पथी, श्री तथागत,

सम्पत, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप गुमार

सुगुमार, श्री के.

सेम्मलई, श्री एस.

हक, शेख सैदुल

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन मोहम्मद

अडसुल, श्री आनन्दराव

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एस.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी श्री एंटो

कमलनाथ, श्री

कमांडो, श्री कमल किशोर

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कृपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खुर्शीद, श्री सलमान

गांधी सेलवन, श्री एस.

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द्र

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चांग, श्री सी.एम.

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल डॉ. संजय

जेना, श्री मोहन

जेना, श्री श्रीकांत

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डिएस, श्री चार्ल्स

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तकाम, श्री संजय

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

तिवारी श्री मनीष

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री पी. बलराम

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

पटेल, श्री देवजी एम.

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बब्बर, श्री राज

बलीराम, डॉ.

बाइते, श्री थांगसो

बापीराजू श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बाल्मीकि, श्री कमलेश

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भगोरा, श्री ताराचन्द

भुजबल, श्री समीर

भोई, श्री संजय

मणि, श्री जोस के.

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायण

मीणा, श्री रघुवीर सिंह

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैकलोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राणा, श्री जगदीश सिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री प्रेम दास

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.आर.जी.

रेड्डी, गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लाल, श्री पकौड़ी

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानन्द डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, श्री जगदीश

शानवास, श्री एम.आई.

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

सईद, श्री हमदुल्लाह

सचान, श्री राकेश

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सरोज, श्री तूफानी

सहाय, श्री सुबोध कान्त

साई प्रताप, श्री ए.

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री गणेश

*सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राधे मोहन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजैया

सुधाकरण, श्री के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री बी.के.

हुसैन, श्री इस्माइल

हेगड़े श्री के. जयप्रकाश

मतदान में भाग नहीं लिया

सरोज, श्रीमती सुशीला

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है–

पक्ष में – 27

विपक्ष में – 205

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की।
पक्ष में : 27
विपक्ष में : 205 + श्री जगदानन्द सिंह = 206
मतदान में भाग नहीं लिया : 001

प्रश्न यह है:

"पेज 3, पंक्ति 7 **के स्थान पर** रखें–

'(आ) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु रिजर्व बैंक क्रमिक रूप से मतदान अधिकार की अधिकतम सीमा दस प्रतिशत से बढ़ाकर छब्बीस प्रतिश कर सकता है।"।" (5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों खंड 4 में सरकारी संशोधन संख्या 5 को अभी स्वीकार किया गया है। संशोधन 1 संशोधन में विधेयक के पृष्ठ 3, पंक्ति 7 **के स्थान पर** नई पंक्ति अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रो. शेख सैदुल हक ने खंड 4 में संशोधन संख्या 25 को सभापटल पर रखा है, जो विधेयक के पृष्ठ 3, पंक्ति 7 का लोप करने का प्रस्ताव करता है, चूंकि यह सरकारी संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत करने से पहले से विद्यमान था, यह अब विधेयक का अंग नहीं रहा। इसलिए प्रो. शेख सैदुल हक द्वारा सभा पटल पर रख गया संशोधन संख्या 25 स्वीकार नहीं हुआ। इसलिए, मैं इस संशोधन को पेश करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 9 **नई धारा 26क का अंत:स्थापन**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7 पंक्ति 1, ऐसे अन्य प्रयोजनों के स्थान पर रखें–

"ऐसे अन्य प्रयोजनों जो निक्षेपकर्त्ताओं के हितों के संवर्धन के लिए आवश्यक हों।" (6)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"मैं, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 9 के लिए प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 9 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 नई धारा 19क का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7 पंक्ति 20 से 22 **के स्थान पर** रखें:—

"रिजर्व बैंक, किसी भी समय, किसी बैंककारी कंपनी के किसी सहयुक्त उद्यम और उसकी लेखाबहियों का अपने एक अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐसे सहयुक्त उद्यम को विनियमित करने वाले बोर्ड या प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करा सकेगा।" (7)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

मैं, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़े दिए गए।

खंड 14 धारा 51 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10, पंक्ति 4 से 8 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

14. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) में, धारा 30 की उप-धारा (1ख), (1ग) और (2)" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर से पूर्व "29क" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। (30)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"मैं, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 14 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :

"कि खंड 14 संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 धारा 56 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 23, "2011" **के स्थान पर** "2012" रखें।

पृष्ठ 11, पंक्ति 23, "2011" **के स्थान पर** "2012" रखें।

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"मैं अब श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 15 के लिए प्रस्तावित संशोधन संख्या 8 और 9 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 16 धारा 3 का संशोधन

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 14, पंक्ति 9 **के पश्चात्** निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार की किसी तत्स्थानी नए बैंक में शेयरधारण की प्रतिशतता ऐसे तत्स्थानी नए बैंक की कुल शेयर पूंजी की तुलना में संदत्त शेयर पूंजी में किसी वृद्धि या कमी के द्वारा कम नहीं होगी"। (26)

पृष्ठ 14, पंक्ति 20 से 29 का लोप किया जाए। (27)

सभापति महोदय : मैं अब शेख सैदुल हक द्वारा प्रस्तावित खंड 16 में संशोधन संख्या 26 और 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

सायं 07.00 बजे

खंड 17 धारा 3 का संशोधन

शेख सैदुल हक : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 14, पंक्ति 41 **के पश्चात्** निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार की किसी तत्स्थानी नए बैंक में शेयरधारण की प्रतिशतता ऐसे तत्स्थानी नए बैंक की कुल शेयर पूंजी की तुलना में संदत्त शेयर पूंजी में किसी वृद्धि या कमी के द्वारा कम नहीं होगी।" (28)

पृष्ठ 15, पंक्ति 14 से 23 का लोप किया जाए। (29)

सभापति महोदय : मैं अब शेख सैदुल हक द्वारा खंड 17 के लिए प्रस्तावित संशोधन संख्या 28 और 29 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 15 पंक्ति 31 से 32 **के स्थान पर रखें**—

1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)।	धारा 28 में, अपवाद 2 **के पश्चात्** निम्नलिखित अपवाद **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात:—
किसी बैंक या वित्तीय संस्था के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति।	**अपवाद 3**—यह धारा ऐसी किसी लिखित संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा कोई बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी प्रत्याभूति या प्रत्याभूति का उपबंधन करने वाले किसी करार में, उस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर जो ऐसे पक्षकार के उक्त दायित्व से निर्वापन या उन्मोचन संबंधी विनिर्दिष्ट स्थिति के होने या न होने की तारीख से एक वर्ष से कम की नहीं है, ऐसी प्रत्याभूति या करार के अधीन या उसकी बाबत उसके किसी पक्षकार के अधिकारों का निर्वापन या किसी दायित्व का उन्मोचन करने संबंधी अवधि नियत की गई हो।

स्पष्टीकरण—(i) अपवाद 3 में, ''बैंक'' पद से अभिप्रेत है—

(क) कोई ''बैंककारी कंपनी'', जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है; 1949 का 10

(ख) कोई ''तत्स्थानी नया बैंक'', जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (घक) में परिभाषित है; 1949 का 10

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित ''भारतीय स्टेट बैंक''; 1955 का 23

(घ) कोई ''समनुषंगी बैंक'', जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित है; 1959 का 38

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित'' प्रादेशिक ग्रामीण बैंक''; 1976 का 21

(च) कोई ''सहकारी बैंक'', जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गग i) में परिभाषित है; 1949 का 10

(छ) कोई ''बहुराज्य सहकारी बैंक'', जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गग iiiक) में परिभाषित है; और 1949 का 10

(ii) अपवाद 3 में, ''वित्तीय संस्था'' पद से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अर्थातर्गत कोई लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।'' 1956 का 1

2. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) — धारा 8घ **के पश्चात्** निम्नलिखित धारा **अंत:स्थापित** की जाएगी, अर्थात्:—

किसी बैंक की शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन का या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी में अंतरण का शुल्क के दायित्वाधीन न होना।

''8ङ इस अधिनियम या तत्समय प्रवृ त्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार किसी बैंक की किसी शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी में अंतरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होगा; या

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार किसी बैंक की शाखा का पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन किए जाने या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी को अंतरण किए जाने के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई लिखत, जिसके अंतर्गत किसी संपत्ति, कारबार आस्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, संविदा, अधिकार, दायित्व या बाध्यता के अंतरण की या उससे संबंधित कोई लिखत भी है, इस अधिनियम या तत्सयम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—

(i) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''बैंक'' पद से अभिप्रेत हैं—

(क) कोई ''बैंककारी कंपनी'', जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है; 1949 का 10

(ख) कोई ''तत्स्थानी नया बैंक'', जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (घक) में परिभाषित है; 1949 का 10

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित "भारतीय स्टेट बैंक"; 1955 का 23

(घ) कोई "समनुषंगी बैंक", जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित हैं; 1959 का 38

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक"; 1976 का 21

(च) कोई "सहकारी बैंक", जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गग i) में परिभाषित है; 1949 का 10

(छ) कोई "बहुराज्य सहकारी बैंक", जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गग iiiक) में परिभाषित है; और 1949 का 10

(ii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय रिजर्व बैंक" पद से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है।"। 1934 का 2

3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) — धारा 8 की उपधारा (4) में, "और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए पद धारण करेगा" **के स्थान पर** निम्नलिखित रखें, अर्थात्:—

"पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु ऐसा कोई निदेशक दो से अधिक अवधियों के लिए अर्थात् आठ वर्ष की, निरंतर या आंतरायिक रूप से, अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा"।

4. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) — धारा 9 की उपधारा (3) में, "और उसके पश्चात् जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" **के स्थान पर** निम्नलिखित रखें, अर्थात्:—

"पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परंतु ऐसा कोई सदस्य दो से अधिक अवधियों के लिए अर्थात् आठ वर्ष की, निरंतर या आंतरायिक रूप से, अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा"।

5. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) — धारा 7 की उपधारा (3) में, "और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949" का लोप करें। 1949 का 10

पृष्ठ 15 पंक्ति 33 में "2" **के स्थान पर** "6" रखें। (11)

पृष्ठ 15 पंक्ति 35 में "3" **के स्थान पर** "7" रखें। (12)

पृष्ठ 15 पंक्ति 37 में "4" **के स्थान पर** "8" रखें। (13)

पृष्ठ 16 पंक्ति 2 में "5" **के स्थान पर** "9" रखें। (14)

पृष्ठ 16 पंक्ति 6 में "6" **के स्थान पर** "10" रखें। (15)

पृष्ठ 16 पंक्ति 8 में "7" **के स्थान पर** "11" रखें। (16)

पृष्ठ 16 पंक्ति 10 में "8" **के स्थान पर** "12" रखें। (17)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, ''2011'' **के स्थान पर** ''2012'' रखें। (2)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''बंसठवें'' **के स्थान पर** ''तिरसठवें'' रखें। (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसके विरोध में हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

सायं 07.04 बजे

इस अवसर पर, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं सभा के प्रत्येक वर्ग का धन्यवाद करता हूं।

सायं 07.05 बजे

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2012 के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 29 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक को लेगी। श्री जयराम रमेश।

...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह (गाजियाबाद) : सभापति महोदय, विंटर सेशन समाप्त हो रहा है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक कोई साधारण बिल नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण बिल है। मैं समझता हूं कि ऐसे गंभीर बिल पर आनन-फानन में विचार नहीं होना चाहिए, इस पर जल्दबाजी में विचार नहीं होना चाहिए। हम लोगों की यह इच्छा थी कि यदि इस सत्र के प्रारंभ में ही सरकार के द्वारा यह बिल आ गया होता तो इस पर गंभीरतापूर्वक विस्तृत चर्चा हो गई होती और यह बिल लोक सभा और राज्य सभा से पारित हो गया हो होता। यह बिल सत्र के अंत में लाया गया है। शायद इसलिए कि सरकार की मंशा यह है कि जल्दबाजी में इस बिल को पारित करा दिया जाए...*(व्यवधान)* वैसे यह बिल आज से कई महीने पहले संसद में पेश हो चुका है।...*(व्यवधान)* लेकिन संसद ने इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा दिया था। स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपने रेकमेंडेशन्स दी हैं उनमें

[श्री राजनाथ सिंह]

से भारी रेकमेंडेशन को सरकार ने नहीं माना है। सरकार ने कुछ रेकमेंडशन्स को माना है और कुछ को नहीं माना है। जिन रेकमेंडेशन को सरकार ने नहीं माना है उन पर संसद विचार करना चाहेगी। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यदि संसद सहमत है तो या तो संसद का सत्र बढ़ा दिया जाए और लैंड ऐक्वीजिशन बिल के बारे में इसी सत्र में विचार हो अथवा स्टैंडिंग कमेटी को इसे रेफर कर दिया जाए।

हमारा तीसरा प्रस्ताव यह है कि सरकार चाहे और संसद सहमत हो तो जब बजट सत्र प्रारंभ होगा तब बजट सत्र के प्रारंभ में ही इस बिल को लाकर, इस पर विचार करके इसे जल्द से जल्द पारित किया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति जी, यह सही है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। यह पूरे देश के किसानों से संबंधित है। आपसे अनुरोध है कि हम अभी तक इसे पूरा अध्ययन नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका समय अगले सत्र तक बढ़ा दिया जाए जिससे इस पर तैयारी के साथ बहस हो सके। यह मामूली बात नहीं है।...*(व्यवधान)* आज हालत यह हो गई है कि हिन्दुस्तान की जमीन प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत कम हो रही है और जनसंख्या बढ़ रही है नतीजा होगा कि देश में पैदावार घटेगी तो देश में भुखमरी फैलेगी।...*(व्यवधान)* इसके लिए आप क्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए हम चाहते हैं कि इसे अध्ययन करने के लिए अगले सत्र तक बढ़ा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, विधेयक अधिक-से-अधिक 155 संशोधन हैं; और 14 नए संशोधन भी हैं — जो कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हैं। इन सभी संशोधनों को आज ही परिचालित किया गया है। सदस्यों को संशोधनों की प्रति पूर्वाह्न 11 बजे मिल पाई थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है; जिसे जल्दबाजी में सभा के समक्ष लाया गया है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विधेयक को सभा के समक्ष लाया जाया जाएगा। *[हिन्दी]* हमारा यही निवेदन है कि इतने महत्वपूर्ण बिल को अभी जल्दबाजी में न लाकर अगले सत्र में लाया जाए ताकि वे जो संशोधन लाए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम पूरे 155 संशोधन देख सकें, चर्चा कर सकें और उसके बाद सदन में भी चर्चा होगी और यह पारित होगा। यह हमारा निवेदन है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति जी, आपने मुझे प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोनों प्वाइंट ऑफ आर्डर हैं। एक, कल लिस्ट ऑफ बिजनस में यह बिल नहीं था, आज की लिस्ट ऑफ बिजनस में अचानक आया। आप जानते हैं कि नियम के अनुसार यदि किसी बिल में संशोधन देना है तो कम से कम एक दिन पहले देना होता है। हमें कोई संशोधन देने का मौका नहीं मिला। दूसरा, आपको पता है कि यह बिल संसदीय समिति में गया था जिनकी अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। लेनिक उस रिपोर्ट के बाद भी मंत्री महोदय 14 संशोधन लाए हैं जिनकी कोई जांच, कोई डिसकशन संसदीय समिति में नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : इससे पहले भी हमने एक बिल में यही सवाल उठाया था। चिदम्बरम साहब ने उसे वापिस ले लिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, विनती करूंगा कि आप मंत्री महोदय को बताइए कि वे बिल अभी वापिस लें या उसे फिर से संसदीय समिति में जांच के लिए भेजा जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठिए। मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : इस बारे में कमलनाथ जी रोशनी डालें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने आप को इससे संबद्ध कर सकते हैं। कृपया अपना नाम भेजिए।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : माननीय सभापति जी, मैंने जब सांसदों की बात सुनी है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। सैशन नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसमें सबकी सहमति नहीं होगी। इसलिए एक ही उपाय है कि अगले सैशन में हम इस बिल पर चर्चा करें। जैसा राजनाथ सिंह जी ने कहा है, हम इसे शुरू में लाएंगे। आपके सुझाव को स्वीकार करते हुए हम इसको अगले सेशन में पहले नम्बर पर लाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

सायं 07.11 बजे

कंपनी विधेयक, 2011

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा मद संख्या 30 को लेगी।

श्री सचिन पायलट।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

''कि कंपनियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

महोदय, यह बहुत लम्बा समय तय करके आज चर्चा के लिए आया है। मैं बड़े संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहता हूं कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभापति महोदय : मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं, कृपया आप सभी लोग शांत हो जाएं।

श्री सचिन पायलट : महोदय, कंपनीज का पहला कानून सन् 1913 में बना था, उसके बाद दूसरा कानून सन् 1956 में बना। सन् 1950 में भाभा कमेटी बनी थी और पहला कंपनीज एक्ट 1956 में लागू हुआ। तब से लेकर आज तक उस कानून में 25 संशोधन हुए और समय आ गया था कि हम लोग एक ऐसा कानून लेकर आएं जो बदलते हुए भारत की तस्वीर को सही तरह से प्रदर्शित कर सके। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सन् 1956 में जब यह कानून बना था, उस समय देश में 30,000 कंपनीज थीं और आज, वर्ष 2012 में लगभग साढ़े आठ लाख कंपनीज हैं हमारा मानना है कि जब एक कानून बनता है, यह बिल एक ऐसा बिल है, जो सदन में पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी से आने के बाद, यह पुनः विचार के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। दो बार स्टैंडिंग कमेटी की रिकॅमेंडेशन्स आईं और दोनों बार हमने उनको कुबूल किया है। इस बिल के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की 193 रिकॅमेंडेशन्स थीं, जिनमें से 186 रिकॅमेंडेशन्स हमने पूरी तरह मानी हैं। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि जब यह बिल बन रहा था, उस समय न सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, तमाम लोगों से हमने जानकारी और सुझाव प्राप्त किए और एक ऐसा बिल बनाने की हमने कोशिश की है, जो आने वाले बहुत लम्बे समय तक गवर्नेंस का रास्ता बनाकर देगा। ऐतिहासिक तौर पर गवर्नेंस सिर्फ सरकार कके तहत देखा जाता था, लेकिन जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा मुद्दा बना है, जिसे समय से पहले हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। गुड कॉर्पोरेशन गवर्नेंस एक ऐसा विषय है, जो दुनिया भर में प्रैक्टिस होता होगा, लेकिन भारत की, इस देश की यूनिक जरूरतों के ऊपर हमें प्रकाश डालना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, बहुत लम्बा बिल है और यह बिल कई वर्षों का सफर तय करके आया है।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को कहें कि वे अपनी सीट पर बैठ जाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट : इस विधेयक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से लिया गया है। मैं इस विधेयक के कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर ही प्रकाश डालूंगा और जब मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों तथा टिप्पणियों का जबाव दूंगा तब हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

[श्री सचिन पायलट]

महोदय, विकास देश के लिए महत्वपूर्ण और मेरा मानना है कि विकास दीर्घकालिक, सतत् और न्यायसंगत होना चाहिए, परंतु सबसे अहम बात यह है कि विकास विश्वसनीय भी होना चाहिए। इसलिए, इस देश को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर है, परन्तु इसके साथ ही मेरा यह भी मानना है कि इस देश की कॉर्पोरेट कंपनियों, निजी कंपनियों, उद्यमों, उद्यमियों की भी इस देश को समृद्ध और इसे विकास की राह पर आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका है। इसलिए महोदय, इस विधेयक में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय को भी लिया गया है।

मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अध्ययन किया है और हमने यह पाया है कि दुनिया में मात्र दो देश ऐसे हैं, जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) जैसा विनियमन है। ये देश फ्रांस और इंडोनेशिया हैं। लेकिन मेरा मानना हे कि भारत में हमारे पास ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियां होंगी, जो सार्थक रूप से अपना योगदान देगी और ऐसा हुआ तो ऐसा पहली बार होगा और शायद भारत पहला ऐसा देश होगा, जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक सविधि के रूप में होगा। इस विषय को इस विधेयक में शामिल कराने के लिए काफी जोर लगाने के लिए मुझे वास्तव में वित्त संबंधी स्थायी समिति और इसके सदस्यों का धन्यवाद करना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान शामिल है। अब कतिपय श्रेणी की कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने शुरू लाभ का 2 प्रतिशत हिस्सा उन समुदायों में लगाएं, जिनमें वे काम करती हैं। यह इसलिए है क्योंकि प्रत्येक कंपनी, चाहे वह विनिर्माण या उत्पादन कंपनी हो, कुछ निश्चित क्षेत्रों में कार्य करती है और हम ऐसा मानते हैं कि इन कंपनियां को समाज को वापस भी लौटाना चाहिए। करों का भुगतान करना कंपनी का उत्तरदायित्व है, लेकिन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को उनके कार्यों के एक हिस्से के रूप में अपनाने में मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इससे समाज में जागरुकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमने देश में बहुत बड़ा विभाजन देखा है, अमीरों और गरीबों के बीच विभाजन बढ़ता ही जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी समझ को बढ़ाएं। ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनियां स्वयं आगे बढ़े और दिखाएं कि वे जिम्मेदार हैं और समाज के प्रति संवेदनशील है और वे समाज को लौटाना चाहती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व इस विधेयक का अनिवार्य भाग बन गया है।

महोदय, हमने स्व-विनियमन पर भी जोर दिया है। हमने कार्यकरण में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया है। इस विधेयक में हमने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि संबंधित नियमों और विनियमों का पालन कंपनियों द्वारा अवश्य किया जाए।

दूसरी बात बोर्ड के सदस्यों के पारिश्रमिक से संबंधित है। ज्यादातर हम देखते हैं कि तेजी से संचार माध्यमों टेलीविजन और समाचार-पत्रों के बढ़ने के कारण और देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि इन कंपनियों के द्वारा जो लागे बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं, उन्हें उनकी सेवाओं के लिए अत्यधिक उच्च पारिश्रमिक मिल रहा है। इस विधेयक में इस संबंध में उपबंध किया गया है। पहले, अधिनियम में यह उपबंध था कि 11 प्रतिशत लाभ अधिकतम राशि है जिस बोर्ड के सदस्यों को सामूहिक रूप से पारिश्रमिक के रूप में बांटा जा सकता था। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि यदि कंपनी अपने बोर्ड के सदस्यों को बहुत सारा पैसा देनी चाहती है, तो दे सकती है, लेकिन उन्हें अपने अंशधारियों की सभा में यह बताना पड़ेगा और उन्हें अपने खातों में यह भी दर्शाना होगा कि एक कर्मचारी की औसत आप क्या है। कर्मचारी की औसत आय और बोर्ड के सदस्य को आय के रूप में दी गई राशि को भी सार्वजनिक रूप से दिखाना पड़ेगा ताकि समतुल्यता और प्रकटीकरण, बना रहे।

महोदय, इस विधेयक में हमने अंशधारियों की सुरक्षा पर अत्यधिक जोर दिया है। जैसा कि आपको विदित है कि विगत समय में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले हुए हैं। मुझे लगता है कि हर बार जब हम किसी धोखाधड़ी के बारे में सुनते है, तो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं; हम जांच करने लग जाते हैं; एक प्रयास करते हैं और दोषी पक्ष का पता लगाने का प्रयास करते हैं और सभी एजेंसियां ऐसे कृत्यों के होते ही कार्य करना शुरू कर देती है। हमारा मानना है, कि आज हमारे पास तकनीक उपलब्ध है और धोखाधड़ी होने से पहले उनका पता लगाया जाना चाहिए। हम तकनीक और डेटा-बेस का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि धोखाधड़ी होने से पूर्व ही हम उन संवेदनशील स्थितियों का पता लगा सके जहां धोखाधड़ी होने की संभावना है। इन धोखाधड़ियों के बारे में मुझे सबसे ज्यादा दुःख उन लोगों के लिए होता है जो अपना पैसा निवेश करते हैं। लेकिन यह सर्वविदित है कि जिन लोगों के पास अच्छे संसाधन है वे अच्छे बैंकरों; अच्छे वकीलों; अच्छे एकाउटेंट्स की सहायता से और न्यायालयों में जाकर एवं विभिन्न तंत्रों के माध्यम से अपना पैसा वापस हासिल कर सकते हैं लेकिन हमें उन लोगों की चिन्ता होती है जो कि छोटे निवेशक है, सेवानिवृत्त व्यक्ति है जिनकी छोटी सी पेंशन है और जब वे 10,000 रु. या 20,000 रु. प्रतिशत, 30 प्रतिशत या

40 प्रतिशत लाभ का वावदा करती है और उनका पैसा लेकर रातोंरात भाग जाती है, यह विधेयक व्यापक रूप से उन कंपनियों से निपटने में सक्षम होगा जो कि धोखाधड़ी विशेष रूप से छोटे निवेशकों के साथ करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश में मध्यम वर्ग का हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास है। इसलिए, विनियमन किए जा रहे हैं ताकि धोखाधड़ी से पूर्व ही धोखेबाजों का पता चल सके। वास्तव में में धोखाधड़ी छोटे निवेशकों के साथ ज्यादा हो रही है, जहां हमें देश के किसी भी भाग में छोटे निवेशक के हित की रक्षा करनी होगी।

कंपनियों में काम करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम उनके हित भी सुनिश्चित कर रहे है, श्री दास गुप्ता यहां है। अंशधारी महत्वपूर्ण है। प्रबंधन महत्वपूर्ण है। लेकिन, मुझे लगता है कि कर्मचारी और वेतन प्राप्त करने वाले लोग भी महत्वपूर्ण है। एक लंबी सूची है जिसे मैं पढ़ सकता है जिसमें हमने इस पहलू पर ध्यान दिया है। मैं इस विधेयक का केवल एक भाग पढ़ना चाहूंगा जो कि इस तथ्य को प्रमाणित करेगा। इसमें उल्लिखित है कि कंपनियों को उसमें काम करने वाले लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। कर्मचारियों की मजदूरी एवं वेतन दो वर्ष के लिए देय होगी, सुरक्षित रहेगी यदि कंपनी बंद हो रही हो और क्या भुगतान ऋणदाताओं सहित अन्य सभी दावों से प्रभावित नहीं होगा। इन लोगों के वेतन और मजदूरी को हमें सुरक्षित करना होगा। मैं आगे की चर्चा में अन्य प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक बता सकूंगा।

हमने मिलीभगत के मामले भी देखे हैं। हमने सत्यम में लेखा-परीक्षकों को प्रबंधन से मिलीभगत करते हुए और फिर अंशधारकों का बहुत सा धन लूटते देखा है। इस विधेयक में, हमने यह प्रावधान भी किया है कि एक लेखा-परीक्षक एक ही कम्पनी की लेखा-परीक्षा पांच वर्षों से अधिक समय तक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मानना हे कि तब संबंध बहुतत सहज हो जाते हैं और वे बहुत सी कपटपूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देने में समर्थ हो जाते हैं।

यह विधेयक जांच के अधीन व्यक्तियों की सम्पत्तियों का प्रयोग निषिद्ध करने और कुर्की करने का प्रावधान करता है। इसलिए, जब कंपनियां जांच के अधीन होती है और जब कोई व्यक्ति अधिकरण के अनुमोदन से कुछ धन वसूल करने के लिए प्रयास कर रहा होता है और उस सम्पत्ति को बेच देता है, तो हम उन सम्पत्तियों का प्रयोग निषिद्ध करने और कुर्की करने में समर्थ हो जाएंगे।

हम गंभीर धोखाघड़ी जांच कार्यालय को वैधानिक दर्जा भी दे रहे हैं। एसएफआईओ को वैधानिक दर्जा भी दे रहे हैं। एसएफआईओ एक संस्था है, जो हमारे देश के सभी झागों में होने वाली धोखाधड़ी की जांच करती है। परन्तु यह समझना महतवपूर्ण है कि एक बार जब कम्पनी विधेयक कानून बन जाएगा, तो यह उन लोगों को एक सुकून का भाव देगा, जो भारत को निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है क यह मंत्रालय एक सामर्थ्यकारी मंत्रालय बनेगा ताकि निवेश का वातावरण तैयार हो सके।

महोदय, आज सब यह बात समझते हैं कि हम देश में युवाओं के लिए नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है और नौकरियां सृजित करने के लिए, हमें निवेश चाहिए। सब यह भी जानते हैं कि अकेली सरकार नौकरियां प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए, आने वाली और निवेश करने वाली निजी संस्थाएं नौकरियां सृजित करेंगे और हमें ऐसा वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए, जहां निवेशों को लेकर एक डर हो।

जब मैंने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में बात की, मेरी सभी उद्योग चैम्बरों के साथ एक बैठक हुई, और मैंने बताया कि यह विधेयक हम अच्छी नीयत से ला रहे हैं। ईमानदारी से कहूं, तो महोदय, हमें यह कहते हुए कुछ सुझाव दिए गए थे कि विधेयक और कठोर होना चाहिए, कॉर्पोरेट सीएसआर से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, लोग आंकड़ों में हेराफेरी का प्रयास करेंगे वे समुदाय की सहायता के प्रयास में यह सब नहीं करेंगे। उन्हें मेरा जबाव यह था कि इस देश के नागरिक उतने ही भारतीय हैं और इस देश में सुधार लाना चाहते हैं। इसलिए, हमें कानून को अच्छी नीयत से लेना चाहिए, यह आशा करते हुए और मानते हुए कि उनका उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य समान है। हमें कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहिए जिन्हें हम समुदायों क्योंकि यह उनके लिए ग्राहक आधार होते हैं, में नवेश करने हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता देते हैं। इस राजस्व को वे एकत्रित करेंगे। इसलिए, कम्पनियों को भी सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। पर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, स्थायी समिति में और सरकार में इस बात को लेकर सर्वसम्मति है कि अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए 2 प्रतिशत होना चाहिए, जोकि कंपनियां स्वयं करेंगी।

महोदय, कुछ कंपनियों को डर था। उन्हें डर था कि इससे इंस्पेक्टर राज हो जाएगा और बहियों का निरीक्षण होगा। इसलिए, हमने कहा है कि वे धन खर्च कर सकते हैं, स्वयं रिपोर्ट करें और इसे परियोजना प्रेरित बनाएं और एक नमूना होगा, जिसे हम वेबसाइट पर डाल देंगे, जहां पूरा देश और विश्व यह देख सकता है कि कोई कंपनी किस प्रकार की सीएसआर गतिविधि चला रही है।

हम यह भी समझते हैं कि कभी-कभी, इस देश के लोगों ने कहा है कि एक कंपनी खोलना बहुत आसान है, पर इसे बंद करना

[श्री सचिन पायलट]

लगभग असंभव है। एक कंपनी को बंद करने के लिए हमें माननीय उच्च न्यायालय के पास जाना होता है। इसमें एक राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण बनाने का भी प्रावधान है, जो कंपनियों को बंद करने सहित बहुत से मामले देखेगा। इस विधेयक में अनेक नये खंड और अनुसूचियां हैं। हमने अब एक व्यक्ति वाली कंपनी के बारे में भी सोचा है। हमने अब एक व्यक्ति कंपनी के लिए कतिपय प्रतिबंध हटाए हैं। एक-व्यक्ति कंपनी बनाने की यह एक नई अवधारणा है। इससे युवाओं को आगे आने के लिए अपने उद्यमिता कौशल को दिखाने और हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश करने की पर्याप्त अवसर मिलेगा।

मैं शुरुआत में बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, पर यह कहना पर्याप्त होगा कि यह विधेयक अनेक वर्षों से बन रहा है। इस संबंध में स्थायी समिति की बहुत सी सिफारिशें हैं और लगभग 98 प्रतिशत सिफारिशें पूरी तरह स्वीकार की जा चुकी हैं। मुझे आशा है कि इस विधेयक को इस सभा के सभी वर्गों से समर्थन मिलेगा। वस्तुत: यह विधेयक एक भविष्योन्मुखी भारत का पथ प्रशस्त करेगा, जहां अच्छा कॉर्पोरेट नियंत्रण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तदायित्व निवेश, नौकरियों का सृजन, विकास होंगे और अनुपालन भी होगा। सभी लोगों को यह पता है कि यदि कंपनियां धोखाधड़ी कर रही है तथा लोगों का पैसा लेकर विनियमों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं तो हमें उन पर कठोरता से कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक ओर जब हम कंपनियों पर यह कठोर विधान लागू करते हैं। तो हमें उनके विश्वास को बढ़ाना होगा तथा इतनी जगह प्रदान करनी होगी कि उन्हें भारत में विश्वास हो। अभी वित्त मंत्री भारत के आर्थिक विकास के बारे में कह रहे थे। इस विकास को आगे बढ़ाना होगा। मेरा मानना है सरकार, नागरिक एवं निगमित क्षेत्र के बीच गठ-जोड़ इस सीमा तक पहुंच गया है जहां इमें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए।

मैं यह भी मानता हूं कि जब आप एक विधि बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति सभी परिस्थितियों के लिए विधान नहीं बना सकता है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए विधि बना रहे हैं कि इस 60 वर्ष पुराने विधेयक को भविष्योन्मुखी विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। यह विधेयक मेरे विचार से निगमित क्षेत्र के और ज्यादा पारदर्शी कार्यकरण को बढ़ावा देगा। हमारे पास बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रखने के उपबंध हैं। कतिपय वर्ग की कंपनियों के बोर्ड में कम-से-कम एक महिला निदेशक रखना अनिवार्य होगा ताकि महिलाओं को कतिपय वर्ग की कंपनियों में कुछ प्रतिनिधित्व मिलेगा।

मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। काफी समय हो चुका है। लेकिन मैं सभा के सभी पक्षों से समर्थन की आशा रखता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए जाने वाली सभी सुझावों को शामिल करने तथा उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की हर संभव कोशिश करूंगा। यहां तक कि जब यह विधि बन जाती है, जब नियम संबंधी प्रारुप तैयार किए जाते हैं, उस चरण में भी मैं इस विधान के पारदर्शी कार्यकरण को बनाए रखूंगा, संसद सदस्यों सहित सभी हितधारकों को आमंत्रित करूंगा। इस बहस में आप सभी का योगदान तथा भागीदारी रिकॉर्डिंग का हिस्स बनेगी तथा मैं इस विधेयक को पारित कराने में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की आशा रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कम्पनियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवकुमार उदासी (हावेरी) : सभापति महोदय, मैं इस स्थान से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है। अनुमति दी जाती है।

श्री शिवकुमार उदासी : सर्वप्रथम, मैं कंपनी विधेयक, 2011 पर चर्चा शुरू करने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद अर्जित करता हूं। मैं हमारी नेता श्री सुषमा स्वराज तथा श्री यशवंत सिन्हा को भी कंपनी विधेयक, 2011 पर चर्चा शुरू करने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। चर्चा शुरू करने के पूर्व, मैं हमारे युवा तथा सक्रिय मित्र, श्री सचिन पायलट को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री बनने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं उन्हें अपने मंत्रालय को संभालने में सफलता की कामना करता हूं।

कंपनी विधेयक, 2011 के विपक्ष पर आते हुए, कंपनी विधेयक पहली बार 1956 में अधिनियमित किया गया था। गत 55 वर्षों में इसमें 25 बार संशोधन किए गए। उस समय, जैसा माननीय मंत्री उल्लेख कर रहे थे, 30,000 कंपनियां थीं। लेकिन अब हमारे पास साढ़े आठ लाख से ज्यादा कंपनियां हैं। 1991 के पश्चात् भारत में कई परिवर्तन हो चुके हैं। मैं आपकी याद को यह कहकर ताजा करना चाहता हूं कि जब 1956 में कंपनी विधेयक शुरू किया गया था, इस देश की अर्थव्यवस्था का साम्यवादी झुकाव था, अगले दो दशक में इसका समाजवादी दृष्टिकोण था; उदारीकरण के बाद, अर्थात् 1991 के बाद हम सभी जानते हैं, यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था है तथा इसका पूंजीवादी दृष्टिकोण है। हम सभी इसे जानते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने उदारीकरण के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। इसने गत दो दशकों में वृहत विस्तार तथा विकास देखा है। अतएव निगमित क्षेत्र के विनियामक क्षेत्र में परिवर्तन विनियामक सामंजस्य, बेहतर कॉर्पोरेट शासन, अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकी सुधार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए काफी आवश्यक हो गया है। 2009 में तैयार किया गया कंपनी विधेयक कंपनी विधेयक, 2011 बन गया है।

क्या यह केवल क्रमिक विकास है या विकृत विकास? मेरे अनुसार सच्चाई कहीं बीच में है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में कई बड़े राष्ट्रीय घोटालों को देखते हुए यह काफी गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार होगा यदि कंपनी विधान को इस विकृत विकास का सामना करने लायक नहीं बनाया जाता है। अनुभव दर्शाता है कि केवल कानून परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए उस दिन अर्थात् अंतिम शुक्रवार को माननीय मंत्री ने कहा था कि ढाई लाख कंपनियों ने अपना वित्तीय विवरण नहीं दिया है। कंपनी विधेयक, 1956 के खंड 2011, और कंपनी विधेयक, 2011 के खंड 129 के अनुसार सभी कॉर्पोरेट का वित्तीय विवरण विनियमित लेखा परीक्षा खातों के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को दिया जाना चाहिए। इसलिए कानून मात्र को बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका प्रभावी कार्यान्वयन अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह स्वाभाविक ही है कि हम नए कंपनी विधेयक को विद्यमान विधेयक की तुलना में हर संबंध में बेहतर पाएं। परन्तु यदि ऐसा करना है तो आइए उदीयमान भारत को चुनौतियों का सामना करने के लिए यह नया विधान कैसे बनाया जाए और इस पर रचनात्मक और आत्म विश्लेषी चर्चा करें।

नए कंपनी विधेयक में 29 अध्याय, 470 खंड हैं और 470वें खंड में 7 अनुसूचियां और 15 मुख्य विशेषताएं है। इसलिए, 1956 के विधेयक जिसमें 700 धाराएं हैं की तुलना में तथापि वास्तविकता में, यदि हम लाए जाने वाले नियमों की संख्या को भी हिसाब में लें तो नए कंपनी विधेयक में अधिक उपबंध होंगे। मंत्रालय द्वारा विधेयक में सूचीबद्ध न्यूनतम 350 मदों पर नियम तैयार किए जाने हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि नए कानून में वस्तुत: 1000 या इससे अधिक उपबंध हों।

जहां तक कि स्थायी समिति की रिपोर्ट का संबंध है, माननीय मंत्री बता रहे थे कि अधिकरत सिफारिशें मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ऐसी 10 और सिफारिशें हैं जो या तो स्वीकार नहीं की गई हैं या अंशत: स्वीकार की गई हैं; 2000 के विधेयक में सम्मिलित नहीं किए गए 21 नए प्रस्ताव स्थायी समिति को भेजे गए थे और इन्हें सिफारिशों और विधेयक में सम्मिलित किया गया था। मंत्रालय द्वारा की तिथि को नियम विहित किए जाने चाहिए। कानून को समेकित करने का उद्देश्य प्राप्त करना कठिन होगा, यदि इतने अधिक नियम विहित किए जाने हों। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि ये नियम कब और कैसे तैयार किए जायेंगे। मंत्रालय संसदीय स्वीकृति लिए बिना कंपनी कानून को परिवर्तित करने में समर्थ होगा। इतनी बड़ी मात्रा में अधीनस्थ विधान के परिणामस्वरूप मंत्रालय में नौकरशाहों को और अधिक शक्ति प्राप्त होंगी। अधिनियम को संक्षिप्त करने की चिन्ता में कानून के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और संबंधित पार्टी की परिभाषा कंपनियों की ऐसी श्रेणी जिनके पास सहायक कंपनियां हो सकती हैं और सहायक कंपनियों की संख्या, डिबेन्चर ट्रस्टी के कर्त्तव्य इत्यादि को नियमों में विहित करने के लिए छोड़ दिया गया है। यहां मुझे आशंका है कि यदि हम नियम नहीं बना रहे हैं तो क्या होगा। माननीय मंत्री को प्रारुप नियमों के पूर्व-प्रकाशन के संबंध में वित्त मंत्री से संकेत लेना चाहिए, ताकि सभी हितधारी अपने विचार दे सकें, नियमों को बनाने से पूर्व आपको प्रारुप का पूर्व-प्रकाशन कराना ही होगा ताकि सभी हितधारक अपने विचार और मत दे सकें। तो सरकार सीधे इन नियमों को अधिसूचित कर सकती है।

विधेयक के खंड 469 में किसी पूर्व-परामर्श का कोई उपबंध नहीं है। मैं सरकार और मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष कर संहिता में जीएएआर प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा सभी हितधारकों के साथ चर्चा के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए ताकि उपबंधों को अंतिम रूप में तय करने से पूर्व इनकी चिंताओं को संज्ञान में लिया जा सके। आपको उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि इस पर सहमत बनाई जा सके।

माननीय मंत्री ने विधेयक को लाते समय कहा था कि वे सभी हितधारकों की सहमति का ध्यान रखेंगे; इसे पारदर्शी ढंग से करेंगे। मैं इसकी सराहना करता हूं। उन्हें एक बात और स्पष्ट करनी होगी, यदि आप हितधारकों को अधिक समय देंगे, तो हितधारकों द्वारा जानकारी दी जा सकती हैं, इसलिए दोषारोपण का कोई अवसर ही नहीं होगा। अन्यथा आपको इसके लिए दोषी माना जाएगा।

मैं सरकार द्वारा 2011 विधेयक में की गई कुछ समय विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनकी सराहना की जाती है। इसमें ई-गवर्नेंस सम्मिलित है, कंपनियों की ओर से संवर्धित उत्तरदायित्व के साथ पहली बार सीएसआर की अवधारणा को प्रारंभ किया जा रहा है। महिला

[श्री शिवकुमार उदासी]

निदेशक संबंधी उपबंध है। 11 मई, 2010 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण की अवधारणा है निदेशक का संरक्षण। गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिकारी (एसएफआईओ) को पहली बार सांविधिक दर्जा मिल रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस संबंध में, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

मंत्री महोदय पारदर्शिता के बारे में बोल रहे थे। इसलिए विधेयक, 2011 के खंड 29 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों और कम्पनियों के ऐसे वर्ग, जो विहित की जाएं कि लिए प्रतिभूतियों का डी-मेट रूप में होना अनिवार्य हैं जो अन्यों के लिए वैकल्पिक है। यह खंड इस बात को अनिवार्य बनाता है कि लोक प्रस्थापना करने वाली सभी कंपनियों और विहित कंपनियों का अन्य खंड डी-मेट रूप में प्रतिभूतियां जारी कर सकती हैं। क्योंकि ये बेहतर कॉर्पोरेट उपाय हैं, जो प्रतिभूतियों के गुम होने से संबंधित धोखाधड़ी को समाप्त करेंगे, अतः मंत्रालय समबद्ध तरीके से इस खंड को सभी कंपनियों पर लागू करना चाहिए। जैसा कि सरकार ने अन्य अनेक मामलों में किया है, सरकार को एक समय-सीमा निर्धारित क़रने दीजिए, ताकि सभी कंपनियों के पास डी-मेट शेयर प्रमाणपत्र हों।

खंड 326 के संबंध में जहां तक खंड 326 का संबंध है वे कर्मकारों के बकायों और किसी कंपनी के परिसमापन होने की स्थिति में प्रतिभूत लेनदारों को शोध्य ऋणों का अध्यारोही अधिकारी संदाय करने के बारे में कह रहे थे हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कर्मकारों के वेतन और मजदूरी का केवल दो वर्ष की अवधि तक का भुगतान करने के निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे और यह किस प्रकार व्यवहारिक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि कोई कंपनी बंद हो रही है, तो वह कंपनी दो वर्ष का अग्रिम वेतन कैसे दे सकती है तथा उन्होंने दो वर्ष निर्धारित करने का निष्कर्ष कैसे निकाला? इन मुद्दों के संबंध में मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

इस विधेयक में वर्तमान में कंपनी विधि बोर्ड द्वारा प्रयोग की जा रही कतिपय शक्तियों को केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने का भी उपबंध कंपनी विधि बोर्ड जैसे अर्द्ध-न्यायिक निकाय से कतिपय शक्तियों को कार्यपालिका को हस्तांतरित करने के भी अनजाने परिणाम होंगे। यदि पिछले अनुभवों के अनुसार भी चला जाए तो भी संबंधित अधिकारियों द्वारा लालफीताशाही के माध्यम से इस शक्ति का दुरुपयोग किए जाने की पूरी संभावना है। नौकरशाहों के पास भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कीमत निर्धारित करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी। नौकरशाहों द्वारा प्रस्तावित विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को व्यापक मार्गनिर्देशों के माध्यम सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मंत्रालय में नौकरशाहों द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए ये मार्गनिर्देश बहुत महत्वपूर्ण हैं।

एसएफआईओ के बारे में, मैं यह कहना चहता हूं कि यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसका उद्देश्य गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय नामक संस्था में सुधार लाने और इसे सांविधिक दर्जा और विहित शक्तियां देकर जांच तंत्र को मजबूत बनाना है। गिरफ्तार करने की शक्ति उन्हें न केवल इस पर गंभीरतापूर्वक कार्य करने की आजादी देगी, बल्कि साथ ही अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को मिटाने से रोकने में भी मदद करेगी। मंत्रालय ने कहा है कि खंड 211(2) में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की स्थापना में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का प्रमुख एक निदेशक होगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जो बैंककारी, कॉर्पोरेट कार्य, कराधान, न्यायालायिक संपरीक्षा, पूंजी बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी विधि या ऐसे अन्य क्षेत्र, जो विहित किए जा सकें, के क्षेत्र में योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव रखते हों।

मैं यह समझ नहीं पा रहा कि यह कार्यालय ऐसे लोगों को किस प्रकार खोजेगा, ऐसी क्षमता कहां है और आप इस पर कैसे नियंत्रण करेंगे। मंत्री महोदय द्वारा इन गंभीर मुद्दों को स्पष्ट किया जाना है। कानून बनाना ही काफी नहीं होगा। हमें यह देखना होगा कि आप अधिकारियों को कैसे लेंगे; आप उन्हें प्रतिनियुक्ति पर कैसे लेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे विभाग से आता है, तो वह वहां पर कुछ समय रहेगा और उसके बाद चला जाएगा। इस संबंध में मेरी चिंता यह है कि यह कितना प्रभावी होगा और यह कानून बनाना मंत्रालय के लिए किस प्रकार चुनौतीपूर्ण होगा।

अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक को पृथक-पृथक करने के बारे में खंड 203 में यह उल्लेख किया गया है कि अगर कंपनी के अनुच्छेद में अन्यथा यह उपबंध न हो यह अनिवार्य है। अन्यथा इससे कंपनी को बच निकलने का एक आसान रास्ता मिल जाता है। एक बेहतर शासन व्यवस्था के लिए यह अपेक्षित है कि इसे कॉर्पोरेट की स्वेच्छा पर छोड़ने के बजाए शक्तियों के विभाजन हेतु संविधि में उपबंध होना चाहिए। इसे इसमें अनिवार्य बनाया जाए,

लेकिन यह खंड के माध्यम से होना चाहिए, अन्यथा वे इस रास्ते से बच निकलेंगे। मैं खंड 203 पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

महोदय, अनुसूची चार के साथ पठित खंड 149 विधि में बेहतर व्यवहार विधानन का एक प्रयास है। प्रक्रिया के कुछ खंड वास्तव में असंगत हैं। उदाहरणार्थ भूमिका और कार्यों से संबंधित एक खंड में यह उपबंध है कि स्वतंत्र निदेशक पणधारकों के विवादास्पद हितों को संतुलित करेगा। आजकल, कम मांग के दिनों में छोटी फर्म का निदेशक कर्मचारी के संरक्षण के स्थान पर कम्पनी के हितों के संरक्षण के लिए एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बारे में सोचेगा। मंत्रालय ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए श्री आदि गोदरेज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने 18 सितम्बर, 2012 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी की:

''सुशासन थोपा नहीं जा सकता। यह बदली हुई सामाजिक संस्कृति में से उभरना चाहिए, जिसे सक्षम और समर्पित निदेशकों और कार्यकारियों द्वारा निगम के स्तर तक लाया गया हो।''

अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति की रिपोर्ट मंत्रालय पहुंच गई है और क्या आपने समिति द्वारा दिए गए कोई सुझाव इस विधेयक में शामिल किए हैं। मैं यह स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। एक ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है जिसमें समर्थ और समर्पित स्वतंत्र निदेशक बोर्ड प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकें और उनके प्रयासों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। इस संबंध में, यहां यह जानना उचित रहेगा, कि विधेयक का खंड 197(7) स्वतंत्र निदेशकों के स्टॉक विकल्पों को निषिद्ध करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशा-निर्देश स्वतंत्र निदेशकों को ईएसओपी की अनुमति देते हैं। ईएसओपी संबंधी वैश्विक व्यवस्थाएं स्वतंत्र निदेशकों को स्टॉक विकल्प की अनुमति देती हैं, पर स्वतंत्र निदेशकों से अंशधारक मूल्य सृजन में योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, कोई भी ऐसा पारिश्रमिक तंत्र, जो उनके पारिश्रमिक को मूल्य सृजन से अलग करता है, अंशधारक मूल्य सृजन में योगदान देते हुए वृहत्तर भूमिका का निर्वाह करने से उन्हें हतोत्साहित करेगा। यह एक विचारणीय बिन्दु है और इसके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए।

जब बात कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की आती है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत में सीएसआर की वर्तमान समझ प्रासंगिक और पर्याप्त है। इस समय यह एक बड़ा सवाल है। भारत में सीएसआर कार्यक्रमों के लिए कौन-कौन सी विभिन्न वितरण प्रणालियां हैं? मूलत: हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि सीएसआर, व्यवसाय उत्तरदायित्व और उत्तरदायी व्यवसाय आचरण के मध्य कौन से अंतर है? देश में इसके प्रचालन के लिए एक सहायक नीति वातावरण का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है?

महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि यह पहली बार है जब हमारे देश में सीएसआर शुरू किया जा रहा है। भारत में सीएसआर सरकार, नागरिक समाज और व्यापारी समुदाय के मध्य बहस का विषय है और यह प्रश्नों का उत्तर देने से कहीं अधिक प्रश्नों को उठा रहा है। विभिन्न पक्षों ने इस मुद्दे को अलग-अलग तरीके से उठाया है, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ है। इन चर्चाओं में इतनी विविधता है कि बहुत से श्रोता, जिनमें मैं भी हूं, भ्रमित हैं। सीएसआर क्या है? इसका वितरण किस प्रकार किया जाना है? कैसे हम इसे जोड़ने जा रहे हैं? इसे कैसे समर्थ बनाया जा सकता है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किसी के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। हमारे देश में सीएसआर कितना व्यावहारिक होगा? यदि आप कॉर्पोरेट क्षेत्र पर स्व-नियमन लागू कर रहे हैं तो यह किस प्रकार काम करेगा? माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पणधरक सीएसआर के बारे में शिकायत कर रहे थे। इसलिए, हम यह जानना चाहते हैं कि इसे कैसे वितरित किया जा सकता है और इसे कैसे एकीकृत किया जा सकता है? भारत में सीएसआर के विषय पर लंबा विकासात्मक इतिहास है। इसका प्रमाण चौथी शताब्दी ई.पू. में कौटिल्य से लेकर आधुनिक भारत में जमशेदजी टाटा, तक महात्मा गांधी से नारायणमूर्ति आदि तक महान विचारकों और दूरदर्शी नेताओं के शब्दों में मिलता है। दरअसल, अब तक लोग सीएसआर से अनभिज्ञ ही थे। पर आज यह हर किसी के लिए चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से एक है।

व्यवसाय निश्चित रूप से धन सृजन के लिए जिम्मेदार है, पर इसकी आर्थिक और विधिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त व्यवसाय या अन्य किसी कारण से पैदा हुई सामाजिक समस्याओं के प्रति भी इसकी जिम्मेदारियां हैं। कॉर्पोरेट गतिविधियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनसे समाज और लोगों को परेशानियां कम हों और लाभकारी परिणाम अधिक मिल सकें। जब समाज व्यवसाय के संचालन के लिए लाईसेंस देता है, तो यह उचित ही है कि व्यवसाय धन सृजन के साथ-साथ समाज की सेवा भी करता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री शिवकुमार उदासी : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा, यह प्रथम बार है कि वे सीएसआर ला रहे हैं। इसलिए, मेरा मत है कि सीएसआर पर विचार-विमर्श पर जोर दिया जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे दो मिनट का समय और प्रदान करें।

महोदय, अनेक प्रसिद्ध वैश्विक संस्थाओं द्वारा सीएसआर को अनेक तरह से परिभाषित किया गया है। सबसे व्यापक परिभाषाओं में से एक को 1998 में वर्ल्ड बिजनेस, काउंसिल, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जोकि सतत् विकास मुद्दों पर व्यवसाय की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध 200 अग्रणी वैश्विक व्यवसायों का संघ है, द्वारा गयां था।

इस परिभाषा के अनुसार, सीएस द्वारा, व्यावसाय द्वारा नैतिक रूप से आचरण करने कार्य बल और इनके परिवारों सहित स्थानीय समुदाय और व्यापक स्तर पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सतत् प्रतिबद्धता है।

2011 में, यूरोपीय संघ ने समाज पर प्रभाव हेतु उद्यमों का उत्तरदायित्व के रूप में सीएसआर की काफी सरल परन्तु अधिक व्यापक परिभाषा को अपनाया, इसने सीएसआर की इससे पूर्व 2001 की परिभाषा का स्थान लिया, एक ऐसी अवधारणा, जिसके द्वारा कंपनियां अपने व्यवसाय प्रचालनों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं तथा अपने अंशधारकों के साथ बातचीत, को स्वैच्छिक आधार पर समेकित करती हैं।

नई परिभाषा, पूर्व परिभाषा में प्रभाव पर बल की तुलना में सीएसआर नीतियों और पद्धतियों में सतत् विकास के सभी आयामों को सम्मिलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। एक मुख्य अंतर यह हे कि इसमें आर्थिक तत्व को जोड़ा गया है। इसके द्वारा यह सतत् विकास के सभी तीनों तत्वों; सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक को समाविष्ट करता है, महोदय इन थोड़े शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने भाषण में उठाई गई आपत्तियों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : संजय निरुपम जी, आप बोलिये।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं मंत्री साहब से यह कहना चाहूंगा कि वे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं।...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री जी यह बतायें कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पहले हमारा एग्जैम्प्ट कर दिया था ऑफिस ऑफ प्राफिट करके, एमपीज को डायरेक्ट्री से बाहर किया गया कि यह डबल फायदा ले जाएगा और यह कहा गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपने भावना व्यक्त कर दी है।

...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह : महोदय, कृपिया सुनिये, मैं केवल एक मिनट लूंगा। यह कहा गया कि एमपी पब्लिक सर्वेंट है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुझे बताओ की रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अगर हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं तो कौन हैं और फिर आफीसर, अगर वह बनता है, जो पब्लिक सर्वेंट बनता है, वह डायरेक्ट्री कैसे बनता है, हम पूरी डायरेक्ट्री बनें, क्यूं न डायरेक्टर बनें?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संजय निरूपम जी आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह : यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, हमारे देश के नौजवान कंपनी मामलों के मंत्री, एक बहुत ही विस्तृत विधेयक लेकर आए हैं। लगभग साढ़े चार सौ से ज्यादा धाराएं इसमें हैं और चार सौ से ज्यादा पन्नों का यह विधेयक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जो उद्देश्य है, वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कॉर्पोरेट जगत में जो कामकाज चल रहा है, वह अनुशासित तरीके से चले, साफ-सुथरे ढंग से चले, ई-गवर्नेंस हों, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अधिकारों का रक्षण हो और कंपनी चलाने वाले, कंपनी चलाने के नाम पर बड़े-बड़े फ्रॉड न कर पाए और करें तो उनको छोड़ें नहीं, इस बड़े उद्देश्य के साथ यहां पर यह बिल मंत्री जी लेकर आए हैं। अगस्त, 2009 में पहली बार यह बिल आया था। उसके बाद यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में रेफर हो गया। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि एक साल बाद जब स्टैंडिंग कमेटी ने वर्ष 2009 में अपनी रिकमेंडेशंस भेंजी तो लगभग 193 रिकमेंडेशंस भेजीं, जिनमें से 186 रिकमेंडेशन इन्होंने स्वीकार कीं। इतनी सारी रिकमेंडेशंस स्टैंडिंग कमेटी ने भेजीं कि पूरे बिल का चेहरा-मोहरा ही बदल गया और कंपनी बिल, 2009 बदलकर कंपनी बिल, 2011 हो गया। सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेओ की रिकमंडेशंस को, उनकी सिफारिशों को मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से लिया और जो भी अच्छे सुझाव थे, उनको इस प्रस्तावित

विधेयक में शामिल करके एक नये स्वरूप में यह बिल लेकर सदन में आए।

सभापति जी, इस बिल के चार-पांच महत्वपूर्ण प्रावधानों पर मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि लगभग 470 क्लॉज हैं, लेकिन एक-एक क्लॉज पर चर्चा करना शुरू करें तो कई दिन निकल जाएंगे। हर क्लॉज पर कुछ न कुछ बोला जा सकता है, लेकिन चार-पांच जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन विषयों पर मैं निश्चित तौर पर अपनी बात रखना चाहूंगा।

सबसे ज्यादा चर्चा में जो प्रावधान रहा है, वह *कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी* का प्रावधान है। हमारे देश के कॉर्पोरेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं या कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, उसकी एक सामाजिक जवाबदेही बनती है। इस प्रावधान के तहत दस बात पर जोर दिया जा रहा है जो कि अच्छी बात है। पहली बार हम ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर या जितनी भी कंपनियां हमारे देश में होंगी, उनको अपने प्रॉफिट का दो प्रतिशत हिस्स सामाजिक विकास और सामाजिक क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए देना पड़ेगा। मैं निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना चाहूंगा। पूरी दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था है, पूरी दुनिया में इस प्रकार के नियम-कानून और कायदे हैं और उसके तहत हमारे जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं पूरी दुनिया के, वे इसका पालन भी करते हैं। यह *सीएसआर* का सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने विषय रखा कि इसके बारे में अभी काफी *एम्बिग्विटी* सी है। समझ में नहीं आता कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले बड़ी-बड़ी कंपनियों को आप कहते हैं कि अपने प्रॉफिट का दो परसेंट आप *सीएसआर* में डालिए, यानी सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करिए। हमारे यहां मुम्बई में जितना बड़ा कॉर्पोरेट सैक्टर है या फिर हिन्दुस्तान के जितने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सैक्टर हैं, सबने अपने स्कूल शुरू कर दिये हैं। तो क्या तमाम बड़े कॉर्पोरेट सैक्टर को आप यह कह रहे हैं कि आप अपनी कंपनी चलाने के साथ-साथ स्कूल चलाइए, आप कंपनी चलाने के साथ-साथ सांस्कृतिक केन्द्र चलाइए! अगर ऐसा होगा तो सभी बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सैक्टर के अपने बड़े-बड़े स्कूल और कॉलेज होंगे और इन कॉलेज और स्कूलों की हालत क्या है! हिन्दुस्तान की दो-तीन बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी ने मुम्बई में एक स्कूल शुरू किया है जिसकी फीस 12 लाख रुपये है। तो पूरी एलीट क्लास के लिए स्कूल चल रहा है। इस बारे में क्या प्रावधान है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जरा खुलकर बताएं। कहीं न कहीं इस पर बंदिश लगनी चाहिए। सीएसआर का मतलब यह नहीं कि आपकी एक दुकान चल रही है और बाजू में एक दूसरी दुकान आपने खोल ली। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। *सीएसआर* का प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। कंपनियों को जाहिर करना पड़ेगा, अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा, किसको देना चाहिए, किस क्षेत्र में देना चाहिए, किस क्षेत्र में किस हद तक देना चाहिए, किस क्षेत्र में किस हद से ज्यादा नहीं देना चाहिए, यह सारी व्यवस्था जब लेकर आएंगे तो सीएसआर का जो पवित्र उद्देश्य है, वह पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, *सीएसआर* पर जो विवाद बार-बार चल रहा है, कंपनियों का जो एक एतराज चल रहा है, उसको भी थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा उनका कहना है कि जो ब्यूरोक्रैट्स हैं, वे सभी अपनी-अपनी फैमिलीज़ में, अपने-अपने परिवार के लोगों का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी प्रकार का एनजीओ शुरू कर देंगे और कंपनियों पर दबाव शुरू हो जाएगा कि अगर आप *सीएसआर* के तहत हमारी कंपनियों की फंडिंग नहीं करते हैं तो इस तरह का एक्शन भी हो सकता है इससे भी कंपनियों को राहत देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे यहां हॉस्पिटल्स का भी एक बड़ा अच्छा ट्रैन्ड चलता है। बड़ी-बड़ी कंपनियां 250 करोड़ रुपये या 300 करोड़ रुपये डालकर हॉस्पिटल बनाती हैं और उन हॉस्पिटल्स में मुम्बई का एक आदमी अगर इलाज कराने जाए तो वह गरीब हो या अमीर, अगर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गया तो उसको तो कर्ज लेना पड़ेगा, या अपना घर बेचना पड़ेगा या फिर गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपये तक एक-एक महीने का बिल आ रहा है। इसलिए इस बारे में विस्तृत कामकाज होना चाहिए। जितना विस्तृत यह बिल है, उतनी ही विस्तृत गाइडलाइन्स इसके लिए बननी चाहिए। जब हम रूल्स फ्रेम करने शुरू करेंगे तो इतने ही अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से रूल्स फ्रेम करें ताकि *सीएसआर* का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो।

दूसरा बड़ा विषय जो इसमें निकलकर आता है, वह *सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस* का है। यह अच्छा है। आपने सीरियस फ्रॉड *इन्वेस्टीगेशन ऑफिस* को जो ताकत दी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। उसको आपने अरैस्ट करने की ताकत दी, उसकी जो पूरी रिपोर्ट होगी, वह पुलिस की रिपोर्ट मानी जाएगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक टूथ लैस एजेंसी है। एक मजबूत व्यवस्था तैयार हो रही है और आने वाले दिनों में इससे कितना हैरसमेंट कॉर्पोरेट सैक्टर के लोगों का होता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अभी हाल

[श्री संजय निरुपम]

ही में एक कम्पनी को क्रैक किया गया, उसके घोटाले खोल कर सामने लाए गए। उस कंपनी का नाम है स्टॉक गुरू। इस स्टॉक गुरू ने लगभग एक हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है, ऐसी एक जानकारी मिल रही है। जब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस ने केस रजिस्टर किया तो अचानक यह फ्रॉड की रकम घटकर साढ़े चार सौ करोड़ रुपया हो गया। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया कहां गया? उस कम्पनी में बड़े-बड़े पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, आईएस रैंक के लोग, जो रसूख रखने वाले लोग हैं, जो बहुत ताकत वाले लोग हैं, उनके पैसे उसने ले रखे थे। जैसे ही केस रजिस्टर्ड हुआ, सबसे पहले उनके पैसे निकाल लिए गए। यह जो सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस में इस प्रकार का फ्राड शुरू हो गया है, इस फ्रॉड को भी रोकने का इंतजाम होना चाहिए। आप एजेंसी को ताकत दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी तरह है लेकिन इसे ताकत देने के साथ-साथ इस के ऊपर चैक भी रखना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी। हमारे साथी ने अच्छे आफिसर्स की व्यवस्था की बात का सवाल उठाया है, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में सवाल उठाने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स को समझने वाले अच्छे आफिसर्स तैयार हैं, तैयार हो सकते हैं। बैंकिंग लॉ को समझने वाले अच्छे आफिसर्स हमारे देश में हैं और ज्यादा भी तैयार हो सकते हैं। सीबीआई के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, कितने बड़े फ्राड की छानबीन शुरू करते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स की तरह छानबीन करते हैं। आफिसर्स का देश में अकाल नहीं है, बस आफिसर्स की नीयत के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा एक निवेदन है।

इस निवेदन के साथ-साथ हाल के वर्षों में 1991 के बाद जब से निजीकरण की नीति हमारे देश में आई और आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्था को हमने स्वीकार किया, तब से निश्चित तौर पर ...(*व्यवधान*)

श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं थोड़ा तो बोलूंगा ही।

सभापति महोदय : आप अपनी बात को संक्षिप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : वर्ष 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी विस्तार हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत फैली है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि तीस हजार कंपनियां 1956 में थीं और आज साढ़े आठ लाख के आस-पास कंपनियां हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में विकास और विस्तार हो रहा है, वैसे ही कॉर्पोरेट जागत में भी बहुत सारी एक्टीविटीज हो रही हैं। पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में तेजी से मर्जर और एक्वीजिशन के काम हुए हैं। कितनी कंपनियों ने मर्जर किया, कितनी कंपनियों ने एक्विजिशन किया, उसकी एक बड़ी लिस्ट है, जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन कपनी अफेयर्स के पास होगी। लेकिन इस दौरान जो इंसाइडिर ट्रेडिंग होती है उसके भी केसिस निकल कर आते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इंसाइडिर ट्रेडिंग में शामिल लोगों के ऊपर सख्त कार्यवाही नहीं हो पाती है। एक-दो केसिस मुझे याद आते हैं लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिस तरह से यूएसए में होता है कि भारतीय मूल के एक गुप्ता जी थे, जो कि मैकेन्जी में काम करते थे। उन पर आरोप लगा तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। अब वहां यूएसए में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह ऐसी ट्रेडिंग कर सके। हमारे यहां एक-दो ऐसे केस निकले हैं, लेकिन वह आदमी जेल में नहीं डाला गया। एक-आध करोड़ रुपए का डिक्लेयरेशन नहीं था, उस पर कुछ पैनल्टी डाल कर छोड़ दिया गया। ऐसे में बढ़ते मर्जर और एक्विजिशन के केसिस हैं, जिनके तहत इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, उसे समझना और उस पर सख्ती से कार्यवाही करना बहुत आवश्यक है।

यहां चिट फंड कंपनियों के बारे में क्लाज है। मैं पूरा क्लाज नहीं पढ़ रहा हूं। चिट फंड कम्पनियों के बारे में जिस प्रकार का प्रोविजन आया है, निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं। छोटे-छोटे इनवेस्टर्स को लूटने का हमारे देश में जो कार्यक्रम चल रहा है, वह एक बहुत ही जघन्य अपराध है। देश में लगभग दो हजार के करीब ऐसी चिट फंड कम्पनियां हैं। उन कंपनियों को चैक करना और जो छोटे-छोटे बचतकर्त्ता हैं।

रात्रि 08.00 बजे

उनके पैसे जिस प्रकार से उसमें शामिल हैं, उनको जिस तरीके से निराश किया जा रहा है, उसको चैक करने का इसमें जो इंतजाम है, उसके लिए आपको बहुत बधाई हो और उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करूंगा। पियरलैस से लेकर, अभी ताजा एक क्यूनेट कम्पनी आई है, कोई मलेशियन ग्रुप की कंपनी है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, पैरामिड मार्केटिंग, इस तरह की कंपनियों का जो खेल चल रहा है, उन कंपनियों को चैक करना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं। सत्यम कम्प्यूटर के बारे में मंत्री जी ने जिक्र किया। सत्यम कम्प्यूटर को हमारे देश की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया। फिर महेन्द्रा ने उसको टेक ओवर किया। सत्यम के

मालिक जो श्री राजू थे, उनको अरैस्ट किया गया। उनके फाइनेंस डिपार्टमंट के कुछ अधिकारियों को अरैस्ट किया गया, लेकिन जिस चार्टर्ड एकाउंटेट कंपनी की वजह से सत्यम में इतनी बड़ी फर्जिंग हुई थी, उस कंपनी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसको बोलते हैं – प्राइस वाटर हाउस कूपर। ये विदेशी कंपनी थी। आज भी वह कंपनी हर जगह उसी तरीके से काम कर रही है। आपने इसमें जो ऑडिटिंग और एकाउंटिंग के ऊपर एक प्रोविजन डाला है, वह बहुत अच्छा प्रोविजन है। उससे सख्ती होगी। ऐसी जो चार्टर्ड एकाटेंट कम्पनियां हैं, जो ऑडिटिंग फर्म्स हैं, इसमें अगर कोई कम्पनी गलती करती है तो उसका लाइसेंस सीधे रद् होना चाहिए। उसको इस बिजनैस में काम करने का कोई हक नहीं होना चाहिए।

आपने एक अच्छी व्यवस्था की है कि पांच साल से ज्यादा कोई एक ऑडिटिंग कंपनी किसी भी कंपनी के साथ अपना रिश्ता नहीं रख सकती है। हर पांच साल बाद उसको बदलना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका यह अच्छा सुझाव है। दूसरा, चेंज ऑफ बिजनैस के बारे में जो एक व्यवस्था है, आज हमारे यहां क्या होता है। मान लीजिए, एक फिश फार्मिंग कम्पनी है, प्रोन फार्मिंग कम्पनी महाराष्ट्र में है। वह रातोंरात प्रोन फार्मिंग के धंधे में जाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं और रातोंरात तय करते हैं कि ऐसा करेंगे कि अब हम आईटी कंपनी बनेंगे। रातोंरात अपना नाम बदल लेना, धंधा बदल लेना, किसी इन्वेस्टर से नहीं पूछना। उसके ऊपर आपका जो प्रोविजन है, निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो मेलप्रेक्टिसेस हैं, उनके ऊपर चैक लगेगा। एक बड़ी एयरलाइन कंपनी, जो छह महीने से अपने एम्प्लाइज को सैलेरी नहीं दे पाई हैं। उसके जो मालिक हैं, वे हमारे कुलिग हैं। छह महीने से उस कंपनी के एम्प्लाइज को सैलेरी नहीं मिली है। कंपनी के एम्प्लाइज की वाइफ्स सुसाइड कर रही हैं। सब रोज एक-एक प्लेन लेकर जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।

सभापति महोदय, मेरी आपकी माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, मैनेजमेंट टेक ओवर होना चाहिए। जैसे हमने सत्यम को बचाया, उसी तरह से इस कंपनी को भी बचाना चाहिए। अगर ये मालिक इसे नहीं बचा पा रहा है, इसे पूरी दुनिया में घूमने का शौक हैं तो वह घूमे। जिस कंपनी के एम्प्लाइज की वाइफ्स सुसाइड कर रही हैं, उस कंपनी का मालिक साढ़े तीन लाख का सोना एक मंदिर में अपने जन्मदिन पर डोनेट करता है। वह बड़ी-बड़ी पार्टियां करता है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इसमें कमी आई है, उस कमी को दूर करने की दिशा में कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री को आगे जाकर कार्यवाही करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। उस कंपनी को बचाने की दिशा में, उस कंपनी के एम्प्लाइज की रक्षा करने की दिशा में, उसका जो पूरा ऑपरेशन हॉल्टेड है, उस ऑपरेशन को फिर से आगे चलाने की दिशा में निश्चित तौर पर मंत्रालय की तरफ से यह काम होना चाहिए, ऐसा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मैं कुछ बातें सैलेरीज के बारे में कहना चाहता हूं। आज सचमुच यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है और बहुत दु:ख भी होता है कि इस देश में लाखों-करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 23-26 परसेंट के आस-पास अलग-अलग फीगर्स आते हैं। शहरों में जाकर देखिए। मुंबई जैसे शहर में जाकर देखिए, वहां बहुत से लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं। उनकी जिन्दगी जलील हुई पड़ी है। उसी शहर में ऐसे-ऐसे कॉर्पोरेट सैक्टर के प्रमोटर्स हैं, जिनकी सैलेरी डेढ़-दो सौ करोड़ है। ऐसे में सैलेरी को रेशनलाइज करना एक आवश्यक कदम है। मुझे लगता है कि अभी इसमें जो 11 परसेंट का प्रावधान है, उस प्रावधान का भी वे दुरुपयोग करेंगे। उस सैलेरी को कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा रेशनलाइज करने के लिए जब रुल्स फ्रेम करें तो उसमें इस प्रकार की एक गाइड लाइन आनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन होगा। एक अलग कानून है, उसके लिए एक अलग कोर्ट है। आपने एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया, एक अलग पुलिस एजेंसी आपने बना कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कानून के माध्यम से हमारे देश में जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पर एक नियंत्रण स्थापित होगा और जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स और बचत कर्ता हैं, उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी और हमारे देश में एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का राज होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

इसके साथ ही मैं नौजवान मंत्री के द्वारा लाए हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मेरे पास इस विधेयक पर बोलने वाले सात या आठ सदस्यों की सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो, सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमें इस विधेयक को राज्य सभा ले जाना है। कृपया

[श्री कमलनाथ]

मेरी दुविधा को समझें। कृपया संक्षेप में बोलें ताकि इस विधेयक को आज ही पारित किया जा सके...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरा मानना है कि सभा सहमत है। सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

अब, श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कंपनी विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अभी हमारे मित्र शिवकुमार उदासी साहब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने इस पर अपना पक्ष रखा।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी डिस्टर्ब कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिये। व्यवधान न करें, उनको बोलने दें। आप बोलिये। आप मेरी तरफ देखकर बोलिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप मंत्री जी को देखिये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, जरा बैठ जायें। मंत्री जी बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उदासी जी हमारे मित्र हैं। इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि ये पढ़ते भी बहुत हैं। जब भी मैं इनके घर गया तो ये पढ़ते हुए ही मिले, इसलिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत तैयारी के साथ जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने अपनी बात इस बिल पर रखी है, उसके मुताबिक अपना पक्ष भी शिवकुमार उदासी जी ने रखा है।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री सचिन पायलट जी का बहुत आभारी हूं कि वे इतना पोथन्ना जैसा बिल लेकर हम लोगों के बीच में आये और अपना पक्ष भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। आपको हम लोगों की, पूरे हाउस की शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़े तरक्की करें।

दूसरी बात यह है कि इस बिल में अभी देखा गया कि 1956 के बाद 1993 तक करीब 26 संशोधन हुए हैं। आपने उस वक्त की 30 कंपनियों का हवाला दिया। इस वक्त 2012 में पूरे देश में 8.5 लाख कंपनियां हैं। इसमें 193 स्टेंडिंग कमेटी की संस्तुतियां आई हैं, रिकमेंडेशंस आई हैं और वे सब आपने मान ली हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्थाई समिति की जो भी रिकमेंडेशंस आईं, सब आपने मान लीं।

जहां तक देखा गया है, चाहे वे निजी कंपनियां हों या सरकारी उपक्रम हों, बहुत सी हमारे देश में नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी नवरत्न कंपनियां हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा और सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। जैसे फिक्की है, सेबी है, उसी प्रकार से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक डिक्की भी है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दो हजार के करीब इस डिक्की के मैम्बर्स हैं। उन्होंने हम सभी शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स एम.पीज. लोगों को बुलाया। हमको नहीं मालूम था कि हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भी इस प्रकार के कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं। वहां पर पहुंच कर हम लोगों को बहुत खुशी हुई, हमारे तमाम मंत्रीगण भी वहां गये थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा, सरकार से भी कहूंगा कि जिस प्रकार से फिक्की है या डिक्की जो बनी हुई है, डिक्की के लोगों को आपके प्रोत्साहन की जरूरत है, उनको बैंकिंग की जरूरत है। आप इसका ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि, आज जो भी सरकारें हैं, चाहे एनडीए की हो या यूपीए की हो, वे हमेशा दलितों की बात करती हैं। अगर ये लोग छोटी-छोटी पूंजी लेकर आगे बढ़ते हैं तो इनके हितों की रक्षा के लिए, इनको निवेश के लिए, इनको लोन के लिए भी आप प्रोत्साहन देंगे, यह मेरी आपसे अपेक्षा है।

दूसरी बात यह है कि यहां पर सीएसआर के बारे में आपने बताया। कॉर्पोरेट सोशल रैस्पोंसिबिलिटी की बात जो आपने रखी है, मैं बहुत ध्यान से इसे देख रहा था, यह बहुत अच्छी योजना है। अभी हमारे संजय निरुपम जी ने बड़े विस्तार से इसको परिभाषित भी किया है, लेकिन यहां तक मैं पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग की मीटिंग में गया, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, सीएसआर में जैसा आपने परिभाषित किया कि प्रोफिट का दो परसेंट ये कंपनियां सोशल नेटवर्किंग के विकास में, कल्याण में लगाती हैं। लेनिक वह कम है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जो करोड़ों के फायदे में हैं। मैं चाहूंगा कि प्रॉफिट को दो पर्सेंट से आगे बढ़ायें। ज्यादातर मैंने देखा है कि जो कंपनियां जहां पर स्थापित हैं, उसके इर्द-गिर्द जो गांव या जो भी इलाके हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वे काम करती हैं। कुछ कंपनियां एनजीओ को भी काम देती हैं, क्योंकि अभी तक सीएसआर का कोई मानक फिल्म नहीं है। हम लोगों ने कई कंपनियों के बारे में जब अध्ययन किया तो पता

लगा कि कुछ तो डायरेक्ट करते हैं, कुछ एनजीओ के थ्रू करते हैं, कुछ लोग अपने इलाके में करते हैं और कुछ लोग ऑल ओवर इंडिया में कल्याणकारी विकास की योजनाओं पर काम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप फिक्स मानक बना दें कि कैसे, किस इलाके में, कहां पर ये करें और खासकर मैं चाहूंगा कि जो रिमोट एरियाज हैं, जो दूर-सुदूर के इलाके हैं, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर कम से कम इसे स्थापित किया जाये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संक्षिप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, दूसरी बात यह है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें सरकार की पूंजी लगी है और बहुत से लोगों ने ऋण लिये हैं। वे कंपनियां आज बीमारी की हालत में हैं, जिन्हें सिक कंपनियां कहते हैं, उनको भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इस ओर सरकार ध्यान दे और खासकर आपने जो निवेशक और शेयर धारकों के हितों की रक्षा की बात की है, उस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सी कंपनियों के बारे में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, उदासी जी ने कहा, संजय निरुपम जी ने कहा कि बड़े पैमाने पर पैसे ले जाते हैं और सत्यम आदि तमाम कंपनियों की बात इन्होंने कही। ऐसी बहुत सी कपंनियां हैं, बहुत सी चिट फंड कंपनियां हैं, जो पब्लिक के पैसे को लेकर भाग गयीं। इसके लिए आप सजा का प्रावधान बहुत कड़ा करें ताकि आने वाले समय में जो भी कंपनियां स्थापित हो रही हैं, वे इस तरह की जुर्रत न कर सकें और इस तरह का कोई प्रयास न करे सकें।

श्रमिकों के हितों की रक्षा की तरफ आपने इंगित किया, गुरूदास गुप्त जी सदन में उपस्थि होते तो बड़ा अच्छा होता। श्रमिकों के हितों की रक्षा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा को सर्वोपरि रखें क्योंकि इन्हीं पर पूरा संस्थान और कंपनियां आधारित होती हैं। अगर इनकी यूनियन जायज मांग को लेकर हड़ताल करती हैं, अपनी मांग को लेकर बात कहती हैं तो उसको मानना चाहिए। आपको कॉर्पोरेट घराने के लोगों पर दबाव बनाना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा सर्वोपरि रखें।

सभापति महोदय : संक्षिप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं समापन की ओर हूं, केवल दो-तीन प्वाइंट्स शेष हैं।

इस प्रकार की जो फ्रॉड करने वाली कंपनियां हैं, उन पर कड़ाई से सख्ती की जाए। जहां तक रोजगार के अवसर की बात आपने कही है, मैंने देखा है कि जैसे अभी हमारे यहां सरकारी उपक्रम लग रहे हैं, उसमें ये तमाम अधिकारी कर्मचारियों को बाहर से ला रहे हैं। यह कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों की वहां लैंड गयी हैं, जिन लोगों ने स्वेच्छा से लैंड दी है, हम यह नहीं कहते कि उनकी उपजाऊ जमीनें थीं, लेकिन जिन लोगों ने स्वेच्छा से लैंड दिया है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए कि उन्हें उन कंपनियों में विशेष सेवा का अवसर प्रदान करें और उनको रोजगार दें। उनको विशेष अवसर प्रदान करें, यह मेरे कहने का मतलब है। यह कोशिश कंपनी को करनी चाहिए कि चाहे निजी कंपनी हो या सरकारी उपक्रम हो, इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था हो। जो एससी, एसटी हैं, उन पर विशेष ध्यान दें कि इनको विशेष सेवा का अवसर प्रदान करें, तभी जो रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात आपने कही है, वह पूरी हो पाएगी।

राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण बनाये जाने की बात आपने कही है, यह बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी कंपनी या संस्थान में कोई बात आए तो अपनी बात इसमें ले जाएं। इसको जल्दी से जल्दी बनाने की आवश्यकता है, तभी जाकर कंपनी शेयर धारकों, निवेशकों, श्रमिकों, कर्मचारियों और तमाम जो रोजगार के अवसर हैं, उनके हितों की रक्षा हो पाएगी।

महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, चूंकि सभापति जी, जो हमारे सीधी के सम्मानित मित्र हैं, इन्होंने आपको इंगित किया और आपपे घंटी बजा दी।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : इसमें गोल्डेन प्रोविजन पहली बार आया है क्योंकि 50-60 साल से ज्यादा कंपनी एक्ट हो गया है। यह धारा 172 है।

धारा 135 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांस्बिलिटी' अगर यह लेटर इन स्पीरिट में इम्प्लिमेंट हो जाए तो कंपनिज एक्ट में काफी चेंज आएगा। अभी इसके रूल्स बने नहीं है। इसका रियल उपयोग होना चाहिए। जैसा कि बताया जाता है कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर अपना स्कूल चलाने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी रियल सोशल रिस्पांस्बिलिटी होनी चाहिए।

दूसरा, इसमें जो वाइंडिंग-अप प्रोवीजन्स आए हैं, 1928 के एक्ट, 1942 के एक्ट और 1956 के कंपनी एकट में से वाइंडिंग-अप प्रोवीजन है। आपने ट्रिब्यूनल गठित किया है। यह ट्रिब्यूनल 15 साल से अभी तक नहीं बन पाया है। वाइंडिंग-अप यह है कि यदि कंपनी अपने

श्री विजय बहादुर सिंह]

ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो। यह 242 सेक्शन है। ये रिस्पांस्बिलिटी बड़ा सिरियस चीज है। अभी तक पिछले आठ सालों से, वर्ष 1950 से, यह हाईकोर्ट जज करता था। वे इस विषय के विशेषज्ञ थे। अब ट्रिब्यूनल में क्या होगा कि दो पुराने रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्स या कुछ जान-पहचानी ऐक्सेस पावर, अगर वे आ जाएंगे तो कंपनी को बंद करना और पुनर्वास करना बन जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं। जो तंत्र समय पर खरा उतरा है। जो 50 सालों से हाई कोर्ट की डिविजन बेंच वाइंडिंग अप कर रही थी, उसमें क्या खराबी है? दूसरा प्रोविजन इन्होंने यह दिया है कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न करें। आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं चाहूंगा कि यंग डायनेमिक मिनिस्टर साहब इसको रिलुक कर दें। अगर यदि यह 1950 से अब तक न्यायिक, निर्णयों नारा समय की कसौटी पर खरा उतरा है, तो हम इस प्रक्रिया को जारी क्यों नहीं रख सकते? कैट में क्या हो रहा है? पता लगा कि रेलवे के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आ गए आए। कम्पलसरी रिटायरमेंट का उनको मालूम नहीं है, जब तक उनको पता चलता है, वे निकाले जा चुके होते हैं। नतीजा यह हुआ कि जब से कैट बनी है एरियर्स बाउंस हो गए। जो हाई कोर्ट्स में एरियर्स थे, वे कैट में चले गए। मैं चाहता हूं कि कंपनी एक्ट के जो ड्रास्टिक प्रोविजन्स हैं वे उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इन्हें जारी रख सकते हैं। उनको यह एडवांटेज होगा, लिटिगैशन खत्म होगा। श्री एल. चन्द्र कुमार मामले के बाद प्रत्येक आदेश में न्यायिक समीक्षा है वह हाईकोर्ट में चला जाएगा।...*(व्यवधान)* सीजर की पत्नी की अपील सीजर को जाएगी। अगर ट्रिब्यूनल में संयुक्त सचिव हैं तो अपीलेट में सचिव हो जाएंगे तो फिर वही चीज हुई।...*(व्यवधान)* मैं इसको लीगल ऐंगल से क्लीयर करना चाहता हूं कि इतनी जल्दी तो इसको ओझा भी नहीं समझ सकते कि यह क्या है? इतनी जल्दी हाथ लगाएं और समझ जाएं यह तो बड़ा मुश्किल है।...*(व्यवधान)* इतनी जल्दी इसको भाजपा वाले भी नहीं समझ सकते हैं।...*(व्यवधान)* मेरा कहना यह है कि इसमें जो जूडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म है अगर हाईकोर्ट का मैकेनिज्म इनकारपोरेट करते रहें तो चलेगा।

एक और प्रोविजन है कि इनको ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने का लिमिटेशन तीन साल है। यह कहीं नहीं है। सिर्फ सिविल सूट फाइन करने का लिमिटेशन है कि तीन साल पहले आपने उधार लिया हो तो टाइम बार्ड होता है। तो, यह तीन वर्ष क्यों है और 90 दिन क्यों नहीं है जोकि हर जगह है। लॉ ऑफ लिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट के जितने केसेज हैं, वे केवल तीन वर्ष के क्यों हैं?

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि इसमें जो वाइंडिंग अप के पावर्स दिए गए हैं, एक सैक्शन होता है यदि यह उचित और स्टीक हो, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट हुई है। मैं ज्यादा न कहकर इसका एक रिटर्न नोट दे दूंगा, क्योंकि अभी कमलनाथ जी ने बताया कि यह राज्य सभा में भी जाएगा। आज सिर्फ रिचुअल है, इसका एक्शन रिप्ले फिर होगा। मैं इसका रिटर्न नोट दूंगा और अगर वे वर्ड्स का एडजस्टमैंट कर सकें तो कर लें।

इसके अलावा इस बिल में और कुछ खास नहीं है। यह जिस तरह है, इसे पास कर दिया जाए, राज्य सभा में देखा जाएगा।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति जी, नार्मली इस बिल का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह आज ही लिस्ट ऑफ बिजनस में आया है।...*(व्यवधान)* आज ही पास हो रहा है।...*(व्यवधान)* हमें इस पर संशोधन देने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं फिर भी दो कारणों से इस बिल का समर्थन करता हूं। एक नौजवान मंत्री जिंदगी में पहली बार एक भारी बिल लाए हैं।। मैं उनके पूज्य पिताजी को जानता था। मैं जिस रास्ते से रोज जाता हूं — राजेश पायलट मार्ग, तो उनकी याद आती है। उनका बेटा बिल लाया है, इसलिए इसका समर्थन करना हमारा फर्ज बनता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, केवल माननीय सदस्य की स्पीच रिकॉर्ड में जाएगी।

(व्यवधान)...*

प्रो. सौगत राय : दूसरी बात, मेरे ख्याल से कम्पनीज लॉ जो 56 का कानून था, वह काफी मोटी किताब होती थी। यह केवल 490 खंडों के बारे में है। एक एकल विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह अच्छा है क्योंकि बिल कॉम्प्लीकेटेड होने से विजय बहादुर जी जैसे वकील को फायदा मिलता है, बिल साधारण होने से हम जैसे आम आदमी को सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए इस बिल का समर्थन करना चाहिए। इस बिल में कई नए सुधार लाए गए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया गया, रिमुनरेशन पॉलिसी के बारे में बताया

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पौंसीबिलिटी (सीएसआर) दो प्रतिशत कर दिया गया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग फर्म्स स्टैटूटरी बना दिया गया और इंडीपेंडेंट डायरेक्टर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन लाया गया। ये स्वागत योग्य कदम हैं। यह अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना कमजोर है, यह सत्यम कम्प्यूटर्स के केस में पता चला। कैसे एक आदमी ने कॉर्पोरेट फ्रॉड करके पैसे का पहाड़ बनाया, सत्यम कम्प्यूटर्स इसका उदाहरण है। संजय निरुपम जी बता रहे थे कि उसका मालिक रामलिंगम राजू अभी जेल में है। लेकिन बात यह है कि यह हुआ कैसे? क्यों हमारा रैगुलेशन नहीं था कि जब वह इतना फ्रॉड कर रहा था तो उसे पकड़ा जाता। संजय निरुपम जी ने सही बात बताई कि रामलिंगम राजू जेल में गया, जो ऑडिटर था प्राइस वाटर हाउस कूपर, वह अभी भी व्यापार कर रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अभी वह वैसा ही चला आ रहा है। हमें देखना चाहिए कि ऐसा फ्रॉड फिर कभी न हो।

महाराज जी, मैं आपको मानता हूं। आपके प्रवचन की सीडी मेरे पास है। मुझे दो मिनट समय और दे दीजिए। मैं आपके आश्रम में भी गया हूं। मेरे ऊपर थोड़ी दया कीजिए।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय : महाराज मुझे जानते हैं, मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धन्यवाद।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और नहीं जाएगा।

(व्यवधान)...*

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कर रहा है। वस्तुतः हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि रिम्यूनरेशन पर लिमिट्स होनी चाहिए। हम एक गरीब देश में हैं, वहा रिलायंस का टॉप ऑफिशियल अम्बानी, नाम भी नहीं बोलना चाहिए, रिम्यूनरेशन की कोई लिमिट होनी चाहिए। मैं जब देखता हूं, तो आंसू आ जाता है कि उसने 27 फ्लोर का एक मकान मुंबई में बनाया है अपने रहने के लिए। क्या उसमें लगा पैसा उसका खुद का है? वह शेयरहोल्डर्स का पैसा है। अम्बानी स्टेडियम में शेयरहोल्डर्स की मीटिंग करता था, यह समृद्धि का अभद्र प्रदर्शन है। वह जन्मदिन पर अपनी बीवी को एग्जीक्यूटिव जेट प्रजेंट करता है। क्या इस गरीब देश में ऐसा होना चाहिए? क्या इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए? यह नौजवान मंत्री हैं एक समय जब हम लोग कांग्रेस में थे, हम लोग समाजवाद की बात करते थे और आज वही कांग्रेस आज अम्बनी फैमिली के लोगों को...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है।

प्रो. सौगत राय : महोदय, यह एक सीरियस मामला है। *[अनुवाद]* पारिश्रमिक की एक सीमा होनी चाहिए और यमृद्धि की यह भद्दी नुमाइश बंद की जानी चाहिए। *[हिन्दी]* दूसरी बात, संजय निरुपम जी ने बोला है, मैंने देखा मंत्री जी, कोलकाता गए थे। वहां पर उन्होंने बोला कि चिट फंड के खिलाफ कदम उठाइए। मैं समझता हूं कि सीरियस बात है। हजारों-लाखों स्माल डिपाजिटर्स का पैसा उसमें जमा हुआ है और कोई नहीं जानता है कि वह कब बंद हो जाएगा, ये सब गरीब लोग बेघर हो जाएंगे। सहारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसको स्टे मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना रुपया जमा करना है। लेकिन कैसे और किसकी मदद से सहारा इतना बड़ा बन गया? यह बात समझनी चाहिए। उसकी कोई खास एसेट्स नहीं हैं। वह पुणे में एक क्रिकेट टीम चाहते थे। फिर बोला कि उसके लिए पूना में अपना स्टेडियम चाहिए, तो अपने नाम से स्टेडियम बना दिया। यह पैसा कहां से आता है? गोरखपुर के छोटे डिपॉजिटर्स के पैसे से इतना बड़ा बना और लड़के की शादी में 150 करोड़ रुपये खर्च कर दिया। इस मुल्क में कोई देखने वाला नहीं है? हमारे सामने कानून रहते हुए भी यह सब वल्गर डिस्पले ऑफ वेल्थ चलेगा? इस पर सोचना चाहिए। मुल्क आगे बढ़े, लेकिन यह आगे बढ़ना केवल कुछ कॉर्पोरेट लोगों का आगे बढ़ना नहीं होना चाहिए। यहां कोई सामाजिक न्याय होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं, जैसा आप प्रवचन में बोलते हैं कि सीधा जीवन चलिए, वह करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल का हम लोग समर्थन करेंगे। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन यह मेरी मांग है कि इस बिल को और स्ट्रांग बनाएं। सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस बहुत पावरफुल आर्म हैं, कंपनीज के बारे में यह सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। उसको स्टेट्यूटरी पावर दे दिया, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें और शक्तियों की आवश्यकता है। इसी बात के साथ मैं नौजवान मंत्री को बधाई देते हुए बिल का समर्थन करता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति प्रदान की। अपने भाषण को संक्षिप्त रखने के लिए, मैं केवल कुछ बातें ही रखूंगा।

मेरी पहली बात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। विधेयक के अनुसार 500 करोड़ रुपए या अधिक की निवल हैसियत या 1000 करोड़ रुपए के कारबार या विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के निवल लाभ वाली कंपनी, अपने निवल लाभ के दो प्रतिशत भाग को अपने आस पास के क्षेत्र में व्यय करेगी। परन्तु मेरा मत यह है कि इस उपबंध को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। क्षेत्र के उपक्रम के मामले में, यह अनिवार्य है; परन्तु इस मामले में, विधेयक के अनुसार यदि कंपनी ऐसी राशि को व्यय करने में असफल रहती है, तो बोर्ड इस राशि को व्यय न करने के करण अपनी रिपोर्ट में बताएगा, क्यों? बोर्ड को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। उन्हें अपने कुल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करना होगा? निवल हैसियत को 500 करोड़ रुपए तक सीमित क्यों किया जाए? इसे 100 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कुल कारबार सीमा 1000 करोड़ रुपए ही क्यों हो? इसे 500 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

दूसरी बात लेखा परीक्षा और लेखाकरण के बारे में है। लेखा परीक्षक को कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिए, न कि केवल पांच वर्ष हेतु प्रतिबंध लगाना चाहिए, बजाय यदि कोई लेखापरीक्षक जानबूझकर कोई गलती करता है, तो उसे काली सूची में डाला जाना चाहिए।

मेरी तीसरी बात कंपनी कानून के बारे में है। आज, हम देख रहे हैं कि अनेक कंपनियां स्वयं को 'चिट फंड' के रूप में निधियां एकत्रित करने के लिए पंजीकृत कर रही हैं, और लोगों को धोखा दे रही हैं। हम देश के अनेक भागों, विशेषकर मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में ऐसा देख रहे हैं। सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि इन चिट फंडों से संबद्ध व्यक्तियों के राजनीतिक संबंध हैं। किसी भी 'चिट फंड' के साथ संबंध वाले किसी भी व्यक्ति को विधायक या संसद सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इसमें ऐसा उपबंध होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि कंपनी कानून इतना कड़ा होना चाहिए कि बोर्ड भी 'चिट फंड' कंपनी पंजीकृत कंपनी न हो। विद्यमान 'चिट फंडो' की सही ढंग से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए, ताकि वे लोगों को धोखा न दे सकें।

चौथी बात किसी कपंनी के कर्मकारों और कर्मचारियों के हितों के बारे में है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि कर्मकारों को किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित न किया जा सके। इसके साथ-साथ मैं रुग्ण उद्योगों के बारे में, कहना चाहता हूं, एसआईसीए एक रुग्ण कंपनी को दिवालिया कंपनी परिभाषित करती है और वह ऐसी प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास करती है, जिससे ऐसी कंपनियों को पुनर्जीवित किया जा सकें। इरादि समिति ने स्वयं कंपनी के प्रवर्तकों के कारण पुनर्गठन प्रक्रिया या पुनर्जीवन प्रक्रिया में प्राय: होने वाली देरी के बारे में बताया था। इसलिए, माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि रुग्ण प्रवर्तकों की किसी बाधा के बिना रुग्ण कंपनियों को पुनर्जीवित किया जा सके। इन रुग्ण कंपनियों के कर्मकारों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

पांचवीं बात सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा से संबंधित है। उसे और स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर क्षेत्र को भी सख्त निगरानी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

मेरी छठी बात स्थायी समिति की सिफारिश पर विचार के बारे में है, जो सिफारिश एक लेखापरीक्षा फर्म द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली कंपनियों की संख्या की सीमा को निर्धारित करने से संबंधित है। सरकर को कंपनियों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए।

'प्रर्वतकों' की परिभाषा पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर पुन: गौर करने का अनुरोध करता हूं और उन सभी व्यक्तियों, जो अंशधारक हैं के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इससे जुड़े हैं और इसके अतिरिक्त उन लोगों, जो एक व्यावसायिक पद पर कार्य कर रहे हैं तथा उनके पास कंपनी को प्रभावित करने एवं उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, को इसके दायरे में लाना चाहिए। उन्हें भी 'प्रवर्तकों' की परिभाषा में लाया जाना चाहिए।

अब, 'उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों' की बात करें, जिन्हें कंपनी के किसी निदेशक के रूप में नहीं होना चाहिए। उच्च पदों पर आसीन है व्यक्ति यथा प्रशासक, कार्यकारी या न्यायिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद निदेशक नहीं बनाना चाहिए। कभी-कभी नौकरशाहों और कार्यकारियों के बीच साठ-गांठ हो जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद वे निदेशक बन जाते हैं।

जहां तक संवैधानिक वैधता का प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि विधेयक में कंपनी मामलों के अधिनिर्णयन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण का प्रावधान है। फिर भी, 2002 में कंपनी अधिनियम में

संशोधन के अंतर्गत स्थापित इसी तरह की संस्था इस समय उच्चतम न्यायालय में विधिक चुनौती का सामना कर रही है। इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अब विधेयक में एक ऐसा प्रावधान है जिसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम और इसके नियमों से टकराव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेबी अधिनियम को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे सत्यम मामले जैसी धोखाधड़ी रोकने के लिए और मजबूत बनाया जाना चाहिए। धोखाधड़ी के किसी भी मामले की जांच होनी चाहिए और समुचित दंड दिया जाना चाहिए।

हम देखते हैं कि सेबी अधिनियम, 1992 एक सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में आंतरिक कारोबार को प्रतिसिद्ध करता है। यह दोषी पाए गए भेदियों पर 25 करोड़ रुपए या ऐसे कारोबार से हुए लाभ का तीन गुना, जो भी अधिक हो, की शास्ति अधिरोपित करता है। लेकिन इस विधेयक में यह कहा गया है कि इस विधेयक में केवल निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों पर के आंतरिक कारोबार को प्रतिबंधित किया गया है, और इसमें केवल 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की शास्ति अधिरोपित करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे और सख्त बनाया जाना चाहिए।

किसी कंपनी के गैर-सूचीबद्ध होने की स्थिति में, सेबी अधिनियम कहता है कि यदि यह एक तीन वर्षों से सूचीबद्ध कंपनी है, तो वर्तमान अंशधारकों को गैर-सूचीयन को अनुमोदित करना चाहिए। लेकिन विधेयक में गैर-सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के प्रकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए, अंशधारक, चाहे उसकी अंशधारिता कितनी भी कम क्यों न हो, के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन बिन्दुओं के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से विधेयक पर पुन: गौर करने अनुरोध और इसे पुनर्गठित कर और तत्पश्चात् इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : सर्वप्रथम, मैं अपने युवा साथी को बधाई देता हूं, जिन्होंने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और इस विधेयक की रूपरेखा तैयार की है। महोदय, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वह एक बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है और अभी इन्हें अपने जीवन में इस पद से भी उच्च पद पर जाना है। मैं बधाई देता हूं और उन्हें आगे आने और पद ग्रहण करने की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उनके पिता और मैं यहां साथ-साथ थे। उस समय, वह स्कूल में पढ़ रहे थे। उस समय, वह स्कूल में पढ़ रहे थे। आज, मैं उन्हें देख रहा हूं। वह एक महान व्यक्ति बन गए हैं और एक अच्छे उद्देश्य के लिए विधेयक तैयार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : श्री पायलट एक विधेयक तैयार कर रहे हैं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : महोदय, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से विधेयक के उद्देश्य का उल्लेख किया है। उन्होंने स्थायी समिति की लगभग 90 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार की हैं। वह स्थायी समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करना भूल गए। केवल वित्त समिति ने सभी चीजों को संभाल लिया। समिति के अधिकांश सदस्य इस समय बोल रहे हैं। हमने 100 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली होतीं क्योंकि अधिकाशं सदस्यों ने इस पर चर्चा की और बहुत ध्यानपूर्वक इस मंत्रालय के लिए सिफारिश की है। उन्होंने वह कारण भी स्पष्ट किए, जिनके लिए वे यह विधेयक लाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम निवेश को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निवेश अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बिना हमारा देश और हमारी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकते। हमारी अर्थव्यवस्था उदारीकृत है। हम विश्व के सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश है। हमें निवेश को प्रोत्साहित करना है और निवेशकों के हितों के संरक्षण के तौर-तरीकों पर विचार करना है। यही कारण है कि वे इस विधेयक में इतने सारे संशोधन ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक निवेशकों और साथ-साथ कर्मकारों के हितों का भी संरक्षण करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि 5 वर्षों के बाद, कंपनी के लेखा-परीक्षक भी बदल जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है? 5 वर्षों के बाद भी, कुछ कनिष्ठ जो समान कंपनियों में लेखा-परीक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं, केवल वही इस कंपनी के लेखा-परीक्षक बन रहे हैं। इसलिए, हम इसे तत्काल नहीं रोक सकते। लेकिन किसी भी तरह, हमें इस प्रकार की भूमिका को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढने हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की। उन्होंने कहा कि शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा। इसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया जाना चाहिए क्योंकि दो प्रतिशत के साथ आप सामाजिक उद्देश्य के लिए क्या कर सकते हैं? उसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना होगा। यही सुझाव हम दे रहे हैं।

इस देश में क्या हो रहा है? निवेशकों को निवेश करने में विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? कई जाली कंपनियां हैं। वे पंजीकरण करा रही हैं; धोखाधड़ी कर रही हैं और चंपत हो जा रही हैं क्योंकि वे गुमराह करने वाले विज्ञापन बहुत ज्यादा कर रही हैं। वे खासकर चिट

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

कंपनियों हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आप अच्छी तरह जानते हैं।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी 1998-99 में केन्द्रीय मंत्री के रूप में इस मंत्रालय के प्रभारी का कार्यसंपादन कर रहा था।... उस समय मुझे उस तरह की कंपनी के बारे में कई शिकायतें मिलीं थी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताना चाहता। हाल में उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें टोका-टाकी नहीं कीजिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : उस समय, जब मैं मंत्री था इन चिट कंपनियों ने अत्यधिक धन जमा कर रखा था। मैं युवा मंत्री को यह सुझाव दे रहा हूं कि वह निवेशकों विशेषकर जमाकर्त्ताओं के हितों का ध्यान रखें। कई कंपनियां ऐसी हैं जो गलत विज्ञापन दे रही हैं और लोगों को धोखा दे रही हैं। वे यह कह रही हैं कि यदि आप अभी 100 रुपए निवेश करते हैं तो आपको एक वर्ष के भीतर 200 रुपए मिलेंगे। वे कंपनियां इस प्रकार के गुमराह करने वाले विज्ञापन दे रही हैं। तमिलनाडु में हमने वैसे विज्ञापन देखें हैं। एवं तमिलनाडु के लोगों ने कई कंपनियों में निवेश किया और वे लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए। मैं युवा मंत्री को यह सुझाव दे रहा हूं कि उन्हें इस प्रकार के गुमराह करने वाले विज्ञापन पर रोक लगानी है। यह अधिक महत्वपूर्ण है। मैं सुझाव दे रहा हूं कि वैसे विज्ञापनों को नियंत्रित एवं रोका जाना ही चाहिए। उन्हें मीडिया के सभी रूपों में इस प्रकार के गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोकना है। कंपनी अपने बारे में विज्ञापन दे सकती है। कंपनी को अपने लाभ के बारे में विज्ञापन नहीं देना चाहिए। गरीब लोग खासकर मजदूर, कामगार एवं ग्रामीण भी अपने परिश्रमजन्य बचतों को निवेश करने के बार तकलीफ में हैं। इसी कारण इस पहलू पर गौर करना जरूरी है। उन्हें गलत विज्ञापन नहीं देना चाहिए। मंत्री को जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।

इसलिए, मैं मंत्री जी को पुन: बधाई देता हूं और उनकी सफलता का सामना करता हूं। उन्होंने यह विधेयक अच्छे के लिए लाया है। मैं उन्हें अपनी शुभ कामना देता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : सभापति महोदय, प्रारंभ में मेरा कहना है कि यह विधेयक जैसाकि मंत्री पुर:स्थापित कर रहे थे, अपने ही बोझ से दब रहा था। उन्होंने विधेयक में पृष्ठों की वास्तविक संख्या का उल्लेख नहीं किया। लेकिन इस सरकार द्वारा पुर:स्थापित यह दूसरा विधेयक है। पिछली अर्थात् 14वीं लोक सभा में यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। उसके बाद स्थायी समिति द्वारा एक प्रतिवेदन तैयार किया गया था और दिए गए कई सुझावों या की गयी कई सिफारिशों में से कई को स्वीकार किया गया था। कुछ समय बाद जब उसमें नए खंड जोड़े गए थे एवं उसे सभा के समक्ष पुन: रखा गया था तो हमने उस पर आपत्ति की। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सभापति श्री यशवंत सिन्हा को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ा था कि यह तो एक नया विधेयक बन गया है। इसे स्थायी समिति के पास पुन: भेजा जाना चाहिए। जब यह स्थायी समिति के पास गया तो वहां हुई चर्चा का उल्लेख करने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन वह तो इतिहास का अंग बन गया है। कई सदस्य उन सुझावों पर पुन: चर्चा चाहते थे जिन पर पहले ही चर्चा हो गयी थी एवं वे विधेयक पर नए सिरे से चर्चा करना चाहते थे। लेकिन वित्त समिति के सभापति ने अपनी बात रखी एवं हममें से कईयों ने उसका समर्थन करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें उन मुद्दों पर पुन: चर्चा करने की जरूरत नहीं है जिन पर पहले ही बहस हो चुकी है एवं जिन पर स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें कर दी हैं। जो भी नए सुझाव आए हैं, नए उपबंधों की सिफारिश की गयी है; वे इस विधेयक में हैं, केवल उन्हीं बातों पर गौर किया जा सकता है। इसी कारण, इस विधेयक में कई परिवर्तन हुए हैं।

मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें और परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कि विद्यमान अधिनियम 1956 का है। हो सकता है उस बीच कुछ फेर-बदल हुए हों। लेकिन कंपनी एवं कंपनी प्रबंधन के संबंध में पूरी दुनिया ही बदल गयी है। कंपनी के प्रबंधन के संबंध में मुझे बहुत कम अनुभव है। मेरे पास न तो कोई कंपनी है और न ही किसी कंपनी में मेरे शेयर हैं। प्रो. सौगत राय का भी कोई शेयर नहीं है। उनके पास भी कोई कंपनी नहीं है। वह किसी कंपनी के मालिक भी नहीं हैं। हममें से कईयों के पास वह अनुभव नहीं है।

जब यह विधेयक हमारे पास विचारार्थ आया तब हमने इसके चार मुख्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया। वास्तव में यदि आज सदन में सदस्यों की उपस्थिति कम होती और यदि हमें देर रात तक नहीं बैठना पड़ता तो हमारे इस युवा मंत्री, जिन्होंने अपने जीवन में पहला विधेयक पुर:स्थापित किया है, को अत्यधिक खुशी होती।

इसलिए, मैं प्रारंभ में ही कहूंगा कि हमें इसकी अध्ययन करने में कुछ और समय की आवश्यकता है क्योंकि इस विधेयक से इस देश में एक नया माहौल सृजित होगा। इस विधेयक से उन लोगों के बीच विश्वास बनेगा जो शेयर खरीद रहे हैं, जो कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जो कंपनियों का प्रबंधन कर रहे हैं, जो कंपनियों की लेखा-परीक्षा कर रहे हैं और जिन्हें कॉर्पोरेट क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए, सबसे पहला मुद्दा कॉर्पोरेट शासन है। शुरूआत में, इस विधेयक में सरकार का प्रथम दृष्टिकोण अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बीच पृथक्करण के बारे में है। समान रूप से हमने पिछले डेढ़ दशक के दौरान कई चीजें घटित होती देखी है। मैं मानता हूं कि यह प्रमुख मुद्दों में से एक है जिसमें कंपनियों की संख्या विनिर्दिष्ट होंगी जिसमें व्यक्ति निदेशक बन सकता है। स्वतंत्र निदेशक के बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है। बोर्ड कैसे कार्य करेगा इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है और लेखा परीक्षक की पात्रता और स्वतंत्रता की जांच हेतु लेखा समिति की भी जांच की जा रही है।

हमारे अच्छे और विद्वान मित्र सौगत राय ने पारिश्रमिक के बारे में उल्लेख किया है। स्थायी समिति में इस पर भी विचार-विमर्श किया गया था। मुझे आशा है कि जब मंत्री जी इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो मैं यहां उपस्थित रहूंगा और मुझे यह भी आशा है कि इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले अन्य सदस्यगण भी उपस्थित होंगे और इस मुद्दे पर विचार करेंगे। लाभ अर्जित कर रही कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों दोनों ही में कोई पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे कर सकता है?

वास्तव में कॉर्पोरेट का सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) एक ऐसा मुद्दा है जिसे पर इस सभा में न सिर्फ आप बल्कि पिछले एक वर्ष या इससे अधिक अवधि से चर्चा की जा रही है; सीएसआर पर मीडिया में और बाहर भी चर्चा की जा रही है। किन्तु यह केवल एक पक्ष है। मैं कहता हूं कि मुख्य पहलू यह है कि आप उन लेखा-परीक्षकों के कार्यों को कैसे ठीक अथवा इसकी जांच करेंगे जो वास्तव में संबंधित कंपनियों के वित्तीय पक्ष की जांच कर रहे हैं। क्या ये दो व्यक्ति होंगे जो उस लेखा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते हैं अथवा वह कंपनी जो वास्तव में इस मुद्दे की लेखा-परीक्षा में लगी हुई हैं? हमने विदेशी लेखा-परीक्षकों को यहां आकर लेखा परीक्षा करने और अपनी रिपोर्ट देने को स्वीकार कर लिया है। काफी हद तक विधेयक में उस पहलू और स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों से जुड़े मुद्दे की जांच की गई है।

महोदय, यह विधेयक कंपनियों से जुड़े कानूनों के समेकन और संशोधन के संबंध में है। सन् 1956 से भारतीय कारोबारी परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाया आया हैं अर्थव्यवस्था के और वैश्विकरण, पूंजी के अधिक प्रतिभोज्य होने, कारोबार पर निम्नतर सरकारी सर्वेक्षण होने, और समाज के अपने हकों और अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक होने के साथ...

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. सौगत राय : महोदय, ये बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। ये समाचार-पत्र के संपादक हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय वह उड़िया समाचार-पत्र है।

इसलिए, सामाजिक और आर्थिक बदलावों में कानून की झलक होनी चाहिए और इन कानूनों को केवल हाल में घटित घटनाओं और घोटालों को कम करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। विकसित बाजारों में प्रचलित कानूनों के जैसे कानूनों को लाकर हम भारत में सार रूप में कॉर्पोरेट शासन की गुणवत्ता का संवर्धन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश सूचीबद्ध कंपनियों में प्रवर्तक समूह की धारित अधिक होती है जबकि पश्चिमी देशों में विविध शेयरधारकों वाली कंपनियों के लिए ऐसे कानून लाए जाते हैं। कंपनी विधेयक में कानूनों के तत्व विद्यमान हैं जो अन्य बाजारों के साथ बेहतर कार्य करते हैं यथा बोर्ड की बैठकों हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए डिजिटल युग से जुड़े बदलावों, को स्वीकार करना, सामान्य बैठकों में मतदान, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, शेल्फ पंजीकरण, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के बाहर निकलने के विकल्प और कुछ ऐसे तत्व जो भारत के संदर्भ में बनाए जाते हैं। महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस नए विधेयक का उद्देश्य आधी सदी पूर्व के पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 को बदलने और संसार भर में हो रही प्रगति की तर्ज पर कॉर्पोरेट प्रचलन को आधुनिक बनाने का उल्लेख है।

मैं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी कार्य पर आता हूं जो एक मुद्दा है जिसकी चर्चा सर्वत्र हो रही है। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सरकार से कंपनी विधेयक में "निजी स्थापन" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कहा था। मुझे आशा है कि इस मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री जी यह बताएं कि धन जुटाने में इस निजी स्थापन लिखत क्या है और इससे किस प्रकार लाभ होगा।

मैं ओडिसा राज्य का रहने वाला हूं, निशिकांत बाबू झारखंड राज्य के रहने वाले हैं; और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो छत्तीसगढ़ के रहने

[श्री भर्तृहरि महताब]

वाले हैं। ये खनिज आधारित क्षेत्र हैं। कंपनियां यहां खनन कार्य कर रही है। कंपनियां संयंत्र स्थापित कर रही हैं। किन्तु सीएसआर गतिविधि या तो मुम्बई या अन्य शहरी क्षेत्रों अथवा कोलकाता या उनकी पसंद के कुछ अन्य शहरी क्षेत्रों में हो रही है। ऐसी स्थिति में, इससे हमें किस प्रकार लाभ मिलता है? हमारे क्षेत्र के खजाने का दोहन हो रहा है। कुछ लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है; कुछ राज्य सरकार बाहर के लोगों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लेकर आयी हैं। किन्तु इन कंपनियों की सीएसआर गतिविधि क्या है जहां वास्तव में ये कंपनियां कार्य कर रही हैं? इसलिए लगातार हमारा प्रयास इस अनिवार्य बनाने का था। किन्तु मैं पाता हूं कि इसमें कमी की गई है। यदि मंत्री जी उत्तर देते हुए यह कहें कि कोई कमी नहीं होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यह इसलिए क्योंकि दो प्रतिशत को अनिवार्य बताया गया था, मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह अनिवार्य है। किन्तु जहां तक मैं समझता हूं एक संशोधन है। यदि कोई कंपनी निवेश नहीं करना चाहती है तो सीएसआर में वह उस कारण को विनिर्दिष्ट करे। यदि वह कोई कारण बताए तो क्या लोग उस कारण को स्वीकार करेंगे जिनके लिए वह धन खर्च किया जाना था अथवा सरकार इस कारण को स्वीकार करेगी जो दिल्ली में बैठी है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : उस संदर्भ में, मैं केवल उस पर जोर दूंगा कि पहली बार भारत इसे लागू करने और अनिवार्य बनाने जा रहा है, इसके पूर्व सीएसआर स्वैच्छिक था। फिर भी आपने इसमें एक गुंजाइश दी है। मुझे आशा है कि मंत्री जी एक बड़े विद्वान उद्योगपति, जमशेद जी टाटा को याद करेंगे; अपने पुत्र दोराबजी को 1920 में लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि एक कारोबार उस समुदाय के अस्तित्व के प्रति ऋणी होता है। इसलिए, सरकार का दृष्टिकोण समाज के लिए अर्थपूर्ण सहयोग हेतु लाभ प्रदान करते हुए सीएसआर गतिविधियों के लिए कॉर्पोरेट को प्रोत्साहित करने के प्रति होना चाहिए।

दो और बिंदु हैं जिसे यहां मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : इन वर्षों में मुक्त रूप से काम करने के बाद अब भारतीय कंपनियों को सुव्यवस्थित करने और चलाने में कुछ अनुशासन में रहने की आदत डालने की जरूरत होगी। बहुत जल्द सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि एक छोटा शेयर-धारक — कंपनी के प्रबंधन के विरुद्ध जाने में सक्षम हा सकेगा। हमारे देश में चूककर्त्ता कंपनियों से राहत चालने वाले छोटे निवेशकों के लिए यह एक सरल-हथियार जल्द ही उपलब्ध होगा। परन्तु मेरा विचार है कि कॉर्पोरेट शासन के स्तर को केवल स्वतंत्र निदेशकों के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : इस विधेयक से कॉर्पोरेट अपराध के प्रमुख स्रोत को समाप्त करने में सहायता मिलने की आशा है, क्योंकि ऋण की सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक या वित्तीहय संस्थाओं के साथ करार करने के लिए किसी व्यक्ति को गलत ढंग से प्ररित करने हेतु दंड देने के प्रावधान को शामिल करने के लिए खंड 36(ग) में संशोधन किया गया है। तथापि, इस कम्पनी विधेयक के अनेक प्रावधानों ओर उप-प्रावधानों को अभी तैयार किया जाना है, इसको लेकर सम्पूर्ण व्यवस्था में एक प्रकार की अनिश्चितता बनी हुई है और इससे प्रचालनात्मक अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं; किसी को पता नहीं कि ये सब कब किया जाएगा।

अन्ततः, जब नया कंपनी विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है, तब कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच निकाय, एसएफआईओ के पास गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : एसएफआईओ के पास कतिपय अपराधों के संबंध में गिरफ्तार करने का अधिकार होगा, जिसमें धोखाधड़ी के लिए दंड देने का प्रावधान होगा। मैं अपराध संज्ञेय होंगे और ऐसे अपराधों को अभियुक्तों को विभिन्न शर्तों के अध्यधीन जमानत पर छोड़ा जाएगा। यह प्रावधान एसएफआईओ को मजबूत बनाने के लिए गठित वेपा कमेसम समिति की अनुशंसा के अनुरूप है लेकिन यह सम्पूर्ण बात नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय वेपा कमेसम समिति की रिपोर्ट की रिपोर्ट में दिए गये सुझावों को पढ़ेंगे। एसआईएफओ को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष रखे गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और हम चाहते हैं कि इस विधेयक को इसी सत्र में राज्य सभा में भी लाया जाए।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदय, मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं और साथ ही पूर्व मंत्री, श्री वीरप्पा मोइली को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस विधेयक से संबंधित कार्य आरंभ किया था। मैं उन मुद्दों पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा जिन पर पहले ही बोला जा चुका है और इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में कहूंगा।

स्थायी समिति की एक अनुशंसा यह थी कि मंत्रालय को अपने नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों से संबंधित अपने टिप्पणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि इस विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है लेकिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उथल-पुथल का प्रमुख कारण यह है कि उन्हें विभिन्न मंत्रालयों से विचित्र अनुदेश मिलते हैं इसलिए, यदि सरकार निश्चित रूप से पीएसयू को बचाना चाहती है – हम एयर इंडिया और तेल कम्पनियों में ऐसा होते हुए देखा है – और वास्तव में यह नहीं चाहते हैं कोल इंडिया जैसी कम्पनियां गायब हो जाए और घाटा वाली कम्पनियां बन जाए, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मंत्रालय कृपया विचार करें कि नियंत्रण करने वाले मंत्रालय द्वारा दिये गए सभी अनुदेशों को सार्वजनिक किया जाए।

[हिन्दी]

सीएसआर के बारे में काफी चर्चा हुई है। हम सरकार में भी थे और प्राइवेट सेक्टर में भी थे। लेकिन एक चीज जरूर है कि आप प्राइवेट कंपनी का जब तक सीएसआर का ऑडिट नहीं करेंगे, तब तक आपको कभी मालूम नहीं होगा कि वे सचमुच में दो प्रतिशत को उस क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खास तौर से ओडिशा या झारखंड जैसी जगहों पर, जहां माइनिंग कंपनीज़, आयरन ओर और स्टील कंपनीज़ हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सीएसआर के काम को सचमुच में ऑडिट करने की आवश्यकता है कि यह सही में हो रहा है या सिर्फ अपनी बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है।

बहुत सारे साथियों ने एनबीएफसी के बारे में कहा है। जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से गरीब लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं, तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एनबीएफसी की मॉनिट्रिंग के लिए एक सेल बना दें। जैसा कि सौगत रॉय साहब भी बोल रहे थे, कुछ कंपनियां जनता पर दबाव डाल रही हैं कि वे अपना पैसा वापस न लें और किसी और शेयर में बदल दें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एनबीएफसी के लिए एक स्पेशल मॉनिट्रिंग हो। दूसरा, सीरियस फ्रॉड ऑफिस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है।

सर, एक और प्रावधान, पीनल प्रॉविजन जो ऑडिट के लिए है, उसको निकाला गया है। ऑडिटर की सांठ-गांठ से कोई भी काफी फ्रॉड कर सकता है तो इस पीनल प्रॉविजन को लागू करना आवश्यक है। यह देखना यह है कि इसको आप किस तरह से करते हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो-जो कंपनीज़ हैं, जो देश के ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं, चाहे वे कोल के क्षेत्र में हो, ऑयल के क्षेत्र में हों या प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में हों, उनके ओनरशिप को डिफ्यूज करना बहुत ही जरूरी है। कोई कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो, जो कि कानून को अपनी हिसाब से मैनुपुलेट कर सके। भविष्य के लिए कम्पनियों के स्वामित्व का विस्तार करने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का का मौका दिया।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं यहां से बोलने की इजाजत चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको इजाज़त है।

श्री निशिकांत दुबे : सभापति जी, मुझे पता है कि मंत्री महोदय जल्दी में हैं और मैं भी चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से पास हो जाए। मैं इस बिल के लिए चार साल से स्थायी समिति में लगा हुआ था। सचिन पायलट साहब को सभी लोग बधाई दे रहे हैं, मेरी ओर से भी उनको बधाई है। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन जो अंत में गोल करता है, नाम उसी का होता है। इसको वीरप्पा मोइली साहब पायलट कर रहे थे, सलमान खुर्शीद कर रहे थे, उसके पहले प्रेम चंद गुप्ता कर रहे थे, स्थायी समिति में पहले श्री अनंत कुमार आए, मुरली मनोहर जोशी जी आए और उसके बाद यशवंत सिन्हा साहब आए, लेकिन यह सारा क्रेडिट सचिन साहब को जाएगा। इतिहास उनको याद रखेगा कि आप सन् 1956 के इतने वर्षों के बाद यह बिल लाए, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। चूंकि आप युवा हैं, इसलिए यह पार्लियामेंट रात भर जाग कर आपको सहयोग कर रही है, इसलिए आपको पार्लियामेंट को भी धन्यवाद देना चाहिए।

यह जमाना परिवर्तन का है। इस बिल का मतलब चेंज है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में कहा गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति जिस तरह से बदली है, उसके लिए नए कंपनी बिल

[श्री निशिकांत दुबे]

की आवश्यकता है। इसीलिए इसको रीराइट किया गया है। इसी तरह से सरकार और भी कुछ कर रही है। डायरेक्ट टैक्स कोड, क्योंकि सन् 1965 का पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ बदल रहा है। सन् 1947-48 में पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ था कि एक्साइज अलग होगा, सेल्स टैक्स अलग रहेगा तो अब सरकार वैट और इसके माध्यम से अब जीएसटी बदलने की बात कर रही है। आपको पता है कि इस चेंज में सहयोग करने के लिए, क्योंकि पहले सोशलिज्म था, उसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी का कम्यूनिजम था और अब हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं।

रात्रि 09.00 बजे

हमने फैक्ट्री बिल को बदला, इलेक्ट्रिसिटी बिल को बदला और उसके जो उदाहरण हमारे देश में हैं कि हम पूरी दुनिया में कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, उसका एक उदाहरण है और उसमें कंपनी बिल आपको सहयोग करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, क्योंकि यह चेंज के साथ एक ट्रांसपेरेंट बिल है कि कैसे कॉर्पोरेट में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इक्विलिटी, जो सीएसआर है कि पारदर्शिता के साथ समानता, आम आदमी को समानता कैसे मिलेगी, यह इस बिल का मकसद है। हमारे पहले के जितने वक्ता बोले, उदासी साहब बोले, निरुपम साहब बोले, शैलेन्द्र कुमार साहब बोले, भर्तृहरि महताब साहब बोले या मंत्री जी आपने बोला, उसे मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। जब वर्ष 2000 में यह बिल आया और कहा गया कि पीसमिल अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनायी, सच्चर कमेटी के बाद इराडी कमेटी आ गयी, इराडी कमेटी के बाद जे.जे. ईरानी कमेटी आयी। इन सबका जो एक समावेश था, एसएफआईओ के लिए जिस तरह से वेपा कामेसन कमेटी आयी और उसने जो चीज कही, उसके बाद चीजें निकलकर आयीं। इस बिल में मुझे पॉजिटिव चीज ई-गवर्नेंस दिखायी देती है, इनहैंस एकाउंटिबिलिटी है, लेकिन दुनिया में जो कानून है, उसके बारे में मुझे लगता है कि इस कंपनी बिल में कहीं न कहीं हम उसका इसमें समावेश नहीं कर पाए हैं। जैसे यूएस है, हम उनसे कंपीट करने की बात करते हैं, आज हमारे लिए यदि कोई इकॉनामी होगी, तीसरी इकॉनामी होगी, तो यू.एस. में क्या लॉ होगा, चाइना में क्या लॉ होगा? यूएस का लॉ यह है कि उनका एक फेडरल स्ट्रक्चर है। स्टेट के लिए अलग कानून है, अलग कंपनी लॉ है और सेंटर के लिए फेडरल स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने अलग लॉ बनाया हुआ है। उसको हम एकमोडेट नहीं कर पाए, क्योंकि स्टेट को हमने कोई अधिकार नहीं दिया है, पूरा सेंट्रलाइज कर लिया है। यह बाद के दिनों में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समस्या क्रिएट करेगा, जोकि जीएसटी और वैट में हमें देखने को मिला है।

दूसरा, इसके बाद यू.के. है, वर्ष 1948 का जो यू.के. का लॉ है, वह मदरली लॉ मान जाता है, जिसको वर्ष 2006 में उन्होंने अमेंड किया है। उससे भी हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास नहीं किया है। वर्ष 1948 का जो उनका कंपनी लॉ है, यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। वर्ष 2006 में उन्होंने अमेंड किया, उसको भी हमने एकमोडेट नहीं किया। इसके बाद जर्मनी और फ्रांस है क्योंकि जिस इकोनॉमी के साथ हमें कंपीट करना है, जर्मनी में प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग कानून है, पब्लिक सेक्टर के लिए अलग कानून है, फ्रांस में भी मोर और लैस वही है। हमने इस पूरे कंपनी बिल में, चूंकि हम रीराइट कर रहे थे तो उसे एकमोडेट नहीं किया है। जब आप उस बिल को कानून के तौर पर लायेंगे या उसका नोटीफिकेशन करेंगे तो इसको कैसे एकमोडेट करेंगे, यह एक देखने का सवाल है। इसके बाद कुछ चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि यह कानून यदि पास हो जायेगा, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर, दो चीजें हैं जिनके बारे में भर्तृहरि महताब साहब बता रहे थे। चिट फंड कंपनियां नुकसान कर रही हैं, कोई बात नहीं है, रियलिटी सेक्टर नुकसान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस देश में कई कानून हैं, 302 है, रेप का कानून है, आज ही सुशील कुमार शिंदे साहब कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, क्या सब चीज बंद हो गयीं या वह बंद नहीं होती है तो आप बिना किसी को कोर्ट का सहारा दिये हुए उसे फांसी पर लटका दोगे। यदि आप ओएफसीडी, ऑप्शनल फुल्ली डिबेंचर जो है वो और जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, यदि उसे बंद कर देंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट को यदि पब्लिक ऑफर के साथ ला देंगे, तो मैं यह कह सकता हूं, जो शैलेन्द्र कुमार जी का कंसर्न है कि कोई भी दलित आदमी, कोई भी गरीब आदमी एक इंडस्ट्री नहीं खोल सकता है। इस देश में उदाहरण है कि टाटा संस एक ट्रस्ट के तौर पर आया, इंडिया बुल्स एक ट्रस्ट के तौर पर आया, सबने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है इस देश में, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे रूइयाज हो, कोई भी हो, जितने बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू यह किया है और उनका देश में कान्ट्रीब्यूशन है, चाहे एयरटेल हो। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस तरह के क्लॉज को आपको कभी भी सरकार के इसमें नहीं देना चाहिए, सेबी को आप हाथ में दे रहे हैं, यह नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो मैं अभी सुशील कुमार शिंदे साहब

से दो कास्ट्स को इंक्लूड करने की बात कर रहा हूं। मैंने आपको भी कहानी सुनायी थी, खेतौरी और घटवाल दो जातियां थी, कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने 26 नवम्बर, 1948 में उनको कहा कि ये बैकवर्ड ट्राइब्स हैं। जब वर्ष 1950 में नोटिफिकेशन होने लगा, तो क्लेरिकल एरर से वे जातियां खत्म हो गयीं और 65 साल से, मेरे से पहले जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वे लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ट्राइबल अफेयर्स की मंत्री रानी नरह बैठी हुई हैं, इनके मंत्री श्री वी. किशोर चन्द्र देव जी के साथ मैं कई मीटिंग कर चुका हूं, वे केवल सुधार होने के लिए, अब कहते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल कहेगा, वे कहते हैं कि इसके लिए आपको शैड्यूल ट्राइब कमीशन में जाना होगा, स्टेट का रिकमंडेशन लेना होगा, इथेनोग्राफी रिपोर्ट आयेगी। इतने कानून हैं कि क्लैरिकल एरर में वह सुधार आज तक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इन चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा कुछ क्लॉज हैं जिन पर मैं मंत्री जी से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

क्लॉज़ 149(3) में कहा गया है कि एक इंडीपेंन्डेंट डायरेक्टर का डाटा बैंक आएगा। आप समझिए यदि किसी को अमर्त्य सेन को डायरेक्टर बनाना है, किसी को बिल क्लिंटन को डायरेक्टर बनाना है, किसी को जॉर्ज बुश को डायरेक्टर बनाना है, क्या वे कहेंगे कि हम कंपनी में डायरेक्टर हो जाएंगे? मोइली साहब से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं वे दूल्हा बिकता है बाजार में, मुझे खरीदोगे" इस तरह से कोई मैट्रिमोनियल या एडवर्टाइजमैंट तो नहीं दे रहे हैं? यदि इंडीहपेंडेंट डायरेक्टर का डाटा बैंक आप बनाएंगे तो मुझे लगता है कि जो चीजें कंपनी को चाहिए, वे नहीं हो पाएंगी। यह क्लॉज स्टैन्डिंग कमेटी में भी हम लोगों ने मिस किया है और आपको इसका सुधार करना चाहिए था।

इसके बाद इंडीपेंडेंट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में भी आएगा। मान लीजिए, हम और उदासी साहब एक कंपनी बना लेते हैं तो उसमें इंडीपेंडेंट डायरेक्टर की क्या आवश्यकता है? जब हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, हमारे घर का पैसा लग रहा है, दो करोड़ रुपये की पूंजी में हमाने कंपनी बना ली तो उसमें इंडीपेंडेंट डायरेक्टर की क्या आवश्यकता है, कौन सी चीटिंग हो रही है? इसलिए जब हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, चार दोस्त मिलकर यदि कंपनी बना रहे हैं, उसमें यदि आप ऐसा करेंगे तो लाइसेंस, परमिट और कोटा राज की तरह हो जाएगा और इस कंपनी बिल का मकसद पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा।

इसके बाद स्माल शेयरहोल्डर के लिए आपने कहा है कि 151 एच स्माल शेयर होल्डर नॉमिनी होगा प्रमोटर डायरैक्टर का। यदि 151 को आप लागू कर देंगे तो वह तो उसके चमचे की तरह बिहेव करेगा। कोई भी 20000 का स्माल शेयर होल्डर है, उसको कंपनी वालों ने या प्रमोटर ने कहा कि यही हमारा रिप्रजेन्टेटिव होगा, डायरेक्टर होगा। इस तरह की सिचुएशन को खत्म करना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 188 में है कि एम.डी. या डायरेक्टर किसी को पावर नहीं है। यदि उसको कोई इनवेंस्टमेंट करना है, कहीं बाहर से मर्जर या एक्वीजीशन करना है तो उसको एजीएम में जाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि एक मर्जर एक्वीजीशन के लिए यदि कंपनी के प्रॉस्पैक्ट्स को बढ़ाने के लिए उसको एजीएम में जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी तो क्या होगा? मेराा यह कहना है कि ये सारे सैक्शंस – 188, 151, 149(3), 149(7) और 151 जो हैं, इनके बरारे में आपको रीलुक करने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि आप किसी अधिकारी के दबाव में नहीं आइए। अधिकारी गलत बात कहेंगे और मैंने देखा है चार साल में कि अधिकारियों का रवैया बहुत ही खतरनाक रहा है...*(व्यवधान)* इसके बाद हाइब्रिड है जिसके कारण 4 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट हुआ है और हाइब्रिड क्लॉज को ही खत्म कर रहे हैं।

अंत में मैं उस बिन्दु पर आऊंगा जो हमारे भर्तृहरि महताब साहब कह रहे थे और आपने भी कहा कि एक नया क्लॉज़ है सीएसआर का। सीएसआर हम लोगों का बड़ा प्रिय विषय रहा। इसमें चेयरमैन यशवंत सिन्हा साहब, भर्तृहरि महताब साहब, गुरुदास बाबू यहां नहीं हैं, हम हैं, थम्बिदुरई साहब हैं – हम चार-पांच सदस्य ऐसे थे जो लगातार चार साल से सीएसआर के लिए लड़ रहे थे और सीएसआर इस देश में कोई नहीं चीज नहीं में। यदि आप धर्म की बात करेंगे तो हिन्दू धर्म में यह धर्मादा के तौर पर, मुस्लिम धर्म में यह जक्कत के तौर पर और सिख धर्म में यह दसांत के तौर पर पहले से ही है। पुरानी दुनिया में भी देखें, मैसापोटामिया का यदि उदाहरण देखेंगे तो हम्पी जो थे, उन्होंने कहा था कि यद आप इस देश में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम आपको फांसी पर लटका देंगे।

सभापति महोदय : दुबे जी, एक मिनट विराम देंगे?

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों, बढ़ाया हुआ समय समाप्त होता है। यदि सभा सहमत हो तो सभा के समय को घंटा और बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस पर सभा सहमत है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : इसी तरह से किसी भी धर्म की बात करेंगे, यदि आप जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म क्या कहता है – "एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति"...*(व्यवधान)* "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:"; "अयं निज: परोवेति गणनां लघुचेतसाम" – यदि हम देखेंगे तो हमारे देश में उदाहरण हैं और यदि आप मॉडर्न युग में आएंगे तो 1622 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको पता है ना कि वहां कितनी बड़ी लड़ाई हुई, अमेरिका के अंदर लड़ाई हुई, और मैं मॉडर्न युग में मैं आपको कहता हूं कि सीएसआर की आवश्यकता क्यों है। 1957-63 में लॉर्ड मैकमिलन यू.के. के प्रधानमंत्री थे। उनका बड़ा अच्छा क्वोट है:–

बिहाइण्ड दि मास्क; दि रियल फेस ऑफ सीएसआर

इसमें उन्होंने कहा

[अनुवाद]

"हम लोग अनियंत्रित अधिक शक्तियों के दया पर इतने लंबे समय पर रहे हैं कि हम लोग मानव के उद्धार संबंधी किसी योजना के बारे में सशंक्ति हो गए हैं।"

[हिन्दी]

हमारे पास तीन उदाहरण हैं जो आपके समझने के लिए काफी हैं कि हमारे देश में सीएसआर की आवश्यकता क्यों है? एक बेड कम्पनी है और बहुत बड़ी कम्पनी है। केन्या और ब्राजील में क्या हुआ? लोग टीबी से मर रहे हैं। अगर बैड कम्पनी देखिएगा, तो लोग टीबी से मर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया का क्रिश्चियन एड का पूरा सर्वे किया है, उसने कहा है। इसके बाद शेल कम्पनी है। नाइजीरिया में 1990 के अंदर 80 लोगों को गोली मार दी गई। शेल कम्पनी सबसे ज्यादा प्रेफिट नाइजीरिया से ले जाती है और उसके बाद वहां के लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं है। हमारे यहां केरल का एक उदाहरण है। आप कहेंगे दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहां केरल का उदाहरण है कि कोकाकोला का केरल में प्लांट है। केरल में ऐसा है कि वहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। शुद्ध पानी के बिना वे विकलांग हो रहे हैं। इसलिए सीएसआर की आवश्यकता क्या है। सीएसआर को आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी से अलग कॉर्पोरेट सोशल एकाउंटेबिलिटी कहिए। इसे यह नया शब्द देना चाहिए कि आपकी एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसकी एकाउंटेबिलिटी 10 कार्नर से होनी चाहिए। एकाउंटेबिलिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स है और पर्यावरण जो उसके कारण खराब हो रहा है, उसके कारण प्रोटेक्शन आप किस हिसाब से करेंगे। जिस तरह से अभी भर्तृहरि बाबू बता रहे थे। मल्टी नेशनल कम्पनी को आप ला रहे हैं। दुनिया खुल रही है और मल्टी नेशनल कम्पनी आ रही है। वोडाफोन और हच का एक बहुत अच्छा केस है कि 11000 करोड़ रुपए का बाहर का बाहर ट्रांजेक्शन हो गया। आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे यहां से पैसा ले जा रहे हैं। उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता है। आपका जो नेशनल लेजिस्लेशन रेग्युलेशन है, वह कहीं न कहीं ढीला है, जिसके बारे में कह रहे थे कि मैनडेटरी है या नहीं, नहीं देगा तो क्या करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पांच परसेंट पहले से ही आपने पब्लिक सेक्टर कम्पनी को दिया हुआ है और हमारे यहां जो कोयला प्रोड्यूसिंग राज्य हैं या माइनिंग प्रोड्यसिंग राज्य हैं वे कह रहे हैं कि पांच रुपए टन होगा, लेकिन मैं जिस एरिया से सांसद हूं आप देखें कि मेरी कम्पनी बीएफआर में चली गई है। ईसीएल कहती है कि हम नुकसान में हैं। हमारी राजमहल में जो सब्सीडरी है और चितरा में, वह एक हजार करोड़ रुपये हमारे गोड्डा जिला, जहां से मैं सांसद हूं और दूसरा जिला जो मेरा संसदीय क्षेत्र देवघर वहां से 1500 करोड़ रुपये कमाती है। लेकिन सौगत बाबू के रानीगंज क्षेत्र में ईसीएल नुकसान में है। इस कारण से ईसीएल अपने आपको नुकसान में कहती है और हम को जो पांच रुपये मिलने चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि सीएसआर को आप ग्रॉस प्रोफिट पर ले जाइए, न कि नेट प्रोफिट पर। यह मेरा सजैशन है। जो कम्पनियां आपको कह रही हैं कि आप उनको टैक्स में छूट दीजिए, वह गलत बात कह रही हैं। क्योंकि 33 परसेंट टैक्स हमारा है, हमारे लोगों का है। हम उनसे एडिशनल दो परसेंट मांग रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इसको ग्रोस प्रोफिट में ले जाइए। बेशक आप उसको खर्च में डाल दीजिए। हम आपका खर्च इसको मान लेंगे, लेकिन दो परसेंट मैनडेटरी हो। माइनिंग के लिए अलग सीएसआर होना चाहिए और सर्विस सेक्टर के लिए अलग सीएसआर होना चाहिए, तभी बस बिल का कोई समाधान हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूं कि यह बिल पास हो और भविष्य उज्जवल हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अभिजीत मुखर्जी। यह उनका पहला भाषण है।

श्री अभिजीत मुखर्जी (जांगीपुर) : धन्यवाद, महोदय। आपने मुझे समय दिया, इससे मैं अपने-आपको सम्मानित महसूस करता हूं। इस सम्माननीय सदन में श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा जी, श्री राजीव गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लक्ष्य प्रतिष्ठित लब्ध-प्रतिष्ठित वक्ता पहले ही भाषण दे चुके हैं। मुझे अब यहां बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

चूंकि हमारे पास समय की कमी है और जिस विषय पर चर्चा चल रही है, मैं अपने सेवाकाल में सीएसआर प्रबन्धक के रूप में सीएसआर संबंधी कार्यों को अमली जामा पहनाता रहा हूं। अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर मैं भागीदार कम्पनियों के समक्ष आ रही व्यावहारिक समस्याओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सीएसआर पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। जुलाई, 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा पुरी में सीएसआर पर सम्मेलन आयोजित किया गया था और डीपीई द्वारासीएसआर पर दिशा-निर्देश जारी किये गये। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) पर तीन महत्वपूर्ण बिन्दू है– अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समुदाय-सह-जनता। चूंकि व्यवसाय मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, यह सही है। नि:संदेह मुनाफा कोई गलत शब्द नहीं है। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण है वह है कि कितना मुनाफा कमाया जाए और किसी तरह से व्यवसाय किया जाए। किस तरह से मुनाफा कमाया जाए। यह विधेयक कॉर्पोरेट शासन के बारे में बात करता है। उनके प्रतिष्ठित वक्ताओं ने कई बिन्दु उठाये हैं जिन्हें कॉर्पोरेट शासन के अंदर सुलझाया जा सकता है।

व्यवसायियों को अपना-अपना व्यावसाय इस तरह करना चाहिए कि इससे पर्यावरण या अर्थव्यवस्था या समुदाय को हानि न हो। मैं माननीय मंत्री जी से मेरे विचार नोट करने का अनुरोध करता हूं। पहला, 2 प्रतिशत मुनाफा निवल मुनाफा होना चाहिए। अलग-अलग कंपनियों के लिए निवल मुनाफा की परिभाषा अलग-अलग होती है। ओएनजीसी में, कर चुकाने के बाद दो वर्ष पूर्व 2 प्रतिशत मुनाफा लगभग 500 करोड़ रुपये आकलित किया गया था और सेल में लगभग 100 करोड़ रुपये। सेल में, विशेषकर इसे लाभांश कटाने, लाभांश कर घटाने के बाद पीटीए के रूप में लिया जाता है और यह वास्तव में 2 प्रतिशत से थोड़ा कम होता है। इसलिए, विधेयक को दो प्रतिशत मुनाफा निर्धारित करने संबंधी सूत्र के साथ-साथ परिभाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सांविधिक दायित्वों के अधीन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों सहित अनेक कंपनियां/संगठन हैं जिनसे कामगारों के लिए अच्छी कैंटीन, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराना अपेक्षित है। कई बार, इन्हें भी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन माना जाता है। कई बहुत अच्छी कंपनियां और गैर-सरकारी संगठन सीएसआर लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कार्य प्रणाली बनाई हैं। अनेक कंपनियां सीएसआर स्वयं कर रही हैं लेकिन सामान्यत: सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में इंजीनियर या अन्य अधिकारी सीएसआर को देख रहे हैं, समाजशास्त्री नहीं। सामान्यत:, संगठन अपनी सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को रखते हैं। यह पता चला है कि मात्र 40% ही लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच पाता है।

सीएसआर विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों ने भी उस पर अपना चिंतन मनन किया। उन्होंने कई अच्छी बातें सामने रखी हैं। जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी अनेक कंपनियां हैं, विशेषकर सरकारी क्षेत्र कंपनियां, जिनकी इकाइयां विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और जहां किसी एक राज्य की इकाई लाभ कमा रही है और दूसरे राज्य में स्थिति अन्य इकाई लाभ नहीं कमा रही है। यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक इकाई कंपनी नहीं होती है। मैं तो कहूंगा कि यह कंपनी के अनेक भागों में से एक भाग है। वह विशेष इकाई/भाग लाभ नहीं कमा रहा है, अब प्रश्न यह है कि क्या किसी राज्य विशेष में स्थित उस विशेष इकाई से अर्जित लाभ को उस राज्य विशेष में वितरित किया जाना चाहिए या नहीं? उदाहरण के लिए एक राज्य में कोयला, स्टील और बिजली का उत्पादन होता है लेकिन उन्हें पूरे देश भर में वितरित किया जाता है, सीएसआर के अधीन धन व्यय करने के लिए इन कंपनियों की नीति क्या होनी चाहिए?

महोदय, सीएसआर के अधीन, साधारणतया हमारा अर्थ सामुदायिक विकास होता है जिससे पहले परिधीय विकास के नाम से जाना जाता था और वह उस विशेष संयंत्र, जहां वह संयंत्र स्थित है, को घेरते हुए 10-15 किमी. की त्रिज्यीय दूरी तक सीमित था। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक राज्य विशेष में, एक कंपनी द्वारा कतिपय गांवों को आदर्श गांवों के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने यह कहते हुए कि यह उस कंपनी की जिम्मेदारी है, पल्स पोलियो ड्रॉप्स देना भी बंद कर दिया है। मुख्यत: गांवों को सड़क, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, सौर प्रकाश और विद्यालय इत्यादि उपलब्ध कराकर आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया गया था। इसके साथ-साथ, स्थानीय ग्रामीणों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए

[श्री अभिजीत मुखर्जी]

कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी किराये पर रखा गया था ताकि वे व्यावसायिक प्रशिक्षण से कुछ धन अर्जित कर सकें। सहायता देने का कुल लक्ष्य 4-5 वर्षों के लिए था। कोई कंपनी तभी यह धन दे सकती है जब वह लाभ अर्जित करती है। अब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी प्रकार की कोई सीएसआर निधि की स्थापना की जा सकती है, जब कोई कंपनी लाभ कमा रही है, तो कुछ धन उस निधि में डाला जाना चाहिए और उस निधि से सीएसआर पर धन व्यय किया जा सकता है, जैसे कि टाटा ने किया है। ऐसे मामले में, इस बात से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा कि कंपनी लाभ कमा रही है या नहीं।

दूसरा विकल्प भी प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह हो सकता है। एक सीएसआर कोष होना चाहिए जिसमें कंपनियां/संगठन एक निश्चित प्रतिशत या 2% लाभ राशि जमा करेंगी। उस कोष से, पूरे भारत में सीएसआर संबंधी कार्य किया जा सकता है। कोई भी कंपनी किसी विशेष क्षेत्र को ले सकती हैं जैसे कि बालिका शिक्षा या टीकाकरण या सभी के लिए पानी या सभी के लिए बिजली इत्यादि। वे कोई विशिष्ट क्षेत्र चुन सकते हैं और उसकी सूची प्रधानमंत्री राहत कोष या सीएसआर कोष को दे सकते हैं।

सीएसआर कोष ने मुंबई में टाटा समाज विज्ञान संस्थान के साथ पहले से ही समझौता कर लिया है और वे दिशा-निर्देश भी बना रहे हैं और ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध कर रहे हैं जो इन कार्यों को कर सकें। एनटीपीसी ने उन्हें पहले ही कार्य दे दिया है; पूरा सीएसआर कोष कहा जाता है और वे अपने चुने हुए क्षेत्र में उस धनराशि को खर्च कर रहे हैं। लेकिन, इस पर दिशा-निर्देश मौन हैं। इसलिए, मैं इस मामले को देखने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या इसे यहां लागू किया जा सकता है, माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मैं किसी का नाम लिए बिना कहना चाहता हूं कि सीएसआर कोष में मंत्रीय हस्तक्षेप के कारण सरकारी कंपनियों के विवाद में फंसने की बहुत संभावना बनी रहती है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन दिग्गज मंत्री उस कोष को अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह धन खर्च नहीं किया जाता है लेकिन यह भारत सरकार या स्थानीय राज्य सरकार कार्यक्रम का भी हिस्सा होना चाहिए। इसे स्थानीय/केंद्र सरकार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थान या क्षेत्र का चयन स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय सरकार, या डीएम या एसडीओ या इसी जैसे किसी अधिकारी के साथ परामर्श करके किया जा सकता है।

ये मेरे कुछ सुझाव हैं; मुझे तैयारी करने का अधिक समय नहीं मिला लेकिन फिर भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और युववा माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने क लिए बधाई देता हूं।

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन) : महोदय, मैंने भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री से इस विधेयक पर बोलने के लिए मुझे कुछ समय दिए जाने का अनुरोध किया है। मैं आज विशेष रूप से इस विधेयक पर बोलने के लिए आया हूं। कृपया, मुझे क्षमा करें। मैं केवल पांच या दस मिनट लूंगा।

मैं आनवश्यक रूप से सभा का समय नहीं लेना चाहता। इस विधेयक में 470 खंड हैं और मैं इन सब खंडों को पढ़ने में असमर्थ हूं। कृपया, मुझे क्षमा करें। मैं इस विधेयक संबंधी केवल दो मुद्दे उठाऊंगा, अर्थात्, अनुसूची छह – अवसंरचनात्मक परियोजनाएं, और परिभाषा – विदेशी कंपनी का अर्थ है भारत में बाहर की गई कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय, जिसका भारत में कारबार हो, चाहे स्वयं या किसी एजेंट द्वारा, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।

महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यहां उपस्थित हैं और पहले उनके पास कंपनी मामले पोर्टफोलियो था। मैं केवल एक उद्धरण दूंगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने, जब वह वित्त मंत्री थे, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वीकृति दी थी।

हमने कर्नाटक में अनेक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की है। एक भारतीय कंपनी ने दो विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन किया। वे दो विदेशी कंपनियां भाग गईं और एक भारतीय कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर की दर से अर्थात् 70 रुपये के साथ सात सदस्यों से एक कंपनी बनाने का प्रयास किया। श्री मोईली यहां पर हैं, एक अवसंरचनात्मक कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि 10 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर दी गई थी। वह पट्टी वाली भूमि आईसीआईसीआई बैंक को 250 करोड़ रुपये में बंधक रखी गई और आप यहां जो लाए हैं – मैंने उसे देखा है – यह गंभीर धोखाधड़ी जांच है। इन सब चीजों को पढ़कर मैं और समय खराब नहीं करूंगा। आज, उस कंपनी ने 1300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसने 8000 करोड़ रुपये का संयुक्त विकास समझौता किया है।

किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसी को भी चिंता नहीं है। वे किसान अपनी भूमि गंवा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री, सदन के नेता, यहां उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : धन्यवाद; आपने अपनी बात कह दी है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कष्टों का सामना कर रहे इन किसानों के विरुद्ध 39 मामले दर्ज किए गए हैं। वे न्यायालयों में परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये गरीब किसान अपनी भूमि गंवा रहे हैं। मेरे द्वारा अनुमति प्रदान की गई अवसंरचनात्मक परियोजना के बारे में मैंने कर्नाटक के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। प्रत्युत्तर में उन्होंने इसकी जांच की और राज्य सरकार से कहा कि बेंगलुरु के आस-पास की 1839 एकड़ भूमि में सुधार किया जाना चाहिए जो पहले चरण के लिए अधिकता में दे दी गई थी। इसे ठीक किया जाना चाहिए यही प्रश्न है। अब मैं इस कंपनी का नाम बताना चाहता हूं; इसका नाम है नेसेल और नाईस। मैं प्रमोटक का नाम नहीं बताना चाहता। मैंने अपने वरिष्ठ नेता को पहचान लिया है क्योंकि वह हमेशा ही इतने विस्तार से बोलते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने इस विधेयक के प्रभावों को ध्यान से नहीं पढ़ा है। तथापि, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता कि हमारे युवा मंत्री इस विधेयक को लाए हैं।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, मैं विस्तृत ब्यौरा दूंगा। क्या आप इस विशेष कंपनी, जिसने ऐसी बड़ी धोखाधड़ी, के विरुद्ध जांच कराने का आश्वासन मुझे देंगे? इस कंपनी ने किस प्रकार धोखाधड़ी की है इसके बारे में मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं — मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा — अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की मिलीभगत से, जिसकी शुरुवात मेरे द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से लेकर आज तक यह धोखाधड़ी की जाती रही है। आप मुझे आश्वासन दें कि आप इसकी जांच सीबीआई या किसी भी एजेंसी, या किसी स्वतंत्र लेखापरीक्ष द्वारा करायेंगे। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री और एक ऐसे व्यक्ति जिसने एक अमेरिकी व्यक्ति, मैसाचुसैट्स के राज्यपाल, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, को आश्वासन देंगे कि आप मुझे इसकी जांच करवाने के लिए हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, पूर्व कॉर्पोरेट मामले मंत्री और सदन के नेता को कहेंगे? मैं अत्यधिक विनम्रातपूर्वक आपसे हमारे गरीब किसानों को बचाने और यह देखने का अनुरोध करता हूं कि धन निवेश करने के लिए विदेश से आ रही इस प्रकार की धोखेबाज कंपनियों...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है; आप मंत्री को लिखें।

श्री एच.डी. देवेगौडा : 10 रुपये की पट्टै वाली भूमि पर उन्होंने एक रुपये का भी निवेश नहीं किया है। अब, इन्होंने एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर करके 8000 करोड़ रुपये गबन कर लिए हैं। दस रुपये की भूमि के लिए अब उन्होंने 4 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से एक अन्य जमेदा बिल्डर्स कंपनी के साथ समझौता किया है। मैं सभी दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। यह 10 रुपये की भूमि है और उन्होंने 4 करोड़ रुपये के लिए समझौता किया है। यह क्या है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

श्री एच.डी. देवेगौडा : अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में जांच करने का वायदा करें। मैं कर्नाटक में कष्ट भोग रहे गरीब किसानों की ओर से आपको बधाई दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट : आपका बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया देने के पूर्व में उन सभी माननीय संसद सदस्यों जिन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी और जो सायं देर तक सभा में उपस्थित रहे, की हृदय से सराहना करता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद देता हूं कि हम देर तक कार्य करते रहें। मैं सदन के नेता का भी आज उपस्थित रहने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

सर, हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह से इस विधेयक पर अपनी बात को रखा है। मैं उदासी साहब से शुरुआत करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया हैं हमारी कोशिश यह रहेगी कि हमारे साथियों ने जिन-जिन मुद्दों को उठाया है, जितना ज्यादा मैं उन पर प्रकाश डाल सकता हूं, जितना ज्यादा उन का अनसर दे सकता हूं, इसके लिए मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा।...*(व्यवधान)* यह कहा गया है कि यह बिल बहुत बड़ा है। इसमें 470 क्लॉजेज हैं हम आज जो बिल ले कर आए हैं, पहला जा बिल बना था वह आज से 99 साल पहले अंग्रेजों ने वर्ष 1913 में बनाया था उसके बाद यह वर्ष 1956 में यह दुबारा बना। आज हम लोगों को ऐतिहासिक मौका मिला है। आज हम लोगों को देश में अर्थव्यवस्था को नई परिभाषा देने का मौका मिला है। लोगों ने यू.के. की बात की। दूबे जी ने इस

[श्री सचिन पायलट]

बात को मेंशन किया है। वर्ष 2006 का, इंगलैंड का जो कानून है उसमें 1000 क्लॉजेज हैं। हमारे पास 470 क्लॉजेज हैं। हमने कोशिश की है कि एक ऐसा बिल बनाया जाए, ऐसे कानून बनाया जाए तो व्यापक हो लेकिन बहुत लंबा न हो। क्योंकि आजकल कानूनी पचड़ों में कंपनी और इंडिविजुअल फंस जाते हैं।

उदासी साहब ने जिक्र किया है कि जो ड्राफ्ट रूल्स हम लोग बनाएंगे, कानून बनने के बाद जो नोटिफिकेशन होता है, वह रूल्स के माध्यम से होता है। जनरल प्रैक्टिस यह रहती है कि हम लोग रूल्स को खुले वातावरण में फ्रेम करते हैं। हम लोग इंटरनेट और वेबसाइट पर रूल्स के उन सारे प्रावधानों को डिसप्ले करते हैं। मैं हाउस को और आपको दुबारा आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी हम लोग कोई फ्रेमिंग करेंगे तो आप सब को कांफिडेंस में लेंगे। इन सिर्फ सांसदों से चर्चा करेंगे बल्कि कंपनिज, शेयर होल्डर्स, आम जनता, एनजीओ, जो भी लोग इस बिल के स्टेकहोल्डर्स हैं उन से सब से व्यापक चर्चा करने के बाद ही रूल्स को फ्रेम करेंगे।

सर, सीएसआर के ऊपर सभी लोगों ने अपनी-अपनी बातें कही। मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल में हमने जो शेड्यूल-7 बनाया है उसमें हमने 9-10 चीजों की सजैस्टिव लिस्ट रखी है जिनको सीएसआर के तहत हम लोग गिन सकते हैं। मेरा मानना है कि यह रिवाल्विंग आइडिया है। भारत दुनिया का पहला देश होगा जहां इसको एक प्रावधान बना कर, एक कानून में ले कर आ रहा है। समय के साथ इसमें बहुत से बदलाव लाने को भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन आप सब इस बात को मानेंगे कि यह एक अच्छी शुरुआत है। इसमें सभी दलों का समर्थन है। हम लोगों इस दिशा में बड़ा सोच-समझ कर, सबकी सहमति से और सब को सम्मिलित कर कदम उठाएंगे तो ज्यादा व्यापक होगा, इसमें ज्यादा कम्पलायंस हम लोगों को मिलेगा।

सर, जो दो परसेंट की बात की गई है। यह पीएसयूज के लिए पांच परसेंट है। अजय जी ने शायद इस बारे में बोला था कि जो पीएसयूज का सीएसआर होता है उसमें बहुत ज्यादा दखलअंदाजी होती है, उनको घाटा हो सकता है। पहली बात तो जो पीएसयूज मुनाफे में हैं, सिर्फ उन्हीं को सीएसआर करना पड़ेगा। देश में जो साढ़े आठ लाख कंपनिज हैं उनमें से सर्टेन क्लास ऑफ कंपनिज, जिनका स्पेसिफिक टर्नओवर होगा, पिछले तीन सालों में अगर वे प्रॉफिट में होंगे तभी सीएसआर करेंगे। मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम कंपनिज को इतना पाबंद कर देंगे, उनकी किताबों की जांच-पड़ताल, इंस्पेक्टर राज इन्वोक करने का खौफ उन के ऊपर बना रहेगा तो स्वभाविक रूप से कंपनियां इस प्रावधान से बचने की कोशिश करेंगी। हमारी मंशा यह है कि हम गुड फेथ में कानून को बनाएं। हम नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव धारणा लेकर चलें कि सारी कंपनियां इसको करना चाहती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे किसी सांसद ने मेंशन किया है कि जमशेदपुर कैसे बना? उस समय बड़ी कंपनियों को सीएसआर करने का कोई कानूनी दबाव नहीं था फिर भी लोगों ने स्वेच्छा से काम किया है। अनेकों उदाहरण हैं कि बड़े-बड़े कंपनियों ने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे काम किए हैं और समाज को सुधारने के एक महत्वपूर्ण कोशिश की है। हमारा ऐम सीएसआर को स्ट्रक्चर प्रदान करना है, फ्रेम वर्क प्रदान करना। अगर एक कंपनी का कार्य क्षेत्र माइनिंग का है, किसी का सर्विस सेक्टर का है, मैं नहीं समझता हूं कि सरकार का यह काम है कि हम आप को बताएं कि आपको क्या करना चाहिए? लेकिन मैं उनको इतना जरूर प्रेरित किया है कि अगर आप कंपनी के फिलॉस्फिकल एजेंडा रखेंगे और हमने कहा कि आप कमेटी बनाइए। एक सीएसआर कमेटी होगी, एक बोर्ड के अंदर ऑडिट कमेटी होगी। आप बोर्ड में पारित करा कर सीएसआर पॉलिसी को एडाप्ट करेंगे और समयबद्ध तरीके से आप एक डिफाइन टाइम फ्रेम में टेनटेबल जमीन पर, गांव देहात में और शहर में क्या हासिल करेंगे, उसका प्रावधान आप हमें इंटरनेट पर बताइए। कई बार कंपनिज फिलास्फिकल तरीके से बोलेंगे कि हमें देश में भुखमरी खत्म करनी है, शिक्षा खत्म करनी है लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें बड़ा टैंजेबल तरीके से इंटरनेट के ऊपरी प्रस्तुतीकरण कर सकेंगे। हम लोग एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाएंगे, *[अनुवाद]* ताकि अनुपालन आसानी से हो सके।

माननीय सदस्य मुझसे, सहमत होंगे कि विचार अधिक अनुपालन कराने का है। यदि मैं गलत नहीं हूं और मेरा अनुपालन गलत नहीं है तथा यदि अधिकतर कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निभाने के लिए अर्ह हैं, तो वस्तुतः दो प्रतिशत कंपनियों का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाने के प्रति आचरण हमें अपने देश के सभी 650 जिलों का अध्ययन करने के लिए हजारों करोड़ रुपये प्राप्त हो जाएंगे।

विधेयक में ही यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी की पहली प्राथमिकता अपने कार्य स्थल पर उन लोगों की जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने की होनी चाहिए, जिनके अधीन और जिनके साथ वे काम कर रही हैं। केवल कुछ नौकरियां देना ही पर्याप्त नहीं है। हमने कंपनियों से अनुरोध किया है कि जहां भी आप कार्यरत हैं, आप खनन कर रही हैं, आप विनिर्माण कर रही हैं, आपको अपने संचालन स्थल

पर अवश्य ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं, जो कंपनी के संचालन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। महोदय, इसलिए मुझे आशा है कि अनुसूची 7 की धारा 135 में कुछेक बातें ऐसी हैं, जिन्हें हमारा मानना है कि मार्गदर्शक शक्ति के रूप में लिया जा सकता है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कुछ कंपनियों को यह आशंका है कि जैसे ही सरकार सामने आती है तथा पैसा पहले सरकार के पास जाना होता है, तब कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की निगरानी मुश्किल हो जाती है, उसके बाद खासकर जवाबदेही एवं जिम्मेदारी निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है: "हमारा मानना है कि यह देश आपका भी है। यह कॉर्पोरेटों एवं कंपनियों का भी देश है तथा मैं समझता हूं कि वे ज्यादा इच्छुक हैं।" इसलिए उन्हें उस काम को करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वे करना चाहती हैं। कोई पर्यावरण हितैषी कार्य करना चाहता है; कोई व्यावसायिक स्कूल एवं कॉलेज चलाना चाहता है; कोई अस्पताल बनवाना चाहता है। संयोगवश, यदि आपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि के अन्तर्गत स्कूल खोलते हैं और यदि आपको उससे लाभ होता है, तो निश्चित रूप से वह कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नहीं होगा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व बजट से लाभ कमाने की धारणा नहीं हैं। धारणा उन लोगों को बेहतर जीवन स्तर देने की है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं कुछ प्रावधान पढ़कर बताता हूं।

[अनुवाद]

ये हैं:- शिक्षा को बढ़ावा देना; लैंगिक समानता को बढ़ावा देना; बाल मृत्यु दर कम करना; पर्यावरण की सततृता सुनिश्चित करना; व्यावसायिक कौशल का संवर्द्धन करना; सामाजिक व्यवसाय परियोजनाएं; और कोई अन्य विषय, जिनमें कंपनियां योगदान करना उचित समझती हैं।

सभा से मेरा विनम्र निवेदन है कि जैसा कि मैंने कहा कि यह तो शुरुआत है; यह इस संकल्पना के संस्थागत होने की आरम्भिक अवस्था है। हम इसे कानून का अंग बना रहे हैं। विधेयक में यह उल्लेख है कि कंपनियों को यह धनराशि खर्च करनी पड़ेगी; स्वत: रिपोर्टिंग एवं स्वत: घोषणा इसकी जानकारी देनी होगी, लेकिन यह सभी को दृष्टिगोचर होगा, सभी को दर्शाया जाएगा। यदि कंपनियां उस धन को किसी भी कारण से खर्च नहीं कर पाती, तब उन्हें अपनी रिकॉर्ड बहियों और लेखाओं में इसे खर्च न कर पाने के कारणों का उल्लेख करना होगा। यदि वे इसे खर्च नहीं करती और यदि वे इसकी जानकारी भी नहीं देती तो धारा 134 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उन पर शास्ति तथा अर्थदंड लगभग जाएगा। इस नए विधेयक, जिसे हम आज विचारार्थ और पारित करने के लिए रख रहे हैं, के अंतर्गत यह कार्रवाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

हमारे साथी उदासी जी ने दो-चार बातें और बोली हैं। मैं बहुत संक्षेप में उनका जबाव देना चाहता हूं। आपने कहा कि जो कम्पनीज का डिस्पोजेबल एसेट्स है और हमने दो साल का जो प्रावधान दिया है, इस बिल में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट वर्कमेन्स रिस्पौंसीबिलिटी एंड वर्कमेन्स के प्रति कम्पनीज़ की क्या सोच होनी चाहिए, जो हमने बड़े साफ तरीके से उल्लिखित किया है। *[अनुवाद]* हमने कंपनियों को एक कर्मचारी कल्याण न्यास सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि कंपनियों में कार्यरत लोगों का भविष्य सुरक्षित हो।

मैं नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु कुछेक सदस्यों ने कतिपय कंपनियों का उल्लेख किया है जिनमें कंपनियों के प्रोमोटर्स या उनमें काम को देखने वाले लोग शायद कंपनी में कार्यरत लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं।

हम पुनरुद्धार और दिवालियापन निधि भी सृजित कर रहे हैं ताकि दिवालियेपन के समय और समापन प्रक्रिया की प्रक्रिया जारी होने के दौरान न्यूनतम मजदूरी चाहने वाले एवं भविष्य सुनिश्चित करने वाले लोगों को फायदा मिल सके। *[हिन्दी]* हम इसमें इनकी कम से कम दो साल की तनख्वाह मैनडेटरी कर रहे हैं और उनका कम्पनी के ऊपर जो क्लेम होगा, वह सारे क्रेडिटर्स से ज्यादा होगा।

विजय बहादुर जी अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ट्राइबुनल बनेगा। हमने प्रावधान रखा है,

[अनुवाद]

"ऐसा व्यक्ति, जिसको श्रम मामलों का विशेष ज्ञान हो और जो किसी श्रम न्यायालय का कम-से-कम पांच वर्ष तक पीठासीन अधिकारी रहा हो, अधिकरण का सदस्य बनने का पात्र होगा, ताकि एनएसएलटी में ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके, जिनकी पृष्ठभूमि श्रम कानूनों संबंधित हो और जो उन कठिनाइयों को समझते हों, जिनका कार्यरत व्यक्ति सामना करते हैं।

[श्री सचिन पायलट]

[हिन्दी]

संजय जी ने मुद्दा उठाया कि एसएफआईओ को और मजबूत करना है। यह बिल्कुल सच बात है। अभी माननीय देवगौड़ा साहब ने मुझे एक केस के बारे में जांच करने के लिए कहा है, अगर वह मुझे पूरी जानकारी देंगे, उसमें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन मैं सदन में दे सकता हूं। एसएफआईओ एक ऐसी संस्था है, जिसके पास यह कानून बनने के बाद ऐसी ताकतें आएंगी, जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को मिटिगेट करने में लाभदायक सिद्ध होगा।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय गृह मंत्री ने सुबह एक वक्तव्य दिया। हमारे यहां अनेक कानून हैं और वे काफी कठोर कानून है। परन्तु मेरे विचार भी कानून की कठोरता निवारक नहीं है; यह इस बात का आश्वासन है कि कानून के अंतर्गत अपराध दंडनीय होना चाहिए। *[हिन्दी]* जब तक लॉ बड़ा सिवियर है *[अनुवाद]* परन्तु दंड का आश्वासन, मेरे विचार से, एक बड़ा निवारक है। हमें गलत हुए कतिपय कार्यों से कुछ नसीहत होनी चाहिए।

[हिन्दी]

महोदय, संयोगवश, मैं दो दिन पहले बंगाल में कोलकाता में था, वहां चिट फंड्स का मुद्दा उठा था, राय साहब ने इसके बारे में बोला है, मैंने वहां पर भी कहा कि चिट फण्ड्स का जो मुद्दा है, *[अनुवाद]* वास्तव में राज्य सरकार द्वारा इसका विनियमन किया जाता है। चिट फंड का विनियमन चिट फंड विनियमन, अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए राज्य सरकारों के पास चिट फंडों, यदि वे प्रचालक में हैं, को नियमित और नियंत्रित करने की सभी शक्तियां है; परन्तु में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि यदि कोई कंपनी धन जुटाने और छोटे निवेशकों को उल्लू बनाने के लिए विज्ञापन हेतु कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग कर रही है, तो यह मंत्रालय और मैं स्वयं सभी राज्य सरकारों से बात करूंगा। हम निवेशकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और छोटे निवेशक जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अपना पैसा वापस लेने के लिए निदेशकों के पास अच्छे वकील और अच्छे लेखाकारों को रखने के लिए संसाधन और धन नहीं है। यह निवेशकों की मेहनत की कमाई है। निवेशकों के इस पैसे का रक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। *[हिन्दी]* सौगत राय जी ने सत्यम का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि जब यह फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, हमने कार्रवाई की, सरकार का टाइमली इंटरवेंशन हुआ, अनेक लोगों की नौकरी बची, इनवेस्टर्स को हमने प्रोटेक्ट किया और जिस कंपनी ने इसका ऑडिट किया था, उसके कुछ पार्टनर्स जेल गए हैं, हैदराबाद की सीबीआई कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। मैं पुनः इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि कोई भी हो — ऑडिटर, वकील, कंपनी हो, डायरेक्टर हो, अगर आम जनता का, इनवेस्टर का, लोगों का, इस देश का कानून जो तोड़ेगा, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को भी फ्री पास देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं बन सकता है।

महताब जी ने दो-तीन बातें कहीं हैं। जो रिम्यूनरेशन है, मैं बिना नाम लिए बताना चाहता हूं कि हमारे देश में आज जो खाई पैदा हुई है कांसपिकुअस कंजम्प्शन की, डिसप्ले ऑफ वेल्थ की, उसका एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन आम जानत में बना है। जो गरीब, पिछड़े दलित लोग हैं, जो समाज के और भौगोलिक क्षेत्र के बिल्कुल छोर पर रहते हैं, वे लोग जब इस बात को देखते हैं कि हमारे यहां काम हो रहा है, कंपनीज माइनिंग कर रही हैं, हजारों करोड़ रुपये का मुनाफा होने के बावजूद भी हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर कंपनीज के मालिक लोग अपनी दौलत का बहुत ज्यादा और वल्गर डिसप्ले करते हैं, तो समाज में एक असंतुलन पैदा होता है। इसके लिए कानून बनाने से ज्यादा जरूरी यह है क हमें अपनी सामाजिक रिस्पांसिबिल्टी समझनी होगी। वर्ष 1956 का जो कानून था, उसमें हमने बदलाव लाने की कोशिश की है कि जो प्रॉफिट है, किसी भी एक डायरेक्टर को पांच प्रतिशत से ज्यादा प्रॉफिट कंपनसेशन में नहीं मिल सकता है। जैसा मैंने पहले कहा उस कंपनी में जो आम कर्मचारी है, उसकी जो औसत तनख्वाह है, उसको भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप अपने कर्मचारियों को पंद्रह, बीस या पच्चीस हजार रुपये प्रति महीने दे रहे हों और अगर आपकी सैलरी करोड़ों रुपये है, तो पहली बात आप यह बताइए कि अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इतनी बड़ी तनख्वाह दी है, तो पहली बात आप यह बताइए कि अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इतनी बड़ी तनख्वाह दी है, तो आपकी गुणवत्ता क्या हैं, आपने क्या योगदान दिया है, आपने उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितना इनपुट दिया है, वह भी आपको बताना पड़ेगा। यह सब कानून हम लोग बनाएंगे, लेकिन मेरा सदन के माध्यम से सभी से आग्रह है कि देश में यह संदेश जाना चाहिए

कि जो लोग उद्योग लगाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वे लोग कंपनियां लगाते हैं, रोजगार देते हैं, उनमें हमारे हजारों-लाखों लोग काम करते हैं, चाहे वह आईटी कंपनीज हों, मैन्यूफैक्चरिंग कंपनीज हो, माइनिंग कंपनीज हों, ग्रोथ रेट को नौ-दस प्रतिशत पर लाने का यही तरीका है कि *[अनुवाद]* हम घरेलू और विदेशी – निजी निवेश स्वीकार करेंगे और उसका लाभ उठाऐंगे। परन्तु जहां कंपनियां लाभ अर्जित करती हैं – और लाभ अर्जित करना कोई पाप नहीं है – वहीं उस लाभ का फायदा हमारे समाज के निर्धनतम वर्ग तक अवश्य पहुंचना चाहिए और यह एक विधेयक का मूल उद्देश्य है तथा हम आशा करते हैं कि न केवल इस विधेयक के माध्यम से बल्कि हमारे अधिकांश लोगों जिन्होंने आज चर्चा में भाग लिया है, की भागीदारी से इस प्रकार की जागरुकता उत्पन्न होगी।

[हिन्दी]

अंत में मैं सीएसआर के बारे में कहना चाहूंगा। जो अच्छी-अच्छी कम्पनीज काम कर रही हैं, उन्हें उस क्षेत्र में योगदान देना होगा, जहां वे काम कर रही हैं। यह बात भी सच है कि कई कम्पनीज के पास अपने ट्रस्ट्स हैं, फाउंडेशंस हैं और ऐसी नाना प्रकार की कम्पनीज हैं, जहां पर उन्होंने फाउंडेशन के माध्यम से कॉलजे बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं यानि अच्छा काम किया है। लेकिन उस क्षेत्र की जितनी जानकारी वहां के जनप्रतिनिधियों को है, उस कम्पनी के सीईओ को नहीं हो सकती। इसलिए कम्पीज से मेरा आग्रह रहेगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे संसद के हों या अन्य हों, अन्य सबको संज्ञान में लेकर आप मिल-बैठकर एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि सीएसआर का जो स्टैंडिंग हो, वह उस झगड़े में न फंस जाए, दलगत राजनीति में न फंस जाए। कोई दमदार लोग अगर क्षेत्र या जिले के हों, उनके दबाव में कोई काम न हो। इसे बेहतर करने के लिए, *[अनुवाद]* परन्तु समय बीतने के साथ-साथ हमें सीएसआर में और अधिक अंतर देखने को मिलेगा, परन्तु मेरे विचार से एक समर्थकारी उपबंध, पहले कदम और ऐसे कानून के रूप में जो अनेक मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है, हमें अपने कॉर्पोरेट क्षेत्र को और खुलापन और स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि वे अपनी अंतर्आत्मा के अनुसार कार्य कर सके और पूरे सकारात्मक रूप से इस विधेयक और कानून का निर्माण कर सकें और अपने कॉर्पोरेट जगत में विश्वास कर सकें, जिससे कि हम उनके साथ लाभ को साझा कर सकें जिससे कि समाज को लाभ हो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम : प्राइवेट कम्पनीज अपना ट्रस्ट बंद कर दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : व्यवधान न डालें, मंत्री जी को बोलने दें।

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट : महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है कि हम पुनः यह अनुमान लगा रहे हैं कि कोई छल-कपट करने वाले व्यक्ति अथवा कोई कंपनी जिसने अपने न्यास और फाउंडेशन के साथ अच्छा कार्य नहीं किया है, हमें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सभी फाउंडेशन अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं। मैं "एक्स" कंपनियों के नाम गिनवा सकता हूं, जिनकी फाउंडेशनों ने प्रारंभिक कार्य किया है। महोदय, उन्होंने संसद के अधिदेश के बगैर निःस्वार्थ कार्य किया है। हम यह अनुमान क्यों लगाएं कि इस विधेयक के कानून के पश्चात् वे अनुचित वर्ष करना शुरू कर देंगी? मेरे विचार से हमें अपने कॉर्पोरेट जगत में विश्वास होना चाहिए, परन्तु यदि कुछ कंपनियां अपने गैर-सरकारी संगठन अथवा न्यास अथवा अपनी फाउंडेशन के माध्यम से कार्य करना चाहती हैं, तो हमें उन्हें यह स्वतंत्रता देनी चाहिए क्योंकि यदि किसी कंपनी की शिक्षा अथवा कतिपय क्षेत्र में विशेषज्ञता है, तो उस क्षेत्र के पास विशेषज्ञता है। वास्तव में, *[हिन्दी]* मैं चर्चा कर रहा था हमारे उद्योग जगत के लोगों से, मैंने उन्हें निवेदन किया और सारा डेटा निकालें। इस देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें जो हायर सेंकडरी स्कूल्स हैं और उनमें भी जो लड़कियों के स्कूल्स हैं, लड़कियों के 19351 स्कूल्स हैं जो मिडल स्कूल्स से ऊपर हैं। अगर उन सारे सरकारी स्कूल्स के अंदर दो-दो शौचालय बन जाएंगे तो खर्चा सिर्फ 100 करोड़ रुपए का आएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सरकारी या निजी स्कूल?

श्री सचिन पायलट : सिर्फ सरकारी और एडेड सरकारी स्कूल्स।

[अनुवाद]

इसलिए हमने यह कॉर्पोरेट जगत को ये सुझाव दिए है कि वह इस सभा को सुनिश्चित करने के लिए भावना को समझे और वे योगदान देने में समर्थ हैं।

[श्री सचिन पायलट]

[हिन्दी]

दूसरा यह है कि कम्पनीज अगर उस क्षेत्र में काम करेंगी तो उनकी गुडविल बढ़ेगी, उनकी ब्रैंड वेल्यू बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को लगेगा कि कम्पनी सिर्फ हमसे पैसा नहीं ले रही है, हमारे यहां पर स्कूल, सड़क, अस्पताल, शौचालय बनाने का काम करती है। *[अनुवाद]* इससे एक अच्छा संकेत और सद्‌भाव उत्पन्न होगा। मेरे विचार से यह कंपनियों के लिए पूर्ण रूप से सुग्राहय और सुस्पष्ट है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं *[हिन्दी]* जिन कम्पनीज से हमने बात की है, शायद ही कोई ऐसी कम्पनी हो जिसने सीएसआर करने के लिए मना किया हो। सभी कम्पनीज करना चाहती हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से करना चाहती हैं और उतना हमें प्रदान करना चाहिए।

[अनुवाद]

निष्पक्ष निदेशकों के बारे में श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए मुद्दे के संबंध में *[हिन्दी]* सरकार एक सलाह आपको देगी कि हमने ये-ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पूल बनाया है *[अनुवाद]* और निजी कंपनियों में निष्पक्ष निदेशकों को शामिल नहीं किया जाता, केवल सरकारी कंपनियों में शामिल किया जाता है जिनमें सार्वजनिक निवेश किया जाता है। *[हिन्दी]* अगर आप और उदासी जी कोई कम्पनी खोलेंगे तो हम उसमें कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर न्हीं डालना चाहेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वैसे होने चाहिए। कई बार बोर्ड में मनमानी होती है। स्माल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। फिर मामला कोर्ट्स जाता है, सीएलबी में जाता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, वे डिटैच्ड होंगे, तो एक अनबायस्ड तरीके से काम कर सकेंगे। ऐसा हमने सोचा है और मुझें लगता है कि जो बड़ी कम्पनीज हैं, जहां पर टर्न ओवर बहुत ज्यादा होता है या पब्लिक का पैसा होता है, वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। मैं समझता हूं कि इस बिल में यह एक अच्छा प्रावधान है।

अब समय भी हो गया है और यह बहुत लम्बा-चौड़ा बिल है और इस पर कई घंटे तक हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन जो मोटे-मोटे प्रावधान थे उन्हें मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। जो इंस्टीट्यूशनल चेंजिज यहां मैं लेकर आया हूं उनके बारे में मैं दो मिनट में बताना चाहता हूं। हम कुछ संस्थाएं बना रहे हैं। विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि, जो डिविडेंट का पैसा पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता था, अब वह इस फंड के अंदर जाएगा और सात साल के बाद वह क्लेम लैप्स हो जाता था। अब यह सारा पैसा एक फंड के अंदर जाएगा और अंतिम डिविडेंट है वह सात साल के बाद भी वे लोग, चाहे छोटे उपभोक्ता हों, शेयर होल्डर्स हों, उस डिविडेंट को क्लेम कर सकते हैं। एसएफआईओ के बारे में सबने कहा और मैं समझता हूं कि एसएफआईओ एक बड़ा प्रभावशाली विभाग बनना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट फ्रॉड होने और होने से पहले हम उस पर अंकुश लगा सकें। हमने जो ताकत उन्हें दी है, मैं समझता हूं कि वे उसके क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी।

सर, हमने इस बिल के अंदर एक अथॉरिटी के गठन की बात की है, जो राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण है। सर, 1939 में इंडियन चार्टेड एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बना था और वह एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था जो सारे ऑडिटर्स को मॉनिटर करता है। मेहताब जी कह रहे थे कि विदेश का कोई ऑडिटर आकर यहां पर ऑडिट करेगा। इस देश में ऑडिट करने के लिए आप आईसीएएल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। लेकिन आईसीएआई की गुणवत्ता पर अगर कभी सवाल उठते हैं, सत्यम के केस में हुआ। ऑडिटर्स और कंपनी मैनेजमेंट की कोई सांठ-गांठ हो सकती है, इसलिए *[अनुवाद]* एनएफआरए वह प्राधिकरण होगा जो सनदी लेखाकारों की निगरानी, गुणवत्ता और सेवा पर नजर रखेगा और व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा। एनएफआरएएफ अर्ध-न्यायिक निकाय होगा और इसका उद्देश्य विश्व की बेहतर रीतियों के खाद्य समन्वय स्थापित करना होगा ताकि भारत में लेखांकन पद्धति और लेखांकन मानदंडों के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। मुझे आशा है कि एनएफआरए के दीर्घकालिक परिणाम होंगे और ये यह सुनिश्चित करेगा कि हम यहां लेखांकन का जो भी काम करेंगे उनमें पारदर्शिता होगी।

[हिन्दी]

सर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने पहले ही बताया है और अंत में हमने एक काम और किया है, हमने इसमें स्पेशल कोर्ट खोलने का प्रावधान किया है। जो क्रीमनल ऑफेन्सेज होंगे, जिन्हें हम कंपनी एक्ट के तहत चार्ज नहीं कर सकते हैं, कई बार अपराध ऐसे होते हैं जो कंपनी एकट को वायलेट करते हैं। और आईपीसीसीआरसीपी को वायलेट करते हैं। इसलिए स्पेशल कोर्ट्स का हम गठन करेंगे जिससे समय से पहले दोषियों को हम सजा दिला पायें। कई बार लोग सोचते हैं कि कोर्ट में जाकर वे बेल ले आयेंगे या प्रोसीडिंग को बहुत लम्बा खीचेंगे, लेकिन इस स्पेशल

कोर्ट्स के गठन से न्याय बहुत जल्दी हम लोगों को मिल सकेगा और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि उन छोटे निवेशकों को, उपभोक्ताओं को जो पीड़ित होते हैं, जो अपना प्रोटैक्शन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये स्पेशल कोर्ट्स बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। सर, इन चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सारे सदन को, जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल पर बोला है और इस बिल को सराहा है, मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जो इतनी देर रात तक आप बैठे उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, यह बिल एक पार्टी की सरकार का नहीं है, यह सारे देश का बिल है, इस बिल की आवनर्शिप सबकी है, सारे दलों का इसमें सहयोग रहा। जो-जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के चेयरमैन रहे, उनका भी रहा। *[अनुवाद]* महोदय, यदि मैं अपने गण्यमान्य पूर्व मंत्रियों, श्री वीरप्पा मोइली, श्री सलमान खुर्शीद और उनसे पहले वालों के प्रति आभार प्रकट नहीं करता हूं, तो मैं अपने कर्त्तव्य के साथ न्याय नहीं होगा। *[हिन्दी]* गुप्ता जी भी थे इस मंत्रालय में, इन सबका योगदान रहा, स्टैंडिंग कमेटी के जो मैम्बर हैं उन्होंने बहुत रुचि लेकरि इसे यहां तक पहुंचाया और जिन-जिन सांसदों ने और पार्टियों ने इसका सहयोग किए हैं, मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इतनी देर रात तक आप इस बिल को पारित करने में यहां मौजूद हैं, मैं इस आशा और उम्मीद के साथ कि भविष्य में भी इस बिल को और प्रभावशाली बनाने के लिए पूरे सदन का सहयोग हमें मिलता रहेगा, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : महोदय, मैं देर तक बैठने के लिए सदन के सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। *[हिन्दी]* मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको यह कष्ट हुआ और कष्ट के बावजूद भी मैं आपके भोजन का इंतजाम नहीं कर पाया। मेरी उम्मीद है कि हमें फिर से लेट बैठने का मौका मिलेगा और मेरा आश्वासन है कि आपके भोजन का मैं जरूर प्रबंध करुंगा।

श्री सचिन पायलट : शैलेंद्र कुमार जी, आपने मुझसे एक निवेदन किया था, मैं कहना भूल गया। मैं आपको आश्वान देना चाहता हूं कि इस बिल के कानून बनने के बाद अगर पहली मीटिंग मैं किसी से करुंगा तो हमारे दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ मीटिंग करुंगा और जो लोग भी वे चाहेंगे, उनको पूरा सहयोग और मदद हमारा विभाग देगा, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, चूंकि टाटा का जिक्र आया है और और मैं झारखंड राज्य में हूं, जो आपकी जानकारी और संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है कि टाटा ने झारखंड में एक कॉलेज नहीं खोला है, आईटीआई नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हमारे यहां दामोदर नदी खत्म हो गई है। स्वर्ण रेखा नदी खत्म हो गई है। यदि जमशेदपुर नहीं होता, तो टाटा नहीं होता। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है।

दूसरी बात आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कही है। यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने ही एफिशिएंट हैं, तो एयर इंडिया डूब रही है। वर्ष 2004 से पहले प्राफिट में थी, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने आपकी जानकारी दी कि एयर इंडिया डूब रही है और उसका क्या रेमिडियल एक्शन है, इसके बारे में आपको जानकारी दी? मुझे आपसे ये दो क्लैरिफिकेशन चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि कंपनियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, विधेयक पर खंड-वार चर्चा करने से पूर्व, मुझे कंपनी विधेयक, 2011 के संशोधनों की सूची संख्या में दो छोटी मुद्रण त्रुटियों के बारे में सभा को सूचित करना है।

पृष्ठ संख्या 7 पर क्रमांक संख्या 62 पर संशोधन के बाद, अगला संशोधन क्रमांक संख्या 61 के रूप में मुद्रित है, जोकि क्रमांक संख्या 63 पर होना चाहिए था। इसी प्रकार, पृष्ठ 11 पर संशोधन संख्या 106 में पृष्ठ संख्या 210 को पृष्ठ 201 के रूप में मुद्रित किया गया है।

इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कंपनी विधेयक, 2011 के संशोधनों की सूची संख्या 1 में पृष्ठ 7 पर 62 के बाद आने वाले क्रमांक 61 को क्रमांक 63 पढ़ा जाए। पृष्ठ 11 पर संशोधन संख्या 106 में आने वाले पृष्ठ 201 को भी पृष्ठ 210 पढ़ा जाए।

सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 **परिभाषाएं**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 14, ''साम्या **के स्थान पर**, ''साम्या, यदि लागू हो'' रखें। (3)

पृष्ठ 6 पंक्ति 15, ''संलग्न'' **के स्थान पर**, ''उपाबद्ध'' रखें। (4)

पृष्ठ 7, पंक्ति 34, **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें– (5)

''(iiक) पूर्णकालिक निदेशक;''।

पृष्ठ 7, पंक्ति 35, ''यदि निदेशक बोर्ड उसकी नियुक्ति करता है'' का लोप करें। (6)

पृष्ठ 10, पंक्ति 2, ''धनराशि'' **के स्थान पर**, ''रकम'' रखें। (7)

पृष्ठ 11, पंक्ति 15 और पंक्ति 16 **के स्थान पर** रखें,–(8)

''परन्तु उपखंड (ग) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो केवल वृत्तिक हैसियत से ही कार्य कर रहा है;''।

पृष्ठ 15, पंक्ति 12, ''सभी सदस्यों'' **के पश्चात्**, ''या उनके परोक्षी'' **अंत:स्थापित** करें। (9)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 **कंपनी की रचना**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 8, ''अभिदायी की मृत्यु'' **के पश्चात्**, ''या संविदा करने की असमर्थता'' **अंत:स्थापित** करें। (10)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 20 **दस्तावेज की तामील**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 29, पंक्ति 34, ''डाक प्रमाणपत्र के अधीन'' का लोप करें। (11)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 और 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 23 **लोक प्रस्थापना और प्राइवेट नियोजन**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 30, पंक्ति 30 से पंक्ति 34 **के स्थान पर** रखें,–

'(2) कोई प्राइवेट कंपनी,–

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के द्वारा; या

(ख) इस अध्याय के भाग 2 के उपबंधों का अनुपालन करके प्राइवेट प्रतिभूतियों का निर्गम कर सकेगी।

स्पष्टीकरण–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ''लोक प्रस्थापना'' के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा जनता को प्रतिभूतियों की प्रारंभिक लोक प्रस्थापना या अतिरिक्त लोक प्रस्थापना या किसी विद्यमान

शेयरधारक द्वारा जनता को प्रतिभूति के विक्रय के लिए प्रस्पेक्टस जारी करने के माध्यम से कोई प्रस्थापना भी है।'। 12

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 23, संशोधित में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 27, विधेयक में जोड़ दिए गए।

रात्रि 10.00 बजे

खंड 28 किसी कंपनी के कतिपय सदस्यों द्वारा शेयरों के विक्रय की प्रस्थापना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 35, पंक्ति 9 और पंक्ति 10, ''उनके द्वारा शेयर धारण का भाग'' **के स्थान पर**, ''तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा संपूर्ण शेयर धारण या उसका भाग'' रखें। (13)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 28 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 36 धन निवेश हेतु व्यक्तियों को धोखाधड़ी से प्रवृत्त करने हेतु दंड

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 37, पंक्ति 42, **के स्थान पर**, रखें—

''चढ़ाव से लाभ सुनिश्चित करना है; या

(ग) किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार सुविधाएं अभिप्राप्त करने के लिए या उसकी दृष्टि से कोई करार,''। (14)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42 प्राइवेट नियोजन संबंधी प्रतिभूतियों के अभिदाय हेतु प्रस्थापन अथवा आमंत्रण

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 39, पंक्ति 33 से पंक्ति 37 और पृष्ठ 40, पंक्ति 1 से पंक्ति 9 **के स्थान पर**, रखें—

''42. (1) धारा 26 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राइवेट स्थापन पत्र को जारी करने के माध्यम से प्राइवेट स्थापन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में प्रतिभूतियों की प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदाय का आमंत्रण उतनी संख्या में, जो पचास से अधिक नहीं होगी या ऐसी उच्चतर संख्या में, जो विहित की जाए, व्यक्तियों को (अर्हित संस्थागत क्रेता और कंपनी के ऐसे कर्मचारी, जिन्हें धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प की स्कीम के अधीन प्रतिभूतियों की प्रस्थापना की गई है, को छोड़कर) और ऐसी शर्तों पर (जिसके अंतर्गत प्राइवेट स्थापना का प्ररूप और रीति भी है), जो विहित की जाएं, किया जाएगा।''। (15)

पृष्ठ 40, पंक्ति 10 "खंड (क) के अधीन" का लोप (16)

पृष्ठ 40, पंक्ति 15 और पंक्ति 16, "धारा 23 के खंड (क)" **के स्थान पर**, "इस अध्याय के भाग 1" रखें। (17)

पृष्ठ 40, पंक्ति 17 **के स्थान पर**, रखें—

'**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "अर्हित संस्थागत क्रेता" पद से'। (18)

पृष्ठ 40, पंक्ति 19 **के पश्चात्** अंतःस्थापित करें—

'(ii) "प्राइवेट स्थापन" से किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों के चयनित समूह को प्राइवेट स्थापन प्रस्थापना पत्र जारी करके प्रतिभूतियों की कोई प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदाय का आमंत्रण (लोक प्रास्थापना के माध्यम से भिन्न) अभिप्रेत है और जो इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।'। (19)

पृष्ठ 40, पंक्ति 22, "गए हैं" **के पश्चात्**, "या उस प्रस्ताव या आमंत्रण को कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया है या उसे परित्यक्त कर दिया गया है" अंतःस्थापित करें। (20)

पृष्ठ 41, पंक्ति 15 और पंक्ति 16 का लोप करें। (21)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42, संशाधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 से 45 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 46 शेयर प्रमाण पत्र

संशोधन किया गया:

पंक्ति 43, पंक्ति 1 से पंक्ति 3 का लोप करें। (22)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 से 55 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 56 प्रतिभूतियों का अंतरण और प्रेषण

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 48, पंक्ति 10 और पंक्ति 11, "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह माह तक की हो सकेगी या" का लोप करें। (23)

पृष्ठ 48, पंक्ति 12, "या दोनों से" का लोप करें। (24)

पृष्ठ 48, पंक्ति 12, **के पश्चात्**, अंतस्थापित करें,—

"(7) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी निक्षेपागार या निक्षेपागार भागीदार ने किसी व्यक्ति को कपटवंचन करने के आशय से शेयरों का अंतरण किया है, वहां वह धारा 447 के अधीन दायी होगा।"। (25)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 57 शेयरधारक के प्रतिरूपण के लिए दंड

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 48, पंक्ति 13, "किसी शेयर" **के स्थान पर**, "प्रतिभूतियों" रखें। (26)

पृष्ठ 48, पंक्ति 15, ''कोई ऐसा शेयर'' **के स्थान पर**, ''कोई ऐसी प्रतिभूतियां'' रखें। (27)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 58 पंजीकरण की अस्वीकृति और अस्वीकृति हेतु अपील

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 48, पंक्ति 38, ''शेयरों'' **के स्थान पर** ''प्रतिभूतियों'' रखें। (28)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 58, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 58, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 59 सदस्यों के रजिस्टर का परिशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 49, पंक्ति 25 से पंक्ति 28 **के स्थान पर**, रखें—

''(3) इस धारा के उपबंध प्रतिभूतियों के किसी धारक के, ऐसी प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार को निर्बंधित नहीं करेंगे और ऐसी प्रतिभूतियां अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति अब तक मताधिकार के लिए हकदार होगा, जब तक मताधिकार को किसी आदेश द्वारा निलंबित न किया गया हो।''। (29)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 59, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 59, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 60 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 61 लिमिटेड कंपनी को अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन करने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 50, पंक्ति 10 से पंक्ति 13 **के स्थान पर**, रखें—

''(ख) अपनी सभी या किसी शेयर पूंजी को अपने विद्यमान शेयरों की अपेक्षा वृहत्तर रकम के शेयरों में समेकित और विभाजित करने के लिए:

परंतु ऐसा कोई समेकन और विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों की मतदान प्रतिशतता में परिवर्तन होता है, तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक विहित रीति में किए गए आवेदन पर अधिकरण द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है;''। (30)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 62 से 77 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 78 भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 64, पंक्ति 30, ''किया जाता है, ऐसे'' **के स्थान पर**, ''किया जाता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसे'' रखें। (31)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 78, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 78, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 79 से 91 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 92 वार्षिक विवरणी

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 70, पंक्ति 17, "तीस" **के स्थान पर,** "साठ" रखें। (32)

पृष्ठ 70, पंक्ति 19, "तीस" **के स्थान पर** "साठ" रखें। (33)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 93 से 114 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 115 विशेष सूचना की अपेक्षा करने वाले संकल्प

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 80, पंक्ति 32 और पंक्ति 33, "एक लाख रुपए से अन्यून की कुल राशि" **के स्थान पर,** "पांच लाख रुपए से अन्यून की कुल ऐसी राशि, जो विहित की जाए" रखें। (34)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 115, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 115, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 116 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 117 संकल्पों और करारों का फाइल किया जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 81, पंक्ति 16, "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या" का लोप करें। (35)

पृष्ठ 81, पंक्ति 17 और पंक्ति 18, "या दोनों से" का लोप करें। (36)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 117, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 117, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 118 से 124 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 125 विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 87, पंक्ति 21, "के खंड (ग) और खंड (घ)" का लोप करे। (37)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 125, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 125, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 126 से 127 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 128 कंपनी द्वारा लेखा बहियों आदि का रखा जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 89, पंक्ति 40, ''जानबूझकर'' का लोप करें। (38)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 128, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 128, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 129 वित्तीय विवरण

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 91, पंक्ति 12, ''कोई टिप्पण या उनसे उपाबद्ध या संलग्न दस्तावेज'' **के स्थान पर**, ''ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ उपाबद्ध कोई टिप्पण या उसका भाग रूप'' रखें। (39)

पृष्ठ 91, पंक्ति 10 और पंक्ति 11, ''द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित और ऐसे टिप्पणों या दस्तावेजों'' **के स्थान पर**, ''के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित और ऐसे टिप्पणों'' रखें। (40)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 129, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 129, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 130 न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेशों पर लेखाओं का पुनः खोलना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 91, पंक्ति 13 से 15 **के स्थान पर** रखें,–

''130. (1) कोई कंपनी तक तक अपनी लेखा बहियों को पुन: नहीं खोलेगी और अपने वित्तीय विवरणों को पुन: तैयार नहीं करेगी जब तक कि केंद्रीय सरकार, आय कर प्राधिकारियों, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, किसी अन्य कानूनी विनियामक निकाय या प्राधिकारी या किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन नहीं किया जाता है और सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आशय का कोई आदेश नहीं दिया जाता है कि–''। (41)

पृष्ठ 91, पंक्ति 19 से 21 **के स्थान पर** रखें,–

''परंतु, यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण, केंद्रीय सरकार, आय कर प्राधिकारियों, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी अन्य कानूनी विनियामक निकाय या संबंधित प्राधिकारी को सूचना देगा और इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व उस सरकार या प्राधिकारियों, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या निकाय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा।''। (42)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 130, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 130, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 131 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 132 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 92, पंक्ति 11 से पंक्ति 42 **के स्थान पर** रखें,–

'(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण–

(क) यथास्थिति, कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके संपरीक्षकों द्वारा अंगीकृत की जाने संबंधी लेखांकन और संपरीक्षा नीतियों और मानकों को निश्चित और अधिकथित करने में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगा;

(ख) लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के अनुपालन को ऐसी रीति में मॉनीटर और प्रवृत्त करेगा, जो विहित की जाए;

(ग) ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबद्ध वृत्तियों की सेवाओं की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा और

सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों और ऐसे अन्य संबंधित विषयों का, जो विहित किए जाएं, सुझाव देगा; और

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित तथा लेखा, संपरीक्षा, वित्त या विधि में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति होगा और पंद्रह से अनधिक उतने अन्य सदस्यों से, जिसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य हैं मिलकर बनेगा, जितने विहित किए जाएं:

परंतु अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परंतु यह और कि अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिकूल हित या स्वतंत्रता की कमी न होने के बारे में केंद्रीय सरकार को विहित प्ररूप में घोषणा करेगा या करेंगे।

परंतु यह भी कि अध्यक्ष और ऐसे सदस्य, जो राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में हैं, अपनी नियुक्ति के दौरान और पद पर न रहने के दो वर्ष पश्चात् तक किसी संपरीक्षा फर्म (जिसके अंतर्गत संबंधित परामर्शी फर्में भी हैं) के साथ सहयोजित नहीं होंगे।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को,—

(क) स्वप्रेरणा से या केंद्रीय सरकार द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर, निगमित निकायों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए वृत्तिक या अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण करने की शक्ति होगी:

परंतु कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण प्राधिकरण ने इस धारा के अधीन कोई अन्वेषण आरंभ किया है, किन्हीं कार्यवाहियों को आरंभ या जारी नहीं रखेगा;

(ख) वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में, निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विवरण करते समय निहित होती हैं; अर्थात्:—

(i) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ii) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(iii) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की किन्हीं बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का किसी स्थान पर निरीक्षण करना;

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ग) जहां वृत्तिक या अन्य कदाचार साबित हो जाता है, वहां—

(अ) (I) व्यष्टियों की दशा में कम से कम एक लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस से पांच गुना तक की हो सकेगी; और

(II) फर्मों की दशा में, कम से कम दस लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के दस गुना तक की हो सकेगी, अधिरोपित करना;

(आ) सदस्य फर्म को संस्थान के सदस्य के रूप में व्यवसाय करने में अपने को लगाने से, छह मास की न्यूनतम अवधि के लिए या दस वर्ष से अनधिक की ऐसी उच्चतर अवधि के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए, विवर्जित करने संबंधी आदेश करने की शक्ति होगी।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "वृत्तिक या अन्य कदाचार" का वही अर्थ होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 में उसका है।

(5) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील ऐसी रीति में दाखिल कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(6) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, एक अपील प्राधिकरण का, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों से उद्भूत अपीलों की सुनवाई करने के लिए, गठन कर सकेगी, जो अध्यक्ष और दो से अनधिक सदस्यों से, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, मिलकर बनेगी।

(7) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और चयन की रीति, उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तथा सहायतार्थ कर्मचारिवृंद की मांग तथा अपील प्राधिकरण द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई करने का स्थान, वह प्ररूप और रीति भी है, जिसमें अपील फाइल की जाएगी) ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(8) अपील फाइल करने के लिए फीस ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(9) अपील प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें उसके क्रियाकलापों का पूरा लेखा हो, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसी की एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा तथा केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।'। (43)

पृष्ठ 93, पंक्ति 1 से 28 का लोप करें। (44)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 132, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 132, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 133 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 134 वित्तीय कथन, बोर्ड की रिपोर्ट आदि

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 94, पंक्ति 11 "सभापति" **के स्थान पर** "कंपनी का सभापति" रखें। (45)

पृष्ठ 94, पंक्ति 12 से पंक्ति 14 **के स्थान पर** रखें,–

"किया गया है या दो निदेशकों द्वारा, जिसमें से एक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह कंपनी में निदेशक है, होगा, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा, जहां कहीं वे नियुक्त किए जाते हैं या एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक"। (46)

पृष्ठ 94, पंक्ति 32, "किसी" **के पश्चात्,** "व्यवसायरत" अंतःस्थापित करें। (47)

पृष्ठ 96, पंक्ति 9 "उसके" **के स्थान पर** "कंपनी को" रखें। (48)

पृष्ठ 96, पंक्ति 17 और 18 **के स्थान पर** रखें,–

"(क) ऐसे वित्तीय विवरण से उपाबद्ध या उसके भागरूप कोई टिप्पण;"। (49)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 134, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 134, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 135 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 97, पंक्ति 8 और 9 में "करने के लिए प्रत्येक प्रयास" शब्दों का लोप करें। (50)

पृष्ठ 97, पंक्ति 11 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें–

"परंतु कंपनी अपने आस-पास के ऐसे स्थानीय क्षेत्र और क्षेत्रों को, जहां वह क्रियाशील है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए चिन्हित रकम को खर्च करने में अधिमान देगी;"। (51)

पृष्ठ 97, पंक्ति 12 "परंतु" **के स्थान पर** "परंतु यह और कि" रखें। (52)

पृष्ठ 97, पंक्ति 14 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें–

'स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "औसत शुद्ध लाभ" की संगणना धारा 198 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।'। (53)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 135, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 135, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 136 संपरीक्षित वित्तीय विवरण की प्रतियों का सदस्य को अधिकार

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 97, पंक्ति 15 "वित्तीय विवरणों की" **के स्थान पर** "धारा 101 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्तीय विवरणों की" रखें। (54)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 136, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 136, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 137 और 138 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 139 संपरीक्षकों की नियुक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 99, पंक्ति 14 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें–

"परंतु कंपनी ऐसी नियुक्ति से संबंधित मामला सदस्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन किए जाने के लिए प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन में रखेगी"। (55)

पृष्ठ 99, पंक्ति 15 "परंतु" **के स्थान पर** "परंतु यह और कि" रखें। (56)

पृष्ठ 99, पंक्ति 18 "परंतु यह और" **के स्थान पर** "परंतु यह यह भी" रखें। (57)

पृष्ठ 100, पंक्ति 7 "प्रत्येक वर्ष चक्रानुमित किया जाएगा, या" **के स्थान पर** "ऐसे अंतरालों पर, जैसा सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाए, चक्रानुक्रमित किया जाएगा; या" रखें। (58)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 139, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 139, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 140 संपरीक्षक का हटाया जाना, त्यागपत्र और विशेष सूचना का दिया जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 102, पंक्ति 36 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें–

"स्पष्टीकरण 1–यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी फर्म की दिशा में दायित्व उस फार्म तथा ऐसे प्रत्येक भागीदार या भागीदार या भागीदारों का होगा जिन्होंने कंपनी अथवा उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी कपटपूर्वक रीति में कार्य किया हो या किसी कपट में दुष्प्रेरण या दुरभिसंधि की हो।" (59)

पृष्ठ 102, पंक्ति 37, ''स्पष्टीकरण'' **के स्थान पर** ''स्पष्टीकरण 2'' रखें। (60)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 140, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 140, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 141 सदस्यों को अर्हता योग्यता और अयोग्यता

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 103, पंक्ति 27 से 29 **के स्थान पर** रखें,–

''(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो कहीं और पूर्णकालिक नियोजन में है अथवा कोई ऐसा व्यक्ति या किसी फर्म का कोई भागीदार, जो उसके संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण कर रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति या भागीदार ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख से बीस से अधिक कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण कर रहा हो;''। (61)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 141, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 141, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 142 संपरीक्षकों के पारिश्रमिक

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 104, पंक्ति 2 **के पश्चात्** अंतःस्थापित करें–

''परंतु बोर्ड उसके द्वारा नियुक्त किए गए पहले संपरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।''। (62)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 142, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 142, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 143 संपरीक्षों की शक्तियों एवं कर्त्तव्य एवं संपरीक्षा मानक

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 105, पंक्ति 30 से 42 तथा पृष्ठ 106, पंक्ति 1 से 5 **के स्थान पर** रखें,–

''(5) किसी सरकारी कंपनी की दशा में, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक धारा 139 के उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन संपरीक्षक की नियुक्ति करेगा और संपरीक्षक को उस रीति के प्रति निदेश देगा जिसमें सरकारी कंपनी के लेखाओं को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित होगा और तत्पश्चात् इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हों, उस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव का उल्लेख होगा, की एक प्रति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(6) भारत के नियंत्रक-महालेखापीक्षक की, उपधारा (5) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर,–

(क) कंपनी के वित्तीय विवरण की ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो वह इस निमित प्राधिकृत करे, अनुपूरक संपरीक्षा कराने और ऐसे संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उन मामलों पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी या अतिरिक्त जानकारी की अतिरिक्त जानकारी की ऐसी प्ररुप में, जैसा भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निदेश दे, अपेक्षा करने का अधिकार होगा; और

(ख) ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट पर टीका-टिप्पण करने या उसमें अनुपूरक लगाने का अधिकार होगा:

परंतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कोई टीका-टिप्पणियां या उसके साथ लगाए गए अनुपूरक को कंपनी द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां पाने का हकदार है, भेजा जाएगा और कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष भी उसे उसी समय और उसी रीति में रखा जाएगा जैसेकि संपरीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।''।

(163)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 143, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 143, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 144 संपरीक्षक द्वारा कतिपय सेवाओं का प्रदान न किया जाना।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 107, पंक्ति 7 और 8 ''या सहयुक्त कंपनी'' का लोप करें। (64)

पृष्ठ 107, पंक्ति 30 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें—

''परंतु ऐसा कोई संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व संपरीक्षा सेवाओं से इतर सेवाएं कर रहा है या कर रही है, ऐसे प्रारंभ की तारीख **के पश्चात्** के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करेगा या करेगी।''। (65)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 144, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 144, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 145 संपरीक्षा रिपोर्टों आदि पर संपरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 107, पंक्ति 31 ''केवल कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ही,'' **के स्थान पर** ''कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, धारा 141 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार'' रखें। (66)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 145, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 145, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 146 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड 147 उल्लंघन के लिए दंड

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 108, पंक्ति 4 ''संपरीक्षक'' **के पश्चात्** ''धारा 139,'' अंत:स्थापित करें। (67)

पृष्ठ 108, पंक्ति 7 और 8 ''कंपनी से संबंधित या हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति'' **के स्थान पर** ''कर प्राधिकारियों'' रखें। (68)

पृष्ठ 108, पंक्ति 8 ''ऐसे उपबंधों का'' **के स्थान पर** ''ऐसे उपबंधों का जानते हुए और जानबूझकर'' रखें। (69)

पृष्ठ 108, पंक्ति 15 ''कंपनी'' **के पश्चात्,** ''कानूनी निकायों या प्राधिकारियों'' अंत:स्थापित करें। (70)

पृष्ठ 108, पंक्ति 17 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें—

"(3क) केंद्रीय सरकार उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन कंपनी या व्यक्तियों को नुकसानी का तुरंत संदाय सुनिश्चित करने के लिए किसी कानूनी निकाय या प्राधिकारी या किसी अधिकारी को, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी और ऐसा निकाय, प्राधिकारी या अधिकारी, ऐसे नुकसानी का ऐसा कंपनी या व्यक्तियों को संदय करने के पश्चात् ऐसी नुकसानी करने की बाबत केंद्रीय सरकार के पास रिपोर्ट ऐसी रीति में, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, फाइल करेगा।"। (71)

पृष्ठ 108, पंक्ति 22 "संपरीक्षा भागीदार" **के स्थान पर** "संपरीक्षा फार्म से संबंधित भागीदार" रखें। (72)

पृष्ठ 108, पंक्ति 23 और 24 "और ऐसी संपरीक्षा फर्म के भागीदार या भागीदारों को भी धारा 447 में यथाउपबंधित रीति में दंडित किया जाएगा" का लोप करें। (73)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 147, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 147, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 148 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 149 कंपनी का निदेशक बोर्ड होना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 109, पंक्ति 40 **के पश्चात्** अंतःस्थापित करें—

"(1क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पूर्व विद्यमान प्रत्येक कंपनी ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर उपधारा (1) के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।"। (74)

पृष्ठ 111, पंक्ति 22 से 25 **के स्थान पर** रखें,—

"(क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई स्वतंत्र निदेशक किसी स्टॉक विकल्प का हकदार नहीं होगा और धारा 197 की उपधारा (5) के अधीन उपबंधित फीस के रूप में पारिश्रमिक, बोर्ड की और अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा लाभ संबंधी कमीशन, जैसी सदस्यों द्वारा अनुमोदित की जाए, प्राप्त कर सकेगा।"। (75)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 149, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 149, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 150 और 151 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 152 निदेशकों की नियुक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 113, पंक्ति 9 "संलग्न" **के स्थान पर** "उपाबद्ध" रखें। (76)

पृष्ठ 113, पंक्ति 34 **के पश्चात्** अंतःस्थापित करें—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "निदेशकों की कुल संख्या" के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक नहीं आएंगे चाहे उनकी नियुक्ति किसी कंपनी बोर्ड में इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई हो।'। (77)

पृष्ठ 114, पंक्ति 8 "इस धारा" **के स्थान पर** "इस धारा 160" रखें। (78)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 152, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 152, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 153 से 156 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 157 कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को निदेशक पहचान संख्यांक सूचित किया जाना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 114, पंक्ति 32 "छह मास की अवधि के कारावास से या" का लोप करें। (79)

पृष्ठ 114, पंक्ति 34 "या दोनों से" का लोप करें। (80)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 157, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 157, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 158 और 159 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 160 निवृत्तमान निदेशकों से भिन्न व्यक्तियों का निदेशक पद के लिए खड़े होने का अधिकार

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 115, पंक्ति 1, "जो निवृ त्तमान" **के स्थान पर** "जो धारा 152 के निबंधनों के अनुसार निवृत्तमान" रखें।

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 160, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 160, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 161 से 165 तक विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 166 निदेशकों के कर्त्तव्य

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 118, पंक्ति 30, "उपधारा (7) के अधीन" का लोप करें। (82)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 166, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 166, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 167 निदेशक के पद का रिक्त किया जाना।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 119, पंक्ति 30 से 32 का लोप करें। (83)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 167, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 167, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 167 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 169 निदेशकों का हटाया जाना।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 120, पंक्ति 17 से 23 का लोप करें। (84)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 169, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 169, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 170 से 177 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 178 नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति तथा पणधारी संबंध समिति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 125, पंक्ति 23 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें–

"परंतु कंपनी के अध्यक्ष को (चाहे वह कार्यपालक हो या गैर-कार्यपालक हो) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किन्तु वह उस समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।" (85)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 178, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 178, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 179 से 185 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 186 कंपनी द्वारा उधार और विनिधान।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 133, पंक्ति 8 से 10 **के स्थान पर** रखें,–

"इस धारा के अधीन कोई उधार एक वर्षीय, तीन वर्षीय, पांच वर्षीय या दस वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की ऋण के दस के निकटतम की वर्तमान प्राप्त की दर से कम दर पर नहीं दिया जाएगा।" (86)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 186, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 186, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 187 और 188 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 189 ऐसी संविदाओं या ठहरावों का, जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं, रजिस्टर

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 136, पंक्ति 28 में "करना अपेक्षित है," **के पश्चात्** "अथवा अपने से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी, जो विहित की जाए "अंत:स्थापित करें। (87)

पृष्ठ 136, पंक्ति 29 से 31 का लोप करें। (88)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 189, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 189, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 190 से 195 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 196 प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 140, पंक्ति 31 "एक मास" **के स्थान पर** "छह मास" रखें। (89)

पृष्ठ 140, पंक्ति 36 "विशेष" **के स्थान पर** "संकल्प द्वारा" रखें। (90)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 196, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 196, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 197 समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और लाभों के अभाव में या अपर्याप्तता की दशा में प्रबंधकीय पारिश्रमिक

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 142, पंक्ति 18 **के स्थान पर** रखें,–

"और उपधारा (5) के अधीन उपबंधित फीस के रूप में पारिश्रमिक, बोर्ड की अथवा अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति और लाभ संबंधी कमीशन, जैसी सदस्यों द्वारा अनुमोदित की जाए, प्राप्त कर सकेगा।"। (91)

पृष्ठ 143, पंक्ति 7 से 14 का लोप करें। (92)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 197, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 197, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 198 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 199 केन्द्रीय सरकार या न्यायाधिकरण की शर्तों के अधीन अनुमोदन आदि प्रदान करने और आवेदनों पर फीस विहित करने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 145, पंक्ति 11 से 33 **के स्थान पर** रखें,–

"इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उपगत किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कपट अथवा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की किसी अपेक्षा का अनुपालन न किए जाने के कारण कंपनी से अपनी वित्तीय विवरणों का पुन: विवरण देना अपेक्षित है वहां कंपनी ऐसे किसी पूर्व या वर्तमान प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक से, जो उस अवधि के दौरान, जिसके लिए वित्तीय विवरणों का पुन: विवरण दिया जाना अपेक्षित है, ऐसा पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत स्टॉक विकल्प भी है) प्राप्त करता है उस राशि से अधिक, जो वित्तीय विवरणों का ऐसा पुन: विवरण दिए जाने के अनुसार उसे संदेय होती, वसूल करेगी।"। (93)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 199, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 199, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 200 से 202 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 203 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 147, पंक्ति 12 "और" का लोप करें। (94)

पृष्ठ 147, पंक्ति 13 **के स्थान पर** रखें,–

"(ii) कंपनी सचिव; और

(iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी।"। (95)

पृष्ठ 147, पंक्ति 14 से 16 **के स्थान पर** रखें,–

"परन्तु किसी व्यष्टि को इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् एक ही समय कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसरण में कंपनी के अध्यक्ष और साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि,–

(क) ऐसी कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा उपबंधित हो; या

(ख) कंपनी के बहुल कारबार न हो:

परंतु परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात बहुत कारबारों में लगी कंपनियों के ऐसे वर्ग को और जिसने ऐसे प्रत्येक कारबार के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, एक या अधिक मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को नियुक्त किया है, लागू नहीं होगी।''। (96)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 203, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 203, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 204 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 205 कंपनी सचिव के कृत्य

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 148, पंक्ति 23, ''अध्यक्ष'' **के स्थान पर** ''कंपनी के अध्यक्ष'' रखें। (97)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 205, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 205, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 206 से 211 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 212 गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 153, पंक्ति 19 और 20 ''धारा'' 46 की उपधारा (5) और उपधारा (6)'' **के स्थान पर** ''धारा 46 की उपधारा (5), धारा 56 की उपधारा (7)'' रखें। (98)

पृष्ठ 153, पंक्ति 21 ''धारा 147 की उपधारा (2) के परंतुक और उपधारा (4)'' का लोप करें। (99)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 2012, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 212, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 213 से 234 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 235 बहुमत द्वारा अनुमोदित स्कीम या संविदा से विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों के शेयर अर्जित करने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 174, पंक्ति 21 ''अंतरिती'' **के स्थान पर** ''अंतरक'' रखें। (100)

पृष्ठ 174, पंक्ति 22 ''अंतरक'' **के स्थान पर** ''अंतरिती'' रखें। (101)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 235, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 235, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 236 अल्पमत शेयर धारण का क्रय

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 175, पंक्ति 31, ''चाहे पूर्णरूपेण या भागत:'' का लोप करें। (102)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 236, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 236, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 237 से 244 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 245 वर्ग संबंधी कार्रवाई

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 181, पंक्ति 40 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें,—

"(1क) जहां सदस्य या निक्षेपकर्त्ता किसी नुकसानी या प्रतिकर की ईप्सा करते हैं या किसी संपरीक्षा फर्म से या विरुद्ध किसी अन्य समुचित कार्रवाई की मांग करते हैं, वहां दायित्व फर्म और साथ ही ऐसे प्रत्येक भागीदार पर होगा, जो संपरीक्षा रिपोर्ट में विशिष्टियों का अनुचित या भ्रामक कथन करने में अंतर्वलित था अथवा जिसने कपटपूर्वक, विधि विरुद्ध या दोषपूर्ण रीति में कार्य किया था।"। (103)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 245, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 245, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 246 धारा 241 या धारा 245 के अधीन कार्यवाहियों के कतिपय उपबंधों का उपयोजन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 183, पंक्ति 18 "कपटपूर्ण किए गए" **के स्थान पर** "किए गए किसी" रखे। (104)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 246, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 246, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 247 से 251 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 252 न्यायाधिकरण में अपील

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 186, पंक्ति 13 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें—

"परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कंपनी का नाम अनवधानता से या कंपनी अथवा उसके निदेशकों द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है, जिसको कंपनियों के रजिस्टर में पुन: रखना अपेक्षित है, तो वह धारा 248 के अधीन कंपनी का विघटन किए जाने संबंधी आदेश पारित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी कंपनी के नाम पुन: रखे जाने की ईप्सा करते हेतु अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा। (105)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 252, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 252, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 253 से 388 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 389 प्रास्पेक्टस का रजिस्ट्रीकरण

संशोधन किया गया:

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (106)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 389, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 389, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 390 से 408 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 409 न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 255, पंक्ति 29 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें।

"स्पष्टीकरण—खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान कोई व्यक्ति किसी न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, ऐसी किसी अवधि को सम्मिलित किया जाएगा जिसके दौरान उस व्यक्ति ने अधिवक्ता बनाने के पश्चात् संघ या किसी राज्य के अधीन न्यायिक पद अथवा किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा ऐसा कोई पद, जिसके लिए विधि का विशेष अनुभव होना अपेक्षित है, धारण किया हो।"।

(107)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 409, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 409, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 410 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 411 अपीलीय न्यायाधिकरण के सभापति और सदस्यों की अर्हता

संशोधन किए गए:

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (108

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 411, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 411, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 412 से 433 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 434 कतिपय लंबित कार्यवाहियों का अंतरण

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 262, पंक्ति 32 **के स्थान पर** रखे—

"434(1) ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए,—" (109)

पृष्ठ 263, पंक्ति 9, "नए सिरे से या" का लोप करें। (110)

पृष्ठ 263, पंक्ति 10 से 19 का लोप करें। (111)

पृष्ठ 263, पंक्ति 32 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें—

"(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन कंपनी विधि बोर्ड या न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी विषयों, कार्यवाहियों या मामलों का अधिकरण को यथा समय अंतरण सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी।"। (112)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 434, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 434, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 435 से 464 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 465 कतिपय अधिनियमितियों और व्यक्तियों का निरसन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 274, पंक्ति 15 **के स्थान पर** रखें,–

"परंतु यह और कि अधिकरण को मामलों का अंतरण करने के लिए धारा 434 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा तारीख अधिसूचित किए जाने तक कंपनी।"। (113)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (114)

पृष्ठ 274, पंक्ति 27 से 29, "घोषणा या दिन गया कोई निदेश अथवा की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित की गई कोई शास्ति" **के स्थान पर** "घोषणा या की गई कोई संक्रिया या दिया गया कोई निदेश या की गई कार्यवाही या अधिरोपित की की गई शास्ति, दंड, समपहरण" रखें। (115)

पृष्ठ 274, पंक्ति 39 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें–

"(खक) विधि के किसी सिद्धांत या नियम अथवा स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररुप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट पर इस बात के होते हुए प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसकी क्रमश: निरसित अधिनियमितियों द्वारा, में या से किसी रीति में अभिपुष्टि की गई हो या उसे मान्यता प्रदान की गई हो अथवा व्युत्पन्न हुई हो;"। (116)

पृष्ठ 274, पंक्ति 42 **के पश्चात्** अंत:स्थापित करें।

"(गक) किसी अधिकारिता, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय अथवा बातों को, जो विद्यमान या प्रवृत्त नहीं हैं पुनरीक्षित या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।"। (117)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 465, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 465, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 466 कंपनी विधि बोर्ड का विघटन और पारिणामिक उपबंध

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 275, पंक्ति 30, "करते रहेंगे" **के स्थान पर** "करेंगे" रखें। (118)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 466, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 466, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 467 से 469 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 470 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 277, पंक्ति 42, "तीन" **के स्थान पर** "पांच" रखें। (119)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 470, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 470, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची-I से IV विधेयक में जोड़ दी गईं।

अनुसूची-V

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 340, पंक्ति 17 से 19 **के स्थान पर** रखें–

"(ख) ऐसे किसी प्रबंधकीय व्यक्ति की दशा में, जो पांच लाख रुपए या उससे अधिक अभिहित मूल्य की प्रतिभूतियां धारण करने वाला कोई शेयरधारक अथवा कंपनी का कोई कर्मचारी या निदेशक नहीं था अथवा प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में उसकी नियुक्ति के दो वर्ष पूर्व के दौरान किसी समय किसी निदेशक या संप्रवर्तक का नातेदार नहीं था–

वर्तमान सुसंगत लाभ का 2.5%;"। (120)

पृष्ठ 291, पंक्ति 28, "खंड या खंडों" **के स्थान पर** "वर्ग या वर्गों" रखें। (121)

पृष्ठ 291, पंक्ति 29, "रूप" **के स्थान पर** "से" रखें। (122)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची-V, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची-V, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गईं।

अनुसूची-VI और VII, विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, "2011" **के स्थान पर** "2012" रखें। (2)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 1, पंक्ति, 1, "बासठवें" **के स्थान पर** "तिरसठवें" रखें। (1)

(श्री सचिन पायलट)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री सचिन पायलट : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, क्या आप चाहते हैं कि मैं 'शून्य काल' की चर्चा शुरू करूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी कृपया आप बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री कमलनाथ : आप मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिनको आज ही बोलना आवश्यक है केवल वे बोलें और जो आज नहीं बोलना चाहते हैं उनके मुद्दे को हम कल कैरी फारवर्ड कर लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं कि आज का ही मुद्दा है और आज ही बोलना जरूरी है तो अलग बात है, नहीं तो इसको कैरी फारवर्ड कर लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा कल, 19 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.45 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 19 दिसंबर, 2012/ 28 अग्रहायण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री पूर्णमासी राम श्री नीरज शेखर	341
2.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	342
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	343
4.	श्री आधि शंकर श्रीमती सीमा उपाध्याय	344
5.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री उदय सिंह	345
6.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा डॉ. संजय सिंह	346
7.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह श्रीमती मेनका गांधी	347
8.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय श्री बंस गोपाल चौधरी	348
9.	श्रीमती सुशीला सरोज श्री महेश्वर हजारी	349
10.	श्री दत्ता मेघे श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	350
11.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री जगदानंद सिंह	351
12.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी कुमारी सरोज पाण्डेय	352
13.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	353
14.	राजकुमारी रत्ना सिंह श्री हरीश चौधरी	354
15.	श्रीमती अन्नू टन्डन	355
16.	श्री यशवीर सिंह	356
17.	श्री पशुपति नाथ सिंह श्री दिनेश चन्द्र यादव	357
18.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड श्री वरुण गांधी	358
19.	श्री सज्जन वर्मा	359
20.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	4055
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	4053

1	2	3
3.	श्री बसुदेव आचार्य	3991
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	4003, 4029, 4051, 4050, 4133
5.	श्री आनंदराव अडसुल	4051, 4050, 4133
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3915, 4052, 4060
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3952, 4032, 4043, 4078
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	3958, 4082
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3949, 3974, 4097
10.	श्री एम. आनंदन	3951, 4140
11.	श्री गजानन ध. बाबर	4029, 4051, 4050, 4133
12.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	4019, 4125
13.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3912, 4043, 4061
14.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	4052
15.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	4059
16.	श्री ताराचन्द भगोरा	3989
17.	श्री शिवराज भैया	3983, 4052, 4115
18.	श्री संजय भोई	3993, 4031, 3136
19.	श्री पी.के. बिजू	4039
20.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3929
21.	श्री हेमानंद बिसवाल	4049
22.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	4017, 4043, 4047, 4120
23.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	4046
24.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	4006, 4109
25.	श्री सी. शिवासामी	3913, 4042, 4077

1	2	3
26.	श्री हरीश चौधरी	4100
27.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3950
28.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	4060
29.	श्री दारा सिंह चौहान	3981, 4094
30.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	4028
31.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3993, 4010, 4047
32.	श्री भूदेव चौधरी	4032, 4052
33.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3931, 4042, 4056
34.	श्री खगेन दास	4030, 4135
35.	श्री राम सुन्दर दास	4018, 4123
36.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3968
37.	श्री रमेन डेका	4058
38.	श्री के.डी. देशमुख	3929
39.	श्रीमती अश्वमेध देवी	4036
40.	श्रीमती रमा देवी	3996, 4044, 4069
41.	श्री के.पी. धनपालन	3957
42.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	4043, 4057
43.	श्री चार्ल्स डिएस	3982, 4129
44.	श्री निशिकांत दुबे	3994, 4052, 4132
45.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	4045, 4066
46.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	4034
47.	श्रीमती मेनका गांधी	3929, 4088
48.	श्री वरुण गांधी	4047, 4126

1	2	3
49.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	4063
50.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3993, 4010, 4047
51.	श्री शेर सिंह घुबाया	3917
52.	श्री एल. राजगोपाल	4004, 4108
53.	श्री शिवराम गौडा	3921, 4093
54.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3935, 4015, 4059
55.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	3998
56.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3990, 4046, 4052
57.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	4012, 4025
58.	श्री बलीराम जाधव	3975, 4045
59.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	4043
60.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3996, 4021
61.	श्री बद्रीराम जाखड़	3960, 4083
62.	श्रीमती दर्शना जरदोश	4068
63.	श्री नवीन जिन्दल	3962, 4043, 4055, 4089
64.	श्री महेश जोशी	3978
65.	श्री प्रहलाद जोशी	4049
66.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3928, 3937, 4072, 4002
67.	श्री सुरेश कलमाडी	4038
68.	श्री पी. करुणाकरन	3991, 4059
69.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3920, 4018, 4123, 4127
70.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3922
71.	श्री राम सिंह कस्वां	3965, 4134

1	2	3
72.	श्री नलिन कुमार कटील	4043
73.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3911
74.	श्री चंद्रकांत खैरे	3955, 4080
75.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3946, 4043
76.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	4013, 4052, 4114
77.	श्री विश्व मोहन कुमार	3987, 4052, 4122
78.	श्री अजय कुमार	4009, 4046, 4055, 4111
79.	श्री पी. कुमार	3933, 3971
80.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	3930
81.	श्री यशवंत लागुरी	4012, 4043
82.	श्री पी. लिंगम	3968
83.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3964, 4085
84.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4037, 4002
85.	श्री सतपाल महाराज	4043
86.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	4005
87.	श्री नरहरि महतो	4048, 4096, 4103
88.	श्री भर्तृहरि महताब	4011
89.	श्री प्रदीप माझी	3986, 4033, 4058, 4116, 4139
90.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	4054
91.	श्री दत्ता मेघे	4095
92.	डॉ. थोकचोम मेन्या	3997
93.	श्री महाबल मिश्रा	4002
94.	श्री गोपीनाथ मुंडे	4024, 4043

1	2	3
95.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3926, 4060, 4130
96.	श्री नामा नागेश्वर राव	4054
97.	श्री जफर अली नकवी	4008
98.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3942, 4043, 4057
99.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	4049, 4090
100.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	4086
101.	श्री पी.आर. नटराजन	4014, 4042, 4117
102.	श्री वैजयंत पांडा	3971, 4092
103.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4000
104.	कुमारी सरोज पाण्डेय	4043, 4046, 4137
105.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3993
106.	श्री देवराज सिंह पटेल	4052
107.	श्री देवजी एम. पटेल	3919, 4084
108.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3948
109.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3986, 4033, 4058, 4116, 4139
110.	श्री ए.टी. नाना पाटील	4047
111.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	3923
112.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3993
113.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3975, 4043, 4113
114.	श्रीमती कमला देवी पटले	3932, 3956, 4052, 4081
115.	श्री नित्यानंद प्रधान	3944, 4076
116.	श्री प्रेमदास	4027, 4043
117.	श्री एम.के. राघवन	3977, 4118

1	2	3
118.	श्री अब्दुल रहमान	3974
119.	श्री प्रेम दास राय	4022, 4128
120.	श्री सी. राजेन्द्रन	3928, 4041, 4052
121.	श्री पूर्णमासी राम	4043, 4090
122.	श्री रामकिशुन	3911, 3945
123.	श्री जगदीश सिंह राणा	3985, 4124
124.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3916
125.	श्री रामसिंह राठवा	3963, 4042
126.	डॉ. रत्ना डे	3924, 4113
127.	श्री अशोक कुमार रावत	3959, 4053, 4054
128.	श्री विष्णु पद राय	3954, 4091
129.	श्री रुद्रमाधव राय	3987, 3999
130.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4042
131.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3943
132.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3925, 4065
133.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	4096
134.	श्री महेन्द्र कुमार राय	4032
135.	प्रो. सौगत राय	4035
136.	श्री एस. अलागिरी	4025
137.	श्री एस. सेम्मलई	3929
138.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3929, 3934, 4052, 4106
139.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3935, 4059, 4070
140.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3939, 4052, 4073

1	2	3
141.	श्री ए. सम्पत	3932, 4039, 4043, 4052
142.	श्री तकाम संजय	4023
143.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	4020
144.	श्री तूफानी सरोज	3984, 4131
145.	श्री तथागत सत्पथी	4001
146.	श्री हमदुल्लाह सईद	3914, 4043, 4064
147.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	3969, 4104
148.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	4032
149.	श्री नीरज शेखर	4098
150.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3916, 4034, 4079
151.	श्री एंटो एंटोनी	4007, 4110
152.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3911, 3940, 4074
153.	डॉ. भोला सिंह	3972, 4049, 4105
154.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3966, 4048, 4102
155.	श्री दुष्यंत सिंह	4040, 4110, 4002
156.	श्री गणेश सिंह	4052
157.	श्री इज्यराज सिंह	4021, 4100
158.	श्री जगदानंद सिंह	4043, 4056, 4112
159.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3938, 3987
160.	श्री महाबली सिंह	3961
161.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4099
162.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	4000
163.	श्री राधा मोहन सिंह	3929, 3970

1	2	3
164.	श्री राकेश सिंह	3941
165.	श्री रतन सिंह	3947, 4026
166.	श्री रवनीत सिंह	3936, 4071
167.	श्री यशवीर सिंह	4098
168.	श्री धनंजय सिंह	3968
169.	डॉ. संजय सिंह	4026
170.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3987
171.	श्री मकनसिंह सोलंकी	3995
172.	श्री ई.जी. सुगावनम	3918, 4050, 4075
173.	श्री के. सुगुमार	3979, 4016, 4042, 4056, 4121
174.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3928, 4067, 4124
175.	श्रीमती अन्नू टन्डन	4010, 4021, 4062
176.	श्री अशोक तंवर	3927, 4047, 4101
177.	श्री आर. थामराईसेलवन	3967, 4087
178.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	4052
179.	श्री मनोहर तिरकी	3953, 4048, 4103
180.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4043, 4049
181.	श्री लक्ष्मण टुडु	4043
182.	श्री शिवकुमार उदासी	4049, 4002
183.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4044, 4069
184.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4016, 4042, 4119
185.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3976
186.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	4049, 4002

1	2	3
187.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4107
188.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3947, 4114
189.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4003, 4051, 4050, 4133
190.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3980, 4043
191.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3973
192.	श्री मधुसूदन यादव	3988, 4132
193.	श्री मधु गौड यास्खी	3931, 4029
194.	योगी आदित्यनाथ	3992, 4138

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	341, 358, 360
कोयला	:	348, 350, 351
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	343, 346, 349, 357
संस्कृति	:	352
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	354, 355
गृह	:	344, 347, 356, 359
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
सूचना और प्रसारण	:	342
युवा कार्यक्रम और खेल	:	345, 353.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3911, 3912, 3915, 3916, 3931, 3932, 3942, 3943, 3953, 3956, 3961, 3966, 3969, 3973, 3977, 3983, 3984, 3995, 3996, 4004, 4011, 4024, 4031, 4038, 4042, 4048, 4049, 4051, 4056, 4063, 4065, 4067, 4072, 4074, 4077, 4082, 4084, 4088, 4089, 4094, 4095, 4096, 4107, 4120, 4122, 4126, 4133, 4136, 4140
कोयला	:	3934, 3937, 3948, 3950, 3960, 3968, 3971, 4000, 4001, 4003, 4016, 4044, 4053, 4057, 4087, 4093, 4103, 4119, 4121, 4135
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3923, 3928, 3951, 3957, 4002, 4007, 4009, 4017, 4019, 4025, 4040, 4041, 4052, 4055, 4099, 4104, 4108, 4111, 4112, 4115, 4118, 4123, 4139
संस्कृति	:	3918, 3920, 3941, 3945, 3952, 3978, 3985, 4005, 4023, 4027, 4034, 4047, 4062, 4068, 4079, 4127, 4129, 4132
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	4030

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3963, 3988, 4014, 4080, 4083, 4106, 4137
गृह	:	3913, 3914, 3917, 3919, 3921, 3922, 3929, 3930, 3933, 3935, 3939, 3944, 3946, 3947, 3949, 3954, 3959, 3962, 3964, 3967, 3970, 3972, 3974, 3976, 3979, 3980, 3981, 3986, 3989, 3990, 3991, 3992, 3994, 3999, 4006, 4012, 4013, 4018, 4020, 4022, 4029, 4032, 4033, 4043, 4046, 4054, 4058, 4059, 4064, 4066, 4069, 4070, 4076, 4090, 4091, 4097, 4098, 4102, 4105, 4109, 4113, 4117, 4124, 4125, 4130, 4134
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	3982, 3993, 4015
सूचना और प्रसारण	:	3924, 3926, 3927, 3936, 3955, 3958, 3975, 3997, 4008, 4026, 4035, 4036, 4073, 4101, 4114, 4128, 4131, 4138
युवा कार्यक्रम और खेल	:	3925, 3938, 3940, 3965, 3987, 3998, 4010, 4021, 4028, 4037, 4039, 4045, 4050, 4060, 4061, 4071, 4075, 4078, 4081, 4085, 4086, 4092, 4100, 4110, 4116.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/30/18/2012 (एन०)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।